रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-128/90 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 9, 1990/ज्येष्ठ 19, 1912
NO. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9, 1990/JYAISTHA 19, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 1990

सूचनाएं

का.आ. 1571.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री गुरदेव सिंह सूर, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(11)/90-8-न्याय.]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 8th May, 1990

NOTICES

S.O. 1571.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Gurdev Singh Sur for appointment as a Notary to practise in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(11)/90-Judl.]

का.आ. 1572.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री जनेश्वर नाथ कौशिक, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे श्री गंगानगर राजस्थान में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5(29)/90-न्या.]

S.O. 1572.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Jageshwar Nath Kaushik, Advocate for appointment as a Notary to practise in Sriganganagar, (Raj.)

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(29)/80-Judl.]

1371 GI/90—1

का.आ. 1573.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हुकम चन्द मित्तल ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे जगादरी हरियाणा में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. फा. 5(28)/90-न्या.]

के.एल. शर्मा, सक्षम प्राधिकारी

S.O. 1573.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Hukam Chand Mittal, Advocate for appointment as a Notary to practise in Jagadhari, Haryana.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(28)/90-Judl.]

K. L. SARMA, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मई, 1990

का.आ. 1574.—राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन, असम राज्य के राज्यपाल को, जो पूर्वोत्तर परिषद् के सदस्य हैं, अगले आदेशों तक, उक्त परिषद का अध्यक्ष नामित्त करते हैं।

[सं. 1/26/89-एन ई-II]

विनय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 23rd May, 1990

S.O. 1574.—In exercise of the powers conefferred on him by sub-section (3), of the North-Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971), the President hereby nominates the Governor of the State of Assam, a member of the North-Eastern Council under clause (a) of Sub-Section (1) of section 3, to be the Chairman of the said Council till further orders.

[No. 1/26/89-NE. II]

VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1990

का.आ. 1575.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से, जो उनके गृह (एस.सी.ए.) विभाग के जी.ओ.आर.टी. सं. 550, तारीख 21-2-90 द्वारा सूचित की गई है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम 2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 49) के उपबन्धों के अधीन दंडनीय ऐसे अपराधों की बाबत जहां तक उनका ऐसे मामलों में संबंध है जिनमें केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में नियोजित व्यक्ति अंतर्वलित हैं, अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य पर करती है।

[संख्या 228/40/88-ए.वी.डी.II (वाल्यूम-III)]

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1990

S.O. 1575.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) the Central Government, with the consent of the State Government of Andhra Pradesh as conveyed vide their No. HOME (SC-A) Department G.O.R.T. No. 550 dated 21-2-1990 hereby extends the power and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation in respect of offences punishable under the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1947 (Central Act 2 of 1947) and the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act 49 of 1988) in so far as cases in which Central Government employees and the persons employed in Central Government undertakings only are involved.

[No. 228/40/88-AVD.II-(Vol. III)]

आदेश

का.आ. 1576 केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से जो गृह (एस सी ए) विभाग सं. जी.ओ. आर.टी. सं. 764, तारीख 15-3-1990 द्वारा प्राप्त हुई है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए जिनके बारे में यह अभिकथन है कि वे आर.सी. के रजिस्ट्रीकरण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त निम्नलिखित तीनों परिवादों में निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, समस्त आंध्र प्रदेश राज्य को करती है :—

1. आयात और निर्यात अधिनियम की धारा 5 के अधीन परिवाद सं. 37/(एस)/88 हैदराबाद, तारीख 7-9-88।	मैसर्स एक्सपो इलैक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 1-10-285/2, एपाराओ कंपाउण्ड बेगमपेट, हैदराबाद।
2. आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 5 के अधीन परिवाद सं. 7(एस)/89-हैदराबाद तारीख 28-4-89।	1. मैसर्स महेश्वरी इंडस्ट्रीज कोथर। 2. श्री भगवान दास बूब, प्रोप्राइटर आफ मैसर्स महेश्वरी इंडस्ट्रीज, कोथर।
3. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 5 के अधीन परिवाद सं. 8/(एस)/89-हैदराबाद, तारीख 28-4-89।	मैसर्स बालाजी इंडस्ट्रीज, करीमनगर, आंध्र प्रदेश।

[संख्या 228/12/90-ए.वी.डी. (II)]

जी सीतारामन, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1576 .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No.25 of 1946) the Central Government with the consent of the State Government of Andhra Pradesh as granted by their No. Home (SC-A) Deptt. G.O. Rt. No.764 dated 15-3-1990 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of offences punishable under relevant sections of Imports and Exports (Control) Act and under section 420 IPC alleged to have been committed by the private persons in the following three complaints received by the Central Bureau of Investigation for registration of R.C. :—

1. Complaint No.37/(S)/88-Hyderabad dated 7-9-88 under section 5 of Import and Export Act.	M/s Expo Electronics (P) Ltd., 1-10-285/2, Apparao Compound, Begumpet, Hyderabad.
2. Complaint No.7(S)/89-Hyderabad dated 28-4-89 under section 5 of the Import & Export (Control) Act.	1. M/s Maheshwari Industries, Kothur. 2. Shri Bhagvan Dass Boob, Proprietor of M/s. Maheswari Industries, Kothur.
3. Complaint No.8/(S)/89-Hyderabad dated 28-4-89 under section 420 IPC and 5 of Import and Export (Control) Act.	M/s Balaji Industries, Karimnagar, Andhra Pradesh.

[No. 228/12/90-AVD.II]

G. SITARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(आय कर)

नई दिल्ली, 17 अप्रेल, 1990

का.आ. 1577—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ, दक्षिनेश्वर, कलकत्ता" को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के लिए अधिसूचित करती है।

[स. 8638 फा.सं. 197/28/90-आकर नि (1)]

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th April, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1577.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23-C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Dakshineswar Ramkrishna Sangha, Dakshineswar, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment year 1990-91 and 1991-92.

[No. 8638/F. No. 197/28/90-ITA(1)]

(आयकर)

का.आ. 1578—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "डायोसेसी आफ मंगलौर" को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 8636 फा.सं. 197/213/87-आयकर नि (I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1578.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23-C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Diocese of Mangalore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1988-89 to 1989-90.

[No. 8636/F. No. 197/213/87-ITA. I]

(आय-कर)

का.आ. 1579—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री शारदा मठ एण्ड रामाकृष्णा शारदा मिशन, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1990-1991 से 1992-93 तक के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 8635/फा.सं. 197/38/90-आ कर नि (1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 1579.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23-C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Sarada Math and Ramakrishna Sarada Mission, Dakshineshwar, Calcutta" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93.

[No. 8635/F. No. 197/38/90-ITA.I]

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1990

(आय-कर)

का.आ. 1580—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उप खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "दि अस्थिका समाज, बम्बई" को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 8639/फा.सं. 197/43/90-आ कर (नि.-1)]

New Delhi, the 19th April, 1990

(INCOME-TAX)

S.O. 1580.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23-C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Asthika Samaj, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment year 1989-90.

[No. 8639/F. No. 197/43/90-ITA. I]

(आय-कर)

का.आ. 1581—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा लाम्भा नवा बालिया काका प्रापर्टी ट्रस्ट, लाम्भा, (गुजरात)" को उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 8640/फा.सं. 197/170/86-आ कर (नि-I)]
दलीप सिंह, विशेष कार्य अधिकारी

(INCOME-TAX)

S.O. 1581.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23-C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Lambha Nava Balia Kaka Property Trust, Lambha (Gujarat)" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1987-88 to 1989-90.

[No. 8640/F. No. 197/170/86-ITA. I]
DALIP SINGH, Officer on Special Duty

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1989

का० आ० 1583.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक बोर्ड ने, भारत सरकार को 30 जून, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है:—

भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट— वर्ष 1 जुलाई 1988 से 30 जून 1989 तक

भाग I—आर्थिक स्थिति

1. एक विहंगावलोकन

1.1 1988 के अत्यधिक अनुकूल मानसून ने 1988-89 के राजकोषीय वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय अच्छे और व्यापक आर्थिक कार्य निष्पादन में सहायता की जिससे वास्तविक सकल देशी उत्पाद में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे पहले के सूखा वाले वर्षों में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में निरपेक्ष गिरावट आई थी और इस प्रकार सूखे के बाद वाले वर्ष ने निरपवाद रूप से वृद्धि की उच्च दर प्रदर्शित की। 1987-88 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसलिए 1988-89 में और 10 प्रतिशत की वृद्धि का होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। 1988-89 के दौरान पैदावार में वृद्धि काफी व्यापक थी। यह बड़े क्षेत्रों में और अलग-अलग फसलों और उद्योगों के व्यापक परिप्रेक्ष्य दोनों ही रूपों में देखने को मिली। देशी बचत की दर में 1988-89 के दौरान कोई वृद्धि नहीं दिखायी दी, क्योंकि वास्तविक आय में वृद्धि और बचतों में वृद्धि के बीच अन्तराल बना रहा। अनन्तिम अनुमान और अन्य समर्थक निदेशक तत्व देशी निवेश की दर में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। ये निवेश, विदेशों से संसाधनों के काफी बड़ी मात्रा में शुद्ध आगमन के कारण संभव हो सके। इसके फलस्वरूप विदेशों से संसाधनों के आगमन की आवश्यकता रख-रखाव की और तीव्र गति से वृद्धि तथा पूंजीगत माल के आयातों के कारण हुई जितने, काफी मात्रा में निर्यात होने के बावजूद, चालू खाते में काफी घाटा रहा। अधिकांशतः सरकारी घाटे के कारण बढ़ती हुई समग्र चल निधि के संदर्भ में, मुद्रा और ऋण नीति की व्यापक स्थिति नियंत्रित बनी रही, तथापि सूखे से उभरने के लिए पूर्ण सामर्थ्य पैदा करने के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि कृषि, उद्योग और व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग तंत्र के पास व्यापक साधन उपलब्ध हों।

1988-89 में मुद्रास्फीति के दबावों की तुलना यदि सूखा वर्ष के तुरन्त बाद उच्च मुद्रा स्फीति की अवधि के दौरान किये गये ऐतिहासिक अनुभव से की जाये तो वे इस वर्ष समुचित रूप से नियंत्रण में रहे।

1.2 कृषि उत्पादन में 1988-89 के दौरान 23.0 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि होने की आशा है, जबकि इसके विपरीत, 1987-88 में इसमें 2.1 प्रतिशत की गिरावट आयी थी और 1986-87 में यह 3.7 प्रतिशत थी। 1985-86 में इसमें 2.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी। सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के लिए कृषि उत्पादन में औसतन वृद्धि की गणना की गयी है जो कि 4 प्रतिशत के योजनागत लक्ष्य से ऊंचा होगा, हालांकि यह अवधि पर्याप्त अस्थिरता की रही है। 1988-89 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 163.6 मिलियन टन रहा जो कि 1983-84 में हुए 152.4 मिलियन टन के सर्वोच्च उत्पादन से 10.6 प्रतिशत और अधिक बढ़ जायेगा। खाद्यान्नों की पैदावार के अन्तर्गत दालों के उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि एक स्वागत योग्य लक्षण है, क्योंकि पौष्टिक भोजन के लिए दालों की महत्ता के कारण प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्ध मात्रा में निरन्तर गिरावट होने के कारण व्यापक चिन्ता बनी हुई थी। पिछले वर्षों में फसल कम होने के कारण खाद्यान्नों के भंडारों में तेजी से कमी आती गयी और मार्च 1989 में खाद्यान्नों का भंडार, कम होकर 7.1 मिलियन टन रह गया, जबकि दो साल पहले यह 19.5 मिलियन टन था। जून 1989 के लिए, प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार यह भंडार 13.1 मिलियन टन हो गया है, जबकि जून 1988 की समाप्ति पर यह 11.9 मिलियन टन और दो वर्ष पहले 23.3 मिलियन टन था।

1.3 समग्र औद्योगिक वृद्धि जो कि 1987-88 में कम होकर 7.3 प्रतिशत तक आ गयी थी, 1988-89 में तीव्र गति से बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गयी। 1988-89 में वृद्धि उद्योगों के व्यापक क्षेत्रों तक फैली हुई थी। एक समूह के रूप में मूलभूत उद्योग 8.1 प्रतिशत तक बढ़े, जबकि इसके पहले वर्ष में वे 6.0 प्रतिशत बढ़े थे। निवेश-गत माल तथा उपभोक्ता स्थायी उद्योगों ने अच्छा कार्य किया, जबकि उपभोक्ता अस्थायी उद्योगों ने अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि दर्शायी। समग्रतः सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में औसत वृद्धि 8.5 प्रतिशत बैठती है, जबकि योजना का लक्ष्य 8.0 प्रतिशत था।

1.4 बिन्दु-वार आधार पर (1970-71=100 को आधार बनाकर) थोकमूल्य सूचकांक में वृद्धि कम होकर 1988-89 में 6.7 प्रतिशत रह गयी, जबकि इससे पहले वर्ष में यह 10.6 प्रतिशत थी। फिर भी मुद्रास्फीति की स्थिति चिन्ता का विषय बनी रही क्योंकि औसत आधार पर मूल्य वृद्धि उतनी ही रही जितनी कि पिछले वर्ष (7.5 प्रतिशत के लगभग) रही थी और आम उपयोग के अनेक पण्यों पर पर्याप्त दबाव बना रहा जिसकी झलक उपभोक्ता मूल्यों में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि में मिलती है। सार्वजनिक आपूर्ति व्यवस्था के कार्यक्रमों, जिनसे खाद्यान्न के भण्डार में काफी मात्रा में कमी आयी, तथा कमी वाले कुछ महत्वपूर्ण पण्यों के आयात के बावजूद 1988-89 में मूल्यों पर दबाव बना रहा।

1.5 वर्ष के दौरान एम$_3$ और एम$_1$ में क्रमशः 17.6 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत का विस्तार 1987 में हुए इन के विस्तार (क्रमशः 15.7 प्रतिशत तथा 12.9 प्रतिशत) से अधिक रहा, परन्तु इन्हें समीक्षा-उत्पादन और निवेश की गतिविधियों की रफ्तार की तुलना में देखा जाना चाहिये। आधिक प्रारक्षित निधि के निरन्तर निर्माण के अतिरिक्त मुद्रागत नीति की चिन्ता का एक महत्वपूर्ण विषय था खाद्येतर बैंक-ऋण का और अधिक गति से विस्तार-समानान्तर रूप से ऋण सुपुर्दगी पद्धति में लचीलापन लाकर और नयी मुद्रा बाजार लिखतों को शुरू करने की दिशा में प्रयास को आगे बढ़ाकर तथा मुद्रा बाजार की ब्याज-दरों को विनियमन से मुक्त करके दक्षता बढ़ाने के लक्ष्य पर समीक्षाधीन वर्ष में विशेष ध्यान दिया गया।

1.6 राजकोषीय क्षेत्र में केन्द्र सरकार का वर्ष 1988-89 का समग्र घाटा संशोधित अनुमानों के अनुसार 7,940 करोड़ रुपये आंका गया जोकि 1987-88 में हुए 5,816 करोड़ रुपये के वास्तविक घाटे से कहीं अधिक रहा। इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण 8,200 करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर रहा। परन्तु बजट घाटे और केन्द्र सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण दोनों की वास्तविक स्थिति काफी कम रही, केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण 6,503 करोड़ रुपये और बजट घाटा 5,810 करोड़ रुपये रहा। वर्ष के अन्त में बजट घाटा अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद, अर्थव्यवस्था में चलनिधि का दबाव मजबूत बना रहा क्योंकि वास्तविक बजट घाटे के पाक्षिक स्तर बजट में अनुमानित या संशोधित अनुमानों से मार्च 1989 की प्रारम्भिक अवधि तक उच्च बने रहे और केवल मार्च 1989 के उत्तरार्द्ध में ही यह घाटा बजट अनुमानों से कम स्तर पर आया। केन्द्र और राज्यों के संयुक्त बजट परिणामों से यह प्रदर्शित होता है कि 1988-89 में विकासात्मक व्यय में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गैर-विकासात्मक व्यय में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस

प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्षों में चिन्ताजनक प्रवृत्ति जारी रही।

1.7 मौलिक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों में उल्लेखनीय सुधार के साथ-साथ निजी निगमित क्षेत्र द्वारा बेहतर कार्य निष्पादन के कारण पूंजीगत बाजार ने 1988-89 के दौरान उल्लेखनीय लचीलेपन का अनुभव किया। नये पूंजीगत निर्गम उल्लेखनीय रूप से बड़े आकार के थे और उनके प्रति जनता की प्रतिक्रिया काफी बेहतर थी। मीयादी ऋण वाली संस्थाओं द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता काफी बढ़ी। गौण बाजार में शेयर मूल्यों में 1988-89 में तेजी से वृद्धि आयी जबकि पिछले वर्ष उनमें कुछ गिरावट आयी थी।

1.8 देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 1988-89 मे 647 करोड़ रुपये (771 मिलियन विशेष आहरण अधिकार) की कमी आयी, जबकि 1987-88 में इसमें 465 करोड़ रुपये (627 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों) की कमी आयी थी। चालू खाते में सकल देशी उत्पाद के लगभग 2.8 प्रतिशत तक के बराबर घाटे की कमी का अनुमान किया गया, जबकि यह वास्तव में इससे ज्यादा है और यह गम्भीर चिन्ता का कारण है।

1.9 यद्यपि 1988-89 में अर्थव्यवस्था ने बहुत सन्तोषप्रद वास्तविक वृद्धि दर दर्शायी है और जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई है, राजकोषीय घाटा अर्थ व्यवस्था में चलनिधि की वृद्धि, मुद्रास्फीति-दर तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में गिरावट चिन्ता के विषय रहे हैं।

2. राष्ट्रीय आय, बचत और निवेश

2.1 उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित अनुमान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि 1988-89 के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि हुई है क्योंकि कृषि के क्षेत्र में योजित मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई। 1980-81 के मूल्यों पर आधारित सकल देशी उत्पाद (स० दे० उ०) की वृद्धि दर 10 प्रतिशत होने की आशा है जबकि 1987-88 में यह 3.6 प्रतिशत थी। पिछले दो वर्षों में कृषि जन्य सकल देशी उत्पाद में कमी आयी थी; इसके विपरीत 1988-89 में कृषि और संबद्ध कार्य-कलापों में लगभग 19-20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (सारणी-2.1)।

सारणी 2.1: वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि

क्षेत्र	प्रतिशत अंश (वास्तविक सकल देशी उत्पाद में)			वृद्धि दर (प्रतिशत)				
	1970-71	1980-81	1987-88 *81	1970-71 से 1980-85*	1979-80 से 1934	1985-86	1986-87	1987-88 त्वरित अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	47.4	38.0	30.5	2.0	4.2	0.3	—2.3	—1.0
(क) कृषि	45.7	34.7	28.3	2.0	4.3	0.2	—2.1	—1.0
2. उद्योग	16.4	20.9	26.2	4.8	5.4	8.9	9.4	7.2
(क) विनिर्माण	14.2	17.7	22.0	4.6	4.9	9.2	9.2	7.4
3. सेवाएं	30.9	36.1	38.9	5.3	7.2	7.3	6.2	5.1
कुल सकल देशी उत्पाद @	100.0	100.0	100.0	3.4	5.6	5.1	4.0	3.5

@इसमें निर्माण शामिल है।
*यह अर्ध-अधुगणकीय (सेमी-लोगरिद्मिक) प्रवृत्तियों पर आधारित हैं।

2.2 चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में कुल सकल घरेलू बचत का अनुपात 1986-87 में 21.8 प्रतिशत से घटकर 21.1 प्रतिशत पर आ गया था। यह अनुपात 1988-89 में थोड़ा-सा कम अर्थात् 21.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। फिर भी, विदेश से प्राप्त शुद्ध संसाधनों के अनुपात में वृद्धि होने के कारण कुल सकल निवेश की दर 1987-88 के 23.5 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर, 1988-89 में, 23.9 प्रतिशत हो गयी। यह बढ़ोतरी 1986-87 के 24.0 प्रतिशत के स्तर से आयी गिरावट के बाद हुई है (सारणी 2.2)।

2.3 इन सकल अनुपातों में अचल पूंजी के उपभोग के लिए किया गया प्रावधान भी शामिल है। अचल पूंजी के उपभोग के लिए प्रावधान की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और अब वे सकल देशी बचत का लगभग आधा भाग अवशोषित कर लेते हैं? (अर्थात् 1988-89 में अनुमानित 81,872 करोड़ रुपये में से लगभग 40,169 करोड़ रुपये) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के इस स्तर का औचित्य भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूंजीगत परिसम्पत्तियों की मरम्मत और उसके रखरखाव पर उपयुक्त और सामयिक व्यय की शर्त के साथ जुड़ा है। प्रौद्योगिकी के उन्नयन के साथ-साथ, वर्तमान परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर किये गये पूंजीगत उपभोग के प्रावधान का स्तर, आवश्यकताओं के संदर्भ में कम अनुमानित हो सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो देशी बचत अनुपात में आयी अवरुद्धता कुछ चिंता का विषय है।

सारणी 2.2 : देशी बचत के अनुमान और निवेश अनुपात

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के रूप में सकल बचत और निवेश				वर्तमान बाजार मूल्यों पर शुद्ध देशी उत्पाद के रूप में शुद्ध बचत और निवेश		
	राजकोषीय वर्ष	1986-87	1987-88 (अनंतिम)	1988-89 (प्रारंभिक अनुमान)	1986-87	1987-88 (अनंतिम)	1988-89 प्रारंभिक अनुमान
1		2	3	4	5	6	7
1. घरेलू क्षेत्र की बचत: जिनमें से		17.4	17.4	17.0	14.7	14.6	14.2
वित्तीय परिसम्पत्तियों में बचत*		8.4	8.2	7.8	9.3	9.1	8.7
2. सार्वजनिक क्षेत्र		2.7	2.0	2.1	—1.9	—2.8	—2.5
3. घरेलू निजी कम्पनी क्षेत्र		1.7	1.7	1.9	0.2	0.2	0.3
4. जोड़: घरेलू बचत		21.8	21.1	21.0	13.0	12.0	12.0
5. विदेशी संसाधन की शुद्ध आवक		2.2	2.4	2.9	2.5	2.6	3.3
6. कुल निवेश (4+5)		24.0	23.5	23.9	15.5	14.6	15.3
वर्तमान बाजार मूल्यों पर स०दे०उ०/नि० दे० उ० (करोड़ रुपये)		293,408	330,464	390,590	263,543	296,776	350,526

*इन्हें वित्तीय देयताओं के लिए समायोजित किया गया है। चूंकि वित्तीय आस्तियों में बचत में अचल आस्तियों के लिए पूंजीगत उपभोग शामिल नहीं है, इसलिए शुद्ध अनुपात सकल अनुपातों से अधिक हैं।

टिप्पणी: 1986-87 तथा 1987-88 के अनुपात उन अनुपातों से भिन्न हो सकते हैं जो बैंक के पिछले वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं और 1987-1988 के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के त्वरित अनुमानों में प्रकाशित हुए हैं, क्योंकि नये आंकड़े उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय के अनुमानों और बचत तथा निवेश के अनुपातों में संशोधन किया गया।

2.4 बढ़ते हुए पूंजीगत उपभोग के परिणामस्वरूप 1988-89 में शुद्ध बचत अनुपात 12.0 प्रतिशत अनुमानित है। सांकेतिक रूप में यदि देखा जाये तो घरेलू क्षेत्र में शुद्ध वित्तीय बचत का अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 11.4 प्रतिशत अधिक था। परन्तु चालू बाजार मूल्य पर शुद्ध देशी उत्पाद (नि० दे० उ०) के संदर्भ में यह 1987-88 के 9.1 प्रतिशत के स्तर से घटकर, 1988-89 में 8.7 प्रतिशत हो गया। मूल्यह्रास को घटाकर सरकारी क्षेत्र का अधिव्यय, 1986-87 में बाजार मूल्य पर शुद्ध देशी उत्पाद के 1.9 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर, 1987-88 में 2.8 प्रतिशत पर आ गया था। 1988-89 में इसमें थोड़ी-सी वृद्धि की संभावना है। इसके अतिरिक्त निजी कंपनी क्षेत्र की शुद्ध बचत में कुछ सुधार दीख पड़ता है। क्योंकि अन्य पहलुओं में इस निष्पादन में समग्र सुधार हुआ है।

2.5 वित्तीय परिसम्पत्तियों (सकल) के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत का स्तर 1987-88 में शुद्ध देशी उत्पादन का 11.8 प्रतिशत था। 1988-89 में बचत का यह स्तर घटकर 11.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। इसके साथ ही इस क्षेत्र की वित्तीय देयताओं में आंशिक वृद्धि हुई है अर्थात् वे 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गयी है। इस प्रकार, शुद्ध वित्तीय बचत अनुपात 9.1 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 2.2)। बैंक जमाराशि के रूप में बचत में थोड़ी-सी वृद्धि अनुमानित है। अर्थात् यह 1987-88 के शुद्ध उत्पादन के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर, 1988-89 में, 4.7 प्रतिशत होगी। जबकि मुद्रा के रूप में बचत 1987-88 के शुद्ध देशी उत्पाद के 1.6 प्रतिशत से घटकर, 1988-89 में, 1.3 प्रतिशत होने की आशा है। कुल वित्तीय परिसंपत्तियों (सकल) में मुद्रा और जमाराशियों का अंश कुल परिसंपत्तियों के लगभग 50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहेगा। घरेलू क्षेत्र की वित्तीय परिसंपत्तियों (सकल) में जीवन बीमा, भविष्य निधि और पेंशन निधियों का अंश भी लगभग 25 प्रतिशत पर बने रहने की संभावना है। सार्वजनिक और निजी कंपनी क्षेत्रों के शेयरों और डिबेंचरों तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में किये गये निवेश के रूप में घरेलू क्षेत्र की बचत का अनुपात 1987-88 में 8.0 प्रतिशत था। इस स्तर से घटकर, 1988-89 में, इसके 7.2 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना है। पूंजी बाजार में उछाल और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री में तेजी आने के बावजूद यह गिरावट परिलक्षित हुई है। इसका मुख्य कारण कंपनी निधियों का बढ़ता हुआ प्रभाव है जो बचत के इन माध्यमों में, घरेलू बचतों की तुलना में उभरकर सामने आया है। सरकार की बचत राशि (मुख्यतः लघु बचत राशियां) में घरेलू क्षेत्र की बचत का अंश 1986-87 में 9.9 प्रतिशत और 1987-88 में 10.1 प्रतिशत था। अब यह अंश 1988-89 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत होने की संभावना है। अल्प बचत के लिए दी गयीं राजकोषीय रियायतों ने घरेलू क्षेत्र द्वारा बचत की अन्य लिखतों के मुकाबले में इन लिखतों को काफी आकर्षक बना दिया है।

3. कृषि उत्पादन

3.1 1988 में मानसून की वर्षा निःसंदेह अच्छी रही। वर्षा का भौगोलिक और आवधिक वितरण भी अच्छा रहा। साथ ही खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किये गये जिससे कृषि उत्पादन में सभी स्तरों पर समग्र वृद्धि हुई। यह 1985-86 में हासिल किये गये पिछले शिखर-उत्पादन से भी काफी अधिक रहा। योजना-अवधि के दौरान कृषि की वृद्धि-दर को बढ़ाने के अतिरिक्त, 1988-89 में

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कतिपय गुणात्मक परिवर्तन भी लाये गये। चावल के उत्पादन में काफी तेजी आयी जिसमें गरमी में उगाये जाने वाला चावल भी शामिल है। यह उत्पादन गेहूं के अपेक्षाकृत कम उत्पादन को संतुलित करने में भी सहायक हुआ। इस उत्पादन से उन प्रदेशों में भी क्रमिक सुधार हुआ जहां अब तक कम वृद्धि दर पायी जाती रही, विशेष रूप से पूर्वी प्रदेशों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में रबी के उत्पादन का अंश 1983-84 से क्रमिक रूप से बराबर बढ़ रहा है। इसमें 1988-89 में थोड़ी-सी गिरावट आयी परन्तु इस गिरावट के बावजूद उसका स्तर बराबर ऊंचा बना रहा।

मानसून की स्थिति

3.2 1988-89 का दक्षिण-पश्चिम मानसून असाधारण रूप से अच्छा था और हाल के वर्षों में यह मानसून वास्तव में सबसे अच्छा रहा। मौसम के दौरान बीच-बीच में वर्षा न होने के परिणामस्वरूप नमी में कमी आ जाती है और वर्षा में असमानता रहती है। इस तरह की प्रवृत्ति सामान्य वर्षा की स्थिति बेहतर रही। वर्षा की यह प्रवृत्ति पिछले चार वर्षों की प्रवृत्तियों से एकदम विपरीत थी, जबकि मानसून की वर्षा की मात्रा कम रही। इससे पहले वर्षा संबंधी इसी प्रकार की प्रवृत्ति में उत्पादन का सर्वोच्च स्तर 1983-84 में हासिल किया गया था। 1988 में देश के 35 मौसमी उप-खंडों में से 32 उप-खंडों में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई जबकि 3 उप-खंडों में अर्थात् पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके में कुछ कम वर्षा हुई। यह स्थिति 1987-88 में पड़े अत्यधिक सूखे के एकदम विपरीत थी।

समग्र कृषि उत्पादन

3.3 1988-89 के दौरान कृषि उत्पादन में लगभग 23.0 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि अनुमानित है। यह वृद्धि 1987-88 में हुई 2.1 प्रतिशत की गिरावट और 1986-87 में हुई 3.7 प्रतिशत की गिरावट तथा 1985-86 में हुई 2.4 प्रतिशत की मामूली-सी वृद्धि के एकदम विपरीत है। यद्यपि सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में कृषि उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि 4.9 प्रतिशत निकाली गयी है और यह वृद्धि दर 4 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से थोड़ी-सी अधिक है, फिर भी इस अवधि के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि में पर्याप्त अस्थायित्व बना रहा है।

खाद्यान्न उत्पादन

3.4 मानसून की अच्छी वर्षा तथा साथ ही विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम और विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप खाद्यान्न का कुल उत्पादन 1988-89 में 172.2* मिलियन टन रहने का अनुमान है। यह उत्पादन 1983-84 में हुई पिछले 152.4 मिलियन टन के, शिखर उत्पादन से 13.0 प्रतिशत अधिक है। पिछले वर्ष के 138.4 मिलियन टन के निम्नतर उत्पादन की तुलना में, 1988-89 में हुई वृद्धि 24.4 प्रतिशत अधिक है। खाद्यान्न के उत्पादन में खरीफ और रबी दोनों ही फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 97.3 मिलियन टन रहने का अनुमान है जो रिकार्ड स्तर का है और पिछले वर्ष के उत्पादन से 23.4 मिलियन टन या 31.7 प्रतिशत अधिक है। रबी का खाद्यान्न उत्पादन 74.9 मिलियन टन रहा और यह भी एक रिकार्ड-स्तर का उत्पादन है। यह उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से 10.4 मिलियन टन या 16.1 प्रतिशत अधिक है।

3.5 1988-89 में चावल का उत्पादन लगभग 70.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है जबकि, इसकी तुलना में, पिछले वर्ष का वास्तविक उत्पादन 56.4 मिलियन टन रहा था। इस प्रकार इसमें 25.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। गेहूं का उत्पादन 54.1 मिलियन टन अनुमानित है जो 1987-88 के 45.1 मिलियन टन के वास्तविक उत्पादन से 20.0 प्रतिशत अधिक है। मोटे अनाज का उत्पादन 32.7 मिलियन टन अनुमानित है जबकि इसकी तुलना में, पिछले वर्ष 25.9 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। उत्पादन में इस वृद्धि की उल्लेखनीय विशेषता यह कि 1988-89 के दौरान दालों का उत्पादन, 35.5 प्रतिशत बढ़कर, 14.9 मिलियन टन हो गया। खरीफ के मौसम में दालों का उत्पादन 5.6 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष की खरीफ मौसम के 4.3 मिलियन टन की तुलना में 30.7 प्रतिशत अधिक था। रबी के मौसम में दालों का उत्पादन 9.3 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष के रबी के मौसम में हुई 6.7 मिलियन टन के उत्पादन से 38.8 प्रतिशत अधिक था।

सारणी 3.1 : खाद्यान्नों का उत्पादन

(मिलियन टन)

मद	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
सभी खाद्यान्न						
जिनमें से	152.4	145.5	150.4	143.4	138.4	172.2
चावल	60.1	58.3	63.8	60.6	56.4	70.5
गेहूं	45.5	44.1	47.1	44.3	45.1	54.1
मोटे अनाज	33.9	31.1	26.2	26.8	25.9	32.7
दालें	12.9	12.0	13.3	11.7	11.0	14.9
खरीफ	89.2	81.5	85.2	80.2	73.9	97.3
जिनमें से						
चावल	55.0	53.8	59.4	53.6	48.7	63.9
मोटे अनाज	28.8	25.9	21.3	22.4	20.9	27.8
दालें	5.4	4.8	4.5	4.2	4.3	5.6
रबी	63.2	61.0	65.2	63.2	64.5	74.9
जिनमें से						
चावल	5.1	4.5	4.4	7.0	7.7	6.6
गेहूं	45.5	44.1	47.1	44.3	45.1	54.1
मोटे अनाज	5.1	5.2	4.9	4.4	5.0	4.9
दालें	7.5	7.2	8.8	7.5	6.7	9.3

स्रोत : कृषि मंत्रालय

दालों का उत्पादन और उपलब्धता

3.6 1988-89 में दालों के उत्पादन में हुई मात्रात्मक वृद्धि विशेषतः उत्साहवर्धक है। क्योंकि, विशेष रूप से नौवें दशक में, दालों की अपर्याप्त उपलब्धता गंभीर चिन्ता का विषय रही थी। पिछले कुछ दशकों में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः कम होती गयी है जिसके कारण कुपोषण के गंभीर परिणाम सामने आये हैं क्योंकि दालें समाज के अधिकांश भाग के लिए प्रोटीन का मूल स्रोत है। 1987-88 में दालों की दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता 32.2 ग्राम थी जो 1960-में उपलब्ध मात्रा के आधे से भी कम थी (सारणी 3.2)।

सारणी 3.2 : दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता-ग्राम	47 ग्राम प्रति दिन की न्यूनतम आवश्यकता से कमी या अधिकता का प्रतिशत@
1	2	3
1951	60.7	+29.1
1961	69.0	+46.8
1971	51.2	+8.9
1981	37.5	—20.2
1982	39.2	—16.6
1983	39.5	—16.0
1984	41.8	—11.1
1985	38.1	—18.9
1986	41.9	—10.9
1987	35.9	—23.6
1988	33.2	—29.4
1989	44.1	—6.2

@भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा यथानिर्धारित ।

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति उपलब्धता की गणना करने के प्रयोजन से शुद्ध उत्पादन को सकल उत्पादन के 87.5 प्रतिशत के रूप में लिया गया है । उत्पादन के शेष 12.5 प्रतिशत भाग का प्रावधान पशुखाद्य, बीज और छीजन के लिए किया गया है ।

3.7 इसके ठीक विपरीत खाद्य तेलों और वनस्पति की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग दुगुनी हो गयी है अर्थात् यह इसी अवधि के दौरान 4.0 कि०ग्रा० से बढ़कर 7.2 कि०ग्रा० प्रति वर्ष हो गयी । अध्ययनों से यह पता चलता है कि 1973 से दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम पोषक मात्रा, 47 ग्राम की तुलना में कम रही है । नौवें दशक में दालों की कमी 11 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक रही । अद्यतन वर्ष में रिकार्ड उत्पादन के बावजूद थोड़ी-सी कमी बनी रही । इसके अतिरिक्त दालों की उपलब्धता और उनके उपभोग में क्षेत्रों और आय-वर्गों के अनुसार भी महत्वपूर्ण असमानता रहेगी । दालों की दुर्लभता ने कीमतों पर भी काफी प्रभाव डाला । आधार वर्ष 1970-71=100 को ध्यान में रखकर देखा जाये तो दालों का थोक मूल्य सूचकांक, जून 1989 के अंत में 678.2 था, जो अनाज के सूचकांक अर्थात् 346.5 के मुकाबले लगभग दुगुना था । खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दालों का आयात कर के आपूर्ति को बढ़ाने के अतिरिक्त सरकार ने 1986-87 में "राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम" प्रारंभ किया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्ट स्थान के अनुरूप प्रौद्योगिकी अपना कर उत्पादन में वृद्धि करना था । इसके अतिरिक्त मूल्य समर्थन कार्यकलापों पर भी विशेष बल दिया गया और उनके समर्थन मूल्यों में काफी वृद्धियां की गयीं तथा "नाफेड" को समर्थन मूल्य कार्यकलापों के परिचालन के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में शामिल कर दिया गया ।

दालों के उत्पादन और उनके विपणन के साथ कतिपय परंपरागत समस्याएं जुड़ी हुई हैं । दालों का उत्पादन व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है । यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में फैला हुआ है जो मुख्यत वर्षा पर निर्भर रहते हैं । यह आमतौर पर छोटी-छोटी जोतों में केन्द्रित है और उनमें अकसर दालों की फसल दूसरी फसल हुआ करती है । इन संरचनात्मक विशेषताओं के कारण समर्थन मूल्य संबंधी कार्यकलाप कम प्रभावी हो पाते हैं । "राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एकजुट प्रयास किये जा रहे हैं ।

उत्पादन में गुणात्मक परिवर्तन

3.8 हाल ही के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्तियों में कतिपय महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं । उत्पादन बढ़ाने में चावल का योगदान गेहूं के योगदान की अपेक्षा अधिक रहा है, जो कि हरित क्रांति के बाद के लगभग एक दशक तक की प्रवृत्ति के एकदम विपरीत है । कुल खाद्यान्न उत्पादन में रबी के मौसम का उत्पादन का अंश बराबर बढ़ता गया है (सारणी 3.1) । चावल और दालों के मामले में रबी के उत्पादन में सुधार हुआ है । फिर खाद्यान्न-उत्पादन के क्षेत्रीय परिदृश्य में भी कतिपय परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं । हाल ही के वर्षों में पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उत्पादन अन्य स्थानों के उत्पादन की तुलना में बेहतर रहा है । पूर्वी क्षेत्र को 1987-88 की सूखे की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा । इसके परिणामस्वरूप उस वर्ष में असम और बंगाल में चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में भी वृद्धि हुई । इसी प्रकार सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये विशेष उपायों के परिणामस्वरूप 1987-88 में केरल को छोड़कर सभी दक्षिणी राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ा है ।

सरकारी खरीद

3.9 1988-89 के राजकोषीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा कुल 14.2 मिलियन टन खाद्यान्न खरीदा गया । यह खरीद 1987-88 में की गयी 14.9 मिलियन टन की तुलना में कम थी । यह कमी गेहूं की कम खरीद के कारण आयी (सारणी 3.3) । राज्यवार खरीद के सन्दर्भ में यदि देखा जाये तो पंजाब में गेहूं की खरीद कुछ अधिक, अर्थात् 4.8 मिलियन टन थी, जबकि इसकी तुलना में 1987-88 में 4.4 मिलियन टन खरीद की गयी थी । चावल की खरीद का स्तर 2.9 मिलियन टन रहा जो पिछले वर्ष खरीदे गये 3.4 मिलियन टन के स्तर से कम था, क्योंकि सितम्बर 1988 के अंत में आयी बाढ़ के कारण चावल की खड़ी फसल को काफी क्षति पहुंची थी । परन्तु हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, पिछले वर्ष की तुलना में 1988-89 में गेहूं कम और चावल अधिक खरीदा गया । आंध्र प्रदेश में चावल की खरीद लगभग उसी स्तर पर रही जिस स्तर पर यह 1988-89 में थी, परन्तु तमिलनाडु में खरीद का स्तर पिछले वर्ष के स्तर से अधिक रहा ।

सारणी 3.3 : चावल और गेहूं की सरकारी खरीद

(मिलियन टन)

वित्तीय वर्ष	सरकारी खरीद		
	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4
1984-85	9.8	9.3	19.1
1985-86	9.6	10.3	19.9
1986-87	9.4	10.5	19.9
1987-88	7.0	7.9	14.9
1988-89 (अनंतिम)	7.7	6.5	14.2
अप्रैल-जून			
1988-89	0.9	6.5	7.4
1989-90	0.8	8.8	9.6

3.10 1989 के चालू रबी मौसम के दौरान 30 जून 1989 तक कुल 8.8 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.5 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया था, क्योंकि इस वर्ष गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ और इसके परिणामस्वरूप बाजार में बिक्री, के लिए अधिक गेहूं लाया गया। पंजाब में रबी के मौसम के दौरान प्रारंभ में गेहूं की खरीद पिछले वर्ष की खरीद से कम रही क्योंकि खुले बाजार में गेहूं का मूल्य वसूली मूल्य से काफी अधिक था, परन्तु बाद में, बाजारों में बिक्री के लिए गेहूं अधिक मात्रा में आने के कारण बाजार मूल्य में गिरावट आयी और तदनुसार सरकारी खरीद में तेजी आयी। अतः गेहूं की सरकारी खरीद 5.6 मिलियन टन रही जो पिछले वर्ष की 4.7 मिलियन टन की खरीद से अधिक थी। इसी प्रकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्रमशः गेहूं की खरीद अर्थात् 2.0 मिलियन टन और 1.1 मिलियन टन रही जबकि पिछले मौसम में क्रमशः 1.3 मिलियन टन और 0.5 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया था। चालू खरीफ विपणन मौसम में अर्थात् अक्तूबर 1988 से 30 जून 1989 तक की अवधि में कुल 7.6 मिलियन टन चावल खरीदा गया, जबकि इसके मुकाबले पिछले मौसम की तदनुरूप अवधि में, 6.8 मिलियन टन चावल खरीदा गया था। चालू मौसम में पिछले मौसम की तुलना में हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चावल की खरीद का स्तर कुछ अधिक रहा जबकि पंजाब और आंध्र प्रदेश में यह स्तर कम रहा।

निकासी

3.11 वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय पूल से कुल 18.0 मिलियन टन अनाज खुले बाजार की बिक्री सहित निकाला गया था, जो पिछले वर्ष निकाले गये खाद्यान्न की तुलना में 5.0 मिलियन टन (या 21.7 प्रतिशत) कम था (सारणी 3.4)। गेहूं की निकासी 32.0 प्रतिशत कम थी (12.8 मिलियन टन के मुकाबले 8.7 मिलियन टन)। इसका प्रमुख कारण यह था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम/रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत निकासी कम हुई (2.4 मिलियन टन के मुकाबले 0.6 मिलियन टन) इसी प्रकार खुले बाजार के लिए भी निकासी कम हुई (3.6 मिलियन टन के मुकाबले 1.0 मिलियन टन)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निकासी अधिक अर्थात् 7.1 मिलियन टन हुई जबकि इसकी तुलना में 1987-88 में 6.9 मिलियन टन की निकासी हुई थी। चावल की निकासी 9.9 प्रतिशत कम रही (10.1 मिलियन टन के मुकाबले 9.1 मिलियन टन), क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निकासी कम, अर्थात् 9.0 मिलियन टन (—6.2 प्रतिशत) रही तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम /रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी निकासी कम अर्थात् 0.15 मिलियन टन (—72.7 प्रतिशत) रही।

सारणी 3.4: खाद्यान्नों की निकासी

(मिलियन टन)

वित्तीय वर्ष	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5
1983-84	7.7	7.4	0.2	15.3
1984-85	6.6	6.7	0.1	13.4
1985-86	7.4	11.7 (1.6)	0.2	19.3
1986-87	9.0	10.4 (2.9)	0.2	19.6
1987-88	10.1	12.8 (3.6)	0.1	23.0
1988-89	9.1	8.7 (1.0)	0.2	18.0
अप्रैल-जून 1988	2.3	2.0 (0.4)	0.1	4.4
1989	2.0	1.6 (0.1)	0.1	3.7

टिप्पणी: कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुली-बाजार-बिक्री दर्शाते हैं।

खाद्यान्नों का स्टॉक

3.12 मार्च 1989 के अंत में खाद्यान्नों का स्टॉक 7.4 मिलियन टन था। इसमें 2.6 मिलियन टन गेहूं और 4.6 मिलियन टन चावल था। इस स्टॉक का स्तर एक वर्ष पहले के स्तर से 2.0 मिलियन टन कम रहा (सारणी 3.5)।

3.13 खाद्यान्नों के घटे हुए स्टॉक को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1988-89 अप्रैल-मार्च के दौरान अमेरिका से 2.0 मिलियन टन और थाइलैण्ड से 0.7 मिलियन टन का आयात किया था।

सारणी 3.5: खाद्यान्नों का स्टॉक

(मिलियन टन)

	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़
1	2	3	4	5
मार्च के अंत में				
1983	5.2	5.6	0.2	11.0
1984	5.2	9.6	0.1	14.9
1985	8.6	12.5	0.1	21.2
1986	10.3	10.2	0.2	20.7
1987	10.0	9.4	0.1	19.5
1988	5.9	3.3	0.2	9.4
1989	4.7	2.6	0.1	7.4
जून के अंत में				
1988	4.2	7.6	0.1	11.9
1989	3.6	9.5	ऋणात्मक	13.1

वाणिज्य फसल

3.14 1988-89 के दौरान अनुकूल और वाणिज्य फसलों के लिये चलाये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों की मदद से तिलहन और गन्ने के उत्पादन के नये उच्चतम स्तर प्राप्त किये गये। इसी वर्ष के दौरान रूई, जूट और मेस्ता के उत्पादन में फिर से सुधार हुआ (सारणी 3.6)।

3.15 1988-89 के दौरान कपास का उत्पादन 86.9 लाख गांठें अनुमानित है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष का उत्पादन 64.3 लाख गांठें और 1985-86 में कपास का उत्पादन सर्वोच्च शिखर अर्थात् 87.3 लाख गांठों तक पहुंच गया था। इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में तिलहन का उत्पादन 17.8 मिलियन टन रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 12.4 मिलियन टन था। यह उत्पादन 1984-85 के पहले के सर्वोच्च स्तर अर्थात् 13.0 मिलियन टन से अधिक है।

सारणी 3.6 : वाणिज्य फसलों का उत्पादन

फसल	इकाई	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7	8
तिलहन	मि० ट०	12.7	13.0	10.8	11.3	12.4	17.8
गन्ना	मि० ट०	174.1	170.3	170.7	186.1	196.7	197.3
रूई*	लाख गांठें	63.9 (75.2)	85.1 (101.5)	87.3 (107.0)	69.1 (95.0)	64.3 (90.0)	86.9 (104.0)
जूट और मेस्ता*	लाख गांठें	77.2	77.9	126.5	86.2	67.8	77.6

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े रूई सलाहकार बोर्ड के अनुमान है।
*रूई की एक गांठ 170 कि०ग्रा० की तथा जूट और मेस्ता की एक गांठ 180 कि० ग्रा० की होती है।

3.16 उत्पादन बढ़ाने के बावजूद रेशे के लिए बढ़ती हुई मांग ने कपास और पटसन के मूल्यों पर दबाव रखा और इसीलिए 1988-89 के दौरान भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम के कार्यकलाप मूल्य समर्थन के बजाय मुख्यतः वाणिज्यिक खरीद पर ही अधिक केन्द्रित रहे। भारतीय कपास निगम ने रूई के चालू मौसम के दौरान (सितम्बर-अगस्त 1988-89 अर्थात् 30 जून 1989 तक (5.69 लाख गांठों की खरीद की, जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 6.46 लाख गांठों को खरीद को गयी थी। महाराष्ट्र राज्य एकाधिकार खरीद योजना के अन्तर्गत जून 1989 के अंत तक कुल 11.42 लाख गांठें खरीदी गयी जो पिछले वर्ष खरीदी गयीं 12.30 लाख गांठों की तुलना में थोड़ी-सी कम थी। जूट से बनी वस्तुओं के लिए स्थानीय मांग बढ़ने के कारण पटसन के मूल्य समर्थन मूल्यों से काफी अधिक रहे और इसलिये मूल्य समर्थन संबंधी कार्यकलाप विशेष महत्व के नहीं थे। भारतीय जूट निगम ने लगभग पूर्णतः वाणिज्यिक आधार पर इस वर्ष पटसन की 6.8 लाख गांठें खरीदीं, जबकि पिछले वर्ष ही संपूर्ण मौसम के दौरान इसने 5.4 लाख गांठें खरीदी थीं। आलोच्य वर्ष के दौरान तिलहनों की फसल काफी अच्छी होने के कारण खाद्य तेलों के मूल्यों में कुछ गिरावट आयी। इस गिरावट के संदर्भ में भारत सरकार ने जनवरी 1989 में "तेल और तिलहनों विषयक समन्वित नीति" की घोषणा की। राष्ट्रीय डेरी-विकास बोर्ड को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी कि वह उपर्युक्त सीमा के भीतर उन मूल्यों को बनाए रखे।

आपूर्ति और मांग में संतुलन

3.17 खाद्यान्नों का और नकदी फसलों का रिकार्ड उत्पादन होने के परिणामस्वरूप 1988-89 के दौरान समग्र उपलब्धता में काफी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप अनेक पण्यों में पिछले वर्ष की आपूर्ति और मांग से उत्पन्न असंतुलन में सुधार परिलक्षित हुआ। 1987-88 के वित्तीय वर्ष के दौरान 918 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की लागत पर 19.7 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया गया था। यह आयात 1988-89 के दौरान कम रहने की आशा है। 1988-89 के दौरान (जनवरी 1989 तक) कुल 11.0 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया जिनका मूल्य 769 करोड़ रुपये है।

4. औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियां

4.1 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान समग्र औद्योगिक उत्पादन में काफी सुधार हुआ। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत रही जबकि, उसकी तुलना में, 1987-88 में यह 7.3 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, यह वृद्धि, पिछले वर्ष के मुकाबले, उद्योगों के काफी व्यापक वर्ग में फैली हुई पायी गयी। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में आधारभूत उद्योग, अन्य मूल उद्योग, बहुसंख्य मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तु उद्योगों ने उत्पाद की वृद्धि में योगदान का नेतृत्व किया। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। यात्री कार, दुपहिये और तिपहिये वाहनों, उनके अतिरिक्त पूर्जों, और मोटर की सहायक वस्तुओं, घरेलू रेफ्रिजरेटरों और टेलीफोन उपकरणों के उद्योगों ने अच्छी वृद्धि दर्शायी। गैर-टिकाऊ में खाद्य अभिसंस्करण उद्योगों ने उत्पादन में बढ़ोतरी दर्शायी। सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में आयी गिरावट एक बड़ी निराशाजनक बात रही। पूंजीगत वस्तुओं में औद्योगिक इलेक्ट्रनिकी (विशेष रूप से कम्प्यूटर प्रणाली और कम्प्यूटर के सहायक उपकरणों) के उत्पादन में पिछले वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि के बाद गतिरोध परिलक्षित हुआ।

4.2 आलोच्य वर्ष के दौरान वृद्धि में आपूर्ति और मांग इन दोनों तत्वों का संयुक्त योगदान रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुरक्षण और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अधिक सुविधा के कारण अनेक उद्योगों की क्षमता के उपयोग में सुधार आया है। आलोच्य वर्ष के दौरान औद्योगिक लाइसेंसीकरण के विनियमों में ढील देने के लिए और कदम उठाये गये। इनमें से अप्रैल 1988 और मार्च 1990 के दरम्यान अधिकतम उत्पादन पर क्षमता-पुष्टि (कैपेसिटी एन्डोर्समेंट) प्रदान करने की सुविधा ने संभवतः आलोच्य वर्ष के दौरान उत्पादन बढ़ाने में सहायता पहुंचाई है। आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में हुआ सुधार भी अन्य उद्योगों के उत्पादन वृद्धि में सहायक तत्व रहा। जहां तक मांग का प्रश्न है, विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में तीव्र वृद्धि और उच्चतर निवेश मांग ने पूंजीगत वस्तु उद्योगों के उत्पादन को बढ़ावा दिया।

4.3 कृषि की सुधरी हुई स्थिति के संदर्भ में उत्पादन वृद्धि में उर्वरकों और कीटनाशकों की अधिक मांग स्पष्टतः परिलक्षित होती है। इसके ठीक विपरीत सूखे की स्थिति में सुधार होने के बाद डीजल इंजनों और बिजली तथा डीजल से चलने वाले जनरेटरों की मांग में गिरावट आयी और इसका प्रभाव उनके उत्पादन पर पड़ा। कृषि उत्पादन में तीव्र सुधार होने के बावजूद सूती वस्त्र जैसे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग फिर से नहीं बढ़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन क्षेत्रों में तथा चीनी, चाय, वनस्पति, कागज, और गन्ने जैसे कृषि-आधारित अन्य अनेक उद्योगों में मांग और आपूर्ति के कुछ जटिल तत्व क्रियाशील रहे हैं। उन सब में 1988-89 में उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही। इसके विभिन्न कारण हैं। चीनी उद्योग में गुड़ और खांडसारी विनिर्माताओं के बीच गन्ने के लिए स्पर्धा, वनस्पति उद्योग में आयातित खाद्य तेलों की कम की गयी आपूर्ति कागज उद्योग में लुगदी बनाने से सम्बन्धित वनों से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री की अत्यधिक कमी के कारण

क्षमता का उपयोग हो पाया। चाय और काफी उद्योग में जलवायु सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों ने उत्पादन को प्रभावित किया।

वार्षिक प्रवृत्तियां

4.4 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक (आधार: 1980-81) के अनुसार वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो 1987-88 में दर्ज 7.3 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। औद्योगिक उत्पादन को वृद्धि दर सातवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1985-86 में 8.7 प्रतिशत हो गयी थी, इससे बढ़कर यह 1986-87 में 9.1 प्रतिशत हो गई। 1987-88 में यह घटकर 7.3 प्रतिशत हो गयी और 1988-89 में उसमें फिर सुधार प्रारंभ हुआ (सारणी 4.1) सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों (1985-86 से 1988-89 तक) में औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर सातवीं योजना के 8.0 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 8.5 प्रतिशत रही। फिर भी, इस वृद्धि का उद्योग वार स्वरूप उस स्वरूप के कुछ भिन्न रहने की संभावना है जोकि सातवीं योजना में संकल्पित था। इस प्रकार सूती और जूट के वस्त्रों, दवाइयों और मिश्रणों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहने की संभावना है जबकि पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, वाणिज्यिक वाहनों और दुपहिया वाहनों का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहने की आशा है।

सारणी 4.1: औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां

(आधार 1980-81=100)

क्षेत्र	खनन और उत्पादन		विनिर्माण		बिजली		सामान्य सूचकांक	
भार	(11.46)		(77.11)		(11.43)		(100.00)	
वर्ष	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वार्षिक यौगिक वृद्धि दर								
1970-71 से 1980-81@	—	+4.3	—	+4.0	—	+7.2	—	+4.3
1980-81 से 1984-85@@	—	+12.6	—	+5.7	—	+8.9	—	+6.9
1984-85 से 1988-89@@	—	+5.5	—	+8.9	—	+9.0	—	+8.5
वार्षिक दर								
1985-86	167.5	+4.2	136.9	+9.7	152.4	+8.5	142.1	+8.7
1986-87	177.9	+6.2	149.7	+9.3	168.1	+10.3	155.1	+9.1
1987-88	184.6	+3.8	161.5	+7.9	181.0	+7.7	166.4	+7.3
1988-89	199.0	+7.8	175.8	+8.9	198.1	+9.4	181.0	+8.8

@यौगिक वृद्धि दर सूचकांकों की 1970 की श्रृंखलाओं पर आधारित।

@@आधार 1980-81=100 यौगिक वृद्धि।

तिमाही प्रवृत्तियां

4.5 1988-89 में औद्योगिक उत्पादन के तिमाही औसत सूचकांक अनियमित थे जबकि पिछले वर्ष की स्थिति इसके विपरीत थी; तब तिमाही वृद्धि दरें लगातार कम होती गयीं क्योंकि इन पर सूखे का विपरीत प्रभाव पड़ा था। 1988-89 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में स्थिति में परिवर्तन आया और सूखे के प्रलम्बित परिणामों के बावजूद वृद्धि दर काफी बढ़कर 12.7 प्रतिशत पर पहुंच गयी। ताप बिजली, बिक्री योग्य इस्पात, सीमेंट जैसे अनेक उद्योग और कृषि पर आधारित जूट वस्त्र, आटा पिसाई और चीनी उद्योगों ने इस तिमाही के दौरान उच्च वृद्धि दर दर्ज की। दूसरी तिमाही में वृद्धि दर घटकर 6.3 प्रतिशत हो गयी, परन्तु पुनः 1988-89 के तीसरी तिमाही में बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो गयी, (सारणी 4.2)। दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर 1988) के दौरान अनियमितता की यह प्रवृत्ति कुछ सीमा तक बिजली की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट के कारण मानी जा सकती है। इस अवधि के दौरान यह घटकर केवल 1.9 प्रतिशत रह गयी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही में बिजली की वृद्धि दर 10.0 प्रतिशत थी और पिछली तिमाही (अप्रैल-जून 1988) में यह 10.4 प्रतिशत थी। ताप बिजली के उत्पादन में पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही में हुई 20.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले आलोच्य वर्ष में 2.5 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसका कारण यह माना जा सकता है कि पिछले वर्ष संयंत्रों के ऊपर अधिक दबाव पड़ने के कारण इस वर्ष, नियोजित रख-रखाव के लिए कुछ संयंत्रों को बंद करना पड़ा। साथ ही साथ इस यूनिट का दूसरा कारण यह भी था कि पन बिजली के निर्माण में सुधार होने के कारण कुछ यूनिटों का उत्पादन कम किया गया। मानसून की अच्छी वर्षा होने के बाद जुलाई 1988 से पन बिजली निर्माण में काफी सुधार हुआ। इससे आलोच्य वर्ष में पन बिजली निर्माण में 50.5

सारणी 4.2: तिमाही आधार पर औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियां

(आधार : 1980-81-100)

	सामान्य सूचकांक		खनन और उत्खनन		विनिर्माण		बिजली	
भार	100.00		11.46		77.11		11.43	
अवधि/वर्ष	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल-जून	155.3	175.0	171.6	182.0	150.2	171.5	172.8	190.7
	(+11.2)	(+12.7)	(+5.7)	(+6.1)	(+12.5)	(+14.2)	(+8.5)	(+10.4)
जुलाई-सितम्बर	160.5	170.6	166.9	175.7	156.3	167.6	182.6	186.1
	(+9.9)	(+6.3)	(+5.0)	(+5.3)	(+10.7)	(+7.2)	(+10.0)	(+1.9)
अक्टूबर-दिसम्बर	166.8	183.3	189.4	206.6	161.6	176.9	179.4	203.5
	(+6.2)	(+9.9')	(+4.1)	(+9.1)	(+6.8)	(+9.5)	(+4.5)	(+13.4)
जनवरी-मार्च	183.0	195.2	210.5	231.7	177.9	187.2	189.1	212.1
	(+3.2)	(+6.7)	(+1.1)	(+10.1)	(+2.8)	(+5.2)	(+7.6)	(+12.2)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के तदनुरूप आंकड़ों की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी। सूती वस्त्र जैसे कृषि पर आधारित कतिपय उद्योग पिछले वर्ष के सूखे के दुष्प्रभाव से तीसरी तिमाही तक भी उबर नहीं पाये थे। सारणी 4.3 में 1988-89 तथा 1987-88 की समग्र सूचकांक की मासिक वृद्धि दर दर्शायी गयी है।

सारणी 4.3: औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक-सामान्य सूचकांक: माहवार वार्षिक घट-बढ़

(आधार : 1980-81-100)

माह	सूचकांक			प्रतिशत घट-बढ़	
	1986-87	1987-88	1988-89	1986-87 की तुलना में 1987-88	1987-88 की तुलना में 1988-89
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	137.5	156.7	170.8	+14.0	+9.0
मई	139.9	149.6	174.0	+6.9	+16.3
जून	141.8	159.5	180.1	+12.5	+12.9
जुलाई	144.0	165.9	170.3	+15.2	+2.7
अगस्त	141.7	155.6	169.7	+7.5	+9.1
सितम्बर	149.7	160.1	171.9	+6.9	+7.4
अक्तूबर	152.8	158.1	174.7	+3.5	+10.5
नवम्बर	152.4	166.6	181.0	+9.3	+8.6
दिसम्बर	166.2	175.8	194.3	+5.8	+10.5
जनवरी	174.1	175.0	191.8	+0.5	+9.6
फरवरी	169.4	177.3	185.6	+4.7	+4.7
मार्च	188.6	196.6	208.1	+4.2	+5.8

क्षेत्रवार प्रवृत्तियां

4.6 1988-89 (मार्च-अप्रैल) के दौरान समग्र औद्योगिक वृद्धि उच्चतर अर्थात् 8.8 प्रतिशत थी। यह वृद्धि आगे उल्लेखित सभी तीन क्षेत्रों के बेहतर कार्य निष्पादन के कारण आयी। खनन और उत्खनन, (3.8 प्रतिशत के मुकाबले 7.8 प्रतिशत), विनिर्माण (7.9 प्रतिशत के मुकाबले 8.9 प्रतिशत) और बिजली (7.7 प्रतिशत के मुकाबले 9.4 प्रतिशत)। विशेष रूप से चालू राजकोषीय वर्ष के उत्तरार्ध में बिजली और विनिर्माण क्षेत्रों के बेहतर उत्पादन में मानसून की अच्छी वर्षा और कृषि आधारित कच्ची सामग्री की अधिक उपलब्धता से सहायता मिली। विनिर्माण क्षेत्र अधिक विद्युतशक्ति की उपलब्धता और निवेश तथा निर्यात क्षेत्रों की बेहतर मांग, दोनों से लाभान्वित हुए। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों अर्थात् 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान खनन और उत्खनन क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत के स्तर पर थी। यह वृद्धि दर कम थी क्योंकि अपरिष्कृत पेट्रोलियम की वृद्धि धीमी थी। विनिर्माण और बिजली इन दोनों क्षेत्रों की वृद्धि दर 9.0 प्रतिशत रही। यह वृद्धि, योजना की अवधि के दौरान समग्र औद्योगिक उत्पादन की प्रत्याशित वृद्धि दर से अधिक थी। 1988-89 के दौरान समग्रतः विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में हुआ सुधार, पिछले वर्ष की ही तरह सुसंगत रूप से व्यापक था। विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह प्रमुख औद्योगिक समूहों के सम्बन्ध में 1988-89 की अप्रैल-मार्च की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि सम्पूर्ण वृद्धि का 64.31 प्रतिशत भारण वाले पन्द्रह औद्योगिक समूहों का था जबकि, इसकी तुलना में, 1987-88 में ग्यारह औद्योगिक समूहों का भारांक 63.03 प्रतिशत था। जिन उद्योग समूहों ने गिरावट दर्शायी उनकी संख्या छः से घटकर दो पर आ गयी। वस्त्र उत्पाद, रसायन और रसायन के उत्पाद तथा उर्वरक और गैर-धात्विक खनिज उत्पाद, इन तीन उद्योग समूहों में से प्रत्येक उद्योग समूह ने 1988-89 में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज की (सारणी 4.4)। उर्वरकों के लिए अतिरिक्त घरेलू मांग के अलावा, निर्यात मांग ने इन उद्योगों में से कुछ उद्योगों के उत्पादन में गतिशीलता पैदा की। मादक पेय और तम्बाकू इत्यादि, जूट से बने वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद, परिवहन उपस्कर, मशीनरी और मशीनी औजार और विविध उत्पाद इन छह उद्योग समूहों में 7 प्रतिशत और 16 प्रतिशत के दरम्यान वृद्धि परिलक्षित हुई। लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, कागज

और कागज उत्पाद, धातु उत्पाद और बिजली संबंधी मशीनरी और उपकरण (जिनमें कम्प्यूटर और कम्प्यूटर के सहायक उपकरण जैसी इलेक्ट्रानिक मदें शामिल हैं) मूल और मिश्र धातु उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद सहित छह उद्योग समूहों में 7 प्रतिशत तक वृद्धि परिलक्षित हुई। इनमें से दो उद्योग समूहों ने हालांकि धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की परन्तु यह काफी कम थी, ये उद्योग थे विद्युत मशीनें और उपकरण (इलेक्ट्रानिक मदों सहित) (पिछले वर्ष के 31.6 प्रतिशत के मुकाबले 4.6 प्रतिशत) और विविध उत्पाद (पिछले वर्ष के 15.6 प्रतिशत के मुकाबले 11 1 प्रतिशत)। शेष दो उद्योग समूहों, अर्थात् सूती वस्त्र और चमड़ा और चमड़े के उत्पाद ने 1988-89 की अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्शायी, हालांकि तैयार वस्त्र और चमड़े के उत्पादों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इससे देशी निकासी में मंदी के संकेत मिलते हैं। एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह रही कि पांच उद्योग समूह, अर्थात् मादक पेय और तम्बाकू, लकड़ी और लकड़ी से बनी उत्पाद, जूट वस्त्र, अधात्विक खनिज उत्पाद (सीमेंट सहित) और मशीनें तथा मशीनी औजार में विपर्ययी प्रवृत्ति परिलक्षित हुई अर्थात् पिछले वर्ष की गिरावट के विपरीत उनके उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गयी।

4.7 1988-89 के दौरान स्वचालित वाहन उद्योगों में बिक्री की वृद्धि उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। यात्री कार और जीप, तिपहिए-वाहन और मोटर-साइकल और स्कूटर के संबंध में उत्पादन तथा बिक्री में हुई बढ़ोतरी 1988-89 के लिए 9.4 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से अधिक तक के दरम्यान रही। इन वाहनों के लिए मांग बढ़ने के अतिरिक्त रेल बोगियों के उत्पादन में भी अधिक बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पायी गयी। 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान वाणिज्य वाहनों के उत्पादन की वृद्धि दर 5 7 प्रतिशत के स्तर पर थी जो 1987-88 के 11.8 प्रतिशत की तुलना में कम थी। हल्के वाणिज्य वाहनों की कम वृद्धि दर अधिक उल्लेखनीय रही (अर्थात् यह 173 प्रतिशत के मुकाबले 2.5 प्रतिशत रही) मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन 1988-89 में 7.9 प्रतिशत था जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष बढ़ोतरी 8.4 प्रतिशत की थी। इसी प्रकार हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में साधारण बढ़ोतरी हुई (अर्थात् 17.6 प्रतिशत के मुकाबले 5.0 प्रतिशत)। इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के वाहनों के स्टॉक में मार्च 1989 के अंत में मार्च 1988 के स्टॉक की तुलना में गिरावट आयी और गिरावट का प्रतिशत 40 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था।

सारणी 4 4. प्रमुख उद्योग समूह के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक

(आधार : 1980-81-100)

क्रम संख्या	मद	भार	अप्रैल-मार्च (औसत) 1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
	अप्रैल-मार्च 1988-89 के दौरान वृद्धि दरों के अनुसार) धनात्मक 0 से 7 प्रतिशत				
1.	लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुएं	0.45	246.1	161.7 (—34.3)	171.7 (+6 2)
2.	कागज और कागज के उत्पाद	3.23	163.2	166.3 (+1.9)	171.3 (+3.0)
3	धातु से बनी वस्तुएं	2.29	124.4	129 6 (+4.2)	133 5 (+3.0)
4	बिजली की मशीनें	5.78	254.7	335 2 (+31.6)	350.6 (+4 6)
5.	मूल धातु और मिश्र धातु	9 80	126 8	135 6 (+6.9)	144 9 (+6.9)
6.	खाद्य उत्पाद	5.33	133 2	139.0 (+4.1)	148.2 (+6 6)
	7 प्रतिशत से ऊपर 15 प्रतिशत तक				
7	पेय, तम्बाकू इत्यादि	1.57	98.5	84.9 (—13.8)	92.1 (+8.5)
8	जूट के वस्त्र	2.00	101 1	91.0 (—10.0)	101.4 (+11.4)
9.	मशीनें, और मशीनी औजार	6.24	141.8	139.2 (—1.8)	160.0 (+14 9)
10.	रबड़ प्लास्टिक और पेट्रोलियम उत्पाद	4.00	149.6	155.1 (+3.7)	168.9 (+8.9)
11	परिवहन उपस्कर	6.39	144.9	151.8 (+4.8)	171.4 (+12.9)
12.	विविध	0.90	235.4	272.1 (+15.6)	302.2 (+11.1)
	15 प्रतिशत से अधिक				
13.	वस्त्र उत्पाद	0.82	87.1	91.8 (+5.4)	134.2 (+46.2)
14.	रसायन और रसायन के उत्पाद	12.51	175.5	200.9 (+14.5)	233.4 (+16 2)
15.	अधात्विक खनिज उत्पाद	3 00	160.3	158.1 (—1.4)	184.6 (+16.8)
	ऋणात्मक				
16.	सूती वस्त्र	12.31	112.5	111.2 (—1.2)	107.5 (—3.3)
17.	चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं	0.49	177.7	185.5 (+4.4)	177.4 (—4.4)
	कुल विनिर्माण	77.11	149.7	161.5 (+7.9)	175.8 (+8.9)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के तदनुरूप आंकड़ों की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

आधारभूत संरचना

4.8 1988-89 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में आधारभूत उद्योगों का बेहतर कार्य निष्पादन बहुत सहायक रहा। छः आधारभूत उद्योगों (अर्थात् बिजली, लिग्नाइटरहित कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, विक्रीयोग्य इस्पात, और सीमेंट) का मिला-जुला सूचकांक 9 अर्थात् 8.1 प्रतिशत रहा जिसमें औद्योगिक सूचकांक (आधार : 1980-81-100) का योगदान 28.77 प्रतिशत

सारणी 4.5 : मूलभूत उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तियां

उद्योग	यूनिट	भार	अप्रैल-मार्च के दौरान उत्पादन		
			1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
1. बिजली	मिलियन कि० वाट	11.43	187,605 (+10.4)	201,894 (+7.6)	220,978 (+9.5)
(क) जलविद्युत			53,900	47,396 (—12.1)	57,742 (+21.8)
(ख) थर्मल (न्यूक्लीयर सहित)			133,900	154,498 (+15.4)	163,236 (+5.6)
2. कोयला (लिग्नाइट को छोड़कर)	मिलि० टन	6.61	165.69 (+7.5)	179.71 (+8.5)	194.62 (+8.3)
3. बिक्री योग्य इस्पात	हजार टन	5.21	8218.0 (+5.7)	8588.0 (+4.5)	9205.6 (+7.2)
4. कच्चा पेट्रोलियम	—वही—	2.41	30,481 (+1.0)	30,357 (—0.4)	32,025 (+5.5)
5. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	—वही—	1.52	43,255 (+7.5)	44,402 (+2.7)	45,384 (+2.2)
6. सीमेंट	—वही—	1.60	36,590 (+10.5)	39,550 (+8.1)	43,912 (+11.0)
कुल मूलभूत उद्योग (सूचकांक: आधार : 1980-81=100)		28.27	168.6 (+7.5)	178.7 (+6.0)	193.1 (+8.1)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के तदनरूप आंकड़ों की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं ।

था; मिलेजुले सूचकांक की इस वृद्धि की तुलना में पिछले वर्ष 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, (सारणी 4.5) । 1988-89 (अप्रैल-मार्च) में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में इन छः उद्योगों का योगदान एक तिहाई से कुछ अधिक रहा । ठीक इतना ही योगदान पिछले वर्ष भी था । छः संरचनात्मक उद्योगों में से बिजली, बिक्रीयोग्य इस्पात, अपरिष्कृत पेट्रोलियम और सीमेंट उद्योगों की वृद्धि दर उल्लेखनीय रही जबकि कोयला और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों की वृद्धि दर में मामूली गिरावट परिलक्षित हुई । अपरिष्कृत पेट्रोलियम के मामले में विपर्ययी प्रवृत्ति पायी गयी अर्थात् 1987-88 के 0.4 प्रतिशत की गिरावट के ठीक विपरीत 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । इस क्षेत्र में 1984-85 से 1987-88 की अवधि के दौरान वस्तुतः अवरोध बना हुआ था । बिजली निर्माण में वृद्धि का मुख्य कारण जल विद्युत में उल्लेखनीय वृद्धि थी जो मानसून की अच्छी वर्षा होने के परिणामस्वरूप आयी थी । वस्तुतः जल विद्युत निर्माण में विपरीत प्रवृत्ति परिलक्षित हुई, अर्थात् 1987-88 के दौरान उसमें 12.1 प्रतिशत की गिरावट आयी थी, इसके ठीक विपरीत 1988-89 में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जैसा कि पहले कहा गया है, ताप (परमाणु सहित) बिजली निर्माण की वृद्धि दर में गिरावट आयी है क्योंकि संयंत्रों को अनुरक्षण के लिए योजना-बद्ध ढंग से बंद किया गया और इसके परिणामस्वरूप संयंत्र भार गुणांक (प्लांट लोड फैक्टर) 55.0 प्रतिशत रहा जो 1987-88 के 56.5 प्रतिशत की तुलना में कम है । परन्तु आशा है कि यह गिरावट थोड़े समय के लिए रही है क्योंकि 1985-86 से संयंत्र भार गुणांक में क्रमिक वृद्धि होती रही है ।

उद्योगवार परिदृश्य

4.9 155 उद्योगों के संबंध में उपलब्ध उद्योगवार आंकड़ों के विश्लेषण से औद्योगिक उत्पादन संबंधी कतिपय रोचक विशेषताओं का पता चलता है । औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में इन उद्योगों का कुल योगदान 85.5 प्रतिशत है । पहली विशेषता यह है कि 1988-89 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन विस्तार का सापेक्षिक आधार अधिक व्यापक था । सारणी 4.6 में दिखाये अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिशत परिवर्तन की व्यापकता के आधार पर इन 155 उद्योगों के आवर्ती वितरण से यह पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन ने 1988-89 के दौरान संख्या के रूप में तीन चौथाई (119) से कुछ अधिक और भारांक के रूप से 68.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 81 उद्योगों ने भारांक में 61.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शायी थी । इनमें से 68 उद्योगों का भार 23.0 प्रतिशत था, जिसने 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष 33 उद्योगों का भार 11.3 प्रतिशत था । 1988-89 में 36 उद्योगों का भार 16.7 प्रतिशत था जो 1987-88 में 74 उद्योगों के 23.8 प्रतिशत भार के मुकाबले काफी कम है ।

सारणी 4.6 : 1987-88 और 1988-89 (दोनों अप्रैल-मार्च) के दौरान वृद्धि दरों के आधार पर 155 उद्योगों का आवर्ती वितरण

वृद्धि की व्यापकता	अप्रैल 1987-मार्च 1988		अप्रैल 1988-मार्च 1989	
	भार	उद्योगों की संख्या	भार	उद्योगों की संख्या
1	2	3	4	5
धनात्मक				
25% से अधिक	5.2	16	9.2	36
25% से 10% तक	6.1	17	13.8	32
10% से 5% तक	26.4	19	32.3	30
5% से 0% तक	24.0	29	13.5	21
उप-जोड़	61.7	81	68.8	119
ऋणात्मक				
0% से —5% तक	7.4	22	9.2	15
—5% से —10% तक	6.5	15	3.6	5
—10% से —25% तक	7.6	28	2.8	12
—25% से नीचे	2.3	9	1.1	4
उप-जोड़	23.8	74	16.7	36
जोड़	85.5	155	85.5	155

4.10 दूसरी विशेषता यह है कि पूंजीगत वस्तु उद्योगों के उत्पादन में परिवहन, ऊर्जा और विनिर्माण के क्षेत्र में समग्र वृद्धि परिलक्षित हुई। इस उद्योग समूह में 32 उद्योगों में से 21 उद्योगों ने 1988-89 में वृद्धि दर्ज की जबकि इसके मुकाबले 1987-88 में 14 उद्योगों ने वृद्धि दर्ज की थी। निवेशोन्मुख वस्तुओं के उद्योगों में से जिन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई वे इस प्रकार हैं: कागज और लुगदी बनाने की मशीनरी (3.7 प्रतिशत के मुकाबले 3.3 प्रतिशत की गिरावट) मशीनी औजार (25.7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 17.2 प्रतिशत) बॉल और रोलर बेयरिंग (13.9 प्रतिशत के मुकाबले 55.5 प्रतिशत), ट्रांस्मिशन टॉवर (55.2 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 72.2 प्रतिशत), विद्युत ट्रान्सफार्मर (14.7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 18.7 प्रतिशत), विद्युत मोटर (20.8 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 25.6 प्रतिशत, कृषि ट्रैक्टर (3.7 प्रतिशत के मुकाबले 32.3 प्रतिशत) और रेल वैगन (3.9 प्रतिशत के मुकाबले 37.3 प्रतिशत) पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों में कुछ मदों के उद्योगों को हानि उठानी पड़ी जिनके विशिष्ट कारण उद्योगवार अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे कम्प्यूटर प्रणाली के मामले में क्षमता अवरोध, चीनी मिल मशीनों और सीमेंट मशीनों के मामले में अपर्याप्त निवेश तथा बिजली और डीजल जनरेटरों के मामले में बदली हुई मांग स्थिति।

4.11 तीसरी विशेषता यह है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक संख्या के लिए बढ़ी हुई मांग जारी रही। इस उद्योग समूह के अंतर्गत निम्नलिखित उद्योगों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई: घरेलू रेफ्रिजरेटर (15.2 प्रतिशत के मुकाबले 39.0 प्रतिशत की वृद्धि), रेडियो रिसीवर (21.7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 5.9 प्रतिशत), यात्री कार (37.7 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त 11.9 प्रतिशत की वृद्धि), मोटर साइकिल (14.4 प्रतिशत के मुकाबले 30.0 प्रतिशत), टाइपराइटर (23.8 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 30.0 प्रतिशत), टेलीफोन उपकरण (2.7 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 47.3 प्रतिशत), कलाई घड़ियां (0.5 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 20.0 प्रतिशत) और घरेलू सेवा मोटर (46.5 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 90.9 प्रतिशत) उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में समग्रतः 48 उद्योगों में से 32 उद्योगों ने वृद्धि दर्ज की, जबकि 15 उद्योगों ने गिरावट दर्शायी है। चीनी, कॉफी, वनस्पति, और कागज के गत्ते के उद्योग में वृद्धि कम थी जबकि चाय और सूती वस्त्रों के उद्योगों के उत्पादन में निरपेक्ष गिरावट परिलक्षित हुई।

4.12 अंत में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और निवेश वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई मांग तथा निर्यात क्षेत्र से आयी मांग के फलस्वरूप अनेक मूल तथा मध्यवर्गीय व वस्तु उद्योगों के उत्पादन में 1988-89 के दौरान वृद्धि पायी गयी। मूल उद्योग समूह के 39 उद्योगों में से 30 उद्योगों ने 1988-89 (अप्रैल-मार्च) में वृद्धि दर्ज की, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 22 उद्योगों ने वृद्धि दर्ज की थी, 1988-89 में 9 उद्योगों ने गिरावट दर्शायी है जबकि इसके ठीक विपरीत 1987-88 में 17 उद्योगों ने गिरावट दर्शायी थी। जिन महत्वपूर्ण उद्योगों की उल्लेखनीय वृद्धि दरें 12 प्रतिशत से अधिक हैं वे इस प्रकार हैं: सोडा ऐश, बाक्साईट, इस्पात ढलाई और पाइप्स तथा ट्यूब्स, अल्यूमिनियम, जिंक और क्रोमाईट। नाइट्रोजनित और फास्फैटिक उर्वरकों के उद्योगों ने 1988-89 के दौरान उत्पादन की प्रभावी वृद्धि दर हासिल की जो 22 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के दरम्यान है। मध्यवर्ती वस्तु उद्योगों के अंतर्गत जिन 36 उद्योगों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं उनमें से 34 उद्योगों ने वृद्धि दर्ज की और केवल दो उद्योगों ने गिरावट दर्शायी है। पिछले वर्ष में 19 उद्योगों ने वृद्धि दर्शायी थी जबकि 17 उद्योगों ने गिरावट दर्शायी थी। जिन उद्योगों ने उच्च वृद्धि दर दर्ज की है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: सिंथेटिक रबर (70.3 प्रतिशत), स्कूटर टायर (30.8 प्रतिशत), स्वचालित वाहनों के सहायक उद्योग (56.2 प्रतिशत), पॉलिएस्टर फिलामेंट रेशे (44.5 प्रतिशत), जॉयन्ट टायर्स (23.5 प्रतिशत), विस्कोज फिलामेंट रेशे (21.3 प्रतिशत), ट्रैक्टर टायर (6.8 प्रतिशत), पोलिएस्टर धागे (35.6 प्रतिशत), कैप्रोलैक्टम (40.8 प्रतिशत) और डी०एम०टी० (30.6 प्रतिशत)।

5. ऋण नीति सम्बंधी गतिविधियां

नीति सम्बन्धी मुख्य बातें

5.1 जुलाई 1988 से जून 1989 की अवधि के दौरान मुद्रा एवं ऋण नीति के निर्माण और उसके परिचालन की मार्गदर्शक व्यापक आर्थिक अवधारणा भिन्न-भिन्न थीं, वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में पिछले वर्ष के सूखे से उत्पन्न प्रभावों के बारे में लगातार चिन्ता बनी रही, जबकि वर्ष के परवर्ती महीनों में मुख्य बात थी 1988-89 की अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन में प्रभावपूर्ण बढ़ोत्तरी तथा 1989-90 के दौरान और भी अच्छे उत्पादन की आशाएं। पैदावार में वृद्धि के बावजूद पण्यगत मूल्यों पर भीतरी दबाव एवं मुद्रा का निरन्तर ऊंची दर से विस्तार चिन्ता का विषय बना रहा। 1987-88 में सूखे से प्रभावित कृषि को खास तौर पर विशेष उत्पादन कार्यक्रमों के संदर्भ में ऋण की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित प्रयास किये गये। 1988-89 में यह सुनिश्चित करने की चिन्ता थी कि सभी क्षेत्रों कृषि, उद्योग तथा निर्यात में उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि दर्शाने वाली प्रवृत्ति सामयिक और पर्याप्त बैंक ऋण की कमी के कारण अवरुद्ध न हो जाये।

5.2 वर्ष के दौरान उत्पादन गतिविधियों को समर्थन देने से संबंधित इन व्यापक नीति गत-सिद्धान्तों के साथ-साथ मुद्रा विस्तार पर दबाव बनाये रखने के प्रयास जारी रखते हुए वित्तीय प्रणाली के क्रिया कलापों में दक्षता बढ़ाने के लक्ष्य पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय नीतियों में अनेक परिवर्तन किये गये जिनमें ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में परिचालन-गत बाधाओं को आसान करना, मुद्रा बाजार की नयी लिखतों को शुरू करना तथा वर्तमान लिखतों को मजबूत बनाना सम्मिलित हैं। इन उपायों को लागू करने के पीछे मूल कारण यह था कि लचीलापन लाकर नियमों की कठोरता को कम किया जाये, विशाखीकरण की अनुमति दी जाये और मुद्रा तथा वित्तीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाया जाये।

5.3 मुद्रागत नियंत्रण के परम्परागत लिखतों में वर्ष के दौरान किये गये परिवर्तन, जैसे नकदी आरक्षित निधि अनुपात (न०आ०अ०), जमा राशि पर ब्याज दरें, उधार राशि पर ब्याज दरें, मुद्रा बाजार के विनियम विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक समान 15 प्रतिशत नकदी आरक्षित निधि अनुपात के निर्धारण ने जिससे अधिकांश बैंकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है, इस अनुपात के बहुविधि निर्धारण को समाप्त कर दिया है और नकदी आरक्षित निधि अनुपात के सम्पूर्ण परिचालन को आसान बना दिया है। उक्त वर्ष के दौरान अल्पकालिक जमा राशि पर ब्याज की दरों में की गयी वृद्धि से सम्पूर्ण जमा राशि पर ब्याज की दरों के ढांचे को तर्कसम्मत बनाने की उस प्रक्रिया को ही न्याय-संगत रूप से आगे बढ़ाया गया जिसका प्रारम्भ अप्रैल 1985 में किया गया था। इस सुधार का एक पहलू इस पद्धति में विद्यमान अन्य ब्याज दरों के साथ अल्पकालिक ब्याज दरों को और अच्छे रूप में समनुरूप बनाने का रहा है। इसी प्रकार लम्बे समय से चली आ रही उच्चतम ब्याज दरों को बदल कर सामान्य श्रेणी के ऋणकर्ताओं के लिए न्यूनतम उधार की दरों का निर्धारण लागू की गयी ब्याज की दरों की पद्धति में महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन लायेगा। इससे बैंकों को निधियां जुटाने में आयी लागत तथा उन निधियों पर हुई आय को बेहतर रूप में संतुलित करने में मदद मिलेगी। उधार की दरें उपयुक्त सीमा में रहें इसके लिए बैंकों से अपना विवेकाधिकार न्यायोचित रूप से प्रयोग करने में सावधानी बरतने की जो अपेक्षा की गयी थी, उसको ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक अनुभव यह बताता है कि बैंकों ने इस परिवर्तन को परिपक्वता तथा विवेक के साथ अपनाया है और विवेकशील ऋण-दर प्रक्रिया स्थापित करने में उल्लेखनीय समन्वय प्राप्त किया है।

5.4 मुद्रा बाजार में लिखतों की गतिविधियों और नियंत्रण को धीरे-धीरे कम करने के संबंध में उल्लेखनीय परिवर्तन आये हैं। मुद्रा बाजार की सभी लिखतों पर से 1, मई 1989 से ब्याज की उच्चतम सीमायें हटा दी गयी हैं। यद्यपि इन मुद्रा बाजार दरों को मुक्त करने से अन्तर्बैंक मांग मुद्रा दरों में 1 मई, 1989 से एक दम काफी तेजी आयी, परन्तु बाद में ये दरें अधिक तर्कसम्मत स्तरों पर स्थिर हो गयीं।

5.5 नकदी सम्बन्धी अस्थायी समस्याओं वाले बैंक अपने उधार खाता में अन्य बैंकों को सहभागी बना सकें, इसके लिए जोखिम सहित और जोखिम रहित नाम की दो प्रकार की अन्तर्बैंक सहभागितायें प्रारंभ की गयीं। एक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण उपाय के रूप में जमा प्रमाणपत्र (सी डी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) नाम की दो नई मुद्रा बाजार लिखतें शुरू की गयी हैं।

5.6 ऋण सुपुर्दगी पद्धति से सम्बन्धित मामलों में ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत पूर्व-प्राधिकार की अपेक्षा को समाप्त करके उसकी जगह कार्योत्तर मंजूरी संवीक्षा की व्यवस्था तथा ऋणकर्ताओं को अपने खाते बैंकों में आपस में अन्तरित करने की छूट से ऋणकर्ताओं और बैंकों दोनों को पर्याप्त सुगमता हुई है। साथ ही प्रस्तावित आढ़तिया सेवायें (फैक्टरिंग सेवायें) शुरू करने का उद्देश्य लघु उद्योग इकाइयों को अपनी लेनदारियां तत्परता से प्राप्त करने में सहायता करना है।

नीति संबंधी उपाय—जुलाई 1988 नकदी आरक्षित निधि अनुपात

5.7 खाद्य ऋण में तेजी से वृद्धि का पूर्वानुमान करते हुए वृद्धिशील नकदी आरक्षित निधि अनुपात के अन्तर्गत अवरुद्ध की गयी 744 करोड़ रुपये की नकदी शेष राशि अप्रैल 1988 में जारी कर दी गयी। साथ ही साथ यह भी घोषणा कर दी गयी थी कि बाद में कृषि ऋण की सम्भावित वापसी के प्रवाह को निष्प्रभावी करने के लिए 30 जुलाई, 1988 से नकदी आरक्षित निधि अनुपात को बैंकों की शुद्ध मांग और सावधि देयताओं के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत कर दिया जायेगा। 1988 में रबी की फसल की खाद्यान्न वसूली पूर्वानुमानित सीमा से काफी कम रही और खाद्यान्न ऋण में वास्तव में गिरावट आ गयी और इसलिए नकदी आरक्षित निधि में प्रस्तावित वृद्धि करने की तारीख को 30 जुलाई से पहले ला कर 2 जुलाई 1988 कर दिया गया। समग्र चलनिधि (एम$_3$) और आरक्षित राशि दोनों वित्त वर्ष 1988-89 की पहली तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अधिक गति से बढ़ी। इससे मुद्रा प्रणाली में पहले से ही जो चलनिधि की अधिकता थी वह और बढ़ गयी और यह चिन्ता हो गयी कि मुद्रा स्फीति के दबाव और बल पकड़ लेंगे। तदनुसार नकदी आरक्षित निधि का अनुपात 30 जुलाई, 1988 के प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.00 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा (अनिवासी) जमा (एफ सी एन आर) देयताओं नकदी आरक्षित निधि अनुपात को 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.00 प्रतिशत कर दिया गया।

नीति सम्बन्धी उपाय—अक्टूबर 1988

5.8 एम$_3$, की समग्र वृद्धि को संयमित करने के उपाय जुलाई 1988 में पहले ही किये जा चुके थे और अक्टूबर 1988 तक यह स्पष्ट हो गया था कि असाधारण रूप से अच्छे मानसून के बाद अब अर्थव्यवस्था, पैदावार में तीव्र वृद्धि प्राप्त करने की स्थिति में है। यह अनुभव किया गया कि बैंकिंग पद्धति के पास बढ़ी हुई ऋण अपेक्षाओं विशेषकर कृषि उद्योग और निर्यात की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 1988-89 के उत्तरार्ध के दौरान आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने चाहिये। 1988-89 के उत्तरार्ध के लिए ऋण नीति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ी हुई ऋण आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने पर केन्द्रित रही और इस प्रकार अपेक्षित वसूली का समर्थन किया गया। यद्यपि बैंकों की नकदी की स्थिति काफी अच्छी थी, फिर भी बैंकों को अनुपात से अधिक चलनिधि रखने की अनुमति इसलिए दी गयी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास वर्ष के उत्तरार्ध में ऋण वृद्धि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधन मौजूद हैं। अक्टूबर 1988 में शुरू किये गये नीति संबंधी उपाय आवश्यक रूप से ढांचेगत पहलुओं से संबंधित थे जैसे ब्याज दरों तथा नियंत्रण सम्बन्धी प्रणाली में ढील तथा मुद्रा बाजार की नई लिखतों की शुरुआत।

(क) उधार पर ब्याज दरें

5.9 ऋण चुकता करने के अच्छे रिकार्ड वाले उधारकर्ताओं को कुछ राहत देने और साथ ही, अपने उधारकर्ताओं से ब्याज दर वसूली करने के मामले में बैंकों को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से सभी बैंक अग्रिमों पर, जिन पर कि उस समय 16.5 प्रतिशत वार्षिक की (निर्धारित) ब्याज की दर वाली शर्त लागू थी, 10 अक्तूबर, 1988 से उच्चतम सीमा की कोई शर्त लागू नहीं होगी। इसके बजाय उन पर कम से कम 16 प्रतिशत वार्षिक की शर्त लागू की गयी। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे इस विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायोचित रूप से करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वसूली की गयी ब्याज दरें यथोचित सीमा के भीतर हैं। यह आशा की गयी थी कि इससे ऋणकर्ताओं को ऋण का बेहतर प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी और बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा की वृद्धि होगी। 25,000 रु० से ऊपर और 1 लाख रुपये तक के, खुदरा व्यापारियों के अग्रिमों के लिए, जो केवलमात्र ऐसी श्रेणी थी, जिसपर 15.00 से लेकर 16.5 प्रतिशत तक की वार्षिक ब्याज दरें लागू थीं, नई सीमा 15.00 से लेकर 16.00 प्रतिशत तक निर्धारित की गयी। जिन केन्द्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों को वाणिज्यिक आधार पर पण्यों की खरीद और वितरण का कार्य सौंपा गया है, उनको दिये गये अग्रिमों के लिए ब्याज की दर 16.5 प्रतिशत की बजाय 16.0 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गयी।

(ख) अन्तर्बैंक सहभागितायें

5.10 बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत उत्पन्न हुई अल्पकालिक चलनिधि को उपयोग में लाकर संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त लिखत उपलब्ध कराने की दृष्टि से दो प्रकार की अन्तर्बैंक सहभागितायें शुरू की गयीं एक जोखिम बांटने के आधार पर और दूसरी बिना जोखिम बांट/

[illegible] तक सीमित रहनेवाली पूर्णत अन्तर्बैंक लिखते हैं । जोखिम की साझेदारी वाली अन्तर्बैंक सहभागिता लिखत 91-180 दिनों के लिए और केवल स्वास्थ्य कूट सं० 1 @स्थिति के अन्तर्गत वर्गीकृत अग्रिमों के संबंध में जारी किये जा सकते हैं । जोखिम की साझेदारी वाली अन्तर्बैंक सहभागिता लिखतें, बैंकों के ऋण संविभाग में लचीलापन प्रदान करती हैं । ब्याज की दरें निर्धारण जारीकर्ता बैंक और सहभागी बैंक के बीच निर्धारण के लिए खुली छोड़ दी जाती हैं । जोकि कम से कम 14.0 प्रतिशत वार्षिक होती हैं । किसी ऋण खाते के अन्तर्गत इस प्रकार जारी की गयी अन्तर्बैंक सहभागिता लिखतों की कुल राशि, जारी करने के समय खाते में बकाया राशि के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये । जोखिम रहित साझेदारी वाली अन्तर्बैंक सहभागिता लिखत एक ऐसी मुद्राबाजार लिखत है जिसकी अवधि 9 दिन से अधिक की नहीं होती है और ऐसी लिखतों पर ब्याज की दर का निर्धारण सम्बन्धित दोनों बैंकों को करना होता है जो अधिकतम 12.5 प्रतिशत वार्षिक हो सकती है । यह जोखिम रहित अन्तर्बैंक सहभागिता लिखतें, ऋणकर्ता बैंक की निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के एक भाग के रूप में मानी जाती हैं और इनपर नकदी प्रारक्षित निधि तथा सांविधिक चलनिधि सम्बन्धी अपेक्षायें लागू होंगी ।

(ग) भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह (डिस्काउंट एवं फाइनेंस हाउस ऑफ इण्डिया) के मुद्रा बाजारगत कार्य

5.11 डिस्काउंट एवं फाइनेंस हाउस ऑफ इण्डिया (भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह) को 28 जुलाई 1988 से मांग एवं सूचना मुद्रा बाजार में ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों रूपों में भाग लेने की अनुमति दी गयी । मुद्रा बाजार को कुछ लचीलापन प्रदान करने की ओर एक कदम के रूप में मांग और सूचना मुद्रा बाजार में डिस्काउंट एवं फाइनेंस हाऊस के क्रियाकलापों को, भारतीय बैंक संघ द्वारा अक्टूबर 1988 में निर्धारित ब्याज दर की उच्चतम सीमा से छूट दे दी गयी । इसके फलस्वरूप मांग मुद्रा बाजार की दरों में कुछ सीमा तक खुलापन आया और साथ ही इसने डिस्काउंट बैंक को मुद्रा बाजार की समग्र स्थिरता में प्रभावी ढंग से योगदान करने में समर्थ बनाया ।

(घ) ऋण प्राधिकरण योजना (ऋप्रायो)

5.12 समीक्षा करने पर यह पाया गया कि ऋण प्राधिकरण योजना के अधिकांश पक्षकार चालू अनुपात के निर्धारित स्तर का अनुपालन कर रहे हैं और यह कि माल सूचीगत मानदण्डों का अनुपालन करने और तिमाही सूचना पद्धति विवरण प्रस्तुत करने में पर्याप्त सुधार हुआ है । कुछ समय से निगमित क्षेत्र के लिए मालसूची बिक्री अनुपात में काफी गिरावट आयी है । साथ ही, बकाया बैंक ऋण में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का भाग, जो क्रमिक रूप से बढ़ता रहा था, 40 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर ही बना रहा। इस प्रकार यह लगता है कि ऋण प्राधिकरण योजना के प्रयोजन मुख्य रूप से मूलभूत वित्तीय नीतियों को लागू किये गये जाने के कारण मोटे रूप में पूरे किये जा रहे थे । इस समीक्षा के संदर्भ में यह निर्णय किया गया कि कार्यकारी पूंजी की सीमाओं और निर्दिष्ट उच्चतम ऋण सीमा से अधिक की राशि के लिए मीयादी ऋणों की स्वीकृति हेतु रिजर्व बैंक द्वारा दिये जाने वाले पूर्व-प्राधिकार की पद्धति वापस ले ली जाये । तथापि, बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे इन मूलभूत नीतियों का पालन करना सुनिश्चित करें क्योंकि ये अपरिहार्य हैं और उन्हें लागू किया जाना अपेक्षित है । इस उद्देश्य के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति संवीक्षा पद्धति शुरू की गयी जिसे "ऋण निगरानी व्यवस्था" (क्रेडिट मोनिटरिंग अरेंजमेंट) का नाम दिया गया । यदि इस प्रकार की संवीक्षा के फलस्वरूप यह पाया गया कि कोई विशेष बैंक मूलभूत नीतियों को लागू नहीं कर रहा है, तो रिजर्व बैंक ऐसे बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि वे बड़े मामलों को पूर्व प्राधिकरण के लिए उसके पास भेजें ।

(ङ) ऋणकर्ता खातों का अन्तरण

5.13 ऐसी पार्टियों सहित जो 5.0 करोड़ रुपये अधिक के ऋण का लाभ ले रही हैं, सभी पार्टियों को अपने खाते उनके वर्तमान बैंक द्वारा "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की अपेक्षा पूरी किये बिना, एक बैंक से दूसरे बैंक में अन्तरित करने की अनुमति दे दी गयी, बशर्ते कि अन्तरिती बैंक उक्त पार्टी की समग्र देयतायें लेने के लिए सहमत हो । यदि कोई औद्योगिक समूह अपने किसी असन्तोषजनक खाते को वर्तमान बैंक के पास छोड़कर केवल अच्छे खाते को ही अन्तरित करने की अनुमति मांगता है, तो वर्तमान बैंक ऐसे अन्तरण के लिए उस समय तक इन्कार कर सकता है जब तक कि संबंधित पार्टी द्वारा बैंक के संतोष के अनुसार आर्थिक व्यवस्थायें न कर दी जायें ।

(च) सहायता संघ से अग्रिम

5.14 परिचालनगत समस्याओं को आसान बनाने की दृष्टि से 50 करोड़ रुपये की ऋण सीमा वाले, सहायता संघ के अग्रिमों के सम्बंध में बैंकों की संख्या 5 तक सीमित रखने का प्रतिबन्ध हटा दिया गया तथापि बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे औपचारिक संघीय सहायता व्यवस्था में बैंकों की संख्या लगभग 10 तक ही सीमित रखें ।

(छ) आवास वित्त

5.15 आवास निर्माण के लिए बैंक-ऋण उपलब्धता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आवास ऋण की चुकौती की अधिकतम अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गयी और आवास अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मार्जिनगत अपेक्षाओं में, अर्गीकृत माल के अन्तर्गत ढील दे दी गयी । अधिकतम मार्जिन 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया । आवास वित्त पर उधार की ब्याज दरों को बदल दिया गया । 10 अक्टूबर 1988 से लागू दरें निम्नानुसार हैं :—

ऋण की राशि	ब्याज की दर (प्रतिशत)
(i) 20,000 रु० तक	12.5
(ii) 20,000 रु० से अधिक और 50,000 रु० तक	13.5
(iii) 50,000 रु० से अधिक और 1 लाख रु० तक	14.0
(iv) 1 लाख रुपये से अधिक	*14.5-16.0

नीति सम्बन्धी उपाय—फरवरी 1989

(क) तिलहनों और वनस्पति तेलों की जमानत पर अग्रिमों पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण

5.16 तिलहनों और वनस्पति तेलों से संबंधित मूल्य उत्पादन से सम्बन्धित, गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद, 10 फरवरी 1989 से तिलहनों और वनस्पति तेलों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों

@ बैंक की अग्रिम संविभाग की सवस्थता की स्थिति को मापने के लिए शुरू की गयी एक समान ग्रेड पद्धति के अन्तर्गत, किसी ऐसे ऋणकर्ता का खाता सन्तोषजनक माना जाता है अथवा उसे स्वास्थ्य कूट सं० 1 दी जाती है, जिसमें कि खातों का परिचालन संतोषजनक हो, अग्रिम की सुरक्षा में कोई सन्देह न हो, सभी शर्तों को पूरा किया गया हो, तथा ऋणकर्ता के सभी खाते नियमानुकूल हों ।

* ब्याज की दर पर यह उच्चतम सीमा 1 मई, 1989 से हटा दी गयी है ।

गए न्यूनतम मार्जिन में 15 प्रतिशत प्वाइंट की सपाट घटोतरी कर दी गयी। उसी तारीख से तिलहनों वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित) की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर उच्चतम ऋण सीमा के स्तर को, 1985-86 (नवम्बर-अक्टूबर) को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में, पार्टी द्वारा बनाये रखे गये ऋण के उच्चतम स्तर के 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।

(ख) विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा

5.17 17 फरवरी 1989 से रिजर्व बैंक की पूर्वस्वीकृति के बिना विवेकाधीन पुनर्वित्त आहरित करने की सुविधा 1986-87 में औसत कुल जमा राशियों के 1.0 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत कर दी गयी।

5. नीति संबंधी उपाय—मार्च 1989

(क) निर्यात ऋण पर ब्याज दरें

5.18 निर्यात की वृद्धि को और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याज दरें क्रमश: 2.0 प्रतिशत प्वाईंट तथा 0.85 प्रतिशत प्वाईंट वार्षिक कम कर दी गयी। 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित भुगतान के अन्तर्गत निर्यात ऋण पर 0.65 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज की दर अपरिवर्तित ही रही। मार्च 1989 में लागू की गयी ब्याज की ये दरें सारणी 5.1 में दर्शायी गयी है।

(ख) कृषकों को अल्पकालिक ऋण

5.19 1 मार्च, 1989 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषकों को मंजूर किये गये अल्पकालिक ऋणों पर उधार की ब्याज दरें, 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के लिये, 12.50 से 14.00 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी।

(ग) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम-कृषि सम्बन्धी प्रत्यक्ष अग्रिम

5.20 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे कृषि (उसकी सहायक गतिविधियों को मिलाकर) को प्रत्यक्ष ऋण के अपने प्रतिशत को बढ़ाकर मार्च 1990 तक, अपने कुल बकाया ऋण के 17 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक पहुंचा दें। इस शर्त के कारण 1989-90 में बैंकिंग पद्धति, द्वारा कृषि को उपलब्ध कराया गया ऋण लगभग 4,000 करोड़ रुपये होगा।

सारणी 5.1: निर्यात ऋणों पर ब्याज दरें

श्रेणी	ब्याज दर प्रतिशत वार्षिक	
	1 मार्च, 1989 से पूर्व	1 मार्च, 1989 से लागू
1	2	3
1. पोतलदान-पूर्व ऋण		
(क) (i) 180 दिनों तक	9.50	7.50
(ii) 180 दिनों से अधिक और कुल 270 दिनों तक (रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से)	11.50	9.50
(ख) नकद प्रोत्साहन आदि जो भा०नि०ऋ०गा० निगम द्वारा गारन्टीकृत हैं—90 दिनों तक	9.50	7.50
2. पोतलदानोत्तर ऋण		
(i) मांग बिल-मार्गस्थ अवधि के लिए (जैसा कि भा०वि०मु०व्या० संघ द्वारा निर्दिष्ट है)		
(ii) मीयादी बिल-180 दिनों के लिए (इस मीयाद में निर्यात बिलों की मीयाद, भा.वि.मु०व्या. संघ द्वारा निर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि और रियायत अवधि जहां लागू हो)	9.50	8.65
(iii) नकद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी आदि जो सरकार से प्राप्य हो और भा०नि०ऋ०गा० निगम द्वारा गारंटीकृत हो (90 दिनों तक)		
(iv) अनाहरित शेष राशियां (90 दिनों तक)		
(v) (केवल आपूर्ति किये गये माल के लिए) रोके गये धन पर जोकि पोतलदान की तारीख से एक वर्ष के अन्दर देय हो (90 दिनों तक)		
3. (क) एक साल से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	8.65*	--
(ख) 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	--	8.65
4. शुल्क वापसी ऋण योजना 1976 सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनन्तिम रूप से प्रमाणित किये गये अनुसार शुल्क वापसी के प्रति (90 दिनों तक)	ब्याज मुक्त	ब्याज मुक्त
5. अन्यथा विनिर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण	14.00 से लेकर 15.50 तक	14.00 से लेकर 15.50 तक

1989-90 की प्रथम छमाही के लिए नीति संबंधी उपाय—मार्च 1989

5.21 अर्थव्यवस्था में सम्भावित विकास के मूल्यांकन की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, मार्च 1989 में 1989-90 की पहली छमाही के लिए ऋण नीति तैयार की गयी। अधिक कुशल परिचालनों को बढ़ावा देने की दृष्टि से कुछ ढांचेगत परिवर्तन किये गये तथा वर्तमान लिखतों को मजबूत बनाते हुए नयी लिखतें शुरू की गयी। ये उपाय ऋण नीति के इन मूल सिद्धांत से दूर हटे बिना किये गये कि उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाये किन्तु साथ ही मुद्रा स्फीति के दबावों को नियंत्रण में रखा जाये।

5.22 मानसून सामान्य रहने के कारण मार्च 1989 में यह अनुमान हुआ कि 1989-90 में वास्तविक राष्ट्रीय आय 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक बढ़ सकेगी। हालांकि आर्थिक गतिविधियों के अपेक्षित स्तर को पुष्ट करने के लिए अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता होगी, परन्तु हाल के वर्षों में उत्पन्न अधिक चलनिधि के बने रहने, 1988-89 के दौरान खाद्येतर ऋण में तीव्र वृद्धि होने और मूल्यों पर लगातार दबाव बने रहने आदि से यह संकेत मिला कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि 1989-90 के दौरान, $एम_3$ का विस्तार पिछले चार वर्षों के औसत विस्तार (16.7 प्रतिशत) से नीचे के स्तर तक सीमित रहे।

*1 मार्च 1989 से पश्चात् 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए लागू कर दिये गये।

5.23 चलनिधि की वृद्धि को संयमित करने के उद्देश्य के अनुसरण में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अपने ऋण बजटों को, 1989-90 के दौरान समग्र जमाराशियों में 24,000 करोड़ रुपये (17.3 प्रतिशत) की वृद्धि को कार्यकारी अनुमान के आधार पर तैयार करें, इस वृद्धि में से, वर्ष की पहली छमाही में लगभग 11,500 करोड़ रुपये की और पिछली तिमाही में 6,500 करोड़ रुपये की राशि संचित होने की आशा की गयी थी।

5.24 1989 की रबी की फसल अपने आप में रिकार्ड होगी, इस रिपोर्ट के आधार पर, गेहूं की वसूली पिछले मौसम में हुई वसूली से अधिक मात्रा में होने की आशा की गयी। इस आधार पर जून 1989 को समाप्त तिमाही के दौरान खाद्यान्न ऋण में लगभग 900 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा लगभग उतनी ही राशि के अगली तिमाही में कम होने का अनुमान किया गया। इस प्रकार वित्त वर्ष 1989-90 की पहली छमाही में समग्रता खाद्यान्न ऋण में किसी वृद्धि की सम्भावना नहीं आंकी गयी थी। वर्ष 1989-90 की पहली छमाही के दौरान खाद्येतर ऋण में 3,500 करोड़ रुपये की वृद्धि, अर्थात् उतनी ही जितनी कि इससे पहले वर्ष इसी अवधि में हुई थी, का अनुमान किया गया था। यह अनुमान किया गया कि बैंक वर्ष के पूर्वार्द्ध में न केवल खाद्यान्न ऋण एवं खाद्येतर ऋण की अपेक्षाओं को पूरा कर लेंगे, बल्कि अपनी चलनिधि को भी जुटा लेंगे। मुद्रा-गत वृद्धि एवं बैंकों द्वारा संसाधनों और निधियों के प्रयोग के इन अनुमानों से वर्ष 1989-90 की पहली छमाही के लिए ऋण नीति संबंधी जिन उपायों को आधार बनाया वे नीचे दिये गये हैं। ये उपाय चलनिधि के विस्तार को संयमित करने तथा प्रारक्षित निधि के अपेक्षित निर्धारणों और मीयादी जमाराशियों की परिपक्वता संबंधी ढांचे को तर्कसम्मत बनाने की दृष्टि से बनाये गये हैं, साथ ही परिचालनगत कार्यकलापों में और अधिक लचीलापन लाने की दृष्टि से नयी सिफारिशें शुरू की गयी हैं।

(क) नकदी प्रारक्षित अनुपात

5.25 वर्षों से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित अनुपात में अनेक निर्धारण होते रहे हैं, परन्तु इन सभी निर्धारित अनुपातों पर निवल मांग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत की सांविधिक उच्चतम सीमा लागू रही है। अधिकांश बैंक 15 प्रतिशत की सांविधिक उच्चतम सीमा के लागू नकदी प्रारक्षित अनुपात तक की राशि पहले से ही बनाये हुए थे। अतः आवश्यकता इस बात की थी कि बहुविधि निर्धारित सीमाओं को एक सीमा में लाया जाये। तदनुसार 1 जुलाई 1989 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपनी पूरी मांग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत तक नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात बनाये रखें। साथ ही साथ, बहुविधि निर्धारणों की पद्धति वापस ले ली गयी। कुछ बैंकों के मामले में जहां वर्तमान नकदी प्रारक्षित अनुपात 15 प्रतिशत से कम था, वहां 15 प्रतिशत नकदी प्रारक्षित अनुपात प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ने 29 जुलाई 1989 से अलग-अलग बैंकों के लिए चरणबद्ध समायोजन कार्यक्रम बनाया है।

(ख) पुनर्वित्त संबंधी सुविधायें

(i) निर्यात ऋण सम्बन्धी पुनर्वित्त

5.26 यह सामान्य परम्परा रही है कि रिजर्व बैंक से निर्यात पुनर्वित्त का निर्धारण करने के लिए, प्रतिवर्ष, आधार राशि को आगे लाया जाता है। निर्यात पुनर्वित्त की उच्चतम सीमायें 10 मार्च 1989 को, 2,868 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर रहीं, जोकि बकाया निर्यात ऋण का 52 प्रतिशत था, जबकि मार्च 1986 में यह 13 प्रतिशत और मार्च 1988 में 43 प्रतिशत था। 29 जुलाई 1989 से, बैंकों को उपलब्ध कराया जाने वाली निर्यात पुनर्वित्त 1986 के बजाय 1987 के मासिक औसत से बढ़े हुए निर्यात ऋण के शत प्रतिशत के समकक्ष होगा। यद्यपि बैंकों की पुनर्वित्त सीमायें घट गयी हैं फिर भी, पुराना अनुभव बताता है, कि निर्यात पुनर्वित्त के लिए बैंकों का अनुरोध उतनी ही तेजी से बढ़ता है जितनी तेजी से वे अपने निर्यात ऋण को बढ़ाते हैं और ऐसा उस अवधि से भी पहले ही हो जायेगा, जिस अवधि में उन्हें अपने पुनर्वित्त की उच्चतम सीमाओं के अधिकांश भाग को उपयोग में लाने की आवश्यकता पड़ेगी।

(ii) 182 दिन के खजाना बिलों का पुनर्वित्त

5.27 हाल ही में की गयी नीलामियों में 182 दिन के खजाना बिलों पर उच्चतम आय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 28 मार्च 1989 से, इस सुविधा के अन्तर्गत पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 10.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 10.75 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी।

(ग) चयनात्मक ऋण नियंत्रण

(i) वनस्पति तेलों की जमानत पर अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन

5.28 तिलहनों और वनस्पति तेलों से संबंधित मूल्य-पैदावारगत गतिविधियों की समीक्षा के पश्चात् 28 मार्च 1989 से (वनस्पति सहित) वनस्पति तेलों के भण्डार की जमानत पर अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन को "अन्यों" के मामले में और भण्डार-गृह की रसीदों के बारे में 15 प्रतिशत प्वाईंट घटा दिया गया। मिलों/प्रसंस्करण इकाइयों के लिए और भंडारगृह की रसीदों के मामले में एक समान 30 प्रतिशत मार्जिन निश्चित किये गये तथा "अन्यों" के लिए 45 प्रतिशत।

(ii) ऋण स्तर की उच्चतम सीमायें

5.29 ऐसे पण्यों के लिए जहां ऋण स्तर की उच्चतम सीमाओं की शर्तें लगायी गयी हैं, मार्च 28, 1989 से, आधारभूत अवधि एक साल आगे लाकर (नवम्बर-अक्तूबर) 1986-87 में समाप्त तीन वर्ष की अवधि पर लाया गया, तथापि ऋण स्तर की उच्चतम सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। विभिन्न पण्यों के लिए वर्तमान ऋण स्तर की उच्चतम सीमायें निम्नलिखित हैं :—

ऋण स्तर की उच्चतम सीमायें

(प्रतिशत)

पण्य	28 मार्च 1989 से लागू (संशोधित अवधि: 1984-85, 1985-86 और 1986-87)
1	2
धान/चावल	85
गेहूं	85
दालें	85
"अन्य खाद्यान्न"	85
रूई और कपास (क्विंटलों में)	85
तिलहन	100
वनस्पति सहित वनस्पति तेल	100

(घ) मुद्रा बाजार की ब्याज दरें

5.30 मांग और सूचित मुद्रा को लचीलापन तथा पारदर्शिता प्रदान करने की दृष्टि से प्रथम उपाय के रूप में डिस्काउंट एवं फाइनेंस हाउस आफ इंडिया के मांग/सूचना सम्बन्धी मुद्रा बाजार के क्रियाकलापों को अक्तूबर 1988 से आई० बी० ए० द्वारा निर्धारित ब्याज की उच्चतम सीमा से मुक्त कर दिया गया। और अधिक पारदर्शिता और लचीलापन

की दृष्टि से अगले चरण के रूप में मांग/सूचना सम्बन्धी मुद्रा बाजार पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को 1 मई 1989 से हटा दिया गया। इस परिवर्तन के अनुसार ही अन्तर्बैंक मीयादी राशि पर 10.5 प्रतिशत से 11.5 प्रतिशत वाणिज्यिक बिलों की पुनर्भुनाई पर 12.5 प्रतिशत, तथा जोखिम रहित अन्तर्बैंक सहभागिता निधियों पर 12.5 प्रतिशत ब्याज की उच्चतम सीमा को 1 मई 1989 से वापस ले ली गयी मुद्रा बाजार में उधार देने वालों को यह सूचित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी गतिविधियां स्थायी एवं परिपक्व मुद्रा बाजार के आविर्भाव के लिए प्रेरक हों, जबकि ऋणकर्ताओं को यह सूचित किया गया कि वे अपने स्रोतों और निधियों के उपयोग को संतुलित करने की मार्जिनल अपेक्षाओं तक ही मुद्रा बाजार पर अपनी निर्भरता को सीमित करें। यह परिकल्पना की गयी है कि डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस बैंक स्थिरीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यह आशा की जाती है कि यह पद्धति एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ेगी जिसमें सहभागी पक्षकार उधार लेने और उधार देने की गतिविधियों के बीच गतिशील होंगे और इससे मुद्रा बाजार को स्थायित्व एवं गम्भीर्य प्राप्त होगा।

(ङ) जमाराशि की ब्याज दरें

5.31 अल्पकालीन ब्याज दरों को इस पद्धति में स्थित अन्य ब्याज दरों के और अधिक अनुरूप बनाने की दृष्टि से हाल ही की अवधि में अनेक उपाय किये गये हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, नया अल्पकालिक अधिशेष निधि पर बेहतर आय की दर उपलब्ध कराने की दृष्टि से 28 मार्च 1989 से, 46 दिन से 90 दिन तक की अवधि के लिए, जमाराशियों पर ब्याज की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दी गयी। साथ ही साथ 15 दिन से लेकर 45 दिन तक की अवधि की जमाराशियों पर ब्याज की दर, जो अब तक 3 प्रतिशत थी, समाप्त कर दी गयी। इस प्रकार सावधि जमा की अवधि अब तक के 15 दिन के बजाय, परिपक्वता के लिए कम से कम 46 दिन की होगी। जमाराशि पर (विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों और अनिवासी बाह्य खातों को छोड़कर) ब्याज की वर्तमान और संशोधित दरें निम्न प्रकार हैं :

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की (वि० मु० अनिवासी खातों/अनिवासी विदेशी खातों को छोड़कर) जमाराशियों पर ब्याज की दरें।

(प्रतिशत वार्षिक)

खातों की श्रेणी	27 मार्च 1989 तक लागू	28 मार्च 1989 से लागू
1	2	3
1. चालू खाते	शून्य	शून्य
2. बचत खाते	5.0	5.0
3. सावधि जमा		
(क) 15 दिन से 45 दिन तक	3.0	*
(ख) 46 दिन से 90 दिन तक	4.0	6.0
(ग) 91 दिन से साल से कम	8.0	8.0
(घ) एक साल से लेकर 2 साल से कम	9.0	9
(ङ) दो साल और उससे ज्यादा	10.0	10.0

* यह परिपक्वता अवधि अब समाप्त कर दी गयी है और इसलिए बैंक 45 दिन तक की परिपक्वता अवधि वाली, ब्याज-सहित मीयादी जमाराशियां स्वीकार नहीं कर सकते।

(च) जमा प्रमाणपत्र

5.32 मुद्रा बाजार-साख लिखतों के विस्तार को और व्यापक बनाने तथा अपनी अल्पकालिक अधिशेष निधियों के निवेश में निवेशकों को और ज्यादा लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से जमा प्रमाणपत्र (सी डी) नाम की एक नयी लिखत शुरू की गयी है। यह जमा प्रमाणपत्र 25 लाख रुपये के गुणजों में जारी किये जायेंगे परन्तु एक निर्गम के लिए कम से कम राशि 1 करोड़ रुपये होगी। इसकी परिपक्वता अवधि 3 माह से लेकर 1 वर्ष की होगी। वे अंकित मूल्य में बट्टा लगाकर जारी किये जायेंगे और बट्टे की दर को मुक्त रूप से निर्धारित किया जायेगा। जमा प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से 45 दिन के पश्चात् मुक्त रूप से अन्तरित किये जा सकेंगे। किसी बैंक द्वारा जारी किये गये सभी जमा प्रमाणपत्रों की कुल बकाया किसी भी एक समय में उसकी, 1988-89 के वित्त वर्ष के दौरान पाक्षिक औसत जमाराशियों के एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जमा प्रमाणपत्र आरक्षित निधि की अपेक्षाओं के अध्यधीन हैं। बैंकों को न तो जमा प्रमाणपत्रों पर ऋण मंजूर करने की अनुमति है और न ही वे अपने जमा प्रमाणपत्र स्वयं वापस खरीद सकते हैं।

(छ) वाणिज्यिक पत्र

5.33 अच्छी साख वाले निर्गमित उधारकर्ताओं को अपने अल्पकालिक उधारों के संसाधनों को अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त करने के लिए समर्थ बनाने और साथ ही निवेशकर्ताओं को अतिरिक्त लिखत उपलब्ध कराने की दृष्टि से, वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर्स)) शुरू करने का निर्णय किया गया। ऐसी कंपनियां जिनकी शुद्ध हैसियत कम से कम 10 करोड़ रुपये की है और जिन्हें अधिकतम अनुमत बैंक वित्तपोषण कम से कम 25 करोड़ रुपये का है तथा जो स्टॉक एक्सचेंज की सूची में हैं, उन्हें "वाणिज्यिक पत्र-बाजार" में अपनी गतिविधि शुरू करने की अनुमति दी जायेगी। (स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की शर्त सरकार क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू नहीं होगी)। जारीकर्ता कम्पनी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी साख मूल्यांकन एजेंसी से प्रत्येक छह माह में एक उत्तम साख का प्रमाणपत्र प्राप्त करें। वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता अवधि 3 माह से लेकर 6 माह की होगी। वाणिज्यिक-पत्र 25 लाख रुपये के गुणजों में जारी किया जायेगा परन्तु उसकी कम से कम राशि एक करोड़ रुपये की होगी। वाणिज्यिक पत्र अंकित मूल्य में बट्टा लगाकर जारी किया जायेगा और बट्टा दर मुक्त रूप से निर्धारित की जायेगी। वाणिज्यिक पत्र मुक्त रूप से अन्तरणीय होंगे। बैंकों को वाणिज्यिक पत्रों के जारी करने में न तो हामीदारी करने की अनुमति होगी और न ही उन्हें किसी अन्य के साथ मिलकर स्वीकार करने की। जारीकर्ता कम्पनी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह व्यापारियों की फीस, साख-मूल्यांकन एजेन्सी की फीस, आपाती सुविधा प्रभार तथा अन्य संबंधित प्रभारों को अदा करेगी। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम राशि की सीमा, जिसकी अनुमति किसी कम्पनी को दी जा सकती है, कम्पनी को देय अधिकतम बैंक वित्तपोषण के 20 प्रतिशत तक होगी।

(ज) अलग-अलग ऋणकर्ताओं/उनके समूहों के अभिमुखीकरण की सीमायें

5.34 जोखिम-व्यवस्था के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता के संदर्भ में तथा ऋण संबंधी जोखिमों को एक ही स्थान पर केन्द्रीभूत होने से बचाने के लिए बैंक के अभिमुखीकरण (एक्सपोजर) की सीमायें निश्चित कर दी गयी हैं जो किसी व्यक्तिगत व्यावसायिक संस्थान के लिए किसी बैंक की पंजीगत निधियों का 25 प्रतिशत और किसी सामूहिक व्यावसायिक संस्थान के लिए 50 प्रतिशत होगी। इस अभिमुखीकरण में सभी स्वीकृत संचित और गैर-संचित सीमायें सम्मिलित हैं। वर्तमान ऋण सीमाओं के संबंध में बैंकों को अपनी अधिक राशियों को नियमानुकूल रूप में समायोजित करने के लिए 12 महीनों का समय दिया गया है। परन्तु यह उच्चतम सीमा खाद्य ऋण आदि के लिए सौंपी गयी सावधिक ऋण सीमाओं पर लागू नहीं होगी। इन मामलों में कुछ मामलों में, सहायता संघीय व्यवस्थाओं में समायोजन की आवश्यकता पड़ सकती है।

(झ) संविभागीय व्यवस्था

5.35 सामान्यतया, संविभागीय/निधि प्रबन्ध सम्बन्धी सेवायें मध्यावधि/अल्पावधि निधियों के संबंध में बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। 28 मार्च 1989 से संविभागीय निधि प्रबंध के लिए कम से कम एक वर्ष की मीयाद निश्चित की गयी है। ऐसे बैंकों को, जिनकी मर्चेंट बैंकिंग सम्बन्धी अनुषंगी शाखायें कार्यरत हैं, सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी अनुषंगी शाखायें संविभागीय/निधि प्रबंध के संबंध में ऐसे कार्य न करें, जिन्हें करने से स्वयं उनको निषिद्ध किया गया हो।

(ञ) आढ़तिया सेवाओं की शुरूआत

5.36 आढ़तिया संगठनों (फैक्टरिंग आर्गेनाइजेशन्स) को शुरू करने की सम्भावनाओं, उनकी आरंभिक प्रक्रिया, उनके गठन, संगठन-गत ढांचे, उनकी गतिविधियों तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के संबंध में सिफारिश करने के लिए रिजर्व बैंक ने जनवरी 1988 में श्री सी० एस० कल्याणसुन्दरम की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया था। इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 1989 में प्रस्तुत कर दी। कार्यकारी दल की अधिकांश सिफारिशें सिद्धान्त रूप में रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर ली हैं। इसमें पहली प्राथमिकता वर्तमान नियमों के अन्तर्गत घरेलू आढ़तिया सेवायें स्थापित करने को दी जायेगी। पूरी तरह से आढ़तिया सेवायें शुरू करने के लिए विशेष वैधानिक उपाय तैयार करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

नीति सबंधी उपाय—अप्रैल 1989 चयनात्मक ऋण नियंत्रण

(क) गेहूं की जमानत पर अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन

5.37 मूल्य-उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों तथा बाजार में गेहूं की आमद से उभरने वाली स्थिति की समीक्षा करने पर 22 अप्रैल 1989 से गेहूं की जमानत पर अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिनों को 15 प्रतिशत प्वाइंट तक बढ़ा दिया गया। इस प्रकार मिलों/अभिसंस्करण इकाइयों के भंडार के लिये तथा भण्डार गृह रसीदों के लिये मार्जिनों को 60 प्रतिशत एवं "अन्यों" के लिये 75 प्रतिशत* निर्धारित किया गया। चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले पण्यों की जमानत पर अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिनों का नया ढांचा जो 22 अप्रैल 1989 से लागू है, सारणी 5.2 में दिया गया है।

सारणी 5.2 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले पण्यों के भण्डारों के प्रति बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन

(प्रतिशत)

क्रम सं०	पण्य	22 अप्रैल 1980 से लागू		
		अभिसंस्करण इकाइयों/मिलों के भण्डार पर	'अन्य'	भण्डार-गृह की रसीदों पर
1	2	3	4	5
1.	धान/चावल	45	60	45
2	गेहूं	60	75	60
3	अन्य खाद्यान्न	45	60	45
4	दालें	45	60	45
5.	तिलहन (मूंगफली, तोरिया/सरसों, बिनौला, अलसी, अरण्डी तथा सभी आयातित तिलहन)	30	45	30
6.	वनस्पति तेल (मूंगफली तेल, तोरिया/सरसों का तेल, अलसी का तेल, अरण्डी का तेल, बिनौला-तेल, वनस्पति तथा सभी आयातित वनस्पति तेल)	@30	45	30
7.	रुई तथा कपास	×	45	30
8.	चीनी			
	(क) सुरक्षित स्टॉक	0	—	—
	(ख) जारी न किया गया स्टॉक	17.5	—	—
	(ग) जारी किया गया स्टॉक	60	60	45
9	गुड़ और खांडसारी	30	60	45

@पंजीकृत तेलमिलों और वनस्पति उत्पादकों पर लागू

× चयनात्मक ऋण नियंत्रण की शर्तों से मुक्त

—लागू नहीं

(ख) आटा रोलर मिलों को ऋण की उच्चतम सीमाओं का स्तर

5.38 आटा रोलर मिलों को भी जिन्हें अभी तक गेहूं के प्रति अग्रिमों पर ऋण की उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त थी, ऋण की उच्चतम सीमा के अन्तर्गत लाया गया तथा 1986-87 को समाप्त होने वाली किन्हीं भी तीन वर्षों (नवम्बर—अक्तूबर) में उस पार्टी द्वारा बनाये रखे गये ऋण के उच्चतम स्तर के 85 प्रतिशत की वैसी शर्तें रखी गयी जैसी कि अन्य मिलों/अभिसंस्करण इकाइयों पर लागू थीं।

6. मुद्रा एवं ऋण की प्रवृत्तियां

6.1 राजकोषीय वर्ष 1988-89 के दौरान एम$_3$ तथा एम$_1$ के अनुसार मुद्रा-विस्तार पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा था, यद्यपि चलमुद्रा के विस्तार की गति धीमी रही। इसे 1987-88 में हुई अत्यंत उल्लेखनीय वृद्धि के सन्दर्भ में देखना होगा। कुल जमाराशि की वृद्धि में उछाल दिखायी दिया। यह वृद्धि विशेषकर मांग जमाराशियों में बहुत अधिक रही। यह वृद्धि मुख्यतया उच्चतर वास्तविक आय की वृद्धि तथा सरकारी एवं अन्य प्रतिभूतियों में वापसी-खरीद व्यवस्थाओं को पलट देने के कारण हुई।

6.2 मुद्रा स्टॉक में परिवर्तन के स्रोत जो कि विस्तृत अलग-अलग स्थितियों के द्वारा स्पष्ट होते हैं, पिछले दो वर्षों की अपेक्षा कुछ भिन्न दिखाई देते हैं, इसमें सरकार को दिये गये शुद्ध बैंक ऋण में 1987-88 की अपेक्षा 1988-89 में गिरावट आयी है, और वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में विस्तार की दर में अपेक्षाकृत काफी तीव्रता आयी है। वाणिज्यिक क्षेत्र के ऋण तीव्र गति से बढ़े है और यह उत्पादन और वाणिज्यिक गतिविधियों में आये उछाल के कारण है। वर्ष की समाप्ति पर सरकार को बैंक ऋण, विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक के सरकार को शुद्ध ऋण के आंकड़े 1988-89 के संपूर्ण वित्त वर्ष के दौरान मुद्रागत वृद्धि के प्रति इसके समग्र योगदान को कम करके दर्शाते हैं, क्योंकि

* सितम्बर 1988 में गेहूं की जमानत पर अभिसंस्करण इकाइयों/मिलों को अग्रिमों पर केवल पंजाब में न्यूनतम मार्जिन को 15 प्रतिशत प्वाइंट तक घटाकर 45 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया गया था। मार्च 1989 में, यह प्रतिशत फिर 45 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में चयनात्मक ऋण नियंत्रण लागू था, उनमें से एक बार फिर एक समान मार्जिन लागू कर दिया गया।

यह प्रक्रम लगभग पूरे वर्ष व्यापक रूप से जारी रहा, परन्तु वित्त वर्ष की अंतिम अवधि के दौरान इसमें तेजी से गिरावट आयी। साथ ही प्रारक्षित राशि में गति कुछ धीमी रही, परन्तु पिछले वर्ष की वृद्धि असाधारण रूप से उच्चस्तर पर रही थी। प्रारक्षित राशि में हुई इस व्यापक वृद्धि से उत्पन्न होने वाले गौण विस्तार को नकदी प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं को बढ़ाकर संयमित किया गया।

6.3 विभिन्न मुद्रागत अनुपातों की प्रवृत्तियां जैसे चलमुद्रा से एम$_3$ के प्रति या कुल जमाराशि का एम$_3$ के प्रति मोटे रूप में उनकी दीर्घावधि प्रवृत्ति के अनुसार रही है, परन्तु समायोजित न किये गये वृद्धिशील मुद्रा-गुणक (एम$_3$ आर एम) ने बिन्दुवार आधार पर अथवा औसत आधार पर 1987-88 के स्तर से 1988-89 में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी, जिससे वृद्धिशील बैंक प्रारक्षित निधि से जमाराशि के अनुपात के स्तर में गिरावट परिलक्षित होती है।

6.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकलाप वर्ष 1987-88 की अपेक्षा 1988-89 में कुल जमाराशियों और बैंक ऋण दोनों में, विशेषकर खाद्येतर ऋण में तीव्र वृद्धि दर्शाते हैं। बैंकों के निवेश सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में 'अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों' के पक्ष में अधिक गये। रिजर्व बैंक से लिये गये ऋणों में हुई भारी वृद्धि के अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पिछले वर्ष की तरह 1988-89 के दौरान भी गैर-जमाराशियों के संसाधनों के काफी बड़े भाग पर निर्भर बने रहे। प्राथमिक रूप से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पास बिलों की पुनर्भुनाई की गति उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दी गयी थी, जिसकी वजह से उच्चतर उत्पादन गतिविधियों को समाहित करने के लिए सकल बैंक ऋण की तीव्र गति से वृद्धि सुविधाजनक हो गयी। परन्तु इस तीव्रतर वृद्धि ने कुछ बैंकों को फरवरी-मार्च 1989 के दौरान चलनिधि के अभाव तथा अन्तर्बैंक मांग मुद्रा बाजार पर उल्लेखनीय दबाव की स्थिति में ला दिया जोकि 1 मई 1989 से मांग मुद्रा की दरों पर उच्चतम सीमा को समाप्त किये जाने के बाद परिलक्षित हुई।

मुद्रा आपूर्ति

6.5 वर्ष 1988-89 के दौरान व्यापक मुद्रा के अर्थ में मुद्रा विस्तार (17.6 प्रतिशत) बढ़कर 28,571 करोड़ रुपये हो गया, जो 1987-88 में (15.7 प्रतिशत बढ़कर) 22,027 करोड़ रुपये था (सारणी 6.1)। यहां यह स्मरणीय है कि अप्रैल 1988 में घोषित ऋण नीति में यह संकेत किया गया था कि इस नीति का उद्देश्य 1988-89 में चलनिधि की समग्र वृद्धि को सीमित करके पिछले तीन वर्षों की औसत वृद्धि (17 प्रतिशत) से कुछ कम स्तर तक रखना है। इस प्रकार 1988-89 में मुद्रागत विस्तार वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित किये गये लक्ष्य से थोड़ा अधिक (17.6 प्रतिशत) रहा। महीनों के अन्तिम शुक्रवार* मार्च 1989 के मामले में आंकड़े अन्तिम सूचित शुक्रवार (मार्च 24 से सम्बन्धित हैं) के औसत के आधार पर 1988-89 में एम$_3$ में वृद्धि 17.1 प्रतिशत रही जो कि लगभग उतनी ही थी जितनी कि 1987-88 में (17.0 प्रतिशत)।

6.6 जनता के पास मुद्रा आपूर्ति (एम$_1$) 1988-89 के दौरान (14.6 प्रतिशत) बढ़कर 8,457 करोड़ रुपये हो गयी जो कि इससे पहले वर्ष (12.9 प्रतिशत बढ़कर) 6,625 करोड़ रुपये थी। महीनों के अंतिम शुक्रवारों* (मार्च 24 से सम्बन्धित है) के औसत के अर्थ में एम$_1$ में 14.6 प्रतिशत वृद्धि की दर भी उतनी ही थी जितनी कि इससे पहले वर्ष थी।

6.7 घटकवार दृष्टि से जनता के पास चलमुद्रा में (14.3 प्रतिशत) विस्तार होकर यह 4,813 करोड़ रुपये हो गयी जो कि 1987-88 में हुए 17.7 प्रतिशत विस्तार की 5,065 करोड़ रुपये की मुद्रा से कम रही। बैंकों के पास कुल जमाराशि में तेजी से वृद्धि हुई जो 1987-88 में (15.2 प्रतिशत की वृद्धि पर) 17,017 करोड़ रुपये से बढ़कर (18.3 प्रतिशत की वृद्धि पर) 23,609 करोड़ रुपये हो गयी। यद्यपि यह वृद्धि मांग और मीयादी दोनों प्रकार की जमाराशियों के कारण हुई, मांग जमाराशियों की वृद्धि दर दुगनी हो गयी। मांग जमाराशियां पिछले वर्ष की (7.3 प्रतिशत की वृद्धि पर) 1,615 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान (14.7 प्रतिशत वृद्धि की दर से) 3,495 करोड़ रुपये हो गयी। मीयादी जमाराशियां (19.2 प्रतिशत की दर पर) बढ़कर 20,114 करोड़ रुपये हो गयीं जो कि 1987-88 में (17.2 प्रतिशत) की दर से बढ़कर 15,402 करोड़ रुपये थी।

6.8 1988-89 में इस प्रवृत्ति का उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि सरकार को दिये गये शुद्ध बैंक ऋण की तुलना में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिये गये बैंकों के ऋण ने एम$_3$ की वृद्धि में और अधिक योगदान किया। वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (19.5 प्रतिशत बढ़कर) 20,531 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इससे पहले वर्ष में यह (13.3 प्रतिशत बढ़कर) 12,389 करोड़ रुपये रहा। इस क्षेत्र को रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों का ऋण पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा रहा। वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों के ऋण में अधिक विस्तार खाद्येतर ऋण में तीव्र वृद्धि के कारण रहा जो कि कुछ सीमा तक उच्चतर उत्पादन और निवेशगत गतिविधियों से जुड़े बैंक ऋण के लिए उच्चतर मांग की वजह से था। सरकार को शुद्ध बैंक ऋण में धीमी वृद्धि हुई जो 15.1 प्रतिशत की दर से बढ़कर 12,715 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वर्ष में यह 18.0 प्रतिशत की वृद्धि दर से 12,811 करोड़ रुपये था। सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण 1987-88 के 7,025 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 7,225 करोड़ रुपये हो गया। प्रतिशत के हिसाब से यह वृद्धि पिछले वर्ष की 15.3 प्रतिशत की तुलना में कम रहकर 13.7 रह गयी। जैसाकि 'सरकारी वित्त' सम्बन्धी खण्ड में विस्तार से बताया गया है केन्द्रीय सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण में वित्त वर्ष के क्रमिक पाक्षिक आंकड़ों की घटबढ़ का औसत 1988-89 में बढ़कर 7,310 करोड़ रुपये हो गया जो 1987-88 में 5,326 करोड़ रुपये और 1988-89 में 4,432 करोड़ रुपये था।

6.9 सरकार को अन्य बैंकों से मिले ऋण में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि रही। 1987-88 में 5,786 करोड़ रुपये की तुलना में यह ऋण इस वर्ष 5,490 करोड़ रहा। रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई जो 637 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वर्ष यह 673 करोड़ रुपये थी।

* मार्च 1989 के मामले में आंकड़े अन्तिम सूचित शुक्रवार मार्च 24 से सम्बन्धित हैं।

सारणी 6 : मुद्रास्टॉक (एम$_3$) में घट-बढ़

(करोड़ रुपये)

मद	निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान घट-बढ़*							
	1987-88*		1988-89*@		1988-89 (अप्रैल-जून)		1989-90@ (अप्रैल-जून)	
	संपूर्ण	प्रतिशत	संपूर्ण	प्रतिशत	संपूर्ण	प्रतिशत	संपूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I एम$_3$ (क+ख+ग)	22,027	15.7	28,571	17.6	12,531	7.7	9,952	5.2
(क) जनता के पास मुद्रा	5,065	17.7	4,813	14.3	1,761	5.2	2,627	6.8
(ख) बैंकों के पास कुल जमाराशियां	17,017	15.2	23,609	18.3	10,164	7.9	7,369	4.8
(i) मांग जमाराशियां	1,615	7.3	3,495	14.7	2,127	8.9	1,685	6.2
(ii) मीयादी जमाराशियां	15,402	17.2	20,114	19.2	8,037	7.7	5,684	4.5
(ग) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	—55	—15.6	149	50.2	606	204.0	—44	—9.8
II एम$_1$ (क+ख (i)+ग)	6,625	12.9	8,457	14.6	4,494	7.8	4,268	6.4
III मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत (1+2+3+4—5)								
1 सरकार को शुद्ध बैंक ऋण (अ+आ)	12,811	18.0	12,715	15.1	10,419	12.4	8,427	8.7
(अ) सरकार को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण (i—ii)	7,025	15.3	7,225	13.7	7,836	14.8	6,079	10.1
(i) केन्द्रीय सरकार पर शुद्ध दावे (क—ख)	7,049	15.5	7,310	13.9	7,717	14.7	6,156	10.3
(क) केन्द्रीय सरकार पर दावे	7,071	15.5	7,334	13.9	7,711	14.6	6,168	10.3
(ख) राज्य सरकारों की जमाराशियां	22	40.7	24	31.6	—6	—7.9	—18	18.0
(ii) राज्य सरकारों पर शुद्ध दावे (क—ख)	—24	—9.4	—85	—36.8	119	51.5	—107	—73.3
(क) राज्य सरकारों पर दावे	—24	—8.9	—90	—36.6	117	47.6	—102	—65.4
(ख) राज्य सरकारों की जमाराशियां	—	—	—5	—33.3	—2	—13.3	5	50.0
(आ) सरकार को अन्य बैंकों का ऋण	5,786	22.7	5,490	17.5	2,583	8.2	2,348	6.4
2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक का ऋण (अ+आ)	12,389	13.3	20,531	19.5	4,538	4.3	3,766	3.0
(अ) वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का ऋण**	377	11.0	1,144	30.1	1	—	—528	—10.7
(आ) वाणिज्य क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण	12,012	13.4	19,387	19.1	4,637	4.5	4,294	—3.5
3. बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां (अ+आ)	682	14.2	637	11.6	—1,471	—26.9	64	1.0
(अ) रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	673	14.6	637	12.1	—1,471	—27.8	64	1.1
(आ) दूसरे बैंकों की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	9	4.6	—	—	—	—	—	—
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	188	15.8	76	5.5	34	2.5	—	—
5. मीयादी जमाराशियों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं (अ+आ)	4,043	13.6	5,388	15.9	989	—2.9	2,305	5.9
(अ) रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं	1,019	7.9	2,431	17.5	659	4.7	346	2.1
(आ) अन्य बैंकों की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं (अवशिष्ट)	3,024	17.9	2,957	14.8	330	1.7	1,959	8.6

**मार्च के अंतिम सूचित शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित

*नाबार्ड की स्थापना के बाद से बैंकों को इनका पुनर्वित्त शामिल नहीं है।

@अनन्तिम

नोट : 1. चूंकि अलग-अलग मदों के आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं, इसलिए उनका जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं होगा।

2. अप्रैल-जून 1988 की तिमाही में घट-बढ़ 25 मार्च 1988 से 1 जुलाई 1988 की अवधि से संबंधित है।

6.10 वित्त वर्ष 1989-90 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान एम$_3$ में 5.2 प्रतिशत की दर में वृद्धि होकर यह 9,952 करोड़ रुपये रही जोकि पिछले वर्ष 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से 12,531 करोड़ रुपये की तुलना में कम थी। एम$_1$ में भी 1988-89 की तुलनीय अवधि में हुई 7.8 प्रतिशत की दर से 4,494 करोड़ रुपये की वृद्धि की अपेक्षा इस तिमाही में 6.4 प्रतिशत की दर से हुई 4,268 करोड़ रुपये की वृद्धि धीमी रही। एम$_3$ के घटकों में से जनता के पास मुद्रा में हुए विस्तार में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई वृद्धि की अपेक्षा अधिक वृद्धि दिखाई दी। बैंकों के पास मांग और मीयादी जमाराशियों के मामले में इस अवधि में अप्रैल-जून 1988 की इसी अवधि की तुलना में विस्तार की गति कम रही। संसाधन वार दृष्टि से सरकार को शुद्ध बैंक ऋण तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में धीमी वृद्धि दिखाई दी, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में युक्ति-युक्त वृद्धि आयी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में पर्याप्त गिरावट आयी थी।

प्रारक्षित मुद्रा

6.11 प्रारक्षित मुद्रायें (17.0 प्रतिशत की दर से) 9,046 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जोकि 1987-88 में (18.9 प्रतिशत की दर से बढ़कर) 8,483 करोड़ रुपये की अपनी उच्चतम सीमा पर थी। औसत के आधार पर, प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि दर 1987-88 के 20.8 प्रतिशत की अपेक्षा कुछ कम अर्थात् 16.7 प्रतिशत पर रही। घटकवार दृष्टि से जनता के पास मुद्रा की वृद्धि दर 1987-88 को 17.7 प्रतिशत की तुलना में घटकर 1988-89 में 14.3 प्रतिशत हो गयी। रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों में 21.9 प्रतिशत की दर से 3,904 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गयी, जबकि 1987-88 में (22.8 प्रतिशत की दर से) यह वृद्धि 3,301 करोड़ रुपये रही थी।

6.12 जहां तक प्रारक्षित मुद्रा के स्रोतों का सम्बन्ध है, सरकार को शुद्ध रिजर्व बैंक ऋण में, जोकि प्रारक्षित मुद्रा के विस्तार में प्रमुख कारक है, 13.7 प्रतिशत की दर से 7,225 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 1987-88 में 15.3 प्रतिशत की दर से इसमें 7,025 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के ऋण में 1988-89 में 2,395 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में यह वृद्धि 1,240 करोड़ रुपये की थी। (सारणी 6.2)।

6.13 राजकोषीय वर्ष 1989-90 की पहली तिमाही के दौरान प्रारक्षित मुद्रा की वृद्धि कुछ धीमी रही। यह 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़कर 3,809 करोड़ रुपये रही, जबकि 1988-89 की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 7.6 प्रतिशत की दर से 4,041 करोड़ रुपये रही थी। इसका मुख्य कारण था रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशियों में धीमी गति से वृद्धि तथा "अन्य" जमाराशियों में गिरावट।

मुद्रा का आयगत वेग

6.14 मुद्रा का आयगत वेग अर्थात् व्यापक मुद्रा (एम$_3$) के औसत से चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद का अनुपात, जोकि दीर्घ-कालीन गिरावट दर्शाता रहा है और जो 1980-81 के 2.67 से 1987-88 में 2.16 तक नियमित और निरन्तर रूप से गिरता रहा था, 1988-89 में आंशिक रूप से बढ़कर 2.18 हो गया (सारणी 6.3 तथा ग्राफ ए, बी और सी)।

कुछ मुद्रागत सम्बन्ध

6.15 मुख्य मुद्रागत अनुपातों की गतिविधि जैसे कि 1988-89 के दौरान सकल जमाराशियों से करेंसी (चलमुद्रा) (सी/एडी) अथवा एम$_3$ (एडी/एम$_3$) में कुल जमाराशियां सामान्यतया दीर्घकालीन प्रवृत्ति के अनुकूल थी, जिसमें सी/डी अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति चल रही थी

सारणी 6.2 : प्रारक्षित मुद्रा में घट-बढ़-घटक तथा स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़			
	1987-88	1988-89	1988-89 अप्रैल-जून	1989-90 अप्रैल-जून
1	2	3	4	5
प्रारक्षित मुद्रा (1+2+3+4)	8183 (18.9)	9046 (17.0)	4041 (7.6)	3809 (6.1)
1. जनता के पास मुद्रा	5065 (17.7)	4813 (14.3)	1761 (5.2)	2627 (6.8)
2. रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाराशियां	—55 (—15.6)	149 (50.2)	606 (204.0)	—44 (—9.9)
3. बैंकों के पास नकदी	172 (12.6)	180 (11.7)	276 (17.9)	284 (16.5)
4. रिजर्व बैंक के पास बैंकरों की जमाराशियां	3301 (22.8)	3904 (21.9)	1398 (7.9)	942 (4.3)
प्रारक्षित मुद्रा के स्रोत (1+2+3+4+5—6)				
1. सरकार को भा० रि० बैं० का शुद्ध ऋण	7025 (15.3)	7225 (13.7)	7836 (14.8)	6079 (10.1)
2. वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के दावे	1240 (46.1)	2395 (61.0)	—1700 (—43.3)	—1460 (—23.1)

1	2	3	4	5
3. वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक का ऋण	377 (11.0)	1144 (30.1)	1 (—)	—528 (—10.7)
4. रिजर्व बैंक की शुद्ध विदेशी मुद्रा आस्तियां	673 (14.6)	637 (12.1)	—1471 (—27.9)	64 (1.1)
5. जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	188 (15.8)	76 (5.5)	34 (2.5)	—
6. रिजर्व बैंक की शुद्ध मुद्रेतर देयताएं	1019 (7.9)	2431 (17.5)	659 (4.7)	346 (2.1)

*अनन्तिम

@नाबार्ड सहित

£सूचित मार्च महीने के अंतिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित

टिप्पणी : 1. चूंकि आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं इसलिए उनका जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं होगा ।

2. कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं ।

3. अप्रैल-जून 1988 तिमाही के लिए आंकड़ों में घट-बढ़ 25 मार्च 1988 से 1 जुलाई 1988 की अवधि से संबंधित हैं ।

सारणी 6.3 : आयगत वेग में प्रवृत्ति (मुद्रा एम$_1$ और एम$_3$ के अनुपात के अनुसार चालू बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद)

वर्ष	औसत @ (करोड़ रुपये)			आयगत वेग अनुपात		
	मुद्रा$_1$	एम$_2$	एम$_3$	स०दे०उ/ मुद्रा	स०दे०उ/ एम$_1$	स०दे०उ/ एम$_3$
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	1275	1862	2140	7.501	5.136	4.469
1960-61	1956	2725	3902	7.678	5.511	3.849
1970-71	4143	5941	10321	10.418	7.265	4.182
1979-80	10995	18475	43756	10.401	6.190	2.613
1980-81	12367	20865	50931	10.982	6.509	2.667
1981-82	13879	23919	59766	11.486	6.665	2.667
1982-83	15531	26563	68326	11.434	6.686	2.599
1983-84	18003	30449	80186	11.480	6.788	2.578
1984-85	21340	36034	94758	10.806	6.399	2.433
1985-86	23774	41043	110971	11.042	6.396	2.365
1986-87	26744	47102	130523	10.971	6.229	2.248
1987-88	31145	53988	152751	10.610	6.121	2.163
1988-89	35546	61897	178913	10.988	6.310	2.183

@महीनों के अंतिम शुक्रवारों के औसत; मार्च 1989 को छोड़कर उसके आंकड़े अंतिम सूचित शुक्रवार से संबंधित हैं ।

और एडी/एम$_3$ अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति । तथापि वृद्धिशील मुद्रा गुणक (एम$_3$/आरएम) जोकि प्रारक्षित राशि की अपेक्षाओं में परिवर्तन लाने के लिए समायोजित कर दिये गये थे, वर्ष 1988-89 के दौरान बिन्दुवार तथा औसत-वार दोनों आधारों पर बढ़े हैं । ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्यों वृद्धिशील करेंसी—जमाराशि अनुपात तथा वृद्धिशील बैंक प्रारक्षित राशि एवं जमाराशि अनुपात के योगदान को प्रदर्शित करते हैं । अन्य बातें समान होते हुए, करेंसी जमा अनुपात में गिरावट, मुद्रागुणक को बढ़ाता है, जोकि भारत में कुछ वर्षों तक, यहां तक कि 1988-89 में भी, मुद्रागत घट-बढ़ की प्रवृत्ति का एक लक्षण रहा है । जमा अनुपात के लिए बैंक प्रारक्षित राशियों में वृद्धि मुद्रागुणक को, जो कि हाल के वर्षों में नकदी प्रारक्षित अपेक्षाओं में धीरे-धीरे वृद्धि के कारण एक ज्ञात लक्षण बन गया था, दमित कर देती है । 1988-89 के दौरान जमा अनुपात से बैंक प्रारक्षित राशियों के अनुपात में गिरावट दिखाई देती है, क्योंकि अनेक बैंकों की चालू वृद्धिशील नकदी प्रारक्षित राशि की अपेक्षाएं तभी कम हो गयी जब इन बैंकों के नकदी प्रारक्षित अनुपात के लिए 15 प्रतिशत की सांविधिक उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लिया । इस प्रवृत्ति ने 1988-89 के दौरान वृद्धिशील मुद्रागुणक में वृद्धि करने में योगदान किया ।

बैंकिंग राशि में घट-बढ़

6.16 1988-89 वित्त वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में (13.7 प्रतिशत से) 22,041 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जोकि 1987-88 में (14.9 प्रतिशत से) हुई 15,321 करोड़ रुपये की वृद्धि से काफी अधिक थी । जैसाकि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है । 1987-88 के लिए जमाराशियों में वृद्धि को सरकारी प्रतिभूतियों में वापसी खरीद व्यवस्थाओं ने, जिनपर कि अप्रैल 1988 में रोक लगा दी गयी थी, मन्द कर दिया था । अतः 1988-89 में इन व्यवस्थाओं का और फैलाव हुआ ।

सारणी 6.4 : मुद्रा अनुपात–वृद्धिशील

मद	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बिन्दु आधार									
(क) चलमुद्रा/कुल जमा (सी/एडी)	0.259	0.166	0.263	0.289	0.246	0.176	0.182	0.298	0.204
(ख) चलमुद्रा/एम$_3$ (सी/एम$_3$)	0.208	0.145	0.208	0.222	0.194	0.153	0.153	0.230	0.168
(ग) कुल जमा/एम$_3$ (एडी/एम$_3$)	0.803	0.878	0.789	0.768	0.789	0.869	0.842	0.773	0.826
(घ) मुद्रा गुणक (एम$_3$/आरएम)	3.634	4.220	3.946	2.281	6.050	2.567	3.206	2.597	3.158
(ङ) मुद्रा गुणक (एम$_1$/आरएम)	1.362	0.962	1.438	0.793	2.480	0.619	1.090	0.781	0.935
(च) बैंक प्रारक्षित/कुल जमा (आर/आरडी)	0.093	0.131	0.054	0.269	0.059	0.297	0.183	0.204	0.173
औसत आधार									
(क) चलमुद्रा कुल जमा (सी/एडी)	0.235	0.205	0.238	0.264	0.301	0.176	0.179	0.247	0.203
(ख) चलमुद्रा/एम$_3$ (सी/एम$_3$)	0.191	0.171	0.193	0.208	0.229	0.150	0.152	0.198	0.168
(ग) कुल जमा/एम$_3$ (एडी/एम$_3$)	0.814	0.836	0.810	0.789	0.760	0.854	0.847	0.801	0.829
(घ) मुद्रा गुणक (एम2/आरएम)	3.579	3.658	3.963	3.548	2.958	3.108	3.198	2.587	3.140
(ङ) मुद्रा गुणक (एम2/आरएम)	1.192	1.264	1.224	1.163	1.134	0.960	0.991	0.801	0.949
(च) बैंक प्रारक्षित राशि/कुल जमाराशियां (आर/एडी)	0.116	0.130	0.076	0.090	0.130	0.206	0.189	0.234	0.178

टिप्पणी : बिन्दुवार आधार पर अनुपात मार्च के अंतिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित हैं, जबकि औसतवार आधार पर अनुपात-महीनों के शुक्रवारों के औसत आधार पर निकाले गए हैं । मार्च 1989 के मामले में आंकड़े अंतिम सूचित शुक्रवार से संबंधित हैं। इस सारणी में सभी अनुपात वृद्धिशील अनुपात हैं ।

6.17 जैसाकि पहले चर्चा की गयी है, अप्रैल 1988 के ऋण नीति सम्बन्धी उपायों में, कुल जमा राशियों की वृद्धि से सम्बन्धित कार्यसाधक अनुमान 1988-89 के 20,500 करोड़ रुपये (17.4 प्रतिशत) लगाया गया था । 1988-89 में वास्तविक वृद्धि स्पष्टतः कार्यसाधक अनुमान से ज्यादा थी (सारणी 6.5) । सातवीं योजना के पहले चार सालों में कुल जमाराशियों में वार्षिक औसत वृद्धि 16,961 करोड़ रुपये (18.0 प्रतिशत) थी । घटक-वार मांग और मीयादी दोनों जमाराशियों में क्रमशः 3,078 करोड़ रुपये (15.2 प्रतिशत) और 18,963 करोड़ रुपये (19.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । इसकी तुलना में 1987-88 में क्रमशः 1,019 करोड़ रुपये (5.3 प्रतिशत) और 14,302 करोड़ रुपये (17.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी ।

6.18 बैंक ऋण में 1988-89 में रु० 14,160 करोड़ (20.1 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि 1987-88 में 7,228 करोड़ रुपये 11.4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई थी । 1988-89 में खाद्य ऋण में 1,421 करोड़ रुपये गिरावट आयी क्योंकि खाद्यान्न की खरीद धीमी रही थी और सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्न के भंडार घट गये थे । तुलनीय रूप में यह कमी 1987-88 में 2,914 करोड़ रुपये थी । खाद्येतर ऋण उल्लेखनीय रूप से 15,581 करोड़ रुपये (22.8 प्रतिशत) अधिक रहे, जबकि इससे पहले वर्ष में यह वृद्धि 10,142 करोड़ रुपये (17.4) प्रतिशत थी । 1988-89 में जो विशाल वृद्धि हुई वह कुछ सीमा तक उत्पाद ऋण में वृद्धि के फलस्वरूप हुई जोकि अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि के कारण आयी । यह वृद्धि वास्तव में अर्थव्यवस्था के वास्तविक तथ्यों द्वारा अपेक्षित वृद्धि से काफी अधिक है और ऋण के आवश्यकता से अधिक फैलाव हो जाने पर चिन्ता व्यक्त की जा रही है ।

6.19 सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों में 8,158 करोड़ रुपये की वृद्धि 1987-88 में हुई 7,922 करोड़ रुपये की वृद्धि से काफी ज्यादा रही । बैंकों की हस्तगत नकदी और रिजर्व बैंक के पास उनकी शेष राशि में 3,858 करोड़ रुपये की वृद्धि से काफी ज्यादा रही । बैंकों की हस्तगत नकदी और रिजर्व बैंक के पास उनकी शेष राशि में 3,858 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि उससे पहले वर्ष में यह वृद्धि 3,407 करोड़ रुपये की थी । रिजर्व बैंक से बैंकों की उधार लेने की निर्भरता काफी बढ़कर 1,779 करोड़ रुपये हो गयी, जबकि इससे पहले वर्ष में यह 460 करोड़ रुपये की थी ।

सारणी 6.5 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों की वृद्धि

राजकोषीय वर्ष (करोड़ रुपये)

(अप्रैल-मार्च)	कुल जमाराशियों की वृद्धि
1	2
1985-86	13,160 (+18.2)
1986-87	17,320 (+20.3)
1987-88	15,321 (+14.9)
1988-89	22,041 (+18.7)
1985-86 से 1988-89 का औसत	16,961 (+18.0)

24 मार्च 1989 के आंशिक संशोधित आंकड़ों पर आधारित

टिप्पणी : ये वृद्धियां मार्च माह के अन्तिम शुक्रवार पर आधारित हैं, जबकि मार्च 1989 के मामले में आंकड़े अन्तिम सूचित शुक्रवार के हैं ।

सारणी 6.6 : महत्वपूर्ण बैंकिंग निर्देशक—अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(करोड़ रुपये)

मदें	निम्नलिखित तारीखों को बकाया राशि			निम्नलिखित वित्तीय वर्षों में घट-बढ़		तिमाही उतार-चढ़ाव	
						अप्रैल से जून	अप्रैल से जून
	25 मार्च 1988	24 मार्च 1989	30 जून 1989*	1987-88	1988-89	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल मांग एवं मीयादी देयताएं (इसमें रिजर्व बैंक/भा०औ०वि०बैं०/नाबार्ड से लिये गये उधार शामिल नहीं है)	1,31,951	1,56,562	1,64,935	+ 16,853	+ 24,611	+ 10,161	+ 8,373
2. कुल जमाराशियां (क+ख)	1,18,045	1,40,086	1,47,143	+ 15,321 (+ 14.9)	+ 22,041 (+ 18.7)	+ 9,272 (+ 7.9)	+ 7,057 (+ 5.0)
(क) मांग जमाराशियां	20,247	23,325	24,892	+ 1,109 (+ 5.3)	+ 3,078 (+ 15.2)	+ 1,724 (+ 8.5)	+ 1,567 (+ 6.7)
(ख) मीयादी जमाराशियां	97,798	1,16,761	1,22,251	+ 14,302 (+ 17.1)	+ 18,963 (+ 19.4)	+ 7,548 (+ 7.7)	+ 5,490 (+ 4.7)
3. रिजर्व बैंक से उधार	1,753	3,527	2,174	+ 460	+ 1,774	—1,351	—1,353
4. बैंक ऋण (क+ख)	70,536	84,696	88,397	+ 7,228 (+ 11.4)	+ 14,160 (+ 20.1)	+ 3,029 (+ 4.3)	+ 3,701 (+ 4.4)
क. खाद्य ऋण	2,190	769	1,659	—2,914	—1,421	—52	+ 890
ख. खाद्येतर ऋण	68,346	83,927	86,738	+ 10,142 (+ 17.4)	+ 15,581 (+ 22.8)	+ 3,081 (+ 4.5)	+ 2,811 (+ 3.3)
5. निवेश (क+ख)	46,504	54,662	57,515	+ 7,922 (+ 20.5)	+ 8,158 (+ 17.5)	+ 3,505 (+ 7.5)	+ 2,853 (+ 5.2)
क. सरकारी प्रतिभूतियां	30,517	35,815	38,128	+ 5,670 (+ 22.8)	+ 5,298 (+ 17.4)	+ 2,546 (+ 8.3)	+ 2,313 (+ 6.5)
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	15,987	18,847	19,387	+ 2,252 (+ 16.4)	+ 2,860 (+ 17.9)	+ 959 (+ 6.0)	+ 540 (+ 2.9)
6. हाथ में नकदी	1,306	1,444	1,718	+ 132	+ 138	+ 235	+ 274
7. रिजर्व बैंक के पास शेष राशियां	17,656	21,376	22,056	+ 3,275 (+ 22.8)	+ 3,720 (+ 21.1)	+ 1,355 (+ 7.7)	+ 680 (+ 3.2)
8. ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	59.8	60.5	60.1				
9. गैर-खाद्य ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	57.9	59.9	58.9				

*आंशिक रूप से संशोधित

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं ।

2. घटक वार मदों के जोड़ कुल जोड़ से मेल नहीं खायेंगे क्योंकि आंकड़े पूर्णांकित किये गये हैं ।

3. अप्रैल-जून 88 में घट-बढ़ 25 मार्च 88 से 1 जुलाई 88 तक की अवधि के सम्बन्धित हैं ।

जमाराशियों से इतर संसाधनों का प्रयोग

6.20 रिजर्व बैंक से काफी मात्रा में उधार लेने के अलावा, वाणिज्यिक बैंक 1988-89 के दौरान अन्य जमाराशियों से इतर संसाधनों का काफी बड़ी राशि का प्रयोग करते रहे । जैसा कि सारणी 6.7 से देखा जा सकता है, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियां जहां एक ओर 22,041 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गयीं, वहां उनकी कुल सकल मांग और मीयादी देयतायें (शुद्ध अन्तर्बैंक आस्तियां) भी 23,135 करोड़ रुपये बढ़ गयीं । इस प्रकार यह जमाराशियों से इतर संसाधनों के रूप में 1988-89 के दौरान 1094 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उपयोग दर्शाता है, जबकि इससे पिछले वर्ष में 1855 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पास वाणिज्यिक बिलों की अधिक मात्रा में पुनर्भुनाई की जो कि 1988-89 में 1,418 करोड़ रुपये तक पहुंच गये, जबकि पिछले वर्ष में यह केवल 656 करोड़ रुपये के थे । इस प्रकार पुनर्भुनाये गये बिलों को मिलाकर जमाराशियों से इतर संसाधनों का अतिरिक्त प्रयोग 1988-89 के दौरान 2.512 करोड़ रुपये बैठता है । यह उतनी ही राशि है जितनी की इससे पिछले वर्ष में प्रयोग में लायी गयी थी ।

फरवरी/मार्च 1989 के दौरान चलनिधि संबंधी समस्याएं

6.21 फरवरी/मार्च 1989 की अवधि के दौरान मुख्यतः खाद्येतर ऋण मे वृद्धि के कारण बैंक ऋण में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई। कुछ बैंकों को सांविधिक नकदी प्रारक्षित अनुपात बनाये रखने में कठिनाई उठानी पड़ी और इसलिए नकदी प्रारक्षित अनुपात में आयी कमी को पूरा करने के लिए मुद्रा बाजार से काफी राशि जुटानी पड़ी। कुछ बैंकों के पास अपने निवेश सविभाग में अधिशेष निधि (अर्थात् सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाये रखने के प्रयोजन के लिए आवश्यक राशि से अधिक निधि) थी। परन्तु उन्हें ऐसे निवेशों के समापन में कठिनाई महसूस हुई। ऐसे मामलों में समस्या यह थी कि आस्तियों की परिपक्वता की रूपरेखा और देयताओं की रूपरेखा म असंगति थी, क्योंकि इन बैंकों के पास खजाना बिलों की पर्याप्त धारिताएं नहीं थी जो कि आसानी से भुनायी जा सकीं। 1989 को बैंकों के वार्षिक खाते बन्दी के कारण थी, जोकि सभी वाणिज्य उद्यमों के भी खाते बन्दी की तारीख है, बैंकों को अपनी निधियों की व्यवस्था करने में कुछ समस्याएं आयीं और इससे मुद्रा बाजार मे असाधारण रूप से तंग स्थितियों में इसकी झलक मिली। बाजार में इस आर्थिक तंगी को रिजर्व बैंक द्वारा अपनी ओर से हस्तक्षेप करके, बढ़े हुए पुनर्वित्त के माध्यम से तथा डिस्काउन्ट एण्ड फाइनेन्स हाऊस के माध्यम से कुछ सीमा तक राहत पहुंचाई गयी।

31 मार्च, 1989 को समाप्त सप्ताह में बैंकिंग गतिविधियां

6.22 बैंकों के नये वित्त वर्ष के अन्तिम सप्ताह के दौरान जोकि 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुआ, कुल जमाराशियों और बैंक ऋण दोनों में क्रमशः 6,883 करोड़ रुपये (4.9 प्रतिशत) तथा 4,553 करोड़ रुपये (5.4 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि दिखायी दी (सारणी 6.8)। मांग जमाराशियों मे बैंकों के वित्त वर्ष के अन्तिम सप्ताह में बहुत तेज वृद्धि दिखायी दी जो 4,523 करोड़ रुपये (19.4 प्रतिशत) रही। ये वृद्धियां किसी आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने के संबंध में हुए लेनदेन प्रदर्शित नहीं करती बल्कि इन्हें हम इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं कि ये आंशिक रूप से जमाराशियों और सम्पत्तियों पर ब्याज लागू करने और आंशिक रूप से बैंकों के लेखाबंदी के फलस्वरूप है। 31 मार्च के आंकड़े मूलभूत मुद्रागत और ऋण संबंधी गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए अर्थपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इस रिपोर्ट में जो विश्लेषण किया गया है उसका आधार 24 मार्च, 1989 के आंकड़ों को बनाया गया है।

सारणी 6.7 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाराशियों से इतर संसाधन

(करोड़ रुपये)

मदें	मार्च के अन्तिम शुक्रवार को बकाया				घट-बढ़		
	1986	1987	1988	1989*	1986-87	1987-88	1988-89*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल जमाराशियां	85,404	102,724	118,045	140,086	+17,320 (+20.3)	+15,321 (+14.9)	+22,041 (+18.7)
2. सकल मांग और मीयादी देयतायें (डीटीएल)	97,024	115,098	131,951	156,562	+18,074 (+18.6)	+16,853 (+14.6)	+24,611 (+18.7)
3. बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	4,827	5,068	4,745	6,221	+241 (+5.0)	—323 —(6.4)	+1476 (+31.1)
4. सकल मांग मीयादी देयताएं अन्तर्बैंक आस्तियों को छोड़कर (2-3)	92,197	110,030	127,206	150,341	+17,833 (+19.3)	+17,176 (+15.6)	+23,135 (+18.2)
5. अन्तर (4—1)	6,793	7,306	9,161	10,255	+513 (+7.6)	+1,855 (+25.4)	+1,094 (+11.9)
6. अन्य उधार	168	105	273	262	—63 (+37.6)	+168 (+160.8)	—11 (—4.0)
7. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनर्भुनाये गये बिल@	562	722	1,378	2,830	+160	+656	+1,452
8. जमाराशियों से इतर संसाधन (5+7)	7,355	8,028	10,539	13,051	+673 (+9.2)	+2511 (+31.3)	+2512 (+23.8)
ज्ञापन मद							
यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम तथा डिस्काउंट हाउस से मांग मुद्रा सम्बन्धी उधार@	214	250	281	799	+36 (+16.8)	+31 (+12.4)	+518 (+184.3)

*आंशिक रूप से संशोधित, @ 24 मार्च, 1989 के अनुसार मार्च के अन्तिम सप्ताह से संबंधित विशेष विवरणियों और आंकड़ों पर आधारित रिजर्व बैंक, आ०औ०वि०बैं०, नाबार्ड तथा निर्यात आयात बैंक से इतर (अनुभाग 42 के आंकड़ों पर आधारित)

टिप्पणी—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत की घट-बढ़ दर्शाते है।

सारणी 6.8 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की चुनिंदा मदों में घटबढ़ : मार्च, 1989 के अन्तिम सप्ताह के आंकड़े

(करोड़ रुपये)

मदें	निम्न तारीखों को बकाया		घट बढ़	
	24 मार्च, 1989 (आं०सं०)	31 मार्च, 1989 (आं०सं०)	पूर्ण	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कुल जमाराशियां (क+ख)	140086	146969	+6883	+4.9
(क) मांग जमाराशियां	23325	27848	+4523	+19.4
(ख) मीयादी जमाराशियां	116761	119121	+2360	+2.0
2. बैंक ऋण (क+ख)	84696	89249	+4553	+5.4
(क) खाद्य ऋण	769	775	+6	+0.8
(ख) खाद्येतर ऋण	83927	88.474	+4547	+5.4

आं०सं०—आंशिक रूप से संशोधित

1989-90 की प्रथम तिमाही में प्रवृत्तियां

6.23 वित्त वर्ष 1989-90 की प्रथम तिमाही (30 जून, 1989 तक) के दौरान कुल जमाराशियों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई जो कि 7,057 करोड़ रुपये (5.0 प्रतिशत) थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 9,272 करोड़ रुपये (7.9 प्रतिशत) थी। मांग जमाराशियों में 1,567 करोड़ रुपये (8.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी तुलनीय अवधि में 1,724 करोड़ रुपये (8.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। मीयादी जमाराशियों में वृद्धि 5,490 करोड़ रुपये (4.7 प्रतिशत) हुई जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 7,548 करोड़ रुपये (7.7 प्रतिशत) की अपेक्षा कम रही। बैंक ऋण में उल्लेखनीय विस्तार हुआ जो 3,710 करोड़ रुपये (4.4 प्रतिशत) बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 3,029 करोड़ रुपये (4.3 प्रतिशत) बढ़ा था। खाद्य ऋण में 890 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 52 करोड़ रुपये की कमी आयी थी। यह प्रवृत्ति 1989 की रबी फसल के दौरान गेहूं की अधिक खरीद के अनुरूप है। खाद्येतर ऋण के विस्तार में 1989-90 की प्रथम तिमाही के दौरान 2,811 करोड़ रुपये (3.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जोकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान हुई 3,081 करोड़ रुपये (4.5 प्रतिशत) की तुलना में कम रही जिससे 1988-89 में जो खाद्येतर ऋण में उद्भूत व्यापक वृद्धि हुई थी उसे संयमित किया जा सका। बैंकों के निवेशों में 2,853 करोड़ रुपये (5.2 प्रतिशत) की थोड़ी-सी वृद्धि हुई, जबकि वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि 3,505 करोड़ रुपये (7.5 प्रतिशत) थी।

6.24 चूंकि 24 मार्च और 31 मार्च, 1989 के बीच उपर्युक्त वर्ष के अन्त में जो यह वृद्धि दिखायी दी है उसने 1989-90 की प्रथम तिमाही के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़ों में घट-बढ़ के आकार को प्रभावित किया है। इससे चुने गये आधार के कारण कमी की प्रवृत्ति दिखायी देती है। उदाहरण के लिए, यदि कुल जमाराशियों में 31 मार्च, 1989 को आधार मानकर चालू वर्ष की घट-बढ़ को निकाला जाये तो 30 जून, 1989 तक बढ़ी हुई राशि 174 करोड़ रुपये (0.1 प्रतिशत) बैठती है, जबकि यदि 24 मार्च, 1989 को आधार माना जाये तो इन घट-बढ़ों में 7,057 करोड़ रुपये (5.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है (सारणी 6.9)। ऐसे बड़े-बड़े अन्तर खाद्येतर ऋण जैसे अन्य घट-बढ़ों में भी देखने को मिलती है। इस संबंध में मुख्य लक्षण यह है कि 31 मार्च, 1989 से अब तक चालू वर्ष में मांग, जमाराशियों में 2,956 करोड़ रुपये की पूर्ण गिरावट आयी है जिससे मार्च, 1989 के अन्तिम सप्ताह में जो वृद्धि हुई थी वह लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गयी है।

सारणी 6.9 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की चुनिन्दा मदों के आंकड़ों में घट-बढ़; 1989-90 की प्रथम तिमाही

(करोड़ रुपये)

मदें	निम्न तारीखों को बकाया			घट-बढ़		
	24 मार्च, 1989 (आं०सं०)	31 मार्च, 1989 (आं०सं०)	30 जून, 1989 (अ०)	24 मार्च से 30 जून तक	31 मार्च से 30 जून तक	30 जून, 1989 (अ०)
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जमाराशियां (क+ख)	1,40,086	1,46,969	1,47,143	+ 6,883 (+4.9)	+7,057 (+5.0)	+174 (+0.1)
(क) मांग जमाराशियां	23,325	27,848	24,892	+4,523 (+19.4)	+1,567 (+6.7)	—2,956 (—10.6)
(ख) मीयादी जमाराशियां	1,16,761	1,19,121	1,22,251	+2,360 (+2.0)	+5,490 (+4.7)	+3,130 (+2.6)
2. बैंक ऋण (क+ख)	84,696	89,249	88,397	+4,553 (+5.4)	+3,701 (+4.4)	—852 (—1.0)
(क) खाद्य ऋण	769	775	1,659	+6 (+0.8)	+890 (+115.7)	+884 (+114.1)
(ख) खाद्येतर ऋण	83,927	88,474	86,738	+4,547 (+5.4)	+2,811 (+3.3)	—1,736 (—2.0)

आं०सं० = आंशिक संशोधन

अ० = अनन्तिम

ऋण का क्षेत्रवार वितरण

6.25 ऋण के क्षेत्रवार वितरण संबंधी आंकड़े सारणी 6.10 में दिये गये हैं। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 1988-89 के दौरान वृद्धिशील खाद्येतर सकल बैंक ऋण का उच्चतर अनुपात प्राप्त करने वाले व्यापक क्षेत्रों में मध्यवर्ती और बड़े उद्योग और थोक व्यापार (खाद्य से इतर) थे। वृद्धिशील ऋण में निर्यात ऋण का अंश भी पिछले वर्ष से काफी अधिक था। यह अनुपात 1988-89 के दौरान उत्पादन, व्यापारिक कार्यकलाप तथा निर्यातों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति के अनुरूप है।

सारणी 6.10: प्रमुख क्षेत्रों@ द्वारा सकल बैंक ऋण का क्षेत्रीय वितरण

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित को बकाया			घट-बढ़ (वित्तीय वर्ष)	
	27 मार्च, 1987	25 मार्च, 1988	27 मार्च, 1989	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
I. सकल बैंक ऋण (1+2)	62,569	70,260	85,678	+7,691	+15,418
1. सार्वजनिक खाद्य वसूली ऋण	5,104	2,190	769	—2,914	—1,421
2. खाद्येतर सकल बैंक ऋण	57,465	68,070	84,909	+10,605	+16,839
				(100.0)	(100.0)
(अ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	25,050	29,070	34,207	+4,020	+5,137
	[42.2]	[44.1]	[43.1]	[37.9]	(30.5)
(i) कृषि	10,570	12,009	13,948	+1,439	+1,939
	[17.8]	[18.2]	[176]	(13.6)	(11.5)
(ii) लघु उद्योग	9,108	10,820	13,127	+1,712	+2,307
				(16.1)	(13.7)
(iii) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	5,372	6,241	7,132	+869	+891
				(8.2)	(5.3)
(आ) उद्योग (मझोले और बड़े)	21,356	25,153	32,158	+3,797	+7,005
				(35.8)	(41.6)
(इ) थोक व्यापार (खाद्य वसूली के अलावा)	3,080	3,598	4,764	+518	+1,166
				(4.9)	(6.9)
(i) भारतीय कपास निगम	109	91	37	—18	—54
				(—0.2)	(—0.3)
(ii) भारतीय खाद्य निगम (उर्वरक ऋण)	149	171	203	+22	+31
				(0.2)	(0.2)
(iii) भारतीय जूट निगम	198	142	60	—56	—82
				(—0.5)	(—0.5)
(iv) अन्य व्यापार	2,624	3,194	4,465	+570	+1,271
				(5.4)	(7.5)
(ई) अन्य क्षेत्र	7,979	10,249	13,780	+2,270	+3,531
				(21.4)	(21.0)
II. निर्यात ऋण (मद 2 के अन्तर्गत शामिल)	3,146	3,917	6,142	+771	+2,225
III. शुद्ध बैंक ऋण (सहभागिता प्रमाण पत्रों सहित)	59,419	65,969	79,398	+6,550	+13,429
				(11.0)£	(20.3)£

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं, जिनका हिस्सा सकल बैंक ऋण में लगभग 95 प्रतिशत है। इसके अलावा सकल बैंक ऋण के इन आंकड़ों में रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, निर्यात-आयात बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पुन: भुनाये गये बिल और सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े खाद्येतर वृद्धिशील ऋण के अनुपात हैं।

3. चौकोर कोष्ठक में दिये गये आंकड़े शुद्ध बैंक ऋण (सहभागिता प्रमाणपत्रों सहित) के अनुपात हैं, जो मद III में दिये गये हैं।

@ अनन्तिम वार्षिक वृद्धि पर प्रतिशतों में

6.26 1988-89 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये बैंक ऋण में 5,137 करोड़ रुपये का विस्तार हुआ और वृद्धिशील आधार पर सकल बैंक ऋण का 30.5 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 37.9 प्रतिशत था। बैंक ऋण के शुद्ध प्रतिशत के रूप में मार्च 1989 के अंत में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम 40.0 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 43.1 प्रतिशत रहा। मार्च 1989 के अंत में कृषि को दिया गया ऋण 13,948 करोड़ रुपये (अर्थात् शुद्ध बैंक ऋण का 17.6 प्रतिशत) रहा।

6.27 लघु उद्योगों को 13,127 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रदान किया गया जो प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में दिये गये कुल अग्रिमों का 38.4 प्रतिशत होता है; अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्ग, छोटे परिवहन परिचालक, लघु व्यापार, व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति शामिल हैं। इन प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों का प्रदान किये गये अग्रिम बढ़कर 7,132 करोड़ रुपये हो गये, जो मार्च 1989 में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किये गये कुल अग्रिमों का 20.8 प्रतिशत होता है।

6.28 मध्यम और बड़े उद्योगों को प्रदान किये गये सकल बैंक ऋण 7,005 करोड़ रुपये (27.8 प्रतिशत) से बढ़कर 32,158 करोड़ रुपये हो गये, जबकि इसकी तुलना में एक वर्ष पहले वे क्रमशः 3,797 करोड़ रुपये (17.8 प्रतिशत) बढ़कर 25,153 करोड़ रुपये हो गये थे। पेट्रोलियम क्षेत्र को छोड़कर यह वृद्धि क्रमशः 7,138 करोड़ रुपये (28.6 प्रतिशत) और 3,753 करोड़ रुपये (17.7 प्रतिशत) थी।

6.29 सकल बैंक ऋण का उद्योगवार (लघु उद्योग सहित) वितरण सारणी 6.11 में दर्शाया गया है। अप्रैल-मार्च 1988-89 की अवधि के दौरान सकल बैंक ऋण में जिन उद्योगों ने वृद्धि का प्रमुख भाग प्राप्त किया है वे इस प्रकार हैं: इंजीनियरी समूह (1,908 करोड़ रुपये), रसायन समूह (1,714 करोड़ रुपये), अन्य वस्त्र (590 करोड़ रुपये), सूती वस्त्र (457 करोड़ रुपये) और अन्य धातु तथा धात्विक उत्पाद (423 करोड़ रुपये)। उत्पादन उद्योगों के संबंध में गिरावट की सूचना दी गयी है वे इस प्रकार हैं: पेट्रोलियम (133 करोड़ रुपये), कोयला (38 करोड़ रुपये) और जूट के वस्त्र (24 करोड़ रुपये)।

6.30 थोक व्यापार (सरकारी खरीद से इतर) को प्रदान किये गये अग्रिमों में अप्रैल-मार्च 1988-89 के दौरान 1,166 करोड़ रुपये (32.4 प्रतिशत) की भारी वृद्धि दर्ज की गयी, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान कम वृद्धि अर्थात् 518 करोड़ रुपये (16.8 प्रतिशत) दर्ज की गयी थी।

6.31 "अन्य क्षेत्र" में मुख्यतः सेवाएं शामिल हैं; जैसे होटल/रेस्तरां, सहकारी बैंक, पट्टेदारी कंपनियां, नगर निगम और व्यक्तिगत/स्टाफ ऋण शामिल हैं। इस क्षेत्र को दिये गये ऋण में 3,531 करोड़ रुपये (34.4 प्रतिशत) की वृद्धि परिलक्षित हुई, जबकि पिछले वर्ष इसकी तुलना में 2,270 करोड़ रुपये (28.4 प्रतिशत) की वृद्धि परिलक्षित हुई थी।

औद्योगिक ऋण और मालसूची

6.32 औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बैंक ऋण प्राप्ति की समीक्षा करते समय कंपनी वित्त के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के नमूना अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार कतिपय संबंधित वित्तीय अनुपातों की प्रवृत्तियां उल्लेखनीय हैं (सारणी 6.12)। कंपनी वित्त के संबंध में ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले दो वर्ष के स्तरों की तुलना में 1987-88 में बिक्री के प्रतिशत के रूप में मालसूची के स्तर में गिरावट आयी। मालसूची के प्रतिशत के रूप में बैंकों की अल्पकालीन उधार राशियों में 1985-86 और 1987-88 के दरम्यान कुछ बढ़ोत्तरी पायी गयी। इसके अतिरिक्त कंपनियों की शुद्ध व्यापार ऋण पर निर्भरता हमेशा बढ़ती रही, हालांकि हाल ही के वर्षों में उनमें थोड़ी-सी गिरावट आयी।

सारणी 6.11: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार वितरण@
(अन्तिम शुक्रवार को)

(करोड़ रुपये)

उद्योग	निम्नलिखित को बकाया			घट-बढ़ (वित्तीय वर्ष)	
	27 मार्च 1987	25 मार्च 1988	27 मार्च 1989	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
उद्योग (लघु उद्योग, मझौले और बड़े उद्योगों का जोड़)	30,464	35,973	45,285	+5,596 (+18.1)	+9,312 (+25.9)
1. कोयला	160	248	210	+83	—38
2. लोहा और इस्पात	1,601	1,824	2,242	+223	+418
3. अन्य धातुएं और धातु उत्पाद	1,021	1,203	1,626	+182	+423
4. सभी इंजीनियरिंग	7,675	8,697	10,605	+1,022	+1,908
5. बिजली	513	785	1,042	+272	+257
6. सूती वस्त्र	2,419	2,752	3,209	+333	+457
7. जूट वस्त्र	292	305	281	+13	—24
8. अन्य वस्त्र	1,773	2,152	2,742	+379	+590
9. चीनी	541	640	667	+99	+27
10. चाय	381	411	524	+30	+113
11. वनस्पति तेल (वनस्पति घी सहित)	378	440	599	+62	+159
12. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	224	235	297	+11	+62
13. कागज और कागज उत्पाद	768	854	1,139	+86	+285

1	2	3	4	5	6
14. रबड़ और रबड़ उत्पाद	501	557	748	+56	+191
15. रसायन, रंग, पेंट आदि जिनमें से उर्वरक					
	(844)	(913)	(1,013)	(+69)	(+100)
16. सीमेंट	461	503	688	+42	+185
17 चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	413	565	695	+152	+130
18. निर्माण	369	448	759	+79	+311
19. पेट्रोलियम	119	163	30	+44	—133
20. नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों से लिये गये जहाज	282	231	191	—51	—40
21. बाकी उद्योग	6,974	8,750	11,067	+1,776	2,317

@अनन्तिम

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत की घटबढ़ दर्शाते हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त ।

(i) निर्यात ऋण पुनर्वित्त

6.33 पहली जुलाई, 1988 को समाप्त पखवाड़े के दौरान निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमा 1,913 करोड़ रुपये के स्तर पर थी । इस स्तर से बढ़कर 30 जून, 1989 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के दौरान 4,346 करोड़ रुपये हो गयी । आलोच्य वर्ष के दौरान उपयोग अनुपात 3.4 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत के दरम्यान तेजी से घटता-बढ़ता रहा । जब पुनर्वित्त की गणना करने का आधार आगे लाया गया तब निर्यात पुनर्वित्त की सीमाएं बकाया निर्यात ऋण के प्रतिशत के रूप में कम हुईं, अर्थात् वे 26 अगस्त, 1988 को 48.3 प्रतिशत पर थे; इस स्तर से घटकर वे 9 सितम्बर, 1988 तक 39.1 प्रतिशत पर आ गये, परन्तु 30 जून 1989 को बढ़कर 62.5 प्रतिशत तक पहुंच गये । वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध के दौरान निर्यात पुनर्वित्त का उपयोग सामान्यतः उच्चतर रहा । फिर भी, 1988-89 में 2 दिसम्बर, 1988 को उपयोगिता न्यूनतम अर्थात् 144 करोड़ रुपये थी (उपयोगिता अनुपात 7.1 प्रतिशत), हालांकि मुद्रा बाजार की मजबूत परिस्थितियों में भी उपयोगिता बढ़कर 24 मार्च, 1989 को 2,874 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी (उपयोगिता अनुपात 95.7 प्रतिशत) ।

(ii) प्रतिस्थापन पुनर्वित्त

6.34 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने जुलाई और अक्तूबर 1988 के दरम्यान स्थानापन्न पुनर्वित्त सुविधा का उपयोग नहीं किया । नवम्बर 1988 के दरम्यान मंजूर की गयी 150 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा का पूरी तरह उपयोग किया गया था । जनवरी 1989 से जून 1989 तक की अवधि में बैंकों को फिर से स्थानापन्न पुनर्वित्त सीमाएं मंजूर की गयीं जो 29 करोड़ रुपये और 125 करोड़ रुपये के दरम्यान रहीं । इन सीमाओं का काफी हद तक उपयोग किया गया ।

सारणी 6.12 : बिक्री की तुलना में माल सूची का तथा माल सूची की तुलना में बैंक उधारों का अनुपात

(निजी क्षेत्र में सार्वजनिक सीमित कंपनियां)

(प्रतिशत)

अवधि	कम्पनियों की संख्या	बिक्री के प्रतिशत के रूप में कुल माल सूची	कुल माल सूची प्रतिशत के रूप में कच्ची सामग्री और पुर्जे	कुल माल सूची के प्रतिशत के रूप में अल्पावधि बैंक ऋण	कुल माल के प्रतिशत के रूप में कुल बैंक ऋण	फुटकर देनदार के प्रतिशत के रूप में फुटकर लेनदार	ऋण-इक्विटी अनुपात	ऋण इक्विटी अनुपात (पुनर्मूल्यन निधि के लिए समायोजित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्यम और बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां								
1975-76	1720	30.7	30.0	49.0	53.5	124.0	45.1	—
1976-77	1720	27.4	30.3	51.7	56.9	115.1	46.8	—
1977-78	1720	26.8	30.2	51.8	57.4	119.3	48.7	—
1980-81	1651	27.5	32.1	43.6	51.0	129.4	62.8	—
1981-82	1651	27.5	31.3	42.2	50.1	129.4	71.3	—
1982-83	1651	27.7	29.1	41.0	50.4	125.8	82.9	—
सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियां		(लघु, मध्यम और बड़ी)						
1982-83	1838	27.7	29.3	41.4	50.6	124.4	84.5	91.5
1983-84	1838	26.3	28.0	43.9	55.7	118.2	87.7	100.3
1984-85	1838	24.7	28.4	45.3	57.4	117.4	83.6	104.7
1983-84	1867	26.3	28.3	43.8	57.1	117.0	89.3	101.7
1984-85	1867	24.7	28.5	45.5	58.6	115.9	84.3	104.4
1985-86	1867	25.3	28.4	46.5	59.3	111.3	77.1	110.1

1	2	3	4	5	6	6	8	9
बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियां								
1975-76	415	30.4	31.9	47.2	51.1	119.2	45.3	—
1976-77	415	27.2	31.6	50.2	54.9	108.1	46.6	—
1977-78	415	26.3	32.2	50.3	55.1	112.0	48.2	—
1982-83	535	27.7	30.1	37.5	46.7	123.9	79.8	—
1983-84	535	25.8	30.0	40.0	52.1	114.3	82.5	—
1984-85	535	24.5	29.3	40.5	52.6	112.6	80.0	—
1985-86	621	25.8	29.2	40.0	51.7	110.4	74.3	103.7
1986-87	621	25.2	28.3	42.9	54.1	101.2	80.3	108.6
1987-88	621	24.5	28.9	42.0	52.9	102.6	83.5	111.8

(——) अनुपलब्ध

(iii) विवेकाधीन पुर्नवित्त

6.35 इस पूर्वानुमतिरहित सुविधा के अन्तर्गत बैंकों की पुनर्वित्त सीमाएं लगभग 925 करोड़ रुपये की थीं; दिसम्बर 1988 के अंत तक (नवम्बर 1988 में कुछ दिनों को छोड़कर) उनका उपयोग नगण्य रहा। इसका प्रभाव बैंकों की सविधाजनक नकदी स्थिति पर पड़ा। 17 फरवरी, 1989 से उन पुनर्वित्त सीमाओं को घटाकर 463 करोड़ रुपये कर दिया गया। जब कुछ बैंकों के समक्ष चलनिधि संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुईं तब उन्हें मार्च-अप्रैल 1989 के दौरान अतिरिक्त विवेकाधिकार पुनर्वित्त सीमाएं मंजूर की गयीं। मंजूर की गयी अतिरिक्त विवेकाधिकार पुनर्वित्त की सर्वाधिक राशि 252 करोड़ रुपये की थी। ये सीमाएं पूर्वानुमोदन के बाद प्रदान की गयी थीं। जुलाई 1988 से 16 जून, 1989 तक की अवधि के दौरान 31 मार्च, 1989 को विवेकाधिकार पुनर्वित्त सुविधा का अधिकतम उपयोग 616 करोड़ रुपये का था तथा इसका उपयोग अनुपात 83.2 प्रतिशत रहा।

(iv) 182 दिवसीय खजाना बिलों पर पुनर्वित्त

6.36 182 दिवसीय खजाना बिलों की जमानत पर पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत सीमाओं में क्रमिक बढ़ोतरी हुई। पहली जुलाई, 1988 को सीमाएं 125 करोड़ रुपये थीं जो बढ़कर 23 सितम्बर, 1988 को 304 करोड़ रुपये हुईं तथा उसके बाद घटकर 30 जून, 1989 को 134 करोड़ रुपये हो गयीं। इस सुविधा के अंतर्गत स्थापित सीमाएं अनुमानिक थीं। भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह (डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस) के साथ लेनदेन उक्त सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त सुविधा से अधिक आकर्षक है और जिस सीमा तक बैंकों द्वारा भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह से सहायता ली जायेगी उस सीमा तक वे रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त का आहरण नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस सुविधा के अंतर्गत हाल ही में वास्तविक आहरण काफी कम रहे है।

पुनर्वित्त की समग्र स्थिति

6.37 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विभिन्न सुविधाओं के अन्तर्गत (जहाजरानी ऋण, शुल्क आहरण इत्यादि पर विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर) कुल पुनर्वित्त सीमाएं पहली जुलाई, 1988 को 2,946 करोड़ रुपये थीं, इनमें से उसी दिनांक तक केवल 176 करोड़ रुपये (6 प्रतिशत) का उपयोग हुआ। बाद की अवधि में कुल पुनर्वित्त सीमाओं में कुछ तेजी से वृद्धि हुई क्योंकि निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं में तेजी से विस्तार हुआ। 30 जून, 1989 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल पुनर्वित्त सीमाएं 4,974 करोड़ रुपये की थीं। उसी तारीख तक 1,988 करोड़ रुपये या मंजूर सीमाओं के 40 प्रतिशत का उपयोग हुआ। सारणी 6.13 में दर्शाये अनुसार, समग्रत: जनवरी-मार्च 1989 की तिमाही में पुनर्वित्त सीमा की उपयोगिता के सम्बन्ध में तीव्र वृद्धि हुई क्योंकि इसी अवधि के दौरान बैंकों को चलनिधि समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 27 मई, 1989 को उपयोगिता का सर्वोच्च स्तर 4,292 करोड़ रुपये का था तथा उपयोगिता अनुपात 92.2 प्रतिशत था।

सारणी 6.13 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक की ऋण सहायता

(जहाजरानी ऋणों पर विशेष पुनर्वित्त तथा शुल्क वापसी को छोड़कर)

(करोड़ रुपये)

सूचित अन्तिम शुक्रवार को	निर्यात ऋण पुनर्वित्त		आपाती पुनर्वित्त		विवेकाधीन पुनर्वित्त		182 दिवसीय खजाना बिल पुनर्वित्त		कुल पुनर्वित्त		
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1988											
मार्च	1,747.5	1,337.6	16.0	—	935.0	115.7	92.6	58.5	2,791.1	1,511.8	2,028.0 (मार्च 3)
जून	1,958.6	425.1	—	—	908.0	0.4	105.7	—	2,972.3	425.5	1,880.0 (मई 24)
सितम्बर	1,573.9	720.2	—	—	925.0	1.7	304.3	—	2,803.2	721.9	1,737.0 (जुलाई 7)
दिसम्बर	2,126.1	1,423.3	—	—	925.0	0.6	184.2	—	3,235.3	1,423.9	2,391.0 (नवंबर 11)
1989											
मार्च	3,002.1	2,873.8	74.0	54.0	462.5	365.0	53.2	21.2	3,591.8	3,314.0	3,314.0 (मार्च 24)
जून	4,345.8	1,987.8	9.0	—	484.5	—	134.3	—	4,834.7	1,981.8	4,292.1 (मई 27)

टिप्पणी : खाद्य पुनर्वित्त के अंतर्गत किसी प्रकार का उपयोग नहीं हुआ क्योंकि बकाया खाद्य ऋण न्यूनतम स्तर के नीचे ही रहा।

ऋण बजट

6.38 आलोच्य वर्ष के दौरान 57 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण बजटों की जांच की गयी। मई-अगस्त 1989 के दौरान 21 सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा 3 विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ चर्चा आयोजित की गयी। चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि 1988-89 में बैंकों का ऋण विस्तार संशोधित ऋण बजट के अनुमानों से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी विशेष उल्लेख किया गया कि अनेक बैंकों ने अपने संसाधनों की वृद्धि के अनुपात में अधिक ऋण दिया और इससे बैंकों के सामने चलनिधि संबंधी समस्यायें उत्पन्न हुई। अतः बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी प्रारक्षित निधि सम्बन्धी अपेक्षाओं को बड़ी सावधानी से सुनिश्चित करें क्योंकि अपेक्षायें पूरी न करने वालों की लागत काफी अधिक है। इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि बैंकों की संरचनागत निर्भरता मुद्रा बाजार पर नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की उधार राशियों को उत्पाद आधार पर एक या दो दिनों के समूह के रूप में न रखा जाए। बैंकों को बताया गया कि यदि उन्होंने रिजर्व बैंक से विवेकाधीन या प्रतिस्थापन पुनर्वित्त आहरित किया हो तो वे मुद्रा बाजार में राशि उधार नहीं दे सकते। बैंकों को यह भी सलाह दी गयी कि वे 182 दिवसीय खजाना बिलों में अधिक मात्रा में निवेश करें जिससे कि आस्तियों और देयताओं के आवधिक विन्यास में बेहतर संतुलन बनाये रखा जा सके। बैंकों को बताया गया कि वे मुद्रा बाजार के जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्य पत्र जैसी नयी लिखतों के लिए स्वयं को तैयार रखें। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि उचित विचारविमर्श करने के बाद ही इन लिखतों का मूल्य निर्धारित करें। अंत में, इस बात का भी जिक्र किया गया कि ऋण बजट तभी सार्थक हो सकता है जब वास्तविक ऋण कार्यकलाप ठीक ऋण बजटों के अनुरूप हो।

अल्पावधि मुद्रा बाजार की गतिविधियां

6.39 आलोच्य वर्ष के दौरान अल्पावधि मुद्रा बाजार की गतिविधियां उल्लेखनीय रहीं। मुद्रा बाजार की गतिविधियों के संबंध में किये गये उपायों का जिक्र ऋण नीति सम्बन्धी गतिविधियों की समीक्षा करते समय पहले ही कर दिया गया है। फिर भी, आलोच्य वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार की कुछ गतिविधियां नीचे दी जा रही हैं:

(i) भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह

6.40 भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह (डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया) की स्थापना एक विशेषकृत मुद्रा बाजार संस्था के रूप में की गयी है। इस संस्था का मूल उद्देश्य मुद्रा बाजार की लिखतों को नकदी निधि प्रदान करके मुद्रा बाजार की गतिविधियों को तेज करना है। इस संस्था ने 25 अप्रैल, 1988 से अपना कारोबार प्रारंभ कर दिया है। 182 दिवसीय खजाना बिलों का लेनदेन और वाणिज्य बिलों की पुनर्भुनाई के माध्यम से भारतीय मितिकाटा और वित्तगृह लिमिटेड मुद्रा बाजार की लिखतों में गौण-बाजार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

6.41 1988-89 में 182 दिवसीय खजाना बिल और वाणिज्य बिलों की उक्त संस्था की धारिता दिसम्बर 1988 तक कम रही, परंतु उसके बाद उसमें काफी तेजी से वृद्धि हुई और मार्च 1989 के अंत तक उसकी धारिता 382 करोड़ रुपये के खजाना बिलों और 628 करोड़ रुपये के वाणिज्य बिलों की थी। जून 1989 तक इन मुद्रा बाजार आस्तियों की धारिता उल्लेखनीय रूप से कम हो गयी (सारणी 6.14)।

सारणी 6.14: भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह द्वारा 182 दिवसीय खजाना बिलों और वाणिज्य बिलों की धारिता

(करोड़ रुपये)

माह के अंत में	182 दिवसीय खजाना बिल	वाणिज्य बिल
1	2	3
1988-89		
अप्रैल	10.34	—
मई	0.25	0.02
जून	1.31	0.02
जुलाई	73.50	—
अगस्त	69.25	—
सितम्बर	50.00	—
अक्टूबर	30.25	—
नवम्बर	30.75	8.00
दिसम्बर	159.50	8.00
जनवरी	94.80	1.50
फरवरी	292.50	85.50
मार्च	381.80	627.79
1989-90		
अप्रैल	165.97	133.00
मई	256.01	231.85
24 जून	27.56	113.80

6.42 भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह लिमिटेड न केवल इन आस्तियों का मात्र धारक बना रहा है बल्कि मुद्रा बाजार की आस्तियों की बिक्री बढ़ाने का प्रयास भी वह करता रहा। इस उद्देश्य के अनुरूप इस संस्था ने 1988-89 में 182 दिवसीय खजाना बिलों के संबंध में 11,024 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 1988-89 में मुद्रा बाजार प्रणाली में इन खजाना बिलों की मासिक औसत बकाया राशि 612 करोड़ रुपये थी। इसका अर्थ यह है कि भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह बैंकिंग तंत्र में खजाना बिलों की धारिता से अठारह गुना कारोबार

सारणी 6.15: भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह का 182 दिवसीय खजाना बिल और वाणिज्य बिलों का आवर्ती कारोबार

(करोड़ रुपये)

अवधि	खजाना बिल	वाणिज्य बिल
1	2	3
1988-89		
अप्रैल	22.52	0.48
मई	189.81	1.76
जून	568.37	1.76
जुलाई	1,362.50	1.78
अगस्त	2,246.15	2.24
सितम्बर	3,064.00	13.24
अक्टूबर	3,684.05	15.24
नवम्बर	4,519.65	674.24
दिसम्बर	5,254.50	770.24
जनवरी	6,614.10	880.74
फरवरी	8,432.00	1,242.74
मार्च	11,024.24	2,865.64
1989-90		
अप्रैल	2,429.23	2,038.39
मई	4,075.80	3,099.44
जून (24 तक)	5,028.74	3,958.41

करने में सफल रहा। 1989-90 (24 जून तक) में इसका खजाना बिलों में गृह का संचयी कारोबार 5,029 करोड़ रुपये था।

6.43 भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह का वाणिज्य बिलों का कारोबार अक्टूबर 1988 तक 15 करोड़ रुपये का रहा जो केवल नाममात्र का था। परन्तु व्युत्पन्न मीयादी वचन पत्र (डिराइवेटिव यूसेंस प्रामिसरी नोट), जिसकी आगे चर्चा की गयी है, प्रारंभ करने के बाद इस गृह के संचयी कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा वह 1988-89 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए 2,866 करोड़ रुपये हो गयी (सारणी 6.15), अप्रैल—जून 1989 की तिमाही के दौरान (अर्थात् 24 जून 1989 तक) कुल कारोबार 3,958 करोड़ रुपए का था।

6.44 भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह को जुलाई 1989 से मांग मुद्रा बाजार में लेनदेन करने की अनुमति दी गयी। 1988-89 में इस गृह ने कुल 20,362 करोड़ रुपये का संचयी अर्थात् 82 करोड़ रुपये प्रतिदिन का कारोबार किया। 1989-90 में पहली जुलाई 1989 तक की इस गृह का कुल संचयी कारोबार 21,625 करोड़ रुपये हो गया जो 1988-89 में हासिल किये गये कुल कारोबार से पहले ही अधिक हो गया था।

6.45 अप्रैल-जून 1989 की तिमाही के दौरान मुद्रा बाजार परिसम्पत्तियों में गृह का कुल कारोबार काफी अधिक रहा इससे यह स्पष्ट होता है कि 1989-90 के सम्पूर्ण वर्ष में गृह के कारोबार संबंधी कार्यकलाप 1988-89 के कार्यकलापों की तुलना में निश्चय ही उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित करेंगे।

6.46 भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह के अधिकार क्षेत्र में निधियां बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने 182 दिवसीय खजाना बिलों तथा पात्र वाणिज्यिक विनिमय बिलों की धारिता की संपार्श्विक प्रतिभूतियों की जमानत पर पुनर्वित्त की सीमाएं प्रदान की हैं ताकि यह गृह मुद्रा बाजार में विकासशील और स्थिरीकरण दोनों ही भूमिकायें निभा सके। रिजर्व बैंक द्वारा 182 दिवसीय खजाना बिलों की जमानत पर मंजूर की गयी पुनर्वित्त की सीमा चरणबद्ध रूप से बढ़ायी गयी। अप्रैल 1988 में वह 50 करोड़ रुपये के स्तर पर थी, इस स्तर से बढ़ाकर वह मार्च 1989 में 400 करोड़ रुपये कर दी गयी (सारणी 6.16)। इसी प्रकार वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर की गयी पुनर्वित्त की सीमा सितम्बर 1988 में 50 करोड़ रुपये थी; इस स्तर से बढ़ाकर उसे मार्च 1989 में 550 करोड़ रुपये कर दिया गया। सम्पूर्ण वर्ष के दौरान इस गृह को मंजूर की गयी पुनर्वित्त सीमाओं का सर्वोच्च स्तर कुल 950 करोड़ रुपये का रहा तथा 3 अप्रैल 1989 तक इन सीमाओं का उपयोग 902 करोड़ रुपये रहा। इस प्रकार रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दिये गये सीधे पुनर्वित्त में न केवल काफी बढ़ोतरी हुई (अर्थात् 125 करोड़ रुपये का प्रतिस्थापन पुनर्वित्त और 252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विवेकाधीन पुनर्वित्त) बल्कि मार्च-अप्रैल 1989 में रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली को काफी मात्रा में संसाधन भी प्रदान किये ताकि इस अवधि के दौरान बैंकों के समक्ष आयी नकदी की कठिनाई दूर की जा सके। भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों से सहायता संघ आधार पर 100 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने का प्राधिकार भी दिया गया है। इस ऋण की ब्याज दर 12.00 प्रतिशत वार्षिक होगी। किन्तु इस ऋण व्यवस्था का कार्यान्वयन होना अभी बाकी है।

6.47 रिजर्व बैंक द्वारा इस गृह को दिये जाने वाले पुनर्वित्त पर लागू की गयी ब्याज दरों में काफी लचीलापन था। खजाना बिलों पर दी जाने वाली पुनर्वित्त सुविधा की ब्याज दरें अप्रैल 1988 में 9.50 प्रतिशत थीं जो बढ़ाकर मार्च 1989 में 11.00 प्रतिशत कर दी गयी। उसके बाद जून 1989 में इन्हें घटाकर 9.50 प्रतिशत कर दिया गया। वाणिज्य बिलों पर दिये जाने वाले पुनर्वित्त की ब्याज दर सितम्बर 1988 में 13 प्रतिशत थी, इस स्तर से उसे बढ़ाकर 1989 में 15.25 प्रतिशत कर दिया गया, तथा उसके बाद अप्रैल 1989 में उसे घटाकर 13.00 प्रतिशत कर दिया गया (सारणी 6.17)।

सारणी 6.16: भारतीय मितिकाटा और वित्त-गृह को दिया गया रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त

(करोड़ रुपये)

महीने के अंतिम दिन	182 दिवसीय खजाना बिलों के संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर पुनर्वित्त			अल्पावधि वाणिज्य बिलों पर पुनर्वित्त		
	सीमा	बकाया	माह के दौरान उपयोग का उच्चतम स्तर	सीमा	बकाया	माह के दौरान उपयोग का उच्चतम स्तर
1	2	3	4	5	6	7
1988						
अप्रैल	50.00	—	—	—	—	—
मई	50.00	—	—	—	—	—
जून	50.00	—	—	—	—	—
जुलाई	50.00	50.00	50.00 (30-7-88)	—	—	—
अगस्त	50.00	—	—	—	—	—
सितम्बर	50.00	—	—	50.00	—	—
अक्टूबर	50.00	—	30.18 (4-10-88)	50.00	—	—
नवम्बर	100.00	—	90.00	50.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7
दिसम्बर	100.00	—	(21-11-88)	50.00	—	—
1989						
जनवरी	100.00	—	52.67 (2-1-89)	50.00	—	—
फरवरी	250.00	250.00	250.00 (17-2-89)	100.00	26.32	73.39 (20-2-89)
मार्च	400.00	343 62	380.70 (21-3-89)	550 00	534.27	534.27 (31-3-89)
अप्रैल	250.00	150.27	361.62@ (3-4-89)	100.00	15.60	541.21* (4-4-89)
मई	250.00	230.41	248.41 (27-5-89)	200.00	58.29	147.43 (29-5-89)
जून	100.00	—	120.65 (8-6-89)	100 00	—	74.10 (5-6-89)

@ 3-4-1989 को सीमा : 400 करोड़ रुपये ।

* 4-4-1989 को सीमा : 550 करोड़ रुपये ।

सारणी 6.17 : भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह को रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये पुनर्वित्त के लिए ब्याज दरें

182 दिवसीय खजाना बिलों की धारिता पर पुनर्वित्त		वाणिज्य बिलों पर पुनर्वित्त	
लागू होने की तारीख	ब्याज दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	लागू होने की तारीख	ब्याज दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)
1	2	3	4
23 अप्रैल 1988	9.50	30 सितम्बर 1988	13.00
18 नवम्बर 1989	9.60	20 फरवरी 1989	13.50
8 फरवरी 1989	9.80	8 मार्च 1989	14.25
17 फरवरी 1989	10.00	15 मार्च 1989	15.25
18 मार्च 1989	10.50	11 अप्रैल 1989	15.00
20 मार्च 1989	11.00	12 अप्रैल 1989	14.50
11 अप्रैल 1989	10.25	19 अप्रैल 1989	14.00
3 जून 1989	10.00	27 अप्रैल 1989	13.00
6 जून 1989	9.75		
28 जून 1989	9.50		

(ii) वाणिज्य बिलों की पुनर्भुनाई

6.48 बैंक और वित्तीय संस्थाएं वाणिज्य बिलों को पुनर्भुनाई में काफी कठिनाई का अनुभव कर रही थीं । अतः ऐसे बिलों की पुनर्भुनाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सितम्बर 1988 में कार्यविधि संबंधी कतिपय परिवर्तन किये गये । इन परिवर्तनों के फलस्वरूप वाणिज्य बिलों की चलनिधि काफी बढ़ गयी । इससे मुद्रा बाजार को लिखत के रूप में बिल पुनर्भुनाई के विकास में भी मदद मिली । नयी कार्यविधि के अंतर्गत बैंक अपनी शाखाओं द्वारा पुनः भुनाये गये वास्तविक व्यापार बिल के आधार पर सुविधाजनक समूह और अवधि के मीयादी वचन पत्र जारी कर सकते हैं । इन मीयादी वचन पत्रों पर दोबारा मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क देना होता है जो बिल संस्कृति के विकास और प्रवर्धन के लिए गंभीर रूप से घातक है । अतः इस प्रकार जारी किये गये वचन पत्रों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को हटा दिया है । मीयादी वचन पत्रों को पुनर्भुनाई करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पृष्ठांकित कर के तथा उसे सुपुर्द कर के पुनः भुनाया जा सकता है । व्युत्पन्न मीयादी वचन पत्र प्रारंभ करने के फलस्वरूप बिलों की पुनर्भुनाई को काफी प्रोत्साहन मिला जैसा कि भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह कारोबार संबंधी अगामी कदमों से स्पष्ट होता है । बिल पुनर्भुनाई बाजार का क्षेत्र व्यापक बनाने के लिए 1988-89 में अनेक संस्थाओं को बिल पुनर्भुनाई बाजार में प्रवेश दिया गया । जिन नई संस्थाओं को इस बाजार में प्रवेश दिया गया वे इस प्रकार हैं : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कम्पनी लिमिटेड, भारतीय पर्यटन वित्त निगम और भारतीय निर्यात आयात बैंक लिमिटेड ।

182 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामी

6.49 182 दिवसीय खजाना बिलों की नीलामियां जून 1988 तक मासिक आधार पर होती थीं । 13 जुलाई 1988 से ये नीलामियां पाक्षिक आधार पर की जाने लगीं । प्रथम पांच महीनों के दौरान इन नीलामियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही, परंतु दिसम्बर 1988 से मार्च 1989 तक की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से यह उत्साह मंद हो गया । इससे मुद्रा बाजार की बदलती हुई परिस्थितियों का आभास मिलता है । कुछ नीलामियों को छोड़कर स्वीकार की गयी बोलियों से वार्षिक लाभ में आमतौर पर बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई । 13 जुलाई 1988 को आयोजित नीलामी से प्राप्त लाभ 9.5 प्रतिशत था जो इस स्तर से बढ़कर 27 जून 1989 को आयोजित नीलामी में 9.75 प्रतिशत वार्षिक हो गया । 29 जून 1989 को बकाया बिलों का कुल अंकित मूल्य बढ़कर 382.90 करोड़ रुपये हो गया, (सारणी 6.18) । पाक्षिक आधार पर नियमित रूप से नीलामियां आयोजित करने से अब बाजार में ऐसे खजाना बिल उपलब्ध हैं जिनकी अवधि समाप्ति एक निरंतर श्रृंखला के रूप में मानी जा सकती है । जैसा कि पहले बताया गया है भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह ने 182 दिवसीय खजाना बिलों को वस्तुतः सम्पूर्णतया नकदी जैसा बना दिया है और ये लिखतें अब सचमुच एक अल्पावधि मुद्रा बाजार की लिखतें बन गयी हैं ।

(iii) मांग मुद्रा दर को अधिकतम सीमा से मुक्त करना

6.50 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है भारतीय बैंक संघ (आइ० बी०ए०) ने पहली मई 1989 से मांग मुद्रा दर पर 10 प्रतिशत वार्षिक की उस उच्चतम सीमा को समाप्त कर दिया है जो अप्रैल 1980 में निर्धारित की गयी थी। मांग मुद्रा दर को उच्चतम सीमा से मुक्त रखने के कारण प्रारंभ में मांग मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में अत्यधिक उतार चढ़ाव आया। एक सूचनाधीन पखवारे के प्रारंभ में ब्याज दरें सर्वोच्च स्तर पर रहती हैं और उसी पखवारे के अंत में उनमें गिरावट आती है।

6.51 मांग मुद्रा दरों को मुक्त करने के बाद की प्रारंभिक अवधि में अर्थात् मई 1989 के उत्तरार्ध में दरों में 30–34 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई, उसके बाद दरें तेजी से घटकर 5 प्रतिशत के निम्न स्तर पर आ गयीं। इस बात पर ध्यान देना एक रोचक विषय है कि पहली मई 1989 को अधिकतम सीमा हटा लेने के बाद प्रारंभिक अवधि में, भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा दरें और बैंकों की मांग मुद्रा दरें 9 मई 1989 तक घनिष्ट रूप से परस्पर सम्बद्ध रहीं। उसके बाद बैंकों की मांग मुद्रा दरें बढ़कर 26 मई 1989 तक अत्यधिक उच्चस्तर पर पहुंच गयीं जबकि उक्त गृह की मांग मुद्रा दरों में इतनी तीव्र वृद्धि नहीं हुई। उधारकर्ताओं ने इतनी ऊंची दरों पर उधार लेना अलाभकारी पाया और उन्हें कम दरों पर निधियों के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हो गये। पुनः बैंकों के कम कम कामकाज का समय आने पर निधियों के लिए मांग कम हो गयी। इसी संदर्भ में 30 मई 1989 से बैंकों की मांग मुद्रा दर में गिरावट आयी और पुनः भारतीय मितिकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा दरों और बैंकों की दरों में मोटे तौर पर एक समानता आ गयी (सारणी 6.19)। यद्यपि हाल ही में मांग मुद्रा दर में गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है फिर भी उसमें अस्थिरता जारी है क्योंकि कुछ बैंकों की मांग भी काफी अस्थिर और समान है। मांग मुद्रा दर को अधिकतम सीमा से मुक्त करने से पहले, दरों पर अधिकतम सीमा के बावजूद एक मुश्त लेनदेनों के माध्यम से प्रायः इस दर का उल्लंघन किया जाता था।

सारणी 6.18 : भारत सरकार के 182 दिवसीय खजाना बिल

निलामी की तारीख	दी गई बोली		स्वीकृत बोली		100 रु० अंकित मूल्य के लिए उच्चतम मूल्य	उच्चतम लाभ (प्रतिशत वार्षिक)	पखवारे/माह के अंत में बकाया खजाना बिलों की कुल राशि
	संख्या	कुल मुद्रागत राशि (करोड़ रुपये)	संख्या	कुल मुद्रागत राशि (करोड़ रुपये)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1988							
जुलाई 13	25	126.50	12	68.50	95.49	9.45	378.75*
27	15	122.00	5	74.0	95.50	9.42	421.60@
अगस्त 10	21	189.25	12	109.25	95.49	9.45	530.85*
23	24	199.00	12	146.75	95.48	9.47	677.60@
सितम्बर 7	16	145.25	5	68.00	95.48	9.47	745.60*
21	14	126.50	8	72.50	95.47	9.49	805.10@
अक्टूबर 5	19	66.50	2	10.00	95.48	9.4[illegible]	815.10*
नवम्बर 18	23	115.05	7	35.30	95.48	9.47	778.30@
2	10	155.25	7	82.25	95.48	9.47	860.55*
16	14	60.05	10	27.05	95.47	9.49	797.35@
30	10	248.00	8	238.00	95.47	9.49	1035.35*
दिसम्बर 14	11	26.00	5	10.50	95.47	9.49	942.10*
28	8	28.00	6	20.00	95.47	9.49	962.10@
1989							
जनवरी 11	9	85.25	7	84.00	95.47	9.49	977.60*
24	7	14.35	4	12.10	95.47	9.49	915.70@
फरवरी 8	12	25.25	12	25.25	94.45	9.53	831.70*
22	8	14.65	8	14.65	95.42	9.60	699.60@
मार्च 8	2	5.15	2	5.15	95.50	9.42	636.75*
20	2	2.25	2	2.25	95.50	9.42	566.50@
अप्रैल 4	4	21.00	4	21.00	95.42	9.60	577.50*
19	9	69.00	9	69.00	95.41	9.62	611.20@
मई 3	12	40.50	12	40.50	95.40	9.64	569.45*
17	6	9.50	6	9.50	95.38	9.69	551.90@
31	9	18.50	9	18.50	95.35	9.75	322.40*
जून 14	11	16.25	6	8.50	95.35	9.75	330.40*
27	33	79.00	16	72.50	95.35	9.75	382.90@

*आंकड़े पखवाड़े की समाप्ति से संबंधित हैं।

@आंकड़े माह की समाप्ति से संबंधित हैं।

सारणी 6.19 : अधिकतम दर हटाने के बाद मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

दिनांक	भा०मि०वि०गृ. की दरें	अंतर बैंक बाजार दरें
1	2	3
4.5.1989	10.25—11.00	10.25—11.00
5.5.1989 (सू० शु०)	7.50—8.00	7.50—8.00
6.5.1989	12.25—12.50	12.50—14.00
9.5.1989	12.25—12.50	12.25—12.50
10.5.1989	12.25—13.25	13.50—14.50
11.5.1989	12.25—13.25	14.00—15.00
12.5.1989	12.25—13.75	15.00—16.50
13.5.1989	13.75	16.50—18.00
15.5.1989	13.75	18.00
16.5.1989	12.50—14.00	18.00—21.00
17.5.1989	12.50—14.50	15.50—21.00
18.5.1989	12.50—15.50	30.00
19.5.1989 (सू० शु०)	15.50—16.00	14.00—13.00
22.5.1989	16.50—17.00	23.00
23.5.1989	17.00	20.00—30.00
24.5.1989	17.00	30.00—34.00
25.5.1989	17.50	30.00—34.00
26.5.1989	17.50	30.00—34.00
27.5.1989	17.50	22.00—32.00
29.5.1989	18.00	25.00
30.5.1989	15.50—17.50	14.00—27.00
31.5.1989	11.00—15.00	10.00—13.00
1.6.1989	8.00—9.00	7.00—9.00
2.6.1989 (सू.शु.)	5.00	4.00—5.00
3.6.1989	15.50—16.00	15.50—16.00
5.6.1989	15.50—16.00	16.00—18.00
6.6.1989	13.50—16.00	12.50—16.00
7.6.1989	11.50—13.00	11.50—12.50
8.6.1989	11.75—12.00	11.50—12.00
10.6.1989	11.75—12.00	11.00—12.00
12.6.1989	11.25—11.50	10.50—11.50
13.6.1989	10.75	9.50—10.50
14.6.1989	9.00—9.25	9.00—9.25
15.6.1989	8.00—8.50	8.00—8.50
16.6.1989 (सू.शु.)	8.00	6.00—8.00
17.6.1989	11.75—12.00	11.00—12.00
19.6.1989	11.50—11.75	11.50—12.00
20.6.1989	11.25	11.25
21.6.1989	10.50	10.00—11.00
22.6.1989	9.50—9.75	9.50—9.75
23.6.1989	9.75—10.00	9.75—10.00
24.6.1989	9.75—10.00	9.75—10.00
26.6.1989	9.50	10.00
27.6.1989	9.75—10.00	9.50—10.00
28.6.1989	9.50—10.00	9.25—10.00
29.6.1989	8.00	5.00—8.00

*उधार की दरें

सू०शु०—सूचित शुक्रवार

7. मूल्य स्थिति की समीक्षा

7.1 यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में राजकोषीय वर्ष 1988-89 के दौरान मूल्य वृद्धि की समग्र दर संयत की गयी थी, फिर भी उसमें प्रच्छन्न मुद्रास्फीति की स्थिति बनी रही जो कि न केवल समीक्षाधीन वर्ष में बल्कि अगले वर्ष भी चिन्ता का विषय बनी रही। वर्ष 1988-89 में खरीफ की फसल के आने तक आपूर्ति की समग्र स्थिति तनावपूर्ण बनी रही परन्तु बहुत अच्छी फसल की आवक के बावजूद सामान्य मूल्य स्तर के दबाव में कोई तदनुरूप कमी नहीं आयी। यहां तक कि वर्ष 1989-90 की प्रथम तिमाही में भी मूल्यों पर भारी दबाव बना रहा। यद्यपि अंशतः इसका कारण 1989-90 के केन्द्रीय बजट में कुछ शासित पण्यों के मूल्यों, उत्पादन शुल्कों और रेल भाड़े में की गयी कुछ वृद्धियों को माना जा सकता है किन्तु फिर भी कृषि उत्पादन में हुए बहुत अच्छे सुधार के बावजूद कुछ पण्यों के मूल्य में आयी वृद्धि बहुत अधिक थी।

7.2 औसत के आधार पर, वर्ष 1988-89 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में केवल थोड़ी सी कम रही। पुनश्च, सामान्य उपभोग की वस्तुओं में बिन्दुवार आधार पर मूल्य वृद्धि बहुत ऊंची बनी रही। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों, चाय तथा चीनी समूह सहित अन्य खाद्य वस्तुओं जैसे कुछ मामलों में वृद्धियां पिछले वर्ष के मुकाबले भी अधिक रहीं। पिछले वर्ष की ऊंची वृद्धि के ऊपर दालों की कीमतों में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। पिछले वर्ष मूल्यों में हुई गिरावट के विपरीत चाय के मूल्यों में विशिष्ट वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में हुई वृद्धियां—बिन्दुवार आधार पर हों अथवा औसत के आधार पर—पिछले वर्ष की वृद्धियों के आस-पास बनी रहीं। यदि कतिपय पण्यों का आयात तथा खाद्यान्न स्टॉकों की काफी बड़ी निकासी न हुई होती तो संभवतः पिछले दो वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की दर और अधिक रही होती।

7.3 थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि (आधार : 1970-71=100), जो वर्ष 1986-87 के 5.3 प्रतिशत से दुगुनी होकर वर्ष 1987-88 में, जबकि देश ने एक भयंकर सूखे का सामना किया था, 10.6 प्रतिशत हो गयी थी, कृषि उत्पादन में हुए तीव्र सुधार तथा आपूर्ति एवं मांग प्रबंध संबंधी व्यापक नीतियों के जारी रखने के कारण वर्ष 1988-89 में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गयी। औसत के आधार पर, वर्ष 1987-88 की 7.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि 7.3 प्रतिशत थी जो कि मात्र थोड़ी सी कम थी।

7.4 वर्ष 1987-88 में हुई 9.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, वर्ष 1988-89 में बिन्दुवार आधार पर, औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (अक्टूबर 1988 से नये आधार अर्थात् 1982=100 के साथ*) 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसत के आधार पर, वर्ष के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई 9.1 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष के समान ही थी।

समूहवार प्रवृत्तियां

7.5 समूहवार एवं बिन्दुवार आधार पर, सभी तीनों मुख्य समूहों अर्थात् प्राथमिक वस्तुओं, "ईंधन, शक्ति, प्रकाश तथा स्नेहक एवं विनिर्मित उत्पादों" के थोक मूल्यों में वर्ष 1988-89 में गिरावट आयी। "प्राथमिक वस्तुओं" में यह गिरावट विशेष रूप से महसूस की गयी (वर्ष 1987-88

* अक्टूबर 1988 से श्रम ब्यूरो भारत सरकार द्वारा 1982=100 के आधार के रूप में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल सूचकांकों की एक नयी श्रृंखला शुरू की गयी है। 4.93 के योजक फैक्टर का नये सूचकांक से गुणा करके 1960=100 के आधार पर अखिल भारतीय सूचकांक का अनुमान लगाया जा सकता है।

के 13.2 प्रतिशत से वर्ष 1988-89 में 4.7 प्रतिशत) जो कि इस पण्य समूह की कुछ वस्तुओं के मूल्यों पर कृषि उत्पादनों में हुए तीव्र सुधार के अनुकूल प्रभाव को प्रकट करती है। विनिर्मित उत्पादों तथा 'ईंधन' समूहों में वर्ष 1988-89 में क्रमशः 8.7 प्रतिशत एवं 5.2 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1987-88 में 9.8 प्रतिशत एवं 6.4 प्रतिशत की तदनुरूपी वृद्धियां हुई थीं (सारणी 7.1)

सारणी 7.1 : मुख्य पण्य समूहों के थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार : 1970-71=100)

मुख्य समूह	थोक मूल्य सूचकांक						प्रतिशत में घट-बढ़			
	भार	मार्च 1987 के अंत में	मार्च 1988 के अंत में	मार्च 1989 के अंत में	जून 1988 के अंत में	जून 1989 के अंत में अ	राजकोषीय वर्ष		प्रथम तिमाही	
							1987-88	1988-89	1988-89 (कॉलम 4 की तुलना में कॉलम 6)	1989-90 (कॉलम 5 की तुलना में कॉलम 7)
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
सभी पण्य	1.000.00	378.2	418.4	446.3	428.0	462.8	+10.6	+6.7	+2.3	+3.7
प्राथमिक वस्तुएं	416.67	347.0	392.8	411.3	401.8	424.7	+13.2	+4.7	+2.3	+3.3
ईंधन, शक्ति, प्रकाश तथा स्नेहक	84.59	626.2	666.0	700.8	669.1	707.5	+6.4	+5.2	+0.5	+1.0
विनिर्मित उत्पाद	498.74	362.3	397.7	432.3	408.9	453.2	+9.8	+8.7	+2.8	+4.8

अ—अंनिम

चरणवार प्रवृत्ति

7.6 वर्ष 1988-89 के दौरान मूल्यों की चरणवार प्रवृत्ति संबंधी आंकड़े (सारणी 7.2)) यह प्रदर्शित करते हैं, कि मार्च के अंत तथा अगस्त के अंत के बीच, प्रथम चरण में 1987-88 की तदनुरूप अवधि के मुकाबले मूल्य वृद्धि कम थी। अगस्त के अन्त तथा नवम्बर के अंत के बीच, द्वितीय चरण में, जबकि सामान्यतः मूल्यों में गिरावट देखी जाती है वर्ष 1987-88 की मामूली गिरावट के विपरीत थोड़ी-सी वृद्धि प्रदर्शित हुई। तीन महीनों के इस द्वितीय चरण में अकेले अक्टूबर 1988 में ही लगभग 0.8 प्रतिशत की मौसम से विपरीत प्रकार की वृद्धि हुई। तत्पश्चात्, नवम्बर के अंत तथा मार्च के अंत के बीच के तृतीय चरण में मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई यद्यपि यह वृद्धि 1987-88 में हुई वृद्धि की तुलना में कुछ कम थी।

सारणी 7.2: थोक मूल्यों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव के तीन चरण

(आधार : 1970-71 1-00)

मदें	प्रथम चरण — मार्च के अंत से अगस्त के अंत तक		द्वितीय चरण — अगस्त के अंत से नवम्बर के अंत तक		तृतीय चरण — नवम्बर के अंत से मार्च के अंत तक	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7
सभी पण्य	+9.1	+4.4	—0.9	+0.2	+2.3	+2.0
प्राथमिक वस्तुएं	+13.8	+5.3	—1.6	+2.0	+1.1	+2.5
ईंधन, शक्ति, प्रकाश तथा स्नेहक	+1.3	+0.7	+0.3	+0.2	+4.7	+4.3
विनिर्मित उत्पाद	+7.6	+4.7	—0.6	—1.3	+2.6	+5.2

7.7 'प्राथमिक वस्तु' समूह के मामले में सामान्य मौसमी विचलन (पैटर्न) से भिन्न प्रवृत्ति देखी गयी। द्वितीय चरण के दौरान, वर्ष 1987-88 के सूखा वर्ष में भी हुई 1.6 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि मौसम के विपरीत थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सितम्बर तथा अक्टूबर 1988 में पंजाब तथा हरियाणा में व्यापक बाढ़ के कारण उत्तरी अनाज क्षेत्र में धान की उगाही तथा बाजार में उसकी आवक पर प्रभाव पड़ा जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सीमा तक मुद्रास्फीति विषयक अनुमानों को प्रेरणा मिली। तृतीय चरण में, 'प्राथमिक वस्तुओं' की कीमतों में 2.5 प्रतिशत की कमी आयी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में इनमें 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विनिर्मित उत्पाद समूह के मामले में, पिछले वर्षों के दौरान देखी गयी प्रवृत्तियों के अनुरूप ही मौसमी प्रवृत्तियां बनी रहीं, तथापि, तृतीय चरण में इस समूह में हुई मूल्य वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में दुगुनी थी।

सारणी 7.3: थोक मूल्यों के सूचकांकों में घट-बढ़

(आधार : 1970-71=100)

(बिन्दुवार)

प्रमुख समूह समूह उप समूह पण्य	भार	प्रतिशत घट-बढ़ निम्नलिखित वर्षों के दौरान			
		वित्तीय वर्ष		पहली तिमाही	
		1987-88	1988-89	1988-89 (अप्रैल-जून)	1989-90 (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5	6
सभी पण्य	1,000.00	10.6	6.7	2.3	3.7
1. प्राथमिक वस्तुएं	416.67	13.2	4.7	2.3	3.3
खाद्य वस्तुएं	297.99	11.0	8.9	3.0	4.2
(क) अनाज	107.43	16.1	8.7	0.9	0.3
(i) चावल	51.31	13.5	7.2	5.2	2.0*
(ii) गेहूं	34.17	15.9	11.4	—6.6	14.1*
(ख) दालें	21.79	32.1	20.4	13.7	4.7
(ग) फल और सब्जियां	61.32	4.3	1.0	2.3	11.2
(घ) दूध और दुग्ध उत्पाद	61.50	9.6	12.3	4.6	2.9
(ङ) अन्य खाद्य वस्तुएं	16.04	7.4	31.2	14.2	7.6
(i) चाय	11.49	10.6	50.8	15.3	6.8*
गैर-खाद्य वस्तुएं	106.21	22.9	—6.7	—0.8	1.0
(क) रेशे	31.73	29.5	2.6	—0.1	1.9
(i) कपास	22.46	35.3	—7.9	—0.8	—2.4*
(ख) तिलहन	42.01	27.0	—23.2	—0.2	3.8
खनिज	12.47	1.7	4.5	0.3	0.4
पेट्रोलियम, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	6.02	—	—	—	—
2. ईंधन, शक्ति, प्रकाश और स्नेहक	84.59	6.4	5.2	0.5	1.0
कोयला	10.39	17.6	13.1	—	—*
खनिज तेल	49.12	3.2	0.5	0.3	0.5
बिजली	24.00	7.4	10.6	1.2	2.4
3. निर्मित उत्पाद	498.74	9.8	8.7	2.8	4.8
चीनी, खांडसारी और गुड़	72.41	7.2	18.6	16.8	19.3
(i) चीनी	21.91	4.6	7.5	7.5	9.0*
(ii) गुड़	45.58	8.0	21.1	20.3	18.2*
(iii) खांडसारी	0.92	7.9	9.7	16.4	19.9*
खाद्य तेल	37.16	11.1	15.3	—4.0	8.7
सूती वस्त्र	81.02	9.7	8.1	0.6	3.0
सीमेंट	7.03	—1.5	5.4	10.1	6.8*
रसायन और रसायन उत्पाद	55.48	9.0	4.3	0.2	0.3
लोहा, इस्पात, और लौहमिश्र धातुएं	34.73	15.9	9.2	0.5	1.3

* 20 मई 1989 तक

पण्यवार घट-बढ़

7.8 बिन्दुवार आधार पर मूल्य प्रवृत्तियों का पण्यवार विश्लेषण सारणी 7.3 में दिया गया है। "प्राथमिक वस्तु" समूह में मूल्य वृद्धि 1988-89 में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम रही। इस समूह में, अनाजों में 8.7 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 1987-88 में हुई 16.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के मुकाबले काफी कम थी। अनाजों के समूह के अंतर्गत, उच्चतर उत्पादन तथा उगाही के कारण चावल के मूल्यों में वृद्धि पिछले वर्ष के मुकाबले आधे से थोड़ी-सी ज्यादा थी। यद्यपि पिछले वर्ष की स्पष्ट वृद्धि की तुलना में गेहूं के मूल्य में वृद्धि कम रही फिर भी उच्चतर उत्पादन के बावजूद खुले बाजार में उच्चतर मूल्यों के परिणामस्वरूप उगाही में आयी गिरावट के कारण यह महत्वपूर्ण रही। दालों के मामले में, पिछले वर्ष 32.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के ऊपर कीमतों में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि बढ़ी हुई मांग की तुलना में उपलब्धि कम थी। अक्तूबर 1988 में दालों के आयात शुल्क में 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत की वृद्धि के कारण भी कीमतों में वृद्धि हुई। यदि 8.3 लाख टन दालों का आयात न हुआ होता तो दालों के मूल्य में और अधिक वृद्धि होती। वर्ष 1987-88 की तीव्र वृद्धि के विपरीत कपास तथा तिलहनों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की कीमतों में, जिनमें 1987-88 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वर्ष 1988-89 में 12.3 प्रतिशत की और वृद्धि हुई, वर्ष 1987-88 की 10.6 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत वर्ष 1988-89 में चाय की कीमतों में 50.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्मित उत्पाद समूह के अंतर्गत, खाद्य तेलों की कीमतों में, जिनमें वर्ष 1987-88 में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वर्ष 1988-89 में 15.3 प्रतिशत की गिरावट आयी जिसका मुख्य कारण था तिलहनों की कीमतों में गिरावट। वर्ष 1987-88 की 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले चीनी, खांडसारी तथा गुड़ की कीमतों में 18.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। वर्ष के अधिकतर भाग में खांडसारी तथा गुड़ की कीमतें ऊंची बनी रहीं, क्योंकि इन दोनों पण्यों का उत्पादन कम रहा।

7.9 ईंधन समूह में, जिसमें वर्ष 1987-88 में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वर्ष 1988-89 में 5.2 प्रतिशत की और वृद्धि हुई जो कि मुख्यतः विद्युत प्रशुल्कों तथा कोयले की प्रशासित कीमतों में वृद्धि के कारण हुई।

भारित योगदान

7.10 थोक मूल्यों में सामान्य सूचकांक की औसत वृद्धि में भारित योगदान का उपाय (सारणी 7.4) यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 1987-88 के 49.7 प्रतिशत की तुलना में, सामान्य सूचकांक में 42.2 प्रतिशत की भारवाली प्राथमिक वस्तुओं ने वर्ष 1988-89 में मूल्य वृद्धि में 40.0 का योगदान किया। वस्तुतः केवल कुछ मुख्य पण्यसमूहों, जैसे कि तिलहनों तथा रेशों के कारण योगदान में अनुमानतः कमी आयी, कुछ सीमा तक दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद, अण्डे, मछली तथा मांस ने भी 'प्राथमिक वस्तु" समूह के योगदान को कम करने में सहायता की है। अनाजों तथा दालों जैसे उप-समूहों के योगदान में स्पष्टतः वृद्धि हुई। 8.0 प्रतिशत के भार वाले ईंधन, शक्ति, प्रकाश तथा स्नेहक समूह ने 10.2 प्रतिशत का उच्चतर योगदान किया जबकि वर्ष 1987-88 में इनका योगदान 6.7 प्रतिशत था। सामान्य सूचकांक में लगभग 50.0 प्रतिशत के भार वाले विनिर्मित उत्पाद समूह ने मूल्य वृद्धि में 49.9 प्रतिशत का उच्चतर योगदान किया जबकि वर्ष 1987-88 में इनका योगदान 43.6 प्रतिशत था। इस समूह के अंतर्गत, वर्ष 1988-89 में लोहा, इस्पात तथा लौह मिश्र धातुओं का 9.9 प्रतिशत का महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान रहा जबकि पिछले वर्ष इनके योगदान में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके बाद चीनी, खांडसारी तथा गुड़ (2.1 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 9.1 प्रतिशत) का स्थान आता है यद्यपि कुछ अन्य विनिर्माण की मदों ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया।

सारणी 7.4: थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक की वृद्धि में पण्य समूहों का भारित योगदान

(आधार : 1970-71 = 100) (प्रतिशत)

		(बिन्दुवार आधार पर)		(औसत के आधार पर)	
	भार	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
सामान्य सूचकांक में मूल्य वृद्धि		10.6	6.7	7.6	7.3
पण्य समूह		भारित योगदान			
सभी पण्य	1,000.00	100.0	100.0	100.0	100.0
1. प्राथमिक वस्तुएं	416.67	47.5	27.6	49.7	40.0
1. अनाज	107.43	11.8	10.2	8.5	12.3
2. दालें	21.79	7.1	8.6	6.6	12.9
3. फल तथा सब्जियां	61.32	2.8	--0.9	2.1	2.2
4. दूध तथा उसके उत्पाद	61.50	4.6	9.2	8.1	6.6
5. अण्डे, मछली तथा मांस	18.97	--	1.8	2.6	1.6
6. मसाले और गरम मसाले	10.94	2.6	0.4	2.7	3.8
7. अन्य खाद्य वस्तुएं	16.04	--1.1	6.4	--0.7	1.5
8. तिलहन	42.01	9.8	--15.4	14.3	-6.7
9. रेशे	31.73	5.6	0.9	10.2	2.1
2. ईंधन, शक्ति, प्रकाश और स्नेहक	84.59	8.4	10.6	6.7	10.0
10. कोयला खनन	11.47	3.3	4.3	1.3	4.2
11. खनिज तेल	49.12	2.4	0.5	0.8	2.9
12. बिजली	24.00	2.6	5.8	4.7	2.9
3. विनिर्मित उत्पाद	498.74	43.9	61.9	43.6	49.9
13. चीनी, खाण्डसारी और गुड़	72.41	4.6	18.1	--2.1	9.1
14. खाद्य तेल	37.16	4.2	--9.2	12.2	--6.0
15. सूती वस्त्र	81.02	5.3	7.0	7.0	5.3
16. सिल्क, कलात्मक सिल्क एवं कृत्रिम वस्त्र	12.83	1.5	3.6	2.2	3.3
17. जूट, सन तथा मेस्ता वस्त्र	12.14	1.3	2.9	1.1	2.7
18. अलौह धातुएं तथा मिश्र धातुएं	11.78	1.7	6.5	2.6	3.9
19. धातु उत्पाद	13.23	2.0	4.3	1.4	3.5
20. लोहा, इस्पात और तथा लौहमिश्र धातुएं	34.73	7.5	7.2	2.9	9.9

7.11 वर्ष 1989-90 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान सामान्य मूल्य स्तर में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 1988-89† की तदनुरूप तिमाही में हुई 2.3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अधिक थी। तिमाही के दौरान फलों, सब्जियों, चीनी समूह, खाद्य तेलों तथा सीमेंट के मूल्यों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी। अप्रैल-जून 1989 के दौरान, पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही की तुलना में तीनों मुख्य पण्य समूहों की कीमतों में अधिक वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलनीय तिमाही के 2.3 प्रतिशत के मुकाबले प्राथमिक वस्तु समूह में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत प्रशुल्कों में वृद्धि के कारण वर्ष 1988-89 की तुलनीय तिमाही के मुकाबले 'ईंधन' समूह में दुगुनी वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाही की 2.8 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 'विनिर्मित उत्पाद' समूह में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। निविष्टियों, जैसे कि कोयले, लोहे तथा इस्पात एवं अलौह धातुओं के प्रशासित मूल्यों में हुई वृद्धि तथा चीनी समूह के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि को विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि का कारण माना जा सकता है।

प्रशासित मूल्यों में परिवर्तन

7.12 कुल मांग और पूर्ति के प्रबंध से संबंधित नीतियों के अलावा, विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से समय-समय पर विशिष्ट पण्यों की कीमतों को नियंत्रित तथा अनुकूलित किया जाता है। ये उत्पाद समूह दो व्यापक समूहों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् कृषि मूल के आवश्यक पण्य तथा उद्योगों की मूल निविष्टियों के रूप में काम आने वाले उत्पाद।

(i) कृषि संबंधी कीमतें

7.13 कृषि पण्यों से संबंधित मूल्य नीति के दो उद्देश्य होते हैं कृषकों को लाभकर मूल्य प्रदान करना तथा साथ ही साथ उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को वस्तुओं की आपूर्ति करना। वर्ष 1988-89 के विपणन वर्ष के दौरान, सरकार ने कृषि पण्यों के लिए मूल्य वृद्धियों की एक श्रृंखला घोषित की। कुछ पण्यों से संबंधित उगाही/न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुए मुख्य परिवर्तन सारणी 7.5 में दिये गये हैं। अनाजों, दालों, तिलहनों तथा रुई के मामले में, उगाही न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुई वृद्धियां (प्रतिशत के रूप में) वर्ष 1988-89 में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण रूप में ऊंची रहीं। तथापि, रुई एवं पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में कम थी।

सारणी 7.5 : न्यूनतम समर्थन वसूली मूल्य

(प्रति क्विंटल रुपये)

कृषि वस्तुएं	1987-88		1988-89		प्रतिशत वृद्धि		1989-90		प्रतिशत वृद्धि	
	वसूली मूल्य	न्यूनतम समर्थन मूल्य	वसूली मूल्य	न्यूनतम समर्थन मूल्य	वसूली मूल्य	न्यूनतम समर्थन मूल्य	वसूली मूल्य	न्यूनतम समर्थन मूल्य	वसूली मूल्य	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
धान										
औसत प्रकार	150		160		+6.7		175		+9.4	
उत्तम	154		170		+10.4		185		+8.8	
अति उत्तम	158		180		+13.9		195		+8.3	
गेहूं	166		173		+4.2		183		+5.8	
ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी (उपयुक्त औसत प्रकार)	135		145		+7.4		155		+6.9	
जौ		135		135		--		145		+7.4
चना		280		290		+3.6		325		+12.1
अरहर, मूंग, उड़द		325		360		+10.8		400		+11.1
तिलहन										
छिलका सहित मूंगफली		390		430		+10.3		470		+9.3
सरसों		415		430		+3.6		460		+7.0
सूरजमुखी		390		450		+15.4		500		+11.1
सोयाबीन (पीला)		300		320		+6.7		350		+9.4
सोयाबीन (काला)		260		275		+5.8		305		+10.9
गन्ना@		18.5		19.5		+5.4		20		+2.6
रुई (उपयुक्त औसत प्रकार)		440		500		+13.6				
कपास (संकर-4)		550		600		+9.1				
पटसन@ (डब्ल्यू-5 ग्रेड असम के बाहर)		240		250		+4.2	280*		+12.0	
वीएफसी तंबाकू (एफ-2)@ काली मिट्टी			1125	1175		+4.4				

@सांविधिक न्यूनतम मूल्य

*टी०डी० 5 किस्म से संबंधित

†भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 1989 से 1981-82=100 के आधार पर थोकमूल्य सूचकांक संख्याओं की नयी श्रृंखला लागू की गयी।

7.14 वर्ष 1989-90 के विपणन मौसम के लिये, धान तथा गेहूं की औसत किस्म के उगाही मूल्यों में वृद्धि की गयी है तथा वृद्धियों की दरें पिछले मौसम की तुलना में अधिक हैं। मोटे अनाजों तथा उत्तम एवं अति उत्तम किस्म के धान के उगाही मूल्यों में भी पिछले मौसम में की गयी ऊंची वृद्धियों के ऊपर और अधिक वृद्धि की गयी है। दालों तथा तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी महत्वपूर्ण वृद्धियां की गयी हैं। तिलहनों में, मूंगफली तथा सूरजमुखी के समर्थन मूल्यों में, जिनमें वर्ष 1988-89 में महत्वपूर्ण वृद्धि की गयी थी, और अधिक वृद्धि की गयी है।

औद्योगिक कीमतें

7.15 औद्योगिक उत्पादों में प्रवर्तित मूल्य सामान्यतः लागतों में हुए परिवर्तनों के अनुसार अथवा कुछ मामलों में उपभोग को नियंत्रित करने के लिये समायोजित किये जाते हैं। निवेश विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते भी कभी-कभी ऐसे परिवर्तन किये जाते हैं।

7.16 वर्ष 1988-89 के दौरान, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला खनन, बिजली, लोहा, इस्पात तथा लौह मिश्र धातुओं, एवं अलौह धातुओं तथा मिश्र धातुओं—जैसे औद्योगिक उत्पाद समूह के कतिपय पण्यों के प्रशासित मूल्यों में भी वृद्धि की गयी। औसत के आधार पर थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में 13.1 प्रतिशत के भार वाले इन उत्पाद समूहों का भारित योगदान वर्ष 1987-88 के 12.3 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 1988-89 में 23.8 प्रतिशत था।

7.17 वर्ष 1988-89 के दौरान औद्योगिक मूल्यों में किये गये मुख्य संशोधन थे: कोयला (13.7 प्रतिशत), कच्चा लोहा और इस्पात (औसतन 8.0 प्रतिशत), सीमेंट लेवी मूल्य (12.0 प्रतिशत) तथा अल्यूमिनियम (17.5 प्रतिशत)। इसके अलावा, वर्ष 1989-90 के रेलवे बजट में मालभाड़े में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्र के बजट में पण्यों के व्यापक समूह पर 5 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के कारण मूल्यों पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की प्रवृत्तियां

7.18 वर्ष 1988-89 के दौरान औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मूल्य वृद्धि की दर बिन्दुवार आधार पर 8.6 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 1987-88 की दर से 1.2 प्रतिशत बिन्दु कम थी। औसत के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत थी जो कि पिछले वर्ष दर्ज की गयी वृद्धि जितनी ही थी। (सारणी 7.6)। बिन्दुवार आधार पर, वर्ष 1987-88 में हुई 10.2 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 'खाद्य मूल्य सूचकांक'* में वर्ष 1988-89 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसत के आधार पर, पिछले वर्ष की 9.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में खाद्य सूचकांक में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.19 शारीरिक श्रम करने वालों से इतर शहरी कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (आधार: 1984-85=100) वर्ष 1988-89 में बिन्दुवार आधार पर 7.0 प्रतिशत की तथा औसत के आधार पर 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1987-88 में इसमें क्रमशः 10.3 प्रतिशत तथा 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तथापि, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (आधार: 1960-61=100) वर्ष 1988-89 के दौरान औसत के आधार पर 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष की 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अधिक थी। अनेक अवसरों पर इस सूचकांक ने औद्योगिक कर्मचारियों तथा शारीरिक श्रम करने वालों से इतर कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तीव्र उतार-चढ़ाव की प्रवृत्तियां प्रदर्शित की हैं तथा इससे पूर्व कि इन आंकड़ों के आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकाले जाएं ऐसे बड़े अंतरों के कारणों की और अधिक जांच करने की आवश्यकता है।

7.20 वर्ष 1989-90 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान, बिन्दुवार आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष की तदनुरूपी तिमाही के 3.9 प्रतिशत के मुकाबले औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसत आधार पर भी उक्त तिमाही के दौरान हुई 7.7 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाही में हुई 9.8 प्रतिशत की वृद्धि से कम थी।

सारणी 7.6 : विभिन्न मूल्य सूचकांकों में यथापरिलक्षित मूल्य वृद्धि की वार्षिक दरें
(वार्षिक औसतों के आधार पर)

(प्रतिशत वृद्धि)

वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक	औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	शारीरिक श्रम करने वालों से इतर शहरी कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	कृषि श्रमिकों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	खाद्य वस्तुओं से संबंधित सूचकांक	
					थोक मूल्य सूचकांक का सम्मिश्र खाद्य सूचकांक *(भार: 13.1%)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का खाद्य सूचकांक (भार: 60.9%)
1	2	3	4	5	6	7
1981-82	+9.8	+12.4	+12.1	+12.4	+6.5*	+13.6
1982-83	+2.6	+7.7	+8.0	+5.1	+0.7	+6.7
1983-84	+9.5	+12.7	+10.0	+11.4	+13.7	+14.4
1984-85	+7.1	+6.1	+8.2	+0.3	+6.0	+4.5
1985-86	+5.7	+6.4	+6.7	+4.8	+7.0	+5.1
1986-87	+5.3	+8.8	+7.9	+4.7	+7.8	+9.7
1987-88	+7.6	+9.1	+8.9	+9.9	+8.2	+9.6
1988-89	+7.3	+9.1	+8.2	+12.7	+8.0	+9.1

*आधार: 1960=100 के अनुसार औद्योगिक कर्मचारियों से संबंधित खाद्य सूचकांक का आकलन 4.98 के योजक गुणक द्वारा खाद्य सूचकांक के आधार: 1982=100 का गुणाकार के किया जा सकता है।

थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रवृत्तियों में अंतर :

7.21 नौवें दशक के शुरू से मूल्य प्रवृत्ति में एक विशेषता यह देखी गयी है कि प्रायः प्रत्येक वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक के मुकाबले औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि दर अधिक रही है। यह विशेषता 1988-89 में भी देखी गयी। दोनों सूचकांकों को एक उभयनिष्ठ आधार अर्थात् 1980-81=100 में परिवर्तित करने के पश्चात् बढ़ते हुए अंतर को ग्राफ घ, ङ और च में दर्शाया गया है। ये सामान्य सूचकांकों की प्रवृत्ति (ग्राफ घ), वार्षिक औसत के आधार पर खाद्य समूहों के सूचकांक (ग्राफ ङ) तथा पिछले दो वर्षों 1987-88 एवं 1988-89 के लिये मासिक आधार पर सामान्य सूचकांक (ग्राफ च) प्रदर्शित करते हैं। चूंकि नौवें दशक के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के मुकाबले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वृद्धि दर अधिक तीव्र रही है अतः ग्राफ यह प्रदर्शित करते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वक्र रेखा सदा थोक मूल्य सूचकांक की वक्र-रेखा से ऊपर रही है और एक विशेष अवधि के दौरान इस अंतर में वृद्धि हुई है। ऐसा वर्ष 1988-89 में भी हुआ है। जब माहवार सूचकांक प्रदर्शित किये जाते हैं, जैसा कि ग्राफ च में किया गया है, तो ऐसा पाया जाता है, कि वर्ष 1988-89 के सभी 12 महीनों के दोनों सूचकांकों के बीच का अंतर वर्ष 1987-88 के तदनुरूप 12 महीनों के अंतर की तुलना में अधिक है।

7.22 थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच विद्यमान अनेक ढांचागत असमानताओं द्वारा उक्त असमानता की व्याख्या की जा सकती है। ये असमानताएं मूल्य सूचकांक संख्या निर्माण के कई पहलुओं जैसे कि भार विषयक ढांचा, पण्यों तथा वस्तुओं की व्याप्ति, थोक मूल्य सूचकांक में से सेवाओं तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में से पूंजीगत वस्तुओं के स्पष्टतः निष्कासन, उनकी भौगोलिक व्याप्ति तथा उनके आधार स्तरों से संबंधित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित भार नौकरी करने वाले वर्ग की जनसंख्या के उपभोग व्यय पर आधारित है तथा चुने हुए औद्योगिक केन्द्रों में किये गये पारिवारिक बजट सर्वेक्षणों पर आधारित हैं जबकि थोक मूल्य सूचकांक विषयक भार पूरे देश में प्राथमिक क्षेत्र में विपणन योग्य अधिशेष के मूल्य तथा गौण क्षेत्र में विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य पर आधारित हैं। दोनों श्रृंखलाओं के बीच स्थूल स्तर पर ढांचागत अंतर उनके खाद्य समूह संबंधी सूचकांकों में भी विद्यमान है खाद्य समूह का भार थोक मूल्य सूचकांक में 43.1 प्रतिशत है जबकि उपभोक्ता मूल्य समूह में इसका भार 60.9 प्रतिशत है। (1960 की श्रृंखला) तथा खाद्य समूह के भीतर थोक मूल्य सूचकांक में अनाजों का भार केवल 10.7 प्रतिशत है जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उनका भार 45.5 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले वर्षों के दौरान परिवहन तथा संचालन संबंधी लागतों, व्यापार मार्जिनों में भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। सब मिलाकर नौवें दशक में सामान्य उपभोग के पण्यों पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव रहा है और इसलिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि ऐसे पण्यों पर अधिक भार रखता है, अनिवार्यतः प्रतिशत संबंधी अधिक बड़ी वृद्धियां प्रदर्शित करेगा।

8. सरकारी वित्त

केन्द्र का समग्र घाटा :

8.1 पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1988-89 में केन्द्रीय सरकार का समग्र घाटा 7,940 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद का 2.0 प्रतिशत) था जो कि वर्ष 1987-88* के 7,484 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से थोड़ा अधिक था। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1988-89 के दौरान समग्र घाटा वर्ष 1988-89 की समग्र प्राप्तियों का 11.1 प्रतिशत था जबकि 1987-88 में यह 9.5 प्रतिशत था।

8.2 केन्द्रीय सरकार के कर राजस्व में 1987-88 में जो आधिक्य परिलक्षित हुआ था उसमें वर्ष 1988-89 में और अधिक वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व की वृद्धि को पीछे छोड़ते हुये योजना तथा योजनेतर दोनों ही प्रकार के व्यय में वृद्धि जारी रही। वर्ष 1988-89 के लिये पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार, केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1988-89 के बजट अनुमानों से राजस्व व्यय 2.8 प्रतिशत अधिक था। परिणामतः, राजस्व लेखे का घाटा 9,842 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,030 करोड़ रुपये हो गया फिर भी, पूंजी लेखे में हुई 732 करोड़ रुपये की वृद्धि से राजस्व लेखे के घाटे का आंशिक रूप से निवारण हो सका और इस लिए पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1988-89 में समग्र बजट घाटे में 456 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान किया गया था।

8.3 केन्द्र सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण, जिसे केन्द्र सरकार के राजकोषीय परिचालनों के मौद्रिक प्रभाव का परिमाण उपलब्ध कराने के लिए एक ज्ञापन के रूप में केन्द्रीय बजट द्वारा प्रस्तुत किया जाता रहा है, वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 8,200 करोड़ रुपये था। भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों के अनुसार सरकारी लेखाबंदी पर आधारित बाद के आंकड़े बजटीय घाटे तथा केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण दोनों के संबंध में वर्ष 1988-89 में अंतिम उत्पादन-मात्रा की महत्वपूर्ण कमी प्रदर्शित करते हैं, बजटीय घाटे के लिए पुनरीक्षित अनुमानों के 7,940 करोड़ रुपये के मुकाबले तथा केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण से संबंधित आंकड़े 6,503 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमानों में उल्लिखित 8,200 करोड़ रुपये के मुकाबले) हैं।

8.4 सरकारी लेखों के इन परिचालनों का एक स्वरूप यह रहा है कि पारंपरिक बजटीय घाटे के आंकड़े प्रायः पूरे वर्ष के दौरान बजट अनुमानों अथवा यहां तक कि पुनरीक्षित अनुमानों से अधिक रहे परन्तु सरकारी लेखे के बंद होने के समय वर्ष के अंतिम सप्ताह में उनमें पर्याप्त गिरावट आयी और ये गिरकर मूलतः परिकल्पित आंकड़ों के स्तर से काफी नीचे के स्तर तक पहुंच गये (सारणी 8.1)। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण के आंकड़े, वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में नीचे के स्तर पर गिरने से पूर्व, प्रत्येक वर्ष की दूसरी छमाही के अधिकांश के लिए मूलतः परिकल्पित आंकड़ों से काफी ऊपर रहे। सारणी 8.1 वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र के बजटीय घाटे तथा केन्द्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण से संबंधित पाक्षिक गतिविधियां प्रदर्शित करती है, सारणी में दिये गये आंकड़े तीनों वर्षों में से प्रत्येक के दौरान वास्तविक उत्पादन के वार्षिक एवं त्रैमासिक औसतों तथा बजटीय प्रत्याशा के साथ अपने पाक्षिक स्तरों की तुलना भी प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं।

8.5 बजट अनुमानों के अनुसार, केन्द्र का बजटीय घाटा वर्ष 1986-87 के मुकाबले 1987-88 में 53.6 प्रतिशत अधिक था और पुनः 1987-88 के मुकाबले 1988-89 में 31.6 प्रतिशत अधिक था। दोनों वर्षों में, भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार, वास्तविक घाटे के त्रैमासिक औसत 1987-88 और 1988-89 दोनों वर्षों की

सारणी 8.1 : केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्र सरकार को दिये गये भारतीय रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण के पाक्षिक स्तर@
(1986-87 से 1988-89 तक)

(करोड़ रुपये)

	केन्द्र का बजट घाटा			केन्द्र को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण		
	1986-87	1987-88	1988-89	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7
बजट अनुमान	3,703	5,688	7,484	*	5,688	7,484
पखवाड़ा (वास्तविक)						
1 ला	2,172	2,807	2,401	538	2,857	2,036
2 रा	3,160	4,128	3,782	994	3,388	3,508
3 रा	5,188	5,343	4,976	1,837	3,888	4,378
4 था	6,035	4,401	5,539	4,024	3,217	5,001
5 वां	7,212	6,475	6,134	3,026	4,807	4,180
6 ठा	7,298	6,144	7,525	2,952	5,088	6,976
7 वां	7,614	7,136	8,667	4,212	4,689	8,582
8 वां	6,198	5,699	9,468	4,037	4,283	9,035
9 वां	6,670	5,536	8,515	3,064	3,768	7,344
10 वां	7,008	6,778	9,300	4,353	4,377	8,331
11 वां	6,785	6,382	8,332	2,532	3,239	7,029
12 वां	7,483	7,446	9,897	2,555	4,879	7,355
13 वां	5,766	7,519	8,831	2,107	4,597	6,723
14 वां	6,876	5,825	9,438	3,393	3,560	7,253
15 वां	6,869	5,873	9,249	2,747	4,250	7,474
16 वां	7,639	7,180	9,079	4,557	5,187	6,424
17 वां	7,669	7,022	9,422	5,361	5,755	8,081
18 वां	9,321	8,965	10,308	6,241	6,174	7,875
19 वां	8,462	8,025	10,154	5,265	6,629	9,065
20 वां	9,538	7,445	8,546	5,508	6,622	8,060
21 वां	8,997	8,283	9,172	7,440	7,553	9,679
22 वां	8,963	8,200	9,134	6,943	7,313	9,334
23 वां	9,762	9,740	10,187	7,403	8,170	9,965
24 वां	11,277	8,334	9,437	7,624	7,496	9,742
25 वां	11,142	8,834	8,597	8,417	8,023	9,228
26 वां	8,873	7,953	7,184	7,433	7,423	8,175
मार्च 31	8,506	5,870	5,810	7,091	6,559	6,503
त्रैमासिक औसत						
प्रथम तिमाही	5,178	4,883	5,060	1,897	3,874	4,347
द्वितीय तिमाही	6,789	6,642	9,001	3,266	4,262	7,771
तृतीय तिमाही	7,806	7,148	9,457	4,594	5,259	7,747
चतुर्थ तिमाही	9,632	8,082	8,503	7,232	7,395	8,947
31 मार्च को छोड़कर चतुर्थ तिमाही	9,793	8,398	8,952	7,253	7,514	9,354
वित्तीय वर्ष का औसत	7,499	6,700	8,114	4,431	5,326	7,309
31 मार्च को छोड़कर वित्तीय वर्ष का औसत	7,461	6,826	8,203	4,332	5,278	7,340

@ रिजर्व बैंक के अभिलेखों पर आधारित ।

टिप्पणी : बजटीय आंकड़ों के अनुसार केन्द्रीय घाटा वर्ष 1986-87 में 8,261 करोड़ रुपये तथा 1987-88 में 5,816 करोड़ रुपये था ।

*अननुमानित

अंतिम तीन तिमाहियों में मूल बजटीय अनुमानों की अपेक्षा सदैव अधिक बने रहे (वर्ष 1986-87 एक असाधारण मामला था जिसमें यह सभी चार तिमाहियों के दौरान बजट से अधिक बना रहा)। ग्राफ छ, ज, झ, ञ और ट वास्तविक घाटों के इन स्वरूपों को प्रदर्शित करते हैं, जब से वर्ष अधिकांश भागों में गत बजट अनुमानों से ऊपर थे।

8.6 वर्ष 1989-90 के केन्द्रीय बजट में करारोपण की पुनरीक्षित दरों पर 7,337 करोड़ रुपये के न्यूनतर घाटे की प्रत्याशा की गयी है। तथापि, महत्वपूर्ण रूप से, वर्ष 1989-90 के चालू वर्ष में, 2 जून, 1989 के पास वास्तविक घाटा बजट राशि से ऊपर पहुंच गया है (सारणी 8.2)।

सारणी 8.2 बजट घाटा तथा केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण:

वर्ष 1989-90 तथा 1988-89 की प्रथम तिमाही के दौरान वास्तविक राशियां

(करोड़ रुपये)

	1989-90		1988-89	
	बजट घाटा	केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण	बजट घाटा	केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक का शुद्ध ऋण
1	2	3	4	5
बजट अनुमान	7,337	7,337	7,484	7,484
7 अप्रैल 1989 को	1,170	2,011	2,401	2,036
21 अप्रैल 1989 को	3,497	3,722	3,782	3,508
5 मई 1989 को	6,045	5,461	4,976	4,378
19 मई 1989 को	6,176	6,392	5,539	5,001
2 जून 1989 को	8,565	7,675	6,134	4,180
16 जून 1989 को	9,508	7,784	7,525	6,978
30 जून 1989 को	9,824	7,858	8,667	8,582

8.7 चूंकि प्रायः पूरे वर्ष के दौरान वास्तविक घाटे बजट से अधिक रहते हैं अतः वे जलनिधि के विकास के लिए गंभीर समस्यायें पैदा करते हैं।

केन्द्रीय बजट 1989-90 *

8.8 केन्द्र सरकार के वर्ष 1989-90 के बजट के समक्ष अनेक लक्ष्य रखे गये हैं: उत्पादक रोजगार विकास, अनावश्यक विकास-वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण, बचत को बढ़ावा देना, औद्योगिक आधुनिकीकरण तथा प्रगति की रफ्तार को बढ़ावा देना, सार्वजनिक खर्च का युक्तिसंगतपूर्ण प्रबंध और बजटीय घाटे को नियंत्रित करना। बजट में इस बात के उपाय निहित हैं कि बढ़ते हुए राजस्व घाटे की प्रवृत्ति को संसाधन जुटाकर तथा खर्च को नियंत्रित करके विपरीत दिशा में मोड़ा जाए। बजट प्रस्तावों से इस बात की आशा है कि वर्ष 1989-90 में केन्द्र को 903 करोड़ रुपये का शुद्ध अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जो कि नौवें दशक के किसी एक वर्ष में जुटायी गयी अधिकतम राशि होगी। इसके परिणामस्वरूप, ऐसा अनुमान है कि राजस्व घाटा जो कि 1981-82 से वृद्धिशील प्रवृत्ति प्रदर्शित करता रहा है, वर्ष 1987-88 के 9,137 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1988-89 के 11,030 करोड़ रुपये से घटकर 7,012 करोड़ रुपये हो जाएगा। ऐसा अनुमान है कि पूंजी लेखा, जिसमें वर्ष 1988-89 में 3,090 करोड़ रुपये का अधिशेष प्रदर्शित हुआ था, वर्ष 1989-90 में 325 करोड़ रुपये का घाटा प्रदर्शित करेगा। वर्ष 1989-90 के बजट की अन्य मुख्य-मुख्य बातें हैं:—"जवाहर रोजगार योजना" नामक एक नये गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए 50,000 रुपये से अधिक की कम्पनी आय तथा व्यक्तिगत आय पर 8 प्रतिशत का अधिभार लगाना, मकान प्राप्त करने के लिए बचत को बढ़ावा देने के वास्ते राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा एक "गृह ऋण-खाता योजना" की शुरूआत, एक नयी जमा योजना तैयार करना जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले अपने लाभों का पूर्णतः अथवा अंशतः निवेश कर सकें तथा बचत के प्रवाह को पूंजी बाजार की ओर मोड़ने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के माध्यम से एक नयी योजना अर्थात् ईक्विटी-संबद्ध बचत योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की छठी एवं सातवीं पूर्ववर्ती श्रृंखलाओं के स्थान पर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की एक नयी श्रृंखला शुरू की गयी है।

8.9 वर्ष 1988-89 की कराधान-दरों पर, वर्ष 1989-90 में केन्द्र सरकार का समग्र घाटा 8240 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बजट में करों एवं शुल्कों के पुनरीक्षण के नये प्रस्ताव रखे गये हैं जिनसे 1,595 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। 308 करोड़ रुपये की शुद्ध रियायतों/छूटों के साथ, कर प्रस्तावों से 1,287 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। 384 करोड़ रुपये के राज्यों के हिस्से के प्रावधान के पश्चात् केन्द्र को 903 करोड़ रुपये के शुद्ध राजस्व की प्राप्ति होगी। नये प्रस्तावों से अतिरिक्त राजस्व को गणना में लेने के पश्चात् वर्ष 1989-90 के लिये कुल प्राप्तियां 77,188 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि कुल वितरण 84,525 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिससे वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों में 7,940 करोड़ रुपये के घाटे (अथवा कुल प्राप्तियों का 11.3 प्रतिशत) की तुलना में 7,337 करोड़ रुपये (अथवा कुल प्राप्तियों का 9.5 प्रतिशत) का अप्रबंधित अंतराल शेष रह जाएगा (सारणी 8.3)। तथापि, उत्पाद एवं सीमा शुल्कों से संबंधित बजटोत्तर कर रियायतों के कारण 123.2 करोड़ रुपये का और घाटा होगा जिसकी पूर्ति अधिक अच्छी वसूली द्वारा हो सकने का अनुमान है। वर्ष 1988-89 के 11,030 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1989-90 में राजस्व लेखे में 7,012 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। राजस्व घाटे में अधिकांश सुधार का श्रेय, तेल समन्वय समिति की जमाराशि में से 2,300 करोड़ रुपये राजस्व लेखे में अंतरित किये जाने (जो कि फिलहाल सरकारी लेखे में पड़े हैं) तथा देशी अपरिष्कृत तेल दर उत्पाद शुल्क की दर के पुनरीक्षण के कारण राजस्व प्राप्तियों में लगभग 500 करोड़ रुपये की वृद्धि को जाता है।

*जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, वर्ष 1989-90 के सारे संदर्भ बजट अनुमानों से संबंधित हैं तथा 1988-89 के सारे संदर्भ पुनरीक्षित अनुमानों से संबंधित हैं।

सारणी 8.3. बजटीय घाटा, बाजार ऋण तथा केन्द्र सरकार के बाजार ऋणों के लिए रिजर्व बैंक का समर्थन

(राजकोषीय वर्ष--1987-88 से 1989-90 तक)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	मदें	1987-88 (लेखे)	1988-89 (बजट अनुमान)	1988-89 (पुनरीक्षित अनुमान)	1989-90/ (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6
1.	राजस्व लेखा				
	(क) प्राप्तियां [2]	38,992	44,994	45,336	54,994
	(ख) व्यय [2]	48,129	54,836	56,366	62,006
	(ग) अधिशेष (+)/घाटा (--)	--9,137	--9,842	--11,030	--7,012
2.	पूंजी लेखा				
	(क) प्राप्तियां	22,026	23,278	24,708	22,194
	(ख) वितरण	18,705	20,920	21,618	22,519
	(ग) अधिशेष (+)/घाटा (--)	+3,321	+2,358	+3,090	--325
3.	कुल प्राप्तियां [1(क)+2(क)]	61,018	68,272	70,044	77,188
4.	कुल व्यय [1(ख)+2(ख)]	66,834	75,756	77,984	84,525
5.	कुल अधिशेष (+/घाटा(--)	--5,816	--7,484	--7,940	--7,337
6.	(3) के प्रतिशत के रूप में (5)	9.5	11.0	11.3	9.5
7.	कुल बाजार ऋण	6,684	7,475	7,725	8,039
8.	(3) के प्रतिशत के रूप में (7)	11.0	10.9	11.0	10.4
9.	दिनांकित रुपया प्रतिभूतियों की रिजर्व बैंक की धारिताओं में वृद्धि (+/ह्रास)--) [3]	+368.4	+1,935.8	+1,935.85	
10.	केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में वृद्धि (+/ह्रास)--)[4]	+6,559	+6,503 (+7,484)	+6,503 (+8,200)	(--7,337)

1 इनमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं परन्तु बजटोत्तर कर रियायतें शामिल नहीं हैं ।

2 इसमें वाणिज्य विभाग शामिल है ।

3 रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार बही मूल्य के आधार पर ।

4 भारतीय रिजर्व बैंक के लेखों के अनुसार, कोष्टकों में दिये गये आंकड़े केन्द्रीय बजट के अनुसार हैं ।

5 बही मूल्य के अनुसार, यदि मूल्यांकन परिवर्तनों को गणना में न लिया जाए तो आंकड़े 309.8 करोड़ रुपये अधिक होंगे (तथा ये राशियां 2,245.6 करोड़ रुपये होंगी) ।

केन्द्र का योजना परिव्यय

8.10 वर्ष 1989-90 के बजट में कुल 34,446 करोड़ रुपये के केन्द्रीय योजना परिव्यय का प्रावधान है जो कि वर्ष 1988-89 के बजट विहित परिव्यय से 20 प्रतिशत अधिक है । तथापि, पुनरीक्षित परिव्यय से यह केवल 14.2 प्रतिशत अधिक होगा । वर्ष 1989-90 के लिये बजट विहित योजना परिव्यय को सम्मिलित करते हुए, यदि वास्तविक रूप में परिव्यय को मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक संबंधी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए तो 1984-85 की कीमतों पर सातवीं योजनावधि में कुल परिव्यय सातवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए मूल परिव्यय का 115 प्रतिशत होगा ।

8.11 केन्द्रीय योजना परिव्यय का वित्तपोषण 16,964 करोड़ रुपये अथवा 49.2 प्रतिशत तक बजटीय समर्थन के माध्यम से किया जाएगा तथा 17,482 करोड़ रुपये अथवा 50.8 प्रतिशत की शेष राशि का वित्तपोषण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक एवं बजटेतर संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा । वर्ष 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों से बजटीय समर्थन मामूली तौर पर 1.2 प्रतिशत अधिक होगा । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान में 1988-89 के स्तर के मुकाबले 30.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है । केन्द्रीय योजना परिव्यय में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उच्चतर योगदान की प्रत्याशा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक संसाधनों में प्रत्याशित वृद्धि के कारण की गयी है जिसके बारे में ऐसा अनुमान है कि वे 4,118 करोड़ रुपये अथवा 57.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुये वर्ष 1988-89 के 7,181 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 11,299 करोड़ रुपये हो जाएंगे । जिन मुख्य उद्यमों के आंतरिक संसाधनों में उच्चतर वृद्धि होने का अनुमान है उनमें रेलवे, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, एन०टी०पी०सी० और कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है । वर्ष 1989-90 के रेलवे बजट में दिये गये माल भाड़े के पुनरीक्षण तथा दिसम्बर 1988 में इस्पात और कोयले जैसे कृछ पण्यों के प्रवर्तित मूल्यों में की गयी वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक संसाधनों में बढ़ोतरी होने की प्रत्याशा है । आंतरिक संसाधनों में संभावित सुधार के साथ-

साथ, ऐसी आशा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 3,115 करोड़ रुपये के बाण्ड जारी करके संसाधन जुटायेंगे जो कि 1988-89 में जारी किए गये बाण्डों से 639 करोड़ रुपये अथवा 25.8 प्रतिशत अधिक होंगे।

विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियां

8.12 वर्ष 1989-90 के लिये केन्द्र सरकार का सकल वितरण 84,525 करोड़ रुपये रखा गया है जो कि 1988-89 की तुलना में 6,541 करोड़ रुपये (8.4 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 1988-89 के मुकाबले 44,560 करोड़ रुपये के विकासात्मक व्यय में 2,223 करोड़ रुपये अथवा 5.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है जबकि 39,965 करोड़ रुपये का गैर-विकासात्मक व्यय 4,318 करोड़ रुपये अथवा 12.1 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करेगा। परिणामत: केन्द्र सरकार के सकल वितरण में विकासात्मक व्यय का अनुपात वर्ष 1988-89 के 54.3 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1989-90 में 52.7 प्रतिशत रह जाएगा। इससे पूर्व वर्ष 1984-85 में यह 59.6 प्रतिशत था और तब से इसमें धीरे-धीरे गिरावट आती रही है (सारणी 8.4)। हाल के वर्षों में राजकोषीय परिचालनों का यह एक चिन्ताजनक पक्ष रहा है।

योजनेतर व्यय की वृद्धि

8.13 वर्ष 1989-90 में 54,347 करोड़ रुपये (वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त राशियां घटाकर) का योजनेतर व्यय होने का अनुमान है जो कि 1988-89 की तुलना में 5,470 करोड़ रुपये (11.2 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित करता है जबकि 27,814 करोड़ रुपये का योजना व्यय 1988-89 के मुकाबले 3.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करेगा। *योजनेतर व्यय के अन्तर्गत वृद्धि का लगभग 60 प्रतिशत दो मदों अर्थात् ब्याज अदायगियों में वृद्धि (2,850 करोड़ रुपये) तथा उर्वरकों से संबंधित आर्थिक सहायता (401 करोड़ रुपये) के कारण है। वर्ष 1988-89 के 14,150 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 1989-90 के दौरान ब्याज की अदायगी पर कुल व्यय 1,7000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और कुल योजनेतर व्यय में इसका हिस्सा पिछले वर्ष के 29 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएगा। यहां तक कि 8,959 करोड़ रुपये की शुद्ध ब्याज अदायगी अर्थात् ब्याज प्राप्तियां घटाने के बाद की ब्याज अदायगी भी वर्ष 1988-89 के 7,003 करोड़ रुपये की तुलना में 27.9 प्रतिशत अधिक होगी। कुल आर्थिक सहायता पर 8,454 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है जो कि वर्ष 1988-89 की तुलना में 664 करोड़ रुपये (8.5 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित करता है। ऐसी आशा है कि इनमें से निर्यात संवर्धन संबंधी आर्थिक सहायता तथा निर्यात बाजार विकास संबंधी सहायता की राशि वर्ष 1989 90 के 1,391 करोड़ रुपये (अथवा योजनेतर व्यय का 2.8 प्रतिशत) से बढ़कर 16.21 करोड़ रुपये (अथवा 3.0 प्रतिशत) हो जाएगी। रक्षा व्यय 13,000 करोड़ रुपये होगा जो कि वर्ष 1988-89 के 13,200 करोड़ रुपये (सं०अ०) की तुलना में थोड़ा-सा कम होगा। योजनेतर व्यय के तीन मुख्य घटक अर्थात् ब्याज अदायगी, रक्षा तथा मुख्य आर्थिक सहायता के अंतर्गत 37,472 करोड़ रुपये व्यय होंगे जो कि कुल योजनेतर व्यय का 68.9 प्रतिशत होगा। जबकि वर्ष 1988-89 में यह राशि 34,191 करोड़ रुपये अथवा 70 प्रतिशत थी इन घटकों ने वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्र के शुद्ध कर राजस्व के लगभग 105 प्रतिशत का पहले ही उपयोग कर लिया तथा ऐसी आशा है कि ये 1989-90 में लगभग 98 प्रतिशत राशि का उपयोग करेंगे।

सारणी 8.4: केन्द्र तथा राज्यों के विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र			राज्य				केन्द्र और राज्यों को मिलाकर			
	विकासात्मक व्यय	गैर-विकासात्मक व्यय	कुल@	विकासात्मक व्यय	गैर-विकासात्मक व्यय	अन्य*	कुल	विकासात्मक व्यय	गैर-विकासात्मक व्यय	अन्य££	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1980-81	13,932 (57.6)	10,245 (42.4)	24,177 (100.0)	15,961 (70.1)	4,289 (18.8)	2,520 (11.1)	22,770 (100.0)	25,845 (66.0)	11,977 (30.6)	1,338 (3.4)	39,160 (100.0)
1981-82	16,084 (60.9)	10,331 (39.1)	26,415 (100.0)	17,960 (70.2)	4,996 (19.6)	2,615 (10.2)	25,571 (100.0)	28,796 (64 7)	13,609, (30.6)	2,074 (4.7)	44,479 (100.0)
1982-83	19,557 (60.7)	12,673 (39.3)	32,230 (100.0)	20,649 (71.0)	5,883 (20.2)	2,565 (8.8)	29,097 (100.0)	33,643 (64.6)	16,473 (31.7)	1,941 (3.7)	52,057 (100.0)
1983-84	22,207 (58.8)	15,564 (4.12)	37,771 (100.0)	23,972 (71.2)	6,882 (20.4)	2,814 (8.4)	33,668 (100.0)	38,352 (63.9)	19,936 (33.3)	1,701 (2.8)	59,989 (100.0)
1984-85	27,375 (59.6)	18,525 (40.4)	45,900 (100.0)	27,958 (70.3)	8,340 (21.0)	3,448 (8.7)	39,746 (100.0)	46,265 (64.6)	23,390 (32.6)	1,999 (2.8)	71,654 (100.0)
1985-86	29,979 (58.9)	20,927 (41.1)	50,906 (100.0)	31,733 (70.7)	9,617 (21.4)	3,519 (7.9)	44,869 (100.0)	55,032 (65.1)	27,332 (32.4)	2,106 (2.5)	84,470 (100.0)
1986-87	35,498 (57.7)	26,060 (42.3)	61,558 (100.0)	36,827 (70.6)	11,220 (21.5)	4,149 (7.9)	52,196 (100.0)	64,441 (63.4)	33,682 (33.2)	3,479 (3.4)	101,602 (100.0)
1987-88£	36,573 (54.7)	30,261 (45.3)	66,834 (100.0)	42,141 (70.2)	13,754 (22.9)	4,104 (6.9)	59,999 (100.0)	69,087 (62.2)	39,460 (35.5)	2,614 (2.3)	111,161 (100.0)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1988-89£	42,337	35,647	77,984	47,343	16,423	4,183	67,949	79,873	46,586	2,772	129,231
(पु०अ०)	(54.3)	(45.7)	(100.0)	(69.7)	(24.1)	(6.2)	(100.0)	(61.8)	(36.0)	(2.2)	(100.0)
1989-90	44,560	39,965	84,525	49,473	21,787	1,156	75,716	83,170	55,069	2,943	141,182
(ब०अ०)	(52.7)	(47.3)	(100.0)	(65.3)	(28.8)	(5.9)	(100.0)	(58.9)	(39.0)	(2.1)	(100.0)

टिप्पणी : (i) कोष्टकों में दिये गये आंकड़े संबंधित कुल व्यय के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं ।

(ii) अंतर-सरकारी समायोजनों के कारण केन्द्र तथा राज्यों के आंकड़े संयुक्त स्थिति में शामिल नहीं किये गये हैं ।

(@)इनमें आंतरिक तथा बाह्य ऋणों की चुकौती शामिल नहीं है ।

£आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं ।

££इनमें आंतरिक ऋणों की चुकौती स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन, आकस्मिक निधियों के लिए विनियोजन राज्य सरकारों के शुद्ध प्रेषण शामिल हैं तथा ये राशियां राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार को उन ऋणों की अदायगी से संबंधित आंकड़ों के अंतरों के लिए समायोजित की गयी हैं जो कि उनके संबंधित बजटों में दिये गये थे ।

*इनमें आंतरिक ऋणों की चुकौती, केन्द्र सरकार को ऋणों की अदायगी, आकस्मिक निधियों तथा प्रेषणों (शुद्ध) के लिए विनियोजन, स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित समनुदेशन शामिल हैं ।

बजट प्रस्ताव तथा राजस्व प्रवृत्तियां

8.14 वर्ष 1989-90 के बजट प्रस्तावों के दो स्पष्ट स्वरूप हैं : अधिक आय वाले निवासी कर दाताओं पर एक नया अधिभार लगाकर ऐसे संसाधन जुटाना जो कि विशेष रूप से गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के वित्तपोषण से संबद्ध है, तथा उच्च आयात अंतर्वस्तु वाली अनावश्यक किस्म की विलास संबंधी वस्तुओं के उपभोग को निरुत्साहित करने के लिए व्यय कर तथा अप्रत्यक्ष करों को लगाना एवं समाज के अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों से संसाधन प्राप्त करना ।

8.15 जहां तक प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का संबंध है, वर्ष 1987-88 में धन-कर पर लगाया गया 10 प्रतिशत का तथा 50,000 रुपये से अधिक की व्यक्तिगत एवं कंपनी आय पर लगाया गया 5 प्रतिशत का सूखा संबंधी अधिभार क्रमश: निर्धारण वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 से समाप्त कर दिया गया है । जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना नामक एक नये गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से निर्धारण वर्ष 1990-91 से 50,000 रुपये से अधिक की आय वाले निवासी कर दाताओं पर 8 प्रतिशत की दर से एक नया अधिभार शुरू किया गया है । इस नये प्रस्ताव से एक पूरे वर्ष में 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है (225 करोड़ रुपये कंपनी कर से तथा 245 करोड़ रुपये व्यक्तिगत आय कर के माध्यम से) । व्यक्तिगत तथा कंपनी आय से संबंधित वर्तमान कर ढांचे को अपरिवर्तित रखा गया है, सिवा इसके कि 18,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के प्रारंभिक चरण वाले अलग-अलग व्यक्तियों के लिये कर की दर 25 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दी गयी है । व्यय कर अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत प्रत्यक्ष उपभोग को नियंत्रित करने के लिए व्यय कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी है । इससे एक पूरे वर्ष में 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा । अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत कर प्रस्तावों को इस तरह रखा गया है कि अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों पर मुख्य रूप से बोझ पड़े तथा अधिक लोगों के उपभोग की वस्तुओं को नये करों से मुक्त रखा जाए । उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत विशिष्ट दरों वाले अधिकांश पण्यों के मामले में शुल्क की दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । अधिकांश लोगों के उपभोग की वस्तुओं जैसे कि चीनी, चाय, काफी, पेट्रोलियम उत्पाद, वनस्पति तेल तथा वनस्पति को इस समायोजन से परे रखा गया है । कतिपय अन्य पुनरीक्षणों सहित उपर्युक्त उत्पाद शुल्क की दरों में वृद्धि से 863 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त होने का अनुमान जबकि उत्पाद संबंधी छूटों एवं रियायतों से 71 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी । सीमा शुल्क संबंधी बजट प्रस्तावों से वर्ष 1989-90 में 117 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है जबकि परियोजना निर्यात तथा मशीनरी और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं से संबंधित शुल्क में दी गयी रियायतों के परिणामस्वरूप 237 करोड़ रुपये की राजस्व राशि का घाटा होगा । इसके फलस्वरूप सीमा शुल्क संबंधी राजस्व में 120 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि होगी । मूल किराये के 10 प्रतिशत की दर पर बजट में अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर नामक एक नया कर भी लगाया गया है । वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान इस नये कर से 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है । विदेश यात्रा कर जो कि पड़ोसी देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रति टिकट 50 रुपये तथा अन्य देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों पर 100 रुपये की दर से लगाया जाता है, बढ़ाकर क्रमश: 150 रुपये तथा 300 रुपये कर दिया जाएगा । इस उपाय से वर्ष 1989-90 में 45 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति की संभावना है ।

8.16 इन उपायों के परिणामस्वरूप अनुमान है कि केन्द्र की कुल कर वसूली में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी और यह वर्ष 1988-89 के 43,321 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 50,825 करोड़ रुपये हो जाएगी (सारणी 8.5) । उच्च आय समूहों पर विशेष अधिभार के बावजूद केन्द्र की कुल कर वसूली में प्रत्यक्ष करों के हिस्से में गिरावट आयेगी और इस तरह आठवें दशक के मध्य से देखी जा रही राजकोषीय प्रणाली के स्वरूप का पुनर्संतुलन होगा । ऐसा अनुमान है कि प्रत्यक्ष कर, जो कि वर्ष 1984-85 में केन्द्र की सकल कर प्राप्तियों का 19.7 प्रतिशत थे, वर्ष 1989-90 में घट कर 18.1 प्रतिशत रह जायेंगे ।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिव्यय

8.17 केन्द्र सरकार के व्यय में सतत एवं तीव्र वृद्धि के कारण सरकारी प्रशासन की बचतों तथा सकल पूंजी निर्माण में तीव्र गिरावट आयी है । हाल के वर्षों में बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर में सामान्यत: गिरावट प्रदर्शित हुई है । यह 1985-86 के 22.4 प्रतिशत से घटकर 1987-88 में 6.0 प्रतिशत हो गयी । तथापि, वृद्धि दर बढ़कर 1988-89 में 15.0 प्रतिशत हो गयी । कुल व्यय में बजटीय संसाधनों में से सकल पूंजी निर्माण के हिस्से में भी गिरावट आयी और यह घटकर वर्ष 1988-89 में 36.1 प्रतिशत रह गया जबकि वर्ष 1987-88 में यह 36.6 प्रतिशत था । यह अनुपात 1985-86 में 40.4 प्रतिशत था । वर्ष 1988-89 में केन्द्र सरकार की कुल बचत में भी और गिरावट आयी । वर्ष 1988-89 में अधिव्यय 6,093 करोड़ रुपये अथवा कुल देशी उत्पाद का लगभग 1.6 प्रतिशत होने का अनुमान था जबकि वर्ष 1987-88 में अधिव्यय 4,294 करोड़

सारणी 8.5: केन्द्र तथा राज्यों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र (कुल)			राज्य			संयुक्त		
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2,907	10,242	13,149	686	5,929	6,615	3,593	16,171	19,764
(क)	(22.1)	(77.9)	(100.0)	(10.4)	(89.6)	(100.0)	(18.2)	(81.8)	(100.0)
(ख)	[2.1]	[7.6]	[9.7]	[0.5]	[4.4]	[4.9]	[2.7]	[11.9]	[14.6]
1984-85	4,626	18,802	23,428	1,230	11,108	12,338	5,856	29,910	35,766
(क)	(19.7)	(80.3)	(100.0)	(10.0)	(90.0)	(100.0)	(16.4)	(83.6)	(100.0)
(ख)	[2.0]	[8.2]	[10.2]	[0.6]	[4.8]	[5.1]	[2.5]	[13.0]	[15.5]
1985-86	5,563	23,109	28,672	1,401	12,919	14,320	6,964	36,018	42,992
(क)	(19.4)	(80.6)	(100.0)	(9.8)	(90.2)	(100.0)	(16.2)	(83.8)	(100.0)
(ख)	[2.1]	[8.8]	[10.9]	[0.5]	[4.9]	[5.4]	[2.7]	[13.7]	[16.4]
1986-87	6,234	26,559	32,793	1,685	14,934	16,619	7,919	41,493	49,412
(क)	(19.0)	(81.0)	(100.0)	(10.1)	(89.9)	(100.0)	(16.0)	(84.0)	(100.0)
(ख)	[2.1]	[9.1]	[11.2]	[0.6]	[5.1]	[5.7]	[2.7]	[14.1]	[16.8]
1987-88£	6,751	30,861	37,612	1,960	17,438	19,398	8,711	48,299	57,010
(क)	(17.9)	(82.1)	(100.0)	(10.1)	(89.9)	(100.0)	(15.3)	(84.7)	(100.0)
(ख)	[2.1]	[9.3]	[11.4]	[0.6]	[5.3]	[5.9]	[2.6]	[14.6]	[17.3]
1988-89£	8,100	35,221	43,321	2,271	19,792	22,063	10,371	55,013	65,384
(क)	(18.7)	(81.3)	(100.0)	(10.3)	(89.7)	(100.0)	(15.9)	(84.1)	(100.0)
(ख) (पु०अ०)	[2.1]	[9.0]	[11.1]	[0.6]	[5.1]	[5.7]	[2.7]	[14.1]	[16.7]
1989-90*	9,198	41,627	50,825	2,531	22,348	24,879	11,729	63,975	75,704
(क)	(18.1)	(81.9)	(100.0)	(10.2)	(89.8)	(100.0)	(15.5)	(84.5)	(100.0)
(ख) (ब०अ०)	[2.1]	[9.6]	[11.7]	[0.6]	[5.1]	[5.7]	[2.7]	[14.8]	[17.5]

£आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं।

*केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्सों को छोड़कर जैसा कि केन्द्र के बजट प्रलेखों में उल्लिखित है।

टिप्पणी: (क) कुल कर राजस्व में प्रतिशतता प्रदर्शित करता है।

(ख) सकल देशी उत्पाद से कर के अनुपात की प्रतिशतता।

वर्ष 1987-88 में अधिव्यय 4,294 करोड़ रुपये अथवा कुलदेशी उत्पाद का 1.3 प्रतिशत था। केन्द्र सरकार के बचत संबंधी कार्य निष्पादन में गिरावट का मुख्य कारण था सरकारी प्रशासन के अधिव्यय में तीव्र वृद्धि। वर्ष 1988-89 में सरकारी प्रशासन का अधिव्यय 8,602 करोड़ रुपये अथवा कुलदेशी उत्पाद का 2.2 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष के 6,092 करोड़ रुपये अथवा कुलदेशी उत्पाद के 1.8 प्रतिशत से अधिक था। इसमें प्रशासनिक विभागों के स्वामित्व वाली अचलपूंजी के उपभोग के प्रावधान की आवश्यकता को शामिल नहीं किया गया है जिसे अब केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी०एस०ओ०) ने पूंजी निर्माण तथा घरेलू बचत के अपने अनुमान में शामिल करना शुरू कर दिया है।

*उपलब्ध आंकड़े 1988-89 बजट के अनुमानों से संबंधित हैं

@आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं।

राज्यों का बजट 1989-90

8.18 वर्ष 1988-89 के कराधान की दरों पर 1988-89 के पुनरीक्षित अनुमानों में 862 करोड़ रुपये के घाटे तथा वर्ष 1987-88 (लेखा) में 234 करोड़ रुपये के अधिशेष के मुकाबले राज्यों की संयुक्त बजटीय स्थिति 1989-90 में 1,337 करोड़ रुपये का समग्र घाटा प्रदर्शित करती है। इस अंतराल को भरने के लिए 12 राज्यों ने अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपाय के प्रस्ताव रखे हैं जिनसे वर्ष 1988-89 में 14 राज्यों द्वारा प्रस्तावित उपायों से प्राप्य 636 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 1989-90 में 446 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व

प्राप्त होने की संभावना है। अपने स्वयं के अतिरिक्त संसाधन संग्रहण प्रयासों के अतिरिक्त राज्यों को 1989-90 में केन्द्र के अतिरिक्त कराधान में अपने हिस्से के रूप में 384 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। परिणामतः वर्ष 1989-90 में राज्यों का घाटा कम होकर 507 करोड़ रुपये रह जाएगा। राज्यों को यह उम्मीद है कि वे वर्ष के दौरान प्रस्तावित परेषण कर, कर वसूली के आधिक्य तथा खर्चे में मितव्ययिता बरत कर अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति से इस अंतराल को भर सकेंगे। राज्यों का समग्र बजटीय परिकलन यह प्रदर्शित करता है कि राजस्व घाटे में तीव्र अपकर्ष आयेगा और यह घाटा वर्ष 1988-89 के 2,069 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 3,454 करोड़ रुपये हो जाएगा राजस्व घाटे का केवल आंशिक निवारण पूंजी लेखे के सुधार से हो सकेगा जिसका अधिशेष 1988-89 के 1,207 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 2,947 करोड़ रुपये हो जाएगा।

8.19 वर्ष 1988-89 की 11.4 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले ऐसा अनुमान है कि कराधान की पुनरीक्षित दरों पर राज्यों की कुल प्राप्तियों में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि होगी और वे बढ़कर 75,201 करोड़ रुपये हो जाएगी। वर्ष 1988-89 में दर्ज की गयी 13 3 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 1989-90 में कुल वितरण अनुमानतः 75,716

सारणी 8.6: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और वितरण

(1987-88 से 1989-90 तक के राजकोषीय वर्ष)

(करोड़ रुपये)

मदें	1987-88 (लेखे)	1988-89 (बजट अनुमान)	1988-89 (संशोधित अनुमान)	1989-90 (बजट अनुमान)	कालम 2 की तुलना में कालम 4 के प्रतिशत का अंतर	कालम 4 की तुलना में कालम 5 का अंतर
1	2	3	4	5	6	7
I. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	105,579	114,934	120,429	133,338	+14.1	+10.7
अ. राजस्व प्राप्तियां जिसमे से	70,878	79,732	81,576	95,141	+15 1	+16.6
कर प्राप्तियां (क+ख)	57,010	61,158	65,384	75,704	+14.7	+15.8
(क) प्रत्यक्ष कर	8,711	9,996	10,371	11,729	+19.1	+13.1
(ख) परोक्ष कर	48,299	54,162	55,013	63,975	+13.9	+16.3
आ. पूंजीगत प्राप्तियां	34,701	35,202	38,853	38,197	+12.0	+1.7
II. कुल वितरण (अ+आ+इ)	111,161	123,082	129,231	141,182	+16.3	+9.2
अ. विकासात्मक व्यय (क+ख+ग)	69,087	74,160	79,873	83,170	+15.6	+4.1
(क) राजस्व	45,131	47,706	52,231	54,834	+15.7	+5.0
(ख) पूंजी	12,479	13,743	13,953	14,533	+11 8	+4 1
(ग) ऋण और अग्रिम	11,477	12,711	13,689	13,803	+19.3	+0 8
आ. गैर विकासात्मक व्यय						
(क+ख+ग)	39,460	46,967	46,586	55,069	+18.1	+18.2
(क) राजस्व	35,660	42,145	41,933	50,204	+17.6	+19.7
(ख) पूंजी	3,393	4,278	4,137	4,445	+22.0	+7.4
(ग) ऋण और अग्रिम	408	544	516	420	+26.5	+18.6
इ. अन्य	2,614	1,955	2,772	2,943	+6.0	+6.2
III. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (—)	-5,582	8,148	8,802	-7,844	+57.7	—10.9

*इसमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव शामिल हैं और बजट के बाद की कर रियायतों को नहीं लिया गया है।

टिप्पणी : 1 आंकड़े 25 राज्यों के बजटों से संबंधित हैं।

2. अन्य वितरणों में आंतरिक ऋण चुकाना, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और दी गई राशियां, आकस्मिक निधियों में विनियोजन और शुद्ध प्रेषण शामिल हैं और राज्य सरकारें द्वारा अपने संबंधित बजटों में दर्शाये गये केन्द्र सरकार को किये गये ऋण भुगतान के आंकड़ों के लिए उन्हें समायोजित किया गया है।

3. असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आंकड़े लेखानुदान व्यय बजटों से हैं।

करोड़ रुपये का होगा जो कि 11.4 प्रतिशत अधिक होगा। बजट के अनुसार वर्ष 1989-90 में राज्यों के कुल विकासात्मक व्यय में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह 49,473 करोड़ रुपये का होगा जब कि वर्ष 1988-89 में इसमें 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 8.4)। दूसरी ओर, वर्ष 1988-89 की 19.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1989-90 में राज्यों के गैर-विकासात्मक खर्च में 33 प्रतिशत की वृद्धि होगी और यह 21,787 करोड़ रुपये होगा। इसके परिणामस्वरूप सकल वितरण में विकासात्मक खर्च का हिस्सा वर्ष 1988-89 के 69.7 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1989-90 में 65.3 प्रतिशत हो जाएगा। गैर-विकासात्मक व्यय का हिस्सा 1988-89 के 24.1 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में 28.8 प्रतिशत हो जाएगा।

समेकित बजटीय स्थिति : केन्द्र एवं राज्य

8.20 केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त वित्तीय स्थिति से संबंधित आंकड़े सारणी 8.6 में दिये गये हैं। पुनरीक्षित कराधान की दरों पर वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्र तथा 25 राज्यों की संयुक्त बजटीय स्थिति वर्ष 1988-89 के 8,802 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले 7,844 करोड़ रुपये का घाटा प्रदर्शित करती है।

8.21 बजट के अनुसार वर्ष 1989-90 में केन्द्र तथा राज्यों की कुल प्राप्तियां 1,33,338 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचती है जो कि वर्ष 1988-89 की प्राप्तियों की तुलना में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करती है। जबकि राजस्व प्राप्तियों (95,141 करोड़ रुपये) में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी वर्ष 1989-90 में पूंजी प्राप्तियां (38,197 करोड़ रुपये) वर्ष 1988-89 की पूंजी प्राप्तियों की तुलना में कम बनी रहेंगी। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में 13.1 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष करों में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कर प्राप्तियों में अनुमानतः 15.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी (सारणी 8.6)।

8.22 वर्ष 1989-90 में केन्द्र तथा राज्यों के सकल वितरण में जो कि बजट के अनुसार 1,41,182 करोड़ रुपये का है, वर्ष 1988-89 के कुल वितरण के मुकाबले 9.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वर्ष 1988-89 के मुकाबले 83,170 करोड़ रुपये का अनुमानित विकासात्मक व्यय 3,297 करोड़ रुपये (4.1 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित करेगा जबकि 55,069 करोड़ रुपये का गैर-विकासात्मक व्यय 8,483 करोड़ रुपये (18.2 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित करेगा। कुल व्यय में विकासात्मक व्यय का हिस्सा जो कि 1985-86 के 65.1 प्रतिशत से निरंतर गिरकर 1988-89 में 61.8 प्रतिशत हो गया था 1989-90 में और अधिक गिरकर 58.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है (सारणी 8.4)।

बाजार उधार+

8.23 वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्र सरकार पांच बार बाजार में उतरी और उसने कुल 7,725 करोड़ रुपये की राशि उधार ली। 475 करोड़ रुपये के परिपक्व होने वाले ऋणों की अदायगी के लिए प्रावधान करने के पश्चात् शुद्ध बाजार उधारों की राशि 7,250 करोड़ रुपये रही जो कि वर्ष 1987-88 की राशि के मुकाबले 250 करोड़ रुपये (3.6 प्रतिशत) अधिक (सारणी 8.7)। 7,725 करोड़ रुपये के कुल बाजार उधारों में 7,376 करोड़ रुपये का नकदी अभिदान तथा 349 करोड़ रुपये के परिपक्व होने वाले ऋणों का परिवर्तन शामिल है। वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्र सरकार के बाजार उधार कुल एवं शुद्ध दोनों बजट अनुमानों से 250 करोड़ रुपये अधिक थे।

8.24 वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधारों की कुल राशि 2,285 करोड़ रुपये की थी जिसमें से 2,258 करोड़ रुपये नकद अभिदान के रूप में प्राप्त हुए थे तथा शेष 27 करोड़ रुपये परिवर्तन के रूप में प्राप्त हुए थे। 283 करोड़ रुपये के परिपक्व होने वाले ऋणों के लिए प्रावधान करने के पश्चात् राज्यों के बाजार की शुद्ध राशि 2,002 करोड़ रुपये थी जो कि वर्ष 1987-88 के मुकाबले 496 करोड़ रुपये (32.9 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित करती है।

सारणी 8.7 : केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं द्वारा बाजार से लिये गये ऋण

1987-88 और 1988-89

(राजकोषीय वर्ष)*

(करोड़ रुपये)

केन्द्र सरकार/निकाय	सकल बाजार ऋण		मुक्तियां (कुल ऋण जिनकी अवधि पूरी हुई)		शुद्ध बाजार ऋण	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7
1. केन्द्र सरकार	7,821	7,725	821	475	7,000	7,250
2. राज्य सरकार	1,790	2,285	284	283	1,506	2,002
3. सरकार के कुल ऋण (1+2)	9,611	10,010	1,105	758	8,506	9,252
4. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाएं	1,932	2,244	249	309	1,683	1,935
5. राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाएं (स्थानीय निकायों सहित)	1,213	1,420	325	376	888	1,044
6. संस्थाओं के कुल ऋण (4+5)	3,145	3,664	574	685	2,571	2,979
7. कुल बाजार ऋण (3+6)	12,756	13,674	1,679	1,443	11,077	12,231

+ रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार आंकड़े वास्तविक हैं।

* रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े।

8.25 वर्ष 1988-89 के दौरान स्थानीय प्राधिकरणों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के बाजार उधारों की कुल राशि 3,664 करोड़ रुपये थी। परिपक्व होने वाले ऋणों के लिए 685 करोड़ रुपये के प्रावधान के पश्चात्, इन संस्थाओं के बाजार उधारों की शुद्ध राशि 2,979 करोड़ रुपये थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 408 करोड़ रुपये (15.9 प्रतिशत) अधिक थी।

8.26 वर्ष 1988-89 के दौरान कुल शुद्ध बाजार-उधारों की राशि (जिसमें केन्द्र, राज्यों, स्थानीय प्राधिकरणों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित संस्थाओं के बाजार-उधार शामिल हैं) 12,231 करोड़ रुपये थी, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 1,154 करोड़ रुपये (10.4 प्रतिशत) की वृद्धि प्रदर्शित करती है।

8.27 वर्ष 1988-89 के केन्द्रीय बजट में सकल बाजार-उधारों के लिए 8,039 करोड़ रुपये के ऋण की परिकल्पना की गयी है। परिपक्व होने वाले ऋणों के लिए 639 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के पश्चात् शुद्ध बाजार-उधारों की राशि 7,400 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो कि वर्ष 1988-89 के मुकाबले 150 करोड़ रुपये (2.1 प्रतिशत) अधिक होगी।

केन्द्र सरकार के ऋणों पर कूपन दरें

8.28 वर्ष 1988-89 में विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले केन्द्र सरकार के ऋणों पर कूपन दरों का ढांचा वैसा ही था जैसा कि 1987-88 में अर्थात् 20 वर्ष की परिपक्वता के लिए 11.5 प्रतिशत, 15 वर्ष के लिए 11 प्रतिशत तथा 10 वर्ष के लिए 10.5 प्रतिशत। इन परिपक्वताओं के अलावा केन्द्र सरकार ने क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 10.3 प्रतिशत की ब्याज दरों पर 5 वर्ष एवं 8 वर्ष की परिपक्वता वाले दो ऋण भी जारी किये।

केन्द्र सरकार के ऋणों के लिए रिजर्व बैंक का समर्थन

8.29 वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्र सरकार के ऋणों में रिजर्व बैंक का प्रारंभिक अभिदान 2,513 करोड़ रुपये अथवा वर्ष के दौरान जारी किये गये कुल ऋणों का 32.5 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1987-88 में प्रारंभिक अभिदान 2,513 करोड़ रुपये अर्थात् वर्ष के दौरान जारी किये गये कुल ऋणों का 32.5 प्रतिशत था जबकि वर्ष 1987-88 में प्रारंभिक अभिदान 2,200 करोड़ रुपये (कुल का 28.1 प्रतिशत) था। वर्ष 1987-88 की 368.4 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 1988-89 में रिजर्व बैंक की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों की धारिताओं में 1,935.8 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

आन्तरिक ऋण और अन्य देयताएं

8.30 बाजार-उधारों के अतिरिक्त, लघु बचतों एवं भविष्य निधियों की गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशिष्ट जमाराशियों सहित जैसी अन्य लिखतों के माध्यम से भी केन्द्र तथा राज्यों ने संसाधन जुटाये। इस तरह जुटाये गये संसाधनों को गणना में लेते हुए, वर्ष 1988-89 में केन्द्र तथा राज्यों के बकाया आंतरिक ऋणों तथा उनकी अन्य देयताओं में 34,045 करोड़ रुपये अथवा कुल देशी उत्पाद के 8.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि वर्ष 1987-88 में यह बढ़ोतरी 29,460 करोड़ रुपये अथवा कुल देशी उत्पाद का 8.9 प्रतिशत थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांण्ड

8.31 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों ने भी अपने विकासात्मक कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए विदेश में वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से तथा देशी बाजार में बॉण्ड जारी करके संसाधन जुटाये हैं। वर्ष 1989-90 के बजट में ऐसा अनुमान किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम वर्ष 1988-89 में जुटायी गयी क्रमशः 2,476 करोड़ रुपये तथा 1,056 करोड़ रुपये की तुलना में देशी बाजार में बॉण्ड जारी करके 3,115 करोड़ रुपये तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से 1,112 करोड़ रुपये की राशि जुटा सकेंगे।

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम

8.32 रिजर्व बैंक राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है ताकि नकदी प्रवाह के अस्थायी असंतुलनों को रोका जा सके। 1 मार्च 1988 से 23 राज्यों को उपलब्ध कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाएं 744.8 करोड़ रुपये रही हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों को भारत सरकार की प्रतिभूतियों की गिरवी पर 266 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिमों की विशेष सीमाएं प्रदान की जाती हैं। 23 राज्यों को उपलब्ध अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाएं अब 1,010.8 करोड़ रुपये है।

8.33 वर्ष 1988-89 के दौरान 7 सतत कार्य दिवसों की निर्धारित सीमा से ऊपर कोई भी राज्य, ओवर ड्राफ्ट की स्थिति में नहीं था और इस तरह सभी राज्य सरकारों ने ओवर ड्राफ्ट विनियमन योजना का अनुपालन किया।

बचत लिखतें

8.34 नयी बचत लिखतों की शुरुआत तथा वर्तमान बचत लिखतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की चर्चा नीचे की गयी है:

(i) डाकघर मासिक आय योजना

8.35 डाकघर मासिक आय खाता योजना 15 अगस्त 1987 से लागू की गयी थी। इस योजना के विवरण पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिये गये थे। इस योजना के अन्तर्गत सीमाओं में वृद्धि की गयी है और वर्तमान समय में, एकल खाते के लिए 2 लाख रुपये तथा संयुक्त खाते के लिए 4 लाख रुपये की सीमा है।

(ii) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र निर्गम-VIII

8.36 बचत संबंधी विभिन्न लिखतों की कर-प्रोत्साहनों के युक्तीकरण की प्रक्रिया के एक अंश के रूप में, वर्तमान राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के छठे एवं सातवें निर्गमों को, 1 अप्रैल 1989 से समाप्त कर दिया गया है। 8 मई 1989 से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र निर्गम VIII की एक नयी श्रृंखला आरंभ की गयी है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की नयी श्रृंखलाओं में किये गये निवेशों को धारा 80 सी के अन्तर्गत कर संबंधी रियायतें प्राप्त होंगी तथा इस लिखत को आयकर अधिनियम की धारा 80 एल के अंतर्गत कर संबंधी रियायत प्राप्त नहीं होगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र निर्गम VIII में अलग-अलग व्यक्ति तथा कम्पनियों, भागीदारी फर्मों, स्थानीय प्राधिकरणों, न्यासों एवं निगमों जैसी संस्थाएं भी निवेश कर सकती हैं। इस योजना के अन्तर्गत किये गये निवेशों पर 12 प्रतिशत (चक्रवृद्धि) ब्याज प्राप्त होता है। इसमें की गयी निविष्टियां छः वर्ष के पश्चात् परिपक्व होंगी।

8.37 इसके अतिरिक्त, यह घोषित किया गया है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक इक्विटी संबद्ध बचत योजना तथा एक बचत योजना शुरू की जाएगी।

9 पूंजी बाजार

9.1 वर्ष 1988-89 के दौरान आधारभूत आर्थिक मूल सिद्धांतों में सुधार तथा निजी निगमित क्षेत्र द्वारा बेहतर कार्य निष्पादन की पृष्ठभूमि में पूंजी बाजार में पर्याप्त उछाल आया। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1988-89 में नये पूंजी निर्गमों की संख्या पर्याप्त अधिक रही। मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृति और वितरण में भी काफी वृद्धि हुई। गौण बाजार में शेयर कीमतों में वर्ष भर तेजी से वृद्धि आयी जो पिछले वर्ष की शांति की पूर्ति से भी अधिक रही। निवेश प्रवृत्ति और निवेश आशयों के कतिपय संकेतकों यथा कम्पनी पंजीयनों आशय पत्र, निर्गमों पूंजीगत माल के अनुमोदनों

तथा विदेशी प्रत्यक्षिदाताओं के लिए ग्रहणाधिकार कर्ज में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी। मियादी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के आंकड़ों पर आधारित पूर्वानुमान, निजी निगमित क्षेत्र द्वारा पूंजी व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इस वर्ष के दौरान नयी बचत लिखतों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अतिरिक्त नीतिगत उपाय भी किये गये।

9.2 संस्थागत निवेशकों को जो कि भारतीय पूंजी बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, वर्ष के दौरान, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा परिचालित दो अन्य पारस्परिक निधियों में जमा की गयी राशि में बड़ी मात्रा में वृद्धि से और अधिक प्रोत्साहन मिला।

नये निर्गम बाजार

9.3 1988-89 में गैर सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा किये गये नये पूंजी निर्गम (बोनस शेयरों को छोड़कर) 1987-88 के 1,774 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,117 करोड़ रुपये हो गये अर्थात् उनमें 75.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई (सारणी 9.1) लिखतवार दृष्टि से डिबेंचर निर्गम जो वर्ष 1987-88 में 664 करोड़ रुपये थे वह वर्ष 1988-89 में बढ़कर 2,113 करोड़ रुपये अर्थात तिगुने से भी अधिक हो गये। इस समूह में परिवर्तनीय डिबेंचर 1987-88 के 526 करोड़ रुपये से बढ़कर 1988-89 में 1,734 करोड़ रुपये यानी तिगुने से भी अधिक हो गये और, उक्त अवधि में गैर परिवर्तनीय डिबेंचर 139 करोड़ रुपये से बढ़कर 379 करोड़ रुपये हो गये, जो लगभग तिगुने बैठते हैं। कुछ बड़े आकार के निर्गमों के कारण 1988-89 में डिबेंचर निर्गमों में वृद्धि आयी। इन बड़े आकार के निर्गमों में सदैव कुछ नयी विशेषताएं होती हैं जैसे सुरक्षा सुविधा अलग किये जा सकने वाले वारंट कूपन और/या निर्गमों के अभिदान के विनियोजन के लिए बैंक वित्त की व्यवस्था।

सारणी 9.1. गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों का पूंजीगत निर्गम

(करोड़ रुपये)

निर्गम के प्रकार	निर्गमों की संख्या	1987-88@	निर्गमों की संख्या	1988-89@
1	2	3	4	5
1. ईक्विटी शेयर*	173	1,102.8	254	1,000.9
	(30)	(439.6)	(47)	(108.9)
2. अधिमान शेयर	5	6.9	5	3.3
3 डिबेंचर	46	664.2	77	2,112.9
(i) परिवर्तनीय	38	525.7	48	1,734.0
(ii) अपरिवर्तनीय	8	138.5	29	378 9
योग (1+2+3)	224	1,773.9	336	3,117 1

@अनन्तिम

*बोनस शेयर को छोड़कर

टिप्पणी : (1) कोष्ठक में दिए गये आंकड़े प्रीमियम राशि दर्शाते हैं जो ईक्विटी निर्गमों की राशि में सम्मिलित हैं।

(2) वित्तीय संस्थाओं आदि के पास निजी रूप से रखे गये निर्गम इन आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं।

(3) अधिक प्राप्त अभिदान की राशि, जो रख ली गई है, आंकड़े उन मामलों में सम्मिलित हैं, जहां इस सम्बन्ध में विशिष्ट सूचना उपलब्ध थी।

9.4 ईक्विटी और अधिमान शेयर निर्गमों में गिरावट परिलक्षित हुई। ईक्विटी शेयर जो 1987-88 में 1,103 करोड़ रुपये थे घटकर 1988-89 में 1,001 करोड़ रुपये हो गये यानी इनमें 9.2 प्रतिशत की कमी आयी। वर्ष 1987-88 में कुल शेयर निर्गम 7 करोड़ रुपये के थे जो 1988-89 में कुल 3 करोड़ रुपये के रहे।

9.5 इन प्रवृत्तियों को प्रतिबिम्बित करते हुए सभी सार्वजनिक निर्गमों में डिबेंचरों का भाग, जो 1987-88 में 37.4 प्रतिशत था, वर्ष 1988-89 में 67.8 प्रतिशत यानी लगभग दुगुना हो गया जबकि अकेले परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंश ही 55.6 प्रतिशत था। तदनुसार ईक्विटी निर्गमों का हिस्सा जो 1987-88 में 62.2 प्रतिशत था 1988-89 में घटकर 32.1 प्रतिशत हो गया। 1987-88 में 2,738.9 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्र बांड निर्गम किये गये थे जिनमें 1,060.0 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए और 1,678.9 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अंशदान के लिए थे। वर्ष 1988-89 में अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2,497.7 करोड़ रुपये के सार्वजनिक क्षेत्र के बांड निर्गम किये गये जिनमें केवल 100.0 करोड़ रुपए सार्वजनिक अंशदान के लिए और शेष 2,397.7 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए थे।

9.6 सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियों दोनों के लिए पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा किए गए अनुमोदन (अर्थात बोनस शेयरों के लिए दी गयी सहमतियों/स्वीकृति को छोड़कर सहमतियां/(स्वीकृतियां) (1988-89 के दौरान 8,029 करोड़ रुपये जो विगत वर्ष में 5.278 करोड़ रुपये की तुलना में 52.1 प्रतिशत अधिक थे। (सारणी 9.2) 1988-89 के दौरान गैर सरकारी कम्पनियों के लिए 4,889 करोड़ रुपये के अनुमोदन किये गए जो पिछले वर्ष (2 163 करोड़ रुपये) की तुलना में दुगुने से भी अधिक थे। इसके विपरीत 1987-88 में इस तरह के कुल अनुमोदन 1986-87 के लगभग आधे के बराबर थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांडों के निर्गम के लिए सहमतियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1987 88 में ये 1,922 करोड़ रुपये थीं जो वर्ष 1988-89 में बढ़कर 3,140 करोड़ रुपये हो गयीं।

9.7 शेयर बाजार के आंकड़ों तथा जारी किए गये लगभग 80 प्रतिशत से अधिक निर्गमों पर आधारित भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया— एस ई. बी. आई) के अध्ययनों से पता चलता है कि गत वर्ष की तुलना में 1988-89 में सार्वजनिक निर्गमों के प्रति प्रतिक्रिया ज्यादा अच्छी रही। 1987-88 में 40 प्रतिशत की तुलना में 1988-89 में 60 प्रतिशत से भी अधिक संख्या में निर्गम अत्यभिदत्त (ओवर सब्सक्राईब्ड) रहे। 1988-89 में निर्गमों की संख्या के केवल 8 प्रतिशत न्यूनाभिदत्त (अण्डर सब्स्क्राईब्ड) रहे जबकि गत वर्ष यह संख्या 32 प्रतिशत थी।

नीतिगत उपाय

9.8 वर्ष 1988-89 में नयी लिखतों और नयी संस्थाओं के प्रारंभ के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण गतिविधियां देखी गयीं। साथ ही पूंजी बाजार के सम्बन्ध में नई नीतियों की शुरुआत की गयी। आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसी के अन्तर्गत कर की छूट का लाभ उठाने के लिए बचतकर्ताओं को सक्षम बनाने के वास्ते भारतीय स्टेट बैंक म्युच्युअल फंड और केनरा बैंक म्युच्युअल फंड दोनों ने एक समान विशेषता वाली सीमित अवधि वाली योजनाएं जारी कीं। भारतीय स्टेट बैंक म्युच्युअल फंड मैगनम कर बचत योजना 1988-89 एक वृद्धि उन्मुख योजना थी जिसकी परिपक्वता अवधि 5 से 7 वर्षों की थी। इसमें छह माह की अवधि तक पूंजी अवरुद्ध रखने की शर्त के साथ पुनर्खरीद की सुविधा भी परिकल्पित थी तथा अंकित मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा भी थी। केनरा बैंक म्युच्युअल फंड की केन 80 सी सी योजना भी वृद्धि उन्मुख योजना थी जिसकी परिपक्वता अवधि 3 वर्षों की थी और इसमें

सारणी 9.3 पूंजी जुटाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियों को पूंजी निर्गमों के नियंत्रक द्वारा मंजूर की गयी सहमतियां/स्वीकृतियां

(करोड़ रुपये)

निर्गम का प्रकार	1987-88 (अप्रैल-मार्च)	1988-89 (अप्रैल-मार्च)
1. शेयर	1541	1444
जिनमें से	(101)	(—)
(i) प्रारंभिक निर्गम	613	821
(ii) बाद के निर्गम*	(100)	(—)
	928	623
	(1)	(—)
2. डिबेंचर और बांड	3737	6585
जिनमें से	(3014)	(3140)
(i) परिवर्तनीय	377	3134
	(—)	(—)
(ii) अपरिवर्तनीय	3360	3451
	(3014)	(3140)
3. उप जोड़ (1+2)	5278 (—)	8029
	(3115)	(3140)
4. बोनस शेयर	297	195
	(1)	(—)
5. कुल योग (3+4)	5575	8224
	(3116)	(3140)

*वर्ष 1987-88 के लिए 408 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1988-89 के लिए 111 करोड़ रुपये के प्रीमियम सहित।

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को दी गयी सहमतियां दर्शाते हैं।

स्रोत: पूंजी निर्गम नियंत्रक

एक वर्ष तक पूंजी अवरुद्ध रखने की अवधि के साथ पुन: खरीद की सुविधा थी। इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक म्युचुअल फण्ड नियमित आय योजना 1989 शुरू की जो वृद्धि और आय उन्मुख योजना थी और जिसमें 12 प्रतिशत की आश्वस्त वार्षिक आय थी।

9.9 भारतीय जीवन बीमा निगम ने तीन योजनाओं के साथ एक म्युच्युअल फंड की घोषणा की है। (i) सीमित अवधि वाली आय और विकास उन्मुख योजना-धनश्री (ii) आवर्ती निवेश योजना जिसमें जीवन रक्षा और दुर्घटना रक्षा शामिल है। धनरक्षा और (iii) एक मीयादी निवेश योजना जिसमें वृद्धि और जीवन रक्षा और दुर्घटना रक्षा शामिल है धनवृद्धि।

9.10 विदेशों में धन जुटाने और अनिवासी भारतीयों तथा अन्य विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में निवेश की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अगस्त 1988 में 60 मिलियन अमरीकी डालर के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और अन्य देशों में इण्डिया ग्रोथ फण्ड इनकारपोरेटिड की शुरुआत की। इस राशि का पूर्ण अभिदाय हुआ। इण्डिया ग्रोथ फण्ड विशालीकृत निवेश कम्पनी है जो अमरीका के सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमीशन के यहां पंजीकृत है। उक्त निधि का निवेश गत उद्देश्य है, निवेश के माध्यम से प्रथमत: भारतीय कम्पनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में दीर्घकालीन पूंजी में वृद्धि की तलाश। इण्डिया ग्रोथ फण्ड न्यूयोर्क स्टाक एक्सचेंज की सूची में सूचीबद्ध है। फण्ड ने 31 दिसम्बर 1989 को समाप्त अवधि के लिए 2.5 प्रतिशत (12 अमरीकी डालर के प्रत्येक शेयर पर 30 सेंट का) अन्तरिम लाभांश घोषित किया है। फण्ड का शुद्ध आस्तिमूल्य (नेट एसेट वैल्यू) अगस्त 1988 के (जबकि इसकी शुरुआत की गयी थी) 10.94 डालर से बढ़कर 30 जून 1989 में 14.30 डालर हो गया।

9.11 1988-89 के दौरान पिछले अन्तराल में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी भारतीयों के लिए विदेशी करेंसी बांडों/जमा प्रमाणपत्रों की एक नयी योजना लागू करने के सरकारी निर्णय की घोषणा की। इस निर्णय के अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक ने नवम्बर 1988 में अमरीकी डालर मूल्य वाला अपना सात वर्षीय संचयी अप्रत्यावर्तनीय एन आर आई बांड (विस्तृत ब्यौरे के लिए रिपोर्ट भाग II देखें) जारी किया गया इस योजना के अधीन अनिवासी भारतीय द्वारा 138 करोड़ रुपये के बराबर राशि निवेश की गयी।

9.12 1989-90 के लिए केन्द्रीय बजट में वह मौद्रिक सीमा बढ़ायी गयी है जिस तक बांडों/डिबेंचरों पर प्राप्त ब्याज की आय पर स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जायेगी तदनुसार, अब वर्ष में 1,000 रुपये के बजाय 2,500 रुपए तक की ब्याज की रकम पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। इसके साथ अब बांडों/डिबेंचरों से होने वाली ब्याज आय की मौद्रिक सीमा लाभांश की आय के बराबर कर दी गयी है।

9.13 वर्ष के दौरान उठाया गया एक बड़ा कदम था जोखिम पूंजी कम्पनियों/जोखिम पूंजी निधियों (वी सी सी) / (वी सी एफ) की स्थापना के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा ताकि वे राजकोषीय छूट से लाभ उठा सकें। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कोई अनुमोदित जोखिम पूंजी कम्पनी/जोखिम पूंजी निधि, पूंजीगत लाभ पर गैर निगमित निवेशकों के लिए लागू दर पर तर्जीही कराधान की पात्र है बशर्ते वह जोखिम पूंजी कम्पनी/जोखिम पूंजी निधि निर्धारित शर्तें पूरी करती हो। कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित है:—

(क) जोखिम पूंजी कम्पनी/जोखिम पूंजी निधि का न्यूनतम आकार 10 करोड़ रुपये होना चाहिए। (ख) अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात 1:1.5 होना चाहिए, और (ग) किसी कम्पनी में अधिकतम कुल निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड

9.14 पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि अन्तरिम सन्धा, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना की गयी है ताकि प्रतिभूति बाजार का सुव्यवस्थित और स्वस्थ तरीके से विकास हो सके और निवेशकों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से सम्बन्धित वर्तमान विधान का अध्ययन करने के पश्चात भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ने इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधान बनाने के लिए एक प्रारूप प्रस्तुत किया इसने शेयर बाजार बुनियादी आवश्यक तत्वों और प्रक्रिया में निरंतर आधार पर संभावित सुधार पर निगरानी रखने के लिए शेयर बाजारों के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण पर एक स्थायी समिति का गठन किया है।

भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लि

9.15 गत वर्ष की रिपोर्ट में ऋण निर्धारण एजेंसी के रूप में भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लि. के गठन का सन्दर्भ दिया गया था मार्च 1989 को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लि. ने 24 ऋण निर्धारण कार्य पूरे किये। भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लि. के ऋण निर्धारण के अन्तर्गत लगभग 875 करोड़ रुपये की कुल ऋण मात्रा आती है जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये की ऋण मात्रा के लिए चालू दर निर्धारण लागू होते है। 1988-89 में ऋण निर्धारण गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

भारतीय स्टाक धारित निगम लि.

9.16 भारतीय स्टाक धारित निगम लि. एक आगार (डिपोजिटरी) संस्था है जिसका प्रायोजन सात अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (यथा,

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक) द्वारा किया गया है और अगस्त 1988 में परिचालन शुरू किया गया भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. की स्थापना का मुख्य लक्ष्य यह है कि शेयरों के अन्तरण और अन्य प्रकार के स्क्रिपों के अन्तरण के लिए पूंजी प्रविष्टि प्रणाली (बुक एन्ट्री सिस्टम) आरम्भ की जाए ताकि विपुल-भार कागजी कार्रवाई से बचा जाए और अन्तरण में विलम्ब को कम किया जाये। भारतीय स्टाक धारिता निगम लि. ने मार्च 1989 तक 1,09,853 अन्तरण सम्बन्धी मामलों और 1,86,838 स्क्रिपों में सम्बन्धित 1 10 करोड़ रुपये मूल्य की खरीद की है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता

9.17 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (यथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं) द्वारा स्वीकृत और वितरित सहायता, निवेश आशयों की महत्वपूर्ण निर्देशक है। साथ ही इनसे उद्योग में निवेश की गति का भी संकेत मिलता है। 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान इन संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सहायता अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कुल 13,913 करोड़ रुपये थी जो गत वर्ष (8,868 करोड़ रु.) से 56.9 प्रतिशत अधिक थी। 1987-88 (अप्रैल-मार्च) में विकास दर केवल 20.1 प्रतिशत थी। मुख्यतः कुछ उर्वरक परियोजनाओं को बड़ी राशि की स्वीकृति के कारण से वर्ष 1988-89 में पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्ष 1988-89 के दौरान 8,526 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का वितरण हुआ जो वर्ष 1987-88 (6,323 करोड़ रुपये) से 34.8 प्रतिशत अधिक था। गत वर्ष वितरण में 19 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

कम्पनी निवेश

9.18 1989 से भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी कम्पनी क्षेत्र में निवेश पर पूर्वानुमान लगाना शुरू कर दिया है जो मीयादी ऋणदायी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत तथा चरणबद्ध रूप से किये जाने वाले परियोजनाओं की पूंजी व्यय के अनुमानों सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1988 के अन्त तक दी गयी स्वीकृतियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कुल 7,026 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय वर्ष 1988 के दौरान किये जाएंगे, यानी 1987 के दौरान किए गए व्यय की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मिलों की पुनर्भराई और तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत किसी कम्पनी की निवेश मांग सहित, कुल पूंजी व्यय 7,413 करोड़ रुपये आया जो 1988 में व्यय किया गया होगा। वर्ष 1989 के लिए मिलों की पुनर्भराई और तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत निवेश वित्त सहित 1988 तक स्वीकृत कतिपय परियोजनाओं के सम्बन्ध में 1989 के लिए पूर्वानुमान में कुल 9,900 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय का अनुमान लगाया गया है जो वर्ष 1988 के तदनुरूप प्राक्कलन पर 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

9.19 1988-89 में भारत सरकार ने लघु उद्योगों के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए तथा लघु क्षेत्र में उद्योगों के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करने के वास्ते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के गठन की घोषणा की। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक संस्था के रूप में होगा और राष्ट्रीय इक्विटी निधि तथा लघु उद्योग विकास निधि के प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी लेगा।

भारतीय पर्यटन वित्त निगम

9 20 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं और बैंकों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. (भा. प. वि. नि. लि.) का गठन फरवरी 1989 में किया। भारतीय पर्यटन वित्त निगम की प्रारंभ में प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ रुपये थी। पर्यटकों के लिए सुविधाएं तथा पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा भारतीय पर्यटन वित्त निगम ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के वास्ते मार्गदर्शी सिद्धान्त और नीतियां बनाएगा और उनका समन्वय करेगा। अतः यह नई संस्था सरकार की समग्र नीतियों के अन्तर्गत पर्यटन सम्बंधी कार्य-कलापों में विकासात्मक भूमिका निभाएगी।

इक्विटी मूल्य

9.21 1988-89 में इक्विटी कीमतों में विस्तृत आधार पर लगभग 63 प्रतिशत की वृद्धि आयी। साधारण शेयर कीमतों की भारतीय रिजर्व बैंक की अखिल भारतीय सूचकांक संख्या (आधार 1980-81-100) जो 28 मार्च, 1988 को समाप्त सप्ताह में 189.3 थी 25 जून 1988 को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 212.2 हो गई। इसके पश्चात् सितम्बर 1988 तक इसकी प्रवृत्ति वृद्धि की ओर अग्रसर रही और 29 अक्तूबर, 1988 को इसमें भारी वृद्धि देखी गयी। नवम्बर में सूचकांक में पुनः वृद्धि आयी और 26 नवम्बर, 1988 को यह 293.2 तक पहुंच गयी। तथापि, अगले माह में 31 दिसम्बर, 1988 को थोड़ा घटकर सूचकांक 286 3 पर रहा। जनवरी 1989 में सूचकांक की गति एक संकीर्ण दायरे में रही। फरवरी 1989 में मामूली वृद्धि आयी और 25 मार्च, 1989 को यह 308.2 के शिखर स्तर पर पहुंची।

सारणी 9 3 भारतीय रिजर्व बैंक—साधारण शेयर कीमतों का अखिल भारतीय सूचकांक

(आधार 1980-81-100)

माह/वर्ष	औसत	अधिकतम	न्यूनतम
1	2	3	4
1988 अप्रैल	189 5	195.6 (30-4-88)	187.1 (2-4-88)
मई	202 9	207.4 (28-5-88)	198.8 (7-5-88)
जून	215 0	218 6 (11-6-88)	212.2 (25-6-88)
जुलाई	212 3	215.1 (30-7-88)	209.5 (9-7-88)
अगस्त	215.2	216 5 (6-8-88)	214.2 (20-8-88)
सितम्बर	227.2	236 5 (24-9-88)	219.0 (3-9-88)
अक्तूबर	263 2	27.3 (29-10-88)	245.5 (1-10-88)
नवम्बर	284.6	293 2 (26-11-88)	274.7 (5-11-88)
1988 दिसम्बर	290.8	295.9 (3-12-88)	285.2 (24-12-88)
1989 जनवरी	285.9	288.0 (14-1-89)	283.5 (7-1-89)
फरवरी	290.3	292.4 (11-2-89)	287.3 (18 2-89)

1	2	3	4
मार्च	302.2	308.2 (25-3-89)	292.2 (4-3-89)
1987-88 (अप्रैल-मार्च)	207.3 (-10.1)@	227.1 (29-8-87)	189.3 (26-3-88)
1988-89 (अप्रैल-मार्च)	248.3 (+19.8)@	308.2 (25-3-89)	187.1 (2-7-88)

@पिछले वर्ष में प्रतिशत घट-बढ़ सूचित करता है।

9.22 वर्ष 1988-89 में साधारण मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक का औसत 248.3 रहा जो गत वर्ष के लिए औसत सूचकांक में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके विपरीत 1987-88 का औसत सूचकांक वर्ष 1986-87 में औसत स्तर के ऊपर के सूचकांक की तुलना में 10.1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है (सारणी 9.3)

9.23 पिछले वर्ष (4.32 प्रतिशत) की तुलना में 1988-89 में ईक्विटी पर औसत कुल वृद्धि में गिरावट आयी यानी वह 3.85 प्रतिशत रही।

10. बाह्य क्षेत्र की गतिविधियां

भुगतान संतुलन

10.1 अच्छे निर्यात के होते हुए भी 1988-89 में भुगतान संतुलन भारी दबाव में रहा क्योंकि आयात बिलों में तेजी से वृद्धि आयी और बड़े पैमाने पर विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत जो वर्ष के दौरान शिखर पर थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को बड़ी अदायगियां की गयीं। आयात बिलों में तेजी से वृद्धि के मुख्य कारण थे गत वर्ष के सूखे से आवश्यक हुए अनिवार्य वस्तुओं के आयात कुछ वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संदर्भ में पूंजीगत माल का अधिक बड़ी मात्रा में आयात यद्यपि पूरे राजकोषीय वर्ष 1988-89 के भुगतान संतुलन संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, अनुमान है कि सकल देशी उत्पाद (चालू बाजार मूल्य पर) से चालू खाते घाटे का अनुपात 1687 88 के 1 9 प्रतिशत से बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया है। सारणी 10.1 और 10.2 में वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि का भारत के भुगतान शेष का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 10.1. चालू बाजार कीमत पर सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू खाता लेनदेन

(प्रतिशत में)

	1980-81	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6
1. निर्यात	4.8	5.2	4.4	4.5	5.0
2. आयात	9.2	8.1	8.1	7.7	7.8
3. व्यवसाय घाटा	4.4	2.9	3.7	3 2	2.8
4. अदृश्य प्राप्तियां (कार्यालयीन अनुदान सहायता सहित)	4.3	3.6	3 0	2.8	2.8
5. अदृश्य भुगतान	1.1	1.9	1.6	1.6	1.9
6 अदृश्य (शुद्ध 4—5)		1.7	1.4	+1.2	+0.9
7. चालू खाता** धारा (3—6)	1.2	1.2	2.3	2.0	1.9

**यहां आधिकारिक अनुदान को चालू प्राप्तियों के एक हिस्से के रूप में समझा जाता है। ये सारणी 2.2 में प्रस्तुत विदेशी संसाधनों के शुद्ध आगमन के अंदर आते हैं।

10.2 1988-89 के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में (जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियां, स्वर्ण एवं विशेष आहरण अधिकार सम्मिलित है) 647 करोड़ रुपये की गिरावट आयी और वे 1988-89 में घटकर 7,040 करोड़ हो गयी जबकि उनमें 1987-88 में 465 करोड़ रुपये की गिरावट आयी थी। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के रूप में ये प्रारक्षित निधियां मार्च 1989 के अंत में 3,715 मिलियन* विशेष आहरण अधिकार के बराबर थीं।

इस प्रकार ये वर्ष 1988 89 में 771 विशेष आहरण अधिकारों की गिरावट दर्शाती है, जबकि 1987-88 में 627 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों की गिरावट आयी थी। सारणी 10.3 पिछले तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित कोष सुविधा लेनदेन और भारत की विदेशी विनियम मुद्रा प्रारक्षित निधि संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती है।

10.3 राजकोषीय वर्ष 1988-89 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 1,749 करोड़ रुपये (1.547 करोड़ रुपये विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत तथा 202 करोड़ रुपये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि सुविधा के संबंध में (की राशि की अदायगी की गयी, जबकि गत वर्ष में,)

सारणी 10 2 : भारत का भुगतान संतुलन (प्रारंभिक)

(करोड़ रुपये में)

	1987-88	1986-87	1985-86
1	2	3	4
(क) चालू खाता			
निर्यात	+16,396	+13,315	+11,578
आयात	—25,392	—22,669	—21,164
व्यापार संतुलन	—9,296	—9,354	—9,586
गैर मौद्रिक स्वर्ण	—	—	+29
आधिकारिक अंतरण (शुद्ध)	+532	+525	+307
अन्य अदृश्य (शुद्ध)	+2,471	+2,999	3,323
चालू खाता (शुद्ध)	—6,293	—5,830	—5,927

*अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों (आइ एफ एस) के अनुसार स्वर्ण का मूल्य प्रति औंस 35 विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) है।

1	9	3	4
(ख) पूंजी खाता			
निजी पूंजी	+2,248	+2,267	+2,091
बैंकिंग पूंजी	+75	--70	+186
कार्याधीन पूंजी			
ऋण	+6,832	+6,462	+3,683
परिशोधन	--2,834	--2,588	--1,152
विविध	+1,172	--172	+85
कुल पूंजी खाता	+7,493	+5,899	+4,893
(ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	--1,209	--672	253
(घ) विशेष आहरण अधिकार विनियोजन			
(ङ) पूंजी खाता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विशेष आहरण अधिकार विनियोजन (ख+ग+घ)	+6,284	+5,227	+4,640
(च) कुल चालू खाता, पूंजी खाता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विशेष आहरण अधिकार विनियोजन (क+ङ)	--9	--603	—1,287
(छ) भूल चूक	--947	--129	+580
(ज) प्रारक्षित निधियों और मौद्रिक स्वर्ण (कमी+)	+956	+732	+707

सारणी 10.3 : भारत की विदेश मुद्रा प्रारक्षित निधियां

निम्नलिखित माह के अंत में	विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां (करोड़ रुपयों में)			जोड़ (स्तंभ) (2+3+4)	कुल प्रारक्षित निधियां (वि०आ०अ० मिलियन)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित निधि सुविधा (वि०आ०अ० मिलियन में)		
	वि०आ०अ० **	स्वर्ण	विदेशी मुद्रा*			सकल आहरण	संचयी पुनः खरीद	बकाया शुद्ध आहरण 7-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मार्च 1986	161.40	274.28	7384.35	7820.03	5728	3900.00	131.25	3768.75
जून 1986	186.27	274.28	7084.91	7545.46	5338	3900.00	200.00	3700.00
मार्च 1987	231.76	274.28	7645.17	8151.20	5113	3900.00	562.50	3337.50
जून 1987	176.76	274.28	7276.44	7727.48	4908	3900.00	687.50	3212.40
मार्च 1988	125.25	274.28	7287.14	7686.67	4486	3900.00	1266.67	2633.33
जून 1988	149.70	274.28	5819.52	6243.50	3600	3900.00	1425.00	2475.00
मार्च 1989	160.74	274.28	6604.63	7039.65	3715	3900.00	2070.85	1829.15
जून 1989	212.46	274.28	6075.17	6561.91	3408	3900.00	2218.77	1681.23

*अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी के अनुसार स्वर्ण का मूल्यन 35 विशेष आहरण अधिकार (वि०आ०अ०) प्रति औंस की दर पर किया गया है।

**संबंधित महीनों के अंत में रुपया वि०आ०अ० विनिमय दर पर

टिप्पणी : सकल आहरण, पुनः खरीद राशियां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (शुद्ध आहरण) विस्तारित निधि सुविधा के संबंध में हैं। इनमें ट्रस्ट निधि ऋण की राशियां शामिल नहीं हैं)

अन्तर्राष्ट्रीय कोष न्यास निधि ऋण के संबंध में (की राशि की अदायगी की गई। जबकि गत वर्ष 1,339 करोड़ रुपये की) (1,209 करोड़ रुपये ई एफ एफ के अंतर्गत और 180 करोड़ रुपये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यास निधि ऋण के कारण अदायगी करनी पड़ी थी। मार्च 1989 को अंत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए बकाया ऋण ई एफ एफ और न्यास निधी के अंतर्गत क्रमशः कुल 1,829 मिलियन और 162 मिलियन विशेष आहरण अधिकार है और उस समय के विनियम दर पर थे क्रमशः : 3,697 रुपये करोड़ तथा 326 रुपये करोड़ के बराबर थे।,

विशेष आहरण अधिकार (वि. आ. अ.)

10.5 1988-89 के दौरान (जुलाई–जून) विशेष आहरण अधिकार की धारिताओं में 21.6 मिलियन वि. आ. अ. की वृद्धि हुई, जबकि 1987–88 (जुलाई–जून) के दौरान 26.6 मिलियन वि. आ. अ. की गिरावट आयी थी, 997 मिलियन वि. आ. अ. के मूल्य के बराबर वि. आ. अ० के अर्जन तथा पारिश्रमिक के रूप में 15.6 मिलियन वि. आ. आ. की प्राप्ति, अ. ठ. मु. कोष से 79: .8 मिलियन वि. आ. अ. की पुनखरीद अं. मु. कोष को 197.2 मिलियन वि. आ. अ. की राशि के प्रभारों / ब्याज की अदायगी (प्राप्त ब्याज अनुदान घटाकर) के कारण विशेष आहरण अधिकारों के स्तर में बढ़ोतरी हुई है।

स्वर्ण

10.6 जून 1989 के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक की 274 करोड़ रुपये की स्वर्ण धारिताएं उसी स्तर पर बनी रहीं जिस पर 9 जून 1988 के अन्त में थी।

वाणिज्यिक वस्तुओं का व्यापार

10.7 1986–87 तथा 1987–88 में देखी गयी घाटे में गिरावट की प्रवृत्ति आलोच्य वर्ष में प्रत्यावर्तित हो गयी। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी. जी. सी. आई. एस.) के द्वारा जारी किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988–89 में व्यापार घाटा बढ़कर 7412 करोड़ रुपये गया, जबकि मद् 1987–88 में 6.624 करोड़ रुपये था (आंशिक संशोधित आंकड़े 66581 करोड़ रुपये थे)। व्यापार घाटे में यह बढ़ोतरनिर्यात में लगातार बड़ी वृद्धि के बावजूद आयात में वृद्धि के कारण हुई (सारणी 10.4)।

सारणी 10.4 : भारत का विदेश व्यापार

मदें	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88 (अ)	1988-89 (अ)
1	2	3	4	5	6
	(करोड़ रुपये में)				
1. निर्यात	11,744 (+20.2)	10,895 (—7.2)	12,452 (+14.3)	15,719 (+26.2)	20,281 (+29.0)
2. आयात	17,134 (+8.2)	19,658 (+14.7)	20,096 (+2.2)	22,343 (+11.2)	27,693 (+23.9)
3. व्यापार संतुलन	—5,390	—8,763	—7,644	—6624	
	(मिलियन अमेरिकी डालरों में)				
1. निर्यात	9878 (+4.5)	8,905 (—9.9)	9,745 (+9.4)	12,123 (+24.4)	—7412 (+15.5)
2. आयात	14,412 (—5.9)	16,067 (+11.5)	15,727 (—2.1)	17,232 (+9.6)	19,123 (+11.0)
3. व्यापार संतुलन	—4,534	—7,162	—5,982	—5,109	—5,118
	मिलियन में (विशेष आहरण अधिकार)				
1. निर्यात	9,842 (+10.2)	8,431 (—14.3)	8,061 (—4 4)	9,181 (+13.9)	10,520 (+14.7)
2. आयात	14,359 (—0.8)	15,211 (+5.9)	13,009 (—14.5)	13,050 (+0.3)	14,377 (+10.2)
3. व्यापार संतुलन	—4,517	—6,780	—4,948	—3,869	—3,848

84.39 रुपये प्रति 10 ग्राम के सांविधिक मूल्य पर मूल्यांकित।

(अ) अनन्तिम

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।

10.8 महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1988–89 में रुपयों के रूप में निर्यात 29.0 प्रतिशत बढ़ा और तदनुसार 20.281 करोड़ रुपये हो गया और इस प्रकार वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 18.795 करोड़ रुपये से उपर हो गया। विशेष आहरण अधिकार के रूप में 1988-89 के दौरान, निर्यात 14.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1988-89 के दौरान 27,693 करोड़ रुपये का आयात 23.9 प्रतिशत अधिक था, जबकि 1987-88 में इसमें 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। विशेष आहरण अधिकार के रूप में, 1987-88 में आयात में केवल मात्र 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1988-89 में 10.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

निर्यात

10.9 1988–89 के निर्यात की मात्रा में वृद्धि संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। वस्तुओं तथा निर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में तथा विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1988-89 के दौरान निर्यात मात्रा में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है अर्थात लगभग पिछले दो वर्षों के बराबर ही वृद्धि अनुमानित है। मूलभूत राजकोषीय और ब्याज दर प्रोत्साहन के अलावा, निर्यात उत्पादन और तकनीकी उन्नति के लिए क्षमता प्रसार को प्रोत्साहित करने के लि उदार नीतियां और निर्यात लाभ में सुधार लाने के लिए उचित विदेशी मुद्रा दर नीति से निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा मिला है। बहुआयामी अभियान के अन्तर्गत पता लगाए गए चुहुत क्षेत्रों में निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करने पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार में उछाल के कारण आलोच्य वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि आ गयी है।

10.10 1988–89 के दौरान 19,776 करोड़ रुपये के गैर पैट्रोलियक तेल और स्नेहकयुक्त पदार्थों के निर्यात किए गए जो 4,690 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाते है अर्थात् गत वर्ष से 31.1 प्रतिशत ज्यादा है (सारणी 10.5)। वस्तुवार आंकड़ों से पता चलता है कि 1988-89 के दौरान निर्यात में इन वस्तुओं में महत्वपूर्ण वृद्धि रिकार्ड की गयी। रसायनों और संबंधित उत्पादनों में (86 प्रतिशत) रत्न और आभूषण (68 प्रतिशत), इंजीनियरी सामान (65 प्रतिशत), खनिज लौह (24 प्रतिशत), समुद्री उत्पादन (20 प्रतिशत) तथा बनी बनाई पोशाकों (17 प्रतिशत) में वृद्धि आयी। विशेष निर्यात प्रयास के लिए बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के रूप में निर्धारित 14 मदों में 4,683 करोड़ रुपये अर्थात 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गयी।

10.11 इन वस्तुओं के निर्यात में कमी रही : कपास (71 प्रतिशत), काजू गिरी (10 प्रतिशत) तम्बाकू (5 प्रतिशत) जबकि इन वस्तुओं के निर्यात में मामूली सी वृद्धि रही, काफी (6 प्रतिशत), चाय (1 प्रतिशत) और फल तथा सब्जियां (9 प्रतिशत) पिछले वर्ष के सूखे की स्थिति और विदेशी बाजारों में बढ़ी हुई स्पर्धा के कारण कृषि और इससे संबंधित उत्पादनों के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा।

10.12 जहां तक निर्यात व्यापार की दिशा का प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के पक्ष में झुकाव विशेष महत्व रखता है। भारत के निर्यात में इसका शेयर 1985–86 में 17.7 प्रतिशत था, जो बढ़कर 1988-89 में 24.4 प्रतिशत हो गया।

आयात

10.13 खाली हुए खाद्य भण्डारों की पूर्ति तथा 1987 के सूखे के कारण देश में हुई अनाज की कमी को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुओं यथा तेल और दालों के आयात की आवश्यकता पड़ी और मुख्य रूप से इस कारण 1988-89 में आयात में अचानक वृद्धि आयी। इसके

सारणी 10.5 : भारत द्वारा प्रमुख पण्यों का निर्यात
(करोड़ रुपये)

पण्य	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88 (अ)	1988-89 (अ)
1	2	3	4	5	6
I. कृषि और सम्बद्ध उत्पादन	2,996.5	3,018.3	3,422.0	3,146.9	3,347.3
II. कच्चे माल और खनिज	637.6	784.7	717.2	710.1	1,027.1
इसमें:					
कच्चा लोहा	459.4	578.8	546.6	542.8	672.5
III. निर्मित सामान	6,210.1	6,374.2	7,808.4	10,076.1	14,631.0
इसमें:					
1. वस्त्र और उनसे निर्मित सामान (हस्त निर्मित कालीनों को छोड़कर)	1,717.5	1,795.1	2,178.8	3,110.9	3,699.5
(क) सूती धागे, बने हुए फैब्रिक	620.4	573.7	637.2	1,063.8	1,131.3
(ख) समस्त वस्त्र संबंधी वस्तुओं की बनी-बनाई पोशाकें	953.3	1,067.0	1,330.5	1,790.8	2,096.9
2. चमड़ा और निर्मित चमड़ा तथा चमड़े की चप्पलें-जूते आदि	724.1	769.9	922.1	1,148.2	1,487.7
3. हस्तकला की वस्तुएं (हस्त निर्मित कालीनों सहित)	1,750.8	1,881.4	2,547.6	3,253.2	5,193.2
जिसमें:					
रत्न तथा आभूषण	1,237.1	1,502.7	2,074.3	2,613.5	4,398.1
4. रसायन और सम्बद्ध उत्पादन	462.9	497.5	583.2	822.9	1,531.0
5. मशीनरी, परिवहन उपकरण और धातु निर्मितियां (लोहे और इस्पात सहित)	956.1	954.1	1,132.7	1,432.0	2,359.8
IV. खनिज और स्नेहक	1,822.9	644.7	411.2	633.1	505.0
योग (अन्य वस्तुओं सहित)	11,743.7	10,894.6	12,452.4	15,719.4	20,280.9

अ. अनन्तिम।
केवल कच्चे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की वस्तुओं से सम्बद्ध।

अतिरिक्त 1988-89 के दौरान आर्थिक गतिविधियों में उछाल के कारण बढ़ित आयात आवश्यकता, धातुओं, खाद्य तेलों, रासायनिक पदार्थों के आयात मूल्यों में वृद्धि और निर्यात की सहायता के लिए आवश्यक कच्चे मालों और आयातित पूंजी वस्तुओं के सुगम आगमन के परिणामस्वरूप आयात का बिल अधिक हो गया।

10.14 तेल के शुद्ध आयात (पेट्रोलियम निर्यातों में तेल आयात घटाकर) में 1987–88 के दौरान 1,050 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी; 1988–89 में इसमें 290 करोड़ रुपये की मामूली बढ़त हुई और वह 3,740 करोड़ रुपये हो गयी। गैर तैलीय आयातों में वृद्धि को 1987–88 के दौरान 5.8 प्रतिशत पर रोक रखा गया था। 1988–89 में इनके आयात में तेजी आई और इनमें 28.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1988–89 में वस्तुवार ब्यौरे से स्पष्ट होता है कि गैर तैलीय आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि निम्नलिखित वस्तुओं में देखी गयी : अनाजों और अनाजों से बने पदार्थ (598 करोड़ रुपये), निर्मित उर्वरक (321 करोड़ रुपये), अलौह धातु (210 करोड़ रुपये), लोहा और इस्पात (478 करोड़ रुपये), धात्विक लौह खनिज और धातु स्क्रैप (255 करोड़ रुपये) मोती, रत्न और उपरत्न (872 करोड़ रुपये), मशीनरी और परिवहन के उपकरण (577 करोड़ रुपये) और आर्गेनिक तथा गैर आर्गेनिक रासायनिक पदार्थ (851 करोड़ रुपये) (सारणी 10.6)

10.15 भारत के आयात का भौगोलिक विन्यास यह दर्शाता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भाग 1985–86 में 26.6 प्रतिशत था इस स्तर से यह अधिक रूप से बढ़कर 1988–89 में 31.4 प्रतिशत हो गया।

सारणी 10.6 : भारत द्वारा प्रमुख पण्यों का आयात

(करोड़ रुपये)

मदें	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88 (अ)	1988-89 (अ)
1	2	3	4	5	6
क. थोक आयात	10,039	10,574	7,790	8,561	10,476
(i) अनाज और अनाज से बने सामान	242	110	87	33	631
(ii) उर्वरक	1,346	1,436	921	486	928
(क) कूड	137	163	145	138	185
(ख) गंधक और बिना सफाई के लौह (पायराइट्स)	202	220	200	176	250
(ग) निर्मित	1,007	1,053	576	172	493
(iii) खाद्य तेल	950	749	634	920	727
(iv) अलौह वस्तुएं	412	542	517	576	786
(v) कागज, गत्ता और उनसे निर्मित वस्तुएं (न्यूज प्रिंट सहित)	195	226	217	258	306.
(vi) चीनी	96	418	224	174	नग.
(vii) कच्चा रबर	87	101	107	108	173
(viii) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से बने उत्पादन और उनसे सम्बद्ध सामान	5,409	4,989	2,811	4,083	4,245
(xi) लुगदी और रद्दी कागज	176	245	244	228	252
(x) धात्विक लौह खनिज और धातु स्क्रैप	185	363	472	422	677
(ix) लोहा और इस्पात	941	1,395	1,556	1,273	1,751
ख. मोती, रत्न और उपरत्न	1,032	1,100	1,489	1,994	2,866
ग. मशीनरी और परिवहन उपकरण	3,027	4,084	6,279	6,136	6,713
(i) विद्युत चालित मशीन	663	810	1,212	1,115	1,598
(ii) गैर-विद्युत चालित मशीन	1,995	2,705	4,263	2,889	2,919
(iii) परिवहन उपकरण	369	569	804	740	766
(iv) परियोजना वस्तुएं@		अनुपलब्ध		1,392	1,430
घ. आर्गेनिक और गैर-आर्गेनिक रासायनिक पदार्थ	857	1,089	1,145	1,051	1,932
ङ. अन्य	2,179	2,811	3,393	4,601	5,706
च. कुल आयात (क+ख+ग+घ+ङ)	17,134	19,658	20,096	22,343	27,693

अ अनन्तिम

@ पहले मशीनरी में सम्मिलित थे ।

सारणी 10.7 : वाणिज्यिक व्यापार

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वा.आ.सां.म. के आंकड़े			रिजर्व बैंक के आंकड़े		
	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1982-83	8,803	14,293	—5,490	9,137	14,913	—5,776
1983-84	9,771	15,831	—6,060	10,168	16,039	—5,871
1984-85	11,744	17,134	—5,390	11,959	18,680	—6,721
1985-86	10,895	19,658	—8,763	11,578	21,164	—9,586
1986-87	12,452	20,096	—7,644	13,315	22,669	—9,354
1987-88	15,741 (आ०सं०)	22,399 (आ.सं.)	—6,658 (आ.सं.)	16,396	25,692	—9,296

(आ.सं.)-आंशिक रूप से संशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों में अंतर

10.16 वाणिज्यिक पण्य व्यापार से सम्बन्धित आंकड़ों को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित भुगतान संतुलन के आंकड़ों और भारतीय वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (भा० वा० आ० व० सां० म०)) द्वारा प्रकाशित व्यापार संबंधी आंकड़ों के बीच हमेशा ही अंतर पाया जाता रहा है। आयात से संबंधित रिज़र्व बैंक के आंकड़े उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों से उच्चतर होते हैं। आंकड़ों में यह अंतर व्याप्ति, मूल्य निर्धारण, और अवधि के कारण पाया जाता है, (सारणी 10.7)।

10.17 निर्यात के संबंध में मुख्य अंतर इन कारणों से आता है: (क) उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों में पार्सल डाक द्वारा किये गये निर्यातों के आंकड़े शामिल न होना, (ख) मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अपनायी गयी प्रक्रिया में अंतर, और (ग) आंकड़ों के स्रोतों की भिन्नता। जहां तक मूल्य निर्धारण का प्रश्न है, रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के लिए विदेशी मुद्रा में बीजकीकृत निर्यातों को सम्बन्धित महीने की औसत विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के लिए ऐसे निर्यात बीजकों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरों पर परिवर्तित किया जाता है और ये दरें तीन महीनों में एक बार संशोधित की जाती हैं। रिज़र्व बैंक के आंकड़े जी आर/पी पी फार्मों* पर आधारित होते हैं। इन फार्मों में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत निर्यात प्रदर्शित होते हैं तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त अल्प निर्यात और अवरुद्ध निर्यात संबंधी नोटिसों को भी इन फार्मों में समायोजित किया जाता है जबकि उक्त महानिदेशालय के आंकड़े लदान-पत्र (शिपिंग बिल) पर आधारित होते हैं और वे वास्तविक पोतलदान को व्यक्त करते हैं।

10.18 जहां तक आयातों का प्रश्न है, रिज़र्व बैंक के आंकड़े भुगतान पर आधारित होते हैं जबकि उक्त महानिदेशालय के आंकड़े सीमाशुल्क के पास पहुंचे माल पर आधारित होते हैं। आंकड़ों के इन दो स्रोतों में पाया जाने वाला प्रमुख अंतर निम्नलिखित कारणों से है: (क) गतिशील उपस्कर (जैसे जहाज और हवाई जहाज) प्राप्त करने के लिए किये गये भुगतानों को रिज़र्व बैंक के आंकड़ों में पूरी तरह शामिल किया जाता है, परन्तु उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों में उन्हें तभी शामिल किया जाता है जब वे उपस्कर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार, यदि प्राप्त किये गये जहाज मरम्मत इत्यादि के लिए विदेशी बंदरगाहों पर हों या उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में माल ढोने के लिए किया जाता है तो उनसे सम्बन्धित आंकड़ों का समावेश उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों में नहीं होता। (ख) जिन आयातों के लिए भुगतान कर दिया गया हो और जिसके लिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति अपेक्षित न हो, वे रिज़र्व बैंक के आंकड़ों में शामिल होते हैं परन्तु उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों में उनका समावेश नहीं होता। (ग) आपूर्तिकर्ताओं के ऋण के संबंध में तथा नकदी भुगतान के आधार पर आयातित मशीनों और उपस्करों के संबंध में, आयातकों के लिए 10.15 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान करना आवश्यक होता है। रिज़र्व बैंक के आंकड़ों में इनका समावेश आयात के भुगतानों के रूप में होता है जबकि उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों में इस प्रकार की पूंजीगत वस्तुओं के आयातों के आंकड़ों को तभी शामिल किया जायेगा जब वे देश में पहुंच गयी हों। बढ़ते हुए आयातों की अवधि में इससे आयातों का भुगतान बढ़ सकता है। (घ) विदेशी सहायता और वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत आयातों के लिए किये गये भुगतानों के संबंध में आयातों को उस समय दर्ज किया जाता है जब आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाता है। उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों में इस प्रकार के आयातों का समावेश देश में माल पहुंच जाने के बाद किया जाता है। इससे भी रिज़र्व बैंक के भुगतान के आंकड़ों में अधिकता आ जाती है। (ङ) रिज़र्व बैंक के आंकड़ों में विदेशी मुद्रा से संबंधित आंकड़ों को माह की औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है जबकि उक्त महानिदेशालय के आंकड़ों में रुपयों में परिवर्तन उन विनिमय दरों पर किया जाता है जो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अग्रिम रूप से अधिसूचित की जाती है और जो तीन महीने में एक बार संशोधित की जाती है। यदि इस तथ्य को ख्याल में रखा जाय कि विनिमय दरें हर माह में बदलती रहती हैं, तो इससे आंकड़ों के दो स्रोतों में अंतर आयेगा।

अदृश्य प्राप्तियां

10.19 उपलब्ध जानकारी इस बात की ओर संकेत करती है कि 1988-89 के दौरान अदृश्य प्राप्तियों के खाते में कुछ वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पिछले तीन वर्षों के दौरान शुद्ध प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षित होने के बाद आयी है। उस अवधि के दौरान गिरावट इसलिये आयी क्योंकि, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी सहायता और वाणिज्यिक उधार राशियों पर दिये गये ब्याज में काफी अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। आलोच्य अवधि के दौरान अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि इसलिए हुई कि भोपाल गैस पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 642 करोड़ रुपये की राशि देश को प्राप्त हुई। विगत वर्षों की तरह विदेशी सहायता और वाणिज्यिक शर्तें दोनों के अंतर्गत उधार राशियां बढ़ने के फलस्वरूप निवेश-आय के भुगतानों में वृद्धि जारी रही। हो सकता है कि निजी अंतरणों के अंतर्गत आवक प्रेषण राशियों का स्तर वही बना रहा हो जो पिछले वर्ष था। अप्रैल-दिसम्बर 1988 के दौरान विदेश पर्यटकों का आगमन 5.7 प्रतिशत अधिक रहा, हालांकि यह दर 1987 की तदनुरूप अवधि की 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम थी। अदृश्य प्राप्तियों के अंतर्गत अन्य मदों में समग्रतः देखा जाये तो, हो सकता है, वर्ष के दौरान कोई उल्लेखनीय घटबढ़ न हो।

विदेशी सहायता, द्विपक्षीय लेनदेन और वाणिज्यिक उधार राशियां

10.20 1988-89 के दौरान विदेशी सहायता के अंतर्गत सकल संवितरण 5,167 करोड़ रुपये रहा, जो 1987-88 के सकल संवितरण से 135 करोड़ रुपये अधिक है। विदेशी ऋण सहायता की चुकौती राशि 1,659 करोड़ रुपये रही जो 1987-88 के 1,581 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक थी, (सारणी 10.8)। इसके परिणामस्वरूप 1988-89 के दौरान विदेशी ऋण सहायता की शुद्ध आवक (चुकौतियों को घटाकर) 3,508 करोड़ रुपये की हुई, जबकि 1987-88 में वह 3,457 करोड़ रुपये थी, क्योंकि जापान और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से प्राप्त शुद्ध ऋण सहायता अधिक थी। फिर भी, अमेरिकी डालर में 1988-89 में विदेशी सहायता की शुद्ध आवक 2,422 मिलियन डालर रही जो 1987-88 के 2,662 मिलियन डालर की तुलना में कम है। आलोच्य वर्ष के दौरान द्विपक्षीय खाता देशों के साथ लेन-देन से 264 करोड़ रुपये की शुद्ध आवक हुई, जबकि 1987-88 के दौरान 165 करोड़ रुपये की शुद्ध आवक हुई थी। 1987-88 में वाणिज्यिक उधार राशियों का उपयोग 2,106 करोड़ रुपये (1.6 बिलियन अमेरिकी डालर) का था, (सारणी 10.9), जबकि 1988-89 की तदनुरूप राशि अधिक होने की संभावना है।

अनिवासी (विदेशी) रुपया खाते और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की जमाराशियां

10.21 1988-89 के दौरान अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना के अंतर्गत 245 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि पिछले वर्ष 300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत 1988-89 के दौरान 2,075 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि इसकी तुलना में, 1987-88 के दौरान 1,398 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, (सारणी 10.10)। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों की आवक में जो स्थिरता आयी उससे पिछले कुछ वर्षों के दौरान भुगतान संतुलन को काफी बल मिला।

* पोत लदान और पोस्ट पार्सलों के लिए संबंधित रिपोर्ट घोषणाएं

सारणी 10.8 : विदेशी सहायता

(करोड़ रुपये)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
	1	2	3	4
1. ऋण	2,495	3,176	4,575	4,709
2. अनुदान	443	420	457	458
3. सकल उपयोग	2,938	3,596	5,032	5,167
4. अदायगी	776	1,176	1,581	1,659
5. शुद्ध (3—4)	2,162	2,420	3,451	3,508

टिप्पणी 1. ऋण और अनुदान, लेनदेन की तारीख को प्रचलित दरों पर रुपयों में परिवर्तित किये जाते हैं ।

2. "ऋण" में सरकार और गैर-सरकारी दोनों ऋण शामिल हैं परन्तु उसमें आपूर्तिकर्ता का ऋण और विदेशी सहायता शामिल नहीं है ।

3. "अनुदान" में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपाती निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम निधि, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान शामिल नहीं है ।

सारणी 10.9 : वाणिज्यिक उधार राशियां

(करोड़ रुपये)

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
	1	2	3	4
उपयोग (सकल)	1,472	1,827	3,115*	2,106*

*अग्रिम भुगतानों को छोड़कर

टिप्पणी : 1. ऋण और अनुदान, लेनदेन की तारीख को प्रचलित दरों पर रुपयों में परिवर्तित किये जाते हैं ।

2. "ऋण" में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ऋण शामिल हैं परंतु आपूर्तिकर्ता का ऋण और विदेशी सहायता शामिल नहीं है ।

3. "अनुदान" में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपाती निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम निधि, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त अनुदान शामिल नहीं है ।

सारणी 10.10 : अनिवासी (विदेशी) खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अंतर्गत प्राप्त राशियां

(करोड़ रुपये)

राजकोषीय वर्ष	अनिवासी (विदेशी) खाता@	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता	कुल
1	2	3	4
1984-85	358	275	633
1985-86	287	1,151	1,438
1986-87	483	1,169	1,652
1987-88	300	1,398	1,698
1988-89 (अनंतिम)	289	2,075	2,364

@अनुमानित उपचित ब्याज को छोड़कर

10.22 मार्च 1989 के अंत में अनिवासी जमाराशियां 14,154 करोड़ रुपये थीं (अनिवासी विदेशी) खाता योजना के अंतर्गत 5,899 करोड़ रुपये और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अंतर्गत 8,255 करोड़ रुपये। (सारणी 10—11) ।

अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें

10.23 विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना पहले केवल पौंड स्टर्लिंग और अमेरिकी डालर पर ही लागू थी, अब इसे पहली अगस्त, 1988 से डयूश मार्क और येन पर भी लागू किया गया है । विदेश में प्रचलित ब्याज दरों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अनेक अवसरों पर ब्याज दरें संशोधित की गयीं । आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न मुद्राओं के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की जमाराशियों पर ब्याज दरें सारणी 10.12 में दर्शायी गयी हैं ।

सारणी 10.11 : अनिवासी भारतीयों की जमा देयताएं

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता@

(करोड़ रुपये)

मार्च के अंत में	अनिवासी विदेशी (रुपया) खाता*	अमेरिकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	ड्यूश मार्क	येन	विदेशी मुद्रा अनिवासी (3 से 6)	कुल जोड़ (2+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1985	2,861	618 (499)	337 (218)			955	3,819
1986	3,461	1,759 (1,419)	430 (236)			2,189	5,650
1987	4,336	3,047 (2,360)	464 (224)			3,511	7,847
1988	5,107	4,406 (3,410)	541 (222)			4,947	10,054
1989	5,899	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,255	14,154

*उपचित ब्याज सहित

@इसमें उपचित ब्याज शामिल नहीं है।

टिप्पणी—कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े सम्बन्धित विदेशी मुद्रा की बकाया जमा राशियां हैं जो मिलियन में हैं।

विदेशी ऋण

10.24 सातवीं योजना के दौरान चालू खाते का घाटा काफी अधिक रहा तथा उसकी पुनरावृत्ति होती गयी। इस घाटे का वित्तपोषण अधिकतर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता के रूप में विदेशों से प्राप्त पूंजी, वाणिज्यिक उधार राशियों और अनिवासी जमाराशियों के माध्यम से ही करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी ऋण में पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। भारत का दीर्घावधि ऋण मार्च 1980 के अंत में अपेक्षाकृत कम (13,430 करोड़ रुपये) था, वह मार्च 1985 के अंत में बढ़कर लगभग 36,000 करोड़ रुपये हो गया तथा मार्च 1988 के अंत तक लगभग 55,000 करोड़ रुपये हो गया। मार्च 1989 के अंत में वह और बढ़कर 69,700 करोड़ रुपये हो गया (सारणी 10.13)।

10.25 विभिन्न स्रोतों ने भारत की विदेशी ऋणग्रस्तता का जो मूल्यांकन किया है वह सरकारी आंकड़ों में दर्शायी गयी ऋणग्रस्तता से कहीं अधिक है। ये अन्तर अधिकतर संकल्पनागत हैं और सरकारी अनुमानों तथा दूसरे अनुमानों के बीच के अन्तरों का मोटे तौर पर समाधान किया जा सकता है। ये अन्तर निम्नलिखित कारणों से हैं : सर्वप्रथम, सरकारी आंकड़ों में अनिवासी भारतीयों की जमा संबंधी देयतायें सम्मिलित नहीं हैं, दूसरे विनिमय दर के मूल्यांकन में अन्तर (अर्थात् बही मूल्य और बाजार-मूल्य में अन्तर) है। और तीसरे यह अन्तर इसलिये भी है कि

@इसे ऐसे किसी भी ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी मूल या विस्तारित अवधि एक वर्ष से अधिक की है।

सारणी 10.12 : विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों की जमाराशियों की ब्याज दरें

(प्रतिशत)

		अमेरिकी डालर				पौंड स्टर्लिंग				ड्यूश मार्क				येन			
निम्न दिनांक से लागू	अवधि समाप्ति	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23 मई, 1988		8.25	9.00	9.5	9.5	8.25	9.00	9.25	9.5	लागू नहीं							
13 जुलाई, 1988		8.5	9.25	9.75	9.75	8.5	9.25	9.5	9.75								
1 अगस्त, 1988		9.0	9.5	10.00	10.0	11.25	11.5	11.75	11.75	5.75	6.00	6.25	6.5	5.25	5.5	5.75	5.75
9 अगस्त, 1988		9.0	9.5	10.00	10.0	11.25	11.5	11.75	12.00	6.00	6.25	6.5	6.75	5.25	5.5	5.75	5.75
15 अगस्त, 1988		9.5	10.0	10.5	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	6.5	6.75	7.0	7.25	5.75	6.0	6.25	6.25
31 अक्तूबर, 1988		9.25	9.75	10.5	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	5.75	6.0	5.5	7.0	5.25	5.5	5.75	6.0
5 दिसम्बर, 1988		9.75	10.25	10.5	10.5	11.5	11.75	12.0	12.00	5.75	6.10	6.0	7.00	5.25	5.5	5.75	6.0
2 जनवरी, 1988		10.0	10.25	10.5	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	6.0	6.25	6.75	7.0	5.25	5.5	5.75	6 0
30 जनवरी, 1989,		9.75	10.5	10.5	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	5.75	6.75	7.25	7.0	5.25	5.5	5.75	6.0
22 फरवरी, 1989		10.5	10.75	11.0	11.0	11.5	11.75	12.0	12.0	7.0	7.25	.7.5	7.75	5.25	5.5	5.75	6.0
14 मार्च, 1989		10.75	11.0	11.25	11.25	11.5	11.75	12.0	12.0	7.75	7.50	7.5	7.75	5.25	5.50	5.75	6.0
17 मई, 1989		10.25	10.5	10.75	10.75	11.5	11.75	12.0	12.0	7.5	7.75	7.75	8.0	5.5	5.75	6.0	6.0
16 जून, 1989		9.5	9.75	10.0	10.0	11.5	11.75	12.0	12.0	7.5	7.75	7.75	8.0	5.75	6.0	6.25	6.25

टिप्पणी : दिनांक 1 अगस्त, 1938 से विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना को ड्यूश मार्क और येन पर भी लागू की गयी।

सरकारी आंकड़ों में अल्पावधि-ऋण को सामान्य व्यापारिक उधार के स्वरूप का माना गया है और इसलिए उसे ऋण नहीं समझा जाता। इन अन्तरों को स्वीकार करने पर यह देखा गया है कि विदेशी ऋण के आंकड़ों के विभिन्न सेटों में पाये गये अन्तर का समाधान करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है।

10.26 वर्तमान बाजार मूल्यों पर संकल देशी उत्पाद के एक भाग के रूप में, विदेशी ऋण जो मार्च 1980 की समाप्ति पर 12.5 प्रतिशत था, बढ़कर मार्च 1988 की समाप्ति तक 16.6 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान ऋण-निर्यात (माल का निर्यात तथा अमूर्त प्राप्तियां) अनुपात 131 प्रतिशत से तीव्रतापूर्वक बढ़कर 218 प्रतिशत हो गया। ऋण-सेवा अनुपात पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता रहा है। ऋण सेवा अनुपात अर्थात् ऋण सेवाएं चालू प्राप्तियों के प्रतिशतवार (निर्यात तथा सकल अमूर्त प्राप्तियां, इनमें प्राधिकारिक अन्तरण शामिल नहीं हैं) जो 1985-86 में 16 प्रतिशत था, 1986-87 में बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया, 1987-88 में यह प्रतिशत और भी बढ़कर 24 हो गया, जो कि सातवीं योजना के दस्तावेजों में परिकल्पित 17.6 प्रतिशत की औसत वृद्धि से काफी अधिक रहा।

सारणी 1013 : भारत का विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

	मार्च के अन्त में					
	1980**	1985	1986	1987	1988	1989अ
1	2	3	4	5	6	7
1. विदेशी सहायता	12,178	24,004	26,638	32,312	36,578	46,838
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	—	4,888	5,271	5,548	4,732	3,696
3. विदेशी वाणिज्य उधार राशियां*	1,251	6,908	8,075	11,243	13,543	19,147
4. जोड़ (1+2+3)	13,430	35,800	39,984	49,103	54,853	69,681

** भारत की अन्तर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के सर्वेक्षण पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल, 1985

* इसमें विदेशी ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-सरकारी ऋण शामिल है।

अ—अंतिम

प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों में घट-बढ़

10.27 अमरीकी मुद्रा को स्थिर करने के संबंध में जी-7 (कनाडा, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका) के मंत्रियों के बयान तथा वाशिंगटन में अप्रैल 1988 में तथा टोरंटो में जून 1988 में जी-7 की बैठक के बाद, प्रमुख औद्योगिक देशों के बीच वर्ष के दौरान और अधिक सहयोग बढ़ा और मुद्रा विनिमय बाजार पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। विशेषकर मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्तियों के उभरने के भय से अमरीकी मुद्रा नीतियों में और कसाव आ जाने के कारण अमरीकी डालर ने एक पक्का धीमा स्तर बनाये रखा। ड्यूश मार्क के पर्याप्त रूप में कमजोर हो जाने से पश्चिमी जर्मनी में आयातित मुद्रास्फीति के बारे में चिन्ता हो गयी, जबकि जापान में मजबूत देशी मांग के कारण वहां उच्चतर आर्थिक वृद्धि हुई जिससे येन/डालर स्तर में और भी वृद्धि हो जाने के बावजूद जापानी उत्पादक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धिता की सुनिश्चितता बढ़ी। अक्टूबर से दिसम्बर 1988 की अवधि को छोड़कर वर्ष के अधिकांश भाग में पौण्ड स्टर्लिंग नरम रहा। सितम्बर 1988 में जी-7 की विज्ञप्ति ने प्रचलित विदेशी मुद्रा दर की व्यवस्था सम्बन्धी पद्धति की पुष्टि की परंतु विदेशी मुद्रा दरों में और स्थिरीकरण के लिए नयी पहलों के संबंध में यह सुस्पष्ट नहीं हो सका। फरवरी 1989 की बैठक में जी-7 ने अपना जोर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की ओर लगा दिया। अप्रैल 1989 में जी-7 के अधिकारियों ने वर्तमान विदेशी मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता का स्वागत किया और सहयोग के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराया।

10.28 तीन लगातार वर्षों तक नरम रहने के पश्चात् 1988-89 (जुलाई-से-जून) के दौरान अमरीकी डालर प्रायः मजबूत रहा। विशेष आहरण अधिकारों और ड्यूश मार्क की तुलना में अमरीकी डालर सितम्बर और नवम्बर 1988 के बीच की अवधि को छोड़कर मजबूत रहा। अक्टूबर और नवम्बर 1988 को छोड़कर सभी महीनों में येन के मुकाबले डालर ऊंचाई का रुख बनाये रहा। पौण्ड स्टर्लिंग के मुकाबले डालर अक्टूबर से दिसम्बर 1988 तक की अवधि को छोड़कर मजबूत रहा। अधिकांश अवधि के दौरान पौण्ड स्टर्लिंग, डालर, येन और विशेष आहरण अधिकारों की तुलना में नरम रहा। ड्यूश मार्क की तुलना में पौण्ड स्टर्लिंग का भाव अगस्त 1988 और अक्टूबर 1988 से जनवरी 1989 तक बढ़ा।

10.29 जुलाई-जून 1987-88 के मुकाबले जुलाई-जून 1988-89 में आवधिक औसतों के आधार पर, डालर विशेष आहरण अधिकार, पौण्ड स्टर्लिंग तथा ड्यूश मार्क के मुकाबले क्रमशः 2.4 प्रतिशत, 2.0 प्रतिशत तथा 7.2 प्रतिशत मजबूत रहा, जबकि पहले वर्ष की इसी अवधि में यह क्रमशः 7.3 प्रतिशत, 12.9 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत नरम रहा था। फिर भी येन के मुकाबले यह 2 प्रतिशत नरम रहा, जबकि 1987-88 की इसी अवधि में इसमें 10.5 प्रतिशत का मूल्यह्रास हुआ। पौण्ड स्टर्लिंग 1988-89 (जुलाई-से-जून) के दौरान ड्यूश मार्क के मुकाबले 1.6 प्रतिशत और विशेष आहरण अधिकारों के मुकाबले 0.5 प्रतिशत बढ़ा, परन्तु डालर के मुकाबले इसमें 1.8 प्रतिशत और येन के मुकाबले 4.0 प्रतिशत का मूल्य ह्रास हुआ। येन ड्यूश मार्क के मुकाबले (9.3 प्रतिशत) विशेष आहरण अधिकार की तुलना में (4.5 प्रतिशत), डालर की तुलना में (1.3 प्रतिशत) और स्टर्लिंग की तुलना में (2.3 प्रतिशत) मजबूत हुआ। ड्यूश मार्क में सभी मुद्राओं की तुलना में मूल्यह्रास हुआ, जो येन से 8.4 प्रतिशत, स्टर्लिंग से 4.9 प्रतिशत, डालर से 6.7 प्रतिशत और विशेष आहरण अधिकार से 4.4 प्रतिशत रहा।

सारणी : 10.14 रुपया विनिमय दरें

(वि.आ.अ./विदेशी मुद्रा की प्रति यूनिट रुपए)

अवधि	वि.आ.अ.	अमेरिकी डालर	स्टलिंग	ड्यूश मार्क	येन
1	2	3	4	5	6
अ. वार्षिक औसत दरें (जुलाई-जून)					
1984-85	12.1618	12.2623	14.9567	3.9861	0.0492
1985-86	13.44.93	12.2366	17.6343	4.9358	0.0621
	(—9.6)	(+0.2)	(—15.2)	(—)19.2	(—20.8)
1986-87	15.9537	12.8528	19.6081	6.6747	0.0842
	(—15.7)	(—4.8)	(—10.1)	(—26.1)	(—26.2)
1987-88	17.5798	13.1300	23.0232	7.5982	0.0984
	(—9.2)	(—2.1)	(—14.8)	(—12.2)	(—14.4)
1988-89	19.7755	15.1414	25.9501	8.1634	0.1154
	(—11.1)	(—13.3)	(—11.3)	(—6.9)	(—14.7)
ब. मासिक औसत दरें					
जून, 1987	16.5140	12.8503	20.9345	7.0691	0.0890
जून, 1988	18.5573	13.8269	24.5718	7.8700	0.1086
	(—11.0)	(—7.1)	(—14.8)	(—10.2)	(—18.0)
जून 1989	20.4079	16.4349	25.6284	8.3079	0.1141
	(—9.1)	(—15.9)	(—3.7)	(—5.3)	(—4.8)
ई. निम्न तारीख को विनिमय दरें:					
जून 30, 1987	16.4317	12.9335	20.70	7.0697	0.0882
जून 30, 1988	18.4787	14.1225	24.10	7.7206	0.1055
जून 30, 1989	20.7035	16.5808	25.75	8.4807	0.1156

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े रुपये में प्रतिशत मूल्य वृद्धि (+)/मूल्यह्रास (—) का संकेत करते है।

रुपये की विनिमय दर

10.30 भारत के प्रमुख व्यापार सहभागियों के भारित मुद्रा समूह के संबंध में रुपये का मूल्य लगातार पौण्ड स्टर्लिंग की मध्यस्थ मुद्रा के संबंध में निर्धारित होता रहा है। 1988-89 (जुलाई-से-जून) के दौरान रुपया-स्टर्लिंग दर में समायोजनों की संख्या बढ़कर 229 हो गयी जबकि 1987-88 (जुलाई-जून) में वह संख्या 150 थी। जून 1988 के अंतर और जून 1989 के अन्त के बीच रुपये में जापानी येन की तुलना में 8.7 प्रतिशत, डालर की तुलना में 14.8 प्रतिशत और स्टर्लिंग की तुलना में 6.4 प्रतिशत की गिरावट आयी।

रुपया-रूबल विनिमय दर

10.31 ऋण के निपटारे और वाणिज्यिक सौदों के लिए रुपया-रूबल विनिमय दर में 1988-89 (जुलाई से जून) के दौरान तीन बार अर्थात 10 और 24 अक्टूबर तथा 20 नवम्बर 1988 को परिवर्तन हुए। तदनुसार, रुपया-रूबल दर में 9.5 प्रतिशत की नरमी आयी। जून 1988 के अंत में प्रति रूबल रु० 16.39 के मुकाबले जून 1989 में यह दर रु० 18.11 प्रति रूबल हो गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियां

10.32 वर्ष 1988 की मुख्य बात उत्पादन की उच्चतर वृद्धि दर के साथ-साथ औद्योगिक देशों में नियंत्रित मुद्रा स्फीति रही। इसके साथ ही विश्व व्यापार की मात्रा में लगभग 9 प्रतिशत की विशाल वृद्धि हुई जो कि चालू दशाब्दी में सर्वोच्च थी। विनिमय दरों में पर्याप्त रूप से एकरूपता होने के बावजूद तीन प्रमुख औद्योगिक देशों के बीच व्यापक विदेशी असंतुलन बने रहे। अनेक विकासशील देशों की वृद्धि पर ऋण समस्या एक अवरोध के रूप में बनी रही और इन विकासशील देशों के लिये संसाधनों के आगम में कोई स्पष्ट वृद्धि नहीं हो पायी है।

10.33 विश्व उत्पादन की वृद्धि दर 1988 में 4.1 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 1987 में यह 3.2 प्रतिशत थी। औद्योगिक देशों में वर्तमान आर्थिक उत्कर्ष अपना छठा वर्ष पूरा कर चुका है। औद्योगिक देशों में उत्पादन की समग्र वृद्धि दर 1988 में 4.1 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 1987 में यह 3.4 प्रतिशत थी। विकासशील देशों की स्थिति भी उत्साहवर्धक रही, यद्यपि इसकी गणना केवल एशिया के संदर्भ में ही की गयी। विकासशील देशों की वृद्धि दर 1988 में 4.3 प्रतिशत थी, जबकि 1987 में यह 3.3 प्रतिशत रही।

10.34 औद्योगिक देशों की आर्थिक गतिविधियों में हाल ही में आई मजबूती के बावजूद उनकी मुद्रास्फीति की दरों में उपभोक्ता मूल्यों के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई। यह 1988 के दौरान 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि 1987 में यह दर 2.9 प्रतिशत रही। इसका एक प्रमुख कारण रहा है—1987-88 में तेल से इतर पण्यों के मूल्यों में भारी वृद्धि। 1988 में अमरीकी डालर के संदर्भ में तेल मूल्यों में 20 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई। विकासशील देशों में मुद्रा-स्फीति की भारित औसत दर उपभोक्ता मूल्यों के माप के अनुसार 1988 में

67.1 प्रतिशत बढ़ी, जबकि 1987 में यह 40.5 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों में रिकार्ड की गई उच्च मुद्रास्फीति की दर 1988 में 14.6 प्रतिशत की उच्च सीमा पर थी, जबकि 1987 में यह 9.8 प्रतिशत थी।

10.35 1988 में विश्व व्यापार 9.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 1987 में यह 6.1 प्रतिशत ही बढ़ा था। यद्यपि औद्योगिक देशों के निर्यात वृद्धि की दर में 1987 में 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 1988 में 8.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। विकासशील देशों में निर्यात वृद्धि की दर 1987 की 10.6 प्रतिशत से मामूली रूप में बढ़ कर 11.00 प्रतिशत हो गई। वास्तव में तेल निर्यातकों ने इतर विकासशील देशों के निर्यात की दर कम होकर 1988 में 10.8 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि 1987 में यह दर 14.3 प्रतिशत थी। औद्योगिक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने निर्यात को वास्तविक अर्थों में 24.1 प्रतिशत तक बढ़ाया, जबकि 1988 में जापान और पश्चिमी जर्मनी की निर्यात वृद्धि दर क्रमशः 4.3 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत थी। उसी वर्ष में अमरीका के निर्यात वास्तविक अर्थों में 7.1 प्रतिशत बढ़े, जबकि जापान और पश्चिमी जर्मनी के मामलों में ये क्रमशः 16.7 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत रहे।

10.36 नीति समन्वय तथा विनिमय दर में परिवर्तनों के फलस्वरूप अमरीका और जापान के संबंध में चालू खाते के असंतुलनों को कुछ कम किया जा सका। अमरीका के चालू खाते का घाटा 1987 के 154 बिलियन डालर से गिरकर 1988 में 135.3 बिलियन रह गया, जबकि जापान के अधिशेष 1987 के 87.0 बिलियन से घटकर 79.5 बिलियन रह गये। परन्तु पश्चिमी जर्मनी के चालू खाते के अधिशेष 1988 में 3.5 बिलियन डालर से बढ़कर 48.5 बिलियन डालर हो गये। व्यापार और भुगतान असंतुलन के निरंतर बने रहने से विदेशी मुद्रा बाजारों की स्थिरता प्रभावित होती है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पद्धति में तनाव पैदा करती है। तीन प्रमुख औद्योगिक देशों के भारी विदेशी असंतुलनों में और अधिक कमी, यह अपेक्षा करती है कि घाटे वाले देशों में बचतों को बढ़ाने की नीतियों को मजबूत बनाया जाये और अधिशेष वाले देशों में देसी प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जाये। उनके लिये भी समायोजन उतना ही प्रासंगिक है जितना कि विकासशील देशों के लिए तथा विकसित अर्थव्यवस्था में उपयुक्त समायोजन के बिना विकासशील देश अपने ही समायोजन कार्यक्रमों से यथोचित लाभ उठाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। विकासशील देशों की मिलीजुली चालू खाते की शेष राशियां 1988 में, 19.1 बिलियन डालर के घाटे में चली गयी, जबकि, इसके विपरीत 1987 में 1.4 बिलियन डालर का अधिशेष था। यह आयातों में 17.0 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुआ जिसने उनके निर्यातों में हुई 12.5 प्रतिशत की वृद्धि को निष्फल कर दिया।

10.37 मुद्रास्फीति के बढ़ने के भय के फलस्वरूप 1988 में मुद्रागत स्थितियां तनावपूर्ण रहीं और साथ ही ब्याज दरों पर पर्याप्त दबाव रहा। छः माह के लिए जमाराशियों पर यूरो डालर दर 30 जून 1989 को बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गयी, जबकि 30 जून 1988 में यह दर 8.0 प्रतिशत थी। तदनुसार यूरो मार्क और यूरो येन दरें भी बढ़कर 30 जून 1989 को क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत हो गयीं, जबकि एक वर्ष पहले ये दरें क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत थीं।

10.38 ऋण समस्या अनेक विकासशील देशों में निवेश और वृद्धि के लिए एक प्रमुख बाधा बनी रही। विकासशील देशों का विदेशी ऋण (इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया ऋण सम्मिलित नहीं है) 1987 के 1231 बिलियन डालर से बढ़कर 1988 में 1240 बिलियन डालर हो गया। विकासशील देशों के संसाधनों का शुद्ध आगम 1988 में भी पिछले वर्ष की तरह कम स्तर पर रहा। विश्व ऋणसारणियों के अनुसार विकासशील देशों से संसाधनों का बाहरी अंतरण (दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में संवितरणों से ज्यादा ऋण चुकाने की अधिक राशि), 1988 में लगातार पांचवें वर्ष भी जारी रहा। 1984 से 1988 की पांच वर्ष की अवधि के बाद इस प्रकार के विपरीत अंतरण की राशि कुल मिलाकर 142.9 बिलियन डालर थी। 1988 में संसाधनों के विपरीत शुद्ध अंतरण लगभग 43.0 बिलियन रहने का अनुमान है, जबकि 1987 में यह 38.1 बिलियन डालर था।

10.39 इस बात की व्यापक रूप से मान्यता के बावजूद कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों को बढ़ाया जाये, कोटाओं की नौवीं सामान्य समीक्षा पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। नये विशेष आहरण अधिकारों के आबंटन में जो कई देशों को चलनिधि संबंधी समस्याओं का सामना करने में तथा वृद्धि-उन्मुख समायोजन प्रयासों को बढ़ाने में उनकी सहायता करते, अभी भी रुके पड़े हैं।

11 मूल्यांकन और संभावनाएं

11.1 वर्ष 1988-89 सातवीं पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष था। इस वर्ष के दौरान भारतीय अर्थ व्यवस्था का कार्य निष्पादन विशेषतः अच्छा रहा। वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत रही। इस योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान धीमी वृद्धि के बाद वस्तुतः यह एक स्वागत योग्य राहत थी। पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में गिरावट आती रही। परंतु इसके ठीक विपरीत आलोच्य वर्ष में लगभग 23 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि का अनुमान है। औद्योगिक उत्पादन में तेजी से सुधार परिलक्षित हुआ जिसकी वृद्धि दर 1987-88 की 7.3 प्रतिशत के मुकाबले 8.8 प्रतिशत रही। उद्योगों के बीच इस वृद्धि का वितरण भी काफी अच्छा रहा। इसमें निर्यात क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान रहा। 1988-89 के दौरान निर्यात में वृद्धि रुपयों की दृष्टि से 29 प्रतिशत और विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में लगभग 15 प्रतिशत रही। 1986-87 से 1988-89 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्यात में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तदनुसार निर्यात की मात्रात्मक वृद्धि में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी, जबकि पिछले साढ़े तीन दशकों में यह वृद्धि 2 से 3 प्रतिशत की कम दर पर बनी रही थी परंतु निर्यात में वृद्धि होने के बावजूद तथा लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के कारण भुगतान संतुलन में भारी गिरावट एक चिंता का विषय बनी हुई है।

11.2 1988-89 में भी वृद्धि संभावनाएं काफी उत्साहवर्द्धक प्रतीत होती हैं। जटिल मौसम प्रणालियों के विभिन्न मानदंडों के अध्ययन के आधार पर संपूर्ण 1989 के लिए संभावना व्यक्त की गयी थी कि मानसून की वर्षा लगातार सामान्य रहेगी। साथ ही संपूर्ण देश में उसका वितरण काफी अच्छा रहेगा। वर्षा से संबंधित इन अनुमानों की पुष्टि इन रिपोर्टों से हुई है कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून की वर्षा औसत से अधिक तथा सामयिक और बेहतर ढंग से वितरित रही है। खाद्यान्नों और नकदी फसलों के लिए विशेष उत्पादन कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाये गये। इससे सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, अब उनके प्राप्त होने की आशा की जाती है।

11.3 जहां तक उद्योग क्षेत्र का प्रश्न है, इस क्षेत्र में पिछले वर्ष की प्रलंबित वृद्धि का प्रसार और निवेश मांग के पुनरुद्धार का बढ़ती हुई प्रवृत्ति जैसे कि सरकारी ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूरियों और पूंजी निर्गम के लिये अनुमतियों से यह संकेत मिलता है कि 1989-90 में औद्योगिक वृद्धि में आयी गतिशीलता बनी रहेगी, भले ही उसमें वृद्धि न हो। निर्यात मांग में पर्याप्त वृद्धि भी इसमें सहायक होनी चाहिए।

11.4 अतः यह आशा की जाती है कि 1989-90 में कृषि उत्पादन में पिछले वर्ष के उच्च उत्पादन स्तर की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत

की वृद्धि होगी और उद्योग में हाल ही के वर्षों में परिलक्षित 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि बरकरार रखी रहेगी तो वास्तविक सकल देशी उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि की इस रूपरेखा को देखते हुए, सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित वार्षिक औसत लक्ष्यों से अधिक वृद्धि होगी, अर्थात सकल देशी उत्पाद के लिये 5 प्रतिशत, कृषि उत्पादन के लिए 4 प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन के लिए 8 प्रतिशत। इस सर्वतोमुखी उपलब्धि की तुलना में यदि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से की जाये तो यह बेहतर साबित होती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे इस समय तैयार किया जा रहा है, के लिए भी यह एक शुभ संकेत है।

11.5 किन्तु फिर भी ऐसे अनेक मसले हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। उनमें से एक मसला है कृषि का असंतुलित विकास। 1988-89 में जोरदार फसल हुई। इसके नौवें दशक के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक यौगिक दर यह दर्शाती है कि जहां आठवें दशक में वृद्धि 2.3 प्रतिशत थी वहां नौवें दशक में बढ़कर वह 2.7 प्रतिशत हो गयी है। परन्तु पूर्वी क्षेत्र में कुछ बढ़ोत्तरी के बावजूद अंतर राज्यीय असमानताएं अभी भी जारी हैं। इसी तरह फसलों के बीच भी असमानता बनी हुई है। अखिल भारतीय औसत से अधिक उत्पादन में वृद्धियों के माध्यम से होने वाली खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित रही। ये राज्य देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 13 प्रतिशत उत्पन्न करते हैं। देश के उत्पादन का लगभग 57 प्रतिशत भाग उत्पन्न करने वाले शेष राज्यों की उत्पादन वृद्धि अखिल भारतीय औसत से कम रही। बुआई का क्षेत्र बढ़ने की गुंजाइश न के बराबर है, इसलिए प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में समेकित कृत्रिम जल संचय और लघु सिंचाई कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तिलहन और दालों के उच्चतर उत्पादन के लिए अनेक योजनाएं बनायी गयी हैं। भूमि और जल प्रबंधन, फसल उत्पादन और पशुपालन के संबंध में समन्वित पद्धति के माध्यम से कृषि जलवायु उन्मुख क्षेत्रीय योजना बनाना कृषि संसाधनों के इष्टतम उपयोग में सहायक होगा। प्रौद्योगिकी वातावरण संबंधी पहलुओं के अतिरिक्त संस्थागत संरचना को मजबूत बनाने के प्रश्न पर, जिसमें भूमि सुधार, मूल्य समर्थन संबंधी कार्यकलाप और विपणन शामिल है, एक समान बल देने की आवश्यकता है।

11.6 1988-89 के खरीफ के मौसम में और 1989 के रबी के मौसम में खाद्यान्नों का अच्छा उत्पादन होने के बावजूद खाद्यान्नों के सरकारी स्टॉक निम्न स्तर पर बने रहे। जून 1989 के अंत में सरकारी क्षेत्र का चावल का स्टॉक 3.6 मिलियन टन रहा जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष 4.2 मिलियन टन का स्टॉक था। मौसमी निकासी के बाद यदि स्टॉक का जायजा लिया जाये तो सितम्बर 1989 के अंत में चावल का स्टॉक 1.5 मिलियन टन होगा। इसी संदर्भ में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस स्टॉक का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि समाज के कमजोर वर्गों को उसका अधिकाधिक सहारा मिले।

11.7 जहां तक उद्योग का प्रश्न है, पिछले पांच वर्षों से लगभग 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि लगातार बनी रही। यह वास्तव में उत्साहजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि औद्योगिक और व्यापार संबंधी नीतियों में हाल ही में किये गये परिवर्तनों से औद्योगिक तंत्र में अधिक कार्यकुशलता लाने पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा है प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किये गये। औद्योगिक विस्तार की तेजी पर संरचनात्मक दबाव कम हुए हैं। भारतीय उद्योग अब लागत और गुणवत्ता के प्रति लगातार सजग हो रहा है। इस बात के प्रमाण हैं कि हाल ही के वर्षों में कुछ उद्योगों में पूंजी उत्पादन अनुपात में सुधार हुआ है हालांकि यह अभी तक ऊंचा ही बना हुआ है। क्योंकि निवेश--सकल देशी उत्पाद अनुपात को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं, इसलिए आठवीं योजना में उच्चतर वृद्धि दर उन प्रयासों पर निर्भर होगी जो वृद्धिमान पूंजी-उत्पादन अनुपात को बढ़ाने के लिए किये जाते हैं। सुरक्षित परिवेश से अधिक मुक्त परिवेश की ओर संक्रमण हमेशा सरल नहीं होता। ऐसे में क्योंकि प्रतिस्पर्धा के तत्व मजबूत होते जाते हैं इसलिए औद्योगिक पुनर्विन्यास भी अनिवार्य हो जाता है। इसी संदर्भ में अक्षम रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को व्यवस्थित करने के लिये उपयुक्त नीति तैयार करना आवश्यक है।

11.8 नौवें दशक में उच्चतर वृद्धि दर हासिल करने के बाद भी अर्थ व्यवस्था में सकल देशी बचत की दर लगभग दस वर्ष तक सकल देशी उत्पाद के 21 प्रतिशत के आसपास बनी रही है। 1987-88 की 21.1 प्रतिशत की दर और 1988-89 का 21 प्रतिशत का प्रारंभिक अनुमान भी वस्तुतः क्रमशः 1980-81 और 1981-82 में दर्ज की गयी दर के बराबर ही हैं।

11.9 समग्र बचत दर में गतिरोध आ गया है क्योंकि क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिकूल प्रवृत्तियां मौजूद थीं। सरकारी क्षेत्र की बचत, 1981-82 में बाजार मूल्यगत सकल देशी उत्पाद के 1.6 प्रतिशत के शिखर स्तर पर थी। बाद के वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आयी और 1988-89 में यह 2.1 प्रतिशत पर आ गयी। निजी बचतों का तदनुरूप अनुपात इसी अवधि के दौरान 16.6 प्रतिशत से बढ़कर 18.9 प्रतिशत हो गया। निजी बचतों में निजी कंपनी क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम रहा और बाजार मूल्यगत सकल देशी उत्पाद के रूप में उसमें कोई खास वृद्धि नहीं पायी गयी। परंतु इसी अवधि के दौरान घरेलू बचत दर में वृद्धि हुई।

11.10 इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत दर बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। कतिपय विकासशील देशों का बचत संबंधी अनुभव यह बताता है कि उच्चतर बचत अनुपातों को निरंतर हासिल किया जा सकता है। बचत अनुपात बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र की बचत दर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए। परंतु यदि सरकारी क्षेत्र की बचत बढ़ाने के लिए राजकोषीय उपाय किये जाते हैं तो उसका निजी क्षेत्र की प्रयोज्य आय पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाजार मूल्यगत सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में यदि घरेलू क्षेत्र की बचत दर भी बढ़ानी है तो उस की प्रयोज्य आय में से की जानेवाली थोड़ी सी बचत तेजी से बढ़ानी होगी।

11.11 इन दीर्घकालीन और मध्यकालीन मसलों के अतिरिक्त वर्तमान संदर्भ में और भी कुछ विषय हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। ये विषय हैं--मुद्रास्फीति की दर; अर्थव्यवस्था में नकदी में वृद्धि; राजकोषीय घाटा और विदेशी भुगतान की स्थिति।

11.12 1988-89 के राजकोषीय वर्ष के दौरान यद्यपि थोक मूल्यों में वृद्धि की समग्र दर नरम रही फिर भी बाजार में अधिक मात्रा में फसल आने के बावजूद मूल्यों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति बनी रही। 1988-89 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक की औसत दर में केवल थोड़ी सी कमी आयी। सामान्य उपभोग की अनेक वस्तुओं के मूल्यों में काफी बढ़ोत्तरी हुई जिसके परिणामस्वरूप 1988-89 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगभग 9.0 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर लगातार बनी रही; हालांकि, खाद्यान्नों के बहुत बड़े स्टॉक की निकासी करके आपूर्ति को बढ़ाया गया और पण्यों का आयात भी किया गया।

11.13 विभिन्न वर्षों में पण्यों के मूल्यों में जिन तत्वों के कारण वृद्धि हुई वे इस प्रकार हैं: क्षेत्रीय मांग और आपूर्ति में असंतुलन, आयात लागत में वृद्धि, सरकारी मूल्यों को बढ़ाना और बजट लेखों में बढ़ोत्तरी। परन्तु मुद्रानिधि का अत्यधिक विस्तार किये बिना अनेक वर्षों तक निरंतर मुद्रास्फीति की स्थिति सम्भव नहीं की जा सकती। अतः मुद्रागत विस्तार को नियंत्रण में रखने के लिए कतिपय उपाय करने के बावजूद मुद्रानिधि का काफी अधिक विस्तार हुआ। इसका मुख्य कारण राजकोषीय क्षेत्र से उत्पन्न दबाव है। पिछले चार वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा सरकार को दिया गया शुद्ध ऋण लगभग दुगुना हो गया; मार्च 1985 के अंत में

यह 48,950 करोड़ रुपये था, इस स्तर से बढ़कर यह मार्च 1989 के अंत में 96,867 करोड़ रुपये हो गया। रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में दुगुने से भी अधिक की बढ़ोत्तरी हुई, अर्थात् यह 29,771 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़कर 60,618 करोड़ रुपये हो गया। यदि प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो बैंक द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में 18.6 प्रतिशत की वार्षिक यौगिक दर से वृद्धि हुई है जबकि रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिये गये शुद्ध ऋण में 19.2 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ोत्तरी हुई। मुख्यतः राजकोषीय घाटे के मौद्रीकरण के परिणामस्वरूप चार वर्ष की अवधि के दौरान आरक्षित निधि में 18.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्चतर वृद्धि हुई और समग्र नकदी (एम-3) में 17.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। नकदी आरक्षित निधि में वृद्धि करके, जो अब 15 प्रतिशत की सांविधिक सीमा तक पहुंच चुकी है, बैंकों की निधियों को काफी मात्रा में अवरुद्ध करने के बावजूद चलनिधि में यह तीव्र वृद्धि हुई। चलनिधि में हुई इस विशाल वृद्धि को इस अवधि के दौरान वास्तविक आय में हुई 5 प्रतिशत से कुछ ज्यादा की वृद्धि के संदर्भ में देखना होगा। चलनिधि में इस प्रकार की भारी मात्रा में निरन्तर वृद्धि निश्चय ही सामान्य मूल्य स्तर पर दबावों के रूप में परिलक्षित होगी। अतः बेहतर राजकोषीय संतुलन प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया जाना नितांत आवश्यक है।

11.14 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बजट घाटों में वृद्धि तथा सरकारी वित्त में उभरकर आने वाले संरचनात्मक असंतुलन का उल्लेख किया गया था। 1988-89 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्र सरकार के घाटे का अनुमान 7,940 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि बजट में 7,484 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। फिर भी लेखाबंदी पर आधारित आंकड़ों के अनुसार वास्तविक घाटा काफी कम अर्थात् 5,810 करोड़ रुपये का रहा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, घाटे का स्तर पूरे वर्ष काफी ऊंचा रहा है और केवल वित्तवर्ष के अंत में आकर घाटा काफी संयमित हो पाया। 1988-89 में बजट घाटे का पाक्षिक औसत 8,114 करोड़ रुपये था जो कि 1987-88 में 6,790 करोड़ रुपये के औसत घाटे से काफी ऊपर था। यह साल के अंत में घाटे के आंकड़ों से लगभग 40 प्रतिशत अधिक था। यह वांछनीय होगा कि घाटे को पूरे राजकोषीय वर्ष के दौरान धीरे-धीरे बढ़ाया जाए, ताकि मुद्रागत वृद्धि पूर्व अनुमेय सीमा के अंदर रहे।

11.15 सातवीं पंचवर्षीय योजना में (सरकार को रिजर्व बैंक के शुद्ध ऋण में यथा परिभाषित 14,000 करोड़ रुपये के घाटे के वित्तपोषण का अनुमान किया गया था। इसके मुकाबले पहले चार वर्षों में वास्तविक घाटा तथा योजना के पांचवें वर्ष के लिए बजट पूर्व अनुमान 33,10 करोड़ रुपये तक बढ़ गये अर्थात् योजना के अनुमानों से यह राशि लगभग ढाई गुनी हो गयी है। स्वस्थ आयगत वृद्धि और मूल्यों की स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि हमारी योजनाएं राजकोषीय घाटों पर निर्भर रहना छोड़ दें।

11.16 बजट का घाटा संयमित करने के लिए केन्द्र के राजस्व घाटे को यथाशीघ्र समाप्त करने को प्राथमिकता देनी होगी। यह राजस्व घाटा तेजी से बढ़ता रहा है और (संशोधित अनुमानों के अनुसार) 1988-89 में 11,030 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया। यह स्थिति सरकारी प्रशासन में बचत की वृद्धि की मांग करती है जो कि वर्षों से गिरती चली आ रही है। केन्द्र सरकार प्रशासन के अधिव्यय 1980-81 में 266 करोड़ रुपये के थे, जो 1984-85 में 1,906 करोड़ रुपय तक पहुंच गये। इसके पश्चात् सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में अधिव्ययों की यह स्थिति निरंतर रूप से और अधिक बिगड़ती चली गयी तथा 1988-89 में यह 8,602 करोड़ रुपय तक पहुंच गयी। इसके फलस्वरूप सरकार के चालू व्यय का बहुत बड़ा भाग अधिक बढ़े उधारों से चलाया जा रहा है। 1989-90 के लिए केन्द्र के ब्याज क भुगतानों का अनुमान 17,000 करोड़ रुपये लगाया गया है जो कि पूरे राजस्व व्यय का 27.4 प्रतिशत तथा कुल कर-राजस्व का 44.3 प्रतिशत बैठता है। 1989-90 में शुद्ध ब्याज के भुगतान कुल राजस्व व्यय का 14.4 प्रतिशत और कर-राजस्व का 23.3 प्रतिशत होंगे।

11.17 सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार के बढ़ते हुए स्तरों से दो प्रमुख चिंताएं सामने आती हैं। पहली चिंता सरकार द्वारा उधार की राशियों के वर्तमान स्तर की अविवेकपूर्णता से संबंधित है। जब तक कि सरकार के चालू व्यय में सार्थक कटौती न हो जिसे कि ऋण चुकाने के लिए प्रयोग में लाया जा सके, तब तक बजट घाटा निरंतर बढ़ता रहेगा। ऋण चुकाने के लिए बढ़े हुए उधार, उच्चतर ब्याज के बोझ को निरंतर बढ़ाने वाला दूषित चक्र पैदा करेंगे तथा अधिक उधार और बढ़ता जायेगा। दूसरी चिंता है सरकार के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के उधार के बढ़ते हुए स्तर से निजी क्षेत्र के निवेशों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में क्योंकि अर्थ व्यवस्था में हुए कुल निवेश को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लगभग बराबर-बराबर जाता है अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भली भांति पूरा किया जाये ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस संदर्भ में जिस बात पर बल देने की आवश्यकता है, वह यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बाजार से लिये गये उधारों की लागत बढ़ रही है। अतः यह आवश्यक होगा कि उनके निवेशों पर पर्याप्त आय हो जिससे वे ब्याज संबंधी देयताओं को पूरा करने के पश्चात् कुछ लाभ बाकी बचे।

11.18 अर्थव्यवस्था में परिवर्तन तथा औद्योगिक उत्पादन में आयी वृद्धि के कारण 1988-89 के दौरान भारतीय पूंजी बाजार की स्थिति में तेजी से सुधार दिखायी दिया। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा प्राथमिक बाजार से जुटाये गये स्रोत नयी ऊंचाइयों तक पहुंच जो कि 1986-87 की उच्चतम सीमा से भी आगे बढ़ गये। बाजार को ठोस आधारभूत तत्वों से शक्ति प्राप्त हुई जिसका प्रमाण है 1988-89 के दौरान निगमित क्षेत्र का बेहतर कार्यनिष्पादन। संस्थागत निवेशकर्ता, बाजार में वृद्धिशील महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए आगे आये। विशेषकर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रत्यक्षतः या अपने बैंकों के माध्यम से बाजार के साथ पारस्परिक लेनदेन तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक स्वागत प्रवृत्ति है क्योंकि बढ़ती हुई मात्रा में संस्थागत भागीदारी प्राथमिक और गौण बाजारों को स्थिरता तथा प्रोत्साहन दोनों प्रदान करेगी, अभिरुचि का बढ़ावा देगी और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धिशील नवोन्मेष लायेगी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अलावा कुछ अन्य पारस्परिक निधियां (म्युचुअल फंड) भी स्थापित हो चुकी हैं। यह आवश्यक है कि म्युचुअल फंड जैसे एक निर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थाएं एक ही राजकोषीय व्यवस्था और विनियामक ढांचे के अंतर्गत कार्य करें ताकि वे एक स्तर के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

11.19 स्रोतों से संबंधित समग्र बाधाओं के संदर्भ में, बड़ी-बड़ी निगमित संस्थाओं को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी बाजार का अधिक से अधिक सहारा लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके होते हुए भी मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं से वित्तीय सहायता कई गुना बढ़ चुकी है और अभी भी उद्योग के लिए वित्त का एक प्रमुख स्रोत है। भारतीय निगमित क्षेत्र के ऋण ईक्विटी अनुपात में कोई गिरावट नहीं दिखायी दी है, हालांकि उन्होंने पूंजी बाजार से प्रत्यक्षतः काफी संसाधन जुटाये हैं। मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं की निधियों की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि ब्याज की रियायती दरों पर जुटाये गये उनके संसाधनों का भाग कम हो गया है। उधार देने की स्थिति की ओर देखा जाये तो इन निधियों की आय में गिरावट आयी है क्योंकि इन निधियों का निरंतर बढ़ता हुआ अंश रियायती ब्याज दरों पर उधार दिया जाता है। मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए उपलब्ध विस्तार क्षेत्र सिकुड़कर एक ऐसे बिन्दु पर आ गये हैं जहां उनकी लाभदायकता बाधित हो सकती है। साथ ही बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के वास्ते मीयादी ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं को भी निधियां नियंत्रित बाजार से उधार

के कार्यक्रम के बाहर से जुटाने पड़ सकते हैं। इसके फलस्वरूप गैर-रियायती श्रेणियों को सीधे उधार देने के लिये सीमान्त ऋण की दरों में काफी लचीलापन तथा अनेक प्रकार की रियायती दरों में युक्तिसंगतता आयेगी।

11.20 हाल के वर्षों में, मुद्रा और ऋण नीतियों के निर्धारण में संरचनात्मक पहलुओं पर और ज्यादा बल दिया जाता रहा है। ये नीतियां ब्याजदर के विनियमों में ढील देने, ऋण सुपुर्दगी पद्धति में परिचालनगत अवरोधों को शिथिल करने तथा नयी मुद्रा बाजार लिखतें शुरु करने से संबंधित हैं। ये उपाय चाहे वह ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत पूर्व प्राधिकार की आवश्यकता को समाप्त करने के रहे हों या ऋणकर्ताओं को अपने खातों को बैंकों के बीच अंतरित करने की छूट देने को अथवा वे बैंकों की उधार देने की दरों के संबंध में दिये गये लचीलेपन से संबद्ध हों, या वाणिज्यिक पत्र (सीपी) या जमा प्रमाणपत्र (सीडी) शुरु करने से, इनका उद्देश्य नियमों की कठोरता को कम करना, लचीलेपन को बढ़ाना और सामान्य रूप से आर्थिक और वित्तीय पद्धति में अधिक निपुणता तथा स्पर्धा की भावना लाना है। निस्संदेह वित्तीय उदारता की इस गति को राष्ट्रीय नीति के संश्लिष्ट उद्देश्यों के अनुसार समायोजित करना होगा। साथ ही साथ, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वित्तीय प्रणाली मजबूत आधार पर विकसित हो और वित्तीय संस्थाओं की शक्ति बनी रहे।

11.21 इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दरों पर लागू नियामक सिद्धांतों के संबंध में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। अक्तूबर 1988 में, ऋण पर ब्याज की उच्चतम सीमा को हटा दिया गया और इसके बदले में 16 प्रतिशत की न्यूनतम दर निर्धारित की गयी जिसके कारण अब बैंकों को ग्राहकों से उनकी साख के रिकार्ड के अनुसार ब्याज वसूल करने की छूट है। साख निर्धारण की प्रक्रियाओं को स्थापित करने के संबंध में बैंकों ने समन्वित प्रयास करने की पद्धति का अनुसरण किया है और अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग करने में न्यायोचितता दिखाई है।

11.22 समीक्षाधीन वर्ष मुद्रा बाजार में अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियों का वर्ष रहा है। सभी मुद्रा बाजार लिखतों पर ब्याज दरों को मुक्त छोड़ दिया गया है और नयी लिखत जैसे अंतर बैंक सहभागिताएं, जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र विकसित किये गये हैं। भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह इन लिखतों को चलनिधि उपलब्ध करा कर एक सक्रिय गौण बाजार संवर्धित करने में सहायक रहा है। भारतीय मितीकाटा एवं वित्त गृह ने सर्वप्रथम वित्त वर्ष 1988-89 के अन्त में, और फिर 1 मई 1989 को जब ब्याज दरों की उच्चतम सीमा के हटने के बाद ब्याज की दरें एकदम चढ़ी थीं, बाजार में चालू प्रवृत्ति के विरुद्ध समर्थन देकर, मुद्रा बाजार में व्याप्त आर्थिक तंगी को दूर करने का प्रयास किया। यह संतोष का विषय है कि ब्याज दरें थोड़े समय तक बहुत ऊंची रहने के पश्चात् मुद्रा बाजार ब्याज दर के युक्तिसंगत स्तरों पर स्थिर हो गया। हालांकि भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह मुद्रा बाजार की लिखतों को चलनिधि उपलब्ध कराता रहेगा, परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक पर इसकी निर्भरता को मुद्रा नियंत्रण के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप सीमित करना होगा। अतः भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह को लम्बी अवधि के लिए संसाधन जुटाने वाली एजेंसी के रूप में नहीं बल्कि मुद्रा बाजार में अल्पावधि के लिए आये असंतुलनों को कम करने वाले मध्यस्थ के रूप में देखा जाना चाहिए। मुद्रा बाजार को अल्पावधिक अधिशेष निधियों का निवेश करने के लिए एक अवसर के रूप में तथा संसाधनों और निधियों के प्रयोगों के बीच आयी अल्पावधिक असंगतियों को दूर करने के एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिये। कोई भी मुद्रा बाजार भले ही वह कितना ही सुविकसित क्यों न हो सहभागियों के संसाधनों और निधियों के प्रयोगों के बीच संरचनात्मक असंतुलनों को पूरा करने का साधन नहीं बन सकता, विशेषकर जबकि उधार पर ब्याज की दरों को मुक्त छोड़कर बाजार पर संरचनात्मक निर्भरता को दुष्कर बना दिया गया हो। यह माना गया है कि नयी शुरु की गयी मुद्रा बाजार लिखतें जैसे जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्य पत्र कुछ समय के बाद ही विकसित होंगे। अतः यह आवश्यक है कि ब्याज दरों की निर्धारण की छूट को उधारकर्ता और निवेशकर्ता दोनों ही न्यायोचित रूप से प्रयोग में लायें। जमाप्रमाणपत्रों के मामलों में बैंकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ब्याज दरों और परिपक्वता अवधियों का अन्य जमाराशियों पर ब्याज दरों के साथ तथा निधियों के निवेश पर आय से संबंध बना रहे। वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि निर्गमों में बाजार का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कठोर मानदण्ड बनाये रखे जायें। केवल ऐसी स्थिति में ही वाणिज्यिक पत्र सक्षम मुद्रा बाजार लिखत के रूप में विकसित हो सकेंगे। मुद्रा बाजार सक्रिय हो जाने पर बैंकों और संस्थाओं को निधियों के प्रबंध पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

11.23 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने की नयी कार्यनीति अर्थात् सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण ग्रामीण सुपुर्दगी प्रणाली को सुधारने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। यह योजना लागू हो चुकी है और इसकी आयोजनाएं 1 अप्रैल 1989 से कार्यान्वित की जा रही है। आधार स्तर की एजेंसियों से प्राप्त प्रतिसूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि इस कार्यक्रम ने बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों में अनुकूल प्रतिक्रिया जागृत की है—पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 1989-90 के दौरान सेवा क्षेत्र कार्यक्रम कुल मिलाकर उच्चतर ऋण वितरण को प्रदर्शित करता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि बैंकों का शीर्ष प्रबंध तंत्र तथा नियंत्रक वर्ग कार्यक्रम की भलीभांति निगरानी रखता है तथा सभी शाखाओं द्वारा कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह देखना है कि ऋण उत्पादनोन्मुख हो तथा संबंधित क्षेत्रों में उससे आर्थिक विकास को गति मिले ताकि और अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो तथा उनकी आय में वृद्धि हो।

11.24 यह प्रस्ताव है कि आगामी 3 से 4 वर्षों के दौरान, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय बिन्दुओं के रूप में सभी जिलों में नाबार्ड के कार्यालय खोले जाएं : (i) स्थानीय क्षमता एवं संसाधनों से संबंधित वास्तविक ऋण योजनाएं तैयार करने में सहकारी समितियों तथा बैंकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना (ii) ऋण योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के बारे में सूचना संगृहीत करना, उसका विश्लेषण करना तथा उसे प्रचारित करना, (iii) बैंकों तथा सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं की ऋण योजनाओं के बीच समन्वय में सुधार लाना तथा (iv) अग्रणी बैंक अधिकारियों सहित, जिले के अधिकारियों से सम्पर्क सुदृढ़ करना। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का समर्थन देने, उत्पादकता बढ़ाने और ऋण दान की गुणवत्ता तथा उसकी आयोजना में और अधिक सुधार लाने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।

11.25 हाल के वर्षों में बैंकिंग प्रणाली के समन्वय पर काफी जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा तैयार की गई व्यापक कार्य योजनाएं कुछ समय से कार्यान्वित की जा रही हैं। संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण, आंतरिक पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण प्रणाली के उन्नयन, मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण की क्षमता तथा उसकी गुणवत्ता में वृद्धि ग्राहक सेवा तथा लेखा संबंधी आंतरिक कार्य में सुधार, बेहतर ऋण प्रबंध, उच्चतर उत्पादकता, मितव्ययता तथा बैंक की देय राशियों की वसूली एवं चरणबद्ध तरीके से नयी तकनीक के प्रवर्तन द्वारा इनका लक्ष्य उनकी परिचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार लाना है। इन प्रयासों के परिणाम सामने आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी बाण्डों की कूपन दरों में सुधार करके, जिनमें बैंक अपनी राशियों का निवेश करते हैं, रिजर्व बैंक द्वारा अवरुद्ध किए गए धन पर बेहतर प्रतिफल द्वारा तथा कीमतों के साथ और अच्छे मानदंडों की स्थापना के लिए सेवा प्रभारों में संशोधन करके बैंकों को लाभप्रदता के मार्ग की अनेक रुकावटों को दूर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक अंतरालों

को भरने पर जोर देते हुए, शाखा लाइसेंसीकरण नीति यह अपेक्षा करती है कि शहरों तथा कस्बों में नए कार्यालय स्पष्ट आवश्यकता तथा सम्भाव्य अर्थक्षमता के आधार पर खोले जाने चाहिएं।

11.26. यद्यपि इन उपायों से सहायता मिली है, फिर भी बैंकों की लाभप्रदता पर दबाव बना हुआ है जिसका कारण मुख्यत: रुग्ण अथवा कुप्रबंधित औद्योगिक इकाइयों अनियमित खातों तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित बैंक देयताओं की असंतोषजनक वसूली है। उपर्युक्त पहलू के संबंध में यह आवश्यक है कि अधिमान्यतः विशिष्ट न्यायाधीकरणों की स्थापना के माध्यम से बैंकों के दावों को लागू करने की प्रक्रिया को और अधिक त्वरित एवं प्रभावी बनाया जाए। अन्य बातों के बारे में जबकि बैंकों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपनी निधियों के पुनः प्रवर्तन के संबंध में अपने स्वयं के प्रयासों में तेजी लायें, इस बात का बहुत महत्व है कि वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों की देय राशियों की वसूली के लिए सामान्य वातावरण में सुधार लाया जाए। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए सुस्थापित प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। तथापि, सहकारी संस्थाओं की देय राशियों के संबंध में ब्याज संबंधी छूटों तथा ऋणों की पूर्णतः माफी के कारण बहु अभिकरण ग्रामीण ऋण प्रणाली के सभी अंगों से संबंधित उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन को गंभीर क्षति पहुंची है, उन लोगों के विरुद्ध भेदभाव हुआ है जो कि अपने ऋण दायित्वों की अदायगी करते हैं, निधियों का पुनः प्रवर्तन हतोत्साहित हुआ है तथा ऋणदात्री संस्थाओं पर बुरा असर पड़ा है एवं ग्रामीण समुदाय के लोगों को क्षति पहुंची है। वातावरण को और खराब होने से बचाने के लिए रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड को निश्चय करना पड़ा है कि सहकारी बैंकों का पुनर्वित्तीयन, ब्याज दर तथा अन्य निर्धारित अनुशासनों के अनुपालन पर निर्भर होगा।

11.27 भारत में वित्तीय बाजार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, बैंकों का विविधीकरण हुआ है तथा उन्होंने विभिन्न संबद्ध गतिविधियों जैसे कि पट्टे के कारोबार, व्यापारी बैंकिंग, आवास एवं पारस्परिक निधियों के क्षेत्रों में सीधे अथवा उक्त प्रयोजनों के लिए सहयोगी संस्थाओं की स्थापना करके प्रवेश किया है। बैंकेतर संस्थाओं के कार्यों में वृद्धि हो रही है तथा बैंकों एवं बैंकेतर संस्थाओं के बीच का भेद मिट रहा है। बाजार के विकास संबंधी गतिविधियों से तालमेल बनाये रखने के लिए तथा अपने कार्यों को अच्छी तरह करने के लिए बैंकों तथा उनकी सहयोगी संस्थाओं को अपने आप को आवश्यक कौशल से सुसज्जित करना है तथा जोखिम प्रबंधन विषयक अपने तरीकों में सुधार लाना है। बैंकों द्वारा स्थापित पारस्परिक निधियों का दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गये हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण मानदण्डों का अनुपालन भी बैंकों की सहयोगी संस्थाओं तथा बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं के लिए उतना ही आवश्यक है।

11.28 आवधिक निरीक्षणों को एक प्रधान उपकरण के रूप में जारी रखते हुए बैंकों के पर्यवेक्षण के उपयुक्त तौर, तरीकों को अपनाया जाना चाहिए ताकि बदलती हुई परिस्थितियों का सामना किया जा सके। बैंकों के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण मानदंडों को मजबूत बनाने के लिए उपाय किये गये हैं—जैसे कि अपेक्षित जोखिम प्रबंध, निष्क्रिय ऋणों का अभिज्ञान ताकि ऐसे ऋणों के ब्याज को आय में शामिल न किया जा सके तथा बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत बनाना। निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों तरह की प्रतिबद्धताओं के जोखिम के संबंध में पूंजी की पर्याप्तता से संबंधित उपयुक्त मानदण्डों को लागू करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। प्रथम बार भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी बैंकों के लिए एक न्यूनतम शुरुआती पूंजी की शर्त पहले ही लागू कर दी गयी है। बैंकों के शीर्ष प्रबंध तंत्र द्वारा ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की सूक्ष्म निगरानी की आवश्यकता है ताकि इस समय उपलब्ध हो रहे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सतत एवं दृश्यमान सुधार किये जा सकें।

11.29 निर्यात विषयक अति उत्तम निष्पादन के बावजूद, मुख्यतः भारी आयात मांग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संबंधी दायित्वों के एकत्रीकरण तथा विदेशी ऋणों से संबंधित ऋण वापसी अदायगियों में वृद्धि के कारण वर्ष 1988-89 के दौरान शेष अदायगियों की स्थिति पर अत्यधिक दबाव पड़ा। यद्यपि अमरीकी डालर के संदर्भ में वृद्धि दर वर्ष 1987-88 के 24.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1988-89 के दौरान 15.5 प्रतिशत रह गयी तथापि सातवीं योजना के दूसरे वर्ष से देखी गयी निर्यात संबंधी तीव्र वृद्धि लगातार बनी हुई है। निर्यात के संबंध में परिणाम वृद्धि लगभग 10 प्रतिशत होने का अनुमान है जो कि वर्ष 1988 में हुई लगभग 9 प्रतिशत की विश्व व्यापार संबंधी वृद्धि से सामंजस्य रखती है। यह सचमुच उत्साहवर्धक बात है कि लगातार तीसरे वर्ष निर्यात संबंधी परिमाण वृद्धि 7 प्रतिशत की उस वृद्धि से अधिक रही जिसकी अवधारणा योजना संबंधी प्रलेख में की गयी थी।

11.30 अमेरिकी डालर के रूप में निर्यात में वर्ष 1988-89 में वृद्धि दर (11.0 प्रतिशत) वर्ष 1987-88 की (9.6 प्रतिशत) की दर के मुकाबले तीव्रतर रही जिस के लिए कई तत्व जिम्मेदार रहे जैसे कि भंडारों की पूर्ति तथा उपभोग संबंधी आवश्यकताओं से निपटने के लिए 1987 के सूखे के कारण अपेक्षित आवश्यक निर्यातों का फैलाव, खाद्य तेलों उर्वरकों तथा अलौह धातुओं-जैसी कतिपय आवश्यक वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि अर्थव्यवस्था में हुए सराहनीय सुधार सहित निर्यात की अधिक मांग तथा निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण एवं संसाधन के वास्ते उच्चतर आयात। जब कि व्यापारिक लेखे में जिसमें सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान बड़े घाटे प्रदर्शित हुए थे, वर्ष 1988-89 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, शुद्ध अदृश्य आय से लगातार व्यापारिक घाटे के अपेक्षाकृत कम अंश की पूर्ति हो रही है। व्यापारिक घाटे के वित्तपोषण में शुद्ध अदृश्य के अंश में तीव्र गिरावट आयी और वह घटकर वर्ष 1980-81 के 72 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में 38 प्रतिशत एवं वर्ष 1987-88 में 32 प्रतिशत रह गया। चालू खातों में उभरने वाले घाटों का वित्तपोषण अंशतः प्रारक्षित निधियों की निकासी से परंतु मुख्यतः वाणिज्यिक उधारों सहित विदेश से अपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवक के माध्यम से हुआ है जिसके कारण देश के विदेशी ऋण में लगातार वृद्धि हुई है।

11.31 वर्ष 1988-89 के दौरान वर्ष 1987-88 के मुकाबले निरपेक्ष तथा सकल देशी उत्पाद से संबद्ध दोनों रूपों में चालू खाते के घाटे में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित होती है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान सकल देशी उत्पाद की तुलना में चालू खाते के घाटे का वार्षिक औसत अनुपात लगभग 2.2 प्रतिशत अर्थात् सातवीं योजना अवधि के लिए 1.6 प्रतिशत के औसत के लक्ष्य से काफी अधिक होगा। यद्यपि भारत का चालू खाता घाटा, सकल देशी उत्पाद अनुपात अनेक विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है फिर भी चालू खाते से संबंधित काफी बड़े घाटे के कारण देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों पर पर्याप्त दबाव पड़ा है जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि सकल देशी उत्पाद के अनुपात में चालू खाते के घाटे के स्तर में कमी की जाए।

11.32 बाह्य सहायता की शुद्ध आवक, वाणिज्यिक उधारों तथा अनिवासी जमा राशियों ने चालू खाते के घाटे के वित्त पोषण में लगभग बराबर की भूमिका अदा की है जबकि प्रारक्षित निधियों ने इसमें गौण भूमिका निभायी है। योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान विशिष्ट आहरण अधिकारों के रूप में प्रारक्षित निधियों में 2,289 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों की गिरावट आयी। इसके साथ ही, विदेशी ऋण में तीव्र वृद्धि हुई और वह मार्च 1985 के अंत के लगभग 36,000 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1988 के अंत में लगभग 55,000 करोड़ रुपये तथा मार्च 1989 के अंत में और बढ़कर 70,000 करोड़ रुपये हो गया जो कि चालू बाजार मूल्यों के आधार पर सकल देशी उत्पाद का 17.8

प्रतिशत बैठता है। पुनश्च उसी अवधि के दौरान कुल ऋण में वाणिज्यिक उधारों के हिस्से में वृद्धि हुई और वह 19 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 27.5 प्रतिशत हो गया। अनिवासी जमाराशियों की देयताओं में सिगुनी से अधिक वृद्धि हुई है और वह मार्च 1985 के अंत के 3,819 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1989 के अंत में 14,154 करोड़ रुपये हो गयी है। विदेशी ऋणों में वृद्धि के परिणामस्वरूप निर्यात में हुई निरंतर वृद्धि के बावजूद ऋण अदायगी अनुपात (निर्यात और कुल अदृश्य प्राप्तियों की तुलना में विदेशी उधारों से संबंधित ऋण वापसी) में तीव्र वृद्धि हुई है और यह 1984-85 के 13.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1988-89 में लगभग 25.00 प्रतिशत हो गया है।

11.33 पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात में न केवल रुपये के रूप में बल्कि परिमाण के रूप में भी अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है। भारतीय निर्यात का अब अच्छी तरह विविधीकरण हो गया है। विनिर्मित निर्यात के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह वर्ष 1983-84 के 50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1988-89 में 70 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है। नीति संबंधी विभिन्न प्रयासों—आयकर अथवा कारपोरेशन कर से निर्यात संबंधी लाभों को संपूर्ण छूट सहित राजकोषीय रियायतों, ब्याज दर संबंधी रियायतों, औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त करने में आसानी तथा रुपये के लिए एक समर्थक विनिमय दर के कारण भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक हो सका है।

11.34 निर्यातों की आयात संबंधी आवश्यकताओं में हाल में वृद्धि प्रदर्शित हुई है। कुछ सीमा तक यह प्रत्याशित था। तथापि चूंकि भुगतान संतुलन में सुधार के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय सही मापदण्ड है अत: इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नीतियों में यथा-वश्यक परिवर्तनों के माध्यम से निर्यातकों को अधिकाधिक देशी सामग्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम आयात की आवश्यकता वाले उत्पादों के निर्यातों जैसे कि कृषि आधारित निर्यातों के पक्ष में भी निर्यात समूहों की संरचना में परिवर्तन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्यात की आवश्यकता वाले अभिज्ञात क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने की व्यापक योजनाओं का समायोजन सूक्ष्म स्तर पर अलग-अलग बड़ी और मझौली इकाइयों के साथ किया जाना चाहिए। वास्तव में अपनी पर्याप्त प्रबंधन क्षमताओं एवं विश्वव्यापी संपर्कों वाले कारपोरेट क्षेत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्यात संवर्धन के लिए अब तक निभायी गयी अपनी भूमिका से काफ़ी अधिक सक्रिय भूमिका निभाये।

11.35 वर्ष 1988-89 के दौरान आयात में हुई अत्यधिक वृद्धि चिंता का कारण बनी हुई है। सातवीं योजना में प्रथम चार वर्षों के दौरान आयात में रुपये के रूप में 13.0 प्रतिशत तथा अमरीकी डालर के रूप में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि उसी अवधि के दौरान तेल से इतर आयात में अधिक तीव्र दर से वृद्धि हुई—रुपये के रूप में 19.2 प्रतिशत और अमेरिकी डालर के रूप में 13.4 प्रतिशत। योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान आयातों की आय का लोच औसतन लगभग 1.5 रहा है। व्यापारिक घाटे को रोकने के लिए आयात की सावधानी-पूर्ण योजना बनायी जानी चाहिए। यद्यपि अधिक व्यापक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आयातों से संबंधित नीतियों को जारी रखना होगा, यह वांछनीय होगा कि थोक एवं रख-रखाव संबंधी आयातों पर बारीकी से नजर रखी जाय। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सीधी बढ़ोत्तरी करने वाले कच्चे मालों और घटकों को खुले सामान्य लाइसेंस से अधिक प्रतिबंधित वर्गों में अंतरित करने की आवश्यकता है। पैट्रोलियम उत्पादनों के प्रयोग को नियंत्रित रखने के लिए बड़े बचत उपायों की आवश्यकता है। यद्यपि 1985-86 से 1988-89 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 30.32 मिलियन टन के आसपास स्थिर रहा है, पैट्रोलियम, तेल और स्नेहक पदार्थों का उत्पादन प्रति वर्ष 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में निश्चित कार्रवाई की आवश्यकता है। किसी स्तर पर उपभोग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अंतिम उपभोक्ता द्वारा देय मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक हो सकता है। पूंजीगत वस्तुओं और घटकों के आयात के संबंध में समग्र उद्देश्य यह होना चाहिये कि उनमें निहित तकनीक को अपना लिया जाए न कि उसके बार-बार आयातों को जारी रखा जाए।

11.36 वर्षों तक लगातार चालू खाता घाटे के कारण भारत की विदेशी ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई है। तथापि, सकल देशी उत्पाद के संबंध में भारत की विदेशी देयताएं और ऋण भुगतान अब तक उचित स्तरों पर रहे हैं। वे नियंत्रण में हैं। तथापि, आठवीं योजना के लिये जिसमें पिछली योजनाओं में निर्धारित विकास की दरों की तुलना में और अधिक विकास की दर का लक्ष्य रखा गया है विदेशी देयताओं को एक विवेकपूर्ण सीमा के भीतर रखने की नीति बरकरार रखनी चाहिए। उत्पादन सकल उत्पाद में 6 प्रतिशत विकास की अपेक्षित दर के लक्ष्य के साथ यह उचित लगता है कि अगली योजना के दौरान विदेशों से संसाधनों की शुद्ध आवक को सकल देशी उत्पाद के 1.5 से लेकर 1.6 से अधिक रखने का लक्ष्य न रखा जाए।

11.37 मोटे तौर पर आर्थिक नीति के तीन बड़े उद्देश्य हैं, विकास, सामाजिक न्याय जिसका अर्थ है आय का अधिक न्यायसंगत वितरण और मूल्य स्थिरता। जबकि ये सभी उद्देश्य मुद्रा नीति के लिए प्रासंगिक हैं, मूल्य स्थिरता को इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाया जाना चाहिए। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह नीति अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान नहीं दे सकती। सीधे ऋण विनिधान और ब्याज दर परिवर्तन की अनेक योजनाओं के माध्यम से ऋण और बैंकिंग नीति ने विशेषत: पिछले दो दशकों में इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता पहुंचायी है—तथा समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति और संतुलित क्षेत्रीय विकास में। तथापि, अन्य उद्देश्यों की अपेक्षा, मुद्रा नीति मूल्य स्थिरता के उद्देश्य के लिए अधिक प्रभावशाली योगदान देती है। आर्थिक और मुद्रा नीति, के उद्देश्य के रूप में मूल्य स्थिरता की महत्ता को सर्वत्र महत्व नहीं दिया जाता। कुछ परिस्थितियों में विकास के लिए थोड़े समय के लिए मुद्रास्फीति की उपेक्षा कर दी जाती है। दीर्घावधि विकास को बढ़ते हुए मूल्यों की सहायता से नहीं लाया जा सकता और यह सिद्ध करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि एक उच्चतर विकास दर उच्चतर मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई है। भारत में स्थिति इसके विपरीत है। वास्तव में यह मूल्य स्थिरता ही है जो ऐसा उचित वातावरण पैदा करती है जिसमें स्वस्थ और टिकाऊ विकास हो सके। एक ऐसी अर्थ व्यवस्था में जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग असंगठित क्षेत्र में काम करता है और जहां मुद्रास्फीति संरक्षण उपलब्ध नहीं है, मूल्यों को स्थिर रखना प्रगाढ़ रूप से सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा हुआ है।

11.38 मुद्रा आपूर्ति के विनियमन के लिए जो, असली उत्पादन के साथ, सामान्य मूल्य स्तर निर्धारित करते हैं प्रारक्षित मुद्रा पर एक उचित हद तक नियंत्रण रहना आवश्यक है। वर्षों से एक प्रथा बन गयी है कि केन्द्र सरकार के पूरे बजट घाटे की पूर्ति रिजर्व बैंक के वित्तपोषण द्वारा की जाती है, फलत: घाटे का स्वत: मुद्रीकरण हो रहा है। यह उस के अलावा है जो रिजर्व बैंक बाजार से उधार को समर्थन प्रदान करता है। अत: रिजर्व बैंक को लगातार घाटे के बढ़ते हुए प्रभाव को शून्य करने के लिए यथासंभव स्वयं ही निरंतर प्रयास करने होते हैं। प्रारक्षित मुद्रा के बढ़ते हुए स्तरों के कारण बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धिशील नकदी निधि को निरंतर आधार पर कम करने का प्रयास आवश्यक है। बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नकदी राशि को नियंत्रित करने का कार्य अतीत काल में मुख्यतः नकदी प्रारक्षित अनुपात को बढ़ाकर किया गया है। बारम्बार तथा तेजी से वृद्धि के कारण, नकदी प्रारक्षित अनुपात अब अपनी सांविधिक सीमा तक पहुंच चुका है।

11.39 एक प्रभावी मुद्रा नीति के अंतर्गत घाटे के धवढ का स्वत: मुद्रीकरण वांछनीय नहीं है। इस दिशा में कदम उठाने के लिए सकल देशी उत्पाद के हिस्से के रूप में राजकोषीय घाटे के स्तर को वर्तमान स्तर से

बहुत कम करने की आवश्यकता है। इससे मुद्रा आपूर्ति के विनियमन पर बेहतर नियंत्रण हो सकेगा। किन्तु मध्यम अवधि में, सरकार को यह लक्ष्य रखना चाहिए कि परस्पर सहमत सीमा तक रिजर्व बैंक से मार्गोपाय निभाव से अतिरिक्त अपने पूरे ऋणों को उपयुक्त ब्याज दरों पर बाजार में रखे। केन्द्र के राजस्व घाटे में पर्याप्त कमी करके इस लक्ष्य को सुविधापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इससे संपूर्ण आर्थिक नीति ढांचे में सुधार परिलक्षित होगा और रिजर्व बैंक को आवश्यक स्वतंत्रता मिलेगी कि वह प्रारक्षित मुद्रा निर्माण के स्तर का और साथ ही मुद्रा आपूर्ति के स्तर का निर्धारण करे। मुद्रा आपूर्ति इस बात पर निर्भर होगी कि अर्थ-व्यवस्था में किस तरह वास्तविक उत्पादन विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक मूल्य स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य में योगदान देने की अधिक प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम हो सकेगा।

भाग II—बैंकिंग एवं अन्य गतिविधियां 12 मुख्य बातें

12.1 इस रिपोर्ट में भाग 1 में समग्र आर्थिक प्रवृत्तियों की पृष्ठ-भूमि में मौद्रिक तथा ऋण नीति संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की गयी है। रिपोर्ट के इस भाग में बैंकिंग संबंधी अन्य गतिविधियों की प्रमुख विशेषताओं और साथ ही रिजर्व बैंक की परिचालन संबंधी गतिविधियों, संगठनात्मक मामलों और लेखों का समावेश किया गया है।

12.2 आलोच्य वर्ष के दौरान बैंकिंग तंत्र में परिचालनगत कुशलता बढ़ाने की दिशा में सर्वतोमुखी प्रयास बैंकिंग गतिविधियों की विशेषता थी। साथ ही, सामाजिक लक्ष्यों पर भी विशेष बल दिया गया। इस संबंध में मुख्य बातें निम्नलिखित है :

(i) पहली अप्रैल 1989 से, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण ऋण के लिए नई कार्य नीति लागू की गयी। कुल 33,410 बैंक शाखाओं के लिए ऋण योजनाएं तैयार की गयीं तथा इन शाखाओं को 5.06 लाख गांवों का आबंटन किया गया। खंड स्तर पर बैंकरों की समितियां गठित की गयीं। इन समितियों का उद्देश्य ऋण संस्थाओं तथा क्षेत्रस्तरीय विकास एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना तथा ऋण योज-नाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना है।

(ii) हालांकि शाखा बैंकिंग के समेकन की व्यापक नीति जारी रही है, फिर भी अतिरिक्त शाखाओं की अनुमति देना आवश्यक हो गया ताकि सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की संकल्पना के अनुसार ग्रामीण शाखाओं को आबंटित ग्रामों की संख्या 15 से 20 ग्रामों तक सीमित रहे और उनकी समुचित देखभाल हो सके।

(iii) कृषि प्रयोजनों के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा कृषकों को प्रदान किये जाने वाले कतिपय अल्पावधि ऋण सीमाओं संबंधी शर्तों में ढील दी गयी है और कृषि को दी जाने वाली सीधी वित्तीय सहायता का लक्ष्य 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। भारतीय वाणिज्य बैंकों को यह लक्ष्य मार्च 1990 तक हासिल करना है।

(iv) सिंचाई का क्षेत्र, विशेष रूप से खाद्यान्नों के लिए, प्रभावी रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से तथा कृषि में निरंतर सुधार के लिए अन्य निविष्टियों की समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के वित्तपोषण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों को शामिल किया गया। कार्य-क्रम के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष अर्थात् 1989-90 में प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम को ऋण समर्थन जुटाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है।

(v) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण प्रदान करें। इन बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे मार्च 1989 के अंत तक कुल ऋण के 10 प्रतिशत मार्च, 1990 के अंत तक 12 प्रतिशत और मार्च 1992 के अंत तक 15 प्रतिशत ऋण का लक्ष्य हासिल करें।

(vi) हाल ही के वर्षों में वाणिज्य बैंकों ने नवीन्मेषण और विशाखन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। आलोच्य वर्ष के दौरान इस प्रक्रिया को और भी सघन बनाया गया। बैंकों ने व्यापार बैंकिंग (मर्चेंट बैंकिंग), पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड) पट्टेदारी और उद्यम पूंजी तथा आवास वित्त के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों का विस्तार किया। कुछ बैंकों ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से तथा कुछ बैंकों ने स्वयं ही इन क्षेत्रों के कार्यकलापों का विस्तार किया।

(vii) जुलाई 1988 में सर्वोच्च स्तर पर आवास वित्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक (राआबैं) की स्थापना देश में विशिष्ट आवासीय वित्त पद्धति के निर्माण तथा आवास के लिए संस्थागत वित्त को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अनुसूचित बैंकों, आवास-वित्त कंपनियों और शिखर सहकारी आवास वित्त सोसाइटियों द्वारा आवास ऋण के संबंध में पुनर्वित्त योजनाएं शुरू की हैं।

(viii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का पूंजीगत आकार बढ़ाने के अति-रिक्त आलोच्य वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कतिपय अन्य कदम उठाये गये।

(ix) विदेशी बैंकों से अब यह अपेक्षा की गयी है कि वे अपने घोषित शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत अपनी भारतीय बहियों में अपने पास रखें।

(x) परिचालनगत कार्यकुशलता में और बैंकों की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए लागू की गई कार्य योजना के दूसरे दौर में मार्च 1990 तक की अवधि शामिल की गयी है। बैंकों ने इन विस्तृत योज-नाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं।

(xi) "माइकर" प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ मशीनीकृत चेक समा-शोधन पद्धति का पहला दौर पूर्ण हुआ तथा यह व्यवस्था अब देश के सभी चार प्रमुख महानगरों के कार्य कर रही है।

(xii) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की गारंटी सुरक्षा का विस्तार किया गया है और अब इस का लाभ कृषि, लघु उधारकर्ता, लघु उद्योग को प्रदान किये जानेवाले संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों को मिलेगा।

13. वाणिज्य बैंकों से संबंधित गतिविधियां

बैंकों के लिए कार्य योजना 1988-89

13.1 बैंकों की परिचालनगत कार्यकुशलता और कार्य पद्धति में सुधार लाने के एक उपाय के रूप में कार्य योजनाओं का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया था। इसमें मार्च 1990 तक की अवधि शामिल है। बैंकों ने इन ब्योरेवार योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंधित अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा तिमाही रूप से की जाती है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणाम-स्वरूप ग्राहक सेवा, आंतरिक प्रशासन, संगठनात्मक और नियंत्रण व्यवस्था, ऋण प्रशासन, लाभप्रदता और स्टाफ की उत्पादकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

शाखा विस्तार

13.2 "शाखा लाइसेंसिंग नीति 1985-90" के अन्तर्गत नये बैंक कार्यालय खोलने के लिये राज्य सरकारों से प्राप्त निर्धारित केन्द्र की सूचियों के आधार पर केन्द्रों का आबंटन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 30 जून 1989 तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 5,360 केन्द्रों का आबंटन किया गया। तदनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2,024 केन्द्र ग्रामीण बैंकों को तथा 3,336 केन्द्र वाणिज्य बैंकों को आबंटित किये गये। 775 खंड कमी वाले थे और इनके लिए अतिरिक्त बैंक शाखाओं की आवश्यकता थी। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने के बाद अतिरिक्त शाखाएं खोलना आवश्यक

हो गया ताकि एक ग्रामीण शाखा को आबंटित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या 15 से 25 ग्रामों तक सीमित रहे और उनकी देखभाल ठीक से हो सके। इन दोनों पहलुओं को एक साथ ध्यान में रखकर 30 जून, 1989 तक 1,236 अतिरिक्त केन्द्रों का आबंटन किया गया। इस प्रकार चालू योजना के अंतर्गत शाखाएं खोलने के लिए 30 जून 1989 तक 6,596 ग्रामीण और अर्ध शहरी केन्द्र आबंटित किये गये।

13.3 30 जून 1989 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 78 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी। 30 जून 1989 को बैंक कार्यालयों की कुल संख्या 57,744 थी। जुलाई 1988 से जून 1989 तक की एक वर्ष की अवधि के दौरान कुल 2322 नई शाखाएं खोली गयीं जिनमें 1,857 ग्रामीण, 104 अर्ध शहरी, 200 शहरी और 171 महानगरीय, पत्तन नगर केन्द्र शामिल हैं। जून 1989 के अंत में ग्रामीण शाखाएं कुल शाखाओं की 57.2 प्रतिशत बैठती हैं जबकि इसकी तुलना में, जून 1969 में, इनकी संख्या 22 प्रतिशत थी।

विदेश में भारतीय बैंक

13.4 1988-89 के दौरान भारतीय बैंकों ने कोई भी विदेशी शाखा नहीं खोली। दो शाखाएं और एक मोबाइल एजेंसी बंद हो जाने से 30 जून 1989 को नौ भारतीय बैंकों को विदेश स्थित शाखाओं की संख्या 116 रह गयी। चार भारतीय बकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 10 बनी रही। जमाराशियां प्राप्त करने वाली तीन कंपनियां पूर्णतः स्वामित्व वाली तीन सहयोगी संस्थाएं और 6 संबद्ध संस्थाएं कार्यरत थीं। आलोच्य वर्ष के दौरान इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

भारत में विदेशी बैंक

13.5 आलोच्य वर्ष के दौरान ड्यूश बैंक ने अपनी शाखा खोली। ड्रेस्डनर बैंक और बी एच एफ बैंक (पश्चिम जर्मनी) बांका कमर्शियल इटालियाना (इटली), बांक इंडोसुएज (फ्रांस) मित्सुई बैंक लिमिटेड (जापान) और नेशनल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया (आस्ट्रेलिया) ने अपने-अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले। इस प्रकार 30 जून 1989 को भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या क्रमशः 137 (21 बैंकों के) और 21 (21 बैंकों के) थी। आलोच्य अवधि के दौरान तीन बकों अर्थात् बार्कलेज बकक (यू.के.) सानवा बैंक (जापान) रूस के बैंक फार फॉरेन इकानॉमिक अफेयर्स में से प्रत्येक को शाखा खोलने के लिए लाइसेंस दिये गये।

13.6 विदेशी बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित नये नीति संबंधी उपाय लागू किये गये :

(क) इस क्षेत्र में प्रविष्टि होने वाले नये बैंकों के लिये 15 करोड़ पये की प्रारंभिक पूंजी निर्धारित कर दी गयी।

(ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना अनिवार्य कर दिया गया और इन बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे कुल ऋण का मार्च 1989 के अंत तक 10 प्रतिशत, मार्च 1990 तक 12 प्रतिशत और मार्च 1992 तक 15 प्रतिशत का लक्ष्य स्तर हासिल करें।

(ग) घोषित शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत भारतीय बहियों में रखना आवश्यक होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

13.7 आलोच्य अवधि के दौरान एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया। इस समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 है जिनके कार्य क्षेत्र में 365 जिले शामिल है। दिसंबर 1988 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 13,787 शाखाएं थीं। दिसंबर 1988 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमश: 2,942 करोड़ रुपये और 2,798 करोड़ रुपये थे।

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण

13.8 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में ग्रामीण ऋण प्रदान करने की नई नीति अर्थात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्य बैंकों द्वारा ग्रामीण ऋण प्रदान करने की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने का उल्लेख किया गया था। यह सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण योजना पहली अप्रैल 1989 से लागू की गयी। गांवों का सर्वेक्षण करने और गांववार आर्थिक रूपरेखा तैयार करने के बाद बैंक शाखाओं ने अपने सेवा क्षेत्र में शामिल गांवों के लिए ऋण योजनाएं तैयार कीं। मार्च 1989 के अंत में लगभग 42,000 शाखाओं और 6 लाख गांवों में से 33,410 शाखाओं के लिए ऋण योजनाएं तैयार की गयीं जिनमें इन शाखाओं को आबंटित 5.06 लाख गांव शामिल किये गये। वार्षिक शाखा ऋण योजनाओं को खंड योजनाओं से और खंड ऋण योजनाओं को जिला ऋण योजनाओं से जोड़ा गया। प्रत्येक शाखा के सेवा क्षेत्र सामान्यतः 15 से 25 गांव शामिल किये जाते हैं। अग्रणी बैंक वालों ने उन क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिये नये केन्द्रों का पता लगाया है जहां आबंटित गांवों की संख्या निर्धारित मानदण्डों से अधिक है। इन केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं। ऋण संस्थाओं और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत विकास एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने और ऋण योजनाओं के कार्यान्वियन पर निगरानी रखने के लिए खंड स्तरीय बैंकर समितियों का गठन किया गया है। कार्यान्वियन में लोचलापन सुनिश्चित करने के लिये बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं जिससे कि नई प्रणाली की ओर संक्रमण आसानी से हो सके और ग्रामीण ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम भी अस्तव्यस्त न हो।

कृषि ऋण-शर्तों को उदार बनाना

13.9 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की राशि के लिए कृषि के प्रयोजन से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले अल्पावधि ऋण की ब्याज दरें पहली मार्च 1989 से घटा दी गयी, अर्थात उन्हें 12.0 से 14.0 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया। इसी प्रकार मार्जिन और प्रतिभूति मानदंडों में भी ढ़ील दी गयी। मार्जिन मन माफी संबंधी रियायत, ऋण की कुल श्रेणियों के संबंध में 5,000 रुपये तक की राशि से बढ़ाकर सभी कृषि ऋणों के लिए 10,000 रुपये तक की राशि कर दी गयी। बैंकों को यह सूचित किया गया कि जहां चल आस्तियां सृजित हुई हैं वहां 10,000 रुपये तक के फ़सल ऋणों के लिए और 10,000 रुपये तक के मीयादी ऋणों के लिए भूमिबंधक भूमिप्रभार या तीसरे पक्ष को गारंटी के रूप में सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों की मांग न करें। जहां भूमिबंधक/भूमि प्रभारित करना अनिवार्य हो जाये वहां यदि भूमिबंधक/या भूमिप्रभारित करने में वास्तविक कठिनाईयां आती हों तो बैंक तीसरे पक्ष की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं या अन्य ऐसी प्रतिभूति ले सकते हैं जिसे वे उपयुक्त समझें। 24 नवम्बर 1988 से व्यक्ति या व्यक्ति समूह अर्थात सहकारी संस्थाओं के मामले में बंजर भूमि के विकास के वास्ते लिये जाने वाले मीयादी ऋण की ब्याज दरें 10 प्रतिशत तथा निगमित निकायों और अन्य ऋण कर्ताओं के लिए 12.5 प्रतिशत निश्चित की गयीं।

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम

13.10 कृषि में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से सिंचाई का क्षेत्र प्रभावी रूप से बढ़ाने की आवश्यकता, विशेष रूप से खाद्यान्नों के लिए और ऋण सहित अन्य निवेशिटियों की पर्याप्तता और समय पर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1988 के खरीफ मौसम से एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चलाया है। यह द्विवर्षीय कार्यक्रम 14 राज्यों के 169 संभावनायुक्त "उत्कमित (थस्ट) जिलों में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 1988-89 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन बढ़ाकर 166 मिलियन टन तथा 1989-90

में 175 मिलियन टन तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 फसलें शामिल हैं; चावल, गेहूं, मक्का, चना और अरहर इस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित ऋण का अधिकांश भाग सहकारी बैंकों द्वारा जुटाये जाने की आशा है। वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इस कार्यक्रम के वित्तपोषण में शामिल हैं। इस कार्यक्रम के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा 318 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया।

विशेष योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंकों की सहायता

13.11 जून 1987 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये कुल अग्रिम की राशि 25,406 करोड़ रुपये थी। इस स्तर से बढ़कर वह दिसंबर 1988 के अंत में 32.56 करोड़ रुपये हो गयी, जो दिसंबर 1988 के अंत में इन बैंकों द्वारा प्रदान किये गये कुल अग्रिमों का 45.1 प्रतिशत (40 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले) रहा। यह जून 1987 के अंत में 44.8 प्रतिशत था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को प्रदान किये गये अग्रिमों की राशि 8,298 करोड़ रुपये रही जो इन बैंकों द्वारा प्रदान किये गये कुल अग्रिमों का 11.5 प्रतिशत हैं, जबकि इसका लक्ष्य 10 प्रतिशत का था। दिसबंर 1988 के अंत में सरकारी क्षेत्र द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत हिताधिकारियों को 202.17 लाख ऋण खातों पर 9,760 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी। कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति के एक भाग के रूप में यह आवश्यक समझा गया कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में और बढ़ोतरी की जाये। तदनुसार, 28 फ़रवरी 1989 को बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे कृषि (सम्बद्ध कार्य-कलापों सहित) को प्रदान किये जाने वाले सीधे वित्त में और बढ़ोतरी करें जिससे मार्च 1990 तक ऋण सहायता का स्तर पूर्व निर्धारित 17 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में कुल बकाया ऋण के कम से कम 18 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाये।

विभेदक ब्याज दर योजना

13.12 दिसंबर 1988 के अंत में विभेदक ब्याजदर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया अग्रिम राशि 46.19 लाख खातों पर 646.58 करोड़ रुपये हुई, जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष 48.14 लाख खातों पर 597.65 करोड़ रुपये की राशि थी। इस योजना के दिसंबर 1988 के अंत में इन बैंकों की अग्रिम राशियां कुल अग्रिमों का 1.0 प्रतिशत रहीं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के हिताधिकारियों को प्रदान की गयी अग्रिम राशियां 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

स्वरोजगार और अन्य योजनाएं

13.13 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1987-88 में 1.25 लाख हिताधिकारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था जबकि 1987-87 में यह लक्ष्य 2.50 लाख था। 1988-89 के दौरान फिर 2.50 लाख हिताधिकारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने 1988-89 (अप्रैल मार्च) के दौरान 0.94 लाख हितादिकारियों को 185.86 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया। 1989-88 में 0.85 लाख हिताधिकारियों को कुल 178.39 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया था।

13.14 1986-87 के दौरान शहरी गरीबों के लिये स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने एक कार्यक्रम आरंभ किया था जिसे 1988-89 के दौरान जारी रखा गया। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1988-89 (अप्रैल-मार्च) के दौरान बैंकों ने 1.97 लाख हिताधिकारियों को कुल 74.95 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया जबकि पिछले वर्ष 3.63 लाख हिताधिकारियों को 131.7 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया था। शहरी बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार और शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वरोजगार इन दोनों योजनाओं के मामले में लक्ष्य पूरा न होने का मुख्य कारण पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त न होना था।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

13.15 वर्ष 1988-89 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक ने 3.20 मिलियन परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 3.77 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान बैंक ने चार वर्षों के लिए 13.13 मिलियन परिवारों के संचयी लक्ष्य की तुलना में 14.83 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की। सहायता प्राप्त 14.83 मिलियन परिवारों में 6.65 मिलियन अनुसूचित जाति/जनजाति के और 2.57 मिलियन महिलाएं थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में क्रमश 1,014.88 करोड़ 1,175.35 करोड़ तथा 1,231.62 करोड़ रुपये के बैंक ऋण हिताधिकारियों को वितरित किये गये।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

13.16 जून 1988 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पता लगाये गये 40 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये जाने वाले अग्रिम की राशि 9.68 लाख खातों पर 505.82 करोड़ रुपये रही।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण बैंकों का निरीक्षण

13.17 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिसम्बर 1987 में 71 लाख खातों पर 1,814.28 करोड़ रुपयों के अग्रिम प्रदान किये गये। दिसम्बर 1988 में 81 लाख खातों पर 2,502.39 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रदान किये गये थे।

13.18 जुलाई 1988 से जून 1989 की अवधि के दौरान 31 दिसंबर 1987 को समाप्त वर्ष के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वार्षिक वित्तीय समीक्षा पूरी की गई और उनकी रिपोर्ट बैंकों को जारी की गई उक्त अवधि के दौरान 9 सरकारी क्षेत्र के बैंकों 9 निजी क्षेत्र के बैंकों और 6 विदेशी बैंकों के वित्तीय निरीक्षण भी पूरे किए गए।

बैंकों का पूंजीगत आधार

13.19 राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूंजीगत आधार बढ़ाने के लिए 1988-89 के दौरान भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपये का अंशदान दिया। इस अंशदान के साथ 1985 से इस योजना के अंतर्गत कुल अंशदान 1,200 करोड़ रुपये हुआ है। अतिरिक्त पूंजी जुटाकर तथा प्रारक्षित निधि बढ़ाकर निजी क्षेत्र के बैंकों की स्वाधिकृत निधियों को मजबूत करने संबंधी उपाय जारी हैं।

विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण

13.20 बैंकों के कार्यनिष्पादन का समालोचन और अनुवर्तन स्थानीय निरीक्षण का एक प्रमुख साधन बने रहे। साथ ही आलोच्य वर्ष के दौरान विवेक पूर्ण पर्यवेक्षण को और प्रभावी बनाने के लिये अनेक कदम उठाये गये। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जोखिम आस्तियों और तुलनपत्र से इतर कारोबार के संदर्भ में पूंजीगत पर्याप्त संबंधी उपयुक्त मानदण्डों के विषय में प्रस्ताव विचाराधीन हैं। जैसाकि इस रिपोर्ट के भाग 1 में बताया गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक जोखिम के संबंध में मानदंड निर्धारित करके घरेलू क्षेत्र के जोखिम अभि-मुखता के प्रबंधन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गए

हैं जिनमें स्वाधिकृत निधि को देखते हुये निधिकृत और गैरनिधिकृत दोनों सीमाएं शामिल की गयी हैं। बैंकों के विदेशी परिचालनों के संबंध में इस प्रकार के मानदंड पहले से हैं। प्रचलित हैं अच्छी सत्य स्थिति संबंधी कोडिंग (हैल्थ कोडिंग) पर आधारित अनिष्पादक ऋणों की मान्यता के संबंध में उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं और इस प्रकार वर्गीकृत ऋणों पर आवक ब्याज को आय में शामिल न करने की सूचना बैंकों को दी चुकी है बैंकों की लेखांकन नीतियों की स्पष्टता और व्यवहारिकता की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

बैंकों द्वारा वित्तीय विविधीकरण

13.21 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की गतिविधियों के अनुरूप भारत के बैंकों ने भी अपनी गतिविधियों का विविधीकरण किया है ये गतिविधियां इस प्रकार हैं—मर्चेंट बैंकिंग पट्टेदारी बिल आवास वित्त उद्यम पूंजी इत्यादि रिजर्व बैंक के अनुमोदन से उपकरण पट्टेदार तथा मर्चेंट बैंकिंग सहयोगी संस्थाएं (सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 5 और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक) स्थापित की गयी। केवल आवास वित्त प्रदान करने के लिए और तीन सहयोगी संस्थाएं स्थापित की गयीं। शेयर समाशोधन और स्टाकधारिता सेवा प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के एक बैंक को बम्बई शेयर बाजार के साथ संयुक्त रूप से एक सहयोगी संस्था स्थापित करने की अनुमति दी सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों ने भी पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड की) स्थापना की बैंकों द्वारा स्थापित म्यूच्यूअल फंड के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने तथा निवेशक के विश्वास को बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक ने इन म्यूचुअल फंड व्यवसाय के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए। बैंकों की सहयोगी संस्थाओं की भी निरीक्षणीय पर्यवेक्षण की व्याप्ति को लाने के प्रश्न पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

वाणिज्य बैंकों के लेखा-वर्ष में परिवर्तन—बैंकिंग उद्योग में मशीनीकरण / कम्प्यूटरीकरण

13.21 बैंकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की संबंधित संविधियों तथा परिक्राम्य लिखत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1988 में हुए संशोधनों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लेखा वर्ष कैलेण्डर वर्ष से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया गया।

13.23 अप्रैल 1989 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं में लगायी गयी एडवान्स्ड लेजर पोस्टिंग मशीनों (ए.एल.पी.एम.) की संख्या 4,364 थी। इनमें से 3,977 मशीनों का परिचालन प्रारंभ हो गया है। अप्रैल 1985 के अंत तक इन बैंकों ने अपने क्षेत्रीय / आंचलिक कार्यालयों में 218 मिनी कम्प्यूटर प्रणालियों की स्थापना की। 1 मार्च 1989 के अंत तक इसके प्रधान कार्यालयों में 5 मैन फ्रेम कम्प्यूटर प्रणालियों की स्थापना करने का प्रस्ताव था। परंतु उनके लिए उपयुक्त स्थान तैयार करने और अन्य संबद्ध समस्याओं के कारण केवल दो बैंकों ने इस प्रणाली की स्थापना की। एक अंतर बैंक दल अग्रणी बैंक योजना निगरानी और सरकारी खाता समन्वयन इन दो क्षेत्रों के लिए मानकीकृत साफ्टवेयर विकसित कर रहा है मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में लगभग 34,000 बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

13.24 रिजर्व बैंक ने अपने एक गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य 1990 से 1994 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंकिंग उद्योग के कम्प्यूटरीकरण की संभावित योजना तैयार करना है और अब तक की गयी प्रगति तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अन्य संबद्ध मामलों पर विचार करना है। आशा है कि यह समिति शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे। देगी रिजर्व बैंक "बैंक नेट" की स्थापना की दिशा में सक्रिय है। यह बैंक नेट बैंकिंग उद्योग के लिए समर्पित संप्रेषण नेटवर्क होगा। बैंकों की आवश्यकता का जायजा लेने के साथ ही बैंक नेट चरण I को तेजी से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उपयोगकर्ता बैंकों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक उपयोगकर्ता दल का गठन किया गया है। रिजर्व बैंक सहित भारत के 37 बैंकों को विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दूर संचार समिति (स्विफट) के सदस्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह समिति ब्रसेल्स, बेल्जियम की एक सहकारी समिति है। बम्बई में स्विफट" का क्षेत्रीय संसाधक (रीजनल प्रोसेसर) लगाने की तैयारी चल रही है यह संसाधक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार की तरह कार्य करेगा। रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा "स्विफट" निर्देशों के अनुरूप संदेश फार्मेट को मानकीकृत किया जा रहा है।

चेक समाशोधन का कम्प्यूटरीकरण

13.26 रिजर्व बैंक द्वारा बम्बई, मद्रास, नयी दिल्ली और कलकत्ता क्रमश: जून 1987, जुलाई, 1987 मार्च, 1988 और मई 1989 से स्थानीय और अंतर शहरी चेकों के संसाधन के लिए द्रुतगामी पृथक्कीकरण प्रणाली (हाई स्पीड रीडर सार्टर सिस्टम) के शुभारंभ के साथ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नीशन (माइकर) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मशीनीकृत चेक समाशोधन का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद और कानपुर के अतिरिक्त अब नागपुर में भी समाशोधन गृह के भुगतान परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है मीडियम स्पीड रीडर सार्टरों का उपयोग करके जयपुर और गोहाटी में समाशोधन गृह के भुगतान परिचालनों का कंप्यूटरीकरण करने की व्यवस्था की जा रही है।

13.27 आलोच्य वर्ष के दौरान बम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास समाशोधन गृहों में बाहरी माइकर चेकों का राष्ट्रीय स्तर पर समाशोधन चालू हो गया है इसके अतिरिक्त उक्त चार महानगरीय केन्द्रों में स्थित बैंकों पर आहरित बाहरी माइकर चेकों का एकतरफा समाशोधन अहमदाबाद, बंगलूर और हैदराबाद में पहले से ही चल रहा है। यह प्रणाली मई 1989 से नागपुर में भी प्रारंभ हो गयी है।

13.28 मद्रास और बम्बई में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि के चेकों का विशेष समाशोधन प्रारम्भ किया गया। इसके परिणामस्वरूप अब अधिक मूल्य के चेकों को उसी दिन ग्राहकों के खातों में जमा करना संभव हो गया है।

ऋण निगरानी व्यवस्था

13.29 इस रिपोर्ट के भाग I में बताया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सीमा से अधिक कार्यशील पूंजी की सीमाओं वाले ऋणों को मंजूर करने के लिए ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर करने की प्रणाली को 10 अक्तूबर 1988 से समाप्त किया गया है। फिर भी मूल वित्तीय अनुशासन का निर्बाध पालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि बैंकिंग तंत्र से प्राप्त होने वाले 5 करोड़ रुपये से अधिक कुल कार्यशील पूंजी सीमाओं वाले प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान करने के पश्चात् रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जायेगी। जहां तक मीयादी ऋणों का प्रश्न है, उन प्रस्तावों में बैंकों का हिस्सा 2 करोड़ रुपये से अधिक है उन सभी प्रस्तावों की मंजूरी प्रदान करने के उपरांत जांच की जायेगी जो बैंक इस मूल वित्तीय अनुशासन को लागू नहीं करता उसे

रिजर्व बैंक अनुदेश देकर निर्धारित सीमा से अधिक के मामले पूर्व प्राधिकरण के लिए भेजने को कह सकता है इस बदते हुए संदर्भ में उस योजना का नाम बदल कर "ऋण निगरानी व्यवस्था" (क्रेडिट मानिटरिंग अरेंजमेण्ट) (सी.एम. एफ.) कर दिया गया है।

13.30 बैंकों को यह सूचित किया गया है कि इस समय ऋण देने के जिन मानदंडों का पालन किया जा रहा है उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण मूल वित्तीय अनुशासन के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए। ये मानदंड इस प्रकार हैं:—(i) बिक्री प्रभार्य चालू आस्तियों और चालू देयताओं (बैंक उधारों से इतर) और शुद्ध कार्यशील पूंजी अ अनुमानों प्रक्कलनों का औचित्य; (ii) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये सिद्धान्तों के अनुरूप चालू आस्तियों और चालू देयताओं का वर्गीकरण (iii) कुछ छूट प्राप्त वर्गों को 1.33:1 को छोड़कर न्यूनतम चालू अनुपात बनाए रखना;

(iv) तिमाही चालू विवरणों का अविलंब प्रस्तुतीकरण और (v) वार्षिक लेखे अविलंब प्रस्तुत करने संबंधी प्रत्येक ऋणकर्ता द्वारा वचनपत्र और जिन मामलों में ऋण सीमाओं का प्रश्न शामिल नहीं है उनकी भी संबंधित बैंक द्वारा नियमित वार्षिक समीक्षा करना।

13.31 बैंकों को सूचित किया गया है कि औद्योगिक इकाइयों की स्वीकृत मीयादी ऋण वित्तीय स्रोतों के आवंटन पर भारत सरकार द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए, और मीयादी ऋण चाहे वह ऋण के रूप में दिया गया हो, या गारंटी/स्वीकृतियों के रूप में हों जिन्हें प्रायः बजट साधनों से वित्तपोषित किया गया हो, आंतरिक सुविधा संबंधी गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

13.32 ऋण प्राधिकरण योजना/ऋण निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित ऋण सीमावाली पार्टियों की संख्या मार्च 1989 में बढ़कर 931 हो गई जबकि मार्च 1988 के अंत में यह संख्या 712 थी। इन 931 पार्टियों के संबंध में लागू कुल ऋण सीमा मार्च 1989 के अंत में 22,857 करोड़ रुपया हो गई जबकि मार्च 1988 के अंत में यह राशि 20,936 करोड़ रुपये थी। मार्च 1989 के अंत में कुल ऋण सीमाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भाग 85.5 प्रतिशत अर्थात् 11,106 करोड़ रुपये था मार्च 1989 के अंत में लागू कुल सीमाओं की सुविधावार वितरण पद्धति कार्यकारी पूंजी के प्रयोजनों के लिए (जिसमें पैकिंग ऋण और बिल सम्मिलित हैं) 92.7 प्रतिशत मीयादी बिल के लिए 6.3 प्रतिशत तथा आस्थगित अदायगी आधार पर मशीनरी की बिक्री के लिए 1.0 प्रतिशत थी।

वस्तुसूची/प्राप्य माल संबंधी मानदंडों में संशोधन

13.33 निदेश समिति की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त माल के मानदंडों को संशोधित किया गया और संशोधित मानदंडों की सूचना दिसम्बर 1988 में बैंकों को दी गयी। वस्तु सूची के भाग के रूप में हिसाब में लेने के बजाय उसे उपभोग के स्तर पर ही निश्चित कर दिया गया अर्थात् देश में बने माल के लिए 9 महीनों के उपभोग बराबर तक तथा आयातित अतिरिक्त माल के लिए 12 महीनों के उपभोग के बराबर तक निदेश समिति की उपसमिति के कागज उद्योग के मामलों पर विचार किया। इस उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर 1988 में कागज उद्योग से संबंधित माल संचय और प्राप्य माल के मानदंडों में संशोधन किया गया उसके अतिरिक्त हीरा उद्योग और आटा मिलों संबंधित मानदंडों में भी संशोधन किया गया; यह संशोधन संबंधित उद्योगों से प्राप्त प्रतिवेदनों और प्रचलित बाजार परिस्थितियों को देखते हुये किया गया।

13.34 टंडन समिति ने प्रमुख 15 उद्योगों के संबंध में मानदंड निश्चित किये थे। बदली हुई बाजार परिस्थितियों के संदर्भ में निदेश समिति ने उनकी उपादेयता की लगातार समीक्षा की और उनमें से अधिकतर उद्योगों के मानदंडों में संशोधन किया इसके अतिरिक्त वस्त्र उद्योग; इंजीनियरी और रसायन जैसे उद्योगों को उनकी विशिष्टताओं को देखते हुये उप समूहों में विभाजित किया गया तथा उनमें से प्रत्येक के लिए मानदंड निर्धारित किये गये। 45 उप समूहों के लिए वस्तुसूची और प्राप्य माल के संबंध में मानदंड निर्धारित किये गये।

सहायता संघ द्वारा ऋण

13.35 बैंकों से इस आशय के प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि 50 करोड़ रुपये तक की ऋण सीमाओं के संबंध में सहायता संघ में शामिल होने वाले बैंकों की संख्या केवल पांच तक सीमित रखने से कुछ परिचालनगत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन प्रतिवेदनों के अनुसरण में यह निश्चय किया गया कि 10 अक्टूबर, 1988 से औपचारिक सहायता संघ व्यवस्था में शामिल होने वाले बैंकों की संख्या लगभग 10 तक सीमित रखनी चाहिए, इसके लिए ऋण सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

सहायता संघीय आधार पर बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए एकल स्रोत संकल्पना

13.36 सहायता संघीय वित्त पोषण व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिन-प्रतिदिन संवितरण और वसूलियों के लिए एक स्रोत दृष्टिकोण के अनुपालन में आयी कठिनाइयों की जांच करने के लिये रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के पदाधिकारियों को लेकर गठित की गयी समिति ने "एकल स्रोत दृष्टिकोण" की सिफारिश केवल प्रलेखीकरण और प्रथम संवितरण के लिए ही की थी। इस समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए बैंकों को अगस्त 1988 में यह सूचित किया गया कि सभी सहायता संघीय व्यवस्थाओं में उधारकर्ताओं की प्रारम्भिक निधि संबंधी आवश्यकताओं को अग्रणी बैंक द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और उसके बाद उसे सदस्य बैंकों से उसकी आनुपातिक प्रतिपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए।

आवास वित्त

13.37 जुलाई 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना ने आवास वित्त को गति प्रदान की है अक्टूबर 1988 में घोषित आवास वित्त से संबंधित नीति गत उपायों की इस रिपोर्ट के पहले भाग में समीक्षा की गयी है। नवम्बर 1988 में रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास वित्त पर व्यापक संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे। अक्तूबर 1988 के नीति संबंधी परिवर्तनों को लागू करने के अलावा संशोधित मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

(i) अलग-अलग व्यक्तियों को बैंक ऋण को 3 लाख रुपये तक की अनुमति दी गयी,

(ii) यदि आवास ऋण के लिए सम्पत्ति/सरकारी गारंटी को दृष्टिबंधक रखना व्यवहार्य न हो, तो बैंक जीवन बीमा निगम की पालिसी, सरकारी वचन पत्र, शेयर और डिबेंचर, या अन्य किसी उपयुक्त प्रतिभूति को स्वीकार कर सकते हैं।

(iii) बैंक मकान मालिक को मकान की मरम्मत, उसमें अतिरिक्त निर्माण आदि के लिए आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान कर सकते हैं, भले ही उसमें मकान मालिक स्वयं रहता हो अथवा उसका किरायेदार।

(iv) बैंक सार्वजनिक एजेंसियों को भी भूमि खरीदने और उसका विकास करने के लिए वित्त प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि यह एक ऐसी पूरी परियोजना का भाग हो जिसमें आन्तरिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति पद्धति, जल निकासी, सड़क, बिजली की व्यवस्था आदि भी सम्मिलित हैं।

(v) बैंक आवास-वित्त संस्थाओं को एक निर्धारित स्तर तक मीयादी ऋण मंजूर कर सकते हैं, जिसके लिए उनके दीर्घावधिक ऋण ईक्विटी अनुपात पिछला रिकार्ड, वसूली की स्थिति तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।

(vi) बैंक वाणिज्यिक शर्तों पर (अर्थात् 16 प्रतिशत वार्षिक की न्यूनतम दर पर) प्राईवेट बिल्डरों को मांग ऋण के माध्यम से, जो कि प्रत्येक विशिष्ट परियोजना से संबद्ध हो, अधिकतम 18 महीनों के लिए ऋण दे सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिये सामान्य सुरक्षोपाय किये गये हों और यथोचित जमानत ले ली गयी हो।

13.38 बैंकिंग तन्त्र द्वारा आवास वित्त के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली निर्धारित मात्रा 1988 के 225 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1989 के लिए 300 करोड़ रुपये कर दी गयी। उनके लेखा वर्ष में हुये परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के लिए आवास वित्त के अपने-अपने भाग की गणना पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान अपनी वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत की दर से करें। इस प्रकार 1989-90 के दौरान आवास वित्त के रूप में उधार देने के लिए 385 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होने की सम्भावना है। यदि कोई बैंक अपने स्रोतों की स्थिति देखते हुए सांविधिक प्रारक्षित अपेक्षाओं के अनुपालन के पश्चात् आवास वित्त अपनी वृद्धिशील जमाराशियों के 1.5 प्रतिशत से अधिक एक तर्कसम्मत सीमा तक रखना चाहे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया पुनर्वित्त इसके अतिरिक्त तथा चालू आबंटन से भिन्न होगा।

13.39 हिताधिकारियों को सीधे उधार दिये गये आवास वित्त के भाग को बढ़ाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपलक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:

(i) आबंटन की कम से कम 30 प्रतिशत राशि सीधे उधार देने के लिए सुरक्षित रखी जाये। इसमें से आधा भाग (कुल आबंटन का 15 प्रतिशत) ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बांटा जाये। (ii) आबंटन का शेष 30 प्रतिशत आवास वित्त कम्पनियों, आवास बोर्डों और अन्य सार्वजनिक आवास एजेंसियों को मीयादी ऋण देकर बांटा जाए, तथा (iii) आबंटन का शेष 40 प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास एवं शहरी विकास निगम के गारंटी बांडों और डिबेंचरों में अभिदान के रूप में उपलब्ध कराया जाये।

13.40 जून 1988 की समाप्ति पर कुल आवास वित्त के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 885 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। इसमें से 65 करोड़ रुपये की राशि (7.4 प्रतिशत) अलग-अलग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूहों जैसे सहकारी सोसाइटियों को प्रत्यक्ष दी गयी थी तथा शेष 820 करोड़ रुपये (92.6 प्रतिशत) की राशि से अप्रत्यक्ष वित्त पोषण किया गया था या तो आवास वित्त संस्थाओं को ऋण के रूप में दी गयी या हुडको और राज्य आवासीय बोर्डों के बांडों में उसका निवेश किया गया।

निर्यात ऋण

13.41 (भाग में संबंधित) 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित आकड़े जो कि बैंक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत बनता है, यह दर्शाते हैं कि उनके बकाया निर्यात ऋण मार्च 1988 की समाप्ति पर 3,917 करोड़ रुपये से 55.8 प्रतिशत बढ़कर मार्च 1989 के अंत में 6,142 करोड़ रुपए हो गए। इन 50 बैंकों के संबंध में बकाया निर्यात ऋण कुल बैंक ऋण का मार्च, 1988 के अंत में 5.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1989 के अंत में 7.7 प्रतिशत हो गया।

राष्ट्रीय आवास बैंक

13.42 राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई, 1988 को 100 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक शेयर पूंजी के साथ, जिसका अंशदान पूर्णतः रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था, स्थापित हुआ था। 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक ने 11.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले 20 करोड़ रुपये के बांड जारी किये। आवास बैंक को रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ रुपये का दीर्घावधि ऋण मंजूर किया था।

13.43 मकान लेने के लिए बचतों को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आवास बैंक ने "गृह ऋण खाता योजना" नाम की नयी योजना अनुसूचित बैंकों के सहयोग से शुरू की है। इस योजना की घोषणा केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 1989-90 का केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत करते समय की थी। इस बचत योजना के लिए न्यूनतम अंशदान 30 रुपये प्रतिमाह या 360 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया। इन बचतों पर 10 प्रतिशत वार्षिक का ब्याज अर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति जिसका भारत में कहीं भी कोई घर नहीं है, इस योजना में सम्मिलित होने का पात्र होगा। कम से कम 5 वर्ष तक बचत करने के पश्चात् इसका कोई सदस्य ब्याज सहित संचित बचत की राशि के गुणजों के बराबर की राशि का ऋण लेने का पात्र हो जाएगा। इस योजना को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से कुछ राजकोषीय रियायतें दी गयी हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक के गृह ऋण खाता योजना में की गयी बचत आयकर अधिनियम की धारा 80 ग के अन्तर्गत सकल आय से कटौती की पात्र होगी। इसी प्रकार आवास ऋण की अधिकतम 10,000 रुपये वार्षिक तक की चुकौती भी धारा 80 ग के अंतर्गत कटौती की पात्र होगी। इसके अलावा आवास ऋण खाता योजना के अन्तर्गत किये गये निवेशों पर धन कर अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत 5 लाख रुपये की उच्चतम सीमा तक धन कर से छूट प्राप्त होगी।

13.44 राष्ट्रीय आवास बैंक की दूसरी प्रमुख पहल, जो कि स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थाओं को संवर्धित करने तथा ऐसी संस्थाओं को वित्तीय तथा अन्य समर्थन उपलब्ध कराने के लिए प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए आवास बैंक को महत्वपूर्ण बनाती है, वह है निजी और संयुक्त क्षेत्रों में आवास वित्त कम्पनियों के गठन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्माण। ये मार्गदर्शी सिद्धांत यह शर्त लगाते हैं कि किसी आवास वित्त कम्पनी के पास कम से 1 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए और यह कि शेयर पूंजी का कम से 30 प्रतिशत भाग किसी अनुसूचित बैंक, अथवा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा किसी राज्य सरकार या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित किसी आवास वित्त कम्पनी का होना चाहिए। इसके कम से कम दो निदेशक बैंकिंग/वित्तीय संस्थाओं से होने चाहिए। ऐसा न होने पर राष्ट्रीय आवास बैंक को दो निदेशक नामित करने का अधिकार होगा। किसी आवास वित्त कम्पनी के कुल उधारों जो उस कम्पनी की शुद्ध स्वाधिकृत निधियों के गुणज में होगी, जमा राशियों की परिपक्वता पद्धति, जमा राशियों पर देय ब्याज दर, तथा आवास से इतर प्रयोजनों के लिए कोई आवास वित्त कम्पनी जो कुल उधार दे सकती है, की भी सीमायें बांध दी गयी हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राष्ट्रीय आवास बैंक को नियामक और संवर्धनात्मक भूमिकाओं में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें आवास वित्त संस्थाएं स्वस्थ आधार पर बढ़ सकें।

13.45 राष्ट्रीय आवास बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले आवास ऋणों के संबंध में

एक पुनर्वित्त योजना की भी घोषणा की है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को केवल अलग-अलग व्यक्तियों या उधारकर्ताओं के समूहों को (सहकारी समितियों सहित वे भले ही औपचारिक हों या अनौपचारिक) सीधे दिए गये उधारों के संबंध में ही पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जायगा। बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिलाया गया आवास वित्त प्रायोजक बैंकों का "प्रत्यक्ष उधार" माना जायेगा। निर्धारित प्रत्यक्ष ऋण की शत-प्रतिशत सीमा तक पुनर्वित्त प्रदान किया जायेगा और यह उस आवास ऋण के अतिरिक्त और उससे अलग होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवास के लिए वार्षिक ऋण आबंटन की सीमा के अन्तर्गत मंजूर किया गया हो तथा पांच हजार रुपये तक के उन आवास ऋणों के भी अलावा होगा जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायती दर पर दिये गये हों। किसी भी हालत में पुनर्वित्त की कुल राशि अतिदेयों को छोड़कर पात्र श्रेणियों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि से अधिक नहीं होगी। बैंकों के लिए पुनर्वित्त 15 वर्ष के लिये उपलब्ध है। भले ही अलग-अलग मामलों में उनकी चुकौती की वास्तविक अवधि अथवा उनके द्वारा दी गई चुकौती के लिए स्थगन अवधि कुछ भी क्यों न हो। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिये गये अनुसार 15 वर्ष की चुकौती अनुसूची की शर्तें लगाएंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक ने एक पुनर्वित्त योजना शुरु की है जो ऐसी आवास वित्त कंपनियों पर लागू होती है जो कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के संबंध में लागू पुनर्वित्त योजना के समानान्तर चलती है। केवल वही आवास वित्त कम्पनियों पुनर्वित्त की पात्र हैं जो राष्ट्रीय आवास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करती है। आवास वित्त कंपनियों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे ब्याज की दरों के संबंध में रिजर्व बैंक की शर्तों का पूर्णतः पालन करें। शहरी क्षेत्रों में आवास वित्त कम्पनियां 40 स्क्वेयर मीटर तक के आवास को बनाने के लिये दिये गये एक लाख रुपये तक के ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त के पात्र होंगे। परन्तु पुनर्वित्त की यह राशि केवल 50 हजार रुपये तक ही सीमित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 स्क्वेयर मीटर की क्षेत्र संबंधी सीमा में ऋण देनेवाली आवास वित्त कम्पनियों द्वारा अपने विवेकानुसार ढील दी जा सकती है—बशर्ते उक्त आवास ऋण लागत 65 हजार रुपये से अधिक न हो। आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त बीस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा, भले ही वास्तविक चुकौती की निर्धारित अवधि अथवा मंजूर की गयी स्थगन अवधि कितनी ही क्यों न हो।

13.46 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और आवास वित्त कम्पनियों के संबंध में पुनर्वित्त योजना 1 जनवरी, 1989 से लागू हो गयी है और तब से मंजूर किये गये निर्दिष्ट आवास ऋण उक्त योजना के अन्तर्गत आते हैं।

13.47 इस वर्ष के दौरान "अमरीकी सहायता" ने एक ऐसा कार्यक्रम अनुमोदित किया है जो अमरीकी सरकार की आवास गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक को 50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण गारंटी प्रदान करेगा। (अमेरिका के) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासशील देश अमरीकी पूंजी बाजार से ऋण ले सकते हैं जिसके लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए अमरीकी सरकार की गारंटी होगी।

13.48 आवास के लिए वित्तीय स्रोतों को जुटाने के अलावा राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास निर्माण के लिये वास्तविक स्रोत बढ़ाने के लिये भी कदम उठाये हैं। इस उद्देश्यों के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक ने भूमि विकास की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक स्थानीय स्थितियों, तकनीकी व्यावहारिकताओं तथा विभिन्न आय समूहों के व्यक्तियों की अदायगी क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी भूमि विकास परियोजना का मूल्यांकन करेगा,– क्योंकि यह एक समन्वित योजना है अर्थात इसमें भूमि का अधिग्रहण तथा उसमें आंशिक सुविधाएं जुटाना सम्मिलित हैं। इसके लिए धन बाजार में प्रचलित ब्याज दर पर मियादी ऋणों के रूप में उपलब्ध कराया जाये। समय पर कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक निर्धारित समय से अधिक अवधि के लिए उच्चतर ब्याज दर वसूल करेगा। सामान्यतया भूमि के विकास और मकानों के निर्माण के लिए भू-खण्ड उपलब्ध कराने के वास्ते दो वर्ष तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

13.49 राष्ट्रीय आवास बैंक ने उन उद्योगों को भी पूरी सहायता देने का प्रस्ताव किया है जो भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति करते हैं तथा/अथवा कम लागत के मकानों के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। कुछ ऐसी गतिविधियां जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक का समर्थन मिलेगा वे निम्नलिखित के उत्पादन और प्रयोग से संबंधित हैं (क) स्थानीय रूप से तैयार की गयी कम लागत की भवन निर्माण संबंधी सामग्री तथा निर्माण संबंधी उपकरण, (ख) मानकीकृत भवन निर्माण सामग्री और उपकरण, (ग) कृषि और उद्योगों के अवशिष्टों का प्रयोग करके तैयार की गयी भवन निर्माण सामग्री और उपकरण, (घ) ऐसी भवन निर्माण सामग्री और उपकरण जो लकड़ी जैसी कम मात्रा में उपलब्ध स्रोतों के प्रयोग के स्थान पर काम में लाये जा सकते हों अथवा उसे काफी मात्रा में कम कर सकते हों, (ङ) कम ऊर्जा की खपत वाली भवन निर्माण सामग्री और उपकरण।

रुग्ण औद्योगिक उपक्रम

13.50 बैंकों को निम्नलिखित के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये थे (i) वह अवधि के लिए किसी इकाई को एक से अधिक पैकेज होने की स्थिति में रियायतें मंजूर की जा सकती हैं, (ii) रुग्ण/कमजोर इकाइयों की सूचियों से औद्योगिक इकाइयों को हटाना, तथा (iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज वसूल करने के लिए एकसमान दृष्टिकोण आवश्यकता/गैर लघु-औद्योगिक "कमजोर" औद्योगिक इकाई की परिभाषा भी संशोधित कर दी गयी है क्योंकि यह देखा गया था कि "कमजोर" इकाइयों की परिभाषा में चालू अनुपात और नकदी की हानि से संबंधित मानदण्ड, इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए उचित समय पर कदम उठाने के वास्ते उनकी पहचान करने में सहायक होने की अपेक्षा बाधक सिद्ध हो रहे हैं। संशोधित परिभाषा के अनुसार उस इकाई को कमजोर माना जायेगा जिसे किसी लेखा वर्ष की समाप्ति पर तुरंत पहले के पांच वर्षों में इसके सर्वोच्च शुद्ध हैसियत के बराबर या उसके 50 प्रतिशत से अधिक की संचित हानि हुई हो।

"कमजोर" इकाइयों के इस वर्गीकरण में औद्योगिक इकाइयों की सभी श्रेणियां आ जाती हैं। ऐसी इकाइयां भी जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के क्षेत्र में नहीं आती इस श्रेणी के अन्तर्गत आ जाती हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ने यह अनुदेश जारी किया है कि कोई भी अकेली एजेंसी किसी इकाई को दी गयी राहतों को तब तक एकपक्षीय रूप में समाप्त नहीं कर सकती, जब तक कि सभी संबंधित पक्ष ऐसा करने के लिए सहमत न हो गये हों।

13.51 दिसम्बर 1987 की समाप्ति पर अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार (रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम द्वारा यथा परिभाषित) बैंक द्वारा निर्दिष्ट गैर लघु औद्योगिक इकाइयों की कुल सं. 1119 थी, जिनके पास 2802 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था। इन 119 इकाइयों में से 905 इकाइयों के संबंध में सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरे किये गये और 343 इकाइयों को सक्षम माना गया। सक्षम मानी गयी 343 इकाइयों में से 223 इकाइयों को बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत रखा गया। ऐसी गैर लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या जो बैंकों द्वारा "कमजोर" मानी गयी परन्तु रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं मानी थी, दिसम्बर 1987 के अंत तक 720 थीं, जिनके पास 1657 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था। इन 720 कमजोर इकाइयों में से 555 इकाइयों के बारे में सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरे किये गये और 270

इकाइयों को सक्षम माना गया । 270 सक्षम इकाइयों में से 158 इकाइयों को बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रमों के अंतर्गत रखा गया।

13.52 दिसम्बर 1987 की समाप्ति पर 2,04,259 रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयां थीं, जिन्हें 1797 करोड़ रुपये का बैंक वित्त दिया गया था। इन इकाइयों में से 12,484 इकाइयों को बैंकों द्वारा संभाव्य रूप से सक्षम माना गया और 84,70 इकाइयों को पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया।

वित्त कंपनियों को रिज़र्व बैंक की सहायता

13.53 इस प्रकार दिसम्बर 1987 की समाप्ति पर रुग्ण अथवा कमजोर इकाइयों पर बकाया कुल ऋण 6,256 करोड़ रुपये (अथवा कुल बैंक अग्रिमों का 9.1 प्रतिशत) था।

13.54 रिज़र्व बैंक ने प्रारंभ में 1988-89 (जुलाई से जून) की अवधि के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 1,500 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था जो चरणबद्ध रूप में 2,700 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। 18 मार्च 1989 को अधिकतम बकाया राशि 2,467 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी। 1 मार्च, 1988 से सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा अल्पावधि कृषि ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को 1 प्रतिशत बिन्दु तक घटाकर 2.5 प्रतिशत बिन्दु पर ले आया गया। ब्याज दर आय में होने वाली इस हानि की सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्तपोषण के वास्ते दिये गये वित्त पर ब्याज की दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 3 से 5 प्रतिशत तक कर दिया गया जो कि बैंकों के अपने स्रोतों के प्रयोग करने पर आधारित है। वसूली के स्वस्थ वातावरण का संवर्धन करने तथा ऋणों को सामान्यतया बट्टे खाते में डालने तथा ब्याज-दरों में कमी करने से रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि नाबार्ड को पुनर्वित्त तभी उपलब्ध कराया जायेगा जबकि ऋण और ब्याज की चुकौती तथा ऋण परिवर्तन चुकौती राहतों को रोकने के संबंध में भारती का कार्यक्रम निर्धारण के लिए निश्चित किये गये सभी विनियमों/मार्गदर्शन सिद्धांतों का, बिना किसी परिवर्तन के पूरी तरह से अनुपालन किया गया हो।

13.55 रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को वर्ष 1988-89 (जुलाई से जून) के लिए कुल 375 करोड़ रु. के दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत और सवितरित किये थे जो कि 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों की अवधि में चुकाये जाने हैं, जबकि इससे पहले वर्ष में 360 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस सीमा का पूर्णतया लाभ उठाया । इस वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 45.25 करोड़ रुपये की राशि चुकाई और इस निधि से इसकी कुल बकाया उधार की राशि 30 जून, 1989 को 3528 करोड़ रुपये थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनः भुनाये गये पात्र मीयादी बिलों की प्रतिपूर्ति पर 24 मई 1988 को उसे स्वीकृत 300 करोड़ रुपये की अल्पावधिक ऋण सीमा सितम्बर 1988 के अंत तक वैध थी। इस ऋण सीमा का उपयोग नहीं किया गया। इसके साथ ही 27 फरवरी, 1989 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के लिए 300 करोड़ रुपये की नयी ऋण सीमा मंजूर की गयी जो कि जून 1989 के अंत तक वैध है। इस सीमा में से बकाया राशि 31 मार्च, 1989 को 262 करोड़ रुपये थी। इस सुविधा का उपयोग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कुछ ही अवसरों पर किया गया यद्यपि 30 जून, 1989 को इस सीमा के प्रति कोई भी राशि बकाया नहीं थी।

13.56 राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से भारतीय निर्यात-आयात बैंक को वर्ष 1988-89 (जुलाई से जून) के लिए 95 करोड़ रुपए का दीर्घावधि ऋण मंजूर किया गया था जो 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है, जबकि इससे पहले वर्ष में 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने इस सीमा का पूर्णतया उपयोग किया और निधि से लिए गए उधारों की इसकी ओर बकाया राशि 30 जून 1989 को 530 करोड़ रुपए थी।

13.57 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के लिए 25 करोड़ रुपए का दीर्घावधि ऋण मंजूर किया गया था जो कि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है, जबकि पिछले वर्ष इसे 20 करोड़ रुपए दिए गए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस राशि का पूरा उपयोग किया तथा उक्त निधि से इसकी ओर ऋण की बकाया राशि 30 जून, 1989 को 70 करोड़ रुपए थी।

13.58 राष्ट्रीय आवास बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 46(घ) के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से रिज़र्व बैंक से उधार लेने के लिए पात्र बनाया गया । राष्ट्रीय आवास बैंक को वर्ष 1988-89 (जुलाई से जून) के लिए 50 करोड़ रुपए का दीर्घावधि ऋण प्रदान किया गया जो पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष की अवधि में चुकाया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक ने उक्त सुविधा का पूर्णतः लाभ उठाया और ऐसी आशा है कि उक्त निधि पूर्णतः ग्रामीण आवास निर्माण को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लायी जाएगी।

13.59 कैलेंडर वर्ष 1989 के लिए भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 30 करोड़ रुपए की तदर्थ ऋण सीमा मंजूर की गयी, परन्तु 30 जून, 1989 को इस सीमा के प्रति बकाया राशि 15 करोड़ रुपये थी।

13.60 वर्ष 1988-89 (अप्रैल से मार्च) के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम को 25 करोड़ रुपए की एक तदर्थ ऋण सीमा मंजूर की गयी थी। इस सुविधा का उपयोग कई अवसरों पर किया गया हालांकि 1989 को इस सीमा के प्रति कोई भी राशि बकाया नहीं थी। वर्ष 1989-90 (अप्रैल से मार्च) के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम को 30 करोड़ रुपए की एक नयी ऋण सीमा मंजूर की गयी है। 30 जून, 1989 को इस सीमा के प्रति बकाया राशि 9 करोड़ रुपए थी।

13.61 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 राज्य वित्त निगमों (तमिलनाडु औद्योगिक एवं निवेश निगम को मिलाकर) को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बांडों के प्रति कुल 82.86 करोड़ रुपए की नयी तदर्थ ऋण सीमा मंजूर की। ये सीमाएं 25 जून, 1989 तक वैध हैं दोनों निगमों को अपनी उधार राशियों के चुकाने के लिए समयावधि बढ़ा कर दी गयी। 30 जून 1989 को इन सीमाओं के प्रति कुल बकाया राशि 12.50 करोड़ रुपए थी।

14. सहकारी बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां

प्राथमिक सहकारी बैंक

(i) **प्रगति**

14.1 शहरी बैंकिंग सुविधा रहित जिलों में नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस मंजूर करने के लिए 1986 में घोषित नीति वर्ष 1988-89 के दौरान भी जारी रही। रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों द्वारा पंजीकरण के लिए 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी और बैंकिंग कारोबार शुरू करने तथा जारी रखने के लिए 7 बैंकों को लाइसेंस जारी किए। जून 1989 के अंत में देश में 92 वेतन भोगियों के बैंकों को मिलाकर (जिनमें से 47 परिसमापनाधीन थे) 1,331 प्राथमिक सहकारी बैंक थे, जबकि जून

1988 की समाप्ति पर 1,325 प्राथमिक सहकारी बैंक थे, जिनमें 33 महिला बैंक भी सम्मिलित हैं। इस वर्ष के दौरान 11 वर्तमान बैंकों को भी भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस मंजूर किए गए। इससे लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 982 हो गयी। 1 जून 1989 के अन्त में बैंकिंग कारोबार शुरू करने और बनाए रखने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु जो आवेदन पत्र विचाराधीन थे उनमें से 20 प्रस्तावों को रिजर्व बैंक ने पंजीकरण के लिए पारित किया।

14.2 इस वर्ष के दौरान 29 प्राथमिक सहकारी बैंकों को 33 नए स्थानों पर कारोबार करने के लिए अनुमति दी गयी। इसके साथ ही दो शहरी सहकारी बैंकों तथा वेतन भोगियों के एक बैंक को एक-एक विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति दी गयी। दिसंबर 1988 के अंत में प्राथमिक सहकारी बैंकों के कार्यालयों की सं. 3,183 थी, जबकि जून 1988 के अंत में इनके कार्यालयों की संख्या 3,119 थी।

14.3 ऐसे 11 प्राथमिक सहकारी बैंकों के नाम, जिनमें से प्रत्येक की मांग और मीयादी देयताएं 50 करोड़ रुपए से ऊपर थीं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर लिए गए। यह पहला अवसर है जब प्राथमिक सहकारी बैंकों को अनुसूची में रखा गया है। इन बैंकों में से आठ महाराष्ट्र में और तीन गुजरात में है।

14.4 प्राथमिक सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत उधार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दें। सूचित करने वाले 476 शहरी बैंकों में से 335 बैंकों ने जून 1988 के अंत में इस स्तर को प्राप्त कर लिया है।

14.5 दिसम्बर 1988 के अन्त में प्राथमिक सहकारी बैंकों की स्वाधिकृत निधियां, जमाराशियां और अग्रिम राशियां कुल मिलाकर क्रमशः 1,008 करोड़ रुपए, 6,300 करोड़ रुपए और 5,200 करोड़ रुपए थीं, जबकि दिसम्बर, 1987 के अन्त में ये राशियां क्रमशः 837 करोड़ रुपए, 5,251 करोड़ रुपए और 4,127 करोड़ रुपए थी।

(ii) पुनर्वित्त सुविधाएं

14.6 1988-89 (अप्रैल से मार्च) के दौरान कुटीर/लघु औद्योगिक इकाइयों के 22 व्यापक समूहों की कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाओं के वित्तपोषण के लिए 52 प्राथमिक सहकारी बैंकों की ओर से 5 राज्य सहकारी बैंकों को कुल 26 करोड़ रुपए की अल्पावधिक ऋण सीमाएं मंजूर की गयीं, जबकि इससे पहले वर्ष में 57 प्राथमिक सहकारी बैंकों को 28 करोड़ रुपए की ऋण सीमायें मंजूर की गयी थी। 1988-89 के दौरान कुल 24 करोड़ रुपए के आहरण हुए जिनमें से 31 मार्च 1989 को 22 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

(iii) अनिवासी बाह्य सामान्य रुपया खाते खोलना और चालू रखना

14.7 जून 1989 के अंत में 40 प्राथमिक सहकारी बैंकों को अनिवासी (विदेशी/अनिवासी सामान्य) रुपया खाता खोलने और चालू रखने के लिए प्राधिकृत किया गया।

(4) सांविधिक निरीक्षण

14.8 इस वर्ष के दौरान 491 प्राथमिक सहकारी बैंकों के निरीक्षण किए गए। एक बैंक के संबंध में, जिसमें कि बड़ी-बड़ी कमियां पायी गयीं, भारत सरकार ने मार्च 1989 में छह माह की अवधि के लिए स्थगन आदेश जारी किया।

राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक

14.9 लाइसेंस प्राप्त राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कुल संख्या क्रमशः 8 और 37 बनी रही। वर्ष के दौरान 6 राज्य सहकारी बैंकों को 18 कार्यालय/विस्तार काउंटर खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए।

कृषि ऋण समीक्षा

14.10 वरिष्ठ विशेषज्ञ समूह ने जिसे कृषि ऋण पुनरीक्षण समिति का नाम दिया गया, मार्च 1989 में अपनी ड्राफ्ट (अन्तिम) रिपोर्ट रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की। पांच परामर्शदाताओं ने भी जिन्हें विस्तृत अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था, अपनी-अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

15. अन्य गतिविधियां

निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम

15.1 लघु औद्योगिक इकाइयों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋणकर्ताओं को बैंकों तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी प्रदान करने तथा बैंकों में अल्प राशि जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने में समीक्षा वर्ष के दौरान निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम ने और प्रगति की।

15.2 कृषि के लिए उधारकर्ताओं और लघु उद्योगों के लिए संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 1989 से गारंटी समर्थन का क्षेत्र बढ़ाया गया। अपनी जमा बीमा योजना के अतिरिक्त निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम 5 ऋण गारंटी योजनाएं चलाता है, जिनमें से 4 छोटे उधारकर्ताओं के लिए है जो विविध प्रकार की गतिविधियों में लगे हुए है और एक लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए है।

15.3 बीमाकृत बैंकों की संख्या जो 30 जून 1988 को 1,907 थी, 30 जून 1989 को बढ़कर 1,908 हो गयी।

15.4 16 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत 81 वाणिज्य बैंकों, 996 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 1601 सहकारी बैंकों में जमा बीमा लागू है। बीमाकृत जमाराशियां कुल 99,194 करोड़ रुपए रही, जो कि जून 1988 की समाप्ति पर कुल निर्धारण योग्य जमाराशियों की 71.1 प्रतिशत बैठती हैं।

15.5 लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या जून 1988 को 265 से बढ़कर जून 1989 के अन्त में 267 हो गयी, जबकि उन संस्थाओं की संख्या जो सेवा सहकारिता समिति गारंटी योजना, 1971 में भाग ले रही थी, 178 ही रही। लघु ऋण (वित्तीय निगमों) गारंटी योजना 1971 में भाग लेने वाली राज्य वित्तीय निगमों (राज्य औद्योगिक विकास निगमों को मिलाकर) की संख्या 20 ही बनी रही। लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984 में भाग लेने वाले प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या जो जून 1988 की समाप्ति पर 87 थी, जून 1989 की समाप्ति पर भी 87 ही रही। उपर्युक्त 4 योजनाओं के अन्तर्गत छोटे ऋणकर्ताओं के लिए कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि जून 1988 के अन्त में 14,291 करोड़ रुपए थी जो कि पिछले वर्ष की राशि से [illegible].6 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है।

15.6 निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या जून 1988 की समाप्ति की 536 से बढ़कर जून 1989 की समाप्ति पर 545 हो गयी। लघु उद्योग क्षेत्र को गारंटीकृत अग्रिमों की राशि जो जून 1987 की समाप्ति पर 7,738 करोड़ रुपए थी, जून 1988 की समाप्ति पर 35.2 प्रतिशत बढ़कर 10,465 करोड़ रुपए हो गयी।

15.7 जुलाई 1988 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान लघु उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में 248 करोड़ रुपए के लिए निगम को 10.39 लाख दावे प्राप्त और लघु उद्योगों के लिए इसकी योजना के संबंध में 140 करोड़ रुपयों के लिए 0.64 लाख दावे प्राप्त हुए। इसी अवधि के दौरान छोटे ऋणकर्ताओं के संबंध में 169 करोड़ रुपयों के लिए 7.80 लाख दावे और लघु उद्योग योजना

के संबंध में 101 करोड़ रुपयों के लिए 0.53 लाख दावे निगम द्वारा निपटाए गए।

15.8 1984 से निगम द्वारा प्राप्त गारंटी दावों की राशि गारंटी शुल्क की प्राप्तियों से ज्यादा हो रही हैं। बीमागत हिसाब के आधार पर निगम की देयता के मूल्यांकन की पद्धति के अनुसार ऋण गारंटी निधि ने 31 मार्च 1989 को 149 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया है जिसका समायोजन जमा बीमा निधि से 221 करोड़ रुपए का अंतरण करके किया गया। इस प्रकार जमा बीमा निधि में 72 करोड़ रुपए की कमी आयी। पिछले वर्ष में भी ऋण गारंटी निधि हुए 265 करोड़ रुपए के घाटे को जमा बीमा निधि से 349 करोड़ रुपए अंतरित करके समायोजित किया गया। निगम ने अपने गारंटी शुल्क की दर 1 अप्रैल 1989 से एक समान रूप में 1.5 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। निगम का लेखा वर्ष जनवरी-दिसम्बर से बदलकर अप्रैल से मार्च हो गया है।

गैर-बैंकिंग कंपनियां जमाराशियां स्वीकृत करने से संबंधित विनियम

15.9 वित्तीय कंपनियों पर लागू रिजर्व बैंक के 1977 के निदेश 28 मार्च 1989 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किए गए हैं। इस संशोधन में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन न्यूनतम तथा अधिकतम अवधियों का प्रावधान किया गया है जिनके लिए किराया खरीद वित्तदायी पट्टे पर उपस्कर देने वाली तथा आवास वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकृत/नवीकृत की जा सकती हैं तथा इस संशोधन द्वारा पहली बार आवास वित्त कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर दलाली तथा उनसे संबंधित मात्रा एवं ब्याज-दर से संबंधित प्रतिबंध लगाए गए हैं। दलालों को देय दलाली की दर में भी वृद्धि की गयी है तथा उसे गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा देय वृद्धि दर के समान बना दिया गया है। जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी कानून बोर्ड को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह किसी गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमा-राशि की अदायगी न किए जाने का ध्यान रखते तथा ऐसी जमाराशियों की अदायगी करने के लिए व्यतिक्रमकर्ता कंपनी का आदेश जारी करके जमाकर्ताओं को पर्याप्त सहायता प्रदान करे।

गैर-बैंकिंग कंपनियां-चिट फण्ड अधिनियम, 1982

15.10 चिट फण्ड अधिनियम, 1982, 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो गया है तथा 1 जुलाई 1989 से राजस्थान राज्य में उक्त अधिनियम लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। शेष राज्यों के बारे में आवश्यक प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है।

गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकृत किया जाना

15.11 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पांच अन्य राज्य सरकारों ने अधिसूचनाएं जारी करके अनिगमित निकायों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त अधिकारियों को प्राधिकृत किया है जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1943 की धारा 45 टी तथा 50 ई में परिकल्पित है इस तरह ऐसे राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों की कुल संख्या 20 हो गयी है।

15.12 राज्य सरकारों द्वारा की गयी कार्रवाई के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अकेले अथवा राज्य/पुलिस/सरकारी अधिकारियों के सहयोग से अब तक गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा दिल्ली में स्थित 114 अनिगमित निकायों के कार्यालय परिसरों में छापे मारे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIग के उपबंधों के उल्लंघन के लिए ऐसे 17 निकायों के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई की गयी है। जबकि एक मामले में जुर्माना लगाया गया है, एक अन्य मामले में उसे रद्द कर दिया गया है। शेष मामले कार्रवाई के विभिन्न चरणों में हैं।

गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र से संबंधित जमाराशियों की प्रवृत्तियां

15.13 मार्च 1987 के अंत में 9,916 कंपनियों द्वारा धारित 21,400 करोड़ रुपए के मुकाबले 31 मार्च 1988 को 10,166 गैर-बैंकिंग कंपनियों की कुल जमाराशियां 24,917 करोड़ रुपए थी जोकि वर्ष के दौरान 3,517 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदर्शित करती है। 2,691 गैर-वित्तीय कंपनियों की कुल विनियमित जमाराशियां 3,706 करोड़ रुपए की थीं जोकि गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र में कंपनी जमाराशियों का एक प्रमुख हिस्सा है। मार्च 1988 के अन्त में 7475 वित्तीय कंपनियों (1,148 विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित) की विनियमित एवं छूट प्राप्त कुल जमाराशियां क्रमशः 739 करोड़ रुपए तथा 5,889 करोड़ रुपए की थीं। 31 मार्च 1988 को गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र की 4,445 करोड़ रुपए की विनियमित जमाराशियां मार्च 1987 के 4 प्रतिशत की तुलना में समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल जमाराशियों का 3.8 प्रतिशत थीं। वर्ष 1987-88 के दौरान, गैर-बैंकिंग कंपनियों की विनियमित जमाराशियों में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मार्च 1987 तथा 1988 तक कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा धारित जमाराशियों के विवरण नीचे सारणी में दिए गए हैं।

गैर बैंकिंग कंपनी क्षेत्र की जमा राशियां मार्च के अंत में

(करोड़ रुपये)

श्रेणी	1986–87		1987–88	
	रिपोर्ट भेजनेवाली कंपनियों की संख्या	राशि	रिपोर्ट भेजने वाली कंपनियों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
कुल जमाराशियां (i+ii)	9,916	21,400	10,166	24,917
(i) विनियमित जमाराशियां		4,077		4,445
(ii) छूट प्राप्त जमा राशियां		17,323		20,472
(क) निम्नलिखित द्वारा धारित जमाराशियां				
(i) सरकारी कंपनियां	63 (0.6)	11,958 (55.9)	109 (1.1)	12,766 (51.2)
(ii) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां	3,143 (31.7)	7,924 (37.0)	3,176 (31.2)	9,961 (40.0)
(iii) निजी लिमिटेड कंपनियां	6,710 (67.7)	1,518 (7.1)	6,881 (67.7)	2,190 (8.8)
(ख) निम्नलिखित द्वारा धारित जमाराशियां				

1	2	3	4	5
(i) वित्तीय कंपनियां	5,957 (60.0)	5,206 (24.3)	6,327 (62.2)	5,852 (23.5)
(ii) गैर-वित्तीय कंपनियां	2,803 (28.3)	15,459 (72.3)	2,691 (26.5)	18,289 (73.4)
(iii) विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां	1,156 (11.7)	735 (3.4)	1,148 (11.3)	776 (3.1)

*अनन्तिम

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े यथास्थिति रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की कुल जमाराशियों का प्रतिशत है।

16. विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित गतिविधियां

व्यापक विदेशी मुद्रा परमिट योजना उदारीकरण

16.1 जून 1987 में लागू की गयी निर्बाध विदेशी मुद्रा परमिट योजना के उदारीकरण के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। वर्ष 1988-89 में उक्त योजना को और अधिक उदार बनाया गया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी ग्रीन कार्ड रखनेवाली 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयां को उनके परिचालन की प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि के दौरान व्यापक परमिट के लिए पात्र बना दिया गया है चाहे निर्यात संबंधी उनका निष्पादन जो भी रहा हो। निर्यात अभि-संस्करण क्षेत्रों में कार्यरत नयी इकाईयों को यह सुविधा प्रदान की गयी है भले ही परिचालन की प्रारंभिक दो वर्ष की अवधि के दौरान न्यूनतम निर्यात निष्पादन की अपेक्षा को वे इकाईयां पूरा न करती हों इसके अतिरिक्त उन अनुमोदित प्रयोजनों की संख्या में भी काफी वृद्धि की गयी है जिनके लिए व्यापक परमिटों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का आहरण किया जा सकता है ताकि निर्यात संवर्धन तथा संबद्ध गतिविधियों से संबंधित व्यय अनेक अन्य मदों को भी इसमें शामिल की जा सके। अब अनुमोदित प्रयोजनों की कुल संख्या 24 है।

विदेशी राष्ट्रिकों की नियुक्ति करना

16.2 अगस्त 1988 से पूर्व विदेशी तकनीशियनों / तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए कंपनियों /फर्मों को भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। केवल उन मामलों में पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था जिनमें प्लांट/मशीनरी की खराबी अथवा किसी आकस्मिक समस्या के निराकरण के लिए तीन महीने से अनधिक की अल्पावधि के लिए ऐसी नियुक्ति की गयी हो। इस प्रक्रिया में संशोधन किया गया है और अब निम्न-लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन, भारत में कंपनियों तथा फर्मों द्वारा विदेशी तकनीशियनों/तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए सभी प्रकार के आवेदन पत्रों पर रिजर्व बैंक विचार करता है।

(i) किसी भारतीय कंपनी/फर्म द्वारा विदेशी तकनीशियन / तकनीशियनों अथवा तकनीकी विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की नियुक्ति की कुल अवधि एक पूरे कैलेण्डर वर्ष में 12 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) किसी एक विदेशी तकनीशियन/तकनीकी विशेषज्ञ के शुल्क पारिश्रमिक से संबंधित अदायगी की राशि प्रतिदिन 500/ अमरीकी डालर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) कंपनी से कम्पनी के आधार पर विदेशी मुद्रा में दायगी के मामले में विदेशी तकनीशियनों/तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए संयुक्त रूप से सभी विदेशी कंपनियों/फर्मों को किसी भारतीय कंपनी द्वारा की गयी अदायगी की कुल राशि एक पूरे वर्ष में 50,000/ अमरीकी डालर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पुनश्च, व्यापक विदेशी मुद्रा परमिट रखनेवाली कंपनियों / फर्मों को विदेशी तकनीशियनों / तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए विदेशी मुद्रा में उनसे संबंधित व्यय को वहन करने के लिए अपने व्यापक परमिटों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गयी है बशर्ते कि उन्होंने ऐसी नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त की हो।

भारत में प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को रुपया ऋण/ओवर ड्राफ्ट

16.3 अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गुणवत्ता के आधार विनिर्माण संबंधी गतिविधियों तथा निर्यात उन्मुख व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय नागरिकता/मूल के अनिवासियों को उनके अनिवासी/बाह्य/विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में मीयादी जमा प्रतिभूतियों के सहत रुपया ऋण/ओवरड्राफ्ट स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों के आवेदन पत्रों पर विचार करना शुरू किया है :

(क) अस्पताल (निदान केन्द्रों सहित)

(ख) 3, 4 अथवा 5 सितारा श्रेणी के होटल

(ग) नौवहन कंपनियां

(घ) कंप्यूटर साफ्टवेयर का विकास

(ङ) तेल खोजी सेवाएं

(च) 2 फरवरी 1973 के उद्योग मंत्रालय के प्रेस नोट के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित कोई उद्योग अथवा कोई अन्य निर्यातोन्मुख उद्योग।

सोने तथा चांदी के आभूषण तथा अन्य वस्तुओं के विनिर्माण एवं निर्यात से संबंधित योजना

16.4 "100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख संकुलों तथा निर्यात अभि-संस्करण क्षेत्र से सोने तथा चांदी के आभूषणों एवं वस्तुओं के निर्यात के लिए योजना" नामक एक नयी योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत इन क्षेत्रों/संकुलों में स्थित इकाईयों को आभूषणों के निर्यात एवं विनिर्माण के लिए सोने अथवा चांदी से निर्मित कच्चामाल मध्यवर्ती वस्तुएं तथा घटक आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को इस बात की अनुमति प्रदान की है कि वह ऐसी इकाईयों को स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन एवं संपूर्ति योजना के अन्तर्गत अपने द्वारा आयातित स्वर्ण उपलब्ध करायें। इसी प्रकार भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड को भी भारत सरकार द्वारा यह अनुमति प्रदान की गयी है कि वह ऐसी इकाईयों को निर्यात के लिए आभूषणों के विनिर्माण में समर्थ बनाने के लिए उन्हें आपूर्ति करने के वास्ते भारत में स्वर्ण का आयात करे। विदेशी मुद्रा विनियमन अधि-नियम 1973 की धारा 13(2) के अंतर्गत यथापेक्षित भारतीय रिजर्व बैंक से विशिष्ट आयात लाईसेंस प्राप्त करने से संबंधित आवश्यकता के निवारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इन इकाईयों को उक्त योजना के उपबंधों के अंतर्गत स्वर्ण/चांदी के आभूषण भारत से बाहर भेजने के लिए विशेष अनुमति प्रदान की है।

प्रबंध/तकनीकी/परामर्श सेवाओं के लिए विदेशी टेके

16.5 प्राधिकृत व्यापारियों निर्यात आयात बैंक का तथा भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम से निधि आधारित और/अथवा गैर निधि आधारित सुविधाएं प्राप्त करने की अपेक्षा रखने वाली तथा विदेश

में विभिन्न प्रकार की सेवाओं से संबंधित ठेके लेने वाली कंपनियों/फर्मों से यह अपेक्षित था कि वे बोली पूर्व वित्तीय संस्थाओं के कार्य दल से पूर्वानुमति प्राप्त करें चाहे उनकी बोलियों/उनके प्रस्तावों का मूल्य जो भी हो। 1 मई 1989 से 2 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये मौद्रिक सीमा तक प्रबंध/तकनीकी/परामर्श सेवाओं के निर्यात के लिए क्रमश: 2 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा तक बोली पूर्व अनुमति स्वीकृत करने के वास्ते क्रमश: निर्यात-आयात बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनिवासी भारतीय बाण्ड का निर्गम

16.6 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनिवासी भारतीय बाण्ड के निर्गम के संबंध में इस रिपोर्ट के भाग 1 में उल्लेख किया गया है। 14 नवम्बर 1988 को यह निर्गम खुला था तथा 15 फरवरी, 1989 को बंद हुआ था। बाण्डों की परिपक्वता अवधि 7 वर्ष की है तथा ये अर्धवार्षिक अन्तरालों पर गणना करके 11.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान करते हैं। निवेशकर्ता द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर इन बाण्डों पर परिपक्वता के समय अथवा वार्षिक आधार पर ब्याज देय होता है अनिवासी भारतीय बांड धारकों द्वारा अन्य अनिवासी भारतीयों अथवा भारत में रहने वाले निकट के संबंधियों को ये बाण्ड उपहार में दिये जा सकते हैं। ये बाण्ड अमेरिकी डालर के मूल्यवर्ग में जारी होते रहेंगे भले हो बाण्डों की प्राप्ति के पश्चात उनका धारक भारत का निवासी हो जाए अथवा अनिवासी द्वारा यह बाण्ड भारत में निवास करने वाले निकट संबंधियों को उपहार स्वरूप दान कर दिया जाए। परिपक्वता के बाद बाण्डों की मूल राशि तथा उनसे संबंधित प्रासंगिक ब्याज राशि की अदायगी की तारीख को विद्यमान अमेरिकी डालर के लिए भारतीय बैंक की तार अंतरण खरीद दर पर रुपयों में परिवर्तित करने के पश्चात बाण्ड धारकों को उनकी अदायगी की जाएगी। अनिवासी भारतीय बाण्ड धारकों को भारत में उनकी वास्तविक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपया निधियां जुटाने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बाण्डों की प्रतिभूति पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा स्वीकृत की गयी है।

विनिमय जोखिम प्रबंध योजना

16.7 तीन वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उप उधारकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उपाय को दृष्टि में रखते हुए, विदेशी मुद्रा में उनके मध्यावधि तथा दीर्घावधि उधारों में विद्यमान विनिमय जोखिम के विरुद्ध इन तीन वित्तीय संस्थाओं ने 1 अप्रैल 1989 से विनिमय जोखिम प्रबंध योजना नामक एक योजना प्रारम्भ की है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनके बाह्य वाणिज्यिक उधारों में से 1 अप्रैल 1989 को अथवा उसके पश्चात वितरित नये विदेशी मुद्रा उप ऋण के संबंध में उक्त योजना के अंतर्गत सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा अप्रैल 1989 से पूर्व स्वीकृत विदेशी मुद्रा ऋणों के अवितरित भाग भी संबंधित वित्तीय संस्थाओं तथा उप उधारकर्ताओं के मध्य पारस्परिक सहमति से उक्त योजना के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त करने के पात्र होंगे। यद्यपि पात्र उधारकर्ताओं को प्रत्येक ऋण के संबंध में योजना में भाग लेने का विकल्प प्राप्त है परन्तु एक बार दिया गया विकल्प ऋण की विद्यमानता की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय होगा। प्रारंभ में उक्त योजना दो वर्ष के लिए लागू रहेगी। तथापि, दो वर्ष की अवधि के भीतर किये गये संपूर्ण वितरण ऋणों की पूर्ण अवधि के दौरान सुरक्षा के पात्र होंगे।

16.8 उप-ऋणों की मूल राशियों के संबंध में अदायगी का दायित्व वितरण की तारीख को विद्यमान दरों पर रुपये से सम्बद्ध होगा। उप उधारकर्ताओं की ब्याज संबंधी देयताओं, वित्तीय संस्थाओं के औसत लागत अंतर (स्प्रेड) तथा विनिमय जोखिम प्रीमियम को शीर्ष एवं न्यूनतम दरों के साथ, एक संमिश्र लागत (कम्पोजिट कास्ट) में मिला दिया जाएगा। इस श्रेणी के भीतर वास्तविक दरें समय समय पर घोषित की जायेंगी तथा त्रैमासिक अन्तरालों पर देय होंगी। संमिश्र लागत में विनिमय जोखिम प्रीमियम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संस्थापित एवं संचालित विनिमय जोखिम प्रबंध निधि नामक निधि में जमा किया जाएगा।

लौटने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा पात्रता (योजना आर.आई.एफ.ई.ई.)

16.9 भारत में स्थायी निवास के लिए वापस आनेवाले भारतीय नागरिकता अथवा भारतीय मूल के अनिवासियों द्वारा भारत को प्रेषित विदेशी मुद्रा की कुल राशि के 50 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा (अनिवासी बाह्य तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में शेषों सहित) प्राप्त करने की सुविधा पहले भारत में वापस आने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक के लिए प्राप्त था। अब इस अवधि को बढ़ा कर 15 वर्ष कर दिया गया है।

16.10 आर. आई. एफ. ई. ई. योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रयोजनों के लिए परमिटधारियों अथवा उनके आश्रितों को भी विदेशी मुद्रा उस समय तक प्रदान की जाती है जब तक परमिटधारी भारत में निवास करते हैं। एक बार अनिवासी हो जाने के पश्चात अपने आर. आई. एफ. ई. ई. परमिटों के अंतर्गत परमिटधारी व्यक्ति विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं कर सकते। अपवाद स्वरूप यह निर्णय किया गया है कि आर. आई. एफ. ई. ई. परमिटधारियों को उनके परमिटों पर आश्रित बच्चों / आश्रितों के विदेश में अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति दी जाए भले ही बच्चे आश्रित विदेश में अपने माता पिता अभिभावकों के साथ ही निवास क्यों न करें।

अंतरणीय साख पत्र-योजना

16.11 अबतक प्राधिकृत व्यापारियों से यह अपेक्षित था कि वे भारत में आयात करने के लिए वस्तुओं के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में हस्तांतरणीय साख-पत्र खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करें। अब प्राधिकृत व्यापारियों को भारत में वस्तुओं के आयात के लिए हस्तांतरणीय साख-पत्र खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है जिसके द्वारा उन्हें एक हिताधिकारी से दूसरे हिताधिकारी को लाभ हस्तांतरित करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है बशर्ते कि दूसरा हिताधिकारी भी उसी देश का निवासी हो, परंतु यदि साख-पत्र का दूसरा हिताधिकारी दूसरे देश का निवासी हो तो हस्तांतरण की अनुमति तभी प्राप्त होगी जब कि दोनों देश "बाह्य समूह" (एक्सटर्नल ग्रुप) में आते हों तथा वे एशियन समाशोधन संघ के सदस्य न हों।

पोतलदान प्रलेखों का प्रेषण

16.12 प्राधिकृत व्यापारियों से यह अपेक्षित है कि वे पोतलदान प्रलेखों को अपनी समुद्रपारीय शाखाओं / प्रतिनिधियों को शीघ्रतापूर्वक भेजें ताकि वे वस्तुओं की सुपुर्दगी प्राप्त करने के लिए विदेशी खरीदारों को उक्त प्रलेख समय से दे सकें। प्राधिकृत व्यापारियों को अब यह अनुमति प्रदान की गयी है कि वे निर्यात विषयक पोतलदानों से संबंधित उन मामलों में जिनमें पूरा भुगतान अग्रिम रूप में प्राप्त हुआ हो अथवा परेषण के पूरे मूल्य के लिए अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र खोला गया हो तथा संबंधित विक्रय संविदा / साख-पत्र में ही सीधे परेषिती को पोतलदान प्रलेख भेजने का प्रावधान निहित हो, पोतलदान संबंधी प्रलेखों को सीधे परेषिती को भेज सकते हैं।

भारत से निर्यात के बीजक मूल्य में कमी

16.13 पोतलदान प्रलेखों का कारबार करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों को अबतक यह अनुमति प्राप्त थी कि वे 10,000/- रुपये की मौद्रिक शीर्ष सीमा के अधीन वैध कारणों से पोतलदान के मूल्य के 10 प्रतिशत तक बीजक मूल्य में छूट प्रदान करने के लिए अपने निर्यातक ग्राहकों के अनुरोधों को स्वीकार करें। इस बात को ध्यान रखते हुए कि प्राधिकृत व्यापारी स्वयं निर्यात संबंधी पोतलदानों के बीजक मूल्य में कमी करने के लिए निर्यातकों के और अधिक आवेदनों का निपटान कर सकें। 10 प्रतिशत की शीर्ष सीमा के भीतर मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर 20,000/- रुपये कर दिया गया है।

कार्यालय खोलना (i) विदेश स्थित भारतीय कम्पनियों द्वारा

16.14 वर्ष 1988-89 (जुलाई–जून) के दौरान, भारतीय कंपनियों/फर्मों को विदेश में 30 व्यावसायिक तथा 90 गैर-व्यावसायिक कार्यालय खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गयी। 26 भारतीय कंपनियों/फर्मों को विदेश में प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए भी अनुमति प्रदान की गयी।

(ii) भारत स्थित विदेशी कंपनियों द्वारा

16.15 इसी अवधि के दौरान 64 विदेशी कंपनियों/फर्मों को भारत में नये संपर्क प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गयी/इसके अतिरिक्त भारत में संविदाओं के निष्पादन में रत विदेशी कंपनियों को 15 परियोजना कार्यालय खोलने की भी अनुमति प्रदान की गयी।

एशियन समाशोधन संघ

16.16 एशियन समाशोधन संघ (एशियन क्लीयरिंग यूनियन) के निदेशक मण्डल की सत्रहवीं बैठक 2 और 3 मार्च 1989 को बम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक की मेजबानी में संपन्न हुई। एशिया और पैसिफिक संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्कैप) की प्रेरणा से दिसम्बर 1974 में एशियन समाशोधन संघ की स्थापना हुई थी तथा इसके लक्ष्य को बहुपक्षीय आधार पर चालू अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी भुगतानों के निपटान के लिए सुविधा प्रदान करना, चालू लेन देन में सहभागियों की मुद्राओं के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा सहभागियों के मध्य मुद्रासंबंधी सहयोग को बढ़ावा देना। छ: देशों, अर्थात बर्मा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भारत के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों एवं उच्च अधिकारियों ने बम्बई में संपन्न एशियन समाशोधन संघ के निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लिया। एशियन समाशोधन संघ के महाप्रबंधक तथा यू. एन. सी. टी. ए. डी. एवं इ. एस. सी. ए. पी. के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया। एशियन समाशोधन संघ के निदेशक मण्डल ने 1988 की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार किया तथा यह उल्लेख किया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष के दौरान इस संघ के तंत्र के माध्यम से किये गये कारोबार की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है। निदेशक मण्डल ने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि वर्ष 1987 के 36 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 1988 में सहभागियों के मध्य हुए कुल कारोबार का केवल 26 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में निपटाया गया पुनश्च, एशियन समाशोधन संघ की गतिविधि तथा उसकी सदस्यता के विस्तार के लिए अर्थोपाय के संबंध में भी चर्चा की गयी। निदेशक मण्डल का यह निर्णय बैठक की एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही कि द्वैमासिक निपटानों के समय घाटे का सामना करनेवाले सदस्यों को एक अस्थायी सुविधा के रूप में एशियन समाशोधन संघ के सदस्यों के बीच एक अदला बदली की व्यवस्था शुरू की जाए।

17. संगठनात्मक मामले तथा बैंक के लेखे

17.1 मार्च 1989 के अंत में करेंसी चेस्टों की कुल संख्या (489 आधानों) (रिपोजिटरीज) को छोड़कर 3,730 करेंसी चेस्ट थी इनमें 17 करेंसी चेस्ट रिजर्व बैंक के पास, 2,703 भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंकों के पास 599 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास, 406 कोषागारों तथा उप कोषागारों के पास और 5 जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के पास हैं।

नोएडा में नयी टकसाल

17.2 देश में सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नोएडा में (उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में) 1988 में एक नयी टकसाल खोली गयी। इस टकसाल ने जुलाई 1988 से एक रुपया मूल्यवर्ग के ताम्र-निकल सिक्कों तथा 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे मूल्यवर्ग के स्टेनलेस स्टील सिक्कों की ढलाई शुरू की।

मुद्रा प्रबंध के बारे में समिति

17.3 आगामी दशक में भारतीय रिजर्व बैंक की निर्गम संबंधी कार्यों से उत्पन्न समस्याओं का सामना करने के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल तरीकों/प्रणालियों, प्रक्रियाओं, तथा तकनीकों से संबंधित प्रश्नों सहित मुद्रा प्रबंध विषयक समस्त समस्याओं की छान बीन के लिए रिजर्व बैंक के एक उप-गवर्नर की अध्यक्षता में दिसम्बर 1988 में एक समिति का गठन किया गया।

सर्वेक्षण

17.4 अनिवासी भारतीयों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों के पास रखे विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा एवं अनिवासी बाह्य खातों के संबंध में दिसम्बर 1988 में एक सर्वेक्षण शुरू किया गया। सर्वेक्षण का प्रयोजन इन जमाराशियों की परिपक्वता के विन्यास (पैटर्न) का आकलन करना है। जमाकर्ताओं के निवास के देश निधियों के स्रोतों आदि जैसे संबंधित पहलुओं के बारे में भी इस सर्वेक्षण से जानकारी मिलने की संभावना है। उपयुक्त प्रतिदर्श प्रणालियों को अपनाकर सर्वेक्षण के लिए कुल मिलाकर बैंक की 559 प्राधिकृत शाखाओं का चयन किया गया है। यह जांच तथा प्राप्त अनुसूचियों का संसाधन काफी प्रगति कर चुका है।

17.5 वर्ष 1987 में किये गये निवेश संबंधी उद्देश्यों के प्रथम सर्वेक्षण से प्राप्त उत्साहवर्धक नतीजों के पश्चात 1,541 चयनित कंपनियों से वर्ष 1987–88 के उनके वास्तविक निवेशों तथा वर्ष 1988–89 के लिए उनके वांछित निवेशों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी क्षेत्र में निवेश उद्देश्य के संबंध में एक दूसरा सर्वेक्षण जनवरी 1989 में शुरू किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणामों से वर्ष 1988–89 तथा 1989–90 के दौरान निजी कंपनी क्षेत्र की संभावित आवश्यकताओं का पता चला है तथा वित्तीय संस्थाओं को अपने वित्तीय संसाधनों के बारे में उपयुक्त योजना बनाने में भी उससे सहायता मिली है।

17.6 1989 में कंपनी निवेश पूर्वानुमान से संबंधित एक नयी परियोजना दिसम्बर 1988 में शुरू की गयी थी। परियोजना का प्रयोजन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड जैसी मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में पूंजीगत व्यय की संभावित चरणबद्धता के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1989 में निजी कंपनी क्षेत्र से संबंधित निवेशों का पूर्वानुमान करना था। इस परियोजना पर आधारित वर्ष 1989 से संबंधित कंपनी निवेश विषयक पूर्वानुमान का इस रिपोर्ट के भाग I में किया गया है।

17.7 वर्ष के दौरान 31 मार्च 1987 को संदर्भ वर्ष मानते हुए, भारत की विदेशी देयताओं तथा आस्तियों की गणना पूर्ण की गयी। संगृहीत आंकड़ों को संसाधित करने का कार्य प्रगति पर है।

दूरसंचार तंत्र का विकास

17.8 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में स्टोर एण्ड फारवर्ड नेटवर्क का उल्लेख किया गया था जोकि रिजर्व बैंक में सितम्बर 1987 से शुरू हो गया था। यह तंत्र बैंक में शीघ्र तर अंतकार्यालयीन सूचना के लिए आरम्भ किया गया था जिसके लिए अनन्य रूप से रिजर्व बैंक के उपयोग के लिये डाक और तार विभाग से पट्टे पर लाईनें किराये पर ली गयी है। इस तंत्र (नेटवर्क) की स्थापना के बाद से इसके उपयोग में निरंतर वृद्धि होती रही है।

मशीनीकरण कंप्यूटरीकरण

17.9 बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में आंकड़ों के शीघ्रतर संसाधन के लिए अधिक क्षमतावाली एक उन्नत कंप्यूटर प्रणाली स्थापित की गयी है। प्रेषण सुविधा योजना केन्द्रीय राज्य सरकार की जमाराशियों की एकाउंटिंग तथा रेलवे रक्षा, डाक और तार के खर्चों जिनका पहले

ही कंप्यूटरीकरण हो गया था, से संबंधित कार्य के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्य का भी कंप्यूटरीकरण हो गया है।

17.10 करेंसी चेस्ट लेखों का काम करने के लिए भायखला, नागपुर अहमदाबाद और नयी दिल्ली के निर्गम विभाग के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के प्रथम चरण के पश्चात कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के विस्तारण के अंतर्गत नौ और कार्यालयों को लिया गया है। बम्बई में निर्गम विभाग के दावा अनुभाग का भी कंप्यूटरीकरण हो गया है। कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम को अन्य कार्यालयों में चरणबद्ध रूप में लागू करने का प्रस्ताव है।

17.11 केन्द्रीय कार्यालय के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग में एक कंप्यूटर प्रणाली की स्थापना की गयी है। वित्तीय कंपनी विभाग बम्बई में भी एक प्रणाली स्थापित की गयी है तथा बंगलूर और नयी दिल्ली कार्यालयों में भी ऐसी ही प्रणाली की स्थापना की जानेवाली है। शहरी बैंक विभाग मुद्रा प्रबंध विभाग सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग में कंप्यूटर प्रणालियां स्थापित की जाएगी प्रभावी आंकड़ा प्रबंध के लिए कार्मिक नीति विभाग रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (मद्रास) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग तथा ऋण आयोजना कक्ष को व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रदान किये गये हैं। रिजर्व बैंक में कंप्यूटरीकरण की एक संदर्श योजना तैयार की जा रही है।

17.12 कार्यालय स्वचलन के क्षेत्र में शीघ्रता पूर्वक काम करने तथा कार्यक्षमता सुधारने के लिए अनेक नये तकनीकी उपकरण लगाये गये हैं। बम्बई, मद्रास और नयी दिल्ली में जमा लेखा विभाग में एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीनें लगायी जा रही है। बम्बई तथा भायखला कार्यालयों में एक हस्ताक्षर प्रग्रहण और पुनः प्राप्ति प्रणाली सिग्नेचर कैप्चर एण्ड रीट्रीवल सिस्टम अस्थापित की जा रही है। इससे हस्ताक्षर की पुनः प्राप्ति एवं सत्यापन की संभावना है तथा उसके द्वारा ग्राहक सेवा में सुधार होने की आशा है। बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग में अनुलिपि मशीन लगायी गयी शीघ्र ही नई दिल्ली मद्रास तथा कलकत्ता कार्यालयों में ऐसी ही मशीने लगायी जाएगी कार्मिक नीति विभाग तथा रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (मद्रास) में डेस्क टाप पब्लिशिंग प्रणालियां शुरू की गयी है।

खातों का माइक्रोफिल्मांकन

17.13 स्थान संबंधी समस्या तथा बेहतर अभिलेख प्रबंध की आवश्यकता के संदर्भ में रिजर्व बैंक अपने अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग की वांछनीयता पर विचार करता रहा है। केन्द्रीय कार्यालय के कुछ विभागों में अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग के संबंध में काम शुरू किया गया है। आवश्यक उपस्कर चयनित किये गये हैं तथा उनके लिए आदेश दे दिये गये हैं।

सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यान

17.14 विख्यात स्मारक व्याख्यान, जो बैंक द्वारा अपने प्रथम भारतीय गवर्नर, डॉ सी.डी. देशमुख की स्मृति में प्रवर्तित किया गया था, 4 अक्तूबर, 1988 को बंबई में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक श्री माइकेल कैमडेसस द्वारा दिया गया। श्री कैमडेसस ने "विकासशील अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली कुछ समस्याएं विषय पर व्याख्यान दिया। इस व्याख्यानमाला में यह पांचवां व्याख्यान था।

बैंकिंग विकास के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

17.15 भारत के स्वतंत्रता के 40 वर्षों तथा जवाहरलाल नेहरू की जन्मशती के स्मारक समारोहों के अंश के रूप में रिजर्व बैंक ने 12 नवम्बर 1988 को इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट रिसर्च) में बैंकिंग विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों तथा शैक्षणिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा इसका उद्घाटन रिजर्व बैंक के गवर्नर ने किया बैंकरों, रिजर्व बैंक के अधिकारियों तथा प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत आलेखों के आधार पर सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

(i) वित्तीय बाजारों का विविधीकरण तथा बैंकों के समक्ष उपस्थित समस्यायें,

(ii) बैंक और ग्रामीण विकास, तथा

(iii) बैंकों में दक्षता, उत्पादकता और ग्राहक सेवा।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बंबई

17.16 बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय ने सामयिक अभिरुचि के विषयों पर यथा निर्यात, कम्प्यूटर, पूंजी/शेयर-बाजार, ऋण वसूली प्रबन्ध, सुरक्षा-प्रबन्ध और विदेशी मुद्रा पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं सहित अनेक नये/नवोन्मेषपूर्ण कार्यक्रम शुरू किये। बैंकिंग उद्योग में कम्प्यूटर के व्यवहार संबंधी ज्ञान के संसार में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अधिकांश कार्यक्रमों में कम्प्यूटर निविष्टियाँ भी शुरू की गयी। बैंकों द्वारा चलायी जा रही प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि लाने के उद्देश्य से महाविद्यालय ने हिन्दी माध्यम से 14 कार्यक्रम चलाये। इनके अतिरिक्त विस्तृत बैंकिंग कारोबार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए "बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन" नाम एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 103 कार्यक्रम चलाये जिनमें 2,348 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। 1954 में महाविद्यालय की स्थापना के बाद से विभिन्न कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 37,439 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास

17.17 रिजर्व बैंक स्टाफ शिक्षण महाविद्यालय ने इस वर्ष के दौरान जो उसका रजत जयंती वर्ष है, व्यापक परिदृश्य कार्यक्रम चलाना जारी रखा, जिसमें नयी भर्ती में आये पुनर्निर्मित गहन परिचय कार्यक्रम और प्रोन्नत/गुणवत्ता सूची के अधिकारियों के लिए विकास कार्यक्रम तथा विभिन्न विभागों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किये गये कार्य-मूलक कार्यक्रम चलाये। महाविद्यालय ने नकदी विभाग के कोषपालों के लिए मुद्रा-प्रबन्ध पर एक कार्यशाला तथा कार्यपालकों के स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम चलाने के लिए एक मंच (फोरम) के रूप में भी काम किया। महाविद्यालय द्वारा शुरू किए गए नये कार्यक्रमों में और आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग तथा सांख्यिकी विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग में सीधे भर्ती किए गए अनुसंधान अधिकारियों के लिए परिचय कार्यक्रम के अलावा ऋण, प्रबन्धन, सांख्यिकी, व्यापार, बैंकिंग, कम्प्यूटर ज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रम भी थे। वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 72 कार्यक्रम चलाये और 1,671 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और इस प्रकार महाविद्यालय की 1963 की स्थापना से अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 2,4198 हो गयी। तंजानिया, केनिया, बोत्सवाना, मलावी, भूटान और युगांडा के केन्द्रीय बैंकों के अधिकारियों ने भी इन कार्यक्रमों में से कुछ में भाग लिया।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

17.18 महाविद्यालय कृषि वित्त, ग्रामीण बैंकिंग और सम्बद्ध विषय संबंधी क्षेत्रों में सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, नाबार्ड और रिजर्व बैंक के कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता रहा है। वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने अनेक नये कार्यक्रम शुरू किये जिनमें ग्रामीण वित्त पोषण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास परियोजना कार्यतन्त्र, स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए एक कार्यशाला, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए सेमीनार, ऋणों की वसूली, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए बैंकिंग तथा दक्षिण एशिया ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षक कार्यक्रम (एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय कृषि ऋण संघ के सहयोग से) जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। ऐसे अधिकांश कार्यक्रमों में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया। महाविद्यालय ने हिन्दी माध्यम से 11 कार्यक्रमों का संचालन किया। वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने कुल 102 कार्यक्रम चलाये जिनमें 2,315

अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार 1969 में महाविद्यालय की स्थापना से अब तक प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 33,238 हो गयी।

आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र

17.19 बैंक के भायखला (बंबई), कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में स्थित आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, बैंक के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। लिपिकीय कर्मचारियों के लिए दो कार्यक्रम हिन्दी में चलाए गए। वर्ष के दौरान तृतीय श्रेणी के 1,473 तथा चतुर्थ श्रेणी के 366 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किये। इस प्रकार प्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर क्रमश 34,936 और 2,090 हो गयी।

वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण

17.20 वर्ष 1986 में प्रारम्भ की गयी वाणिज्य बैंकों में रिजर्व बैंक के अधिकारियों के प्रशिक्षण की योजना के अन्तर्गत ग्रेड "ए" से "सी" तक के 38 अधिकारियों ने तथा 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण पूरे किये। ग्रेड "ए" से "सी" तक के 38 अधिकारी दूसरे बैच में वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि 4 वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण विभागों में कार्यप्रियों के गहन प्रशिक्षण के लिए वाणिज्य बैंकों से सम्बद्ध किए गए हैं।

भारत और विदेश में प्रशिक्षण हेतु स्टाफ की प्रतिनियुक्ति

17.21 बैंक ने भारत के ख्याति प्राप्त प्रबन्ध-संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमीनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 358 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। बैंक के 2 अधिकारी सेंटर फार डेवलपमेंट स्टडीज, त्रिवेन्द्रम में प्रायोगिक अर्थशास्त्र में एम. फिल. पाठ्यक्रम कर रहे हैं। बैंक ने 15 अधिकारियों को विदेश की बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विटजरलैण्ड, पश्चिम जर्मनी और जापान शामिल हैं, में प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों के लिए भी प्रतिनियुक्त किया।

17.22 बैंक ने स्वर्ण जयंती समारोह के एक अंश के रूप में बैंक अधिकारियों को विदेश में उच्चतर अध्ययन के वास्ते छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत, इस वर्ष के दौरान 4 अधिकारियों ने अपने अध्ययन पूरे किये। 4 अधिकारियों का तीसरा बैच विदेश के कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहा है और योजना के अन्तर्गत 4 और अधिकारियों का विदेश में प्रशिक्षण के लिये चयन किया गया है।

विदेशी बैंकों के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं

17.23 विदेशी केन्द्रीय और वाणिज्य बैंकों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने पर रिजर्व बैंक वहां के सहभागियों को प्रशिक्षण और अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करता रहा और इसके अन्तर्गत कुल 65 विदेशी सहभागी लाभान्वित हुए जिनमें श्रीलंका से 12, भूटान से 8, केनिया से 7, अफगानिस्तान और ईरान में क्रमशः 6-6 तंजानिया से 5, नेपाल, जाम्बिया और सोमालिया, प्रत्येक से 4-4, बोत्स्वाना से 3 तथा उगांडा, रूस, नाइजीरिया, सूडान, इथियोपिया, मलावी प्रत्येक से एक-एक सहभागी ने वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक में प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया।

कम्प्यूटर टेकनालोजी में प्रशिक्षण

17.24 कम्प्यूटर क्षेत्र में योग्यता अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना के प्रति कर्मचारियों का आकर्षण, उत्साहवर्धक रहा।

नियोक्ता-कर्मचारी संबंध

17.25 धरने के कुछ छुट पुट उदाहरणों तथा एक दिन की कामगार कर्मचारियों की प्रत्येक यूनियन द्वारा की गई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल को छोड़कर रिजर्व बैंक में औद्योगिक संबंध प्रायः शान्तिपूर्ण रहा। बैंक की सामान्य परंपरा बनाए रखते हुए बैंक उन दिनों अधिकांश कार्यालयों में आवश्यक ग्राहक सेवा बनाए रख सका। औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में उल्लेखनीय गतिविधियां अग्रलिखित हैं: (i) सरकार के सुझाव के अनुसार बैंक के भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया (ii) कामगार कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर मांग पत्र पर बातचीत अच्छी प्रगति पर है तथा (iii) अधिकारियों की एसोसिएशनों की संयुक्त परामर्शदात्री परिषद की एक बैठक हुई।

17.26 कर्मचारी कल्याणकारी उपाय के रूप में बैंक ने रिजर्व बैंक के पूर्ण कालिक कर्मचारियों के लाभ के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही बचत संलग्न सामूहिक बीमा योजना 14 नवंबर 1988 से शुरू की है। उक्त योजना को कर्मचारियों का इतना भारी समर्थन मिला है कि वर्तमान कर्मचारियों का 91 प्रतिशत इसमें सम्मिलित हुए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

17.27 रिजर्व बैंक में 1 जनवरी 1989 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः चतुर्थ श्रेणी में 2050 और 552, तृतीय श्रेणी में 2283 और 1025 तथा प्रथम श्रेणी में 421 और 86 थी। वर्ष 1988 के दौरान बैंक की विभिन्न श्रेणियों की सेवा में सीधी भर्ती और कुल भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे दिया गया है। बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़, जयपुर, जम्मू, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना कार्यालयों, में वर्ष 1988 के दौरान रोस्टरों का निरीक्षण किया गया।

भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन

17.28 कैलेंडर वर्ष 1988 के दौरान तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भर्ती जाने वाली क्रमशः 356 और 395 रिक्तियों में से, 14.5 प्रतिशत और 24.5 प्रतिशत के आरक्षण की निर्धारित दर पर, भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्रमशः 52 और 97 रिक्तियां आरक्षित रखना आवश्यक था। इनमें से तृतीय श्रेणी में 38 रिक्तियां और चतुर्थ श्रेणी में 48 रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी गयी। दिनांक 31 दिसम्बर 1988 को भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या तृतीय श्रेणी में 695 और चतुर्थ श्रेणी में 977 थी। हाल ही में बैंक ने भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में टंकक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट बढ़ाने का निर्णय लिया है। तदनुसार भूतपूर्व सैनिकों ने, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा सशस्त्र सेवा से पास की है और कम से कम 15 वर्षों तक प्रतिरक्षा सेवा में काम किया है, वे टंकक के पद के लिए शैक्षणिक दृष्टि से योग्य समझे जाएंगे।

वर्ग	भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	उनमें से		कुल प्रतिशत	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन. जाति
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	53	2	1	3.8	1.9
श्रेणी II	356	52	12	14.6	3.4
श्रेणी IV	395	131	42	33.2	10.6

हिन्दी की प्रगति

17.29 बैंक ने न केवल हिन्दी की प्रगति को बनाए रखा, बल्कि इस संस्था में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में गति लाने के लिए कतिपय उपायों को अधिक तेज बनाया गया है। इन उपायों में प्रमुख थे बैंक के विभागों और विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति लाने के लिए भारत सरकार के वर्ष 1988-89 के वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन, बैंक की रिपोर्ट और प्रकाशन यथा वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, भारतीय रिजर्व बैंक न्यूज लेटर और ऋण सूचना समीक्षा द्विभाषिक रूप में प्रकाशित की गयी। वर्ष के दौरान 43 मैनुअलों में से 33 मैनुअलों का अनुवाद कार्य पूरा कर लिया गया।

17.30 वर्ष के दौरान गुजरात विद्यापीठ के तत्वावधान में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 4 हिन्दी कार्यशालाएं चलायी गयीं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के हिन्दी टिप्पण, प्रारूप लेखन और पत्राचार में उनकी प्रवीणता में सुधार लाने के लिए, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम, और कार्यशालाएं चलायी गयीं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली परीक्षाओं के वास्ते कर्मचारियों को तैयार करने के लिये प्रशिक्षण और हिन्दी में टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। केन्द्रीय कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति और बैंक के अन्य कार्यालयों में कार्यरत ऐसी ही समितियां बराबर सक्रिय रहीं और विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन और विशिष्ट लक्ष्यों आदि की पूर्ति के संबंध में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर निगरानी के लिए नियमित रूप रूप से इनकी बैठकें आयोजित होती रहीं।

17.31 एक महत्वपूर्ण गतिविधि केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की गयी। अनुशंसाओं से सम्बन्धित थी, जिसके अनुसरण में भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलायी जा रही प्रशिक्षण संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग संबंधी कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत/अनुदेश जारी किए थे। इन निर्देशों में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए व्यवस्था करने तथा उन अनुदेशकों के लिए जिन्हें हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान नहीं है, हिन्दी भाषा में प्रशिक्षण देने के अनुदेश शामिल थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी संस्थाओं में इस संबंध में विभिन्न व्यवस्थाओं की निगरानी का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक को सौंपा गया। सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्य-पद्धति तथा कार्य योजना आदि तैयार करने के वास्ते बैंकों तथा रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति का गठन किया गया। रिजर्व बैंक की अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं और बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा बनाये गये हैण्डआउटों सहित सारी प्रशिक्षण सामग्री को हिन्दी में अनूदित करने के काम की निगरानी यह समिति कर रही है। अब बल इस बात पर दिया जा रहा है कि नयी प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषिक रूप में ही निकाली जाए। यह भी प्रस्ताव है कि एक "बैंकिंग परिभाषा कोश" तैयार किया जाए जिसमें कृषि और सामाजिक बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और ऋण आदि विषयों पर शब्द शामिल किए जाएं। यह बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान के सहयोग से बनाया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थाओं के संकाय-सदस्यों के हिन्दी ज्ञान की अभिवृद्धि के दृष्टिकोण से ताकि वे अपने कुछ पाठ्यक्रमों में हिंदी में प्रशिक्षण देने में सक्षम हो सकें, उन्हें गुजरात विद्यापीठ के तत्वाधान में आयोजित हिंदी कार्यशालाओं तथा केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संकाय-सदस्यों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

17.32 जैसा कि पहले बताया गया है, एक और महत्वपूर्ण गतिविधि थी "बैंकिंग चिन्तन-अनुचिन्तन" नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन। हिंदी में बैंकिंग और संबद्ध विषयों पर मूल रूप में लेखन, तकनीकी जानकारी और शब्दावली आदि के प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अपने बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय के माध्यम से तथा भारतीय बैंक संघ के सहयोग से उक्त पत्रिका प्रकाशित की है। उक्त पत्रिका पूरे बैंकिंग उद्योग में परिचालन के लिये निकाली जा रही है और इसके चार अंक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं।

17.33 क्षेत्र "क", "ख", और "ग", में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए रिजर्व बैंक शील्ड और पुरस्कारों के संबंध में प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। बैंक की अन्तर्कार्यालयीन और अन्तर्विभागीय प्रतियोगिताओं में भी शील्ड और पुरस्कार प्रदान किये गए।

17.34 रिजर्व बैंक अपनी गृह-पत्रिका "विदाउट रिजर्व" को भी समुचित हिंदी सामग्री के साथ प्रकाशित करता रहा।

कार्यालय परिसर और आवासीय क्वार्टर्स

17.35 वर्ष 1988-89 के दौरान कार्यालय भवनों और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण/अधिग्रहण, वर्तमान परिसरों में परिवर्धनों/परिवर्तनों और जमीन की खरीद पर 19.63 करोड़ रुपये खर्च किये गये। 1.17 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में नागपुर में एक अतिरिक्त भवन का निर्माण तथा बंगलूर में, 0.42 लाख वर्ग फुट अतिरिक्त जमीन को जोड़ते हुए कार्यालय भवन का विस्तार कार्य पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के लिए 174 फ्लैट, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए 240 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 80 फ्लैटों का निर्माण कार्य बंगलूर, बंबई, चंडीगढ़, जम्मू और कानपुर में पूरा किया गया। कोचीन में कार्यालय भवन परियोजना तथा बंबई कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, कानपुर और तिरुवनन्तपुरम में आवासीय फ्लैटों के निर्माण कार्यों में काफी प्रगति हो चुकी है और 1989-90 में इनके बनकर तैयार हो जाने की आशा है। भोपाल में कार्यालय भवन की परियोजना लगभग आधी पूर्ण हो चुकी है और जम्मू में परियोजना प्रगति पर है।

हॉली-डे-होम

17.36 उदकमण्डलम (ऊटी) में हॉली-डे-होम में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। दार्जीलिंग में एक हॉली-डे-होम बनाने के लिए भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई आरंभ की गयी है।

आवास ऋण

17.37 वर्ष 1988-89 (जुलाई-जून) के दौरान बैंक द्वारा कर्मचारियों (समितियों/वैयक्तिक) को आवास ऋण के रूप में 12.23 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी जिसका विवरण आगे लिखे अनुसार है--

संवर्ग	समितियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
क. सहकारी आवास समितियां			
(i) नये ऋण	4	180	200.57
(ii) अतिरिक्त ऋण	55	281	97.41
"क" का योग	59	461	297.98
ख. केन्द्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत वैयक्तिक ऋण			
(i) नये ऋण	--	186	197.24
(ii) अतिरिक्त ऋण	--	153	40.37
ग. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत वैयक्तिक ऋण			
(i) नये ऋण	--	1,077	646.40*
(ii) अतिरिक्त ऋण	--	173	40.60
"ख" का योग	--	1,589	924.61
आवास ऋण का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या		2,050	
कुल योग (क+ख)			1,22.59

* मार्च 1989 तक।

17.38 कर्मचारी अपने वेतन का 70 गुने तक की राशि आवास ऋण के रूप में लेने के पात्र थे। तृतीय श्रेणी कर्मचारी कम से कम 72,000 रुपये और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60,000 रुपये लेने के पात्र थे। सितंबर 1988 से ये न्यूनतम सीमाएं बढ़ाकर क्रमशः 1,00,000 रुपये और 75,000 रुपये कर दी गयी हैं। अधिकारियों को स्वीकृत 50,000 रुपये से 2,50,000 रुपये तक की राशि पर ली जाने वाली ब्याज की दर 7 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक के बीच थी। 1 अप्रैल, 1988 से अधिकारियों को स्वीकृत ऋणों पर तथा 1 फरवरी 1982 के बाद स्वीकृत ऋणों की बकाया राशि पर निम्नलिखित रूप में संशोधित ब्याज दर लागू होगी :

(i) 1 अप्रैल 1988 को 1,00,000 रुपये तक की ऋण/बकाया ऋण की राशि के लिए 5 प्रतिशत प्रति वर्ष।

(ii) 1,00,000 रुपये से अधिक ऋण/बकाया ऋण की राशि के लिए 11 प्रतिशत प्रति वर्ष ।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

17.39 श्री एस. वेंकिटरमणन के वित्त सचिव का पद छोड़ने के फलस्वरूप वे दिनांक 6 अप्रैल 1989 से केन्द्रीय बोर्ड में भारत सरकार के नामिती नहीं रहे तथा वित्त सचिव का पद भार संभालने वाले श्री जी. के. अरोड़ा को उसी तारीख से उनके स्थान पर नामित किया गया। बोर्ड ने श्री एस. वेंकिटरमणन द्वारा अर्पित सेवाओं की सराहना अभिलेखित की ।

17.40 वर्ष के दौरान स्थानीय बोर्डों के गठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

17.41 श्री एस. एस. तारापुर दिनांक 20 जुलाई, 1988 से कार्यपालक निदेशक नियुक्त किए गए।

लेखे

17.42 30 जून, 1989 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय की राशि, पिछले वर्ष के 3,491.23 करोड़ रुपयों की तुलना में 4,030.25 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के लिए बैंक के कुल व्यय की राशि गत वर्ष के 2,491.12 करोड़ रुपयों की तुलना में 3,005.12 करोड़ रुपये थी। वर्ष के 1,025.13 करोड़ रुपयों (गत वर्ष के 1,000.11 करोड़ रुपयों की तुलना में) के शुद्ध लाभ में से राष्ट्रीय ग्रामीण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में वर्ष के दौरान किये गये अंशदान की राशि गत वर्ष की तरह क्रमशः 330 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये की राशि का अभिदान राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में किया गया। चालू वर्ष के लाभ में से केन्द्रीय सरकार को भुगतान के लिए अलग से रखे गए अधिशेष लाभ की राशि 210.13 करोड़ रुपये है, जबकि गत वर्ष यह राशि 210.11 करोड़ रुपये थी।

17.43 गत वर्ष के 3,491.23 करोड़ रुपये के स्तर के मुकाबले 1988-89 में बैंक की आय में 539.02 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ इसके 4,030.25 करोड़ रुपये हो जाने के पीछे मुख्य योगदान बैंक के ब्याज अर्जन में वृद्धि का था किन्तु इसका अधिकांश भाग भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की विनिर्दिष्ट अतिरिक्त नकद शेष राशियों पर ब्याज की अदायगियों में अत्यधिक वृद्धि, एजेंसी प्रभारों और स्थापना व्यय में वृद्धि के कारण काफी हद तक समायोजित हो गया।

लेखा परीक्षक

17.44 बैंक के लेखों की लेखा परीक्षा मैसर्स खन्ना एंड अन्नादानम, नई दिल्ली, मैसर्स अमित राय एंड कंपनी, इलाहाबाद; मैसर्स मुखर्जी बिस्वास एंड पाठक, कलकत्ता; मैसर्स सोराब एस. इंजीनियर एंड कंपनी, बंबई, मैसर्स एस विश्वनाथन एंड कंपनी, मद्रास और मैसर्स एस. के. कपूर एंड कंपनी, कानपुर द्वारा की गयी । जबकि प्रथम तीन परीक्षकों को भारत सरकार ने पुनः नियुक्त किया था, शेष तीन मैसर्स सी. सी. चोकसी एंड कंपनी, बंबई; मैसर्स ब्रह्मय्या एंड कंपनी, मद्रास और मैसर्स हिंगोरानी एम. एंड कंपनी, नई दिल्ली के नियुक्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर नियुक्त किये गये इस वर्ष भी रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों की लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी। लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए बैंक के सभी कार्यालयों को 6 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक क्षेत्रीय लेखा परीक्षक को 90,000 रुपये लेखा परीक्षा शुल्क अदा किया गया शाखा लेखों के समेकन के लिए केन्द्रीय कार्यालय के लेखा परीक्षकों को 5,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क अदा किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक

30 जून, 1989 की स्थिति का तुलन-पत्र

(हजार रुपये में)

निर्गम विभाग

देयताएं		1988-89 रु.	1987-88 रु.	आस्तियां		1988-89 रु.	1987-88 रु.
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	19,05,64		16,05,89	सोने का सिक्का और बुलियन :			
संचलन में नोट	41639,52,50		35719,76,37	(क) भारत में रखा हुआ	274,27,76		274,27,76
				(ख) भारत से बाहर रखा हुआ	--	--	
जारी किये गये कुल नोट		41658,58,14	35735,82,26	विदेशी प्रतिभूतियां	1564,05,75		1564,05,75
				जोड़		1838,33,51	1838,33,51
				रुपए का सिक्का		60,18,20	28,06,55
				भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		39760,06,43	33869,42.20
				देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		--	--
कुल देयताएं		41658,58,14	35735,82,26	कुल आस्तियां		41658,58,14	35735,82,26

बैंकिंग विभाग

देयताएं	रु.	रु.	आस्तियां	रु.	रु.
प्रदत्त पूंजी	5,00,00	5,00,00	नोट	19,05,64	16,05,89
आरक्षित निधि	150,00,00	150,00,00	रुपया सिक्के	9,25	8,72
			छोटे सिक्के	4,71	4,69
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन			खरीदे तथा भुनाये गये बिल		
प्रवर्तन निधि[1])	4625,00,00	4175,00,00	(क) आंतरिक	--	--
राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रव-			(ख) बाहरी	--	--
र्तन निधि[1])	75,00,00	--	(ग) सरकारी खजाना बिल	3606,80,21	4609,20,90
			विदेशों में रखे गये बकाया शेष	2918,80,18	2212,97,56
जमा राशियां :			निवेश[3]	25652,79,96	24016,39,86
(क) सरकार			निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :		
(i) केन्द्र सरकार	81,68,58	67,95,83	(i) केन्द्र सरकार	--	--
(ii) राज्य सरकारें	15,51,22	34,40,92	(ii) राज्य सरकारें	54,17,00	118,42,00
			निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :		
(ख) बैंक			(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2174,24,01	503,52,91
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	22057,44,62	19258,70,44	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	24,34,65	24,19,98
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	482,32,26	188,04,06	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	--	--
(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	73,49,89	--	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	--	--
(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10,60,28	6,91,39	(v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	2277,68,00	1416,80,19
(v) अन्य बैंक	29,99,01	42,91,96	(vi) अन्य	42,43,00	24,49,00
(ग) अन्य	2192,92,22	3794,64,63	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश .		
देय बिल	112,39,05	112,34,69	(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा अग्रिम :		
अन्य देयताएं[2]	13186,63,73	10960,31,45			
			(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3528,32,86	3198,58,01
			(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	530,00,00	435,00,00
			(iii) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	70,00,00	45,00,00
			(iv) अन्य	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/ डिबेंचरों में निवेश :	
		(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	--	--
		(2) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	--	--
		(3) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	--	--
		(4) अन्य	--	--
		राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम तथा निवेश :	
		(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण एवं अग्रिम	50,00,00	--
		(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/ डिबेंचरों में निवेश	--	--
	कुल देयताएं 43098,00,86 38796,25,37		
		अन्य आस्तियां[3]	
			2149,21,39	2175,45,66
		कुल आस्तियां	43098,00,86	38796,25,37

1. इसमें पिछले वर्ष की आय से विनियोजित 50.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
2. इसमें आकस्मिक लेखों को शामिल किया गया है।
3. विदेशों में विदेशी मुद्रा में रखे हुए 1592.31 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2042.48 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

(हजार रुपये में)

30 जून 1989 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

	1988-89 रु.	1987-88 रु.
आय		
ब्याज, बट्टा, विनिमय शुल्क, कमीशन आदि[1]	4030,25,49	3491,22,58
जोड़	4030,25,49	3491,22,58
व्यय		
ब्याज	2312,49,89	1906,25,42
स्थापना व्यय	199,76,47	163,50,42
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों की फीस और व्यय	4,65	4,71
खजाना प्रेषण	4,45,25	5,35,52
एजेंसी प्रभार	259,45,83	173,87,54
प्रतिभूति छपाई (चेक, नोट फार्म आदि)	187,01,74	206,80,32
मुद्रण और लेखन-सामग्री	2,15,99	1,85,28
डाक और तार खर्च	3,568,97	2,71,81

किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		10,40,75	9,56,78
लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय		8,75	8,06
विधि प्रभार		7,14	28,90
बैंक संपत्ति का मूल्यह्रास और उसकी मरम्मत		15,31,14	13,30,43
विविध व्यय		10,15,13	7,55,63
जोड़		3005,12,00	2491,11,3
उपलब्ध शेष राशि		1015,13,39	1000,11,15
घटायें : निम्नलिखित में अंतरण			
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि[1]	150,00,00		150,00,0
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि[2]	330,00,00		330,00,00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि[2]	10,00,00		10,00,00
राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	25,00.00		
		815,00,00	790,00,0
केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष		210,13,49	210,11,16

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार निर्धारित या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।

2. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी जाती हैं :

एस. एस. मराठे	रा. ना. मल्होत्रा	ए. घोष	सी. रंगराजन	पी. डी. ओझा	पी. आर. नायक
मुख्य लेखाकार	गवर्नर	उप गवर्नर	उप गवर्नर	उप-गवर्नर	उप-गवर्नर

17 अगस्त 1989

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिज़र्व बैंक के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक इसके द्वारा 30 जून 1989 की स्थिति के रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र तथा लेखे पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हमने बैंक के सभी कार्यालयों के लेखाओं और उनसे संबंधित प्रमाणकों और दस्तावेजों के साथ उपर्युक्त तुलनपत्र की जांच कर ली है और हम यह सूचित करते हैं कि हमने केन्द्रीय बोर्ड से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी, वह सभी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और वह संतोषजनक है। हमारी राय में यह तुलनपत्र पूर्ण और सही तुलनपत्र है। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार आस्तियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। यह तुलनपत्र, हमारी जानकारी, हमें दिये गये स्पष्टीकरण और बैंक की बहियों के अनुसार उचित ढंग से तैयार किया गया है, ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

17 अगस्त 1989

मेसर्स बत्रा एंड अग्रवाल — लेखा परीक्षक
मेसर्स अमित रे एंड कं.
मेसर्स मुखर्जी विश्वास एंड पाठक
मेसर्स एन विश्वनाथ
मेसर्स सोराब एस इंजीनियर एंड क
मेसर्स एस के कपूर एंड क

[सं एफ.·19/23/39 बी ओ ।]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 20th September, 1989

S.O. 1582.—In accordance with section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1989 :—

THE ANNUAL REPORT

ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

For the year July 1, 1988 to June 30, 1989

PART I—THE ECONOMIC SITUATION

1. AN OVERVIEW

The excellent monsoon of 1988 helped to produce a remarkably good macro-economic performance during the fiscal year 1988-89 with a growth of about 10 per cent in real GDP. In previous drought years, there was an absolute fall in real GDP and as such the post-drought year invariably showed a high rate of growth. In 1987-88 there was a real GDP growth of 3.6 per cent and hence the further growth of 10 per cent in 1988-89 can be considered to be a significant achievement. The output growth during 1988-89 was well spread both amongst broad sectors and across a vast spectrum of individual crops and industries. The rate of domestic savings did not show any increase in 1988-89 because of the inherent lags between the increase in real income and the increase in savings. Provisional estimates as well as other corroborative indicators point to a rise in the rate of domestic investment which has been facilitated by a sizeably higher net inflow of resources from abroad. The latter, in turn, was necessitated by a more rapid growth of maintenance as well as capital goods import which, despite robust export performance, contributed to a high deficit on current account. In the context of growing overall liquidity largely because of the Government deficit, the broad stance of monetary and credit policy remained one of restraint ; however, to enable the full potential of the recovery from the drought to be realised it was ensured that adequate resources were available with the banking system to meet the requirements of agriculture, industry and trade. The inflationary pressures in 1988-89 were contained considering the earlier historical experience of the immediate post-drought year being a period of high inflation.

1.2 Agricultural production is expected to show a record increase of 23.0 per cent during 1988-89 in sharp contrast to declines of 2.1 per cent in 1987-88, 3.7 per cent in 1986-87 and a moderate increase of 2.4 per cent in 1985-86. While the average growth in agricultural production for the first four years of the Seventh Plan works out to be higher than the Plan target of 4 per cent, the period has been characterised by considerable instability. Total foodgrains production, placed at 172.2 million tonnes in 1988-89, would surpass by 13.0 per cent the previous peak production of 152.4 million tonnes in 1983-84. In the composition of foodgrains output, the quantum jump in pulses production was a welcome relief since the persistent decline in its per capita availability has been a matter of serious concern because of nutritional implications. With the rapid depletion of stocks following poor crops in the previous years, stocks of foodgrains had been reduced to 7.4 million tonnes in March 1989 as against 19.5 million tonnes two years ago ; the latest data for June 1989 place the stocks at 13.1 million tonnes against 11.9 million tonnes at the end of June 1988 and 23.3 million tonnes two years earlier.

1.3 Overall industrial growth staged a quick recovery after the decline to 7.3 per cent in 1987-88, to 8.8 per cent in 1988-89. The growth in 1988-89 was also better dispersed across a wide section of industries. Infrastructure industries as a group grew by 8.1 per cent as against 6.0 per cent in the previous years. Investment goods and consumer durable industries performed better, while consumer non-durable industries continued to show relatively lower growth Overall, the average growth for the first four years of the Seventh Plan works out to around 8.5 per cent as against the Plan target of 8.0 per cent.

1.4 The increase in the Wholesale Price Index (with base 1970-71 = 100), on a point-to-point basis, slowed down to 6.7 per cent in 1988-89 from 10.6 per cent in the previous year. The inflationary situation, however, remained a cause for concern as the price increase on an average basis was almost the same as in the previous year (around 7.5 per cent) and many commodities of common consumption continued to experience considerable pressure, which was reflected in a rise of as much as around 9 per cent in the Consumer Price Index. Despite concerted supply management programmes which entailed a large draw-down of foodgrain stocks and import of certain strategic commodities in short supply, the pressure on prices continued in 1988-89.

15. Expansions of both M3 and M1 at 17.6 per cent and 14.6 per cent, respectively, were higher than those in 1987-88 (15.7 per cent and 12.9 per cent, respectively), but these have to be viewed against the tempo of production and investment activities. In addition to the continuing excessive reserve money creation, one of the important monetary policy concerns was the more rapid expansion in non-food bank credit. Simultaneously, the objective of promoting efficiency by introducing flexibility in the credit delivery system and carrying forward the thrust towards introducing new money market instruments, and freeing the money market interest rate regulations, received special attention during the year under review

1.6 In the fiscal area, the overall deficit for the Central Government for 1988-89 was placed at Rs. 7940 crores as per the Revised Estimates which was much higher than the actuals of Rs. 5,816 crores in 1987-88. The net RBI credit to the Central

Government was also placed at a high level of Rs. 8,200 crores as per the Revised Estimates for the year. But the actual outcome in regard to both the budgetary deficit and net RBI credit to the Central Government turned out to be much less : Rs. 6,503 crores for net RBI credit to Central Government and Rs. 5,810 crores for the budgetary deficit. Despite the lower budget deficit at the end of the year, the Equidity pressures in the economy continued to remain strong as the fortnightly levels of actual budgetary deficit ruled way above the budgeted or the Revised Estimates up to early March 1989 and it was only in the latter part of March 1989 that the deficit was below the budget estimates. The combined budgetary operations of the Centre and States show that developmental expenditure grew by 15.6 per cent during 1988-89 as compared with a growth of 18.1 per cent in non-development expenditure thus reinforcing the disquieting trend observed in earlier years of the Seventh Five Year Plan.

1.7 With a noticeable improvement in basic economic fundamentals, as also better performance by the private corporate sector, the capital market experienced considerable buoyancy during 1988-89. Fresh capital issues were significantly larger and evoked better public response. Financial assistance by term-lending institutions increased sizeably. In the secondary market, the share prices registered a sharp rise in 1988-89 after a moderate decline in the previous year.

1.8 The country's foreign exchange reserves declined by Rs. 647 crores (SDR 771 million) in 1988-89 as against Rs. 465 crores (SDR 627 million) in 1987-88. The current account deficit is estimated to be equivalent to about 2.8 per cent of GDP which is indeed high and is a cause for serious concern.

1.9 While the economy has recorded a very satisfactory real growth in 1988-89 spread over all major sectors of the economy, the fiscal deficit, the growth of liquidity in the economy, the inflation rate, and the decline in the foreign exchange reserves are areas of concern.

NATIONAL INCOME, SAVING AND INVESTMENT

2.1 Estimates based on available indicators point to a sharp improvement in the real national income growth during 1988-89 following a quantum jump in value added in agriculture. The rate of growth in gross domestic product (GDP), at 1980-81 prices, is expected to be around 10 per cent against 3.6 per cent in 1987-88. Unlike in the previous two years when GDP originating in agriculture declined (Table 2.1), agriculture and allied activities achieved a growth of about 19 to 20 per cent in 1988-89.

Table 2.1 : Growth Rates in Real GDP

Sector	Percentage Share (in real GDP)			Growth Rate (per cent)				
	1970-71	1980-81	1987-88	1970-71 to 1980-81*	1979-80 to 1984-85*	1985-86	1986-87	1987-88 (Quick Estimates)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Agriculture and allied activities	47.4	38.0	30.5	2.0	4.2	0.3	-2.3	--1.0
(a) Agriculture	45.7	34.7	28.3	2.0	4.3	0.2	-2.1	--1.0
2. Industry	16.4	20.9	26.2	4.8	5.4	8.9	9.4	7.2
(a) Manufacturing	14.2	17.7	22.0	4.6	4.9	9.2	9.2	7.4
3. Services	30.9	36.1	38.9	5.3	7.2	7.3	6.2	5.1
Total GDP@	100.0	100.0	100.0	3.4	5.6	5.1	4.0	3.6

@Inclusive of construction.

*Based on semi-logarithmic trends.

2.2 The ratio of aggregate gross domestic saving to GDP at current market prices, which had declined from 21.8 per cent in 1986-87 to 21.1 per cent in 1987-88, is estimated to be a shade lower at 21.0 per cent in 1988-89. However, with an increase in the ratio of net resource flow from abroad, the rate of aggregate gross investment improved from 23.5 per cent in 1987-88 to 23.9 per cent in 1988-89 after declining from 24.0 per cent in 1986-87 (Table 2.2).

2.3 These raios in gross terms are inclusive of the provision for the consumption of fixed capital. The requirements of the provision for fixed capital consumption are growing and they now absorb almost one-half of the gross domestic saving (about Rs. 40,169 crores out of an estimated Rs. 81,872 crores in 1988-89). The adequacy of even this level of depreciation provision is conditional upon appropriate and timely expenditures being incurred on

repairs and maintenance of capital assets in various sectors of the economy. With technological upgradation, the level of capital consumption allowance provided for on the basis of the replacement value of existing assets, could well be an underestimate in relation to the requirements. Viewed against this, the stagnancy in the domestic saving ratio is a matter of some concern.

Table 2.2 : Estimates of Domestic Saving and Investment Ratios

(In percentage)

Sector	Fiscal Year	Gross Saving & Investment as Percentage of GDP at Current Market Prices			Net Saving & Investment as Percentage of NDP at Current Market Prices		
		1986-87	1987-88 (Provisional)	1988-89 (Preliminary)	1986-87	1987-88 (Provisional)	1988-89 (Preliminary Estimates)
1		2	3	4	5	6	7
1. House shold sector saving of which :		17.4	17.4	17.0	14.7	14.6	14.2
Saving in financial assets*		8.4	8.2	7.8	9.3	9.1	8.7
2. Public sector		2.7	2.0	2.1	—1.9	—2.8	—2.5
3. Domestic private corporate sector		1.7	1.7	1.9	0.2	0.2	0.3
4. Total : domestic saving (1+2+3)		21.8	21.1	21.0	13.0	120.	12.0
5. Net inflow of foreign resources		2.2	2.4	2.9	2.5	2.6	3.3
6. Aggregate investment (4+5)		24.0	23.5	23.9	15.5	14.6	15.3
GDP/NDP at current market prices (Rupees crores)		2,93,408	3,30,464	3,90,590	2,63,543	2,96,776	3,50,526

*These are adjusted for financial liabilities. As savings in financial assets do not involve capital consumption for fixed assets, net ratios work out higher than gross ratios.

NOTE : The ratios for 1986-17 and 1987-88 may differ from those given in the previous year's Annual Report of the Bank and those published in the CSO's Quick Estimates for 1987-88 because of the revision in the estimates of national income and those of saving and investment consequent on the availability of fresh data.

2.4 As a result of the growing size of capital consumption, the net saving ratio is estimated at 12.0 per cent in 1988-89. Estimates of net financial savings for the household sector in nominal terms was higher by 11.4 per cent over the previous year but in relation to NDP at current market prices, it fell from 9.1 per cent in 1987-88 to 8.7 per cent in 1988-89. Net of depreciation, the dissaving by the public sector, which deteriorated from 1.9 per cent of net domestic product at market prices in 1986-87 to 2.8 per cent in 1987-88, is likely to show a marginal improvement in 1988-89. Again, the private corporate sector's net saving shows some improvement due to an allround improvement in its performance in other respects.

2.5 The saving of the household sector in the form of financial assets (gross) is estimated to decline from 11.8 per cent of NDP in 1987-88 to 11.6 per cent in 1988-89 followed by a fractional increase in the sector's financial liabilities from 2.7 per cent to 2.9 per cent, thus showing a fall in the net financial saving ratio from 9.1 per cent to 8.7 per cent (Table 2.2). Saving in the form of bank deposits is estimated to show a fractional increase from 4.4 per cent of NDP in 1987-88 to 4.7 per cent in 1988-89, while that in the form of currency is expected to decline from 1.6 per cent of NDP in 1987-88 to 1.3 per cent in 1988-89. The share of currency and bank deposits in total financial assets (gross) would remain unchanged at around 50 per cent of the total. The share of life insurance and provident and pension funds in financial assets (gross) of the household sector, is also expected to remain around 2[illegible] per cent. The proportion of household sector saving in the form of investment in shares and debentures bonds of public and private corporate sectors and units of the Unit Trust of India (UTI) is expected to slide down to 7.2 per cent in 1988-89 from 8.0 per cent in 1987-88. This is despite the buoyancy in the capital market as well as in the sale of units by UTI, essentially because of the growing dominance of corporate funds, as distinguished from household savings, in these savings media. The share of the household sector's claims on government (mainly small savings), which was 9.9 per cent in 1986-87 and 10.1 per cent in 1987-88, is expected to move up further to 11.2 per cent in 1988-89 ; the strong fiscal concessions provided to small savings have made these instruments very attractive vis-a-vis other form of savings by the household sector.

3. AGRICULTURAL PRODUCTION

3.1 The exceptionally good monsoon of 1988, the spatial and temporal distribution of which was also good, together with special measures to increase output of foodgrains, produced an all-round spurt in agricultural output to a level well above the previous peak—measured in terms of quantity of output of major agricultural crops—which was attained in 1983-84. Apart from raising the rate of growth of agriculture over the Plan period, the developments in 1988-89 further reinforced certain qualitative changes in agricultural output. There was a more rapid

growth in rice output which has helped to offset the relatively slower growth in wheat and also brought about a gradual improvement in regions which hitherto experienced low rates of growth, particularly the Eastern, region, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The share of Rabi output in total foodgrains output which has been steadily increasing since 1983-84 slightly fell in 1988-89 but nevertheless remained high.

Moonsoon Behaviour.

3.2 The 1988 South West moonsoon was indeed one of the best moonsoons in recent years. The intra-seasonal dry spells causing moisture deficiency and uneven precipitation are known to occur even in seasons of normal rainfall, but even in this respect the situation in 1988 was much better. This was in sharp contrast to the previous four years when monsoons were deficient. The previous peak in foodgrains output was attained in 1983-84 when alost comparable climatic conditions obtained. In 1988, out of the 35 meteorological sub-divisions of the country as many as 32 sub-divisions received normal or excess rains while 3 sub-divisions, viz., West Rajasthan, East Rajasthan and Hills of Uttar Pradesh received somewhat deficient rains. This contrasts with a drought of intense severity experienced in 1987-88.

Overall Agricultural Production.

3.3 Agricultural production is estimated to show a record rise of about 23.0 per cent during 1988-89 in sharp contrast to declines of 2.1 per cent in 1987-88 and 3.7 per cent in 1986-87 and a moderate increase of 2.4 per cent in 1985-86. Though the average growth in agricultural production in the first four years of the Seventh Plan works out to 4.9 per cent per annum this exceeding the Plan target of 4 per cent. agricultural growth during the period has been characterised by considerable instability.

Foodgrains Production

3.4 Consequent upon excellent monsoon combined with the thrust programmes like the Special Foodgrais Production Programme and the Special Rice Production Programme, total foodgrains output is estimated at 172.2 million tonnes in 1988-89, thereby surpassing by 13.0 per cent previous peak production of 152.4 million tonnes achieved in 1983-84. Over the previous year's low production of 138.4 million tonnes, the increase in 1988-89 was 24.4 per cent. Both Kharif and Rabi crops contributed to the increased output. The Kharif foodgrains output is estimated at a record level of 97.3 million tonnes, i.e., 23.4 million tonnes or 31.7 per cent higher than in the preceding year. The Rabi foodgrains output at 74.9 million tonnes was also at a record level, which was, 10.4 million tonnes or 16.1 per cent, higher than in the previous year.

3.5 Rice output in 1988-89 is estimated at about 70.5 million tonnes compared with the actual production of 56.4 million tonnes in the preceding year, registering a rise of 25.0 per cent. Wheat output is placed at 54.1 million tonnes which is 20.0 per cent higher than the production of 45.1 million tonnes in 1987-88. Coarse grains production is estimated at 32.7 million tonnes as against a production of 25.9 million tonnes in the preceding year. A notable feature of the increase in foodgrains production during 1988-89 has been the rise in production of pulses by 35.5 per cent to 14.9 million tonnes. Kharif pulses at 5.6 million tonnes showed an increase of 30.2 per cent over 4.3 million tonnes in the previous Kharif season, while Rabi pulses output of about 9.3 million tonnes was higher by as much as 38.8 per cent over 6.7 million tonnes in the previous Rabi season (Table 3.1).

Table 3.1 : Production of Foodgrains

(Million tonnes)

Item	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89 (Estimate)
1	2	3	4	5	6	7
All foodgrains	152.4	145.5	150.4	143.4	138 4	172.2
of which						
Rice	60.1	58.3	63.8	60.6	56.4	70.5
Wheat	45.5	44.1	47.1	44.3	45.1	54.1
Coarsegrains	33.9	31.1	26.2	26.8	25.9	32.7
Pulses	12.9	12.0	13.3	11.7	11.0	14.9
Kharif	89.2	84 5	85.2	80.2	73.9	97.3
of which						
Rice	55.0	53.8	59.4	53.6	48.7	63.9
Coarsegrains	28.8	25.9	21.3	22.4	20.9	27.8
Pulses	5.4	4.8	4.5	4.2	4.3	5.6
Rabi	63.2	61.0	65.2	63.2	64 5	74.9
on which						
Rice	5.1	4.5	4 4	7 0	7.7	6.6
Wheat	45.5	44.1	47.1	44.3	45.1	54.1
Coarsegrains	5.1	5.2	4.9	4.4	5.0	4.9
Pulses	7.5	7.2	8.8	7.5	6.7	9.3

Source : Ministry of Agriculture.

Pulses Production and Availability

3.6 The quatum jump in the production of pulses in 1988-89 is heartening since the inadequate availability of pulses has been a matter of serious concern, particularly in the 'eighties. Over the past few decades, per capita availability of pulses has been on the decline and this has serious nutritional implications as pulses constitute the basic source of protein for a large section of society. The daily per capita availability of pulses in 1987-88 at 33.2 grams was less than half of the availability in 1960-61 (Table 3.2). This contrasts with the near doubling of the per capita availability of edible oils and vanaspati from 4.0 kgs. to 7.2 kgs. per annum during the same period. Studies show that since 1973, the per capita quantum of pulses available has been deficient as compared with the minimum nutritionl requirements of 47 grams per day prescribed by the Indian Council of Medical Research; in the 1980's the deficiency ranged from 11 per cent to 29 per cent except in the latest year when despite a peak output there was moderate deficiency. Furthermore, there would be significant inter-regional and inter-income range variations in the availability and consumption of pulses. The shortage of pulses has also placed serious pressure on prices. With the base 1970-71=100, the wholesale price index for pulses at the end of June 1989 stands at 678.2 that is nearly twice the index of cereals at 346.5. Besides augmenting supplies by allowing import of pulses under Open General Licence (OGL) the Government has launched a National Pulses Development Programme (NPDP) in 1986-87 the objective of which is to augment production by adopting location-specific technology. Alongside, there have been substantial increases in support prices for pulses with the National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) designated as a nodal agency for undertaking price support operations.

Table 3.2 : Per Capita Availability of Pulses

Year	Per capita net availability per day in grams	Percentage variation from the minimum requirement of 47 grams per day@
1	2	3
1951	60.7	+29.1
1961	69.0	+46.8
1971	51.2	+ 8.9
1981	37.5	-20.2
1982	39.2	-16.6
1983	39.5	-16.0
1984	41.8	-11.1
1985	38.1	18.9
1986	4[illegible].9	-10.9
1987	35.9	-23.6
1988	33.2	-29.4
1989	44.1	-6.2

@As prescribed by the Indian Council of Medical Research.

Note : For the purpose of calculation of percapita availablity, net production is taken as 87.5 per cent of gross production, 12.5 per cent being provided for animal feed, seed and wastage.

3.7 The production and marketing of pulses entail certain inherent problems. Production is dispersed over vast areas essentially in rain-fed regions and is generally concentrated in small holdings, more often as a second crop. Because of these structural features, price support operations become less effective. Under the National Pulses Development Programme concentrated efforts are being made to increase the output of pulses.

Qualitative Changes in Output

3.8 The foodgrains output trends in recent years have exhibited some significant qualitative changes. The contribution of rice to the increase in output has been much higher than the contribution of wheat unlike for about a decade in the post-green revolution period. The share of Rabi output in total foodgrains output has steadily increased (Table 3.1). The share of the Rabi output has improved in the case of rice and pulses. Again, there have been some changes in the regional profile of foodgrains production. Production performance in some areas of the Eastern region, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh has been better than elsewhere in recent years. The Eastern region was not subject to the drought conditions of 1987-88 and as a result Assam and West Bengal experienced increases in rice output as well as total foodgrains output in that year. Likewise, the Southern States other than Kerala achieved increases in rice output in 1987-88, as a result of the special measures undertaken by the Government.

Procurement

3.9 Total foodgrains procurement by the public sector agencies during fiscal year 1988-89 at 14.2 million tonnes was lower as compared with 14.9 million tonnes in 1987-88. The reduction was due to lower procurement of wheat (Table 3.3). State-wise, wheat procurement in Punjab was somewhat higher at 4.8 million tonnes compared with 4.4 million tonnes in 1987-88, while rice procurement was lower at 2.9 million tonnes as compared to the preceding year's level of 3.4 million tonnes due to the damage to the standing rice crop caused by floods in late September 1988. In Haryana and Uttar Pradesh, however, less of wheat and more of rice was procured in 1988-89 than in the previous year. Rice procurement in Andhra Pradesh was almost the same in 1988-89 but in Tamil Nadu it exceeded the previous year's procurement.

Table 3.3 : Procurement of Rice and Wheat

(Million tonnes)

Financial Year	Procurement		
	Rice	Wheat	Total
1	2	3	4
1934-85	9.8	9.3	19.1
1985-86	9.6	10.3	19.9
1986-87	9.4	10.5	19.9
1987-88	7.0	7.9	14.9
1988-89 (Provisional)	7.7	6.5	14.2
April-June			
1988	0.9	6.5	7.4
1989	0.8	8.8	9.6

3.10 Wheat procurement during the current rabi 1989 season totalled 8.8 million tonnes till June 30, 1989 as against 6.5 million tonnes in the same period last year mainly owing to a record wheat crop and the resultant higher market arrivals. In Punjab, initially the wheat procurement during the season lagged behind the previous year's achievement because the open market prices were well above the procurement prices but subsequently due to the pressure of market arrivals the market prices fell and procurement picked up; it aggregated 5.6 million tonnes which exceeded the purchases of 4.7 million tonnes in the previous season. Similarly, in Haryana and Uttar Pradesh the procurement was higher at 2.0 million tonnes and 1.1 million tonnes, as against 1.3 million tonnes and 0.5 million tonnes respectively, in the preceding season. Rice procurement in the current Kharif marketing season so far, i.e. from October 1, 1988 to June 30, 1989 has aggregated 7.6 million tonnes as against 6.8 million tonnes in the corresponding period of the previou season. In the current season, compared to the procurement in the previous season rice procurement is higher in the States of Haryana, Tamil Nadu Uttar Pradesh and Madhya Pradesh whereas it is lower in Punjab and Andhra Pradesh.

Off-take

3.11 The off-take of foodgrains from the Central Pool during the financial year 1988-89 (including open market sales) aggregated 18.0 million tonnes which was lower by 5.0 million tonnes (or 21.7 per cent) than in the previous year (Table 3.4). The off-take of wheat was lower by 32.0 per cent (8.7 million tonnes against 12.8 million tonnes) because of lower releases under NREP|RLEGP|EGS programmes (0.6 million tonnes against 2.4 million tonnes) and under open market sales (1.0 million tonnes against 3.6 million tonnes). Off-take under the public distribution system (PDS) was higher at 7.1 million tonnes against 6.9 million tonnes in 1987-88. The off-take of rice was lower by 9.9 per cent (9.1 million tonnes against 10.1 million tonnes) because of lower off-take of 9.0 millions tonnes under the PDS (—6.2 per cent) and also under NREP|RLEGP|EGS programmes —0.15 million tonnes (—72.7 per cent).

Table 3.4 : Off-take of Foodgrains

(Million tonnes)

Financial Year	Rice	Wheat	Coarse grains	Total
1	2	3	4	5
1983-84	7.7	7.4	0.2	15.3
1984-85	6.6	6.7	0.1	13.4
1985-86	7.4	11.7 (1.6)	0.2	19.3
1986-87	9.0	10.4 (2.9)	0.2	19.6
1987-88	10.1	12.8 (3.6)	0.1	23.0
1988-89	9.1	8.7 (1.0)	0.2	18.0
April-June				
1988	2.3	2.0 (0.4)	0.1	4.4
1989	2.0	1.6 (0.1)	0.1	3.7

Note : Figures in brackets represent open market sales of wheat by FCI.

Foodgrains Stocks

3.12 The stocks of foodgrains at the end of March 1989 stood at 7.4 million tonnes comprising 2.6 million tonnes of wheat and 4.7 million tonnes of rice. This level of stocks was 2.0 million tonnes less than the level a year ago (Table 3.5).

3.13 To augment the depleted stocks of foodgrains, the Government had imported 2.0 million tonnes of wheat from the USA and 0.7 million tonnes of rice from Thailand during 1988-89 (April-March).

Table 3.5 : Stocks of Foodgrains

(Million tonnes)

As at	Rice	Wheat	Coarse grains	Total
1	2	3	4	5
End-March				
1983	5.2	5.6	0.2	11.0
1984	5.2	9.6	0.1	14.9
1985	8.6	12.5	0.1	21.2
1986	10.3	10.2	0.2	20.7
1987	10.0	9.4	0.1	19.5
1988	5.9	3.3	0.2	9.4
1989	4.7	2.6	0.1	7.4
End-June				
1988	4.2	7.6	0.1	11.9
1989	3.6	9.5	Neg.	13.1

Commercial Crops.

3.14 Favourable weather conditions coupled with various development programmes initiated for commercial crops helped oilseeds and sugarcane in registering new production peaks and cotton and jute and mesta in staging a substantial recovery in production

3.15 Output of raw cotton during 1988-89 is estimated at 86.9 lakh bales as compared with 64.3 lakh bales last year and the previous peak of 87.3 lakh bales in 1985-86. Similarly oilseeds output at 17.8 million tonnes as against 12.4 million tonnes during the previous year has surpassed the earlier high of 13.9 million tonnes in 1984-85.

Table 3.6 : Production of Commercial Crops

Table 3.6 Crop	Unit	1983-84	1984-85	1985 86	1987-88	1986-87	1988-89 (Estimates)
1	2	3	4	5	6	7	8
Oilseeds	Million tonnes	12.7	13.0	10.8	11.3	12.4	17.8
Sugarcane	Million tonnes	174.1	170.3	170.7	186.1	196.7	197.3
Cotton*	Lakh bales	63.9 (75.2)	85.1 (101.5)	87.3 (107.0)	69.1 (95.0)	64.3 (90.0)	86.9 (104.0)
Jute and Mesta*	Lakh bales	77.2	77.9	126.5	86.2	67.8	77.6

* Bales of 170 kg. for cotton and 180 kg. for jute and mesta.

Note : Figures within brackets are as estimated by the Cotton Advisory Board.

3.16 Despite an improvement in output, the growing demand for fibres kept up the pressure on raw cotton and raw jute prices and hence the operations of the Cotton Corporation of India (CCI) and the Jute Corporation of India (JCI) essentially centred around commercial purchases rather than price support operations during 1988-89. During the current cotton season (September-August 1988-89, i.e., upto June 30, 1989), CCI has purchased 5.69 lakh bales as against 6.46 lakh bales in the corresponding period last year. Under the Maharashtra State Monopoly Procurement Scheme, the purchases (upto end-June 1989) totalled 11.42 lakh bales, i.e., marginally less than 12.30 lakh bales in the previous season. With improvement in local demand for jute goods, raw jute prices remained well above support prices and as such there were no significant price support operations. JCI purchased 6.8 lakh bales of raw jute this year, almost entirely on a commercial basis, as against 5.4 lakh bales during the full season last year. In the context of a decline in edible oil prices owing to bumper crop during the year, the Government of India announced an 'Integrated Policy on Oils and Oilseeds' in January 1989. The National Dairy Development Board (NDDB) has been entrusted with the task of stabilising prices within a stipulated range.

Supply-Demand Balance.

3.17 Consequent upon record foodgrains and cash crop output, the overall availability increased substantially during 1988-89 thereby rectifying the supply-demand imbalances of the previous year in a number of commodities. Significantly, edible oil imports which had surged to 19.7 lakh tonnes valued at Rs. 948 crores during the financial year 1987-88 have come down to 11.0 lakh tonnes, valued at Rs. 769 crores in 1988-89.

4. TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION

4.1 The overall industrial production during 1988-89 (April-March) staged a substantial recovery by recording a growth rate of 8.8 per cent as compared with that 7.3 per cent in 1987-88. Moreover, the growth was well dispersed across a wider range of industries than in the previous year. Infrastructural industries, other basic industries and a large number of intermediate and capital goods industries led the upswing in output. The role of consumer durables also remained significant; consumer electronics, passenger cars, two-wheelers and three-wheelers, their spares and auto ancillaries, domestic refrigerators, and telephone instruments, exhibited strong growth. Amongst non-durable consumer goods, food processing industries showed an acceleration in output. A major depressant was the decline in the output of the cotton textiles industry. In capital goods, the output of industrial electronics (particularly computer systems and peripherals) showed stagnation after recording strong growth in the preceding year.

4.2 A configuration of both supply and demand factors contributed to the growth during the year. With larger access to imports of maintenance as well as capital goods, capacity utilisation in many industries appears to have improved. Amongst the further series of steps taken during the year to ease industrial licensing regulations, facility for capacity re-endorsement at the maximum production between April 1988 and March 1990, may have given a fillip to output expansion during the year. Improvement in the output of infrastructural industries also facilitated the growth in output of other industries. On the demand side, buoyancy in exports of manufactured goods and higher investment demand provided an impetus to the output of capital goods industries.

4.3 In the wake of the improved agricultural outlook, the increased demand for fertilisers and pesticides is clearly discernible in output increases. Per contra, following the easing of the drought situation, the demand for diesel engines and electric and diesel generators has slowed down and this is reflected in their output. Despite the sharp recovery of agricultural output there was no revival of demand for consumer goods like cotton textiles. A complex set of demand and supply factors seem to have operated in these and a number of other agro-based industries like tea, sugar, coffee, vanaspati and paper and paper boards; in all of them, output declined or their growth was lower in 1988-89 than in the previous year for diverse reasons: in sugar, competition for cane from gur and khandsari manufacturers; for vanaspati, reduced supply of imported edible oils: for paper, the acute shortage of pulpable forest raw materials and for tea and coffee, divergent regional weather conditions.

Annual Trends.

4.4 Industrial production as measured by the CSO's average general index of industrial production (Base : 1980-81 = 100) recorded a growth rate of 8.8 per cent during the financial year 1988-89 which is higher than the growth of 7.3 per cent during 1987-88. The rate of growth in industrial production had moved up from 8.7 per cent in 1985-86—the first year of the Seventh Plan—to 9.1 per cent in 1986-87, receded to 7.3 per cent in 1987-88 and again picked up in 1988-89 (Table 4.1)). The average growth rate in industrial production for the first four years (1985-86) to 1988-89) of the Seventh Plan works out to around 8.0 per cent as against the Seventh Plan target of 8.0 per cent. The industry-wise pattern of growth is, however, expected to turn out to be somewhat different from what was visualised in the Plan. Thus, while cotton and jute textiles and drugs and formulations are likely to show a substantial shortfall, polyester staple fibre and polyester filament yarn, consumer electronics and passenger cars and two-wheelers, are expected to exceed the target.

Table 4.1 : Trends in Index of Industrial Production

(Base : 1980 -81 = 100)

Sector	Mining and Quarring		Manufacturing		Electricity		General Index	
(Weight)	11.46		77.11		11.43		100.00	
Year	Index	Growth Rate (per cent)	Index	Growth Rate (per cent)	Index	Growth Rate (per cent)	Index	Growth Rate (per cent)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Annual Compound Growth Rate								
1970-71 to 1980-81@	—	+4.3	—	+4.0	—	+7.2	—	+4.3
1980-81 to 1984-85@@	—	+12.6	—	+5.7	—	+8.9	—	+6.9
1984-85 to 1988-89@@	—	+5.5	—	+8.9	—	+9.0	—	+8.5
Annual Rates								
1985-86	167.5	+4.2	136.9	+9.7	152.4	+8.5	142.1	+8.7
1986-87	177.9	+6.2	149.7	+9.3	168.1	+10.3	155.1	+9.1
1987-88	184.6	+3.8	161.5	+7.9	181.0	+7.7	166.4	+7.3
1988-89	199.0	+7.8	175.8	+8.9	198.1	+9.4	181.0	+8.8

@Compound growth rate based on 1970 series of index numbers.

@@Base 1980 81 = 100, compound growth.

Quarterly Trends.

4.5 The movements in the quarterly average indices of industrial production during 1988-89 were erratic unlike in the previous year when quarterly growth rates continuously decelerated, reflecting the adverse effects of the drought. There was a turnaround in the first quarter (April-June) of 1988-89 and the growth rate picked up substantially to 12.7 per cent despite the lagged effects of the drought. A number of industries like thermal power, saleable steel, cement and amongst agro-based industries, jute textiles, flour milling and sugar, registered high growth during the quarter. The growth rate, however, dropped to 6.3 per cent in the second quarter but again accelerated to 9.9 per cent in the third quarter of 1988-89 (Table 4.2). The erratic trend was to some extent attributable to a sharp fall in the growth to some electricity during the second quarter (July-September

Table 4.2 Trends in Index of Industrial Production on Quarterly Basis

(Base : 1980-81=100)

Sector	General Index		Mining and Quarrying		Manufacturing		Electricity	
Period/Year Weight	100.00		11.46		77.11		11.43	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8	9
April-June	155.3	175.0	171.6	182.0	150.2	171.5	172.7	190.7
	(+11.2)	(+12.7)	(+5.7)	(+6.1)	(+12.5)	(+14.2)	(+8.5)	(+10.4)
July-September	160.5	170.6	166.9	175.7	156.3	167.6	182.6	186.1
	(+9.9)	(+6.3)	(+5.0)	(+5.3)	(+10.7)	(+7.2)	(+10.0)	(+1.9)
October-December	166.8	183.3	189.4	206.6	161.6	176.9	179.4	203.5
	(+6.2)	(+9.9)	(+4.1)	(+9.1)	(+6.8)	(+9.5)	(+4.5)	(+13.4)
January-March	183.0	195.2	210.5	231.7	177.9	187.2	189.1	212.1
	(+3.2)	(+6.7)	(+1.1)	(+10.1)	(+.8)	(+5.2)	(+7.6)	(+12.2)

Note : Figures in brackets indicate percentage variations over the corresponding figures of the previous year.

1988) to a meagre 1.9 per cent from 10.0 per cent in the corresponding quarter of the previous year or 10.4 per cent in the preceding (April-June 1988) quarter. Thermal power generation fell by 2.5 per cent against 20.7 per cent rise in the previous year's comparable quarter. This in turn was attributable to the need to shut down some of the thermal plants for planned maintenance as they were over extended in the previous year coupled with the backing down of some of the units on account of improvement in hydel power generation. Hydel power generation recovered from July 1988 after the very favourable monsoon and this reflected in an increase of 50.5 per cent in hydel generation in the third quarter as compared with 10.1 per cent witnessed in the comparable quarter of the preceding year. Some of the agro-based industries like cotton tetiles, had not recovered from the after effects of the previous year's drought till the third quarter. Table 4.3, shows the monthly growth rate in the overall index for 1988-89 and 1987-88.

Table 4.3 : Index Numbers of Industrial Production—General Index : Month-wise Annual Variation

(Base : 1980-81=100)

Month	Indices			Percentage Variation	
	1986-87	1987-88	1988-89	1987-88 over 1986-87	1988-89 over 1987-88
1	2	3	4	5	6
April	137.5	156.7	170.8	+14.0	+9.0
May	139.9	149.6	174.0	+6.9	+16.3
June	141.8	159.5	180.1	+12.5	+12.9
July	144.0	165.9	170.3	+15.2	+2.7
August	144.7	155.6	169.7	+7.5	+9.1
September	149.7	160.1	171.9	+6.9	+7.4
October	152.8	158.1	174.7	+3.5	+10.5
November	152.4	166.6	181.0	+9.3	+8.6
December	166.2	175.8	194.3	+5.8	+10.5
January	174.1	175.0	191.8	+0.5	+9.6
February	169.4	177.3	185.6	+4.7	+4.7
March	188.6	196.6	208.1	+4.2	+5.8

Sectoral Trends

4.6 The higher rate of overall industrial growth at 8.8 per cent during 1988-89 (April-March) was brought about by the improved performance of all the three sectors, viz., mining and quarrying (7.8 per cent against 3.8 per cent), manufacturing (8.9 per cent against 7.9 per cent) and electricity (9.4 per cent against 7.7 per cent). The higher output of electricity and manufacturing sectors, especially in the second half of the current fiscal year. was facilitated by the excellent monsoon and improved availability of agriculture-based raw materials. The manufacturing sector benefitted both from increased power availability and improved demand from investment an export sectors. During the first four years of the Seventh Plan. 1985-86 to 1988-89, while the annual average rate of growth in mining and quarrying sector at 5.5 per cent was low because of the slow growth of crude petroleum, those in manufacturing and electricity sectors at 9.0 per cent each, were above the overall expected growth of industrial production during the Plan. The improvement in the growth rate of manufacturing sector as a whole during 1988-89 was reasonably broad based as in the previous year. The data for 1988-89 (April-March) in respect of seventeen major industrial groups of the manufacturing sector indicate that fifteen groups accounting for 64.31 per cent of the weightage

registered positive growth in 1988-89 as compared with that of eleven groups with 63.03 per cent of the weightage in 1987-88; the number of groups showing a decline fell from six to two. The three groups, viz., textile products, chemicals, and chemical products including fertilisers and non-metallic mineral products, recorded growth rate of more than 15 per cent each in 1988-89 (Table 4.4). Apart from additional domestic demand for fertilisers, export demand provided some impetus for the output of some of these industries. The output in six groups, viz., beverages, tobacco, etc., jute textiles, rubber, plastic and petroleum products, transport equipment, machinery and machine tools and miscellaneous products, witnessed increases in the range of 7 per cent to 15 per cent. Six groups including wood and wood products, paper and paper products, metal products and electrical machinery and apparatuses (including electronic items like computer systems and peripherals), basic metals and alloy products and food products recorded positive growth rates upto 7 per cent. Of these, the two groups which maintained positive growth rates but witnessed deceleration were elctrical machinery and apparatuses including electronic items (4.6 per cent against 31.6 per cent last year) and miscellaneous products (11.1 per cent against 15.6 per cent last year). The remaining two groups, viz., cotton textiles and leather and leather products recorded negative growth during 1988-89 despite a significant improvement in the export of readymade garments and leather products, suggesting sluggishness in domestic offtake. A noteworthy development has been that five groups, viz., beverages and tobacco, wood and wood products, jute textiles, non-metallic mineral products (including cement), and machinery and machine tools, made a turn-around by registering positive growth in output in contrast with a decline in the previous year.

4.7 The growth of sales in automotive industries during 1988-89 was remarkably high. Apart from improved demand for passenger cars and jeeps, three-wheelers and motor-cycles and scooters in respect of which expansion in production as well as sales ranged from 9.4 per cent to cover 30 per cent for 1988-89, the railway wagons production also showed a sizeable uptrend. The growth rate of output of commercial vehicles at 5.7 per cent during 1988-89 (April-March) was lower, as compared with 11.8 per cent in 1987-88. While deceleration in the growth rate was more perceptible in light commercial vehicles (2.5 per cent against 17.3 per cent), output of medium and heavy

Table 4.4 : Index Numbers of Industrial Production of Major Groups

(Base : 1980-81 = 100)

Sr. No.	Item	Weight	April March (Average)		
			1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
	According to growth rates during April March 1988 89				
	Positive 0 to 7%				
1.	Wood & Wood Products	0.45	246.1	161.7 (34.3)	171.7 (+6.2)
2.	Paper & Paper Products	3.23	163.2	166.3 (+1.9)	171.3 (+3.0)
3.	Metal Products	2.29	124.4	129.6 (+4.2)	133.5 (+3.0)
4.	Electrical Machinery	5.78	254.7	335.2 (+31.6)	350.6 (+4.6)
5.	Basic Metals & Alloy Products	9.80	126.8	135.6 (+6.9)	144.9 (+6.9)
6.	Food Products	5.33	133.2	139.0 (+4.4)	148.2 (+6.6)
	Above 7% to 15%				
7.	Beverages, Tobacco, etc.	1.57	98.5	84.9 (−13.8)	92.1 (+8.5)
8.	Jute Textiles	2.00	101.1	91.0 (−10.0)	101.4 (+11.4)
9.	Machinery & Machine Tools	6.24	141.8	139.2 (−1.8)	160.0 (+14.9)
10.	Rubber, Plastic & Petroleum Products	4.00	149.6	155.1 (+3.7)	168.9 (+8.9)
11.	Transport Equipment	6.39	144.9	151.8 (+4.8)	171.4 (+12.9)
12.	Miscellaneous	0.90	235.4	272.1 (+15.6)	302.2 (+11.1)

1	2	3	4	5	6
	Over 15%				
13.	Textile Products	0.82	87.1	91.8 (+5.4)	134.2 (+46.2)
14.	Chemicals & Chemical Products	12.51	175.5	200.9 (+14.5)	233.4 (+16.2)
15.	Non metallic Mineral Products	3.00	160.3	158.1 (−1.4)	184.6 (+16.8)
	Negative				
16.	Cotton Textiles	12.31	112.5	111.2 (−1.2)	107.5 (−3.3)
17.	Leather & Leather Products	0.49	177.7	185.5 (+4.4)	177.4 (−4.4)
	Manufacturing	77.11	149.7	161.5 (+7.9)	175.8 (+8.9)

Note : Figures in brackets indicate percentage variations over the corresponding figures of the previous year.

commercial vehicles grew by 7.9 per cent in 1988-89 against 8.4 per cent in the previous year. Likewise, sales of light commercial vehicles grew rather moderately (at 5.0 per cent against 17.6 per cent) and as a result, the stock levels of such vehicles continued to remain at a high level. Sales turnover of medium and heavy commercial vehicles improved to 8.0 per cent in 1988-89 against 6.4 per cent in 1987-88 as road transportation received a fillip from higher agricultural and industrial activities consequently, the stock position of such vehicles at the end of March 1989 fell by a little over 40 per cent over the end of March 1988 level.

Infrastructure

4.8 The improvement in industrial output during 1988-89 was greatly facilitated by the improved performance of the infrastructure industries. The composite index of six infrastructure industries, viz., electricity, coal (excluding lignite) petroleum crude, petroleum refinery products, saleable steel and cement, with a weight of 28.77 per cent in the index of industrial production (1980-81=100) recorded a higher growth of 8.1 per cent as compared with that of 6.0 per cent in the preceding year (Table 4.5). The

Table 4.5 : Trends in Production of Infrastructure Industries

Industry	Unit	Weight	Production during April-March		
			1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
1. Electricity	Million k.w.h.	11.43	1,87,605 (+10.4)	2,01,894 (+7.6)	2,20,978 (+9.5)
(a) Hydel			53,900	47,396 (−12.1)	57,742 (+21.8)
(b) Thermal (including nuclear)			1,33,900	1,54,498 (+15.4)	1,63,236 (+5.6)
2. Coal (excl. lignite)	Million Tonnes	6.61	165.69 (+7.5)	179.71 (+8.5)	194.62) (+8.3)
3. Saleable steel	Thousand Tonnes	5.21	8218.0 (+5.7)	8588.0 (+4.5)	9205.6 (+7.2)
4. Crude Petroleum	-do-	2.41	30,481 (+1.0)	30,357 (−0.4)	32,025 (+5.5)
5. Petroleum Refinery Products	-do-	1.52	43,255 (+7.5)	44,402 (+2.7)	45,384 (+2.2)
6. Cement	-do-	1.60	36,590 (+10.5)	39,550 (+8.1)	43,912 (+11.0)
Total Infrastructure Industries (Index : 1980-81=100)		28.77	168.6 (+7.5)	178.7 (+6.0)	193.1 (+8.1)

Note :Figures in brackets indicate percentage variations over the corresponding figures of the previous year.

contribution of these six industries to the increase in industrial output in 1988-89 (April-March) worked out to a little more than one-third, the same as in the previous year. Among the six infrastructure industries, while marked acceleration was observed in growth rates of electricity, saleable steel, crude petroleum and cement, marginal deceleration occurred in coal and petroleum refinery products. In the case of crude petroleum, there was a turnaround to a growth of 5.5 per cent in contrast to a decline of 0.4 per cent during 1987-88; this sector had experienced virtual stagnation during the period 1984-85 to 1987-88. The growth in electricity generation was mainly brought about by a significant increase in hydel power consequent upon an excellent monsoon; hydel power generation in fact showed a turnaround with a growth of 21.8 per cent in 1988-89 in contrast to a fall of 12.1 per cent during 1987-88. As referred to earlier, the growth rate in thermal (including neclear) power generation fell mainly due to planned maintenance shutdown and consequently, the plant load factor (PLF) at 55.0 per cent was lower as compared with 56.5 per cent in 1987-88. This is, however, expected to be a transient decline and since 1985-86, there has been a steady improvement in the PLF.

Industry-wise Profile

4.9 An analysis of the industry-wise data available in respect of 155 industries with a total weight of 85.5 per cent in the general index of industrial production reveals certain interesting features. First, the output expansion in 1988-89 was relatively more broadbased than in the previous year. The frequency distribution of these 155 industries by range of percentage changes in production during the past two years, presened in Table 4.6 suggests that a little more than three-fourths in terms of number (119) and 68.8 per cent in terms of weights showed increases during 1988-89 against 81 industries with 61.7 per cent weightage in the previous year. Of these, 68 industries with a weight of 23.0 per cent registered growth rates of over 10 per cent as against 33 industries with a weight of 11.3 per cent in the previous year. In 1988-89, 36 industries with a weight of 16.7 per cent experienced absolute declines in output as against 74 industries with a weightage of 23.8 per cent in 1987-88.

Table 4.6 : Frequency Distribution of 155 Industries by Growth Rates During 1987-88 and 1988-89 (April-March)

Range of Growth	April 1987-March 1988		April 1988-March 1989	
	Weight	Number of Industries	Weight	Number of Industries
1	2	3	4	5
Positive				
Over 25%	5.2	16	9.2	36
25% to 10%	6.1	17	13.8	32
10% to 5%	26.4	19	32.3	30
5% to 0%	24.0	29	13.5	21
Sub-Total :	61.7	81	68.8	119
Negative				
0% to —5%	7.4	22	9.2	15
—5% to —10%	6.5	15	3.6	5
—10% to —25%	7.6	28	2.8	12
Below —25%	2.3	9	1.1	4
Sub-Total :	23.8	74	16.7	36
Total :	85.5	155	85.5	155

4.10 Secondly, an increase in investment demand in the transport, energy and manufacturing sectors has manifested in an all-round increase in the output of capital goods industries. In this group, 21 industries out of 32 registered increases in 1988-89 against 14 industries in 1987-88. Amongst the investment goods industries to experience accelerated output growth were; paper and pulp machinery (3.3 per cent against a decline of 3.7 per cent), machine tools (17.2 per cent against a fall of 25.7 per cent), ball and roller bearings (55.5 per cent against 13.9 per cent), transmission towers (72.2 per cent against a fall of 55.2 per cent), power transformers (18.7 per cent against a fall of 14.7 per cent), electric motors (25.6 per cent against a fall of 20.8 per cent), agricultural tractors (32.3 per cent against 3.7 per cent) and railway wagons (37.3 per cent against 3.9 per cent). A few items in the capital goods sectors have suffered output losses which are attributable to industry specific reasons, such as capacity constraints in the case of computer systems, inadequate investment in the case of sugar mill machinery, metallurgical machinery and cement machinery and altered demand situation in the case of electric and diesel generators.

4.11 Thirdly, the demand for a large number of the consumer durable goods remains strong. In this group, significant gains in output are registered in domestic refrigerators (growth of 39.0 per cent against 15.2 per cent), radio receivers (5.9 per cent against a fall of 21.7 per cent), passenger cars (an increase of 11.9 per cent on top of an increase of 37.7 per cent), motor-cycles (28.1 per cent against 13.4 per cent), typewriters (30.0 per cent against a fail of 23.8 per cent), telephone instruments (47.3 per cent against 2.7 per cent, wrist watches (20.0 per cent against a fall of 0.5 per cent) and house service meters (90.9 per cent against a fall of 46.5 per cent. In the consumer goods industries as a whole, out of 48 industries, 32 registered increases, while 15 industries showed declines. Sugar, coffee, vanaspati, and paper and paper board showed deceleration in output while tea and cotton cloth showed absolute declines in output.

4.12 Finally, as a result of the improved demand for consumer durables and investment goods, and also from the export sector, the output of a number of basic and intermediate goods industries expended during 1988-89. Of the 39 industries in the basic industries group, 30 indsutries recorded increases in 1988-89 (April-March) as compared with 22 in the corresponding period of the previous year; 9 industries showed declines in 1988-89 in contrast to 17 in 1987-88. Important industries experiencing significant rates of growth exceeding 12 per cent were: soda ash, bauxite, steel forgings and pipes and tubes, aluminium, zinc and chromite. Nitrogenous and phosphatic fertilisers achieved an impressive output growth ranging from 22 to 35 per cent during 1988-89. In the intermediate goods, out of 36 industries for which data are available, 34 registered increases and only two recorded decline. Last year, 19 industries had registered increases and 17 experienced declines. Some of the industries which registered high growth rates were synthetic rubber (70.3 per cent), scooter tyres (30.8 per cent), auto ancilliaries (56.2 per cent), polyester filament yarn (44.5 per cent), giant tyres (23.5 per cent), viscose filament yarn (21.3 per cent), tractor tyres (6.8 per cent) and polyester fibres (35.6 per cent), caprolactum (40.8 per cent) and dimethyle terephthalic acid (DMT) (30.6 per cent).

5. DEVELOPMENTS IN CREDIT POLICY

Broad Thrust of Policy.

5.1 The macro-economic perceptions which guided the formulation and operation of monetary and credit policy during the period July 1988 to June 1989 were varied: in the initial months there was a continuing concern about the after-effects of the previous year's drought while in the latter part of the year the predominant factor was the impressive recovery in real income growth during 1988-89 as well as expectations of a further good outturn during 1989-90. The underlying pressures on commodity prices even after the recovery in output and continuing high rate of monetary expansion were matters of concern. In 1987-88, concerted efforts were made to ensure supply of credit to the drought-affected agriculture, particularly in the context of special production programmes. The anxiety in 1988-89 was to ensure that the well-poised upturn in production activities in all sectors—agriculture, industry and exports—was not constrained for want of timely and adequate bank credit.

5.2 Even as this broad policy concern with supporting production activities and at the same time, containing inflationary pressures was continued, the objective of promoting efficiency in the operations of the financial system was given a visible thrust during the year. Towards that end, several changes in financial policies were initiated including the easing of operational constraints in the credit delivery system, the introduction of new money market instruments and strengthening of the existing instruments. The underlying rationale for these measures was to reduce the rigidities by introducing flexibility, to allow for diversification and to bring about a more competitive environment in the money and financial markets.

5.3 The changes introduced during the year in the traditional instruments of monetary control such as the cash reserve ratio (CRR), deposit rates, lending rates and the money market regulations, are of special significance. The prescription of a uniform CRR of 15 per cent, while it has not meant any additional burden for most banks, has done away with multiple prescriptions and simplified the whole CRR operation. The raising of the short-term deposit rates during the year was a logical extension of the process of rationalising the whole structure of deposit rates which began in April 1985. One aspect of this reform has been to bring short-term interest rates in better alignment with other interest rates in the sytem. Like wise, the prescription of a minimum|lending rate on the general category of borrowers thus replacing the long standing ceiling rate, should make a significant qualitative difference to the system to administered interest rate. This should enable banks to better equiliberate cost of raising funds and the return on those funds. In view of the caution expected of banks in using their discretion judiciously so that the lending rates remained within reasonable limits, initial experience suggests that banks have responded to this change with maturity and judgement and achieved a notable degree of co-ordination in establishing prudent credit rating procedures.

5.4 In the money market, there were significant changes relating to instrument development and gradual easing of the controls. Interest rate ceilings were removed, with effect from May 1, 1989, on all money market instruments. While the freeing of these money market rates resulted in a very sharp spurt in interbank call money rates from May 1, 1989, these rates settled down to more reasonable levels later.

5.5 Two kinds of inter-bank participations, namely, with risk and without risk, were introduced to enable banks with temporary liquidity problems to share their borrowal accounts with other banks. A measure of considerable significance was the introduction of two new money market instruments, namely, Certificates of Deposit (CDs) and Commercial Paper (CP).

5.6 In maters relating to the credit delivery system, the withdrawal of the requirement of prior authorisation under the Credit Authorisation Scheme and its replacement by post-saction scrutiny and the freedom of borrowers to transfer accounts as between banks provide considerable flexibility both to borrowers and banks. Again, the proposed introduction of factoring services is intended to help small-scale units to receive their dues expeditiously.

Policy Measures—July 1988 Increase in Cash Reserve Ratio.

5.7 In anticipation of an upsurge in food credit, impounded cash balances of Rs. 744 crores under the incremental cash reserve ratio were released in April 1988. Simultaneously it was announced that for partially neutralising the possible subsequent return flow of food credit, the cash reserve ratio (CRR) would be raised from 10.0 per cent to 10.5 per cent of banks' net demand and time liabilities, effective from July 30, 1988. The Rabi 1988 food procurement turned out to be much lower than anticipated and food credit actually declined and hence the proposed increase in the CRR was preponed from July 30 to July 2, 1988. With both overall liquidity (M_3) and reserve money expanding during the first quarter of the financial year 1988-89 at a pace faster than during the comparable period of the previous year, the already excessive liquidity in the system was enlarged and there were concerns that the inflationary pressures would be accentuated. Accordingly, the CRR was again raised from 10.5 per cent to 11.0 per cent effective from the fortnight beginning July 30, 1988. Simultaneously, the CRR on Foreign Currency Non-Resident (FCNR) deposit liabilities was raised from 9.5 per cent to 10.0 per cent.

Policy Measures—October 1988.

5.8 Measures to moderate the overall growth of M_3 had already been taken in July 1988 and it was clear by October 1988 that the economy was poised to achieve a sharp increase in output following the exceptionally good monsoon. It was perceived that the banking system should have the necessary resources to meet the incmreased credit requirement, particularly of agriculture, industry and exports during the second half of 1988-89. The focus of credit policy for the second half of 1988-89 was on effectively meeting the increased credit needs of various sectors of the economy and thus support the expected recovery. Although the liquidity position of banks was more than comfortable banks were allowed to retain excess liquidity so as to ensure that they had the resources to meet the requisite credit expansion in the second half of the year. The policy measures introduced during October 1988 related essentially to structural aspects such as relaxation of interest rates and control mechanisms and the introduction of new money market instruments.

(a) Lending Rates.

5.9 With a view to providing some relief to borrowers with good credit record and, at the same time, providing flexibility to banks in the matters of interest rates charged to their borrowers, effective October 10, 1988, all bank advances which were till then subject to an interest rate of 16.5 per cent per annum (fixed), ceased to have any ceiling stipulation; instead they were subjected to a minimum of 16.0 per cent per annum, Banks were advised to use this discretion judiciously so as to ensure the range of interest rates charged remained within reasonable limits. It was expected that this would promote better use of credit by borrowers and also increase competition among the banks. For retail trade advances of over Rs. 25,000 and upto Rs. 1 lakh which was the only category subject to a range of interest rates from 15.0 to 16.5 per cent, the new range was fixed at 15.0-16.0 per cent per annum. For advances to Central and State Government agencies entrusted with the procurement and distribution of commodities for sale on a commercial basis, the rate was fixed at 16.0 per cent as against 16.5 per cent hitherto.

(b) Inter-bank Participations.

5.10 With a view to providing an additional instrument for evening out short-term liquidity within the banking system, two types of Inter-Bank Participations (IBPs) were introduced, one on risk sharing basis and the other without risk sharing. These are strictly inter-bank instruments confined to scheduled commercial banks excluding regional rural banks. The IBP with risk sharing can be issued for 91-180 days and only in respect of advances classified under Health Code No. 1 status.@ The IBP with risk sharing provides flexibility in the credit portfolio of banks. The rate of interest is left free to be determined between the issuing bank and the participating bank subject to a minimum of 14.0 per cent per annum. The aggregate amount of such IBPs under any loan account at the time of issue is not to exceed 40 per cent of the outstandings in the account. The IBP without risk sharing is a money market instrument with a tenure not exceeding 90 days and the interest rate on such IBPs was left free to be determined by the two concerned banks subject to a ceiling of 12.5 per cent per annum*. These IBPs without risk would be treated as part of the net DTL of the borrowing bank and would be subject to cash reserve and statutory liquidity requirements.

@Under the uniform grading system introduced to measure the health of bank advancs portfolio, a borrowal account considere satisfactoryor assigned Health Code No. 1 is the one in which the conduct of account is satisfactory, the safetvof advance is not in doubt, all terms and conditions are complied with, and all the accounts of the borrower are in order.

*This ceiling on interest rate has since been removed with effect from May 1, 1990

(c) Money Market Operations of Discount and Finance House of India (DFHI)

5.11 With effect from July 28, 1988, the DFHI was allowed to participate in the call and notice money market both as a lender and borrower. As a step towards providing some flexibility to the money market, the operations of DFHI in the call|notice money market were exempted from the provisions of the ceiling on the rate of interest set out by the Indian Banks' Association (IBA) in October, 1988. This resulted in a limited freeing of the call money market rates and also enabled DFHI to effectively contribute to the overall stability of the money market.

(d) Credit Authorisation Scheme (CAS)

5.12 On a review, it was found that the large majority of CAS parties were complying with the prescribed level of current ratio and that there had been substantial improvement in compliance with inventory norms and submission of Quarterly Information System (QIS) statements. Over a period, the inventory-sales ratio for the corporate sector had declined appreciably. Also the share of priority sectors in outstanding bank credit which had been rising progressively stood at well above the target of 40 per cent. It thus appeared that the purposes of the CAS were being broadly achieved due mainly to the enforcement of the basic financial disciplines. In the light of this review, it was decided to withdraw the system of prior authorisation by the Reserve Bank for sanction of working capital limits and term loans for amounts beyond the stipulated cut-off points. However, banks were advised to ensure that these basic disciplines were observed as they were essential and required to be enforced. Towards that end, a system of post-sanction scrutiny called Credit Monitoring Arrangement (CMA) has been instituted by the Reserve Bank. If, as a result of such scrutiny, it was found that any particular bank was not enforcing the basic disciplines the Reserve Bank might instruct such a bank to refer large cases to it for prior authorisation.

(e) Transfer of Borrowal Accounts

5.13 All parties, including those enjoying credit limits in excess of Rs. 5.0 crores, were allowed to transfer their accounts from one bank to another without the requirement of a 'no objection' letter by the existing bank provided the transferee bank agreed to take over the entire liabilities of the party. If any industrial group seeks to transfer only a good account, leaving an unsatisfactory account with the existing bank, the latter may refuse to allow such transfer unless arrangements are made by the party concerned to the bank's satisfaction.

(f) Consortium Advances

5.14 With a view to easing operational problems, the restriction on the number of banks, in respect of consortium advances of credit limits up to Rs. 50 crores, to five was removed. Banks were, however, advised to limit the number of banks in formal consortia arrangements to around ten.

(g) Housing Finance

5.15 To encourage the flow of bank credit for housing, the maximum period of repayment of housing loans was extended to 15 years from 10 years and the margin requirements for different categories of housing advances were releaxed under a graded scale. The maximum margin was reduced to 35 per cent from 50 per cent. The lending rates on housing finance were altered. The rates effective October 10, 1988 are as follows :—

Amount	Rate of Interest (Per cent per annum)
(i) Up to Rs. 20,000	12.5
(ii) Above Rs. 20,000 and up to Rs. 50,000	13.5
(iii) Above Rs. 50,000 and up to Rs. 1 lakh	14.0
(i)v Above Rs. 1 lakh	14.5—16.0

Policy Measures—February 1989

(a) Selective Credit Controls on Advances Against Oilseeds and Vegetable Oils

5.16 On a review of the price-output developments relating to oilseeds and vegetable oils, effective February 10, 1989, the minimum margins on advances against oilseeds and vegetable oils were reduced across-the-board by 15 percentage points. Effective the same date, the level of credit ceilings on advances against oilseeds|vegetable oils (including vanaspati) were raised from 85 per cent to 100 per cent of the peak level of credit maintained by the party in any of the three years ending 1985-86 (November-October).

(b) Discretionary Refinance Facility

5.17 Effective from February 17, 1989, the facility to draw discretionary refinance without prior sanction of Reserve Bank was reduced from a limit equivalent to 1.0 per cent to 0.50 per cent of average aggregate deposits in 1986-87.

Policy Measures—March 1989.

(a) Interest Rates on Export Credit.

5.18 With a view to providing further incentive to boost exports, interest rates on pre-shipment and post-shipment export credit were lowered by 2.0 percentage poins and 0.85 perceniage point per annum, resectively. The rate of interest on export credit under deferred payment for period beyond 180 days remained unchanged at 8.65 per cent per annum. These rates of interest, effective from March 1, 1989 are presented in Table 5.1.

(b) Short-term Loans to Farmers.

5.19 Effective March 1, 1989, the lending rates on short-term loans to farmers granted by scheduled commercial banks, including RRBs, for the loan range of Rs. 15,000 to Rs. 25,000 were reduced from the range of 12.50 to 14.00 per cent to 12 per cent per annum.

(c) Advances to Priority Sector—Direct Agricultural Advances.

5.20 The scheduled commercial banks were advised to step up direct lending to agriculture (including allied activities) from 17 per cent to at least 18 per cent of their total outstanding credit by March 1990. With this stipulation the increase in credit made available to agriculture by the banking system in 1989-90 would be about Rs. 4,000 crores.

Table 5.1 : Interest Rates on Export Credit

Category	Rate of Interest (per cent per annum) Prior to March 1, 1989	Effective March 1, 1989
1	2	3
1. Pre-shipment Credit		
(a) (i) Up to 180 days	9.50	7.50
(ii) Beyond 180 days, and in all upto 270 days (with the prior approval of the Reserve Bank)	11.50	9.50
(b) Against cash incentives, etc. covered by ECGC guarantee-upto 90 days	9.50	7.50
2. Post-shipment Credit		
(i) Demand bills—for transit period (as specified by FEDAI)	9.50	8.65
(ii) Usance bills—up to 180 days comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable		
(iii) Cash incentives, duty drawback, etc. receivable from Government covered by ECGC guarantee (upto 90 days)		
(iv) Undrawn balances (upto 90-days)		
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (up to 90 days)		
3. (a) Deferred credit for period beyond one year	8.65*	—
(b) Deferred credit for period beyond 180 days	—	8.65
4. Duty drawback credit scheme 1976 Against duty drawback as provisionally certified by the Customs Authorities (upto 90 days)	Free of Interest	Free of Interest
5. Export credit not otherwise specified	14.00 to 15.50	14.00 to 15.50

*After March 1, 1989, made applicable to period beyond 180 days.

Policy Measures for the First Half of 1989-90—March 1989.

5.21 Against the background of an assessment of the prospective developments in the economy, the credit policy for the first half of 1989-90 was set out in March 1989. With a view to promoting more efficient operations, certain structural changes were undertaken and new instruments introduced while strengthening the existing ones. These measures were taken without departing from the basic tenet of credit policy of supporting production activities and at the same time containing inflationary pressures.

5.22 On the reckoning of a normal monsoon, the perception in March 1989 was that real national income could increase by 4 per cent to 5 per cent in 1989-90. While additional credit would be required to support the expected level of economic activity, the overhang of excess liquidity creation during recent years, the sharp increase in non-food credit during 1988-89 and the continuing pressure on prices suggested that it was necessary to ensure that the expansion of M3 during 1989-90 was contained to a level lower than the average of the last four years (16.7 per cent).

5.23 In pursuance of the goal of moderating liquidity growth, scheduled commercial banks were advised to plan their credit budgets on the basis of a working estimate of an increase in aggregate deposits of Rs. 24,000 crores (17.3 per cent) during 1989-90; of this increase, the accrual during the first half of the year was expected at about Rs 11,500 crores and in the first quarter Rs. 6,500 crores.

5.24 Based on reports that the 1989 Rabi crop would be a record one, procurement of wheat was expected to be larger than in the previous season. On this basis, food credit was estimated to increase by about Rs. 900 crores during the quarter ending June 1989 but to decline by about the same amount during the next quarter. Thus, no increase in food credit was expected over the first half of the financial year 1989-90. The increase in non-food credit during the first half of 1989-90 was estimated at Rs. 3,500 crores, i.e., about the same as during the comparable period of the previous year. It was perceived that the banks would be able to meet the requirements of food credit and non-food credit and also build up their liquidity during the first half of the year. These assessments regarding monetary growth as well as sources and uses of funds by banks formed the basis of the package of credit policy meaures for the first half of 1989-90 set out below. The package of measures were designed to moderate the expansion of liquidity, bring about a rationalisation of reserve requirement prescriptions and maturity structure of term deposits and to introduce new instruments with a view to providing greater flexibility in operations.

(a) Cash Reserve Ratio.

5.25 Over the years, there have been multiplicity of cash reserve ratio prescriptions for scheduled commercial banks but all these prescriptions together have been subject to the statutory ceiling of 15 per cent of net demand and time liabilities. Most banks were already maintaining an effective cash reserve ratio (CRR) at the statutory ceiling rate of 15 per cent and hence there was need to simplify the multiple

prescriptions into a single prescription. Accordingly, with effect from the fortnight beginning July 1, 1989, scheduled commercial banks were required to maintain a CRR of 15 per cent of their entire net demand and time liabilities and simultaneously, the system of multiple prescriptions was withdrawn. In the case of a few banks where the existing effective cash reserve ratio was less than 15 per cent, the Reserve Bank has set out to individual banks a phased programme of adjustment, effective from July 29, 1989, for attaining a CRR of 15 per cent.

(b) Refinance Facilities

(i) Export Credit Refinance

5.26 It has been the normal practice to bring forward, each year, the base for determining export refinance from the Reserve Bank. The export refinance limits were at a historically high level of Rs. 2,868 crores as on March 10, 1989 equivalent to 52 per cent of export credit outstanding, as against 13 per cent in March 1986 and 43 per cent in March 1988. Effective July 29, 1989, export refinance provided to banks would be equivalent to 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average for 1987 instead of that for 1986 as hitherto. Although banks' refinance limits stand reduced, past experience suggests that banks' access to export refinance is quickly regained as they expand export credit and this would happen well before the time banks needed to utilise a substantial part of their refinance limits.

(ii) '182 Days Treasury Bill' Refinance

5.27 In view of the rise in the cut-off yields on 182 Days Treasury Bills in recent auctions, effective March 28, 1989, the interest rate on refinance under this facility was raised from 10.25 per cent to 10.75 per cent per annum.

(c) Selective Credit Controls

(i) Minimum Margins on Advances against Vegetable Oils

5.28 Effective March 28, 1989, following a review of the price-output developments relating to oilseeds and vegetable oils, the minimum margins on advances against stocks of vegetable oils (including vanaspati) were reduced by 15 percentage points in the case of 'others' and against warehouse receipts, setting the margins uniformly at 30 per cent for mills|processing units and against warehouse receipts and 45 per cent for 'others'.

(ii) Level of Credit Ceilings

5.29 For commodities where there are stipulations on the level of credit ceilings, the base period was brought forward by one year to the three-year period ending 1986-87 (November—October), with effect from March 28, 1989. No change was, however, made in the level of credit ceilings. The existing level of credit ceilings for different commodities are as follows :—

Level of Credit Ceilings

(Per cent)

Commodity	Effective March 28, 1989 (Reference period : 1984-85, 1985-86 and 1986-87)
1	2
Paddy/Rice	85
Wheat	85
Pulses	85
'Other Foodgrains'	85
Cotton and *Kapas*	85
Oilseeds	100
Vegetable Oils including *Vanaspati*	100

(d) Money Market Rates of Interest

5.30 With a view to imparting flexibility and transparency to the call|notice money market as a first step, effective October 1988, operations of the Discount and Finance House of India (DFHI) in that market were freed from the ceiling on the rate of interest set by the IBA. As a further step towards liberalisation of the money market, the interest rate ceiling on call|notice money was withdrawn with effect from May 1, 1989. In line with this change, the interest rate ceilings of 10.5—11.5 per cent on inter-bank term money, 12.5 per cent on rediscounting of commercial bills and 12.5 per cent on inter-bank participations without risk were also withdrawn with effect from May 1, 1989. Lenders in the money market were advised to ensure that their activities were conducive to the emergence of a stable and mature money market while borrowers were advised to limit their reliance on the money market to meeting marginal requirements for equilibrating their sources and uses of funds. It is envisaged that DFHI would also play an important stabilising role. It is expected that the system would move towards a milieu in which participants would move between lending and borrowing activity and this would give the market an element of stability and depth.

(e) Deposit Rates

5.31 A number of measures have been taken in the recent period to bring short-term interest rates in better alignment with other interest rates in the system. In keeping with this approach, and with a view to providing a better rate of return on short-term surplus funds, effective March 28, 1989, the rate for term deposits of 46 days to 90 days was raised from 4 per cent to 6 per cent ; simultaneously, the category of fixed deposits of 15 days to 45 days, which hitherto had a rate of 3 per cent, was abolished. Thus, fixed deposits will now require a minimum maturity of 46 days instead of 15 days hitherto. The existing and revised structure of

deposit rates (excluding FCNR and NRE accounts) are as follows :—

Scheduled Commercial Banks' Interest Rates on Deposits (excluding FCNR/NRE)

(Per cent per annum)

Cagetory of Account	Effective upto March 27, 1989	Effective from March 28, 1989
1. Current Accounts	Nil	Nil
2. Savings Accounts	5.0	5.0
3. Term Deposits		
(a) 15 days to 45 days	3.0	*
(b) 6 days to 90 days	4.0	6.0
(c) 91 days to less than one year	8.0	8.0
(d) One year to less than two years	9.0	9.0
(e) Two years and above	10.0	10.0

*This maturity has been discontinued and hence banks cannot accept interest-bearing term deposits for any period upto and inclusive of 45 days.

(f) Certificates of Deposit

5.32 With a view to further widening the range of money market instruments and to give investors greater flexibility in the deployment of their short-term surplus fiunds, a new instrument, viz., Certificates of Deposit (CDs) has been introduced. CDs would be issued in multiples of Rs. 25 lakhs subject to the minimum size of an issue being Rs. 1 crore ; the maturity would be between 3 months and one year ; they would be issued at a discount to face value and the discount rate would be freely determined. CDs would be freely transferable 45 days after the date of issue. Total outstanding of all CDs issued by a bank at any point of time should not exceed one per cent of its fortnightly average deposits during the financial year 1988-89. CDs are subject to reserve requirements. Banks are neither allowed to grant loans against CDs nor buy back their own CDs.

(g) Commercial Paper

5.33 With a view to enabling highly rated corporate borrowers to diversify their sources of short-term borrowing and also providing an additional instrument to investors, it has been decided to introduce Commercial Paper (CP). Companies with a net worth of at least Rs 10 crores and a maximum permissible bank finance of at least Rs. 25 crores and enjoying a listing on the stock exchange would be permitted to enter the CP market (the stipulation regarding listing on the stock exchange would not apply to public sector companies). The issuing company would need to obtain every six months an excellent rating from the credit rating agency approved by the Reserve Bank. The maturity of the CP *would be from 3 months to 6 months.* The CP would be issued in multiples of Rs. 25 lakhs subject to the minimum size of an issue being Rs. 1 crore. The CP would be issued at a discount to face value and the discount rate would be freely determined. The CPs would be freely transferable. Banks would not be permitted to either underwrite or to co-accept issue of CPs. The issuing company would be required to meet dealers' fees, rating agency fees, stand-by facility charges and any other relevant charges. The maximum amount of CP that a company would be allowed to raise would be limited to 20 per cent of the maximum permissible bank finance.

(h) Limits on Exposure to Individual|Group of Borrowers

5.34 In the context of the need to fix prudential norms for risk management and avoid concentration of credit risks, limits on bank exposures have been set to an individual business concern at 25 per cent and to business concerns of a group at 50 per cent of a bank's capital fund. The exposure shall include all sanctioned funded and non-funded limits. In the case of existing credit limits, banks have been given twelve months time to rectify the excesses, if any. The ceilings will, however, not apply to credit limits directly allocated by the Reserve Bank such as for food credit. These stipulations, may, in some cases, require adjustments in consortia arrangements.

(i) Portfolio Management

5.35 Normally, portfolio|funds management services are offered by banks in respect of medium| long-term funds. Effective March 28, 1989, a minimum lock-in-period of one year has been stipulated for portfolio|funds management. Banks which operate merchant banking subsidiaries were advised to ensure that their subsidiaries do not do what they themselves are prohibited from doing in regard to portfolio| funds management.

(j) Introduction of Factoring Services

5.36 The Reserve Bank had constituted in January 1988 a Study Group under the Chairmanship of Shri C. S. Kalayanasundaram to examine the feasibility and mechanics of starting factoring organisations and making recommendations regarding their constitution, organisational set up, scope of activities and other related matters. The Study Group submitted its Report in January 1989. Most of the recommendations of the Group have, in principle, been accepted by the Reserve Bank. The first priority would be to establish domestic factoring services within the framework of the existing laws. Steps are also being taken for promotion of special legislative measures for introducing factoring on a full-fledged basis.

Policy Measures—April 1989

Selective Credit Controls

(a) Minimum Margins on Advances against Wheat

5.37 On a review of the price-output developments and the emerging situation regarding market arrivals of wheat, effective April 22, 1989, the minimum margins on advances against wheat were raised across-the-board by 15 percentage points, thereby setting the margins against stocks to mills|processing units and against warehouse receipts at 60 per cent and for 'others' at 75 per cent.* The new structure of minimum margins on advances against the commodities covered under selective credit controls, effective April 22, 1989, is set out in Table 5.2.

Table 5.2 : Minimum Margins on Bank Advances Against Stocks of Commodities Under Selective Credit Controls

(Percentage)

Commodities	Effective April 22, 1989		
	Against Stocks		Against Warehouse Receipts
	Processing Units/Mills	Others	
1	2	3	4
1. Paddy/rice	45	60	45
2. Wheat	60	75	60
3. Other foodgrains	45	60	45
4. Pulses	45	60	45
5. Oilseeds (groundnut, rapeseed/mustard, cottonseed, linsseed, castorseed and all imported oilseeds)	30	45	30
6. Vegetable oils (groundnut oil, rapeseed/mustard oil, linseed oil, castor oil, cottonseed oil, *vanaspati* and all imported vegetable oils)	30@	45	30
7. Cotton and *Kapas*	*	45	30
8. Sugar			
(a) Buffer stocks	0	.	..
(b) Unreleased stocks	17.5	—	—
(c) Released stocks	60	60	45
9. *Gur and Khandsari*	30	60	45

@Applicable to registered oil mills and vanaspati manufacturers.

*Exempt from the stipulation of selective credit controls.

--Not applicable.

(b) Level of Credit Celings to Roller Flour Mills

5.38 Effective April 22, 1989, the roller flour mills which were hitherto exempt from the level of credit ceilings on advances against wheat were made subject to the level of credit ceiling stipulation of 85 per cent of the peak level of credit maintained by the party in any of the three years ending 1986-87 (November—October) as in the case of other mills|processing units.

6. TRENDS IN MONEY AND CREDIT

6.1 During the fiscal year 1988-89, monetary expansion, as measured by both M_3 and M_1, was higher than that in the previous year; though currency expansion decelerated slightly, it has to be viewed against a phenomenal increase in 1987-88. Aggregate deposit growth showed a rise; the increase being particularly sharp in the case of demand deposits. The rise was attributable to higher real income growth and the reversal of buy-back arrangements in Government and other securities.

6.2 The sources of change in money stock, as portrayed by point-to-point variations, appear somewhat different as between the past two years, with the rate of expansion in net bank credit to Government slowing down in 1988-89 as compared with that in 1987-88 and the rate of expansion in bank credit to commercial sector accelerating rather significantly. While the commercial sector credit accelerated—and this is attributed to buoyancy in production and commercial activities—the year-end figures of bank credit to Government, particularly net RBI credit to Government, understate its overall contribution to monetary growth during the entire financial year 1988-89 as it ruled at a high level almost throughout the year but dropped sharply towards the end of the financial year. Again, reserve money growth registered some deceleration but the previous year's growth was phenomenally high. The secondary expansion emanating from this large increase in the reserve money was moderated by raising the cash reserve requirements.

6.3 The behaviour of various monetary ratios such as, currency to M^3 or aggregate deposits to M^3, has been broadly in accordance with their long-term trends, but the unadjusted incremental money-multiplier ($M^3|\triangle$ RM)—on a point-to-point basis or on an average basis—showed a noticeable rise in 1988-89 over the levels in 1987-88, reflecting a fall in the incremental bank reserves to deposit ratio.

6.4 Operations of scheduled commercial banks indicate a more rapid increase in 1988-89 than in 1987-88 both in aggregate deposits and bank credit, particularly in non-food credit. In banks' investments, there was a distinct shift in favour of 'other

* In September 1988, the minimum margin on advances against wheat for processing units/mills was reduced, only in Punjab, by 15 percentage points from 45 per cent to 30 per cent; in March 1989 this margin was brought back to 45 per cent; thus a uniform margin was once again prescribed for all areas where selective credit controls are applicable.

approved securities' as compared with Government securities. Apart from a higher increase in borrowings from the Reserve Bank, scheduled commercial banks continued to depend on a sizeable level of non-deposit resources during 1988-89 as in the previous year. This was primarily because the tempo of rediscounting of bills with other approved financial institutions had been stepped up significantly, thus facilitating a faster growth of gross bank credit to accommodate higher production activities. However, this faster growth placed some banks in a situation of a liquidity bind during February-March 1989 and a noticeable pressure on the inter-bank call money market which became transparent after the ceilings on call money rates were abolished with effect from May 1, 1989.

Money Supply

6.5 Monetary expansion in terms of broad money (M_3) at Rs. 28,571 crores (17.6 per cent) during 1988-89 was higher than that of Rs. 22,027 crores (15.7 per cent) in 1987-88 (Table 6.1). It may be recalled that in the credit policy announced in April 1988 it was indicated that the objective of policy was to contain the overall growth of liquidity in 1988-89 to a level somewhat below the average of the previous three years (17 per cent). Thus, the monetary expansion in 1988-89 at 17.6 per cent turned out slightly higher than the objective set out at the start of the year. On the basis of the average of last Fridays* of months the growth in M_3 in 1988-89 was at 17.1 per cent which was almost the same as in 1987-88 (17.0 per cent).

6.6 Money supply with the public (M_1) recorded a rise of Rs. 8,457 crores (14.6 per cent) during 1988-89 as compared with that of Rs. 6,625 crores (12.9 per cent) in the previous year. In terms of the average of last Fridays* of months, the rate of expansion in M_1 at 14.6 per cent was also the same as that in the previous year.

6.7 Component-wise, expansion in currency with the public at Rs. 4,813 crores (14.3 per cent) was lower than that of Rs. 5,065 crores (17.7 per cent) in 1987-88. Aggregate deposits with banks recorded a sharp increase from Rs. 17,017 crores (15.2 per cent) in 1987-88 to Rs. 23,609 crores (18.3 per cent) in 1988-89. Although this increase was contributed by both demand and time deposits, the growth rate of demand deposits was doubled. Demand deposits increased by Rs. 3,495 crores (14.7 per cent) as compared with the increase of Rs. 1,615 crores (7.3 per cent) in the previous year; time deposits rose by Rs. 20,114 crores (19.2 per cent) as compared with Rs. 15,402 crores (17.2 per cent) in 1987-88.

6.8 A notable feature of the trends in 1988-89 is that bank credit to the commercial sector made a higher contribution to the expansion in M_3, as compared with net bank credit to Government. Bank credit to the commercial sector expanded by Rs. 20,531 crores (19.5 per cent) as compared with Rs. 12,389 crores (13.3 per cent) in the previous year; the increase in both the Reserve Bank's and the other banks' credit to this sector was higher than that in the last year. The larger expansion in other banks' credit to the commercial sector was on account of the sharp rise in non-food credit which to some extent is attributable to higher demand for bank credit associated with higher production and investment activities. Net bank credit to Government recorded a lower increase of Rs. 12,715 crores (15.1 per cent) than that of Rs. 12,811 crores (18.0 per cent) in the previous year. Net Reserve Bank credit to Government recorded a higher rise of Rs. 7,225 crores as compared with Rs. 7,025 crores in 1987-88; in percentage terms, the rise at 13.7 per cent was, however, lower than that of 15.3 per cent last year. As elaborated in the section on 'Government Finances', the average of the successive fortnightly figures of financial year variations in net RBI credit to the Central Government rose to Rs. 7,309 crores in 1988-89 from Rs. 5,326 crores in 1987-88 and Rs. 4,432 crores in 1986-87.

* In the case of March 1989, the data relate to last reporting Friday (March 24).

Table 6.1 : Variations in Money Stock (M_3)

(Rupee crores)

Item	Variations during							
	1987-88*		1988-89*@		1988-89 (April—June)		1989-90@ (April—June)	
	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage	Absolute	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I M_3 (a+b+c)	22,027	15.7	28,571	17.6	12,531	7.7	9,952	5.2
(a) Currency with the public	5,065	17.7	4,813	14.3	1,761	5.2	2,627	6.8
(b) Aggregate deposits with banks (i+ii)	17,017	15.2	23,609	18.3	10,164	7.9	7,369	4.8
(i) Demand deposits	1,615	7.3	3,495	14.7	2,127	8.9	1,685	6.2
(ii) Time deposits	15,402	17.2	20,114	19.2	8,037	7.7	5,684	4.5
(c) 'Other' deposits with RBI	—55	—15.6	149	50.2	606	204.0	—44	—9.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II M_1 (a+b(i)+(c)	6,625	12.9	8,457	14.6	4,494	7.8	4,268	6.4
III Sources of Money Stock(M3) (1+2+3+4 −5)								
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	12,811	18.0	12,715	15.1	10,419	12.4	8,427	8.7
A. RBI's net credit to Government (i+ii)	7,025	15.3	7,225	13.7	7,836	14.3	6,079	10.1
(i) Net claims on Central Government (a—b)	7,049	15.5	7,310	13.9	7,717	14.7	6,186	10.3
(a) Claims on Central Government	7,071	15.5	7,334	13.9	7,711	14.6	6,168	10.3
(b) Deposits of Central Government	22	40.7	24	31.6	− 6	−7.9	−18	− 18.0
(ii) Net claims on State Governments (a− b)	− 24	−9.4	−85	−36.8	119	51.5	−107	−73.3
(a) Claims on State Governments	−24	− 8.9	− 90	− 36.6	117	47.6	− 102	− 65.4
(b) Deposits of State Governments		·	−5	−33.3	−2	−13.3	5	50.0
B. Other bank's credit to Government	5,786	22.7	5,490	17.5	2,583	8.2	2,348	6.4
2. Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	12,389	13.3	20,531	19.5	4,538	4.3	3,766	3.0
A. RBI's credit to commercial sector**	377	11.0	1,144	30.1	1	..	−528	−10.7
B. Other bank's credit to commercial sector	12,012	13.4	19,387	19.1	4,537	4.5	4,294	3.5
3. Net Foreign Exchange Assets of Banking Sector (A+B)	682	14.2	637	11.6	− 1,471	− 26.9	6.4	1.0
A. RBI's net foreign exchange assets	673	14.6	637	12.1	− 1,471	−27.9	64	1.1
B. Other Bank's net foreign exchange assets	9	4.6	—	—	..	—	—	—
4. Government's Currency Liabilities to the Public	188	15.8	76	5.5	34	2.5	—	—
5. Banking Sector's Net Non-monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)	4,043	13.6	5,388	15.9	989	2.9	2,305	5.9
A. Net non-monetary liabilities of RBI	1,019	7.9	2,431	17.5	759	4.7	346	2.1
B. Net non-monetary liabilities of other banks (residual)	3,024	17.9	2,957	14.8	330	1.7	1,959	8.6

*Based on last reporting Friday of March'

** Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

@Provisional.

Notes :1. Constituent items may not add upto totals due to rounding off.

2. The variation for the quarter April-June 1988 relates to the period March 25, 1988 to July 1, 1988.

6.9 Other banks' credit to Government registered a lower increase of Rs. 5,490 crores as compared with that of Rs. 5,786 crores in 1987-88. Net foreign exchange assets of the Reserve Bank recorded a somewhat smaller rise of Rs. 637 crores as compared with that in the preceding year (Rs. 673 crores).

6.10 During the first quarter (April-June) of the financial year 1989-90, the growth in M_3 at Rs. 9,952 crores (5.2 per cent) was lower than that of Rs. 12,531 crores (7.7 per cent) in the comparable period of the previous year. The expansion in M_1 was also lower at Rs. 4,268 crores (6.4 per cent) than that of Rs. 4,494 crores (7.8 per cent) in the comparable period of 1988-89. Among the components of M_3 expansion in currency with the public showed larger increase than in the corresponding period of the previous year ; in the case of demand

and time deposits with banks, the expansions were of a lower order than in the comparable period of April-June 1988. Source-wise, while net bank credit to Government and bank credit to commercial sector recorded lower increases, net foreign exchange assets of the banking sector recorded a modest increase in contrast to a substantial decline in the corresponding period of the previous year.

Reserve Money.

6.11 Reserve money recorded an increase of Rs. 9,046 crores (17.0 per cent) on top of a rise of Rs. 8,483 crores (18.9 per cent) in 1987-88. On an average basis, the growth rate of reserve money was lower at 16.7 per cent as compared with 20.8 per cent in 1987-88. Component-wise, the growth rate of currency with the public decelerated from 17.7 per cent in 1987-88 to 14.3 per cent in 1988-89, bankers' deposits with the Reserve Bank increased by Rs. 3,904 crores (21.9 per cent) as compared with a rise of Rs 3,301 crores (22.8 per cent) in 1987-88.

6.12 As regards the sources of reserve money, the rise in net Reserve Bank credit to Government, which is a major factor in the expansion of reserve money, was Rs. 7,225 crores (13.7 per cent) as compared with Rs. 7,025 crores (15.3 per cent). The increase in Reserve Bank credit to commercial and Co-operative banks was Rs. 2,395 crores in 1988-89 as against Rs. 1,240 crores in the previous year (Table 6.2).

6.13 During the first quarter of the fiscal year 1989-90, reserve money growth was lower at Rs. 3,809 crores (6.1 per cent) than that of Rs. 4,041 crores (7.6 per cent) in the corresponding period of 1988-89. This was mainly due to a lower expansion in bankers' deposits with the Reserve Bank and a decline in 'other' deposits with the Reserve Bank.

Income-Velocity of Money

6.14 Income-velocity of money, i.e., the ratio of gross domestic product (GDP) at current market prices to the average of broad money (M_3), which has been showing a long-term downward course and which steadily and uninterruptedly fell from 2.67 in 1980-81 to 2.16 in 1987-88, edged up, fractionally to 2.18 in 1988-89 (Table 6.3 and Graphs A, B and C).

Table 6.2 : Reserve Money Variations—Components and Sources

(Rupees crores)

	Variations during			
	1987-88 £	1988-89 £*	1988-89 (April-June)	1989-90 (April-June)*
1	2	3	4	5
Reserve Money (1+2+3+4)	8,483	9,046	4,041	3,809
	(18.9)	(17.0)	(7.6)	(6.1)
1. Currency with the public	5,065	4,813	1,761	2,627
	(17.7)	(14.3)	(5.2)	(6.8)
2. 'Other' deposits with RBI	—55	149	606	—44
	(—15.6)	(50.2)	(204.0)	(—9.9)
3. Cash with Bank	172	180	276	284
	(12.6)	(11.7)	(17.9)	(16.5)
4. Banker's deposits with RBI	3,301	3,904	1,398	942
	(22.8)	(21.9)	(7.9)	(4.3)
Sources of Reserve Money (1+2+3+4+5—6)				
1. Net RBI Credit to Government	7,025	7,225	7,836	6,079
	(15.3)	(13.7)	(14.8)	(10.1)
2. RBI's claims on commercial and co-operative banks @	@1,240	2,395	—1,700	—1,460
	(46.1)	(61.0)	(—43.3)	(—23.1)
3. RBI's credit to commercial sector	377	1,144	1	—528
	(11.0)	(30.1)	(—)	(—10.7)
4. Net foreign exchange assets of RBI	673	637	—1,471	64
	(14.6)	(12.1)	(—27.9)	(1.1)
5. Government's currency liabilities to the public	188	76	34	—
	(15.8)	(5.5)	(2.5)	
6. Net non-monetary liabilities of RBI	1,019	2,43	659	346
	(7.9)	(17.5)	(4.7)	(2.1)

* Provisional.

£Based on last reporting Friday of March.

@Including NABARD.

Note: 1. Constituent items may not add up to totals due to rounding off.

2. Figures in parentheses indicate percentage variations.

3. The variation for the quarter April-June 1988 relates to the period March 25, 1988 to July 1, 1988.

Table 6.3: Trends in Income Velocity (GDP at Current Market Prices as Ratio of Currency, M_1 and M_3)

Year	Average @ (Rs. crores)			Income Velocity Ratios		
	Currency	M_1	M_3	GDP/Currency	GDP/M_1	GDP/M_3
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	1275	1862	2140	7.501	5.136	4.469
1960-61	1956	2725	3902	7.678	5.511	3.849
1970-71	4143	5941	10321	10.418	7.265	4.182
1979-80	10995	18475	43756	10.401	6.190	2.613
1980-81	12367	20865	50931	10.982	6.509	2.667
1981-82	13879	23919	58766	11.486	6.665	2.667
1982-83	15531	26563	68326	11.434	6.686	2.599
1983-84	13093	30449	80186	11.480	6.788	2.578
1984-85	21340	36034	94758	10.806	6.399	2.433
1985-86	23774	41043	110971	11.042	6.396	2.365
1986-87	26744	47102	130523	10.971	6.229	2.248
1987-88	31145	53988	152751	10.610	6.121	2.163
1988-89	35546	61897	178913	10.988	6.310	2.183

@Averages of last Fridays of months except for March 1989 for which data relate to last reporting Friday.

Some Monetary Relationships

6.15 The behaviour of key monetary ratios such as, currency to aggregate deposits (C|AD) or aggregate deposits to M_3 ($AD|M_3$) during 1988-89 was generally in line with the long-term trends, with C|AD ratio following a declining trend and $AD|M_3$ ratio a rising trend. However, incremental money multiplier ($\triangle M_3 | \triangle RM$), unadjusted for changes in reserve requirements, increased during 1988-89 both on a point-to-point basis as well as on an average basis. This reflects the contributions of both the important factors—incremental currency-deposit ratio and incremental bank reserves to deposit ratio. A decline in the currency-deposit ratio, other things being equal, augments the money multiplier which has been a feature of the behaviour of monetary variables in India for some years, and it was so even in 1988-89. An increase in the bank reserves to deposit ratio goes to depress the money multiplier which has also been a feature in recent years due to gradual increases in the cash reserve requirements. During 1988-89, the bank reserves to deposit ratio showed a fall as the effective incremental cash reserve requirements of many banks declined once these banks attained the statutory ceiling of 15 per cent for the cash reserve ratio. This contributed to the increase in the incremental money multiplier during 1988-89 (Table 6.4).

Banking Variables

6.16 During the financial year 1988-89, accretion to aggregate deposits of scheduled commercial banks at Rs. 22,041 crores (18.7 per cent) was much higher than that of Rs. 15,321 crores (14.9 per cent) in 1987-88. As already explained in the last year's report, the deposit growth for 1987-88 was dampened by the buy-back arrangements in Government securities which were banned in April 1988

Table 6.4: Monetary Ratios—Incremental

Item	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Point-to-point basis									
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.259	0.166	0.263	0.289	0.246	0.176	0.182	0.298	0.204
(b) Currency/M_3 (C/M_3)	0.208	0.145	0.208	0.222	0.194	0.153	0.153	0.230	0.168
(c) Aggregate Deposits/M_3 (AD/M_3)	0.803	0.878	0.789	0.768	0.789	0.869	0.842	0.773	0.826
(d) Money Multiplier (M_3/RM)	3.684	4.220	3.946	2.281	6.050	2.567	3.206	2.597	3.158
(e) Money Multiplier (M_2/RM)	1.362	0.962	1.438	0.793	2.480	0.619	1.090	0.781	0.935
(f) Bank reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.093	0.131	0.054	0.269	0.059	0.297	0.183	0.204	0.173
Average basis									
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.235	0.205	0.238	0.264	0.301	0.176	0.179	0.247	0.203
(b) Currency/M_3 (C/M_3)	0.191	0.171	0.193	0.208	0.229	0.159	0.152	0.198	0.168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(c) Aggregate Deposits M_3 (AD/M_3)	0.814	0.836	0.810	0.789	0.760	0.854	0.847	0.801	0.829
(d) Money Multiplier (M_3/RM)	3.579	3.658	3.963	3.548	2.958	3.108	3.198	2.587	3.140
(e) Money Multiplier (M_1/RM)	1.192	1.264	1.224	1.163	1.134	0.960	0.991	0.801	0.949
(f) Bank reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.116	0.130	0.075	0.090	0.130	0.206	0.139	0.234	0.178

Note : On a point-to point basis the ratios are based on last Friday of March data while on an average basis the ratios have been worked out on the basis of a verage of last Fridays of months. In the case of March 1989 the data relate to last reporting Friday. All ratios in this table are incremental ratios.

and hence there was an unwinding of these arrangements in 1988-89.

6.17 In the credit policy exercises of April 1988, as discussed earlier, the working estimate relating to the growth of aggregate deposits was placed at Rs. 20,500 crores (17.4 per cent) for 1988-89. The actual increase in 1988-89 was clearly higher than the working estimate (Table 6.5). The annual average increase in aggregate deposits during the first four years of the Seventh Plan was Rs. 16.961 crores (18.0 per cent). Component-wise, in 1988-89 both demand and time deposits registered higher increases of Rs. 3,078 crores (15.2 per cent) and Rs. 18,963 crores (19.4 per cent), respectively, as compared with increases of Rs. 1,019 crores (5.3 per cent) and Rs. 14,302 crores (17.1 per cent), respectively, in 1987-88 (Table 6.6).

6.18 The expansion in bank credit in 1988-89 at Rs. 14,160 crores (20.1 per cent) was significantly higher than that of Rs. 7.228 crores (11.4 per cent) in 1987-88. Food credit recorded a decline of Rs. 1,421 crores in 1988-89 as food procurement was lower and stocks of foodgrains with public agencies declined; the comparable decline in 1987-88 was Rs. 2,914 crores. Non-food credit registered a markedly larger rise of Rs. 15,581 crores (22.8 per cent) than that of Rs. 10,142 crores (17.4 per cent) in the previous year · the large increase in 1988-89 is to some extent a result of expansion in production

Table 6.5: Growth of Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks

(Rupees crores)

Fiscal Year (April-March)	Growth of Aggregate Deposits
1	2
1985-86	13,160 (+18.2)
1986-87	17,320 (+20.3)
1987-88	15,231 (+14.9)
1988-89	22,041@ (+18.7)
Average of 1985 to 1988 89	16,961 (+18.0)

@Based on partially revised data for March 24, 1989.

Note: The increases are based on last Friday of March excepting in the case of March 1989 for which data as on last reporting Friday are used.

Table 6.6: Important Banking Indicators—Scheduled Commercial Banks

(Rupees crores)

Items	Amount Outstanding as on			Variations during the Financial Year		Variations	
	March 25, 1988	March 24, 1989@	June 30, 1989*	1987-88	1988-89	1988-89 April to (June)	1989-90 (April to June*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Total Demand and Time Liabilities (excluding borrowings from RBI/IDBI/NABARD)	1,31.951	1,56,562	1,64,935	+16,853	+24,611	+10,161	+8,373

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Aggregate Deposits (a+b)	1,18,045	1,40,086	1,47,143	+15,321 (+14.9)	+22,041 (+18.7)	+9,272 (+7.9)	+7,057 (+5.0)
(a) Demand Deposits	20,247	23,325	24,892	+1,019 (+5.3)	+3,078 (+15.2)	+1,724 (+8.5)	+1,567 (+6.7)
(b) Time Deposits	97,978	1,16,761	1,22,251	+14,302 (+17.1)	+18,963 (+19.4)	+7,548 (+7.7)	+5,490 (+4.7)
3. Borrowings from RBI	1,753	3,527	2,174	+460	+1,774	+1,351	-1,353
4. Bank Credit (a+b)	70,536	84,696	88,397	+7,223 (+11.4)	+14,160 (+20.1)	+3,029 (+4.3)	+3,701 (+4.4)
(a) Food Credit	2,190	769	1,659	—2,914	—1,421	—52	+890
(b) Non-Food Credit	68,345	83,927	86,738	+10,142 (+17.4)	+15,581 (+22.8)	+3,081 (+4.5)	+2,811 (+3)
5. Investments (a+b)	46,504	54,662	57,515	+7,922 (+20.5)	+8,158 (+17.5)	+3,505 (+7.5)	+2,853 (+5.2)
(a) Government securities	30,517	35,815	38,128	+5,670 (+22.8)	+5,298 (+17.4)	+2,546 (+8.3)	+2,313 (+6.5)
(b) Other approved securities	15,987	18,847	19,387	+2,252 (+16.4)	+2,860 (+17.9)	+959 (+6.0)	+540 (+2.9)
6. Cash in hand	1,306	1,444	1,718	+132	+138	+235	+274
7. Balances with RBI	17,656	21,376	22,056	+3,275 (+22.8)	+3,720 (+21.1)	+1,355 (+7.7)	+680 (+3.2)
8. Credit-Deposit Ratio (%)	59.8	60.5	60.1				
9. Non-Food Credit-Deposit Ratio (%)	57.9	59.9	58.9				

@Partially revised.

*Provisional.

Notes: 1. Figures in brackets are percentage variations.
2. Constituent items may not add upto the totals due to rounding off.
3. The variation for the quarter April-June 1988 relates to the paiod March 25, 1988 to July 1, 1988.

credit following the spurt in the growth of the economy; the increase is, however, much larger than warranted by the real factors in the economy and there are concerns about over-extension of credit.

6.19 The increase in bank's investments in government and other approved securities at Rs. 8,158 crores was higher than that of Rs. 7,922 crores in 1987-88. Banks' cash in hand and their balances with the Reserve Bank recorded a rise of Rs. 3,858 crores as compared with that of Rs. 3,407 crores in the previous year. Banks' recourse to borrowings from the Reserve Bank was substantially higher at Rs. 1,774 crores as compared to that of Rs. 460 crores in the preceding year.

Use of Non-Deposit Resources

6.20 Apart from the larger borrowings from the Reserve Bank, commerical banks have continued to use a sizeable amount of other non-deposit resources during 1988-89. As may be seen from Table 6.7, while scheduled commercial banks' aggregate deposits rose by Rs. 22,041 crores, their aggregate gross demand and time liabilities (net of inter-bank assets) increased by Rs. 23,135 crores, thus showing the use of additional Rs. 1,094 crores as non-deposit resources during 1988-89 as against Rs. 1,855 crores used in the previous year. The scheduled commercial banks have resorted to larger rediscounting of commercial bills with the approved financial institutions to the tune of Rs. 1,418 crores in 1988-89 as against Rs. 656 crores in the previous year. Thus, inclusive of bills rediscounted, the use of additional non-deposit resources during 1988-89 worked out to Rs. 2,512 crores, i.e., the same as in the previous year (Rs. 2,511 crores).

Liquidity Problems during February|March 1989

6.21 Bank credit increased at a rapid pace mainly on account of the increase in non-food credit during the period February-March 1989. A few banks faced difficulty in maintaining the statutory cash reserve ratio and hence sought large funds from the money market for making good their shortfalls in the CRR. Some banks had surpluses in their investment portfolio (i.e., more than necessary for purposes of maintaining the statutory liquidity ratio) but found it difficult to liquidate such investments. The problem in such cases was that there was a mismatch between the maturity profile of assets and liability portfolios as these banks did not have adequate holdings of Treasury Bills which could be readily liquidated. The annual closing of banks on March 31, 1989 which coincided with the uniform closure of accounts by all commercial enterprises also posed certain problems for banks in their funds management and this reflected in unusually tight conditions in the money market. The stringency in the market was mitigated to some extent by intervention by the Reserve Bank on its own through increased refinance and through the DFHI.

Banking Developments in the Week Ended March 31, 1989

6.22 During the last week of the banks' new financial year which ended on March 31, 1989, both aggregate deposits and bank credit showed sharp increases of Rs. 6,883 crores (4.9 per cent) and Rs. 4,553 crores (5.4 per cent), respectively (Table 6.8). Demand deposits showed a very sharp and unusual rise of Rs. 4,523 crores (or 19.4 per cent) in the last week of the banks' financial year. These increases do not reflect financial transactions supportive of an enduring economic activity but are partly the result of application of interest on deposits and advances and partly the consequence of closing of accounts by banks on March 31. For purposes of assessment of the basic underlying monetary and credit developments the March 31 data are not meaningful and therefore the analysis in this Report is based on March 24, 1989 data.

Table 6.7 : Scheduled Commercial Banks' Non-Deposit Resources

(Rupees crores)

Item	Outstanding as on the Last Friday of March				Variations		
	1986	1987	1988	1989*	1986-87	1987-88	1988-89*
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Aggregate Deposits	85,491	1,0[illegible],724	1,18,045	1,40,086	+17,3[illegible]0 (+20.3)	+15,3[illegible]1 (+14.9)	+2[illegible],0[illegible] (+18.7)
2. Gross Demand and Time Liabilities (DTL)	97,0[illegible]	1,15,098	1,31,951	1,56,56[illegible]	+18,074 (+18.6)	+16,853 (+14.6)	+24,[illegible] (+18.[illegible])
3. Assets with the Banking System	4,8[illegible]7	5,068	4,745	6,2[illegible]	+241 (+5.0)	+323 (—6.4)	+[illegible] (+[illegible])
4. Gross DTL excluding interbank assets (2—3)	92,197	1,10,030	1,27,206	1,50,341	+17,823 (+19.3)	+17,176 (+15.6)	+2[illegible] (+[illegible])
5. Differences (4—1)	6,793	7,306	9,161	10,255	+513 (+7.6)	+1,855 (+25.4)	+[illegible] (+[illegible])
6. Other Borrowings £	168	105	273	[illegible]	—63 (—37.6)	+168 (+160.8)	[illegible]
7. Bills Rediscounted with financial institutions@	562	722	1,378	2,830	+160 (+28.5)	+656 (+90.9)	+[illegible]52 (+[illegible])
8. Non-Deposit Resources (5+7)	7,355	8,028	10,539	13,051	+673 (+9.2)	+2,511 (+31.3)	+2,51[illegible] (+[illegible]8)
Memorandum Item Call Money borrowings from UTI, LIC and DFHI@	214	250	281	799	+36 (+16.8)	+31 (+12.4)	+518 (+[illegible]4.3)

* Partially Revised as on March 24, 1989.
@ Based on special returns and figures relate to end-March.
£ Other than from RBI, IDBI, NABARD and EXIM Bank (Based on Section 42 data).
Note : Figures in brackets are percentage variations.

Table 6.8 : Variations in Selected Items of Scheduled Commercial Banks : Last Week of March 1989 Data

(Rupees crores)

Item	Outstanding as on		Variation	
	March 24, 1989 (PR)	March 31, 1989 (PR)	Absolute	Percentage
1	2	3	4	5
1. Aggregate Deposits (a+b)	1,40,086	1,46,969	+6,883	+4.9
(a) Demand Deposits	23,325	27,848	+4,523	+19.4
(b) Time Deposits	1,16,761	1,19,121	+2,360	+2.0
2. Bank Credit (a+b)	84,696	89,249	+4,553	+5.4
(a) Food Credit	769	775	+6	+0.8
(b) Non-Food Credit	83,927	88,474	+4,547	+5.4

PR : Partially Revised.

Trends in the First Quarter of 1989-90

6.23 During the first quarter of the financial year 1989-90 (upto June 30, 1989), aggregate deposits recorded a smaller increase of Rs. 7,057 crores (5.0 per cent) as compared with that of Rs. 9,272 crores (7.9 per cent) in the corresponding period of the preceding year. Demand deposits showed a rise of Rs. 1,567 crores (6.7 per cent) as against a rise of Rs. 1,724 crores (8.5 per cent) in the comparable period of the previous year. Growth in time deposits at Rs. 5,490 crores (4.7 per cent) was lower than that of Rs. 7,548 crores (7.7 per cent) in the corresponding period of the preceding year. Bank credit recorded a marked expansion of Rs. 3,701 crores (4.4 per cent) as compared with that of Rs. 3,029 crores (4.3 per cent) in the corresponding period of the previous year. Food credit rose by Rs. 890 crores as compared with a fall of Rs. 52 crores in the comparable period of last year; this trend is in line with the higher procurement of wheat in *Rabi* 1989. Non-food credit expansion of Rs. 2,811 crores (3.3 per cent) in the first quarter of 1989-90 was, however, smaller as compared with Rs. 3,081 crores (4.3 per cent) in the corresponding quarter of the previous year showing some correction to the phenomenally large increase in non-food credit witnessed in 1988-89. Banks' investments showed a smaller rise of Rs. 2,853 crores (5.2 per cent) as compared with an increase of Rs. 3,505 crores (7.5 per cent) in the corresponding period of the previous year.

6.24 Because of the year-end buldge between March 24 and March 31, 1989, referred to above, data for scheduled commercial banks for the first quarter of 1989-90 show differing trends depending upon the base chosen. If the current year variations in aggregate deposits, for instance, are worked out over March 31, 1989 as the base, the increase upto June 30, 1989 amounts to only Rs. 174 crores (0.1 per cent) in contrast to an increase of Rs. 7,057 crores (5.0 per cent) if the variations are worked out with March 24, 1989 as the base (Table 6.9). Such large differences are also noticed in respect of other variables like non-food credit. A striking feature in this respect is the absolute fall of Rs. 2,956 crores in demand deposits, in the current year, so far, since March 31, 1989 which almost wiped out the increase that took place in the last week of March 1989.

Table 6.9 : Variations in Selected Items of Scheduled Commercial Banks Data : First Quarter of 1989-90

(Rupees crores)

Items	Outstanding as on			Variations		
	March 24, 1989 (PR)	March 31, 1989 (PR)	June 30, 1989 (P)	March 31, 1989 over March 24, 1989	June 30, 1989 over March 24, 1989	June 30, 1989 over March 31 1989
1	2	3	4	5	6	7
1. Aggregate Deposits (a+b)	1,40,086	1,46,969	1,47,143	+6,883 (+4.9)	+7,057 (+5.0)	+174 (+0.1)
(a) Demand Deposits	23,35	27,848	24,892	+4,523 (+19.4)	+1,567 (+6.7)	—2,956 (—10.6)
(b) Time Deposits	1,16,761	1,19,121	1,22,251	+2,360 (+2.0)	+5,490 (+4.7)	+3,130 (—2.6)
2. Bank Credit (a+b)	84,696	89,249	88,397	+4,553 (+5.4)	+3,701 (+4.4)	— 852 (—1.0)
(a) Food Credit	769	775	1,659	+6 (+0.8)	+890 (+115.7)	+884 (+114.1)
(b) Non-Food Credit	83,927	88,474	86,738	+4,547 (+5.4)	+2,811 (+3.3)	—1,736 (—2.0)

PR : Partially Revised.

P : Provisional.

Note : Figures in brackets are percentage variations.

Sectoral Deployment of Credit

6.25 Data on sectoral deployment of credit presented in Table 6.10 indicate that during 1988-89, the broad sectors to receive a higher proportion of incremental non-food gross bank credit were medium and large scale industries and wholesale trade (other than food); the share of export credit in incremental credit was also much higher than in the previous year. These are consistent with an uptrend in production and trading activities, as also in exports, during 1988-89.

Table 6.10 : Sectoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors@

(Rupees crores)

Sectors	Outstanding as on			Variations (Financial Year)	
	March 27, 1987	March 25, 1988	March 24, 1989	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
I. Gross Bank Credit	62,569	70,260	85,678	+7,691	+15,418
1. Public Food Procurement Credit	5,104	2,190	769	—2,914	—1,421
2. Non-Food Gross Bank Credit	57,465	68,070	84,909	+10,605 (100 0)	+16,839 (100 0)
A. Priority Sectors	25,050 [42 2]	29,070 [44.1]	34,207 [43 1]	+4,020 (37 9)	+5,137 (30 5)
(i) Agriculture	10,570 [17 8]	12,009 [18 2]	13,948 [17.6]	+1,439 (13 6)	+1,939 (11.5)
(ii) Small Scale Industries	9,108	10,820	13,127	+1,712 (16 1)	+2,307 (13 7)
(iii) Other Priority Sectors	5,372	6,241	7,132	+869 (8.2)	+891 (5.3)
B. Industry (Medium and Large)	21,356	25,153	32,158	+3,797 (35.8)	+7,005 (41.6)
C. Wholesale Trade (Other than Food, Procurement)	3,080	3,598	4,764	+518 (4.9)	+1,166 (—6.9)
(i) Cotton Corporation of India	109	91	37	—18 (—0.2)	—54 (0.3)
(ii) Food Corporation of India (Fertiliser Credit)	149	171	202	+22 (0 2)	+31 (0 2)
(iii) Jute Corporation of India	198	142	60	—56 (—0.5)	—82) (—0.5)
(iv) Other Trade	2,624	3,194	4,465	+570 (5.4)	+1,271 (7 5)
D. Other Sectors	7,979	10,249	13,780	2,270 (21.4)	+3,531 (21.0)
II. Export Credit [Included under item I(2)]	3,146	3,917	6,142	+771	+2,225
III. Net Bank Credit (including FCs)	59,419	65,969	79,398	+6,550 (11.0)£	+13,429 (20.3)£

@Provisional. £Annual growth rates in percentages.

Note : (1) Data relate to 50 Scheduled Commercial Banks which account for about 95 per cent of bank credit. Further these gross bank credit data include bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM Bank and other approved financial institutions.

(2) Figures in round brackets are proportions to non-food incremental credit.

(3) Figures in square brackets are proportions to net bank credit (including FCs) given in Item III.

6.26 Bank credit to priority sectors recorded an expansion of Rs. 5,137 crores during 1988-89 and formed 30.5 per cent of total incremental non-food gross bank credit against 37.9 per cent in the previous year. As a percentage of net bank credit, priority sector advances constituted 43.1 per cent at the end of March 1989 as against the stipulation of 40.0 per cent. As at the end of March 1989, outstanding credit to agriculture stood at Rs. 13,948 crores, i.e., 17.6 per cent of net bank credit.

6.27 Advances to small-scale industries at Rs. 13,127 crores acounted for 38.4 per cent of total advances to priority sectors. Advances to other priority sectors which include weaker sections, small transport operators, small business, professionals and self-employed persons, etc., rose to Rs. 7,132 crores and formed 20.8 per cent of total priority sector advances in March 1989.

6.28 Gross bank credit to medium and large-scale industry increased by Rs. 7,005 crores (27.8 per cent) to Rs. 32,158 crores as compared with an increase of Rs. 3,797 crores (17.8 per cent) to Rs. 25,153 crores a year ago; excluding the petroleum sector, the rise was Rs. 7,138 crores (28.6 per cent) and Rs. 3,753 crores (11.7 per cent), respectively.

6.29 The industry-wise (inclusive of small-scale industry) distribution of gross bank credit is presented in Table 6.11. Industries which accounted for a major part of the growth in gross bank credit during 1988-89 were : engineering group (Rs. 1,908 crores), chemical group (Rs. 1,714 crores), other textiles (Rs. 590 crores), cotton textiles (Rs. 457 crores) and other metals and metal products (Rs. 423 crores). Declines were reported in respect of petroleum (Rs. 133 crores), coal (Rs 38 crores) and jute textiles (Rs. 24 crores).

6.30 Advances to wholesale trade (other than food procurement) recorded a substantial increase of Rs. 1,166 crores (32.4 per cent) during 1988-89 as compared with a smaller rise of Rs. 518 crores (16.8 per cent) during the same period of previous year.

6.31 Credit to 'other sectors' which mainly comprises of services like hotels|restaurants, co-operative banks, leasing companies, municipal corporations and personal|staff loans, showed a rise of Rs. 3,531 crores (34.4 per cent) as compared with an increase of Rs. 2,270 crores (28.4 per cent) last year.

Industrial Credit and Inventories

6.32 While reviewing the absorption of bank credit by the industrial sector, the behaviour of certain relevant financial ratios, as brought out by Reserve Bank's sample studies on company finances (Table 6.12), is noteworthy. These company finance data indicate that inventories as a percentage of sales declined in 1987-88 as compared with the levels of the previous two years. Short-term bank borrowings, as a percentage of inventories, showed some increases between 1985-86 and 1987-88. Besides, companies' reliance on net trade credit has always remained positive though in recent years there has occurred a slight reduction.

Table 6.11 : Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit @

(Rupees crores)

Industry	Outstanding as on			Variations (Financial Year)	
	March 27, 1987	March 25, 1988	March 24, 1989	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
Industry (Total of Small, Medium and Large Scale)	30,464	35,973	45,235	+5,509 (+18.1)	—9,312 (+25.9)
of which :					
1. Coal	160	248	210	+88	—38
2. Iron & Steel	1,601	1,824	2,242	+223	+418
3. Other Metals & Metal products	1,021	1,203	1,626	+182	+423
4. All Engineering	7,675	8,697	10,605	+1,022	+1,908
5. Electricity (Gen. & Trans.)	513	785	1,042	+272	+257
6. Cotton Textiles	2,419	2,752	3,209	+333	+457
7. Jute Textiles	292	305	281	+13	—24
8. Other Textiles	1,773	2,152	2,742	+379	+590
9. Sugar	541	640	667	+99	+27
10. Tea	381	411	524	+30	+113
11. Veg. Oils (including vanaspati)	378	440	599	+62	+159
12. Tobacco & Tobacco Products	224	235	297	+11	+62
13. Paper & Paper Products	768	854	1,139	+86	+285
14. Rubber & Rubber Products	501	557	748	+56	+191
15. Chemicals, Dyes and Paints	3,599	4,210	5,924	+611	+1,714
of which :					
Fertilisers	(844)	(913)	(1,013)	(+69)	(+100)
16. Cement	461	593	688	+42	+185
17. Leather & Leather Products	413	565	695	+152	+130
18. Construction	369	448	759	+79	+311
19. Petroleum	119	163	30	+44	—133
20. SAFAUNS*	282	231	191	—51	—40
21. Other Industries	6,974	8,750	11,067	+1,776	+2,317

@Provisional.

* Ships Acquired From Abroad Under New Scheme (SAFAUNS).

Note : Figures in square brackets are variations in percentages.

RBI Refinance

(i) Export Credit Refinance

6.33 Export credit refinance limits increased significantly from Rs. 1,913 crores during the fortnight ended July 1, 1988 to Rs. 4,346 crores during the fortnight ended June 30, 1989. The utilisation ratio fluctuated rather widely ranging between 3.4 per cent and 99.5 per cent during the period under review. When the base for calculating refinance was brought forward, the export refinance limits as a percentage of outstanding export credit declined from 48.3 per cent as on August 26, 1988 to 39.1 per cent by September 9, 1988 but again rose to 62.5 per cent as on June 30, 1989. During the second half of the financial year, the utilisation of export refinance is generally high. In 1988-89, however, the utilisation was as low as Rs. 144 crores as on December 2, 1988 (utilisation ratio of 7.1 per

cent), though with tightening money market conditions the utilisation rose to Rs. 2,874 crores as on March 24, 1989 (utilisation ratio of 95.7 per cent).

(ii) Stand-by Refinance

6.34 The scheduled commercial banks did not utilise the stand-by refinance facility between July and October 1988. The maximum limit of Rs. 150 crores sanctioned during November 1988 was fully utilised. Banks were again sanctioned stand-by refinance limits ranging between Rs. 29 crores and Rs. 125 crores from January 1989 to June 1989 which were utilised to a sizeable extent.

Table 6.12 : Ratio of Inventories to Sales and Bank Borrowings to Inventories

(Public Limited Companies in the Private Sector)

(In Percentage)

Period	No. of companies	Total inventories as % of sales	Raw materials and components as % of total inventories	Short-term bank borrowings as % of total inventories	Total bank borrowings as % of total inventories	Sundry creditors as % of sundry debtors	Debt-equity ratio	Debt-equity ratio (Adjusted for revaluation reserve)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Medium and Large Public Limited Companies								
1975-76	1720	30.7	30.0	49.0	53.5	124.0	45.1	—
1976-77	1720	27.4	30.3	51.7	56.9	115.1	46.8	—
1977-78	1720	26.8	30.2	51.8	57.4	119.3	48.7	—
1980-81	1651	27.5	32.1	43.6	51.0	129.4	62.8	—
1981-82	1651	27.5	31.3	42.2	50.1	129.4	71.3	—
1982-83	1651	27.7	29.1	41.0	50.4	125.8	82.9	—
Public Limited Companies (Small, Medium and Large)								
1982-83	1838	27.7	29.3	41.4	50.6	124.4	84.5	91.5
1983-84	1838	26.3	28.0	43.9	55.7	118.2	87.7	100.3
1984-85	1838	24.7	28.4	45.3	57.4	117.4	83.6	104.7
1983-84	1867	26.3	28.3	43.8	57.1	117.0	89.3	101.7
1984-85	1867	24.7	28.5	45.5	58.6	115.9	84.3	104.4
1985-86	1867	25.3	28.4	46.5	59.3	111.3	77.1	110.1
Large Public Limited Companies								
1975-76	415	30.4	31.9	47.2	51.1	119.2	45.3	—
1976-77	415	27.2	31.6	50.2	54.9	108.1	46.6	—
1977-78	415	26.3	32.2	50.3	55.1	112.0	48.2	—
1982-83	535	27.7	30.1	37.5	46.7	123.9	79.8	—
1983-84	535	25.8	30.0	40.0	52.1	114.3	82.5	—
1984-85	535	24.5	29.3	40.5	52.6	112.6	80.0	—
1985-86	621	25.8	29.2	40.0	51.7	110.4	74.3	103.7
1986-87	621	25.2	28.3	42.9	54.1	101.2	80.3	108.6
1987-88	621	24.5	28.9	42.0	52.9	102.6	83.5	111.8

(—) Not available.

(iii) Discretionary Refinance

6.35 The banks' limits under this facility without prior sanction, amounted to around Rs. 925 crores; but the availment was negligible upto the end of December 1988 (except for a few days in November 1988), reflecting their comfortable liquidity position. Effective February 17, 1989, the limits were reduced to Rs. 463 crores. When some banks experienced liquidity problems, they were sanctioned additional discretionary refinance limits during March-April 1989. The peak amount of additional discretionary refinance sanctioned amounted to Rs. 252 crores; these limits were provided after prior approval. During the period July 1988 to June 1989, the maximum utilisation of discretionary refinance facility was Rs. 616 crores on March 31, 1989 with a utilisation ratio of 83.2 per cent.

(iv) Refinance against '182 Days Treasury Bills'

6.36 The limits under the refinance facility against 182 Days Treasury Bills gradually increased from Rs. 125 crores as on July 1, 1988 to Rs. 304 crores as on September 23, 1988 and thereafter declined to Rs. 134 crores as on June 30, 1989. The established limits under this facility are in a sense notional in that dealings with DFHI are more attractive than utilising refinance under this facility and to the extent the banks obtain accommodation from DFHI the banks cannot draw refinance from the Reserve

Bank. As such, in the recent period, actual drawals under this facility have been very small.

(v) Overall Position of Refinance

6.37 The total refinance limits available under various facilities to scheduled commercial banks (excluding special refinance against shipping loans, duty draw-back, etc.) stood at Rs. 2,946 crores as on July 1, 1988, which were utilised only to the extent of Rs. 176 crores (6 per cent) as on that date. In the subsequent period, total refinance limits increased rather sharply, largely due to the rapid expansion in export credit refinance limits. The total refinance limits of scheduled commercial banks as on June 30, 1989 amounted to Rs. 4,974 crores; the utilisation as on that date amounted to Rs. 1,988 crores or 40 per cent of the limits sanctioned. On the whole, as indicated in Table 6.13, there was a jump in the level of utilisation during the quarter January-March 1989 following the liquidity problems experienced by banks during that period. The peak utilisation was Rs. 4,292 crores on May 27, 1989 and the utilisation ratio was 92.2 per cent.

Table 6.13 : RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks (excluding special refinance against shipping loans and duty drawback)

(Rupees crores)

As on the last reporting Friday of	Export Credit Refinance		Stand-by Refinance		Discretionary Refinance		182 Days Treasury Bill Refinance		Total Refinance		
	Limit	Outstanding	Limit	Outstanding	Limit	Outstanding	Limit	Outstanding	Limit	Outstanding	Peak level utilisation during the quarter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1988											
March	1,747.5	1,337.6	16.0	—	935.0	115.7	92.6	58.5	2,791.1	1,511.8	2,028.0 (March 3)
June	1,958.6	425.1	--	—	908.0	0.4	105.7	---	2,972.3	425.5	1,880.0 (May 24)
September	1,573.9	720.2	—	—	925.0	1.7	304.3	--	2,803.2	721.9	1,737.0 (July 7)
December	2,126.1	1,423.3	—	..	925.0	0.6	184.2	—	3,235.3	1,423.9	2,391.0 (Nov. 11)
1989											
March	3,002.1	2,873.8	74.0	54.0	462.5	365.0	53.2	21.2	3,591.8	3,314.0	3,314.0 (March 24)
June	4,345.8	1,987.8	9.0	--	484.5	—	134.3	---	4,973.6	1,987.8	4,292.1 (May 27)

Note : There has not been any utilisation under food refinance as outstanding food credit remained below the threshold level.

Credit Budgets

6.38 During the period under review, the creidt budgets of 57 scheduled commercial banks were examined. Credit budget discussions were held with the Chief Executive of 21 public sector banks and three foreign banks during May-August 1989. During the discussions, it was emphasised that banks' extension of credit in 1988-89 was significantly larger than the estimates set out in the revised credit budgets. Moreover, it was stressed that a number of banks over-extended themselves relative to their resource growth and this had caused liquidity problems for some banks. Banks were urged to ensure that reserve requirements were observed scrupulously as the costs of defaults were very high. It was also stressed that banks should not have a structural dependence on the money market and that any borrowings should not be bunched, on a product basis, into one or two days. It was reiterated to banks that they cannot lend in the money market if they have drawn any discretionary or stand-by refinance from the Reserve Bank. Banks were also advised to build up a sizeable portfolio of 182 Days Treasury Bills so as to bring about a better balance between maturity structure of banks' assets and liabilities. The banks were advised to gear themselves to the new money market instruments such as CDs and CPs and they were advised that the pricing of these instruments should be undertaken after due deliberation. Finally, it was stressed that the credit budget exercise could be meaningful only if the actual credit operations bore close resemblance to the credit budgets.

Developments in the Short-term Money Market

6.39 The year under review witnessed significant developments in the short-term money market. The measures relating to the development of the money market have lready been set out while reviewing the developments in credit policy. Some of the activities in the money market during the year are set out below :

(i) Discount and Finance House of India Ltd.

6.40 The Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI), which commenced its operations from April 25, 1988, has been set up as a specialised money market institution and its basic objective is to stimulate activity in the money market by providing liquidity to money market instruments. With its dealings in 182 Days Treasury Bills and rediscounting of commercial bills, DFHI has been playing a vital role in developing a secondary market in money market instruments.

6.41 The DFHI's holdings of 182 Days Treasury Bills and commercial bills in 1988-89 were small upto December 1988 but thereafter these escalated very sharply to around Rs. 382 crores of Treasury Bills and Rs. 628 crores of commercial bills at the end of March 1989. The holdings of these money market assets by DFHI were significantly lower by June 1989 (Table 6.14).

6.42 The endeavour of the DFHI has been to increase the turn-over of money market assets rather than becoming a mere repository of these assets. In consonance with this objective, the DFHI's cumulative turnover of 182 Days Treasury Bills in 1988-89 was Rs. 11,024 crores. As the monthly average outstandings of these Treasury Bills in the system in 1988-89 was Rs. 612 crores, this means that the DFHI was able to turnover the system's that the of Treasury Bills by 18 times. In 1989-90 (upto June 24), the DFHI's cumulative turnover in Treasury Bills was Rs. 5,029 crores.

Table 6.14 : DFHI's Holdings of 182 Days Treasury Bills and Commercial Bills

(Rupees crores)

As at the end of Month	182 Days Treasury Bills	Commercial Bills
1	2	3
1988-89		
April	10.34	—
May	0.25	0.02
June	1.31	0.02
July	73.50	—
August	69.25	—
September	50.00	—
October	30.25	—
November	30.75	8.00
December	159.50	8.00
January	94.80	1.50
February	292.50	85.50
March	381.80	627.79
1989-90		
April	165.97	133.00
May	256.01	231.85
June 24	27.56	113.80

6.43 The DFHI's cumulative turnover of commercial bills was a nominal Rs. 15 crores upto October 1988 but after the introduction of the derivative usance promissory note (discussed below), there was a significant step up in the DFHI's cumulative turnover and for the full year 1988-89 this amounted to Rs. 2,866 crores (Table 6.15); during the quarter April-June 1989 (upto June 24, 1989), the turnover was Rs. 3,958 crores.

Table 6.15 : DFHI's Cumulative Turnover in 18 Days Treasury Bills and Commercial Bills

(Rupees crores)

Period	182 Days Treasury Bills	Commercial Bills
1	2	3
1988-89		
April	22.52	0.48
May	189.81	1.76
June	568.37	1.76
July	1,362.50	1.78
August	2,246.15	2.24
September	3,064.00	13.24
October	3,684.05	15.24
November	4,519.65	674.24
December	5,254.50	770.24
January	6,614.10	880.74
February	8,432.00	1,242.74
March	11,024.24	2,865.64
1989-90		
April	2,429.23	2,038.39
May	4,075.80	3,099.44
June (upto 24th)	5,028.74	3,958.41

6.44 The DFHI was permitted to transact in the call money market from July 1988 and the DFHI's cumulative turnover was Rs. 20,362 crores in 1988-89 or about Rs. 82 crores per day. In 1989-90 upto July 1, 1989, the DFHI's cumulative turnover at Rs. 21,825 crores had already exceeded the turnover achieved in 1988-89.

6.45 The DFHI's turnover in money market assets during the quarter April-June 1989 was very large and it is clear that the DFHI's operations in the full year 1989-90 would show a significant step-up over 1988-89.

6.46 With a view to augmenting funds at the command of the DFHI so that it may play both a developmental as well as stabilising role in the money market, the Reserve Bank provided refinance limits against the collateral of 182 Days Treasury Bills and the holdings of eligible commercial bills of exchange. The refinance limit provided by the Reserve Bank to DFHI against 182 Days Treasury Bills was increased in stages from Rs. 50 crores in April 1988 to Rs. 400 crores in March 1989 (Table 6.16). The refinance limit provided by the Reserve Bank to DFHI against commercial bills was increased from Rs. 50 crores in September 1988 to Rs. 550 crores in March 1989. The peak level of refinance limits sanctioned to DFHI during the year aggregated Rs. 950 crores and the total utilisation against these limits amounted to Rs. 902 crores on April 3, 1989. Thus, apart from the sizeable increase in direct refinance from the Reserve Bank to the scheduled

commercial banks (Rs. 125 crores of stand-by and Rs. 252 crores of additional discretionary refinance) the Reserve Bank provided substantial resources to the banking system in the period March-April 1989 to ease the liquidity constraint faced by some banks during this period. The DFHI has also been authorised a line of credit of Rs. 100 crores from 28 public sector banks on a consortium basis at an interest rate of 12.0 per cent per annum, though this has yet to become operational.

6.47 The interest rates charged to the DFHI for refinance from the Reserve Bank were kept flexible. The interest rate on the Treasury Bill refinance facility was raised from 9.50 per cent in April 1988 to 11.00 per cent in March 1989, and thereafter it was once again reduced to 9.50 per cent in June 1989. The rate of interest for refinance against commercial bills was raised from 13.00 per cent in September 1988 to 15.25 per cent in March 1989 and thereafter reduced to 13.00 per cent in April 1989 (Table 6.17).

(ii) Re-discounting of Commercial Bills

6.48 Banks and financial institutions were encountering considerable difficulty in successive rounds of rediscounting of commercial bills. To facilitate such rediscounting of bills, certain procedural changes were worked out in September 1988 which significantly enhanced the liquidity of these bills and thereby facilitated the development of bill rediscounting as a money market instrument. Under the new procedure, banks can raise usance promissory notes in convenient lots and maturities on the strength of genuine trade bills discounted by their branches. Since these usance promissory notes would attract a second round of ad valorem stamp duty, which would be a serious

Table 6.16 : Reserve Bank Refinance to DFHI

(Rupees crores)

As on the last day of the month	Refinance against the Collaterals of 182 Days Treasury Bills			Refinance against Short-term Commercial Bills		
	Limit	Outstanding	Peak level Utilisation during the month	Limit	Outstanding	Peak level Utilisation during the month
1	2	3	4	5	6	7
1988						
April	50.00	—	—	—	—	—
May	50.00	—	—	—	—	—
June	50.00	—	—	—	—	—
July	50.00	50.00	50.00 (30-7-88)		-	—
August	50.00	—	-	—	—	—
September	50.00	—	—	50.00	—	-
October	50.00	—	30.18 (4-10-88)	50.00	-	—
November	100.00	—	90.00 (21-11-88)	50.00	-	—
December	100.00	-	—	50.00	—	—
1989						
January	100.00	-	52.67 (2-1-89)	50.00	—	—
February	250.00	250.00	250.00 (17-2-89)	100.00	26.32	73.39 (20-2-89)
March	400.00	343.62	380.70 (21-3-89)	550.00	534.27	534.27 (31-3-89)
April	250.00	150.27	361.62@ (3-4-89)	100.00	15.60	541.21 (4-4-89)
May	250.00	230.41	248.41 (27-5-89)	200.00	58.29	147.43 (29-5-89)
June	100.00		120.65 (8-6-89)	100.00		74.10 (5-6-89)

@ Limit as on 3-4-1989 : Rs. 400 crores.

* Limit as on 4-4-1989 : Rs. 550 crores.

Table 6.17 : Interest Rates for Reserve Bank Refinance to DFHI

Refinance against holdings of 182 Days Treasury Bills		Refinance against Commercial Bills	
Effective Date	Rate of Interest (per cent per annum)	Effective Date	Rate of Interest (per cent per annum)
1	2	3	4
April 23, 1988	9.50	September 30, 1988	13.00
November 18, 1988	9.60	February 20, 1989	13.50
February 8, 1989	9.80	March 8, 1989	14.25
February 17, 1989	10.00	March 15, 1989	15.25
March 15, 1989	10.50	April 11, 1989	15.00
March 20, 1989	11.00	April 12, 1989	14.50
April 11, 1989	10.25	April 19, 1989	14.00
June 3, 1989	10.00	April 27, 1989	13.00
June 6, 1989	9.75		
June 28, 1989	9.50		

deterrent to the development and promotion of bill culture, the Government of India remitted the stamp duty chargeable on such usance promissory notes raised by banks. The usance promissory note can be further rediscounted by endorsing and deliverng it to the next rediscounter. As a result of the introduction of the derivative usance promissory note, rediscounting of bills received a boost as is evident from the progressive step up in the transactions of the DFHI. With a view to enlarging the scope of the bills rediscounting market, a number of institutions were granted entry into the bill rediscounting market in 1988-89. The new institutions granted entry into this market were; Industrial Finance Corporation of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Housing Bank, Shipping Credit and Investment Company of India Ltd., Tourism Finance Corporation of India Ltd. and Export-Import Bank of India.

(iii) 182 Days Treasury Bills Auctions

6.49 The auctions of 182 Days Treasury Bills which were held monthly upto June 1988 were made on a fortnightly basis since July 13, 1988. The response to the auctions was encouraging during the first 5 months and gradually weakened during the period December 1988 —March 1989, reflecting the changing money market conditions. The cut-off annual yield of the accepted bids generally showed an increasing trend, barring at a few auctions and improved from 9.45 per cent in the auction held on July 13, 1988 to 9.75 per cent per annum in the auction held on June 27, 1989. The total face value of the bills outstanding as on June 29, 1989 amounted to Rs. 382.90 crores (Table 6.18). With regular fortnightly auctions, maturities that can be regarded almost as a continuum are now available in the market. As mentioned earlier, the DFHI has provided virtually total liquidity to the 182 Days Treasury Bills and hence the instrument is now truly a short-term money market instrument.

(iv) Freeing of the Call Money Rate

6.50 As referred to earlier, with effect from May 1, 1989, the Indian Banks' Association (IBA) withdrew the ceiling on the call money rate of 10.0 per cent per annum fixed in April 1980. The freeing of the call money rate initially resulted in extreme volatility in the interest rates in the call money market. In a reporting fortnight, the rates rose to a peak in the early part of the fortnight and eased towards the end of the reporting fortnight.

6.51 In the initial period after the freeing of the call money rates, the rates escalated to a range of 30—34 per cent by the later part of May 1989; thereafter, the rates subsided very rapidly to levels as low as 5 per cent. It is of interest to observe that in the initial period after the removal of the ceiling on May 1, 1989, the DFHI call money rates and those of banks were closely aligned upto May 9, 1989. Thereafter, as the banks' call money rates escalated to very high levels (upto May 26, 1989), the DFHI did not follow the rapid escalation of rates. Borrowers found it unremunerative to borrow at such high rates and alterantive sources of funds were available at lower rates; again, the underlying demand for funds eased as the banks entered the slack season. In this context, the banks call money rate declined from May 30, 1989 onwards and was once again in broad alignment with the DFHI's call money rate

Table 6.18 : 182 Days Government of India Treasury Bills

Date of Auction		Bids Tendered		Bids Accepted		Cut-off price for Rs.100 of face value	Cut-off yield (per cent per annum)	Total amount of Treasury Bills outstanding at the end of fortnight/month
		Number	Aggregate nominal amount (Rs. crores)	Number	Aggregate nominal amount (Rs. crores)			(Rs. crores)
1		2	3	4	5	6	7	8
1988								
July	13	25	126.50	12	68.50	95.49	9.45	378.75*
	27	15	122.00	5	74.00	95.50	9.42	421.60@
August	10	21	189.25	12	109.25	95.49	9.45	530.85*
	23	24	199.00	12	146.75	95.48	9.47	677.60@
September	7	16	145.25	5	68.00	95.48	9.47	745.60*
	21	14	126.50	8	72.50	95.47	9.49	805.10@

1		2	3	4	5	6	7	8
October	5	19	66.50	2	10.00	95.48	9.47	815.10*
	16	23	115.05	7	35.30	95.48	9.47	778.30@
November	2	19	155.25	7	82.25	95.48	9.47	860.55*
	16	14	60.05	10	27.05	95.47	9.49	797.35@
	30	10	248.00	8	238.00	95.47	9.49	1035.35*
December	14	11	26.00	5	10.50	95.47	9.49	942.10*
	28	8	28.00	6	20.00	95.47	9.49	962.10@
1989								
January	11	9	85.25	7	84.00	95.47	9.49	977.60*
	24	7	14.35	4	12.10	95.47	9.49	915.70@
February	8	12	25.25	12	25.25	94.45	9.53	831.70*
	22	8	14.65	8	14.65	95.42	9.60	699.60@
March	8	2	5.15	2	5.15	95.50	9.42	636.75*
	20	2	2.25	2	2.25	95.50	9.42	566.50@
April	4	4	21.00	4	21.00	95.42	9.60	577.50*
	19	9	69.00	9	69.00	95.41	9.62	611.20@
May	3	12	40.50	12	40.50	95.40	9.64	569.45*
	17	6	9.50	6	9.50	95.38	9.69	551.90@
	31	9	18.50	9	18.50	95.35	9.75	332.40*
June	14	11	16.25	6	8.50	95.35	9.75	330.40*
	27	23	79.00	16	72.50	95.35	9.75	382.90@

*Figure relates to end of the fortnight.

@Figure relates to end of the month.

(Table 6.19). Although the call money rates in the more recent period have tended to ease, the volatility continues, mainly due to uneven borrowing by certain banks. Prior to the freeing of the call money rate, although there was a ceiling on the rate, the rate was frequently breached through the means of package transactions.

Table 6.19 : Call Money Rates After Removal of the Ceiling Rate*

(Per cent per annum)

Date	DFHI Rates	Inter-Bank Market Rates
1	2	3
4-5-1989	10.25—11.00	10.25—11.00
5-5-1787(RF)	7.50— 8.00	7.50— 8.00
6-5-1989	12.25—12.50	12.50—14.00
9-5-1989	12.25—12.50	12.25—12.50
10-5-1989	12.25—13.25	13.50—14.50
11-5-1989	12.25—13.25	14.00—15.00
12-5-1989	12.25—13.75	15.00—16.50
13-5-1989	13.75	16.50—18.00
15-5-1989	13.75	18.00
16-5-1989	12.50—14.00	18.00—21.00
17-5-1989	12.50—14.50	15.50—21.00
18-5-1989	12.50—15.50	30.00
19-5-1989(RF)	15.50—16.00	14.00—30.00
22-5-1989	16.50—17.00	23.00
23-5-1989	17.00	20.00—30.00
24-5-1989	17.00	30.00—34.00
25-5-1989	17.50	30.00—34.00
26-5-1989	17.50	30.00—34.00
27-5-1989	17.50	22.00—32.00
29-5-1989	18.00	25.00
30-5-1989	15.50—17.50	14.00—27.00
31-5-1989	11.00—15.00	10.00—13.00
1-6-1989	8.00—9.00	7.00—9.00
2-6-1989 (RF)	5.00	4.00—5.00
3-6-1989	15.50—16.00	15.50—16.00
5-6-1989	15.50—16.00	16.00—18.00
6-6-1989	13.50—16.00	12.50—16.00
7-6-1989	11.50—13.00	11.50—12.50
8-6-1989	11.75—12.00	11.50—12.00
10-6-1989	11.75—12.00	11.00—12.00
12-6-1989	11.25—11.50	10.50—11.50
13-6-1989	10.75	9.50—10.50
14-6-1989	9.00—9.25	9.00—9.25
15-6-1989	8.00—8.50	8.00—8.50
16-6-1989 (RF)	8.00	6.00—8.00
17-6-1989	11.75—12.00	11.00—12.00
12-6-1989	11.50—11.75	11.50—12.00
20-6-1989	11.25	11.25
21-6-1989	10.50	10.00—11.00
22-6-1989	9.50—9.75	9.50—9.75
23-6-1989	9.75—10.00	9.75—10.00
24-6-1989	9.75—10.00	9.75—10.00
26-6-1989	9.50	10.00
27-6-1989	9.75—10.00	9.50—10.00
28-6-1989	9.50—10.00	9.25—10.00
29-6-1989	8.00	5.00—8.00

* Lending Rates.

RF— Reporting Friday.

7. Review of the Price Situation

7.1 Although the overall rate of price rise during the fiscal year 1988-89 was moderated as compared with the previous year, the underlying situation was one of latent inflation which was a cause for concern not only in the year under review but also in the next year. The overall supply situation remained undre strain until the arrival of the Kharif harvest in 1988-89 but there was no commensurate let up in the pressure on the general price level even after the arrival of the bumper crop. What is more, the strong pressure on prices has persisted into the first quarter of 1989-90. While this was partly attributable to certain increases in prices of administered commodities railway freight, and excise levies imposed in the

1989-90 Central Budget, the increase was significant for some commodities despite the strong recovery in agricultural output.

7.2 On an average basis, the rate of increase in the Wholesale Price Index (WPI) during 1988-89 was only slightly lower than in the previous year. Again, the price increases on a point-to-point basis in goods of common consumption continued to be very high. In some cases like milk and milk products, other food articles including tea and the sugar group the increases were even higher than in the previous year. Prices of pulses registered a sharp increase on top of a steep rise in the previous year. The prices rose markedly in contrast to the decline in the previous year. As a result, the increases in consumer price indices—whether on a point-to-point basis or on an average basis—were close to the increases in the previous year. The inflation rates during the past two years would probably have been higher but for the large draw-down of foodgrains stocks and the import of certain commodities.

7.3 The rise in the index of wholesale prices (base : 1970-71 = 100), which had doubled from 5.3 per cent in 1986-87 to 10.6 per cent in 1987-88 when the country had experienced a major drought, slowed down to 6.7 per cent in 1988-89 following a sharp recovery in agricultural production and continuation of the wide-ranging supply and demand management policies. On an average basis, the rise in the wholesale price index at 7.3 per cent was only marginally lower as compared with the rise of 7.6 per cent in 1987-88.

7.4 The consumer price index for industrial workers (with new base : 1982 = 100 from October 1988)* increased by 8.6 per cent on a point-to-point basis in 1988-89 as compared with a rise of 9.8 per cent in 1987-88. On an average basis, the rise at 9.1 per cent in the CPI during the year was the same as that in the previous year.

Group-wise Trends

7.5 Group-wise, on a point-to-point basis, wholesale prices of all the three major groups, viz., 'Primary Articles'. 'Fuel, Power, Light and Lubricants' and 'Manufactured Products', decelerated in 1988-89. The deceleration was particularly pronounced in the case of 'Primary Articles'—from 13.2 per cent in 1987-88 to 4.7 per cent in 1988-89—which reflected the favourable impact of the sharp recovery in agricultural production on prices of some articles in this commodity group. The 'Manufactured Products' and 'Fuels' groups experienced lower increases of 8.7 per cent and 5.2 per cent, respectively, in 1988-89 as compared with the corresponding increases of 9.8 per cent and 6.4 per cent in 1987-88 (Table 7.1).

*A new series of consumer price index numbers for industrial workers with 1982 = 100 as the base has been introduced by the Labour Bureau, Government of India, from October 1988. The all-Indian index on base 1960 = 100 can be estimated by multiplying the new index by the linking factor of 4.93.

Table 7.1 : Index Numbers of Wholesale Prices of Major Commodity Groups

(Base : 1970-71 = 100)

Major Groups	Weight	Wholesale Price Indices					Variations in Per Cent			
							Fiscal Year		First Quarter	
		End-March 1987	End-March 1988	End-March 1989	End-June 1988	End-June 1989 P	1987-88	1988-89	1988-89 (Col. 6 over Col. 4)	1989-90 (Col.7 over Col. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
All Commodities	1000.00	378.2	418.4	446.3	428.0	462.8	+10.6	+6.7	+2.3	+3.7
Primary Articles	416.67	347.0	392.8	411.3	401.8	424.7	+13.2	+4.7	+2.3	+3.3
Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	626.2	666.0	700.8	669.1	707.5	+6.4	+5.2	+0.5	+1.0
Manufactured Products	498.74	362.3	397.7	432.3	408.9	453.2	+9.8	+8.7	+2.8	+4.8

P = Provisional.

Phase-wise Behaviour

7.6 Data on phase-wise behaviour of prices during 1988-89 (Table 7.2) show that in the first phase, between end-March and end-August, the price rise was less than half of that in the corresponding period of 1987-88. In the second phase, between end-August and end-November, when a decline in prices is usually witnessed, there was a marginal rise, in contrast to a small decline in 1987-88. Within this second three-month phase, there was a contra-seasonal rise of nearly 0.8 per cent in October 1988 alone. Thereafter, in the third phase between end-November and end-March there was a rise in prices though somewhat lower as compared with that in 1987-88.

Table 7.2 : Three Phases of Variations in Wholesale Price Index

(Base : 1970-71=100)

Items	Phase I: End-March to End-August		Phase II: End-August to End-November		Phase III: End-November to End-March	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7
All Commodities	+9.1	+4.4	—0.9	+0.2	+2.3	+2.0
Primary Articles	+13.8	+5.3	—1.6	+2.0	+1.1	—2.5
Fuel, Power, Light and Lubricants	+1.3	+0.7	+0.3	+0.2	+4.7	+4.3
Manufactured Products	+7.6	+4.7	—0.6	—1.3	+2.6	+5.2

7.7 There was a deviation from the usual seasonal pattern in the case of the 'Primary Articles' group. During the second phase, there was a contra-seasonal rise of 2.0 per cent as against a decline of 1.6 per cent even in the drought year of 1987-88. It is pertinent to note that owing to widespread floods in Punjab and Haryana in September and October 1988, procurement and market arrivals of paddy in the northern grain belt were affected; this development appears to have induced, to some extent, inflationary expectations. In the third phase, there was a fall of 2.5 per cent in the prices of 'Primary Articles' as against a rise of 1.1 per cent in the comparable period of the previous year. In the case of the 'Manufactured Products' group, the seasonal trends were consistent with those noticed in earlier years; the price rise in this group in the third phase was double of that in the previous year.

Commodity-wise Variations

7.8 A commodity-wise analysis of price trends on a point-to-point basis is presented in Table 7.3. The price increase in the 'Primary Articles' group was significantly lower in 1988-89 as compared with that in the previous year. In this group, the price rise of 8.7 per cent in cereals was much lower than the sharp

Table 7.3 : Variations in Index Numbers of Wholesale Prices

(Base : 1970-71=100)

(Point-to-point)

Major Groups/Groups/Sub Groups/Commodities	Weight	Percentage variations during: Financial Year		First Quarters	
		1987-88	1988-89	1988-89 (April-June)	1989-90 (April-June)
1	2	3	4	5	6
All commodities	1000.00	10.6	6.7	2.3	3.7
I. Primary Articles	416.67	13.2	4.7	2.3	3.3
Food Articles	297.99	11.0	8.9	3.6	4.2
(a) Cereals	107.43	16.1	8.7	0.9	—0.3
(i) Rice	51.31	13.5	7.2	5.2	2.0*
(ii) Wheat	34.17	15.9	11.4	—6.6	—14.1*
(b) Pulses	21.79	32.1	20.4	13.7	4.7
(c) Fruits and Vegetables	61.32	4.3	—1.0	—2.3	11.2
(d) Milk and Milk Products	61.50	9.6	12.3	4.6	2.9
(e) Other Food Articles	16.04	—7.4	31.2	14.2	7.6
(i) Tea	11.49	—10.6	50.8	15.3	6.8*
Non-food Articles	106.21	22.9	—6.7	—0.8	1.0
(a) Fibres	31.73	29.5	2.6	—0.1	1.9
(i) Raw Cotton	22.46	35.3	—7.9	—0.8	—2.4*
(b) Oilseeds	42.01	27.0	—23.2	—0.2	3.8
Minerals	12.47	1.7	4.5	0.3	0.4
Petroleum, Crude and Natural Gas	6.02	—	—	—	—
II. Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	6.4	5.2	0.5	1.0
Coal	10.39	17.6	13.1	..	..*
Mineral Oils	49.12	3.2	0.5	0.3	0.5
Electricity	24.00	7.4	10.6	1.2	2.4

1	2	3	4	5	6
III. Manufactured Products	498.74	9.8	8.7	2.8	4.8
Sugar, Khandsari & Gur	72.41	7.2	18.6	16.8	19.3
(i) Sugar	21.91	4.6	7.5	7.5	9.0*
(ii) Gur	45.58	8.0	21.1	20.3	18.2*
(iii) Khandsari	0.92	7.9	9.7	16.4	19.9*
Edible Oils	37.16	11.1	15.3	4.0	8.7
Cotton Textiles	81.02	9.7	8.1	0.6	3.0
Cement	7.03	1.5	5.4	10.1	6.8*
Chemicals and Chemical Products	55.48	9.0	4.3	0.2	0.3
Iron, Steel and Ferro Alloys	34.73	15.9	9.2	0.5	1.3

* Upto May 20, 1989.

rise of 16.1 per cent in 1987-88. Within the cereals group, the rise in prices of rice was only a little over one-half of that in the previous year, owing to higher production and procurement. The rise in wheat prices although lower than the marked rise in the previous year, was still significant despite higher output because of shortfall in procurement as a result of higher open market prices. In the case of pulses, prices rose by 20.4 per cent on top of the very sharp rise of 32.1 per cent in the previous year as availabilities were lower than the increased demand. The increase in the import duty on pulses from 10 per cent to 35 per cent in October 1988 also contributed to the higher prices. The price rise in pulses would have been even higher but for the import of 8.3 lakh tonnes of pulses. Raw cotton and oilseeds prices declined sharply in contrast to the steep increases in 1987-88. Prices of milk and milk products which had increased by 9.6 per cent in 1987-88 rose further by 12.3 per cent in 1988-89. Tea prices rose by 50.8 per cent in 1988-89 in contrast to the decline of 10.6 per cent in 1987-88. Under the 'Manufactured Products's group, edible oil prices which had risen by 11.1 per cent in 1987-88 declined by 15.3 per cent in 1988-89 maily as a result of the decline in oilseeds prices. Prices of sugar, khandsari and gur rose sharply by 18.6 per cent as against the rise of 7.2 per cent in 1987-88. Prices of khandsari and gur continued to rule high during the greater part of the year because of lower production of these two commodities.

7.9 The 'Fuels' group which had witnessed a price rise of 6.4 per cent in 1987-88, recorded a further rise of 5.2 per cent in 1988-89 mainly as a result of the increase in administered prices of coal and enhancement of electricity tariffs.

Weighted Contribution

7.10 The measure of weighted contribution to the average increase in the general index of wholesale prices (Table 7.4) indicates that 'Primary Articles' with a weight of 42.0 per cent in the general index contributed 40.0 per cent to the price rise in 1988-89 as compared with 49.7 per cent in 1987-88. The reduced contribution is essentially attributable to only a few major commodity groups like oilseeds and fibres; to some extent, milk and its products and eggs, fish and meat have also helped in reducing the contribution of the 'Primary Articles' group. Contributions of sub-groups like cereals and pulses have, however, markedly increased. The group 'Fuel, Power, Light and Lubricants' with a weight of 8.0 per cent made a higher contribution of 10.0 per cent as compared with 6.7 per cent in 1987-88. The 'Manufactured Products' group with a weight of about 50.0 per cent in the general index made a higher contribution of 49.9 per cent to the price rise as against 43.6 per cent in 1987-88. Within this group, iron, steel and ferro-alloys dominated with a significantly high contribution of 9.9 per cent in 1988-89 as compared with 2.9 per cent in the previous year, followed by sugar, khandsari and gur (9.1 per cent in contrast to a negative contribution of 2.1 per cent), and a few other manufactures prices also made large contributions.

Table 7.4 : Weighted Contribution of Commodity Groups to the increase in the General Index of Wholesale Prices

(Base : 1970-71 = 100)

(Per cent)

		(Point-to-point basis)		(Average basis)	
	Weight	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
Price rise in the General Index (per cent)		10.6	6.7	7.6	7.3
Commodity Groups			Weighted Contribution		
All Commodities	1000.00	100.0	100.0	100.0	100.0
I. Primary Articles	416.67	47.5	27.6	49.7	40.0
1. Cereals	107.43	11.8	10.7	8.5	12.3
2. Pulses	21.79	7.1	8.6	6.6	12.9
3. Fruits & Vegetables	61.32	2.8	−0.9	2.1	2.2
4. Milk & its Products	61.50	4.6	9.2	8.1	6.6
5. Eggs, Fish & Meat	18.97	—	1.8	2.6	1.6

1	2	3	4	5	6
6. Condiments and spices	10.94	2.6	0.4	2.7	3.8
7. Other food articles	16.04	—1.1	6.4	—0.7	1.5
8. Oilseeds	42.01	9.8	—15.4	14.3	—6.7
9. Fibres	31.73	5.6	0.9	10.2	2.1
II. Fuel, Power, Light and Lubricants	84.59	8.4	10.6	6.7	10.0
10. Coal mining	11.47	3.3	4.3	1.3	4.2
11. Mineral Oils	49.12	2.4	0.5	0.8	2.9
12. Electricity	24.00	2.6	5.8	4.7	2.9
III. Manufactured Products	498.74	43.9	61.9	43.6	49.9
13. Sugar, Khandsari and Gur	72.41	4.6	18.1	—2.1	9.1
14. Edible oils	37.16	4.2	—9.2	12.2	—6.0
15. Cotton textiles	81.02	5.3	7.0	7.0	5.3
16. Silk, art silk & synthetic textiles	12.83	1.5	3.6	2.2	3.3
17. Jute, hemp and mesta textiles	12.14	1.3	2.9	1.1	2.7
18. Non-ferrous metals & alloys	11.78	1.7	6.5	2.6	3.9
19. Metal Products	13.23	2.0	4.3	1.4	3.5
20. Iron, steel & ferro alloys	34.73	7.5	7.2	2.9	9.9

7.11 The increase in the general price level during first quarter (April—June) of 1989-90 at 3.7 per cent was higher than that of 2.3 per cent recorded in the comparable quarter of 1988-89*. Sharp rises in prices were recorded during the quarter in fruits and vegetables, tea, sugar group, edible oils and cement. During April—June 1989, all the three major commodity groups registered larger price rises as compared with those in the previous corresponding quarter. The 'Primary Articles' group rose by 3.3 per cent as against 2.3 per cent in the comparable quarter of the previous year. The rise in 'Fuels' group was double that in the comparable quarter of 1988-89 due to hikes in electricity tariff. The 'Manufactured Products' group recorded an increase of 4.8 per cent in contrast to a rise of 2.8 per cent in the comparable quarter of the previous year. The acceleration in prices of manufactured products may be attributable to the hike in administered prices of critical inputs, viz., coal, iron and steel, and non-ferrous metals and a sharp rise in prices of the sugar group.

Changes in Administered Prices

7.12 Apart from the policies relating to the management of aggregate demand and supply, specific commodity prices are controlled and modulated from time to time, with a view to meeting specific objectives. These product groups fall into two broad categories, viz., essential commodities of agricultural origin and products serving as basic inputs to industry.

(i) Agricultural Prices

7.13 The price policy in respect of agricultural commodities has the twin objectives of ensuring remunerative prices to farmers and at the same time, of making supplies available to consumers at reasonable prices. During the marketing year 1988-89, the Government announced a series of price increases for agricultural commodities. The major changes in the procurement|minimum support prices of some of the commodities are set out in Table 7.5. In the case of cereals, pulses, oilseeds and cotton, the increases in procurement|minimum support prices (in percentage terms) were significantly higher in 1988-89 as compared with the previous year. The increase in the minimum support prices in the case of cotton and raw jute was, however, lower than that in the previous year.

Table 7.5 : Minimum Support/Procurement Prices

(Rupees per quintal)

Agricultural Commodities	1987-88		1988-89		Percentage Increase		1989-90		Percentage Increase	
	Procurement Price	Minimum Support Price	Procurement Price	Minimum Support Price	Procurement Price	Minimum Support Price	Procurement Price	Minimum Support Price	Procurement Price	Minimum Support Price
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Paddy										
Average variety	150		160		+6.7		175		+9.4	
Fine	154		170		+10.4		185		+8.8	
Superfine	158		180		+13.9		195		+8.3	
Wheat	166		173		+4.2		183		+5.8	
Jowar, bajra, maize and ragi (Fair average quality)	135		145		+7.4		155		+6.9	

*The new series of wholesale price index numbers with base : 1981-82=100 was introduced from July, 1989 by the Govt. of India.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Barley		135		135		—		145		+7.4
Gram		280		290		+3.6		325		+12.1
Arhar, moong, urad		325		360		+10.8		400		+11.1
Oilseeds										
Groundnut-in-shells		390		430		+10.3		470		+9.3
Mustard		415		430		+3.6		460		+7.0
Sunflower		390		450		+15.4		500		+11.1
Soyabean (yellow)		300		320		+6.7		350		+9.4
Soyabean (black)		260		275		+5.8		305		+10.9
Sugarcane@		18.5		19.5		+5.4		20		+2.6
Cotton (Fair average quality)		440		500		+13.6				
Kapas (Hybrid-4)		550		600		+9.1				
Raw Jute@ (W-5 Grade Ex-Assam)		240		250		+4.2		280*		+12.0
VFC Tobacco (F-2) @Black Soil		1125		1175		+4.4				

@ Statutory Minimum Price.

* Refers to T.D.-5 variety.

7.14 For the 1989-90 marketing season, procurement prices for the average variety of paddy and wheat have been stepped up and the rates of increases have been higher than those in the previous season. Procurement prices for coarse cereals and fine and superfine varieties of paddy have also been increased on top of the large increases effected in the previous season. Significant increases have also been made in the minimum support price of pulses and oilseeds. Amongst oilseeds, support prices of groundnuts and sunflower, which had been substantially raised in the 1988-89 season, have been raised further.

(ii) Industrial Prices

7.15 Administered prices of industrial products are usually adjusted in line with changes in costs or, in some cases, to restrain consumption. Such changes are also occasionally made to raise resources for meeting investment needs.

7.16 During 1988-89, the administered prices of certain commodities in the industrial product groups like 'petroleum products', 'coal mining', 'electricity', 'iron, steel and ferro-alloys', and 'non-ferrous metals and alloys' were raised. The weighted contribution of these product groups with a weight of 13.1 per cent in the general index of wholesale prices, on an average basis, was 23.8 per cent in 1988-89 as compared with 12.3 per cent in 1987-88.

7.17 Major revisions effected in industrial prices during 1988-89 were : coal (13.7 per cent); pig iron and steel (8.0 per cent on an average); cement levy price (12.0 per cent); and aluminium (17.5 per cent). Besides, the increases in railway freight by as much as 12.7 per cent in the 1989-90 Railway Budget and the 5 per cent excise duty surcharge on a wide-ranging set of commodities in the Centre's Budget for 1989-90, would have significant implications for prices.

Trends in Consumer Price Indices

7.18 The rate of price rise on a point-to-point basis in the consumer price index (CPI) for industrial workers during 1988-89 was 8.6 per cent which was 1.2 percentage points lower than that recorded in 1987-88. The rate of increase in the CPI on an average basis at 9.1 per cent was the same as that recorded in the previous year (Table 7.6). On a point-to-point basis, the 'food' price index* in the CPI of industrial workers rose by 8.1 per cent in 1988-89 on top of an increase of 10.2 per cent in 1987-88. On an average basis, the rise in the 'food' index was 9.4 per cent as compared with 9.6 per cent last year.

7.19 The CPI for urban non-manual employees (base : 1984-85 = 100) rose by 7.0 per cent in 1988-89 on a point-to-point basis and 8.2 per cent on an average basis as compared with 10.3 per cent and 8.9 per cent, respectively, in 1987-88. The CPI for agricultural labourers (base . 1960-61 = 100), however, registered a sharper increases of 12.7 per cent on an average basis during 1988-89 than in the previous year (9.9 per cent); this index has, on a number of occasions, shown sharply differing trends from the

* The food index for industrial workers on base : 1960 = 100 can be estimated by multiplying the food index with base : 1982 = 100 by the linking factor of 4.98.

CPI for industrial workers and urban non-manual employees and the reasons for such large differences need further examination befoe any definitive conclusions can be drawn on the basis of these data.

Table 7.6: Annual Rates of Price Increases as Reflected in Different Price Indices

(Based on Annual Averages)

(Percentage Increases)

Year	WPI	CPI for industrial workers	CPI for Urban non-manual employees	CPI for Agricultural labourers	Indices for Food Items: Composite Food Index of WPI (Weight : 43.1*%)	Indices for Food Items: Food Index of CPI (Weight: 60.9%)
1	2	3	4	5	6	7
1981-82	+9.8	+12.4	+12.1	+12.4	+6.5	+13.6
1982-83	+2.6	+7.7	+8.0	+5.1	+0.7	+6.7
1983-84	+9.5	+12.7	+10.0	+11.4	+13.7	+14.4
1984-85	+7.1	+6.4	+8.2	+0.3	+6.0	+4.5
1985-86	+5.7	+6.4	+6.7	+4.8	+7.0	+5.1
1986-87	+5.3	+8.8	+7.9	+4.7	+7.8	+9.7
1987-88	+7.6	+9.1	+8.9	+9.9	+8.2	+9.6
1988-89	+7.3	+9.1	+8.2	+12.7	+8.0	+9.4

7.20 During the first quarter of 1989-90 (April-June), the CPI for industrial workers increased, on a point-to-point basis, by 2.4 per cent as compared with 3.9 per cent in the corresponding quarter of the previous financial year. On an average basis also, the rise of 7.7 per cent during the quarter was lower than that of 9.8 per cent in the comparable quarter of the previous year.

Differences in Trends in WPI and CPI

7.21 A feature observed in the price behaviour since the beginning of the 1980's has been the higher rate of increase in the consumer price index for industrial workers (CPI) than that in the wholesale price index in almost every year. This feature was also observed in 1988-89. Converting both the indices to a common base, namely, 1980-81 = 100, the extent of the widening disparity is brought out in Graphs D, E, and F; these depict the behaviour of general indices (Graph D), indices of food groups on an annual average basis (Graph E) and general indices on a monthly basis for the past two years, 1987-88 and 1988-89 (Graph F). As the CPI has grown at a faster rate than WPI during the 1980's the graph indicates that the CPI curve has always remained above the WPI curve and over a period the disparity has grown. This was ture even in 1988-89, when month-wise indices are depicted as in Graph F, it is found that the spread between the two indices for all the 12 months of 1988-89 is higher than the spread for the corresponding 12 months of 1987-88.

7.22 The above disparity may be explained by a number of structural dissimilarities as between WPI and CPI. These dissimilarities relate to many aspects of price index number construction : weighting diagrams, coverage of commodities and items, obvious exclusion of capital goods from CPI and of services from WPI, their geographical coverage, and their base levels. For CPI the weights are based on the consumption expenditure of the working class population and are derived from family budget surveys conducted in selected industrial centres while those for WPI are based on the value of marketable surplus in the primary sector and value added by manufacture in the secondary sector in the country as a whole. The structural differences at the macro-level between the two series are also present in their 'food' group indices. The 'food' group has a weight of 43.1 per cent in WPI as against 60.9 per cent in CPI (1960 series); and within the 'food' group, cereals have a weight of only 10.7 per cent in WPI as compared with 45.5 per cent in CPI. Apart from these, transport and handling costs and trade margins also seem to have grown at a faster pace over the years. On the whole, the 'eighties have seen a relatively greater pressure on the commodities of common consumption and hence CPI which has a higher weightage for such commodities has necessarily shown larger percentage increases.

8. GOVERNMENT FINANCES

Centre's Overall Deficit

8.1 The overall deficit of the Central Government for the year 1988-89, according to the Revised Estimates (RE), was placed at Rs. 7,940 crores (2.0 per cent of GDP at current market prices) which was slightly higher than the Budget Estimates (BE) of Rs. 7,484 corers. The overall deficit in 1988-89 as per Revised Estimates would amount to 11.3 per cent of aggregate recepits in 1988-89 as compared with 9.5 per cent in 1987-88.

8.2 The buoyancy in Central Government tax revenues observed in 1987-88 showed further acceleration in 1988-89. Expenditure—both Plan and non-Plan—however, continued to rise, outpacing the

the growth in revenues. According to the Revised Estimates for 1988-89, the Centre's revenue receipts increased by 0.8 per cent while revenue expenditure was higher by 2.8 per cent over the Budget Estimates for 1988-89. As a result, the deficit on revenue account widened from Rs. 9,842 crores to Rs. 11,030 crores. The deterioration under the revenue account was, however, partly offset by an improvement of Rs. 732 crores under the capital account and hence the overall budget deficit for 1988-89 was estimated to have increased by Rs. 456 crores as per the Revised Estimates.

8.3 The net RBI credit to the Central Government, which the Central Budget has been setting out as a memorandum item to provide a measure of the monetary impact of the Central Government's fiscal operations, was placed at Rs. 8,200 crores as per the Revised Estimates for 1988-89. Subsequent data based on the closure of Government accounts as per the Reserve Bank books indicate a significantly lower final out-turn in 1988-89 both in regard to the budgetary deficit and net RBI credit to the Central Government; the relevant figures are Rs. 5,810 crores (against Rs. 7,940 crores in the Revised Estimates) for the budgetary deficit and Rs. 6,503 crores (against Rs. 8,200 crores indicated in the Revised Estimates) for net RBI credit to the Central Government.

8.4 A feature of the operations of government accounts has been that the budgetary deficit figures rule way above the budgeted or even the Revised Estimates almost throughout the year but drop drastically towards the last week of the year on closure of Government accounts, to a level well below the figures originally envisaged (Table 8.1). Likewise, the figures of net RBI credit to the Central Government rule far above that originally envisaged for most part of the second-half of each of the years before dropping to lower levels in the last week of the financial year. Table 8.1 presents fortnightly movements in the Centre's budget deficit and in net RBI credit to the Central Government during the past three years, i.e., 1986-87 to 1988-89; the tabular data also attempt a comparison of their fortnightly levels with the budgetary anticipations and with the annual and quarterly averages of the actual out-turn in each of the three years.

Table 8.1 : Fortnightly Levels of the Centre's Budget Deficit and Net RBI Credit to Central Government@
(1986-87 to 1988-89)

(Rupees crores)

	Centre's Budget Deficit			Net RBI Credit to the Centre		
	1986-87	1987-88	1988-89	1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7
Budget Estimates	3,703	5,688	7,484	*	5,688	7,484
Fortnight (Actuals)						
1st	2,172	2,807	2,401	538	2,857	2,036
2	3,160	4,128	3,782	—994	3,388	3,508
3	5,188	5,343	4,976	1,837	3,888	4,378
4	6,035	4,401	5,539	4,024	3,217	5,001
5	7,212	6,475	6,134	3,026	4,807	4,180
6	7,298	6,144	7,525	2,952	5,088	6,976
7	7,614	7,136	8,667	4,212	4,689	8,582
8	6,198	5,699	9,469	4,037	4,283	9,035
9	6,670	5,536	8,515	3,064	3,768	7,344
10	7,008	6,778	9,300	4,353	4,377	8,331
11	6,785	6,382	8,332	2,532	3,239	7,029
12	7,483	7,446	9,897	2,555	4,979	7,355
13	5,766	7,519	8,831	2,107	4,597	6,723
14	6,876	5,825	9,438	3,393	3,560	7,253
15	6,869	5,873	9,249	2,747	4,250	7,474
16	7,639	7,180	9,079	4,557	5,187	6,424
17	7,669	7,022	9,422	5,361	5,755	8,081
18	9,321	8,965	10,308	6,241	6,173	7,875
19	8,462	8,025	10,154	5,265	6,628	9,065
20	9,538	7,445	8,546	5,508	6,622	8,060
21	8,997	8,283	9,172	7,440	7,553	9,673
22	8,963	8,200	9,134	6,943	7,313	9,334
23	9,762	9,740	10,187	7,403	8,170	9,965
24	11,277	8,334	9,437	7,624	7,496	9,742
25	11,142	8,834	8,597	8,417	8,023	9,228
26th	8,873	7,953	7,184	7,433	7,123	8,175
March 31	8,506	5,870	5,810	7,091	6,559	6,503

@Based on RBI records.
*Not Estimated.

1	2	3	4	5	6	7
Quarterly Averages						
First Quarter	5,178	4,883	5,060	1,897	3,874	4,347
Second Quarter	6,789	6,642	9,001	3,266	4,262	7,771
Third Quarter	7,806	7,148	9,457	4,594	5,259	7,747
Fourth Quarter	9,632	8,082	8,503	7,232	7,395	8,947
Fourth Quarter excluding March 31	9,793	8,398	8,952	7,253	7,514	9,354
Financial Year Average	7,499	6,790	8,114	4,432	5,326	7,309
Financial Year Average excluding March 31	7,461	6,826	8,203	4,330	5,278	7,340

Note : As per budgetary data, Centre's deficits were Rs. 8,261 crores in 1986-87 and Rs.5,816 crores in 1987-88.

8.5 The Centre's budgetary deficit in 1987-88 was 53.6 per cent higher than in 1986-87 and again in 1988-89, 31.6 per cent higher than in 1987-88 as per the Budget Estimates. In the fortnightly movements, the peak level of budgetary deficit was about Rs. 2,824 crores (or 38 per cent) higher than the budgeted figure in 1988-89 and about Rs. 4,052 crores (or 71 per cent) higher in 1987-88. In both the years, the quarterly averages of the actual deficit, as per the Reserve Bank records, stayed invariably higher than the original budgetary estimates in the final three quarters of both the years 1987-88 and 1988-89 (the year 1986-87 being an extreme case when it stayed above the budget in all the four quarters). Graphs G, H, I, J and K portray these features of the actuals being above the original budget estimates for major parts of the years.

8.6 The Central Budget for 1989-90 anticipates a reduced deficit of Rs. 7,337 crores at revised rates of taxation. However, significantly, in the current year 1989-90, the actual deficit has exceeded the budgeted amount as early as June 2, 1989 (Table 8.2).

Table 8.2 : Budget Deficit and Net RBI Credit to Central Government : Actuals during the First Quarter of 1989-90 and 1988-89

(Rupees crores)

	1989-90		1988-89*	
	Budget Deficit	Net RBI Credit to Central Government	Budget Deficit	Net RBI Credit to Central Government
1	2	3	4	5
Budget Estimates	7,337	7,337	7,484	7,484
As on April 7, 1989	1,170	2,011	2,401	2,036
As on April 21, 1989	3,497	3,722	3,782	3,508
As on May 5, 1989	6,045	5,461	4,976	4,378
As on May 19, 1989	6,176	6,392	5,539	5,001
As on June 2, 1989	8,565	7,675	6,134	4,180
As on June 16, 1989	9,508	7,784	7,525	6,976
As on June 30, 1989	9,824	7,858	8,657	8,582

* Data relate to fortnights corresponding to those in 1989-90.

8.7 Since the actual deficits run above the budget almost throughout the year, they have serious implications for liquidity growth.

The Union Budget,1989-90*

8.8 The Central Government Budget for 1989-90 set before itself a multiple set of objectives; promotion of productive employment, restraint on non-essential luxury consumption, stimulation of savings, stepping up the tempo of industrial modernisation and growth, prudent management of public expenditure, and containment of the budgetary deficit. The Budget contains measures to reverse the trend in the rising revenue deficit through mobilisation of resources and cotainment of expenditure. The Budget proposals are expected to bring an additional net revenue of Rs. 903 crores to the Centre in 1989-90, the highest amount raised in any single year in the 'eighties. As a result, the revenue deficit which had been showing a rising trend since 1981-82 has been estimated to come down to Rs. 7,012 crores from Rs. 11,030 crores in 1988-89 and Rs. 9,137 crores in 1987-88. The capital account which had shown a surplus of Rs. 3,090 crores in 1988-89, is estimated to show a dificit of Rs. 325 crores in 1989-90. The other highlights of the Budget for 1989-90 are: imposition of a surcharge of 8 per cent on personal and corporate incomes exceeding Rs. 50,000 to finance a new intensive rural employment programme called Jawahar Rozgar Yojana; introduction by the National Housing Bank of a 'Home Loan Accounts

* Unless specified otherwise, all references to 1989-90 relate to the Budget Estimates and those to 1988-89 relate to the Revised Estimates.

Scheme' in order to promote savings for acquisition of houses; formulation of a new deposit scheme in which the retiring Central and State Government employees may invest the whole or part of their retirement benefits; and the proposal to introduce a new scheme, viz,. Equity-linked Saving Scheme, through the Unit Trust of India (UTI), to direct the flow of savings into the capital market. A new series of National Savings Certificates (NSC) has been introduced replacing the earlier VI and VII series of NSC.

8.9 At 1988-89 rates of taxation, the overall deficit of the Central Government is estimated at Rs. 8,240 crores for 1989-90. The Budget contains new proposals for revision in taxes and duties which would fetch additional revenue of Rs. 1,595 crores. Net of concessions|reliefs amounting to Rs. 308 crores, the tax proposals are estimated to yield Rs. 1,287 crores. After providing for Rs. 384 crores as States' share, the net revenue accruing to the Centre would amount to Rs. 903 crores. After taking into account the additional revenue from new proposals, the aggregate receipts for 1989-90 are estimated at Rs. 77,188 crores while aggregate disbursements are placed at Rs. 84,525 crores, leaving an uncovered gap of Rs. 7,337 crores (or 9.5 per cent of aggregate receipts) as compared with a deficit of Rs. 7,940 crores (or 11.3 per cent of aggregate receipts) in 1988-89 (Revised Estimates) (Table 8.3). The post-budget tax concessions relating to excise and customs duties would, however, widen the deficit by Rs. 123.2 crores, which is expected to be made good by better collection. The deficit in revenue account in 1989-90 is estimated at Rs. 7,012 crores as compared with that of Rs. 11,030 crores in 1988-89. A large part of the improvement in the revenue deficit is attributable to the transfer of Rs. 2,300 crores from deposits of Oil Coordination Committee (OCC) to the Revenue Account (which are presently lodged in Public Account) and an increase of about Rs. 500 crores in revenue receipts due to revision in the rate of excise duty on indigenous crude oil.

Table 8.3 : Budgetary Deficit, Market Loans and RBI Support to Market Loans to the Central Government

(Fiscal Years 1987-88 to 1989-90)

(Rupees crores)

Items	1987-88 (Accounts)	1988-89 (Budget Estimates)	1988-89 (Revised Estimates)	1989-90(1) (Budget (Estimates)
1	2	3	4	5
1. Revenue Account				
(a) Receipts (2)	38,992	44,994	45,336	54,994
(b) Expenditure(2)	48,129	54,836	56,366	62,006
(c) Surplus (+)/Deficit(—)	—9,137	—9,842	—11,030	—7,012
2. Capital Account				
(a) Receipts	22,026	23,278	24,708	22,194
(b) Disbursements	18,705	20,920	21,618	22,159
(c) Surplus(+)/Deficit(—)	+3,321	+2,358	+3,090	—325
3. Total Receipts (1(a)+2(a))	61,018	68,272	70,044	77,188
4. Total Expenditure (1(b)+2(b))	66,834	75,756	77,984	84,525
5. Overall Surplus (+)/Deficit(—)	—5,816	—7,484	—7,940	—7,337
6. (5) as per cent of (3)	9.5	11.0	11.3	9.5
7. Gross Market Loans	6,684	7,475	7,725	8,039
8. (7) as per cent of (3)	11.0	10.9	11.0	10.4
9. Increase (+)/Decrease(—) in RBI holdings of Dated Rupee Securities(3)	+368.4	+1,935.8	+1,935.8(5)	
10. Increase (+)/Decrease (—) in net RBI credit to Central Government(4)	+6,559	+6,503 (+7,484)	+6,503 (+8,200)	(+7,337)

(1) Include effects of Budget proposals but exclude post-budget tax concessions.

(2) Include commercial departments.

(3) On book value basis, according to the RBI records.

(4) As per RBI accounts; figures in the brackets are as per the Union Budget.

(5) As per book value; if valuation changes are not taken into account, the figure would be higher by Rs. 309.8 crores (to stand at Rs. 2,245.6 crores).

Centre's Plan Outlay

10.8 The budget for 1989-90 provides for an aggregate Central Plan outlay of Rs. 34,446 crores representing a step-up of 20 per cent over the budgeted outlay for 1988-89. Over the revised outlay, it would, however, be higher by only 14.2 per cent. Inclusive of the budgeted Plan outlay for 1980-90, the total outlay for the Seventh Plan period at 1984-85 prices would be 115 per cent of the original outlay

for the Central sector in the Seventh Plan if movements in the wholesale price index are used for measuring the outlay in real terms. The use of the CSO's implicit deflator for the public sector's gross capital formation suggests that the actual outlay for the five years would be close to the original Plan outlay in real terms.

8.11 The Central Plan outlay would be financed to the extent of Rs. 16,964 crores or 49.2 per cent through budgetary support and the balance of Rs. 17,482 crores or 50.8 per cent by internal and extra-budgetary resources of Public Sector Enterprises (PSEs). The budgetary support would be marginally higher by 1.2 per cent over the Revised Estimates for 1988-89. The contribution of PSEs is slated to go up by 30.5 per cent over the 1988-89 level. The higher contribution of PSEs in the Central Plan outlay follows the expected increase in internal resources of PSEs, which are expected to rise from Rs. 7,181 crores in 1988-89 to Rs. 11,299 crores in 1989-90, showing an increase of Rs. 4,118 crores or by 57.3 per cent. The major enterprises which are expected to record higher increases in their internal resources include the Railways, SAIL, ONGC, NTPC and Coal India Limited. The rise in the internal resources of PSEs is attributable to the increases in administered prices of some commodities like steel and coal effected in December 1988 and the revision in freight rates effected in the Railway Budget for 1989-90. In addition to the anticipated improvement in internal resources, the PSEs are expected to raise resources through flotation of bonds amounting to Rs. 3,115 crores, i.e. Rs. 639 crores or 25.8 per cent higher than those in 1988-89.

Trends in Developmental Expenditure

8.12 The aggregate disbursements of the Central Government for 1989-90 are placed at Rs. 84,525 crores, showing a rise of Rs. 6,541 crores (8.4 per cent) over 1988-89. The developmental expenditure at Rs. 44,560 crores is expected to rise by Rs. 2,223 crores or by 5.3 per cent, while the non-developmental expenditure at Rs. 39,965 crores would show a rise of Rs. 4,318 crores, or by 12.1 per cent, over 1988-89. As a result, the proportion of developmental expenditure in aggregate disbursements of the Central Government would decline from 54.3 per cent in 1988-89 to 52.7 per cent in 1989-90; earlier it was at 59.6 per cent in 1984-85 and has been falling gradually since then (Table 8.4). This is a disquieting aspect of the fiscal operations in recent years.

Growth of Non-Plan Expenditure

8.13 Non-plan expenditure for 1989-90 is estimated at Rs. 54,347 crores (net of receipts from commercial departments), showing an increase of Rs. 5,470 crores (11.2 per cent) over 1988-89, while plan expenditure at Rs. 27,814 crores would show a rise of 3.4 per cent over 1988-89*. Under the non-plan expenditure, about 60 per cent of the rise is on account of two items, viz., increases in interest payments (Rs. 2,850 crores) and subsidies on fertilisers (Rs. 401 crores). The total outgo on interest payments during 1989-90 is estimated at Rs. 17,000 crores as compared with Rs. 14,150 crores in 1988-89, and its share in total non-plan expenditure would go upto 31 per cent from 29 per cent in the previous year. Even the net interest payments, i.e., interest payments less interest receipts at Rs. 8,959 crores would be higher by 27.9 per cent over those of Rs. 7,003 crores in 1988-89. The ratio of net interest payments to Centre's tax receipts would go up from 21.4 per cent in 1988-89 to 23.3 per cent in 1989-90. The expenditure on total subsidies is estimated at Rs. 8,454 crores showing a rise of Rs. 664 crores (8.5 per cent) over 1988-89. Amongst these, subsidies for export promotion and export market development assistance are expected to increase from

Table 8.4 : Developmental and Non-Developmental Expenditures of Centre and States

(Rupees crores)

Year	Centres			States				Centre and States (Combined)			
	Developmental Expenditure	Non. Developmental Expenditure	Total@	Developmental Expenditure	Non-Developmental Expenditure	Others*	Total	Developmental Expenditure	Non-Developmental Expenditure	Others££	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1980-81	13,932	10,245	24,177	15,961	4,289	2,520	22,770	25,845	11,977	1,338	39,160
	(57.6)	(42.4)	(100.0)	(70.1)	(18.8)	(11.1)	(100.0)	(66.0)	(30.6)	(3.4)	(100.0)
1981-82	16,084	10,331	26,415	17,960	4,996	2,615	25,571	28,796	13,609	2,074	44,479
	(60.9)	(39.1)	(100.0)	(70.2)	(19.6)	(10.2)	(100.0)	(64.7)	(30.6)	(4.7)	(100.0)
1982-83	19,557	12,673	32,230	20,649	5,883	2,565	29,097	33,643	16,473	1,941	52,057
	(60.7)	(39.3)	(100.0)	(71.0)	(20.2)	(8.8)	(100.0)	(64.6)	(31.7)	(3.7)	(100.0)
1983-84	22,207	15,564	37,771	23,972	6,882	2,814	33,668	38,352	19,936	1,701	59,989
	(58.8)	(41.2)	(100.0)	(71.2)	(20.4)	(8.4)	(100.0)	(63.9)	(33.3)	(2.8)	(100.0)
1984-85	27,375	18,525	45,900	27,958	8,340	3,448	39,746	46,265	23,390	1,999	71,654
	(59.6)	(40.4)	(100.0)	(70.3)	(21.0)	(8.7)	(100.0)	(64.6)	(32.6)	(2.8)	(100.0)
1985-86	29,979	20,927	50,906	31,733	9,617	3,519	44,869	55,032	27,332	2,106	84,470
	(58.9)	(41.1)	(100.0)	(70.7)	(21.4)	(7.9)	(100.0)	(65.1)	(32.4)	(2.5)	(100.0)

* These do not add up to the total expenditure given earlier as figures of commercial departments are excluded here.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1986-87	35,498	26,050	61,558	36,827	11,220	4,149	52,196	64,441	33,682	3,479	101,602
	(57.7)	(42.3)	(100.0)	(70.6)	(21.5)	(7.9)	(100.0)	(63.4)	(33.2)	(3.4)	(100.0)
1987-88£	36,573	30,261	66,834	42,141	13,754	4,104	59,999	69,087	39,460	2,614	1,11,161
	(54.7)	(45.3)	(100.0)	(70.2)	(22.9)	(6.9)	(100.0)	(62.2)	(35.5)	(2.3)	(100.0)
1988-89£	42,337	35,647	77,984	47,343	16,423	4,183	67,949	79,873	46,586	2,772	1,29,231
(R.E.)	(54.3)	(45.7)	(100.0)	(69.7)	(24.1)	(6.2)	(100.0)	(61.8)	(36.0)	(2.2)	(100.0)
1989-90£	44,560	39,965	84,525	49,473	21,787	4,456	75,716	83,170	55,069	2,943	1,41,182
(B.E.)	(52.7)	(47.3)	(100.0)	(65.3)	(28.8)	(5.9)	(100.0)	(58.9)	(39.0)	(2.1)	(100.0)

@Exclude discharge of internal and external debt.

£Data relate to 25 States.

££Comprise discharge of internal debt, compensation and assignment to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions appropriation for contingency funds, net remittances of the State Governments and are adjusted for differences in the figures of repayments of loans by the State Governments to the Central Government given in their respective budgets.

*Comprise discharge of internal debt, repayment of loans to the Centre, appropriation for contingency fund and remittances (net), compensation and assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions.

Note : (i) Figures in brackets represent percentages to respective total expenditure; (ii) Figures for the Centre and State do not add up to the combined position due to inter-Governmental adjustments.

Rs. 1,391 crores (or 2.8 per cent) of non-plan expenditure in 1988-89 to Rs. 1,621 crores (or 3.0 per cent) in 1989-90. Defence expenditure would be marginally lower at Rs. 13,000 crores against Rs. 13,200 crores (R.E.) in 1988-89. The three major components of non-plan expenditure, viz., interest payments, defence and major subsidies would account for Rs. 37,472 crores or 68.9 per cent of the total non-plan expenditure as compared with Rs. 34,191 crores or 70 per cent in 1988-89; these components pre-empted about 105 per cent of the Centre's net tax revenue during 1988-89 and are expected to consume about 98 per cent in 1989-90.

Budget Proposals and Revenue Trends

8.14 Two conspicuous features of the Budget proposals for 1989-90 are : mobilisation of resources through a new surcharge on high-income resident tax-payers specifically linked to financing an intensive rural employment programme, and the levy of expenditure tax as well as indirect taxes to discourage non-essential luxury consumption with high import content and to tap resources from the relatively affluent sections of society.

8.15 As regards the direct tax proposals, the drought surcharge of 10 per cent on wealth tax and of 5 per cent on personal and corporate incomes exceeding Rs. 50,000 imposed in 1987-88 has been withdrawn from the assessment years 1989-90 and 1990-91, respectively. A new surcharge at the rate of 8 per cent on resident tax-payers with incomes exceeding Rs. 50,000 has been introduced with effect from assessment year 1990-91 with a view to mobilising resources to finance a new intensive rural employment programme called Jawahar Rozgar Yojana. The new proposal is expected to bring an additional revenue of Rs. 500 crores in a full year (Rs. 255 cores from corporation tax and Rs. 245 crores from personal income-tax). The present tax structure for personal and corporate incomes has been kept unchanged, except that the rate of tax for individuals in the initial slab of Rs. 18,000 Rs. 25000 has been reduced from 25 per cent to 20 per cent. With a view to curbing conspicuous consumption, the rate of expenditure tax (under the Expenditure-tax Act, 1987) has been raised from 10 per cent to 20 per cent. This would yield an additional revenue of Rs. 30 crores in a full year. Under indirect taxes, the tax proposals have been so designed as to ensure that the burden would fall largely on relatively affluent sections and that the goods of mass consumption are exempt from the new levies. Under excise duty the rates of duty in respect of a substantial number of commodities attracting specific rates have been raised by 5 per cent. Items of mass consumption such as sugar, tea, coffee, petroleum products, vegetable oils and vanaspati have been kept outside the purview of this adjustment. The increase in the excise duty rates outlined above along with some other revisions are likely to generate gross revenue of Rs. 863 crores, while the excise concessions and reliefs would result in a revenue loss of Rs. 71 crores. The budget proposals for the revision of the Customs duties are expected to yield revenue of Rs. 117 crores in 1989-90, while reliefs in duties on the imports of machinery and electric and electronic goods and on project imports would result in an erosion of revenue amounting to Rs. 237 crores. As a result, there would be a net loss of Rs. 120 crores under Customs revenue. The Budget has also levied a new tax called inland air travel tax at 10 per cent of the basic fare. The new tax is expected to yield additional revenue of Rs. 40 crores during the financial year 1989-90. The foreign travel tax which is at present charged at Rs. 50 on passengers travelling to neighbouring countries and at Rs. 100 to other countries per ticket would be raised to Rs. 150 and Rs. 300, respectively. This measure is expected to yield additional revenue of Rs. 45 crores in 1989-90.

8.16 As a result of these measures, the gross tax collections by the Centre are estimated to go up by 17.3 per cent from Rs. 43,321 crores in 1988-89 to Rs. 50,825 crores in 1989-90 (Table 8.5). Despite the special surcharge on high-income groups, the share of direct taxes in gross tax collections by the Centre would decline thus reinforcing a feature of the fiscal system noticed since the middle of the 1970's direct taxes which constituted 19.7 per cent of total gross tax receipts of the Centre in 1984-85 are expected to fall to 18.1 per cent in 1989-90.

Table 8.5 : Direct and Indirect Tax Revenues of the Centre and States

(Rupees crores)

Year	Centre (gross)			States+			Combined		
	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2,907	10,242	13,149	686	5,929	6,615	3,593	16,171	19,764
(a)	22.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	18.2	81.8	100.0
(b)	2.1	7.6	9.7	0.5	4.4	4.9	2.7	11.9	14.6
1984-85	4,626	18,802	23,428	1,230	11,108	12,338	5,856	29,910	35,766
(a)	19.7	80.3	100.0	10.0	90.0	100.00	16.4	83.6	100.0
(b)	2.0	8.2	10.2	0.6	4.8	5.4	2.5	13.0	15.5
1985-86	5,563	23,109	28,672	1,401	12,919	14,320	6,964	36,028	42,992
(a)	19.4	80.6	100.0	9.8	90.2	100.0	16.2	83.8	100.0
(b)	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4
1986-87	6,234	26,559	32,793	1,685	14,934	16,619	7,919	41,493	49,412
(a)	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0
(b)	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	14.1	16.8
1987-88£	6,751	30,861	37,612	1,960	17,438	19,398	8,711	48,299	57,010
(a)	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0
(b)	2.1	9.3	11.4	0.6	5.3	5.9	2.6	14.6	17.3
1988-89£	8,100	35,221	43,321	2,271	19,792	22,063	10,371	55,013	65,384
(R.E.)(a)	18.7	81.3	100.0	10.3	89.7	100.0	15.9	84.1	100.0
(b)	2.1	9.0	11.1	0.6	5.1	5.7	2.7	14 1	16.7
1989-90£	9,198	41,627	50,825	2,531	22,348	24,879	11,729	63,975	75,704
(B.E.)(a)	18.1	81.9	100.0	10 2	89.8	100.0	15.5	84.5	100.0
(b)	2.1	9.6	11.7	0.6	5.1	5.7	2.7	14.8	17.5

£ Data relate to 25 States.

+Excluding States, share in Central taxes as reported in Central budget documents.

Note : (a) Represents percentages to total tax revenue; and

(b) Indicates tax to GDP ratio in percentages.

Dissavings by the Central Government

8.17 The persistent and sharp rise in Central Government expenditure has resulted in a steep decline in gross capital formation and savings of the Government Administration. The rate of increase in gross capital formation out of budgetary resources in recent years has generally shown a deceleration. It fell from 22.4 per cent in 1985-86 to 6.0 per cent in 1987-88. However, the rate of increase rose to 15.0 per cent in 1988-89. The proportion of gross capital formation out of budgetary resources to total expenditure also declined to 36.1 per cent in 1988-89, from 36.6 per cent in 1987-88. This ratio was at 40.4 per cent in 1985-86. Gross savings of the Central Government also showed further deceleration in 1988-89. The dissavings in 1988-89 were estimated to be Rs. 6,093 crores or about 1.6 per cent of GDP as compared with dissavings of Rs. 4,294 crores or 1.3 per cent of GDP in 1987-88. The deterioration in the Central Government savings performance was mainly due to sharp increases in the dissavings of Government Administration. The dissavings of Government Administration in 1988-89 at Rs. 8,602 crores or 2.2 per cent of GDP were higher than Rs. 6,092 crores or 1.8 per cent of GDP in the previous year. This does not take into account the need for the provision of consumption of fixed capital owned by administrative departments, which the CSO has now begun to take into account in its estimation of domestic saving and capital formation.

State Budgets : 1989-90

8.18 At 1988-89 rates of taxation, the combined budgetary position of States reveals an overall deficit of Rs. 1,337 crores in 1989-90 as compared with a deficit of Rs. 862 crores in the Revised Estimates of 1988-89 and a surplus of Rs. 234 crores in 1987-88 (Accounts). In order to cover the gap, twelve States have proposed Additional Resource Mobilisation (ARM) measures which are expected to bring an additional revenue of Rs. 446 crores in 1989-90 as compared with Rs. 636 crores proposed by 14 States in 1988-89. In addition to their own ARM efforts, States are expected to receive an amount of Rs. 384 crores as their share in Centre's additional taxation in 1989-90. As a result, States' deficit would come down to Rs. 507 crores in 1989-90. States are hopeful of covering the gap through additional revenue from the proposed consignment tax, buoyancy in tax collections and by effecting economy in expenditure during the course of the year. The overall budgetary operation of States reveals that the revenue deficit would show a sharp deterioration from Rs. 2,069 crores in 1988-89 to Rs. 3,454 crores in 1989-90. The revenue deficit would be only partly offset by an improvement in the capital account, its surplus rising from Rs. 1,207 crores in 1988-89 to Rs. 2,947 crores in 1989-90.

8.19 States' aggregate receipts at revised rates of taxation, are estimated to rise by 12.1 per cent to Rs. 75,201 crores in 1989-90 as compared with the growth of 11.4 per cent in 1988-89. Aggregate disbursements estimated at Rs. 75,716 crores in 1989-90 would be higher by 11.4 per cent as compared with the 13.3 per cent rise recorded in 1988-89. Total developmental expenditure of States is budgeted to go up by 4.5 per cent to Rs. 49,473 crores in 1989-90 as compared with the increase of 12.3 per cent in 1988-89 (Table 8.4). On the other hand, non-developmental expenditure of States would increase by 33 per cent to Rs. 21,787 crores in 1989-90 as against the growth of 19.4 per cent in 1988-89. As a result, the share of developmental expenditure in the aggregate disbursements would come down from 69.7 per cent in 1988-89 to 65.3 per cent in 1989-90. **The share of non-developmental expenditure** would go up from 24.1 per cent in 1988-89 to 28.8 per cent in 1989-90.

Consolidated Budgetary Position : Centre and States

8.20 Data relating to the combined financial position of the Central and State Governments are set out in Table 8.6. During 1989-90, the combined budgetary position of the Centre and 25 States, at the revised rates of taxation shows a deficit of Rs. 7,844 crores as compared with a deficit of Rs. 8,802 crores in 1988-89.

8.21 Aggregate receipts of the Centre and States in 1989-90 are budgeted to touch a level of Rs. 1,33,338 crores showing a rise of 10.7 per cent over those in 1988-89. While revenue receipts (at Rs. 95,141 crores) would rise by 16.6 per cent, capital receipts (at Rs. 38,197 crores) are expected to decline in 1989-90 from the levels of 1988-89. Tax receipts are estimated to improve by 15.8 per cent, with direct tax receipts rising by 13.1 per cent and indirect taxes by 16.3 per cent (Table 8.6).

Table 8.6 : Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments

(Fiscal Years 1987-88 to 1989-90)

(Rupees crores)

Item	1987-88 (Accounts)	1988-89 (Budget Estimates)	1988-89 (Revised Estimates)	1989-90* (Budget (Estimates)	Percentage variation of Col.4 over Col. 2	Percentage variation of Col.5 over Col. 4
1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts (A+B)	1,05,579	1,14,934	1,20,429	1,33,338	+14.1	+10.7
(A) Revenue Receipts	70,878	79,732	81,576	95,141	+15.1	+16.6
Of which :						
Tax Receipts (a+b)	57,010	64,158	65,384	75,704	+14.7	+15.8
(a) Direct Txes	8,711	9,996	10,371	11,729	+19.1	+13.1
(b) Indirect Taxes	48,299	54,162	55,013	63,975	+13.9	+16.3
(B) Capital Receipts	34,701	35,202	38,853	38,197	+12.0	-1.7
II. Total Disbursements (A+B+C)	1,11,161	1,23,082	1,29,231	1,41,182	+16.3	+ 9.2
(A) Developmental Expenditure (a+b+c)	69,087	74,160	79,873	83,170	+15.6	+ 4.1
(a) Revenue	45,131	47,706	52,231	54,834	+15.7	+ 5.0
(b) Capital	12,479	13,743	13,953	14,533	+11.8	+ 4.1
(c) Loans and Advances	11,477	12,711	13,689	13,803	+19.3	+ 0.8
(B) Non-Developmental Expenditure (a+b+c)	39,460	46,967	46,586	55,069	+18.1	+18.2
(a) Revenue	35,660	42,145	41,933	50,204	+17.6	+19.7
(b) Capital	3,392	4,278	4,137	4,445	+22.0	+ 7.4
(c) Loans and Advances	408	544	516	420	+26.5	—18.6
(C) Others	2,614	1,955	2,772	2,943	+ 6.0	+ 6.2
III. Overall Surplus(+)/Deficit(—)	— 5,582	—8,148	—8,802	—7,844	+57.7	—10.9

* Include effects of Budget proposals and exclude post-budget tax concessions.

Note : 1. Data relate to 25 States' Budgets.

2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and Panchayati Raj Institutions, appropriation to contingency funds and net remittances and are adjusted for difference in figures of repayments of loans by State Governments to the Central Government given in their respective budgets.

3. Data in respect of Governments of Assam, Karnataka, Kerala, Nagaland, Punjab, Rajasthan and West Bengal are from vote-on account expenditure budgets.

8.22 Aggregate disbursements of the Centre and States in 1989-90, budgeted at Rs. 1,41,182 crores, would be higher by 9.2 per cent over those in 1988-89. Developmental expenditure estimated at Rs. 83,170 crores would show a rise of Rs. 3,297 crores (4.1 per cent), while non-developmental expenditure at Rs. 55,069 crores would show a rise of Rs. 8,483 crores (18.2 per cent) over 1988-89. The share of developmental expenditure in total expenditure which steadily fell from 65.1 per cent in 1985-86 to 61.8 per cent in 1988-89, is expected to decline further to 58.9 per cent in 1989-90 (Table 8.4).

Market Borrowings+

8.23 During 1988-89, the Central Government entered the market five times and borrowed a gross amount of Rs. 7,725 crores; after providing for repayment of Rs. 475 crores of maturing loans, the net market borrowings amounted to Rs. 7,250 crores which were higher by Rs. 250 crores (3.6 per cent) than those in 1987-88 (Table 8.7). The gross market borrowings of Rs. 7,725 crores comprise cash subscription of Rs. 7,376 crores and conversion of Rs. 349 crores of maturing loans. The Central Government's market borrowigs, both gross and net, during 1988-89 were higher by Rs. 250 crores than the budget estimates.

Table 8.7 : Market Borrowings of Central and State Governments, Local Authorities and Institutions sponsored by Central and State Governments—1987-88 and 1988-89 (Fiscal Years)*

(Rupees crores)

Government/Authority	Gross Market Borrowings		Repayments (Total Maturities)		Net Market Borrowings	
	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6	7
1. Central Government	7,821	7,725	821	475	7,000	7,250
2. State Governments	1,790	2,285	284	283	1,506	2,002
3. Total Government Borrowing (1+2)	9.611	10,010	1.105	758	8,506	9,252
4. Institutions sponsored by Central Government	1,932	2,244	249	309	1.683	1.935
5. Institutions sponsored by State Governments (including Local Authorities+)	1,213	1,420	325	376	888	1,044
6. Total Institutions, Borrowings (4+5)	3,145	3,664	574	685	2.571	2,979
7. Aggregate Market Borrowings (3+6)	12,756	13,674	1,679	1,443	11,077	12,231

* Actuals as per RBI records.

8.24 Gross market borrowings of the State Governments during 1988-89 amounted to Rs. 2,285 crores, of which, Rs. 2,258 crores were received in cash subscription and the balance of Rs. 27 crores by way of conversion. The net market borrowings of States, after providing for maturing loans of Rs. 283 crores, amounted to Rs. 2,002 crores showing an increase of Rs. 496 crores (32.9 per cent) over 1987-88.

8.25 Gross market borrowings during 1988-89 by the local authorities and the institutions sponsored by the Central and State Governments were placed at Rs. 3,664 crores. After providing Rs. 685 crores for repayment of maturing loans, the net market borrowings of these institutions at Rs. 2,979 croes were higher by Rs. 408 crores (15.9 per cent) over the previous year.

8.26 The aggregate net market borrowings (comprising market borrowings of Centre, States, Local authorities and institutions sponsored by Central and State Governments) were placed at Rs. 12,231 cores during 1988-89 showing in increase of Rs. 1,154 crores (10.4 per cent) over the previous year.

8.27 The Budget of the Central Government for 1989-90 assumes a credit of Rs. 8,039 crores for gross market borrowings. After providing for Rs. 639 crores for repayment of maturing loans, the net market borrowings are estimated at Rs. 7,400 crores which would be higher by Rs. 150 crores (2.1 per cent) over 1988-89.

Coupon Rates on Central Government Loans

8.28 The structure of coupon rates on Central Government loans of varying maturities in 1988-89 was the same as that in 1987-88 i.e. 11.5 per cent for a maturity of 20 years, 11 per cent for 15 years and 10.5 per cent for 10 years. In addition to these maturities, the Central Government also issued two loans for a maturity of 5 years and 8 years at interest rates of 10 per cent and 10.3 per cent, respectively.

Reserve Bank Support to Central Loans

8.29 The Reserve Bank's initial subscription to Central Government loans during 1988-89 amounted to Rs. 2,513 crores or 32.5 per cent of the total loans floated during the year as compared with the initial subscription of Rs. 2,200 crores (28.1 per cent of the total) in 1987-88. The Reserve Bank's holding of Central Government securities increased by Rs. 1,935.8 crores in 1988-89 as against a rise of Rs. 368.4 crores in 1987-88.

Internal Debt and Other Liabilities

8.30 In addition to the market borrowings, the Centre and States also mobilised resources through

+ Data are actuals as per RBI records.

other instruments such as small savings and provident funds including special deposits of non-Government provident funds. Taking into account the resources so mobilised, the net addition to the outstanding internal debt and other liabilities of the Centre and States in 1988-89 amounted to Rs. 34,045 crores or 8.7 per cent of GDP as against Rs. 29,460 crores or 8.9 per cent of GDP in 1987-88.

Bonds of Public Sector Undertakings

8.31 A number of central public sector undertakings have also raised resources through issue of [illegible] the domestic market and commercial bor- bonds in [illegible] financing their developmental pro- rowings abroad for [illegible] 1989-90, it is estimated grammes. In the budget for [illegible] would raise that these public sector undertakings [illegible] do- Rs. 3,115 crores through issue of bonds in [illegible] mestic market and Rs. 1,112 crores through external commercial borrowings compared to Rs. 2,476 crores and Rs. 1,056 crores, respectively, raised in 1988-89.

Ways and Means Advances to State Governments

8.32 The Reserve Bank provides Ways and Means Advances (WMA) to States to tide over the temporary imbalance in cash flow. Since March 1, 1988, the total normal WMA limits available to 23 States has been Rs. 744.8 crores. In addition, States are also given special WMA limits of Rs. 266 crores against the pledging of Government of India securities. The aggregate WMA limits available to 23 States now stand at Rs. 1,010.8 crores.

8.33 During the year 1988-89, no State was in overdraft position beyond the prescribed limit of 7 consecutive working days and hence all State Governments complied with the Overdraft Regulation Scheme.

Saving Instruments

8.34 Some of the important changes relating to the existing saving instruments and introduction of new instruments are discussed below ·

(i) Post Office Monthly Income Scheme

8.35 The Post Office Monthly Income Account Scheme was introduced from August 15, 1987. Details of the Scheme were mentioned in last year's Report. The limits under this scheme have been raised and presently, the limits are Rs. 2 lakhs for a single account and Rs. 4 lakhs for a joint account.

(ii) National Savings Certificates—VIII Issue

8.36 As a part of the process of rationalisation of tax incentives on various savings instruments, the existing National Savings Certificates (NSC)-VI and VII Issues have been discontinued with effect from April 1, 1989. A new series of National Savings Certificates-VIII Issue has been introduced from May 8, 1989. Investments in the new series of NSCs would enjoy tax concessions under Section 80 C and the tax concession under Section 80-I of the Income-tax Act would not be available for this instrument. Investments in NSC-VIII Issue are open to individuals and also to institutions like companies, partnership firms, local authorities, trusts and corporations. The investments under this scheme carry an interest of 12 per cent (compounded half-yearly). The investments would mature after six years.

8.37 In addition, it has been announced that an Equity Linked-Savings Scheme and a saving scheme for retiring Central and State Government employees would be introduced.

9. CAPITAL MARKET

9.1 During 1988-89, the capital market experien- [illegible]siderable buoyancy againts backdrop of im- ced [illegible] the basic economic fundamentals, as provement in [illegible] by the private corporate also better performance [illegible] 1988-89 were signifi- sector. Fresh capital issues in [illegible] ear. Sanctions cantly larger than in the previous year [illegible] term- and disbursements of financial assistance by financing institutions increased sizeably. In the se- condary market, share prices rose sharply over the year more than regaining the losses of the previous year. Various indicators of investment trends and investment intentions, such as, company registrations, issue of letters of intent, approvals for capital goods, and approvals for foreign collaborations all showed an uptrend. Forecasts based on data on projects financed by term-lending institutions show an uptrend in capital expenditure by the private corporate sector. The year also saw some further policy initiatives for encouraging the evolution of new saving instruments.

9.2 The role of institutional investors, which has been an important factor in the development of the Indian capital market, received added impetus during the year with a large increase in the funds mobilised by the Unit Trust of India (UTI) and two other mutual funds operated by public sector banks.

New Issue Market

9.3 New capital issues (excluding bonus shares) by non-government public limited companies increased by 75.7 per cent from Rs. 1,774 crores in 1987-88 to Rs. 3,117 crores in 1988-89 (Table 9.1). Instrument-wise, debenture issues more than tripled to Rs. 2,113 crores in 1988-89 from Rs. 664 crores in 1987-88. Within this group, convertible debentures rose more than three-fold to Rs. 1,734 crores in 1988-89 from Rs. 526 crores in 1987-88 and non-convertibles nearly trebled to Rs. 379 crores from Rs. 139 crores during the same period. The substantial increase in debenture issue in 1988-89 is attributable to a few large-size issues. These large-size issues contained invariably certain innovative features, such as, provision of safety-net facility, detachable warrant coupon and/or arrangements for bank financing for subscriptions to the issues.

Table 9.1. Capital Issues by Non-Government Public Limited Companies

(Amount in rupees crores)

Type of Issue	1987-88@		1988-89@	
	Number	Amount	Number	Amount
1	2	3	4	5
1. Equity Shares*	173 (30)	1,102.8 (439.6)	254 (47)	1,000.9 (108.9)
2. Preference Shares	5	6.9	5	3.3
3. Debentures	46	664.2	77	2,112.9
(i) Convertible	38	525.7	48	1,734.0
(ii) Non-convertible	8	138.5	29	378.9
Total (1+2+3)	224	1,773.9	336	3,117.1

@Provisional

* Exclude bonus shares.

Notes : 1. Figures in brackets indicate premium amount which is included in the amount of equity issues.

2. Data excludes issues privately placed with financial insitutions, etc.

3. Data include amount of over sub-scription retained in cases where specific information in this regard was available.

9.4 Equity and preference share issues showed declines. Equity issues declined from Rs. 1,103 crores in 1987-88 to Rs. 1,001 crores in 1988-89 or a decline of 9.2 per cent. Preference share issues during 1988-89 totalled Rs. 3 crores as aaginst Rs. 7 crores in 1987-88.

9.5 Reflecting these trends, the share of debentures in total public issues, which was 37.4 per cent in 1987-88, almost doubled to 67.8 per cent in 1988-89 with convertible debentures alone accounting for 55.6 per cent. Correspondingly, the share of equity issues fell from 62.2 per cent in 1987-88 to 32.1 per cent in 1988-89. The public sector bonds amounting to Rs. 2,738.9 crores were issued in 1987-88 of which Rs. 1,060.0 crores were by way of private placement and Rs. 1,678.9 crores were for public subscription. In 1988-89, according to the provisional data, issues of public sector bonds aggregated Rs. 2,497.7 crores, of which only Rs. 100.0 crores were for public subscription and the balance of Rs. 2,397.7 crores were for private palcement.

9.6 Approvals (i.e., consents|acknowledgements excluding those for bonus shares) granted by the Controller of Capital Issues to both government and non-government companies during 1988-89 at Rs. 8,029 crores were higher by 52.1 per cent as compared with those in the previous year (Rs. 5,278 crores) (Table 9.2). Approvals for non-government companies during 1988-89 totalled Rs. 4,889 crores which was more than twice that in the previous year (Rs. 2,163 crores). In contrast, total of such approvals during 1987-88 was about one-half of that during 1986-87. The consents for the issue of bonds

Table 9.2 :Consents/Acknowledgements Granted by the Controller of Capital Issues to Government and Non-Government Companies for Raising Capital

(Rupees crores)

Type of Issue	1987-88 (April-March)	1988-89 (April-March)
1	2	3
1. Shares	1541 (101)	1444 (—)
Of which :		
(i) Initial issues	613 (100)	821 (—)
(ii) Further issues*	928 (1)	623 (—)
2. Debentures & Bonds	3737 (3,014)	6585 (3,140)
Of which :		
(i) Convertible	377 (—)	3,134 (—)
(ii) Non-Convertible	3360 (3,014)	3,451 (3,140)
3. Sub Total (1+2)	5278 (3,115)	8,029 (3,140)
4. Bonus Shares	297 (1)	195 (—)
5. Grand Total (3+4)	5575 (3,116)	8224 (3,140)

* Including premium of Rs. 408 crores for 1987-88 and Rs. 111 crores for 1988-89.

Note : Figuress in brackets indicate consents granted to public sector companies.

Source : The Controller of Capital Issues (CCI).

by the public sector undertakings (PSUs) increased sizeably from Rs. 1,922 crores in 1987-88 to Rs. 3,140 crores in 1988-89.

9.7 Studies undertaken by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), based on data from the stock exchanges and estimated to cover over 80 per cent of the issues made, show that response to public issues was significantly better in 1988-89 than in the previous year. Over 60 per cent of the number of issues during 1988-89 were over-subscribed as compared with about 40 per cent in 1987-88. Only eight per cent of the number of issues were undersubscribed in 1988-89 as against 32 per cent in the previous year.

Policy Initiatives

9.8 The year 1988-89 saw notable developments in regard to the introduction of new instruments and institutions, as also the initiation of new policies concerning the capital market. With a view to enabling savers to avail of tax benefit under Section 80 CC of the Income-tax Act, both SBI Mutual Fund (SBIMF) and Canara Bank Mutual Fund (CBMF) floated close-ended schemes having similar features. Magnum Tax Saving Scheme 1988-89 of the SBIMF was a growth-oriented scheme having a maturity period of 5 to 7 years. It also envisaged repurchase facility with a lock-in period of 6 months as also loan facility upto 75 per cent of the face value. The CAN 80 CC Scheme of CBMF was also a growth-oriented scheme having a maturity period of 3 years and repurchase facility with a lock-in period of one year. In addition, SBIMF launched the Magnum Regular Income Scheme, 1989 (MRIS-1989), a growth-and-income oriented scheme, with an assured annual income of 12 per cent.

9.9 The Life Insurance Corporation of India has announced a mutual fund with three schemes; (i) a close-ended income and growth oriented scheme name Dhanashree, (ii) a recurring investment scheme with life and accident cover called Dhanaraksha, and (iii) a fixed investment scheme with increasing life cover and accident cover named Dhanavriddhi.

9.10 With a view to mobilising funds from abroad and facilitating investment in the Indian capital market by non-resident Indians and other overseas investors, the Unit Trust of India launched the India Growth Fund Inc. (IGF Inc.) for US $ 60 million in the USA, Canada and other countries in August 1988 which was fully subscribed. IGF is a diversified investment company registered with the US Securities Exchange Commission (SEC). The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation through investment primarily in equity securities of Indian companies. IGF is listed on the New York Stock Exchange. The Fund had declared an interim divdend of 2.5 per cent (30 cents on the issue price of $ 12 per share) for the period ended December 31, 1988. The net asset value (NAV) has appreciated from $ 10.94 in August 1988 (when it was launched) to $ 14.30 as on June 30, 1989.

9.11 The Union Finance Minister, in his budget proposals for 1988-89, announced the Government's decision to introduce a new scheme of foreign currency bonds|deposit certificates for non-resident Indians on a non-repatriable basis. In pursuance of this decision, the State Bank of India issued in November 1988 its seven-year cumulative US dollar denominated, non-repatriable NRI bonds (for details, see Part II of the Report). Under this scheme, an amount equivalent of Rs. 138 crores was invested by non-resident Indians.

9.12 The Union Budget for 1989-90 has increased the monetary ceiling up to which there would be no tax deduction at source from Rs. 1,000 to Rs. 2,500 on interest income on debentures|bonds to bring it at par with the monetary ceiling in respect of dividend income.

9.13 A major step taken during the year was the announcement by Government of detailed guidelines for the establishment of venture capital company| venture capital fund (VCC|VCF) so as to enable them to avail of fiscal concessions. According to these guidelines, an approved VCC|VCF is eligible for preferential tax treatment on capital gains at the rate applicable to non-corporate investors provided that the VCC|VCF fulfils the stipulated conditions. Some of the important conditions are : (a) the VCC| VCF should have a minimum size of Rs. 10 crores; (b) the maximum debt-equity ratio would be 1 : 1.5; and (c) the maximum total investment in a company should not exceed Rs. 10 crores.

Securities and Exchange Board of India

9.14 Mention was made in the last report of the establishment of Securities and Exchange Board of India (SEBI), to promote orderly and healthy growth of the securities market and ensure investor protection. During the year, after a study of the existing legislations dealing with capital market, SEBI submitted a draft framework for comprehensive legislation in this regard. It has also set up a Standing Committee on Modernisation and Computerisation of Stock Exchanges to monitor, on a continuous basis, possible improvements in stock exchange infrastructure and procedures.

Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL)

9.15. In last year's Report there was a reference to the setting up of CRISIL as a credit rating agency. During the year ended March 1989, CRISIL completed 24 rating assignments. CRISIL ratings cover a total debt volume of around Rs. 875 crores of which current ratings are applicable to debt volume of around Rs. 500 crores. There has been a significant step up in the credit rating activity of CRISIL in 1989-90.

Stock Holding Corporation of India Ltd.

9.16 The Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL), a depository institution, has been sponsored by the seven all-India financial institutions (viz., IDBI, IFCI, ICICI, UTI, LIC, GIC and IRBI) and commenced operations in August 1988. The SHCIL has been established with the main objective of in-

troducing a book entry system for the transfer of shares and other type of scrips thereby avoiding voluminous paper work involved and thus reducing delays in transfers. The SHCIL has handled purchases valued at Rs. 110 crores involving 1,86,838 scrips and 1,69,853 transfers upto the end of March 1989.

Assistance by Financial Institutions

9.17 Assistance sanctioned and disbursed by all-India financial institutions (viz., IDBI, IFCI, ICICI, UTI, IRBI, LIC, GIC and its subsidiaries) are an important indicator of investment intentions, as also of the tempo of investment in industry. During 1988-89 (April—March), provisional figures of assistance sanctioned by these institutions aggregated Rs. 13,913 crores which was higher by 56.9 per cent over the previous year (Rs. 8,868 crores); the growth rate for 1987-88 (April—March) was only 20.1 per cent. The substantial incerase during 1988-89 was mainly due to the sanctioning of large asistance to certain fertiliser projects. Disbursals during 1988-89 totalled Rs. 8,526 crores (provisional), recording a rise of 34.8 per cent over 1987-88 (Rs. 6.323 crores); the previous year's rise in disbursements was 19.2 per cent.

Corporate Investment

9.18 As from 1989, the Reserve Bank has begun generating forecasts on investment in the private corporate sector based on the data available with the term-lending institutions of expected phasing of capital expenditure of projects sanctioned by them. Based on the sanctions accorded by the financial institutions upto the end of 1988, it is estimated that, capital expenditures aggregating Rs. 7,026 crores would have been incurred during 1988, showing a rise of 12 per cent over that incurred during 1987. Including the investment requirements of the companies met under bills rediscounting and technical development fund schemes, the total capital expenditures that would have been incurred during 1988 worked out to Rs. 7,413 crores. The forecast for 1989 in respect of various projects for which sanctions were accorded upto 1988, including the investment finance under the bills rediscounting and technical development fund schemes, suggests a total capital expenditure of Rs. 9,900 crores, representing an increase of 34 per cent over the corresponding estimate for 1988.

Small Industries Development Bank of India (SIDBI)

9.19 In 1988-89, the Government of India announced the formation of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) as the principal financial institution for the promotion, financing and development of small-scale industries and to coordinate the functions of the institutions engaged in the promotion, financing or developing of industry in the small-scale sector. SIDBI would be a wholly-owned subsidiary of the IDBI and would take over overall responsibility of administering the Small Industries Development Fund and the National Equity Fund.

Tourism Finance Corporation of India (TFCI)

9.20 The Industrial Finance Corporation of India (IFCI) alongwith other all-India institutions and banks sponsored the Tourism Finance Corporation of India Ltd. (TFCI), to promote tourism which became operational in February 1989. TFCI has an initial paid-up capital of Rs. 50 crores. Apart from providing financial assistance for setting up facilities for tourists and development of tourism, TFCI would coordinate and formulate guidelines and policies for financing such projects.

Equity prices

9.21 Equity prices showed a sharp increase by about 63 per cent on a point-to-point basis over the year 1988-89. The Reserve Bank's all-India index numbers of ordinary share prices (Base : 1980-81 = 100) which stood at 189.3 for the week ended March 28, 1988 rose to 212.2 in the week ended June 25, 1988. Thereafter, it maintained a general uptrend till September 1988 and showed a sharp increase to 273.3 on October 29, 1988. The index rose further in November and reached 293.2 on November 26, 1988. However, it declined slightly in the subsequent month reaching 286.3 on December 31, 1988. The index moved in a narrow range in January 1989, showed a slight recovery in February 1989 and touched a peak level of 308.2 on March 25, 1989.

9.22 The average of the Reserve Bank's all-India index numbers of ordinary share prices for 1988-89 at 248.3 showed a rise of 19.8 per cent over the average index for the previous year; in contrast, in 1987-88, the average index had shown a decline of 10.1 per cent over the average level in 1986-87 (Table 9.3).

Table 9.3 : Reserve Bank of India—All India Index Numbers of Ordinary Share Prices

(Base : 1980-81-100)

Month/Year	Average	Highest*	Lowest*
1	2	3	4
April 1988	189.5	195.6	187.1
May	202.9	207.4	198.8
June	215.0	218.6	212.2
July	212.3	215.1	209.5
August	215.2	216.5	214.2
September	227.2	236.5	219.0
October	263.2	273.3	245.5
November	284.6	293.2	274.7
December	290.8	295.9	285.2
January 1989	285.9	288.0	283.5
February	290.3	292.4	287.3
March	302.2	308.2	292.2
1987-88	207.3	227.1	189.3
(April—March)	(−10.1)@		
1988-89	248.3	308.2	187.1
(April March)	(+19.8)@		

* Based on weekly indices.

@Indicates percentage variation over the previous years

9.23 The average gross yield on equities was lower at 3.85 per cent in 1988-89 as compared with 4.32 per cent in the previous year.

10. DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR

Balance of Payments

10.1 Notwithstanding a robust export performance, the balance of payments came under severe strain during 1988-89 mainly because of a sharp rise in the import bill and large repayments to the IMF under the Extended Fund Facility (EFF), which peaked during the year. The sharp rise in the import bill was mainly the result of a spill-over of essential imports necessitated by the previous year's drought, a rise in international prices of certain commodities and larger imports of capital goods associated with a substantial recovery in economic activity during the year under review. Although the balance of payments data for the full fiscal year 1988-89 are not yet available, based on available information, the ratio of current account deficit to GDP (at current market prices) is estimated to have gone up to 2.8 per cent from 1.9 per cent in 1987-88. Tables 10.1 and 10.2 present a summary of India's balance of payments for the period 1985-86 to 1987-88.

Table 10.1 : Current Account Transactions as Proportion of GDP at Current Market Prices

(In Percentage)

	1980-81	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6
1. Exports	4.8	5.2	4.4	4.5	5.0
2. Imports	9.2	8.1	8.1	7.7	7.8
3. Trade Deficit	4.4	2.9	3.7	3.2	2.8
4. Invisible Receipts (including official grant assistance)	4.3	3.6	3.0	2.8	2.8
5. Invisible Payments	1.1	1.9	1.6	1.6	1.9
6. Invisibles (net) (4—5)	3.2	1.7	1.4	1.2	0.9
7. Current Account Deficit@ (3—6)	1.2	1.2	2.3	2.0	1.9

@Official grants treated as part of current receipts here; they are covered under net inflow of foreign resources presented in Table 2.2.

10.2 India's foreign exchange reserves (comprising foreign currency assets of the Reserve Bank of India, gold and SDRs) declined by Rs. 647 crores to Rs. 7,040 crores during 1988-89 as against a decline of Rs. 465 crores during 1987-88. In SDR terms, these reserves amounted to SDR 3,715 million* at the end of March 1989, showing a fall of SDR 771 million during 1988-89 as against a decline of SDR 627 million during 1987-88. Table 10.3 presents data on India's foreign exchange reserves and the Extended Fund Facility transactions with the IMF in the past three years.

10.3 Repayments to the IMF during the fiscal year 1988-89 amounted to Rs. 1,749 crores (Rs. 1,547 crores under the Extended Fund Facility and Rs. 202 crores in respect of the IMF Trust Fund Loan) as against Rs. 1,389 crores (Rs. 1,209 crores under EFF and Rs. 180 crores on account of the IMF Trust Fund loan) in the previous year. At the end of March 1989, outstanding debt to the IMF under the EFF and the Trust Fund aggregated SDR 1,829 million and SDR 162 million, respectively, and they were equivalent to Rs. 3,697 crores and Rs. 326 crores, respectively, at the prevailing exchange rate.

Table 10.2 : India's Balance of Payments (Preliminary)

(Rupees Crores)

Item	1987-88	1986-87	1985-86
1	2	3	4
A. Current Account			
Exports, f.o.b.	+16,396	+13,315	+11,578
Imports, c.i.f.	—25,692	—22,669	—21,164
Trade balance	—9,296	—9,354	—9,586
Non-monetary gold	—	—	+29
Official Transfers (Net)	+532	+525	+307
Other invisibles (Net)	+2,471	+2,999	+3,323
Current Account (Net)	—6,293	—5,830	—5,927
B. Capital Account			
Private Capital	+2,248	+2,267	+2,091
Banking Capital	+75	—70	+186

*Gold is valued at SDR 35 per ounce, as in the International Financial Statistics (IFS) of the IMF.

1	2	3	4
Official Capital			
Loans	+6,832	+6,462	+3,683
Amortisation	—2,834	—2,588	—1,152
Miscellaneous	+1,172	-172	+85
Total Capital Account	+7,493	+5,899	+4,893
C. IMF	—1,209	—672	—253
D. SDR Allocation			
E. Capital Account, IMF and SDR Allocation (B + C + D)	+6,284	+5,227	+4,640
F. Total current account, capital account, IMF and SDR allocation (A + E)	—9	—603	—1,287
G. Errors and Omissions	—947	—129	+580
H. Reserves and monetary gold (Decrease +)	+956	+732	+707

Table 10.3 : India's Foreign Exchange Reserves

End of the month	Foreign Exchange Reserves (In Rupees crores)				Total Foreign Exchange Reserves* (In SDR million)	EFF Transactions with the IMF (In SDR million)		
	SDRs**	Gold	Foreign Exchange	Total (2+3+4)		Gross Drawings	Cumulative Re-purchases	Out-standing Net Drawings (7—8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
March 1986	161.40	274.28	7384.35	7820.03	5728	3900.00	131.25	3768.75
June 1986	186.27	274.28	7084.91	7545.46	5338	3900.00	200.00	3700.00
March 1987	231.76	274.28	7645.17	8151.21	5113	3900.00	562.50	3337.50
June 1987	176.76	274.28	7276.44	7727.48	4908	3900.00	687.50	3212.50
March 1988	125.25	274.28	7287.14	7686.67	4486	3900.00	1266.67	2633.33
June 1988	149.70	274.28	5819.52	6243.50	3600	3900.00	1425.00	2475.00
March 1989	160.74	274.28	6604.63	7039.65	3715	3900.00	2070.85	1829.15
June 1989	212.46	274.28	6075.17	6561.91	3408	3900.00	2218.77	1681.23

*Gold is valued at SDR 35 per ounce as in the International Financial Statistics of IMF.

**At Rupee-SDR exchange rate at the end of the respective months.

Note : Gross drawings, repurchases and outstanding liabilities to the IMF (i.e. net drawings) are in respect of the Extended Fund Facility, that is, they exclude Trust Fund loans.

Foreign Currency Assets

10.4 Among the three components of foreign exchange reserves, foreign currency assets of the Reserve Bank increased during 1988-89 (July-June) by Rs. 256 crores as compared with a decline of Rs. 1,457 crores during 1987-88 (July—June).

SDRs

10.5 Holdings of SDRs increased by SDR 21.6 million during 1988-89 (July—June) as compared with a decline of SDR 26.6 million during 1987-88 (July—June). This increase in the level of SDR holdings was the net result of acquisition of SDRs worth SDR 997 million and receipts on account of remuneration of SDR 15.6 million, repurchases of SDR 793.8 million from the IMF, payment of charges/interest amounting to SDR 197.2 million (net of interest subsidy received) to the IMF.

Gold*

10.6 Gold holdings of the Reserve Bank of India at Rs. 274 crores at end-June 1989 remained at the same level as at end-June 1988.

Merchandise Trade

10.7 The declining trend in trade deficits noticed in 1986-87 and 1987-88 was reversed during the year under review. According to provisional data released by the Directorate-General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), the trade deficit widened from Rs. 6,624 crores in 1987-88 (partially revised data was Rs. 6,658 crores) to Rs. 7,412 crores in 1988-89. The deterioration in trade deficit, notwithstanding a sustained strong growth in exports, was brought about by a rise in imports (Table 10.4).

Table 10.4 : India's Foreign Trade

Items	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88(P)	1988-89(P)
1	2	3	4	5	6
			(In Rupees crores)		
1. Exports	11,744	10,895	12,452	15,719	20,281
	(+20.2)	(—7.2)	(+14.3)	(+26.2)	(+29.0)
2. Imports	17,134	19,658	20,096	22,343	27,693
	(+8.2)	(+14.7)	(+2.2)	(+11.2)	(+23.9)
3. Trade Balance	—5,390	—8,763	—7,644	—6,624	—7,412
			(In US $ Millions)		
1. Exports	9,878	8,905	9,745	12,123	14,005
	(+4.5)	(—9.9)	(+9.4)	(+24.4)	(+15.5)
2. Imports	14,412	16,067	15,727	17,232	19,123
	(—5.9)	(+11.5)	(—2.1)	(+9.6)	(+11.0)
3. Trade Balance	—4,534	—7,162	—5,982	—5,109	—5,118
			(In SDR Millions)		
1. Exports	9,842	8,431	8,061	9,181	10,529
	(+10.2)	(—14.3)	(—4.4)	(+13.9)	(+14.7)
2. Imports	14,359	15,211	13,009	13,050	14,377
	(—0.8)	(+5.9)	(—14.5)	(+0.3)	(+10.2)
3. Trade Balance	—4,517	—6,780	—4,948	—3,869	—3,848

(P) Provisional.
Source : DGCI&S.

10.8 During 1988-89, exports in rupee terms, as per provisional data of DGCI&S, rose by 29.0 per cent to Rs. 20,281 crores, and thus surpassed the target of Rs. 18,795 crores fixed for the year. In SDR terms, exports increased by 14.7 per cent in 1988-89, as compared with a rise of 13.9 per cent in the preceding year. Imports during 1988-89 at Rs. 27,693 crores were higher by 23.9 per cent as against a rise of 11.2 per cent during 1987-88. In SDR terms, while imports in 1987-88 increased by only 0.3 per cent, they were higher by 10.2 per cent during 1988-89.

Exports

10.9 Data on volume growth of exports are not yet available for 1988-89. Taking into account the movements in international prices of commodoties and manufactures and in exchange rates, the volume growth of exports is estimated to be around 10 per cent during 1988-89, i.e., about the same rate of increase as in the previous two years. Apart from substantial fiscal and interest rate incentives, liberal policies to encourage capacity expansion for export production and technology upgradation and appropriate exchange rate policy to improve export profitability have facilitated export growth. The multipronged strategy also involved special thrust towards strengthening export capabilities in identified sectors. Buoyancy in world trade also contributed to export growth during the year under review.

10.10 The non-POL exports during 1988-89 amounted to Rs. 19,776 crores showing a growth of Rs. 4,690 crores or 31.1 per cent over the preceding year (Table 10.5). Commodity-wise data show that significant increases in exports during 1988-89 were recorded by chemicals and related products (86 per cent), gems and jewellery (68 per cent), engineering goods (65 per cent), leather and leather manufactures (30 per cent), iron ore (24 per cent), marine products (20 per cent) and ready-made garments (17 per cent). The fourteen thrust sector items identified for special export effort showed an increase of Rs. 4,683 crores or by 39 per cent.

*Valued at the statutory holding price of Rs. 84.39 per 10 grammes.

Table 10.5 : India's Exports of Principal Commodities

(Rupees crores)

Commodity	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88P	1988-89P
1	2	3	4	5	6
I. Agricultural and Allied Products	2,996.5	3,018.3	3,422.0	3,146.9	3,347.3
II. Ores and Minerals	637.6	784.7	717.2	710.1	1,027.1
Of which :					
Iron ore	459.4	578.8	546.6	542.8	672.5

1	2	3	4	5	6
III. Manufactured Goods	6,210.1	6,374.2	7,808.4	10,076.1	14,631.0
Of which :					
1. Textile fabric & manufactures (excluding carpets hand made)	1,717.5	1,795.1	2,178.8	3,110.9	3,699.5
(a) Cotton yarn fabric made-up	620.4	573.7	637.2	1,063.8	1,131.3
(b) Readymade garments of all textile materials	953.3	1,067.0	1,330.5	1,790.8	2,096.9
2. Leather & leather manufactures and leather footwear	724.1	769.9	922.4	1,148.2	1,487.7
3. Handicrafts (including carpets handmade)	1,750.8	1,881.4	2,547.6	3,253.2	5,193.2
Of which :					
Gems & jewellery	1,237.1	1,502.7	2,074.3	2,613.5	4,398.1
4. Chemicals & allied products	482.9	497.5	583.2	822.9	1,531.0
5. Machinery, transport equipment & metal manufactures including iron & steel	956.1	954.1	1,132.7	1,432.0	2,359.8
IV. Minerals & Lubricants*	1,822.9	644.7	411.2	633.1	505.0
TOTAL (including others)	11,743.7	10,894.6	12,452.4	15,719.4	20,280.9

P Provisional.

* Relates to petroleum crude and petroleum products only.

10.11 There was a decline in the exports of raw cotton (71 per cent), cashew kernels (10 per cent), tobacco (5 per cent), while there was only a marginal increase in the exports of coffee (6 per cent), tea (1 per cent) and fruits and vegetables (9 per cent). The exports of agricultural and allied products were adversely affected by the drought of the preceding year, depressed demand conditions and increased competition in overseas markets.

10.12 As regards direction of export trade, a development of significance has been the sizeable shift in favour of the EEC countries; their share in India's export rose from 17.7 per cent in 1985-86 to 24.4 per cent in 1988-89.

Imports

10.13 The spurt in imports during 1988-89 was partly due to the need to import commodities such as wheat and pulses to replenish depleted food stocks and to meet domestic shortages on account of the drought of 1987. Furthermore, larger import requirements due to the buoyancy in economic activity during 1988-89, higher import prices of metals, edible oils and chemicals, and freer access to imported capital goods and essential raw materials to assist export efforts resulted in the higher import bill.

10.14 Net oil imports (oil imports net of POL exports), which increased by Rs. 1,050 crores during 1987-88, rose marginally by Rs. 290 crores to Rs. 3,740 crores during 1988-89. The growth in non-oil imports, which wos held down to 5.6 per cent during 1987-88, increased sharply by 28.4 per cent during 1988-89. Commodity-wise details for 1988-89 show that major increases in non-oil imports were observed under cereals and cereal preparations (Rs. 598 crores), manufactured fertilisers (Rs. 321 crores), non-ferrous metals (Rs. 210 crores), iron and steel (Rs. 478 crores), metalli-ferrous ores and metal scrap (Rs. 255 crores), pearls, precious and semi-precious stones (Rs. 872 crores), machinery and transport equipment (Rs. 577 crores) and organic and inorganic chemicals (Rs. 881 crores) (Table 10.6).

10.15 The geographic pattern of India's imports shows that the share of the EEC has been steadily rising from 26.6 per cent in 1985-86 to 31.4 per cent in 1988-89.

Differences Between RBI and DGCI & S Data

10.16 There have all along been differences in the data on merchandise trade between the balance of payments data published by the Reserve Bank and the trade data published by the Directorate-General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The RBI figures, particularly of imports, tend to be higher than those of the DGCI&S. These differences are due to coverage, valuation and timing factors. These differences have been growing in recent years (Table 10.7).

10.17 In regard to exports, the main differences arise from (a) exclusion of exports by parcel post in the DGCI & S data, (b) differences in valuation procedures adopted, and (c) the different sources of data. As for valuation, while in the RBI data, exports invoiced in foreign currencies are converted at the average exchange rates for the respective month, in the DGCI&S data, they are converted at rates notified by the Ministry of Commerce, which are revised

Table 10.6 : India's Imports of Principal Commodities

(Rupees crores)

Items	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88P	1988-89P
1	2	3	4	5	6
a. Bulk Imports	10,039	10,574	7,790	8,561	10,476
(i) Cereals & cereal preparations	242	110	87	33	631
(ii) Fertilisers	1,346	1,436	921	486	928
(a) Crude	137	163	145	138	185
(b) Sulphur & unroasted iron pyrites	202	220	200	176	250
(c) Manufactured	1,007	1,053	576	172	493
(iii) Edible oils	950	749	634	920	727
(iv) Non-ferrous metals	412	542	517	576	786
(v) Paper, paper board and manufactures thereof (including Newsprint)	195	226	217	258	306
(vi) Sugar	96	418	224	174	Neg.
(vii) Crude rubber	87	101	107	108	173
(viii) Petroleum, petroleum products and related materials	5,409	4,989	2,811	4,083	4,245
(ix) Pulp & waste paper	176	245	244	228	252
(x) Metallliferrous ores & metal scrap	185	363	472	422	677
(xi) Iron & steel	941	1,395	1,556	1,273	1,751
b. Pearls, precious & semi-precious stones	1,032	1,100	1,489	1,994	2,866
c. Machinery & transport equipment	3,027	4,084	6,279	6,136	6,713
(i) Electrical machinery	663	810	1,212	1,115	1,598
(ii) Non-electrical machinery	1,995	2,705	4,263	2,889	2,919
(iii) Transport equipments	369	569	804	740	766
(iv) Project goods@	NA	NA	NA	1,392	1,430
d. Organic & inorganic chemicals	857	1089	1,145	1,051	1,932
e. Others	2,179	2,811	3,393	4,601	5,706
f. Total Imports (a+b+c+d+e)	17,134	19,658	20,096	22,343	27,693

P = Provisional.

@These were earlier classified under machinery.

Table 10.7 : Merchandise Trade

(Rupees crores)

Year	DGCI & S data			RBI data		
	Exports	Imports	Trade deficit	Exports	Imports	Trade deficit
1	2	3	4	5	6	7
1982-83	8,803	14,293	—5,490	9,137	14,913	—5,776
1983-84	9,971	15,831	—6,060	10,168	16 039	-5,871
1984-85	11,744	17,134	—5,390	11,959	18,680	-6,721
1985-86	10,895	19,658	—8,763	11,578	21,164	—9,586
1986-87	12,452	20,096	—7,644	13,315	22,669	—9,354
1987-88	15,741(PR)	22,399(PR)	6,658(PR)	16,396	25,692	-9,296

(PR) Partially Revised.

once in three months. While the RBI data are based on the GR/PP forms* indicating exports cleared for shipment by customs, adjusting for short and shut-out shipment notices to the extent received from customs authorities, in the DGCI&S data these are based on the shipping bill and represent actual shipment.

10.18 As for imports, the RBI data are on a payments basis, while the DGCI&S data are based on arrival of goods at the Customs. The main differences in the two sources of data are attributable to the following factors : (a) Payments made for the acquisition of mobile equipment (such as ships and aircrafts) are fully covered in the RBI data, but in the DGCI&S data they are coveerd only at the time of arrival at Indian ports. Thus, if ships acquired are at foreign shipyards for repairs, etc., or used for carrying goods in international waters, these are not reflected in the DGCI&S statistics. (b) Imports for which payments are made, but the Customs clearance is not required.

* Relevant export declarations for shipment and post parcels.

would get reflected in the RBI data, but not in the DGCI&S data. (c) In regard to suppliers' credits and machinery and equipment on a cash payment basis, importers are required to make advance payments of 10-15 per cent. These are covered in the RBI data as import payments, while in the DGCI&S statistics, imports of such capital goods will be booked only when these arrive in the country. In a period of rising imports, this may cause a lead in payments for imports. (d) In regard to payments for imports under external assistance and commercial borrowings, imports are recorded in the RBI data at the time when payments are made to suppliers. In DGCI&S data, such imports are reflected in the data at the time when the goods arrive into the country. This also causes a lead in payments in the RBI data. (e) As already indicated, in the RBI statistics, while data are converted at the average exchange rates for the month, in the DGCI&S data, the conversions into rupees are made at the exchange rates notified by the Ministry of Commerce in advance which are revised only once in three months. Given the fact that exchange rates vary from month to month, this would contribute to differences in the two sources of data.

Invisibles

10.19 The available information thus far indicates some improvement in the invisible account during 1988-89 after showing a declining trend in net receipts during the preceding three years due inter alia to substantial increase in interest outgo on external assistance and commercial borrowings. The improvement in invisibles during the year under review is largely attributable to an amount of Rs. 642 crores which the country received as compensation for the Bhopal gas victims. Investment income payments continued to rise further, as in the past, on account of increased borrowings, both under external assistance and on commercial terms. The inflow of remittances under private transfers might have been maintained at the previous year's level. The number of foreign tourist arrivals in the country during April-December 1988 was higher by 5.7 per cent, though the growth rate was lower than that of 7.2 per cent during the corresponding period of 1987. Other items under invisibles taken together might not show any significant variations over the year.

External Assistance, Bilateral Transactions and Commercial Borrowings

10.20 Gross disbursements, under external assistance amounted to Rs. 5,167 crores during 1988-89, i.e., higher by Rs. 135 crores than during 1987-88. Amortisation payments on external assistance at Rs. 1,659 crores were also higher than those of Rs. 1,581 crores in 1987-88 (Table 10.8). Consequently, net inflow of external assistance (net of repayments) during 1988-89 amounted to Rs. 3,508 crores as against Rs. 3,451 crores in 1987-88 due mainly to a larger net inflow of assistance from Japan, and the IBRD. In terms of U.S. dollars, however, the net inflow of foreign aid in 1988-89 as $ 2,422 million was lower than $ 2,662 million in 1987-88 Transactions with bilateral account countries during the year showed a net inflow of Rs. 264 crores as against a net inflow of Rs. 165 crores during 1987-88. The utilisation of commercial borrowing was of the order of Rs. 2,106 crores ($ 1.6 billion) in 1987-88 (Table 10.9); the corresponding figure for 1988-89 is likely to be higher.

Table 10.8 : External Assistance

(Rupees crores)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89@
1	2	3	4	5
1. Loans	2,495	3,176	4,575	4,709
2. Grants	443	420	457	458
3. Gross Utilisation	2,938	3,596	5,032	5,167
4. Repayments	776	1,176	1,581	1,659
5. Net (3—4)	2,162	2,420	3,451	3,508

Notes : 1. Loans and grants are converted into rupees at current rates prevailing on the dates of transactions.
2. 'Loans' are inclusive of Government and non-Government loans but excluding suppliers' credits and commercial borrowings.
Grants' exclude those received from International Institutions such as UNICEF, UNDP, ILO, WHO, UNFPA and UNESCO.
@Provisional.

Table 10.9 : Commrercial Borrowings

(Rupees crores)

	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
Utilisation (Gross)	1,472	1,827	3,115*	2,106*

*Excluding prepayments.

Accretions under NR(E) RA and FCNRA Schemes

10.21 The inflow under the Non-Resident (External) Rupee Account [NR(E)RA] scheme during 1988-89 was Rs. 245 crores, as compared with Rs. 300 crores in the previous year. The net inflow under the Foreign Currency (Non-Resident) Account (FCNRA) schemes during 1988-89 was Rs. 2,075 crores as against Rs. 1,398 crores during 1987-88 (Table 10.10). The sustained inflow of funds under these schemes has provided considerable support to balance of payments during the past few years.

Table 10.10 : Inflows Under NR(E)RA and FCNRA Schemes

(Rupees crores)

Fiscal Year	Non-Resident (External Rupee Account@	Foreign Currency (Non-Resident) Account	Total
1	2	3	4
1984-85	358	275	633
1985-86	287	1,151	1,438
1986-87	483	1,169	1,652
1987-88	300	1,398	1,698
1988-89	245	2,075	2,320

@Excluding the estimated accrued interest.

10.22 As at the end of March, 1989, non-resident deposits stood at Rs. 14,154 crores (Rs. 5,899 crores under NR(E)RA scheme and Rs. 8,255 crores under FCNRA scheme) Table 10.11).

Table 10.11 : NRI Deposit Liabilities

(Rupees crores)

As at end-March	NR(E)RA A/c*	Foreign Currency Non-Resident Account@				Total* (3 to 6)	Grand Total (2+7)
		U.S. dollar	Pound sterling	DM	Yen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1985	2,864	618 (499)	337 (218)	—	—	955	3,819
1986	3,461	1,759 (1,419)	430 (236)	—	—	2,189	5,650
1987	4,336	3,047 (2,360)	464 (224)	—	—	3,511	7,847
1988	5,107	4,406 (3,410)	541 (222)	—	—	4,947	10,054
1989	5,899	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,255	14,154

* Inclusive of accrued interest.

@Do not include accrued interest.

Note : Figures in brackets are outstanding deposits in the relevant foreign currencies in millions.

Inerest Rates on Non-Resident Deposits

10.23 The FCNRA scheme, which was earlier applicable only to the pound sterling and U.S. dollar was extended with effect from August 1, 1988 to DM and Yen and separate interest rates were perscribed for each currency. The interest rates were revised on a number of occasions taking cognisance of developments in interest rates abroad. Table 10.12 sets out the rates of interest on FCNR deposits for different currencies during the period under review.

External Debt

10.24 The large and recurrent current account deficits that emerged during the Seventh Plan period had to be financed largely through inflows of capital from abroad by way of multilateral and bilateral assistance, commercial borrowings and non-resident deposits. As a result, India's external debt has risen rather significantly in the past few years. India's long-

Table 10.12 : Interest Rates of FCNRA Deposits

(in percentage)

Effective Dates	US$				Pound Sterling				DM				Yen		
	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
May 23, 1988	8.25	9.00	9.25	9.5	8.25	9.00	9.25	9.50	————Not Applicable————							
July 13, 1988	8.5	9.25	9.5	9.75	8.5	9.25	9.5	9.75								
August 1, 1988	9.0	9.5	9.75	10.0	11.25	11.5	11.75	11.75	5.75	6.0	6.25	6.5	5.25	5.5	5.75	5.75
August 9, 1988	9.0	9.5	9.75	10.0	11.25	11.5	11.75	11.75	6.0	6.25	6.5	6.75	5.25	5.5	5.75	5.75
August 15, 1988	9.5	10.0	10.25	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	6.5	6.75	7.0	7.25	5.75	6.0	6.25	6.25
October 31, 1988	9.25	9.75	10.25	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	5.75	6.0	6.5	7.0	5.25	5.5	5.75	6.0
December 5, 1988	9.75	10.25	10.5	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	5.75	6.0	6.5	7.0	5.25	5.5	5.75	6.0
January 2, 1989	10.0	10.25	10.5	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	6.0	6.25	6.75	7.0	5.25	5.5	5.75	6.0
January 30, 1989	10.0	10.5	10.5	10.5	11.5	11.75	12.0	12.0	6.50	6.75	7.25	7.50	5.25	5.5	5.75	6.0
February 22, 1989	10.5	10.75	11.0	11.0	11.5	11.75	12.0	12.0	7.0	7.25	7.5	7.75	5.25	5.5	5.75	6.0
March 14, 1989	10.75	11.0	11.25	11.25	11.5	11.75	12.0	12.0	7.25	7.50	7.5	7.75	5.25	5.50	5.75	6.0
May 17, 1989	10.25	10.5	10.75	10.75	11.5	11.75	12.0	12.0	7.5	7.75	7.75	8.0	5.5	5.75	6.0	6.0
June 16, 1989	9.5	9.75	10.0	10.0	11.5	11.75	12.0	12.0	7.5	7.75	7.75	8.0	5.75	6.0	6.25	6.25

Note : —FCNRA Scheme has been extended to DM and yen with effect from August 1, 1988.

term debt @, which was releatively small at the end of March 1989 (Rs. 13,430 crores), rose to around Rs. 36,000 crores by end-March 1985, nearly Rs. 55,000 crores by the end of March 1988 and further to Rs. 69,700 crores by the end of March 1989 (Table 10.13).

Table 10.13 : India's External Debt

(Rupees crores)

	As at end-March					
	1980**	1985	1986	1987	1988	1989P
1	2	3	4	5	6	7
1. External Assistance	12,178	24,004	26,638	32,312	36,578	46,838
2. IMF		4,888	5,271	5,548	4,732	3,696
3. Extornal Commercial borrowings*	1,252	6,908	8,075	11,243	13,543	19,147
4. Total (1+2+3)	13,430	35,800	39,984	49,103	54,853	69,681

*Includes non-Government loans under external assistance programme.

**Based on Survey of India's International Investment Position, Reserve Bank of India Bulletin, April 1985.

P=Provisional.

@Defined as any debt that has an original or extended maturity of more than one year.

10.25 Various sources have evaluated India's external indebtedness to be higher than what the official data indicate. These differences are largely conceptual and the differences between official estimates and others can be broadly reconciled. The differences are attributable to the following ; first, the official data do not include NRI deposit liabilities; secondly, there are exchange rate valuation differences (i.e. differences between book value and market value); and thirdly, differences arise because in the official data short term debt is treated as in the nature of normal trade credit and therefore not treated as debt. Taking cognisance of these differences, it is observed that there are no signficant problems in reconciling different sets of data on external debt.

10.26 As a proportion of GDP at current market prices, external debt went up from 12.5 per cent at end-March 1980 to 16.6 per cent by the end of March 1988. During the same period, the debt-export (export of goods plus invisible receipts) ratio rose sharply from 131 per cent to 218 per cent. The debt-service ratio has been rising in the past few years. The debt-service ratio, that is, the debt servicing as per cent of current receipts (exports plus gross invisible receipts other than official transfers), went up from 16 per cent in 1985-86 to 22 per cent in 1986-87 and further to 24 per cent in 1987-88 which is substantially higher than the average of 17.6 per cent postulated in the Seventh Plan document.

Developments in Exchange Rates of Major Currencies

10.27 Following the statement by Ministers of G.7 (Canada, France, West Germany, Italy, Japan, the U. K. and the USA) in December 1987 and the G-7 meeting in Washington in April 1988 and in Toronto in June 1988, there was a greater degree of co-operation among major industrial countries to stabilise the U.S. currency which had a salutary effect on the exchange markets. During the year, the U.S. dollar maintained a firm undertone particularly because of tightening of U.S. monetary policy in the wake of fears of emergence of inflationary tendencies. A substantial weakening of the DM caused concern about imported inflation in West Germany, while strong domestic demand in Japan led to higher economic growth assuring competitiveness of Japanese manufacturing sector even with further rise in yen| dollar level. The pound sterling ruled easy during most part of the year, except during October to December 1988. The G-7 communique in September 1988 endorsed the prevailing pattern of exchange rate management but could not be explicit regarding new initiative for further stabilisation in exchange rates. At the February 1989 meeting, the G-7 shifted their emphasis to control of inflation; the G-7 officials welcomed in April 1989, the prevailing exchange rate stability and reiterated their commitment to co-operation.

10.28 During 1988-89 (July-June), the U.S. dollar generally strengthened after weakening for three consecutive years. In relation to the SDR and the DM, the U.S. dollar firmed up except between September and November 1988. The dollar maintained its upward trend against the yen in all months except in October and November 1988. Against the pound sterling, the dollar strengthened except during October to December 1988. The pound sterling weakened against the dollar, the yen and the SDR during most of the period. In relation to the DM, the pound sterling appreciated during August 1988 and October 1988 to January 1989.

10.29 In terms of period averages (July-June 1988-89 over July-June 1987-88), the dollar strengthened against the SDR, the pound steriling and the DM by 2.4 per cent, 2.0 per cent and 7.2 per cent as against the weakening of 7.3 per cent, 12.9 per cent and 12.4 per cent, respectively, in the corresponding period of previous year. However, it weakened against the yen by 2.0 per cent as compared with the depreciation of 10.5 per cent in the corresponding period of 1987-88. The pound sterling appreciated during 1988-89 (July-June) by 1.6 per cent against the DM and 0.5 per cent against the SDR, but depreciated by 1.8 per cent against the dollar and 4.0 per cent against the yen. The yen ruled strong against the DM (9.3 per cent), the SDR (4.5 per cent), the dollar (1.3 per cent), and the sterling (2.3 per cent). The DM depreciated against all currencies the yen (8.4 per cent), the sterling (4.9 per cent), the dollar (6.7 per cent) and the SDR (4.4 per cent).

Exchange Rate of the Rupee

10.30 The value of the rupee continues to be determined in relation to a weighted basket of currencies of India's major trading partners, with the pound sterling as the intervention currency. The number of adjustments in the rupee-sterling rate at 229 during 1988-89 (July-June) was higher than that of 150 during 1987-88 (July-June). Between end-June 1988 and end-June 1989 the rupee weakened by 8.7 per cent against yen, 14.8 per cent against the dollar 9.0 per cent against DM and by 6.4 per cent against sterling.

Table 10.14 : Rupee Exchange Rates

(Rupees per unit of SDR/foreign currency)

Period	SDR	U.S.$	£Stg.	D.M.	Yen
1	2	3	4	5	6
A. Annual Average Rates					
(July-June)					
1984-85	12.1618	12.2623	14.9567	3.9861	0.0492
1985-86	13.4493	12.2366	17.6343	4.9358	0.0621
	(—9.6)	(+0.2)	(—15.2)	(—19.2)	(—20.8)
1986-87	15.9537	12.8528	19.6084	6.6767	0.0842
	(—15.7)	(—4.8)	—(10.1)	(—26.1)	(—26.2)
1987-88	17.5798	13.1300	23.0232	7.5982	0.0984
	(—9.2)	(—2.1)	(—14.8)	(—12.2)	(—14.4)
1988-89	19.7755	15.1414	25.9501	8.1634	0.1154
	(—11.1)	(—13.3)	(—11.3)	(—6.9)	(—14.7)

1	2	3	4	5	6
B. Monthly Average Rates					
June 1987	16.5140	12.8503	20.9345	7.0691	0.0890
June 1988	18.5573	13.8269	24.5718	7.8700	0.1086
	(—11.0)	(—7.1)	(—14.8)	(—10.2)	(—18.0)
June 1989	20.4079	16.4349	25.5284	8.3079	0.1141
	(—9.1)	(—15.9)	(—3.7)	(—5.3)	(—4.8)
C. Exchange Rate as on :					
June 30, 1987	16.4317	12.9335	20.70	7.0697	0.0882
June 30, 1988	18.4787	14.1225	24.10	7.7206	0.1055
June 30, 1989	20.7035	16.5808	25.75	8.4807	0.1156

Note : Figures in brackets indicate percentage appreciation (+)/depreciation (—) of the rupee.

Rupee-Rouble Exchange Rate

10.31 The rupee-rouble rate applicable for settlement of credit and commercial transactions was changed thrice during 1988-89 (July-June), i.e. on October 10 and 24 and November 20, 1988. Accordingly, the ruee-rouble rate softened by 9.5 per cent from Rs. 16.39 per rouble at the end of June 1988 to Rs. 18.11 per rouble at the end of June 1989.

International Economic Developments

10.32 The year 1988 was characterised by a higher growth rate of output and moderate inflation in industrial countries coupled with a robust growth in the volume of world trade by about 9 per cent which was the highest for the current decade. Despite substantial realignment in exchange rates, large external imbalances have persisted among the three major industrial countries. The debt problem continues to be a drag on the growth of many developing countries and there has been no perceptible increase in the flow of resources to the developing countries.

10.33 The growth rate of world output increased to 4.1 per cent in 1988 from 3.2 per cent in 1987. The present economic upswing in industrial countries has completed its sixth year. The overall growth rate of output in industrial countries increased to 4.1 per cent in 1988 from 3.4 per cent in 1987. The performance of developing countries was also encouraging although this was accounted for mainly by Asia. The growth rate of developing countries was 4.3 per cent in 1988 as against 3.3 per cent in 1987.

10.34 The inflation rates of industrial countries have exhibited an upward trend with consumer prices rising by 3.2 per cent during 1988 against 2.9 per cent in 1987. A major factor has been the strong increase in non-oil commodity prices in 1987-88. Oil prices declined by more than 20 per cent in U.S. dollar terms in 1988. In developing countries, the weighted average rate of inflation as measured by consumer prices, increased to 67.1 per cent in 1988 from 40.5 per cent in 1987, mainly due to high-inflation rates recorded in the countries of the Western Hemisphere. The inflation rate in Asia was also high at 14.6 per cent in 1988 as against 9.8 per cent in 1987.

10.35 World trade expanded by about 9.3 per cent in 1988 as against 6.1 per cent in 1987. While there was a significant increase in the rate of growth of exports of industrial countries from 5.3 per cent in 1987 to 8.7 per cent in 1988, the rate of growth of exports of developing countries improved only marginally from 10.6 per cent to 11.0 per cent; exports of non-oil developing countries in fact grew at a lower rate of 10.8 per cent in 1988 as compared with 14.3 per cent in 1987. Among industrial countries, the United States expanded its exports in real terms by about 24.1 per cent as against the export growth of 4.3 per cent and 7.6 per cent of Japan and West Germany, respectively, in 1988. U.S. imports rose in real terms by 7.1 per cent as compared with 16.7 per cent and 6.9 per cent in the case of Japan and West Germany, respectively, in the same year.

10.36 The policy coordination and exchange rate changes resulted in some narrowing of the current account imbalances in regard to the United States and Japan. The U.S. current account deficit declined to $ 135.3 billion in1988 from $ 154.0 billion in 1987, while the surplus of Japan decreased to $ 79.5 billion in 1988 from $287.0 billion in 1987. But the current account surplus of West Germany rose by $ 3.5 billion to $ 48.5 billion in 1988. The continuance of trade and payments imbalances affects the stability of the exchange markets and causes strains on the international financial system. A further reduction in the large extenal imbalances of the three major industrial countries calls for a strengthening of policies aimed at increased savings in deficit countries and further domestic stimulus in surplus countries. Without appropriate adjustment in the developed economies the developing countries face constraints in deriving appropriate benefits from their own adjustment programmes. The combined current account balances of the developing countries moved into a deficit of $ 19.1 billion in 1988 in contrast to a surplus of $ 1.4 billion in 1987; this was the result of a 17.0 per cent rise in imports which more than offset a rise of 12.5 per cent in exports.

10.37 In response to fears of rising inflation there was a tightening of monetary conditions during 1988 with considerable pressures on interest rates. The Eurodollar rate for six-month deposits increased to

9.2 per cent as on June 30, 1989 from 8.0 per cent as on June 30, 1988. Corresponding Euromark and Euroyen rates also increased to 7.2 per cent and 5.6 per cent, respectively, as on June 30, 1989 from 4.6 per cent and 4.7 per cent, respectively, a year earlier.

10.38 The debt problem continues to be a major constraint on investment and growth in many developing countries. The external debt (excluding debt owed to the IMF) of developing countries increased from $ 1,231 billion in 1987 to $ 1,240 billion in 1988. The net flow of resources to developing countries in 1988 continued to be low as in the previous year. According to the World Debt Tables, the reverse transfer of resources (excess of debt service over disbursements in respect of long-term debt) from developing countries continued for the fifth successive year in 1988. Over the five-year period 1984-88 such reverse transfer aggregated $ 142.9 billion. Reverse net transfers of resources are estimated to have been about $ 43.0 billion in 1988 as against $ 38.1 billion in 1987.

10.39 Despite the widely recognised need for augmenting the resources of the IMF, a decision on the Ninth General Review of the Quotas has not yet materialised. A new SDR allocation which would help many countries to meet their liquidity problems and pursue growth-oriented adjustment efforts continues to be stalled.

11. ASSESSMENT AND PROSPECTS

11.1 The exceptionally good performance of the Indian economy with real GDP growth of about 10 per cent during 1988-89—the fourth year of the Seventh Five Year Plan—has been indeed a welcome relief from the low growth during the first three years of the Plan. Agricultural production is estimated to have shown a record increase of nearly 23.0 per cent in contrast to declines in the previous two years. Industrial production staged a quick recovery with a growth rate of 8.8 per cent as against 7.3 per cent in 1987-88. The growth was also better dispersed across wider sections of industries. A noteworthy contribution came from the export sector with exports in rupee terms rising by 29 per cent, or in SDR terms, by about 15 per cent, during 1988-89. The volume of exports rose by around 10 per cent per annum during the three-year period 1986-87 to 1988-89, thus registering a quantum jump from the low trend rate of volume growth of 2 to 3 per cent for the past three and a half decades. The deterioration in the balance of payments despite the growth in exports and the continued inflationary pressures in the economy, however, remain areas of concern.

11.2 The growth prospects for 1989-90 also seem encouraging. The rainfall expectations for the whole of 1989, based on a study of various parameters of the complex weather system, place the monsoon on "the positive side of the normal" and as well-distributed over the country as a whole. These forecasts have so far been confirmed by reports indicating above average, timely and well-spread south-west monsoon. With special production programmes for foodgrains and cash crops in place, the output targets set for the terminal year of the Seventh Plan are now expected to be achieved.

11.3 In industry, the lagged impact of the previous year's growth in agricultural incomes and an uptrend in indicators of investment demand such as sanctions by term-lending institutions and consents for capital issues, suggest that the industrial growth momentum would be sustained, if not further improved, in 1989-90. It should also be aided by substantial export demand.

11.4 Thus, expectations are that in 1989-90 agriculture would grow by about 2 per cent over the previous year's high level of output and industry would maintain the growth of about 8 to 9 per cent witnessed in recent years; this should generate a real GDP growth of around 5 per cent. With this growth profile, the annual average targets for the Seventh Five Year Plan would be exceeded, i.e., 5 per cent for GDP, 4 per cent for agricultural production and 8 per cent for industrial production. This all-round achievement compares well with any of the previous Five Year Plan periods. It also augurs well for the Eighth Five Year Plan which is under preparation.

11.5 There are, however, a number of longer term issues that have to be addressed. One of them relates to the imbalances in agricultural growth. With the bumper crop in 1988-89, annual compound rate of increase in foodgrains production during the 1980's shows an improvement to 2.7 per cent from 2.3 per cent over the 1970's. However, inter-State disparities still continue despite some gains in the Eastern region; so do inter-crop disparities. The growth in foodgrains production through increases in yields higher than the all-India average has been confined only to Haryana, Punjab, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh, which account for only about 43 per cent of total foodgrains production; the remaining States, accounting for about 57 per cent of the country's production, experienced lower growth in yields than the all-India average. With little scope for increase in sown area, enhancing productivity in rain-fed areas with integrated watershed and minor irrigation development programmes is of paramount importance as are the schemes for higher production of oilseeds and pulses. Agro-climatic regional planning through a co-ordinated approach to land and water management, crop production and animal husbandry will facilitate a more optimal utilisation of agricultural resources. Apart from the techno-climatic aspects, the question of strengthening the institutional structure—land reforms, price support operations and marketing—deserves equal emphasis.

11.6 Despite the good Kharif 1988-89 and Rabi 1989 foodgrains output, the public stocks of foodgrains continue to be at a low level. As at the end of June 1989, public sector rice stocks amounted to 3.6 million tonnes as against 4.2 million tonnes a year ago; given the seasonal drawdown of stocks, by the end of September 1989 rice stocks would be only 1.5 million tonnes. In this context, there is need to ensure that these stocks are deployed so as to provide greater support to the weaker sections.

11.7 In industry, the sustained growth of about 8 per cent per annum almost continuously for five years is indeed encouraging. Recent changes in industrial and trade policies appear to have had the desirable effect of bringing about greater efficiency in the industrial system. There has been a noticeable effort to upgrade technology. Infrastructural constraints on rapid industrial expansion have eased. The Indian industry is becoming increasingly cost and quality conscious. There is evidence that in recent years there has been improvement in the capital-output ratio in some industries, though it remains still high. Even as attempts are being made to raise the investment-GDP ratio, a higher growth rate in the Eighth Plan must rest on efforts directed towards improving *the incremental capital-output ratio*. The transition from a protected environment to a more liberal regime is not always easy. A process of industrial restructuring becomes inevitable as forces of competition grow strong. In this context, an appropriate policy to handle non-viable sick industrial units needs to be put in place.

11.8 Despite the higher growth rate achieved over the 1980's, the rate of gross domestic saving in the economy has remained around 21 per cent of gross domestic product for almost a decade. The rate of 21.1 per cent observed for 1987-88 and the preliminary of 21 per cent for 1988-89 are virtually the same as those recorded in 1980-81 and 1981-82, respectively.

11.9 The stagnation in the overall saving rate is characterised by opposing trends at sectoral levels. Whereas the saving of the public sector has come down over the years from a peak level of 4.6 per cent of GDP at market prices, reached in 1981-82, to about 2.1 per cent in 1988-89, the corresponding ratio for private savings has increased from 16.6 per cent to 18.9 per cent over the same period. Within private savings, the contribution of the private corporate sector has been comparatively small and as a percentage of GDP at market prices, it has not shown much of an increase Household savings rate has, however, registered a modest rise during this period.

11.10 Undoubtedly there is scope for increasing the saving rate in the India economy. The saving experience of several developing countries does suggest that higher saving ratios are attainable on a sustained basis. For raising the savings ratio, the major effort must be directed towards raising the saving rate of the public sector. However, fiscal measures aimed at raising public sector savings would affect the disposable income of the private sector and, therefore, the marginal saving of the household sector out of disposable income will have to rise quite sharply if the saving rate of the household sector as a proportion to GDP at market prices is also to be stepped up.

11.11 Apart from these longer and medium term issues, there are, in the immediate context, some important issues which need to be addressed. These are : the inflation rate; the growth of liquidity in the economy; the fiscal deficit; and the external payments situation.

11.12 Although the overall rate of increase in wholesale prices moderated during the fiscal year 1988-89, the underlying situation remained inflationary even after the arrival of a bumper crop. The average rate of increase in the wholesale price index during 1988-89 was only slightly lower than in the previous year. The price increase was large in respect of many goods of common consumption and as a result, the consumerprice index persisted with a high rate of increase of about 9.0 per cent in 1988-89 despite the augmentation of supplies through large release of foodgrain stocks and import of certain commodities.

11.13 The sectoral supply-demand imbalances, the rise in import costs, upward revisions in administered prices, and increases in budgetary levies, have all contributed in varying measures to the rise in commodity prices in different years. But the persistent inflation over several years cannot be sustained without an excessive expansion of liquidity. Despite several measures taken to control monetary expansion, the growth liquidity has been excessive largely due to pressures emerging from the fiscal area. During the past four years, net bank credit to Government nearly doubled from Rs. 48,950 crores at the end of March 1985 to Rs. 96,867 crores at the end of March 1989 and net Reserve Bank of India credit to Government more than doubled from Rs. 29,774 crores to Rs. 60,018 crores. In percentage terms, net bank credit to Government grew at an annual compound rate of 18.6 per cent and net RBI credit to Government at a rate of 19.2 per cent per annum. Primarily as a result of the monetisation of the fiscal deficit, the growth of reserve money during the four-year period has been as high as 18.6 per cent per year and that of overall liquidity (M_3) at 17.0 per cent per annum. Such rapid liquidity growth has occurred despite a substantial impounding of bank's funds through increases in the cash reserve ratio which has now reached the statutory limit of 15 per cent. The large growth in liquidity has to be viewed against a little over 5 per cent growth in real income during the period. The persistence of such large liquidity growth cannot but be reflected in pressures on the general price level. The need to achieve a better fiscal balance can therefore hardly be overemphasised.

11.14 In the last year's Report, mention was made about the rising budgetary deficits of Central and State Governments and the emerging structural imbalances in Government finances. According to the Revised Estimates for 1988-89, the Centre's deficit is estimated at Rs. 7,940 crores as against the budgeted deficit of Rs. 7,484 crores. According to the data based on closure of accounts, however, the actual deficit is placed much lower at Rs. 5,810 crores. As already mentioned, the level of deficit throughout the year was much higher and it was only at the end of the financial year that the deficit declined to more moderate levels. The fortnightly average of the budgetary deficit at Rs. 8,114 crores in 1988-89 was considerably above the average deficit of Rs. 6,790 crores in 1987-88; it was nearly 40 per cent higher than the year-end figure of the deficit. It would be desirable it the deficit were to build up gradually over

the fiscal year so that the monetary growth remains within predictable limits.

11.15 The Seventh Five Year Plan had visualised deficit financial (defined as net RBI credit to Government) at Rs. 14,000 crores. As against this, the actuals for the first four years and the budgetary anticipations for the fifth year of the Plan add upto Rs. 33,110 crores, that is, nearly two and a half times the Plan estimates. To achieve objective of healthy income growth with price stability, it would be essential to reduce the dependence of our Plans on fiscal deficits.

11.16 In moderating the budgetary deficit the priority should be to eliminate by an early date the centre's revenue deficit which has been rising rapidly and which reached Rs. 11,030 crores in 1988-89 (Revised Estimates). This calls for an increase in the saving of the Government administration which has been deteriorating over the years. The dissavings by the Central Government Administration increased from Rs. 266 crores in 1980-81 to Rs. 1,906 crores in 1984-85. Subsequently, during the first four years of the Seventh Plan, these dissavings deteriorated further rather continuously and reached Rs. 8,602 croses in 1988-89. As a result. a significant proportion of the Government's current expenditure is being financed through larger borrowings. For 1989-90, total interest payments of the Centre are estimated at Rs. 17,000 crores which account for 27.4 per cent of total revenue expenditure and 44.3 per cent of total tax revenue. The net interest payments would amount to 14.4 per cent of total revenue expenditure and 23.3 per cent of tax revenue in 1989-90.

11.17 Growing levels of borrowing by the Government and public sector undertakings raise two major concerns. The first one relates to the sustainability of the present level of Government borrowing. Unless there are adequate surpluses in the revenue account which can be utilised for debt servicing, the budgetary deficit will continue to widen. The increased borrowings for debt servicing will create the vicious circle of progressively higher interest burdens and still higher borrowings. The second concern is about the effect of the increasing level of Government borrowing coupled with that of public sector undertakings on private sector investments. Since the total investment in the economy is shared about equally between the public and pdivate sectors, it is important to ensure that the requirements of both the sectors are adequately met so that the overall growth targets of the national economy are achieved. A point which needs emphasis in this context is that as the costs of market borrowings by the public sector undertakings are rising, it is imperative that their investments yield adequate returns which leave some profit after servicing the interest liability.

11.18 With a turna round in the economy and a sustained growth in industrial output, the Indian capital market registered a sharp recovery in 1988-89. Resources raised in the primary market by the private and public sectors touched new highs, surpassing the previous highs of 1986-87. The market derived strength from sound fundamentals as is evident from the improvement in the performance of the corporate sector during 1988-89. Institutional investors have come to play an increasingly important role in the market. In particular, the interface of commercial banks with the market, either directly or through their subsidiaries, is growing rapidly. This is a healthy development as greater institutional involvement will impart both stability and impetus to the primary and secondary markets, encourage competition and lead to increasing innovation in the field of financial services. Apart from the Unit Trust of India some other mutual funds have been established. It is necessary that all institutions operating in a given sphere such as mutual funds do so under the same fiscal dispensation and regulatory framework so that they can complete on a level field.

11.19 In the context of the overall resource constraints. large corporate entities are encouraged to resort increasingly to the capital maket to meet their financial requirements. Notwithstanding this, financial assistance from the term-lending institutions has increased manifold and continues to be a major source of finance for industry. The debt-equity ratio in the Indian corporate sector has not shown any decline despite large resources raised by them directly from he capital market. There has been a steady rise in the cost of funds of term-lending institutions as the proportion of their resources raised at concessional rates of interest has declined. On the lending side, the return on these funds as come down as an increasingly larger proportion of funds are lent at concessional rates of interest. The speads available to term-lending institutions have narrowed to a point where their profitability could be constrained. Further, to augment their resources for meeting the rising demand, term-lending financial institutions may also have to raise funds outside the captive market borrowing programme. A concomitant of this would be greater flexibility of the term-sending rate for direct lending to non-concessional categories and the rationalisation of the multiplicity of concessional rates.

11.20 In formulating monetary and credit policies, there has been, in recent years, a greater emphasis on structural aspects. These relate to relaxation of interest data regulations, easing operational constraints in the credit delivery system and introduction of new money maket-instruments. The aim of these measures, whether in regard to the withdrawal of the need for prior authorisation under the Credit Authorisation Scheme, or the granting of freedom for borrowers to transfer accounts as between banks, or the flexibility accorded with regard to the bank's lending rates, or the introduction of Commercial Paper (CP) and Certificates of Deposit (CDs), the aim has been to reduce rigidities, improve flexibility and in general bring about greater efficiency and competitiveness in the economic and financial system. The pace of financial liberalisation has necessarily to be adjusted to the complex of national policy objectives. At the same time, it is important to ensure that the financial system develops along sound lines and the strength of financial institutions is maintained.

11.21 During the year a number of significant changes have been made in relation to the regulatory

framework on interest rates of commercial banks. In October 1988, the maximum lending rate was abolished and a minimum rate of 16 per cent prescribed instead so that banks are now free to charge customers according to their credit record. Banks have followed a co-ordinated approach to establishing credit rating procedures and have shown judiciousness in exercising their discretion.

11.22 The year under review has seen a number of important developments in the money market. The interest rates on all money market instruments have been freed and new instruments developed, viz., Inter-Bank Participations, Certificates of Deposit and Commercial Paper. The Discount and Finance House of India has been instrumental in promoting an active secondary market by providing liquidity to these instruments. The DFHI did endeavour to alleviate the stringency in the money market by leaning against the wind, first towards the end of the financial year 1988-89 and again when interest rates rose sharply after the removal of the ceiling on interest rates on May 1, 1989. It is a matter of satisfaction that after a short spell of very high interest rates the money market settled down to reasonable levels. While the DFHI would continue to provide liquidity to money market instruments, its dependence on the Reserve Bank of India has to be limited by the overall objectives of monetary control. As such the DFHI should be looked upon as an agency not for augmenting longer resources but as an intermediary smoothening out short-term disequilibria in the money market. The money market should be seen as an avenue for deploying short-term surplus funds and meeting short-term mismatches between sources and uses of funds. A money market, however well developed, cannot be a source for meeting structural disequilibria in the sources and uses of funds of participants particularly as the freeing of rates has made structural dependence on the market an unviable proposition. It is recognised that the newly introduced money market instruments, viz., Certificates of Deposit and Commercial Paper, would develop only over time. It is necessary that the freedom to determine interest rates is used judiciously both by borrowers and investors. In the case of CDs the banks need to ensure that the interest rates and maturities bear some relationship to other deposit rates as also the return on deployment of funds. In the case of CPs it would be necessary to ensure that exacting standards are maintained to ensure the confidence of the market in issuers. It is only in such a milieu that CPs would be able to develop as a viable money market instrument. With the activation of the money market, banks and institutions would need to give greater attention to funds management.

11.23 In the last year's Report it was indicated that the new strategy for rural lending, i.e., the Service Area Approach was a major step in the direction of improving the rural credit delivery system. The scheme has become operational and the plans are under implementation from April 1, 1989. The feedback received from the field level agencies indicates that the programme has generated a positive response from banks as well as other developmental agencies. The Service Area plans project on the whole, a higher level of credit disbursement during 1989-90, as compared with that in the previous year. It is important that the top managements of banks and the controlling tiers closely monitor and ensure successful implementation of the plans by all branches. The objective of the programme is to see that credit becomes production-oriented and promotes economic development in the relevant areas, leading to higher employment and incomes.

11.24 It is proposed to set up, during the next 3 to 4 years, offices of NABARD in all districts as focal points for (i) providing technical guidance to banks and co-operatives in drawing up realistic credit plans related to local potential and resources; (ii) collecting, analysing and disseminating information on preparation and implementation of credit plans; (iii) improving co-ordination between credit plans of banks and cooperative credit institutions; and (iv) strengthening liaison with district authorities, along with the lead bank officers. This step is designed to support the Service Area Approach and to bring about further improvement in credit planning and quality of lending linked to productivity.

11.25 In recent years there has been considerable emphasis on consolidating the banking system. To that end, comprehensive action plans prepared by commercial banks have been under implementation for some time. These aim at : improving their operational efficiency by organisational strengthening; upgradation of internal supervision and control systems; enhancing capacity and quality of training for human resources development; improving customer service and house-keeping; reinforcing financial viability by better credit management, higher productivity, economy of expenditure and recovery of bank dues; and introducing new technology in a phased manner. These efforts are yielding results. At the same time, several policy constraints on bank profitability have been relieved through improvement of coupon rates of Government bonds in which banks invest, better return on bank money impounded by the Reserve Bank, and revision of service charges to bring them in better alignment with costs. The branch licensing policy, while emphasising the need for filling spatial gaps in the rural areas, requires that opening of new offices in cities and towns should be on the basis of demonstrable need and potential viability.

11.26 While these measures have helped, strains on bank profitability persist due mainly to irregular accounts of sick or mismanaged industrial units and unsatisfactory recovery of bank dues relating to other sectors. With regard to the former category, it is essential that the legal processes for enforcing banks' claims are made more expeditious and effective, preferably through establishment of special tribunals. As for the other categories, while the banks need to step up their own efforts at recycling their funds, it is crucial that the general environment for recovey of dues to commercial and co-operative banks is improved. There are well-established procedures for affording relief to borrowers affected by natural calamities. However, across-the-board loan waivers and interest rate rebates in respect of co-operative dues

have seriously impaired credit discipline among borrowers from all arms of the multi-agency rural credit system, discriminated against those who repay their obligations, created unwarranted disparities in interest rates, discouraged recycling of funds and harmed the health of credit institutions to the detriment of the rural community. To avoid further deterioration in the environment, the Reserve Bank and NABARD have to make refinancing of State Co-operative Banks contingent upon the adherence to the interest rate and other prescribed credit disciplines.

11.27 Financial markets in India are undergoing a significant transformation. Banks have diversified and entered into various allied activities like leasing, merchant banking, housing and mutual funds either directly or by setting up subsidiaries for the purpose. The role of non-banking institutions is increasing and the distinction between banks and non-banks could become blurred. To be able to cope with market development and carry on their operations in a sound manner, banks and their subsidiaries have to equip themselves with the necessary skills and their risk management techniques have to be sharpened. Guidelines have recently been issued to ensure efficient functioning of mutual funds set up by banks. Adherence to prudential norms is equally necessary for bank subsidiaries and non-bank financial institutions.

11.28 While continuing with periodical inspection as a major tool, bank supervision has also to adopt appropriate techniques to meet the changing environment. Measures have been designed to strengthen prudential norms for banks such as exposure, risk management, recognition of non-performing loans for the purpose of eclusion of interest on such loans from income and strengthening of the capital base of banks. Proposals are under consideration to introduce appropriate capital adequacy norms related to riskiness of both fund based and non-fund based exposures. A minimum start-up capital has already been introduced for foreign banks entering India for the first time. The quality of loan portfolio needs close monitoring by the top managements of banks with a view to bringing about continuous and perceptible improvement taking into account the health code data that is now available.

11.29 Notwithstanding excellent export performance, the balance of payments situation came under severe strain during 1988-89 largely because of the heavy import demand, bunching of repayment obligations to the IMF and a rise in debt service payments on external debt. The strong export growth noticed since the second year of the Seventh Plan has continued, although the growth rate decelerated somewhat in US dollar terms from 24.4 per cent in 1987-88 to 15.5 per cent during 1988-89. The volume growth in exports is estimated to be around 10 per cent, keeping in step with the expansion in world trade which was about 9 per cent in 1988. It is indeed heartening to note that for the third year in succession, the volume growth in exports exceeded the 7 per cent growth postulated in the Plan document.

11.30 Imports in US dollar terms grew at a faster rate (11.0 per cent) in 1988-89 than in 1987-88 (9.6 per cent) due to a combination of several factors such as spillover of essential imports necessitated by the drought of 1987 to meet consumption requirements and replenishment of stocks, rise in international prices of certain essential items like edible oils, fertilisers and non-ferrous metals, larger import demand associated with the remarkable recovery of the economy and higher imports for processing and manufacture of goods for export. While the merchandise account which showed large deficits during the first three years of the Seventh Plan widened significantly in 1988-89, the net invisible earnings are financing progressively smaller proportion of trade deficit. The proportion of net invisibles in financing the trade deficit has come down steadily from 72 per cent in 1980-81 to 38 per cent in 1985-86 and 1986-87, and to 32 per cent in 1987-88. The emerging current account deficits have been financed partly by drawing down reserves, but mainly through a larger inflow of capital from abroad including commercial borrowings, leading to a steady increase in the country's external debt.

11.31 The current account deficit during 1988-89 seems to have been substantially larger than in 1987-88 both in absolute terms and in relation to GDP. The annual average ratio of current account deficit to GDP during the first four years of the Seventh Plan, it now appears, would be nearly 2.2 per cent, that is, much higher than the targeted average of 1.6 per cent for the Seventh Plan period. Although the current account deficit/GDP ratio for India is much smaller than for many other developing countries, the substantial current account deficits have exerted considerable pressure on the country's foreign exchange reserves underscoring the need for moving towards a lower level of current account deficits as a proportion of GDP.

11.32 The net inflow of external assistance, commercial borrowings, and non-resident deposits, have played an about equal part in financing the current account deficits, with reserves playing a residual role. During the first four years of the Plan period, in SDR terms, reserves declined by SDR 2.289 million. At the same time, the external debt went up sharply from about Rs. 36,000 crores at the end of March 1985 to around Rs. 55,000 crores by the end of March 1988 and further to Rs. 70,000 crores by the end of March 1989, accounting for 17.8 per cent of GDP at current market prices. What is more, the share of commercial borrowings in total debt went up over the same period from 19 per cent to about 27.5 per cent. Non-resident deposit liabilities more than trebled from Rs. 3,819 crores at the end of March 1985 to Rs. 14,154 crores by the end of March 1989. Consequently upon the rise in external debt, the debt-service ratio (debt service on foreign borrowings to exports and gross invisible receipts) has risen sharply from 13.6 per cent in 1984-85 to about 25.0 per cent in 1988-89, notwithstanding a sustained expansion in exports.

11.33 Exports in the past three years have shown a robust growth not only in rupee terms but also in volume terms. India's exports are now well diversified. The share of manufactured exports has gone up markedly from 50 per cent in 1983-84 to over 70 per cent in 1988-89. Various policy initiatives

—fiscal reliefs including complete exemption of export profits from income or corporation tax, interest rate concessions, liberal access to industrial raw materials and capital goods for export-oriented industries and a supportive exchange rate for the rupee—have been taken to make Indian exports competitive.

11.34 The import intensity of exports has of late shown an increase. To some extent this is to be expected. However, as net foreign exchange earnings are the true measure of support to the balance of payments, greater attention needs to be paid to this aspect. Besides encouraging exporters to use more and more domestically produced materials through such changes in policies as may be necessary, the composition of the export basket must also change in favour of less import intensive products such as agro-based exports. Besides, the macro plans for increasing exports in the identified thrust areas must be dovetailed with the plans of individual large and medium units at the micro level. In fact, the corporate sector with its immense managerial capabilities and world-wide contacts needs to play a much more active role than it has done so far in relation to the promotion of exports.

11.35 The sharp increase in imports during 1988-89 has been a matter of concern. Imports grew at an annual average of 13.0 per cent in rupee terms and 7.5 per cent in US dollar terms during the first four years of the Seventh Plan. However, during the same period non-oil imports increased at a much faster rate—19.2 per cent in rupee terms and 13.4 per cent in US dollar terms. The income elasticity of imports has been averaging around 1.5 during the first four years of the Plan. A careful planning of imports is necessary so as to contain the trade deficit. While the policy of liberalisation of imports for achieving the broader economic goals has to be maintained, a closer look at the bulk and maintenance imports may be desirable. Imports of raw materials and components which go directly to increase the production of consumption goods need to be shifted for OGL to more restrictive categories. There is an urgent need to restrain the use of petroleum products through strong conservation measures While the production of crude oil has remained stagnant at around 30-32 million tonnes during 1985-86 to 1988-89, the consumption of POL products has been rising at an annual rate of 6.7 per cent. This is an area which requires determined action. At some stage, prices payable by ultimate consumers may have to be increased with a view to restraining consumption. In relation to imports of capital goods and components, the overall objective should be to absorb the technology embodied in them rather than continue repetitive importation.

11.36 The continuous current account deficits over years have added to India's external indebtedness. However, India's external liabilities and debt service payments in relation to Gross Domestic Product have remained so far at reasonable levels. They are manageable. However, while estimating the net inflow of resources from abroad for the Eighth Plan, which aims at a higher rate of growth than was envisaged in the previous Plans, the policy of keeping external liabilities within prudent limits should be maintained. With a contemplated target of 6 per cent rate of growth in GDP, it seems appropriate to plan for not more than 1.5 to 1.6 per cent of GDP as net inflow of resources from abroad during the next plan.

11.37 Broadly, the three major objectives of economic policy are growth, social justice which implies a more equitable distribution of income, and price stability. While all of these objectives are relevant for monetary policy, price stability has to be its chief focus. This does not, however, mean that it cannot contribute to the attainment of other objectives. Credit and banking policy, particularly during the past two decades, through the various schemes of direct credit allocation and interest rate changes, has helped to promote such objectives as the promotion of the weaker sections of society and balanced regional development. Nevertheless, monetary policy is able to make a more effective contribution towards the objective of price stability than to the other objectives. The importance of price stability as an objective of economic and monetary policy is not, always, well appreciated. In some situations there is perhaps a trade-off between growth and inflation in the very short run. Over a longer time period growth cannot however be bought with the aid of higher prices and there is no evidence to show that a higher growth rate is associated with a higher inflation rate. In India quite the contrary is the case. In fact, it is price stability which provides the appropriate environment in which healthy and sustainable growth can occur. In an economy where a predominant proportion of the population operates in the unorganised sector with little protection against inflation, maintenance of price stability is intimately linked with social justice.

11.38 For regulating money supply, which in conjunction with real output, determines the general price level, there has to be a reasonable degree of control over the creation of reserve money. Over the years, the practice has grown under which the entire budget deficit of the Central Government has been financed by the Reserve Bank leading to an automatic monetisation of the deficit. This is in addition to whatever support the Reserve Bank may provide to the market borrowing programme. The Reserve Bank has, therefore, to address itself continually to the task of neutralising, to the extent possible, the expansionary impact of deficits. The increasing liquidiy of the banking sector resulting from rising levels of reserve money has to be mopped up on a continuous basis. The task of absorbing the excess liquidity in the system has been done in the past mainly by increasing the cash reserve ratio. With the frequent and sharp increases, the cash reserve ratio has now reached its statutory limit.

11.39 An effective monetary policy would require the avoidance of the automatic monetisation of the budget deficits. As a step in this direction, the level of fiscal deficits as a proportion of DGP needs to be much lower than what it is now. This would enable better control over the regulation of money supply. Over the medium term, however, beyond a mutually agreed ways and means accommodation from the Reserve Bank, Government should aim at placing its entire debt in the market at appropriate interest rates. The attainment of this objective would be greatly facilitated by a substantial reduction of the Centre's revenue deficit. The overall economic policy framework would then improve and it would give to the Reserve Bank the necessary freedom to determine the level of reserve money creation and therefore the money supply depending on how the real factors in the economy are evolving, thus enabling it to play a more effective role in contributing to the objective of growth with price stability.

PART II—BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS

12. HIGHLIGHTS

12.1 The monetary and credit policy developments have been reviewed in Part I of the Report against the background of the overall economic trends. The salient features of other banking developments, as also the developments relating to the Reserve Bank's operations, organisational matters and accounts, are given in this part of the Report.

12.2 The banking developments during the year under review were characterised by an all-round attempt at improving the operational efficiency of the system even as societal goals were given greater thrust. The major highlights are :

(i) The new strategy for rural lending through the Service Area Approach became operational from April 1, 1989. Credit plans have been prepared for 33,410 bank branches covering 5.06 lakh villages allotted to them. Block Level Bankers' Committees have been constituted for coordination between credit institutions and field level developmental agencies and for monitoring implementation of the credit plans.

(ii) Though the broad policy of consolidation of branch banking has been continued, it became necessary to allow additional branches so that the number of villages allocated to rural branches was within a manageable limit of 15 to 20 villages as envisaged under the Service Area Approach.

(iii) The terms and conditions relating to short-term loans in certain ranges, from scheduled commercial banks (including RRBs) to farmers for agricultural purposes have been relaxed, and the target for direct finance to agriculture arised from 17 per cent to 18 per cent which is to be attained by Indian commercial banks by March 1990.

(iv) Commercial banks (including RRBs) have been involved in financing the special Foodgrains Production Programme introduced by the Government of India with a view to extending effective irrigation cover, especially for foodgrains and ensuring adequate and timely availability of other inputs for a sustained recovery in agriculture. Banks have been advised to extend credit support to the programme on a priority basis in 1989-90, the second year of implementation of the programme.

(v) Lending to priority sectors has been made obligatory for foreign banks in India and these banks are required to achieve a level of 10 per cent of total lending by the end of March 1989, 12 per cent by the end of March 1990 and 15 per cent by the end of March 1992.

(vi) The processes of innovation and diversification by commercial banks, begun in the recent past, were further intensified during the year under review, with the banks expanding their activities in the areas of merchant banking, mutual funds, leasing and venture capital and housing finance—some through their subsidiaries and some others on their own.

(vii) The establishment of the National Housing Bank (NHB) in July 1988 as an apex level housing finance institution was an important step towards creation of a specialised housing finance system in the country and widening of institutional finance for housing. NHB has introduced refinance schemes in respect of housing loans by scheduled banks, housing finance companies, and apex co-operative housing finance societies.

(viii) Apart from augmenting the capital base of scheduled commercial banks, several other steps were taken during the year for strengthening the area of prudential supervision.

(ix) Foreign banks in India are now required to retain in their Indian books 20 per cent of disclosed net profit.

(x) The second round of Action Plans covering the period upto March 1990 was introduced as a measure of improving the operational efficiency and working of banks.

(xi) The first phase of mechanised cheque clearance using MICR technology has been completed and it has become operative in all the four major metropolitan cities in the country.

(xii) The scope of guarantee support from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) has been extended to cover the entire priority sector advances to agriculture, small borrowers and small-scale industry.

13. DEVELOPMENTS RELATING TO COMMERCIAL BANKS

Action Plans for Banks : 1988—90

13.1 The second round of Action Plans of commercial banks, which were introduced as a measure to improve the operational efficiency and working of banks, covers the period upto March 1990. Banks have taken various measures to implement these detailed plans. The progress in the implementation of the plans is reviewed quarterly with the concerned Chairman and senior executives of public sector banks. As a result of implementation of these plans, there has been a perceptible improvement in various areas like customer service, house-keeping, organisational and control arrangements, credit administration, profitability and staff productivity.

Branch Expansion

13.2 The allotment of centres on the basis of lists of identified centres received from the State Governments for opening new bank offices under the 'Branch Licensing Policy—1985—90' has been completed and 5,360 centres in rural and semi-urban areas were allotted upto June 30, 1989; 2,024 to Regional Rural Banks and 3,336 to commercial banks. There were 775 deficit blocks, requiring additional offices. With the adoption of the Service Area Approach, it had become necessary to allow additional branches so that the number of villages allocated to a rural branch was within a manageable limit of 15 to 25 villages. Taking together both these aspects, 1,236 additional centres were allotted upto June 30, 1989. Thus upto June 30, 1989, 6,596 rural and semi-urban centres have been allotted to banks for opening offices under the current plan.

13.3 As on June 30, 1989, the number of scheduled commercial banks stood at 78 and that of Regional Rural Banks at 196. The total number of banks offices stood at 57,744 as on June 30, 1989. During the year July 1988 to June 1989, a total of 2,332 new branches were opened, comprising 1,857 rural, 104 semi-urban, 200 urban and 171 metropolitan|port town centres. Rural branches as at the end of June 1989 constituted 57.2 per cent of the total number of branches as compared to 22 per cent in June 1969.

Indian Banks Abroad

13.4 During the year 1988-89, no new overseas branch was opened by Indian banks. Following closure of two branches and one mobile agency, the overseas branches of nine Indian banks stood at 116 as on June 30, 1989. The number of representative offices of four Indian banks remained at ten. There were three deposit taking companies, three wholly-owned subsidiaries and six affiliates and there were no changes in these numbers during the year under review.

Foreign Banks in India

13.5 During the year, the Deutsche Bank opened its second branch. Dresdner Bank and BHF Bank (West Germany), Banca Commercial Italiana (Italy), Banque Indosuez (France), Mitsui Bank Ltd. (Japan) and National Bank of Australia (Australia) opened a representative office each. Thus, as on June 30, 1989 the number of branches and representative offices of foreign banks operating in India stood at 137 (of 21 banks) and 21 (of 21 banks) respectively. During the year, three banks, viz., Barclays Bank (U.K.), Sanwa Bank (Japan) and Bank for Foreign Economic Affairs of USSR were granted licences to open a branch each.

13.6 The following new policy measures were introduced in the foreign banking sector :

(a) a start-up capital of Rs. 15 crores has been prescribed for new entrants;

(b) lending to priority sectors has been made obligatory and the banks are required to achieve a level of 10 per cent of total lending by end—March 1989, 12 per cent by March 1990 and 15 per cent by March 1992;

(c) 20 per cent of disclosed net profit is to be retained in Indian books.

Regional Rural Banks

13.7 No new Regional Rural Bank (RRB) was established during the year. There are at present 196 RRBs covering 365 districts. As at the end of December 1988, there were 13,787 branches of RRBs. The total outstanding deposits and advances of RRBs amounted to Rs. 2,942 crores and Rs. 2,798 crores, respectively, as at the end of December 1988.

Service Area Approach

13.8 A reference was made in the last year's Report to the new strategy of rural lending, viz., Service Area Approach, for improving the quality of rural lending by commercial banks, including RRBs. The Service Area Approach has become operational from April 1, 1989. After carrying out surveys of the villages and preparing village-wise economic profiles, bank branches have prepared credit plans for the villages that lie in their service area. As at the end of March 1989, out of about 42,000 branches and 6 lakh villages, credit plans had been prepared for 33,410 branches covering 5.06 lakh villages allotted to them. The annual branch credit plans have been aggregated into block credit plans which in turn have been aggregated into district credit plans. The service area of each branch normally comprise 15 to 25 villages. The lead bank groups have identified new centres for opening of branches in areas where villages allotted exceeded the prescribed norm and licences have been issued to banks for opening of branches at these centres. The Block Level Bankers' Committees have been constituted for co-ordination between credit institutions and field level developmental agencies and monitoring implementation of the credit plans. Guidelines have been issued to banks to ensure flexibility in implementation so that the transition to the new system is smooth, without dislocation in rural lending operations.

Agricultural Credit—Liberalisation in Terms and Conditions

13.9 The interest rate on short-term loans from scheduled commercial banks (including RRBs) to farmers for agricultural purposes for amounts above Rs. 15,000 and upto Rs. 25,000 was reduced with effect from March 1, 1989 from the range 12.5 to 14.0 per cent to 12 per cent per annum. Simultaneously, margin and security norms were relaxed. Concession of margin money waiver was extended from upto Rs. 5,000 for certain categories of loans to upto Rs. 10,000 for all agricultural loans. Banks were advised not to obtain collateral security by way of mortgage of land|charge on land or third party guarantee for crop loans upto Rs. 10,000 and term loans upto Rs. 10,000 where movable assets are created. In case of genuine difficulties in creation of mortgage of land|charge on land, where it is required, banks can take third party guarantee or such other security as is considered appropriate. With effect from November 24, 1988 interest rates on term loans for wasteland development were prescribed at 10 per cent in the case of individuals or group of individuals such as co-operatives and 12.5 per cent for corporate and other borrowers.

Special Foodgrains Production Programme

13.10 In view of the urgency for extending effective irrigation cover, especially for foodgrains, and ensuring adequate and timely availability of other inputs, including credit, for a sustained increase in agricultural production, the Government of India launched from the 1988 Kharif season a Special Foodgrains Production Programme (SFPP). This two-year programme being implemented in 169 potential "Thrust Districts" in 14 States, aims at increasing total foodgrains production during 1988-89 to 166 million tonnes and further to 175 million tonnes in 1989-90 and covers five crops, viz., rice, wheat, maize, gram and arhar. Bulk of the credit requirements of this programme is expected to be met by the co-operative banks. The commercial banks and RRBs have also been involved in financing the programme; credit extended by commercial banks as at the end of March 1989 has been of the order of Rs. 352 crores.

Banks' Assistance to Priority Sectors and under Special Schemes

13.11 Total priority sector advances of the public sector banks increased from Rs. 25,406 crores as at the end of June 1987 to Rs. 34,623 crores as at the end of March 1989 constituting 44.3 per cent (target 40 per cent) of total advances of these banks as at the end of March 1989 as against 44.8 per cent as at the end of June 1987. Within the priority sectors, advances to weaker sections aggregated Rs. 8,459 crores constituting 10.8 per cent of total advances of these banks as against the target of 10 per cent. Assistance to beneficiaries under the 20-Point Programme from the public sector banks amounted to Rs. 10,258 crores in 214.26 lakh borrowal accounts as at the end of March 1989. As part of the strategy for increasing agricultural production it was considered necessary to increase credit support from banks. Accordingly, banks were advised on February 28, 1989, to step up direct finance to agriculture (including allied activities) so as to reach by March 1990 a level of at least 18 per cent of their total outstanding credit as compared with earlier stipulation of 17 per cent to be achieved by March 1989.

DRI Scheme

13.12 The outstanding advances of public sector banks under the Differential Rate of Interest Scheme amounted to Rs. 679.59 crores by covering 47.[illegible]7 lakh accounts as at the end of March 1989, as against Rs. 597.65 crores covering 46.14 lakh accounts as at the end of December 1987. The advances of these banks under the scheme as at the end of March 1989 formed 0.9 per cent of total advances. The advances granted under the scheme to the beneficiaries belonging to Scheduled Castes|Scheduled Tribes exceeded the prescribed target of 40 per cent.

Self-Employment and Other Schemes

13.13 In last year's Report, it was indicated that the number of beneficiaries to be assisted under the Self-Employed Scheme for Educated Unemployed Youth (SEEUY) in 1987-88 was fixed at 1.25 lakhs as against 2.50 lakhs in 1986-87. The number of beneficiaries to be assisted during 1988-89 was once again restored to 2.50 lakhs. According to available data, banks sanctioned to 1.88 lakh beneficiaries loans aggregating Rs. 394.78 crores during 1988-89 (April-March); in 1987-88, 1.20 lakh beneficiaries were sanctioned loans aggregating Rs. 259.76 crores.

13.14 The programme introduced by the Government of India during 1986-87 for providing self-employment opportunities to urban poor (SEPUP) was continued during 1988-89 with an estimated target of assisting 5 lakh persons. According to available data, during 1988-89 (April—March) banks sanctioned to 3.41 lakh beneficiaries loans aggregating Rs. 130.69 crores as aaginst an amount of Rs. 136.55 crores to 3.82 lakh beneficiaries in the preceding year.

IRDP

13.15 In 1988-89, under the IRDP, banks assisted 3.77 million families against a target of 3.20 million families. During the first four years of the Seventh Plan, banks assisted 14.83 million families against the cumulative annual target for these four years of 13.13 million families; of the 14.83 million families assisted, 6.65 million belonged to Scheduled Castes| Scheduled Tribes and 2.57 million were women. The amounts of bank credit disbursed to the beneficiaries under the Programme by commercial banks and co-operative institutions together during the three years 1986-87, 1987-88 and 1988-89 were Rs. 1,014.88 crores, Rs. 1,175.35 crores and Rs. 1,231.62 crores, respectively.

Credit to Minority Communities

13.16 As at the end of September 1988, priority sector advances of public sector banks to the minority

communities in the 40 identified districts amounted to Rs. 525.77 crores in 10.17 lakh borrowal accounts.

Credit to SCs|STs

13.17 Outstanding advances from public sector banks to Scheduled Castes and Scheduled Tribes increased from Rs. 1,814.28 crores in 71 lakh accounts in December 1987 to Rs. 2,616.00 crores in 85 lakh accounts in March 1989.

Inspection of Banks

13.18 During the period July 1988 to June 1989, Annual Financial Reviews of all public sector banks were completed for the year ended December 31, 1987 and reports issued to the banks. Financial Inspections of 9 public sector banks, 13 private sector banks and 6 foreign banks were also completed during the period. Portfolio Inspections of international banking divisions of 8 public sector banks having overseas branches were also carried out. Quality of loan portfolio and credit management, recovery performance, efficacy of control arrangements, and profitability and productivity have emerged as areas of focus. During discussions with bank managements as a follow-up of the inspections and as part of Action Plans, definite performance levels to be achieved are being arrived at and followed up.

Capital Base of Banks

13.19 In accordance with the scheme evolved to augment the capital base of nationalised banks, the Government of India contributed Rs. 200 crores during 1988-89 bringing their aggregate contribution to Rs. 1,200 crores under the scheme since 1985. Measures to strengthen the owned funds of private sector banks, both by raising additional capital and additions to reserve are being pursued.

Prudential Supervision

13.20 While continuing on-site inspections as a major tool for evaluating the performance of banks and follow-up, a number of steps were taken during the year for strengthening the area of prudential supervision. Proposals are under consideration regarding introduction of suitable capital adequacy norms, in relation to risk assets, including off-balance sheet business. As pointed out in Part I of the Report, guidelines have been issued regarding exposure risk management in the domestic sector by laying down norms for individual and group exposure, covering both funded and non-funded limits in relation to owned funds. Such norms were already in vogue in respect of the overseas operations of Indian banks. Suitable guidelines have also been issued regarding recognition of non-performing loans, based on health codes and banks have been advised not to take to income interest on loans so classified. The need for greater transparency in accounting policies and practices of the banks is also receiving attention.

Financial Diversification by Banks

13.21 Banks in India have been diversifying their functions by taking up activities like merhcant banking, equipment leasing, housing finance, venture capital, mutual funds, etc. With the approval of the Reserve Bank, six equipment leasing-cum-merchant banking subsidiaries (five by public sector banks and one by a private sector bank) have been set up. Three more subsidiaries exclusively for providing housing finance have also been set up. One of the public sector banks has been permitted by the Reserve Bank to set up a subsidiary jointly with the Bombay Stock Exchange for providing share clearing and stock holding services. Two public sector banks have also set up mutual funds. With a view to ensuring orderly functioning of mutual funds set up by banks, the Reserve Bank has issued detailed guidelines to banks on important aspects of mutual fund business. The question of extending prudential supervision over the subsidiaries of banks is also receiving consideration.

Change in Banks' Accounting Year

13.22 Pursuant to the amendments carried out to relevant statutes by the Banking, Public Financial Institutions and Negotiable Instruments Laws (Amendment) Act 1988, the accounting year of commercial banks (including RRBs) has been changed from the calendar year to April—March.

Mechanisation|Computerisation in the Banking Industry

13.23 As at the end of June 1989, public sector banks had installed 4,264 Advanced Ledger Posting Machines (ALPMs) at their branches, of which 3,997 ALPMs were operationalised. They had also installed 218 mini computer systems at Regional|Zonal offices by the end of June 1989. Owing to delays in finalisation of systems and related problems, only two banks have so far installed the mainframe system at their Head Offices. An inter-bank group is developing standardised software for two applications, namely, Lead Bank Scheme monitoring and Government Accouns co-ordination. About 35,400 members of staff of banks have been trained so far in mechanisation|computerisation.

13.24 The Reserve Bank has set up a Committee under the Chairmanship of a Deputy Governor to draw up a perspective plan of computerisation for the banking industry for the five year period 1990—1994 and to consider other allied issues taking into account the progress made and requirements of the future. The Committee is expected to finalise its report shortly.

13.25 The Reserve Bank has been actively involved in the establishment of BANKNET—a data communication network for the banking industry. In order to assess the requirements of banks as well as to co-ordinate the activities of user banks for speedy implementation of BANKNET Phase I, a user group has been constituted. Similarly thirty-seven banks in India (including the Reserve Bank) have been accepted as members of the Society for Worldwide International Financial Telecommunication (SWIFT), a co-operative society based in Brussels, Belgium. Action is under way for the installation of the SWIFT Regional Processor at Bombay which is to

act as an international gateway. Message formats conforming to SWIFT specifications are being standardised by the Reserve Bank and the Indian Banks' Association.

Computerisation of Cheque Clearance

13.26 The first phase of mechanised cheque clearance using Magnetic Ink Character Recognition (MICR) technology has been completed with the introduction of a high speed reader sorter system for processing of local as well as inter-city MICR cheques at the clearing house managed by the Reserve Bank in Calcutta (This was already introduced in Bombay, Madras and New Delhi with effect from June 1987, July 1987, March 1988, respectively). Computerisation of clearing house settlement, which was already in operation in Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Kanpur, was extended to Nagpur during the year. Arrangements are being made to computerise clearing house settlement operations in Jaipur, Trivandrum and Guwahati.

13.27 National clearing of outstation MICR cheques has been operative among clearing houses in Bombay, New Delhi, Calcutta and Madras. One way clearing of outstation MICR cheques drawn on banks in the said four metropolitan centres, which was already operative in the clearing houses in Ahmedabad, Bangalore and Hyderabad, has been extended to Nagpur from May 1989.

13.28 Special clearing of cheques above Rs. 1 lakh has been introduced in Bombay from October 1988 and in Madras from March 1989. As a result, it is now possible to credit customers' accounts in respect of high value cheques on the same day. Special clearing of inter-bank cheques has also been introduced in Bombay and Madras extending the benefit of same day credit.

Credit Monitoring Arrangement

13.29 As mentioned in Part I of the Report, the system of obtaining piror authorisation by the Reserve Bank under the Credit Authorisation Scheme (CAS) for sanction of working capital limits|term loans by scheduled commercial banks beyond stipulated levels was withdrawn with effect from October 10, 1988. However, to ensure that the basic financial disciplines continued to be observed, it was decided that all proposals involving sanction of aggregate working capital limits exceeding Rs. 5 crores from the banking system would be subject to post-sanction scrutiny by the Reserve Bank: as regards term loans all proposals in which the share of the banking system exceeded Rs. 2 crores would be subjected to post sanction scrutiny. This post-sanction scheme has been designated as 'Credit Monitoring Arrangement' (CMA). If any particular bank is found to be not enforcing the basic disciplines, the Reserve Bank may instruct such a bank to refer cases in excess of the stipulated limits to it for piror authorisation.

13.30 Banks have been advised that there is no change in the prescribed criteria of lending to borrowers and the assessment of the working capital requirements by banks should be in conformity with the basic financial disciplines, viz., (i) reasonableness of estimates|projections in regard to sales, chargeable current assets, and current liabilities (other than bank borrowings) and net working capital; (ii) classification of current assets and current liabilities in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank; (iii) maintenance of minimum current ratio of 1.33 : 1 (except in certain exempted categories); (iv) prompt submission of quarterly operating statements; and (v) an undertaking by each borrower to submit his annual accounts promptly and regular annual review being carried out by the respective banks even where enhancement in credit limits is not involved.

13.31 Banks have also been advised that the term loans granted to industrial units should be in consonance with the guidelines laid down by the Government of India on allocation of financial resources by financial institutions and that term credit, either as loan or as guarantees|acceptances, should not be provided for infrastructural activities normally financed from budgetary sources.

13.32 The number of parties with credit limits stipulated under CAS|CMA increased to 931 by the end of March 1989 from 712 at the end of March 1988. The total credit limit in force relating to these 931 parties amounted to Rs. 22,897 crores at the end of March 1989 as compared with Rs. 20,936 crores as at the end of March 1988. The share of public sector undertakings in the total limits at the end of March 1989 was Rs. 11,106 crores i.e., 48.5 per cent. The facilitywise distribution pattern of the total limits in force at end-March 1989 was 92.7 per cent for working capital purposes (including packing credits and bills), 6.3 per cent for term finance and 1.0 per cent for sale of machinery on deferred payment basis.

Revision of Inventory Receivable Norms

13.33 Based on the recommendations of the Committee of Direction (COD), norms for spares were revised and advised to banks in December 1988 pegging the same to the level of consumption instead of as a portion of inventories, i.e., up to 9 months' consumption for indigenously made spares and up to 12 months' for imported spares. Norms for inventory and receivables relating to paper industry were revised in December 1988 based on the recommendations of the sub-committee of COD which went into the matter. Apart from the above, the norms relating to diamond industry and flour mills were also modified taking into account the representations received from the concerned industries and the prevailing market conditions.

13.34 As against 15 major industries for which the Tandon Committee had prescribed norms, the COD has continuously reviewed their validity in terms of changes in market conditions and revised

the norms in respect of most of them. Besides, some of the industries such as textiles, engineering and chemicals were disaggregated into several sub-groups on account of their special characteristics and norms were prescribed for each of them. Inventory and receivables norms have been prescribed for 45 sub-groups.

Consortium Lending

13.35 Following the representations received from banks that the instructions restricting the number of banks in a consortium to five in respect of credit limits upto Rs. 50 crores had been causing some operational problems, it was decided that, effective October 10, 1988, the number of banks in formal consortium arrangements should be limited to around 10 irrespective of the aggregate limits involved.

'Single Window' Cancept for lending by Banks on Consortium Basis

13.36 The Committee, comprising officials from the Reserve Bank and commercial banks set up to examine the difficulties encountered in following the 'single window' approach for day-to-day disbursements and recoveries under the consortium financing arrangements, recommended the 'single window' approach only for documentation and first disbursement. Following the recommendations of this Committee, banks were advised in August 1988 that the lead bank in all consortium arrangements should release the initial fund requirements of borrowers and thereafter obtain prorata reimbursement from the member banks.

Export Credit

13.37 Data relating to 50 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of bank credit (referred to in Part I), show that their outstanding export credit increased from Rs. 3.917 crores at the end of March 1988 to Rs. 6,142 crores at the end of March 1989 showing a rise of 56.8 per cent. The proportion of outstanding export credit to total bank credit in respect of these 50 banks rose from 5.9 per cent at the end of March 1988 to 7.7 per cent at the end of March 1989.

Housing Finance

13.38 The establishment of the National Housing Bank in July 1988 has provided an impetus to housing finance. The policy measures relating to housing finance announced in October 1988 have been reviewed in Part I of the Report. In November 1988, the Reserve Bank issued detailed revised guidelines on housing finance by scheduled commercial banks. The revised guidelines, apart from giving effect to the policy changes of October 1988, have the following salient features :

(i) Bank loan per individual is allowed up to Rs. 3 lakhs. (ii) If mortgage of property/government guarantee is not feasible, banks can accept LIC policy, government promissory notes, shares and debentures or any other appropriate security for housing loan. (iii) Banks can extend need-based credit to houseowners for repairs, additions, etc., whether it is owner—occupied or tenant—occupied. (iv) Banks may extend finance to public agencies for acquisition and development of land provided it is a part of the complete project including development of infrastructure such as water system, drainage, roads, provision of electricity, etc. (v) Bank may grant term loans to housing finance institutions up to a stipulated level taking into consideration their (long-term) debt-equity ratio, track record, recovery performance and other relevant factors. (vi) Banks may extend credit to private builders on commercial terms (i.e., at a rate of interest of not less than 16 per cent per annum) by way of demand loans linked to each specific project for a maximum period upto 18 months, subject to usual safeguards and after obtaining such security as they may deem appropriate.

13.39 The quantum earmarked for housing finance to be provided by the banking system was raised from Rs. 225 crores for the calendar year 1988 to Rs. 300 crores for 1989. Keeping in view the change in their accounting year, banks were advised to compute their respective share of housing finance for the year ending March 1990 at 1.5 per cent of incremental deposits during the preceding 12 months Thus, a sum of Rs. 385 crores is likely to be available for lending as housing finance during 1989-90. There is no objection to a bank exceeding the housing finance level of 1.5 per cent incremental deposits up to a reasonable limit, having regard to its resources position and compliance with the statutory reserve requirements. Refinance provided by the National Housing Bank will be in addition to, and separate, from, the current allocation.

13.40 With a view to increasing the share of housing finance lent directly to the beneficiaries, the following sub-targets have been prescribed : (i) at least 30 per cent of the allocation should be reserved for direct lending. Of this, at least half (15 per cent of the toal allocation) should be disbursed in rural and semi-urban areas; (ii) a further 30 per cent of the allocation may be channelled by way of term loans to housing finance companies, housing boards and other public housing agencies; and (iii) the balance 40 per cent of the allocation should be provided in the form of subscription to the guaranteed bonds and debentures of National Housing Bank and Housing and Urban Develo ment Corporation (HUDCO).

13.41 As at the end of June 1988, an aggregate sum of Rs. 886 crores from scheduled commercial banks was outstanding as housing finance. Out of this, a sum of Rs. 65 crores (7.3 per cent) comprised direct finance to individuals and groups of individuals such as co-operative societies while the balance of Rs. 821 crores (92.7 per cent) comprised indirect finance either provided as loans to housing finance

institutions|Housing Boards or invested in the guaranteed bonds of HUDCO and State Housing Boards.

National Housing Bank

13.42 The National Housing Bank (NHB) was set up on July 9, 1988 with an initial share capital of Rs. 100 crores entirely subscribed by the Reserve Bank. During 1988-89 NHB floated bonds for Rs. 20 crores carrying an interest rate of 11.5 per cent per annum. NHB was sanctioned a long term loan of Rs. 50 crores out of the National Housing Credit (Long Term Operations) Fund constituted by the Reserve Bank of India.

13.43 With a view to promoting savings for acquisition of a house a new scheme called Home Loan Account Scheme (HLAS) has been introduced by the National Housing Bank, in co-operation with scheduled banks. The scheme was announced by the Union Finance Minister at the time of presenting the Union Budget for 1989-90. The minimum contribution to the saving scheme is fixed at Rs. 30 per month or Rs. 360 per annum. These savings would earn interest at 10 per cent per annum. Any individual not owning a house anywhere in India would be eligible to join the scheme. After saving for a minimum period of 5 years, a member would be eligible for a loan equal in amount to a multiple of the accumulated savings including interest. In order to make the scheme attractive, some fiscal concessions have been given. Savings in the HLAS of the NHB would qualify for deduction from gross income under section 80C of the Income Tax Act. Repayment of the same housing loan upto a maximum of Rs. 10,000 per annum would also qualify for deduction under Section 80C. Furthermore, investments under the HLAS would be exempted from wealth tax subject to the overall ceilings of Rs. 5 lakhs under Section 5 of the Wealth Tax Act.

13.44 Another major initiative of NHB, whose charter enjoins on it to operate as a principal agency to promote housing finance institutions both at local and regional levels and to provide financial and other support to such institutions, was the formulation of guidelines on formation of Housing Finance Companies (HFC) in the private and joint sectors. The guidelines stipulate that an HFC should have a minimum paid up capital of Rs. 1 crore and that at least 20 per cent of the equity should be from a scheduled bank or a public financial institution or a State Government or a housing finance company approved by NHB. There should be at least two Directors from banking|financial institutions, failing which NHB reserves the right to nominate two Directors. Limitations have also been prescribed on the total borrowings of an HFC as a multiple of its net owned funds, on the maturity period of deposits, on the interest rate payable on deposits, lending rates and margins, front-end charges, and administrative cost, etc., and on the proportion of total lending which an HFC can undertake for purposes other than housing the guidelines have struck a balance between the regulatory and promotional roles of NHB as the object is to create an enabling environment for growth of housing finance institutions on sound lines.

13.45 NHB has already introduced its Refinance Schemes for scheduled commercial banks, scheduled state co-operative banks, scheduled urban co-operative banks, housing finance companies and apex co-operative housing finance societies. It has also formulated a scheme to extend financial support to State-level Land Development Banks in respect of housing loans granted by them, through subscription to Special Rural Housing Debentures to be floated by them. The terms and conditions of all the Refinance Schemes are more or less similar. Refinance will be provided only in respect of direct lending to individual groups of borrowers (formal or informal, including co-operative societies). Housing finance routed through RRBs by sponsor banks will be treated as 'direct lending' of the latter. Refinance will be up to one hundred per cent of direct loans up to Rs. 50,000 for construction of new housing units with built-up accommodation of up to 40 sq. mts. and it will be additional to, and separate from, housing loans granted under the annual credit allocation for housing made by the Reserve Bank and housing loans upto Rs. 5,000 at concessional rate of interest of 4 per cent per annum extended to persons belonging to scheduled castes|scheduled tribes. Individual housing loans upto Rs. 1 lakh granted in urban areas, will be eligible for refinance provided the built-up accommodation does not exceed 40 sq. mt., but the refinance amount will be restricted to Rs. 50,000. In rural areas the area limit of 40 sq. mt. may be relaxed at the discretion of the lending agency provided the cost of the housing unit does not exceed Rs. 65,000. The aggregate amount of refinance will in no case exceed the aggregate amount of outstanding loans to the eligible categories excluding overdues. Refinance is available to banks for 15 years irrespective of the actual repayment period or moratorium allowed by them in individual cases. Banks are expected to stipulate a repayment schedule of fifteen years as provided under the Reserve Bank guidelines. In the case of HFCs and apex co-operative housing finance societies, the repayment period for refinance is 20 years.

13.46 The refinance schemes have come into operation from January 1, 1989 and specified housing loans sanctioned since then are eligible for being covered under the scheme. As at end-June, 1989, NHB has released refinance aggregating Rs. 96.37 lakhs to two housing finance companies and a scheduled commercial bank.

13.47 During the year, USAID approved a programme which will provide a loan guarantee for US $ 50 million to NHB under the USAID Government Housing Guaranty Program under which developing countries can borrow in the US capital market with a guarantee of the US Government for periods upto 30 years.

13.48 Apart from organising financial resources for housing, NHB has taken steps to augment real resources for housing. Towards this objective it has evolved guidelines to finance land development projects. NHB will appraise a land development project

flexibly keeping in view local conditions, technical feasibility and affordability of different income groups so long as it is an integrated project, that is, including acquisition of land and on-site infrastructure. Funds will be made available in the form of term loans at market rates of interest. To ensure timely execution, NHB will charge higher rate for time overruns. Normally a period not exceeding two years is envisaged for developing land and making site available for construction of shelter.

13.49 NHB has also proposed to extend full support to industries that augment supplies of building materials and|or lead to construction at lower cost. Some of the activities that will get the support of NHB are those related to production and use of (a) locally produced, low-cost building materials and construction components; (b) standardised building materials and components; (c) building materials and components produced by use of agricultural and industrial wastes; (d) building materials and components which replace or reduce substantially the use of scarce resources like wood; and (e) low energy consumption building materials and components.

Sick Industrial Undertakings

13.50 Guidelines were issued to banks regarding (i) period upto which concessions can be granted to a unit when there is more than one package; (ii) deletion of industrial units from the lists of sick| weak units; and (iii) need for uniform approach for funding of interest by banks and financial institutions. The definition of non-SSI 'weak' industrial unit has also been modified as it was observed that the criteria relating to current ratio and cash loss in the earlier definition of non-SSI 'weak' units tended to be restrictive rather than helpful in the identification of units for initiating timely steps for their rehabilitation. In terms of the modified definition, a non-SSI unit is to be termed as 'weak' if it has at the end of any accounting year, accumulated losses equal to or exceeding 50 per cent of its peak net worth in the immediately preceding five years. This classification of 'weak' units covers all categories of industrial units, including those which do not fall within the purview of Sick Industrial Companies (special provisions) Act, 1985 (SICA). Furthermore, the Reserve Bank has issued instructions that no single agency should unilaterally withdraw concessions|reliefs extended to a unit unless this has been agreed upon by all concerned.

13.51 According to data as at the end of December 1987, the total number of non-SSI units identified by banks at sick (as defined under SICA) was 1,119 with outstanding bank credit of Rs. 2,802 crores. Out of these 1,119 units, viability studies in respect of 905 units had been completed and 343 units were considered as viable. Of the 343 units considered viable, 223 units were put under nursing programmes by banks. The total number of non-SSI units identified by banks as 'weak' as at the end of December 1987 was 720 with outstanding bank credit of Rs. 1,657 crores. Out of these 720 weak units, viability studies in respect of 555 units were completed and 270 units were considered as viable. Of the 270 viable units, 158 units were put under nursing programmes by banks.

13.52 As at the end of December 1987, there were 2,04,259 sick SSI units involving bank finance of Rs. 1,797 crores. Out of these units, 12,484 units were considered by banks as potentially viable and 8,470 units were brought under nursing programmes.

13.53 Thus, outstanding aggregate bank credit to all sick|weak units as at the end of December 1987 amounted to Rs. 6,256 crores (or 9.4 per cent of total bank advances).

Reserve Bank's Assistance to Financial Institutions

13.54 The Reserve Bank initially sanctioned to the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) a general line of credit of Rs. 1,500 crores for 1988-89 (July—June) which was enhanced in stages to Rs. 2,700 crores. The maximum outstanding of Rs. 2,467 crores was reached on March 18, 1989. The interest rates to be charged by co-operative banks, RRBs and commercial banks on short-term agricultural advances were reduced by 1 percentage point to 2.5 percentage points effective from March 1, 1988. With a view to compensating the co-operative banks and RRBs for the loss in interest income, NABARD has reduced the rate of interest on refinance to State Co-operative Banks and RRBs for financing seasonal agricultural operations from 7 per cent to 3 to 5 per cent depending upon the involvement of banks' own resources. Keeping in view the need to promote a healthy recovery environment and prevent general write offs and interest reductions, it has been decided that NABARD refinance would be made available only if all the regulations|guidelines laid down regarding repayment of loans and interest as well as conversion, rescheduling, deferment or reliefs are complied with fully, without any deviation.

13.55 The Reserve Bank sanctioned and disbursed long-term loans aggregating Rs. 375 crores to IDBI out of the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund [NIC (LTO) FUND] for the year 1988-89 (July—June) repayable over a period of 15 years at an interest rate of 8 per cent per annum as against Rs. 360 crores sanctioned in the previous year. The IDBI fully availed of the limit. IDBI repaid an amount of Rs. 45.25 crores during the year and its outstanding borrowing from the fund stood at Rs. 3,528 crores as on June 30, 1989. A short-term credit limit of Rs. 300 crores sanctioned to IDBI on May 24, 1988 against the security of eligible usance bills re-discounted by it was valid upto the end of September 1988; this credit limit was not utilised. A fresh limit of Rs. 300 crores was sanctioned to IDBI on February 27, 1989 valid till the end of June 1989; the amount outstanding against this limit was Rs. 262 crores as on March 31, 1989. The facility was availed of by IDBI on a few occasions though no amount was outstanding against this limit as on June 30, 1989.

13.56 EXIM Bank was sanctioned a long-term loan of Rs. 95 crores out of NIC (LTO) Fund for the year 1988-89 (July—June) repayable over a period of 15 years at an interest rate of 7 per cent per annum as against Rs. 90 crores sanctioned in the previous year. EXIM Bank fully availed of the limit and its outstanding borrowing from the Fund stood at Rs. 530 crores as on June 30, 1989.

13.57 The Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) was sanctioned a long-term loan of Rs. 25 crores for the year 1988-89 (July—June) out of NIC (LTO) Fund, repayable over a period of 15 years, at an interest rate of 6 per cent per annum as against Rs. 20 crores sanctioned in the previous year. IRBI fully availed of the limit and its outstanding borrowing from the Fund as on June 30, 1989 stood at Rs. 70 crores.

13.58 The National Housing Bank (NHB) was made eligible to borrow from the Reserve Bank out of the National Housing Credit (Long-Term Operations) Fund [NHC (LTO) Fund] established under Section 46D of the Reserve Bank of India Act, 1934. NHB was sanctioned a long-term loan of Rs. 50 crores for the year 1988-89 (July—June) repayable over a period of 20 years at an interest rate of 5 per cent per annum. NHB fully availed of the facility and the funds are expected to be utilised exclusively for promoting rural housing.

13.59 An ad-hoc borrowing limit of Rs. 30 crores was sanctioned to the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) for the calendar year 1989. An amount of Rs. 15 crores was outstanding against this limit as on June 30, 1989.

13.60 An ad hoc borrowing limit of Rs. 25 crores was sanctioned to the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) for the year 1988-89 (April—March). The facility was availed of on several occasions though no amount was outstanding against this limit as on March 31, 1989. A fresh limit of Rs. 30 crores has been sanctioned to ICICI for the year 1989-90 (April—March). An amount of Rs. 9 crores was outstanding against the limit as on June 30, 1989.

13.61 The Reserve Bank sanctioned fresh ad hoc borrowing limits aggregating Rs. 82.86 crores to 17 State Financial Corporations (including Tamil Nadu Industrial & Investment Corporation) against ad hoc bonds guaranteed by the respective State Governments. These limits were valid upto June 25, 1989. Two corporations were given extension for repayment of their borrowings. As on June 30, 1989, an aggregate amount of Rs. 12.50 crores was outstanding against these limits.

14. DEVELOPMENTS RELATING TO CO-OPERATIVE BANKING

Primary Co-operative Banks

(i) Progress.

14.1 The policy enunciated in 1986 to grant licences to new urban co-operative banks in districts devoid of urban banking facilities was continued during the year 1988-89. The Reserve Bank cleared during the year 15 proposals for registration by the Registrars of Co-operative Societies of the States concerned and issued licences to 7 banks to commence and carry on banking business. At the end of June 1989, there were 1,331 primary co-operative banks in the country including 92 salary earners' banks (excluding banks under liquidation) as compared with 1,325 primary co-operative banks at the end of June 1988 ; these included 33 Mahila (or Women's) banks. During the year, 11 existing banks were also granted licences to carry on banking business in India taking the total number of licensed primary urban co-operative banks to 982. At the end of June 1989, applications for issue of licence to commence and carry on banking business were awaited in respect of 20 proposals cleared by the Reserve Bank for registration.

14.2 Permission was granted to 29 primary co-operative banks during the year to open 33 new places of business. Furthermore, 2 urban co-operative banks and one salary earners' bank were granted permission to open an extension counter each. At the end of December 1988, the number of offices of primary co-operative banks stood at 3,183 as against 3,119 offices at the end of June 1988.

14.3 The names of 11 primary co-operative banks each with demand and time liabilities of over Rs. 50 crores were included in the second schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934. This is the first time when primary co-operative banks have been scheduled. Out of these banks, 8 are in Maharashtra and 3 in Gujarat.

14.4 Primary co-operative banks have been advised to lend 60 per cent of their total advances to the priority sector. Out of 476 reporting urban banks, 335 banks had achieved this level at the end of June 1988.

14.5 As at the end of December 1988, the owned funds, deposits and advances of primay co-operative banks aggregated Rs. 1,008 crores, Rs. 6,300 crores and Rs. 5,200 crores, respectively, as against Rs. 837 crores, Rs. 5,251 crores and Rs. 4127 crores, respectively, at the end of December 1987.

(ii) Refinance Facilities.

14.6 During 1988-89 (April—March), short-term credit limits aggregating Rs. 26 crores were sanctioned to 5 State co-operative banks on behalf of 52 primary co-operative banks for financing working capital requirements of 22 broad group of cottage/small-scale industrial units as against Rs. 28 crores sanctioned on behalf of 57 primary co-operative banks in the previous year. Drawal during 1988-89 aggregated Rs. 24 crores, of which an amount of Rs. 22 crores was outstanding as on March 31, 1989.

(iii) Non-Resident Accounts.

14.7 As at end of June 1989, 40 primary co-operative banks were authorised to open and maintain Non-Resident [External/Non-Resident (Ordinary)] Accounts in Rupees.

(iv) Statutory Inspections

14.8 During the year, inspections of 491 primary co-operative banks were conducted. In respect of one bank where major deficiences were noticed, the Government of India issued in March 1989 an order of moratorium for a period of six months.

State and Central Co-operative Banks

14.9 The total number of licensed State co-operative banks and Central co-operative banks remained unchanged at 8 and 37, respectively. During the year, licences were issued to 6 State co-operative banks for opening 18 offices/extension counters.

Agricultural Credit Review

14.10 The Senior Expert Group, since renamed the Agricultural Credit Review Committee, submitted to the Reserve Bank its Draft (Final) Report in March 1989. The five consultants appointed for conducting detailed studies have also submitted their final reports.

15. OTHER DEVELOPMENTS

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

15.1 The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) made further progress during the year under review in providing insurance cover to small depositors in banks and guarantee support to credit facilities extended by banks and other eligible financial institutions to certain categories of small borrowers in the priority sectors, including small-scale industrial units.

15.2 The scope of guarantee support has been extended with effect from April 1, 1989 to cover the entire priority sector advances to agriculture, small borrowers, and small scale industry. Besides, its deposit insurance scheme, DICGC operates five credit guarantee schemes—four for small borrowers engaged in a wide range of activities, and one for SSI units.

15.3 The number of insured banks increased from 1,907 as on June 30, 1988 to 1,908 as on June 30, 1989.

15.4 The deposit insurance scheme covers 82 commercial banks, 196 RRBs, and 1630 co-operative banks in 16 States and 3 Union Territories. The insured deposits amounted to Rs. 90,192 crores, representing 71.1 per cent of the total assessable deposits at the end of June 1988.

15.5 The number of credit institutions participating in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 increased from 265 at the end of June 1988 to 267 at the end of June 1989, while those participating in the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971, remained unchanged at 178. The number of State Financial Corporations (including State Industrial Development Corporations) participating in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 and the primary urban co-operative banks participating in the Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 also remained same at 20 and 87, respectively, at the end of June 1989. The total guaranteed advances to small borrowers under the above four schemes aggregated Rs. 14,291 crores at the end of June 1988 indicating a rise of 28.6 per cent over the previous year.

15.6 The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 rose from 536 at the end of June 1988 to 545 at the end of June 1989. The guaranteed advances to small-scale industrial sector increased from Rs. 7,738 crores at the end of June 1987 to Rs. 10,465 crores at the end of June 1988, recording a rise of 35.2 per cent.

15.7 During the period July 1988—March 1989, the Corporation received 10.39 lakh claims for Rs. 248 crores in respect of the guarantee schemes relating to small borrowers and 0.64 lakh claims for Rs. 140 crores in respect of its scheme for small-scale industries. During the same period, 7.80 lakh claims for Rs. 169 crores in respect of small borrowers and 0.53 lakh claims for Rs. 101 crores in respect of the SSI scheme were settled by the Corporation.

15.8 The guarantee claims received by the Corporation have been exceeding the guarantee fee receipts since 1984. According to the system of valuation of the Corporation's liability on an actuarial basis, the Credit Guarantee Fund disclosed a deficit of Rs. 149 crores as on March 31, 1989 which was adjusted by transfer from the Deposit Insurance Fund of Rs. 221 crores, reducing thereby the Deposit Insurance Fund to Rs. 72 crores. In the previous year also a deficit of Rs. 265 crores in the credit Guarantee Fund was adjusted by transfer from the Deposit Insurance Fund of Rs. 349 crores. The Corporation has raised its guarantee fee rate to 1.5 per cent per annum uniformly from April 1, 1989. The Corporation's accounting year has been changed from January-December to April-March.

Non-Banking Companies—Regulations Governing Acceptance of Deposits

15.9 The Reserve Bank's directions of 1977 applicable to financial companies have been amended in terms of Notification dated March 28, 1989. The amendment, inter alia, provides for raising the minimum and maximum periods for which deposits can be accepted/renewed by hire-purchase finance, equipment leasing and housing finance companies and imposes, for the first time, ceiling restrictions in respect of quantum and rates of interest and brokerage on deposits accepted by housing finance companies. The rates of brokerage payable to brokers have also been raised and brought on par with those payable by non-financial companies. With a view to protecting the interest of depositors, the Companies (Amendment) Act, 1988, inter-alia, has empowered the Company Law Board to take cognisance of non-payment of deposits by any non-banking company and provide adequate relief to the depositors by issuing orders to the defaulting company to make repayment of such deposits.

Non-Banking Companies—Chit Funds Act, 1982

15.10 The Chit Funds Act, 1982 has become operative in 17 States|Union Territories and the Government of India have since issued a notification to bring into force the Act in the State of Rajasthan with effect from July 1, 1989. Necessary follow-up action is being taken with the remaining States.

Acceptance of Deposits by Un-incorporated Bodies

15.11 During the year under review, five more State Governments issued notification authorising suitable officers to take action against unincorporated bodies as envisaged in Sections 45T and 58E of the Reserve Bank of India Act, 1934, thereby bringing the total number of such States|Union Territories to 20.

15.12 Apart from the action taken by the State Governments, the Reserve Bank either singly or with the assistance of the State police|Government officials has so far conducted raids in the office premises of 114 unincorporated bodies located in Gujarat, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Delhi. Prosecution proceedings have been launched against 17 such bodies for violation of the provisions of Chapter IIIC of the Reserve Bank of India Act, 1934. While fine has been levied in one case, in another case proceedings have been quashed. The ramaining cases are in different stages of proceedings.

Trend in Growth of Deposits with Non-Banking Corporate Sector

15.13 Aggregate deposits with 10,166 non-banking companies as on March 31, 1988 stood at Rs. 24,917 crores as against Rs. 21,400 crores held by 9,916 companies at the end of March 1987—an increase of Rs. 3,517 crores over the year. Non-financial companies numbering 2,691 held a total of regulated deposits of Rs. 3,706 crores and exempted deposits of Rs. 14,583 crores accounting for a major share of company deposits in the non-banking corporate sector. Financial companies numbering 7,475 (including 1,148 miscellaneous non-banking companies) held regulated and exempted deposits aggregating Rs. 739 crores and Rs. 5,889 crores, respectively, at the end of March 1988. Regulated deposits of Rs. 4,445 crores with the non-banking corporate sector as on March 31, 1988 constituted 3.8 per cent of total deposits with all scheduled commercial banks as compared with 4 per cent in March 1987. Regulated deposits with non-banking companies rose by 9 per cent during 1987-88, as against the rise of 14.9 per cent in deposits of scheduled commercial banks. Details of deposits held by different categories of companies as at the end of March 1987 and 1988 are presented in the table below.

Deposits with the Non-Banking Corporate Sector (End March)

(Rupees crores)

Category	1986-87 No. of Companies reporting	1986-87 Amount	1987-88* No. of Companies reporting	1987-88* Amount
1	2	3	4	5
Aggregate deposits (i + ii)	9,916	21,400	10,166	24,917
(i) Regulated deposits		4,077		4,445
(ii) Exempted deposits		17,323		20,472
A. Deposits held by :				
(i) Government companies	63 (0.6)	11,958 (55.9)	109 (1.1)	12,766 (51.2)
(ii) Public limited companies	3,143 (31.7)	7,924 (37.0)	3,176 (31.2)	9,961 (40.0)
(iii) Private limited companies	6,710 (67.7)	1,518 (7.1)	6,881 (67.7)	2,190 (8.8)
B. Deposits held by :				
(i) Financial companies	5,957 (60.0)	5,206 (24.3)	6,327 (62.2)	5,852 (23.5)
(ii) Non-financial companies	2,803 (28.3)	15,459 (72.3)	2,691 (26.5)	18,289 (73.4)
(iii) Miscellaneous Non-Banking conpanies	1,156 (11.7)	735 (3.4)	1,148 (11.3)	776 (3.1)

* Provisional

Note : Figures in brackets are percentages to total number of reporting companies/aggregate deposits as the case may be.

16. DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE CONTROL

Blanket Exchange Permit Scheme—Liberalisation.

16.1 Mention was made in the last year's Report about liberalisation of the new Blanket Exchange Permit Scheme introduced in June 1987. The scheme was further liberalised in 1988-89. The 100 per cent export-oriented units holding green cards issued by the Ministry of Commerce are eligible for blankt permits during the initial period of two years of their operation irrespective of their export performance. This facility has been extended to new units operating in the export processing zones even if such units do not have to their credit the required minimum export performance during the initial period of two years of operation. Besides, the number of approved purposes for which exchange can be drawn against blanket permits has been considerably enlarged to cover many more items of expenditure connected with export promotion and allied activities. The total number of approved purposes now stands at 24.

Engagement of Foreign Nationals

16.2 Before August 1988. companies|firms were required to obtain prior permission from the concerned Administrative Ministry of the Government of India for engagement of foreign technicians|technical experts except in cases where the engagement was for a short period not exceeding three months for attending to an emergency or break-down of plant|machinery. This procedure has been modified and the Reserve Bank now deals with all types of applications for engagement of foreign technicians|technical experts by companies and firms in India, subject to compliance with the following conditions :

(i) The total duration of the engagement of foreign technician|s or technical expert|s by any Indian company|firm should not exceed 12 man-months in a full calendar year.

(ii) The payment towards fees|remuneration to any single foreign technician|technical expert should not exceed US $ 500|- per day.

(iii) In the case of payments in foreign exchange on company-to-company basis, the total payment by any Indian company to all foreign companies|firms taken together on account of services of foreign technicians|technical experts should not exceed U.S. $ 50,000|- in a full calendar year.

Further, companies|firms holding blanket exchange permits have been permitted to utilise their blanket permits to meet expenditure in foreign exchange for engageemnt of foreign technicians|technical experts, provided they have obtained the Reserve Bank's prior permission for such engagement.

Rupee Loans|Overdrafts to NRIs for Direct Investment in India.

16.3 With a view to further encouraging investment in India by non-resident Indians, the Reserve Bank has started considering, on merits, applications of authorised dealers for grant of rupee loans|over drafts to non-residents of Indian nationality|origin against security of fixed deposits in their NRE|FCNR accounts for making direct investments in India, on non-repatriation basis, in the following areas in addition to manufacturing activities and export-oriented trading activities :

(a) Hospitals (including diagnostic centres) ;

(b) Hotels with 3, 4 or 5 star rating ;

(c) Shipping companies ;

(d) Development of computer software ;

(e) Oil exploration services ; and

(f) Any industry listed in Appendix I to the Ministry of Industry's Press Note dated February 2, 1973 or any other export-oriented industry.

Scheme for Manufacture and Export of Gold and Silver Jewellery and Articles.

16.4 The Government of India has introduced a new scheme known as 'Scheme for Export of Gold and Silver Jewellery and Articles from Export Processing Zones (EPZs) and 100 per cent Export-Oriented Complexes' under which units in these zones| complexes are permitted to import raw materials, intermediates and components made out of gold or silver for manufacture and export of jewellery. The government has permitted the State Bank of India to make available to such units gold imported by it under the Gold Jewellery Export Promotion and Replenishment Scheme. Similarly, the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. has also been permitted by the Government to import gold into India for supply to such units to enable them to manufacture jewellery for export. In order to obviate the need for securing specific export licences from the Reserve Bank as required under Section 13(2) of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, the Reserve Bank has granted special permission to these units for sending out of India gold|silver jewellery under the provisions of the Scheme.

Overseas Contracts for Management|Technical|Consultancy Services.

16.5 Indian companies|firms|undertaking various types of service contracts abroad and requiring fund-based and|or non-fund-based facilities from authorised dealers, the EXIM Bank, and the Export Credit and Guarantee Corporation of India (ECGC) were required to obtain prior clearance of the Working Group of financial institutions at the pre-bid stage, irrespective of the value of their bids|offers. With effect from May 1, 1989, powers have been delegated to authorised dealers and the EXIM Bank to grant pre-bid clearance for export of management|technical|consultancy services up to the monetary limit of Rs 2 crores and Rs. 5 crores, respectively

NRI Bond Issue by State Bank of India.

16.6 Mention has been made in Part I of the Report regarding the NRI bond issue by the State

Bank of India. The issue opened on November 14, 1988 and closed on February 15, 1989. The maturity period of the bonds is seven years and they carry 11.5 per cent per annum interest compounded at half-yearly intervals. Interest on the bonds is payable at maturity or on an annual basis depending on the option exercised by the investors. The bonds can be gifted by the NRI bondholders to other NRIs or to close relatives resident in India. The bonds will continue to be denominated in U.S. dollar even if the holder becomes resident in India subsequent to acquisition of the bonds or the bonds are gifted by non-residents to close relatives resident in India. The principal amount of the bonds on maturity and the periodical interest thereon will be paid to the bondholders after converting the amounts into rupees at the State Bank of India. T.T. buying rate for U.S. dollar prevailing on the date of payment. In order to enable the holders of NRI bonds to raise rupee funds for meeting their genuine financial requirements in India, they have been granted the facility of obtaining rupee loans against the security of the bonds for specified purposes.

Exchange Risk Administration Scheme.

16.7 With a view to providing a measure of protection to the sub-borrowers of three financial institutions, viz., ICICI, IDBI and IFCI, against the exchange risk inherent in their medium and long-term borrowings in foreign exchange, these three financial institutions have launched a scheme known as the 'Exchange Risk Administration Scheme' (ERAS) with effect from April 1, 1989. The benefit of cover under the scheme is available to new foreign currency sub-loans disbursed on or after April 1, 1989 by the financial institutions out of their external commercial borrowings. Undisbursed portions of foreign currency loans sanctioned prior to April 1989 are also eligible for cover under the scheme by mutual consent between the concerned financial institution and the sub-borrowers. While eligible borrowers have an option to join the scheme in respect of each loan, the option once exercised will be irrevocable during the currency of the loan. Initially the scheme will be in operation for two years. However, all disbursements made within the two year period would be eligible for cover during the full duration of the loans.

16.8 The repayment obligations in respect of the principal amounts of the sub-loans will be rupee-tied at the rates prevailing on the dates of disbursement. The interest liability of the sub-borrowers, the spread of the financial institutions and the exchange risk premium would be merged into a 'composite cost' with ceiling and floor rates. The actual rate within the band will be announced from time to time and be payable at quarterly intervals. The exchange risk premium in the composite cost will be credited to a fund called 'Exchange Risk Administration Fund' set up and administered by IDBI.

RIFEE Scheme.

16.9 The facility of release of foreign exchange upto 50 per cent of the total amount of foreign exchange (including balance held in NRE and FCNR accounts) repatriated to India by non-residents of Indian nationality or origin returning to India for permanent settlement was earlier available for a period of 10 years from the date of return to India. This period has since been enhanced to 15 years.

16.10 Under the RIFEE scheme, foreign exchange is also released to permit holders or their dependants for specified purposes so long as the permit holders are resident in India. The permit holders cannot draw exchange against their RIFEE permit once they become non-resident. As an exception, it has been decided that RIFEE permit holders may be allowed to draw foreign exchange against their permits for education abroad of dependant children|wards even if the children|wards take up residence abroad with their parents|guardians.

Opening of Transferable Letters of Credit.

16.11 Authorised dealers were hitherto required to take prior permission of the Reserve Bank for opening transferable letters of credit in favour of overseas suppliers of goods for import into India. Authorised dealers have since been permitted to open transferable letters of credit for import of goods into India providing for transfer of interest from the first beneficiary to another beneficiary, if the second beneficiary is also a resident of the same country. If, however, the second beneficiary of the credit is resident in another country, the transfer would be permissible only if both the countries fall in the External Group and are not members of the Asian Clearing Union.

Despatch of Shipping Documents.

16.12 Authorised dealers are required to despatch shipping documents expeditiously to their overseas branches|correspondents to enable the latter to deliver the documents in time to overseas buyers for obtaining delivery of goods. Authorised dealers have now been permitted to despatch shipping documents direct to consignees in respect of export shipments where full payment has been received in advance or an irrevocable letter of credit has been opened for the full value of the consignment, and the underlying sale contract|letter of credit itself provided for despatch of shipping documents direct to the consignee.

Reduction in Invoice Value of Exports from India.

16.13 Authorised dealers handling shipping documents were hitherto permitted to accept requests from their exporter—constituents to allow reduction in invoice value upto 10 per cent of value of a shipment for valid reasons subject to a monetary ceiling of Rs. 10,000. With a view to facilitating disposal of more applications of exporters for reduction in invoice value of export shipments by authorised dealers themselves the monetary limit has been enhanced to Rs. 20,000 within the ceiling of 10 per cent.

Opening of Offices.

(i) By Indian Companies Abroad.

16.14 During 1988-89 (July—June), approvals were granted to Indian companies|firms for opening

30 trading and 90 non-trading offices abroad. Approvals were also granted to 26 Indian companies| firms to post representatives abroad.

(ii) By Overseas Companies in India.

16.15 During the same period, 64 overseas companies|firms were granted permission to open new liaison|representative offices in India. In addition, permission was also granted for opening 15 project offices by overseas companies engaged in execution of contracts in India.

Asian Clearing Union.

16.16 The Seventeenth Meeting of the Board of Directors of the Asian Clearing Union (ACU) was hosted by the Reserve Bank of India in Bombay on March 2 and 3, 1989. ACU was established in December 1974 on the initiative of the Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) with the objectives of providing facility to settle, on multilateral basis, payments for current international transactions, promoting use of the participants' currencies in current transactions, and promoting monetary co-operation among the participants. ACU Board meeting in Bombay was attended by Governors and senior officials of Central Banks of six countries, viz., Burma, Islamic Republic of Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka and India; the General Manager of ACU and representatives of UNCTAD and ESCAP also participated in the meeting. ACU Board considered the Annual Report for 1988 and noted that the volume of transactions channelled through ACU mechanism in the year showed a substantial rise over the previous year. It is also noted with satisfaction that only 26 per cent of the total transaction among the participants were settled in foreign exchange in 1988, compared with 36 per cent in 1987. Furthermore, ways and means to expand the scope of ACU's activities and its membership was also discussed. A noteworthy achievement of the meeting was the decision of the Board to introduce a swap arrangement amongst ACU members, as a temporary facility for members facing deficit at the time of bi-monthly settlements.

17. ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF THE BANK

Currency Chests

17.1 The total number of currency chests as at the end of March 1989 was 3,730 (excluding 489 repositories). Of these, 17 currency chests are maintained with the Reserve Bank, 2,703 with the State Bank of India and its associate banks, 599 nationalised banks, 406 with treasuries and sub-treasuries and 5 with Jammu and Kashmir Bank Ltd.

New Mint at Noida

17.2 A new mint was established in 1988 in Nodia (in Ghaziabad district of Uttar Pradesh) with a view to augmenting the supply of coins in the country. This mint commenced production of cupro-nickel coins of Re. 1|- denomination and stainless steel, coins of 50 paise, 25 paise and 10 paise denomination from July 1988.

1371 GI/90—23

Committee on Currency Management

17.3 A Committee was constituted in December 1988 under the chairmanship of a Deputy Governor of the Reserve Bank to go into the entire gamut of currency management, including the question of evolving methods, systems, procedures and technologies suited to Indian conditions to meet the challenges emanating from the issue functions of the Reserve Bank in the next decade.

Surveys

17.4 A survey of 'Foreign Currency Non-Resident Deposits and Non-Resident External Accounts' maintained by non-resident Indians with authorised dealers was launched in December 1988. The objective of the survey is to estimate the maturity pattern of hese deposits. This survey is also expected to provide an insight into related aspects such as country of residence of depositors, sources of funds etc. In all, 559 branches of banks authorised to deal in foreign exchange, spread over the country, have been selected for the survey by adopting appropriate sampling techniques. The scrutiny and processing of the schedules received is in an advanced stage.

17.5 Following the encouraging response received from the first survey of investment intentions conducted in 1987, a second survey of 'Investment Intentions in the Corporate Sector' seeking information from 1,541 selected companies on their actual investments in 1987-88 and intended investments in 1988-89 was taken up in January 1989. The results of this survey are expected to provide an insight into the likely requirements of funds by the private corporate sector during 1988-89 and 1989-90 and also help financial institutions to plan suitably their financial resources.

17.6 A new project relating to 'Corporate Investments in 1989—A Forecast' was taken up in December 1988. The objective of the project was to forecast investment in the private corporate sector in 1989, based on data relating to expected phasing of capital expenditures on projects sanctioned by the term lending institutions, viz., IDBI, IFCI and ICICI. The corporate investment forecast for 1989 based on this project has been indicated in Part I of the Report.

17.7 During the year, the 'Census of India's Foreign Liabilities and Assets with March 31, 1987 as the reference year was completed. The processing of the data collected is in progress.

Development of Telecommunication Network

17.8 Mention was made in the last year's Report about the Store and Forward (SFT) Network which became operational in the Reserve Bank from September 1987. This network was commissioned in the Bank for quicker inter-office communication for which leased lines have been hired from the Post and Telegraph Department for exclusive use of the Bank. Since installation, there has

been an upward trend in the use of network system.

Mechanisation|Computerisation

17.9 An upgraded computer system with increased capacity faster processing of data has been installed at the Bank's Central Accounts Section, Nagpur. In addition to the work relating to the Remittance Facilities Scheme, the accounting of Central|State Government deposits and the accounts of the Railways, Defence, Posts &—Telegraphs, which were earlier computerised, the work relating to the Central Board of Direct Taxes has also been computerised.

17.10 Following the first phase of computerisation of the Issue Department of offices at Byculla, Nagpur, Ahmedabad and New Delhi for handling currency chest accounts, nine more offices have been taken up under the second phase of computerisation programme. The Claims Section of Issue Department at Bombay is also being computerised. It is proposed to extend the programme to other offices in stages.

17.11 A computer system has been installed in the Central Office of the Department of Banking Operations and Development. Computer systems have been installed in the Bangalore and New Delhi offices of Department of Financial Companies on the lines of the Central office at Bombay. Computer system will be installed in the Urban Banks Department, Department of Currency Management, Department of Government and Bank Accounts, Exchange Control Department, Rural Planning and Credit Department and Industrial and Export Credit Department. Personal computers have been provided to the Personnel Policy Department, Reserve Bank Staff College (Madras), Bankers Training College (Bombay), College of Agricultural Bank (Pune) Zonal Training Centres at Madras, Byculla and Calcutta, Department of Economic Analysis and Policy, and Credit Planning Cell for effective data management. A perspective plan for computerisation in the Reserve Bank is under preparation.

17.12 In the area of office automation, several new technological aids to speed up work and improve efficiency have been introduced. Advanced ledger posting machines are being introduced in the Deposit Accounts Department, Bombay, Madras and New Delhi. A signature capture and retrieval system has been installed at Bombay and Byculla offices. This is expected to speed up retrieval and verification of signature and thereby improve customer service. Facsimile machines have been installed in the Department of External Investments and Operations and the Exchange Control Department. Similar machines will be introduced shortly in Bombay, New Delhi, Madras and Calcutta offices. Desk top publishing systems have been introduced in the Personnel Policy Department and Reserve Bank Staff College (Madras).

Microfilming of Records

17.13 In the context of space problem and the need for better record management, the Reserve Bank has been examining the desirability of microfilming its records. A beginning is being made in microfilming of records in a few departments of the Central Office. The necessary equipment has been selected and ordered.

C. D. Deshmukh Memorial Lecture

17.14 The Chintaman Deshmukh Memorial Lecture, which was instituted by the Bank in the memory of Dr. C.D. Deshmukh its first Indian Governor, was delivered by Mr. Michel Camdessus Managing Director of the International Monetary Fund on October 4, 1988 in Bombay. Mr. Camdessus spoke on 'The Evolving International Monetary System: Some Issues'. This was the fifth Lecture in the series.

National Conference on Banking Development

17.15 As part of commemoration of 40 years of India's Independence and the Jawaharlal Nehru Birth Centenary, the Reserve Bank organised a National Conference on Banking Development at the Indira Gandhi Institute of Development Research, Bombay, on November 12, 1988 Participants in the Conference included Chairmen and senior officers of banks and financial institutions and representatives of the academic profession and it was inaugurated by the Governor of the Reserve Bank The conference discussed the following themes based on papers presented by bankers, the Reserve Bank officials and eminent academicians :

(i) Diversification of Financial Markets and Challenges Confronting Banks;

(ii) Banks and Rural Development; and (iii) Efficiency, Productivity and Customer service in Banks.

Bankers Training College, Bombay

17.16 The Bankers Training College inroduced a number of new|innovative programmes, including seminars and workshops on subjects of topical interest, such as Exports, Computer Management, Capital| Stock Market, Credit Recovery Management, Security Management and Foreign Exchange. Computer inputs were also introduced in most of the programmes to facilitate dissemination of knowledge relating to computer applications in the banking industry. In furtherance of the objective of promoting use of Hindi in the training institutions run by the banks, the College conducted as many as 14 programmes through the medium of Hindi, besides launching a quarterly journal entitled 'Banking Chintan Anuchintan' devoted to the cause of propagating the use of Hindi in wider banking transactions. During the year, the College conducted 103 programmes with 2,348 participants, bringing the total number of participants trained at the College since its inception in 1954 to 37,439.

Reserve Bank Staff College, Madras

17.17 The Reserve Bank Staff Training College continued to conduct during the year—which marked its Silver Jubilee Year—broad spectrum programmes, which included the restructured intensive Induction Programme for new recruits, and the Development Programmes, for the promotee|merit list officers, and the functional programmes specifically designed to cater to the growing needs of various departments. The College also served as a forum for conduct of a programme on Executive Health and a Workshop in Currency Management for the Treasurers of the Cash Department. The new programmes initiated by the College covered the areas of credit management, statistics, merchant banking, computer knowledge, besides an Induction Programme for the directly recruited Research Officers in the Department of Economic Analysis and Policy and Department of Statistical Analysis and Computer Services. During the year the College conducted 72 programmes, imparting training to 1,671 officers, raising the total number of officers trained since its inception in 1963 to 24,198. Officials of the Central banks of Tanzania, Kenya, Botswana, Malawi, Bhutan, and Uganda also participated in some of these programmes.

College of Agricultural Banking, Pune

17.18 The College continued to cater to the training needs of personnel of co-operative banks, Commercial Banks, NABARD and the Reserve Bank in the field of agricultural finance, rural banking, and allied subjects, During the year, the College introduced several new programmes, including Rural Financing Programme, Programme on the Rural Development Pojects, a Workshop for Voluntary Agencies, Seminars on Development of Scheduled Castes and Selected Districts, Recovery of Loans, Banking for the Rural Poor, as also South Asian Rural Banking Trainers Training Programme (in collaboration with APRACA). In most of these programmes, focus was placed on the Service Area Approach. The College conducted 11 programmes through the medium of Hindi. During the year, the College conducted 102 programmes imparting training to 2,315 officers, raising the total number of officers trained since its inception 1969 to 33,238.

Zonal Training Centres

17.19 The Zonal Training Centres (ZTCs) of the Bank at Byculla (Bombay), Calcutta, Madras and New Delhi continued to cater to the training needs of the Bank's Class III and Class IV staff. Two programmes for clerical staff were conducted through the medium of Hindi. During the year, 1,473 Class III and 336 Class IV staff received training at the ZTCs, raising the total number of staff trained to 34,936 and 2,090, respectively.

Training in Commercial Banks

17.20 Under the scheme of training of Reserve Bank's officers in commercial banks introduced in 1986, 38 officers in Grades A to C and 3 senior officers completed their training in commercial banks during the year. The second batch of 38 officers in Grades A to C are undergoing training in commercial banks while 4 senior officers have been attached to commercial banks for in-depth exposure in key departments.

Deputation of Staff for Training in India and Abroad

17.21 The Bank deputed 358 officers to participate in training programmes, seminars and conferences organised by management institutes of repute in India. Two officers are attending the M. Phil. course in applied economics at the Centre for Development Studies, Trivandrum. The Bank also deputed 25 officers for training and study to banking and fiancial institutions in the USA, UK, Switzerland, West Germany and Japan.

17.22 Under the scheme of awarding scholarships to the Bank's officers for higher studies abroad, formulated as part of the Golden Jubilee Celebrations of the Bank, four officers completed their study during the year. The third batch of four officers is now studying in various universities abroad and 4 more officers have been selected for higher studies under the scheme.

Training Facilities to Officers of Foreign Banks

17.23 The Bank continued to extend training and study facilities to participants from foreign central and commercial banks in response to specific requests received from them and 65 foreign participants—12 from Sri Lanka, 8 from Bhutan, 7 from Kenya, 6 each from Afghanistan and Iran, 5 from Tanzania, 4 each from Nepal, Zambia and Somalia, 3 from Botswana, and 1 each from Uganda, USSR, Nigeria, Sudan, Ethiopia and Malawi availed of training facilities in the Reserve Bank during the year.

Training in Computer Technology

17.24 The scheme of incentives for acquiring qualification in the field of computers continued to evoke encouraging response from the staff.

Employer-Employee Relations

17.25 Barring some stray instances of 'Dharna' and one day's token strike resorted to by each of the unions of workmen employees the industrial relations climate in the Bank was, by and large, peaceful. In keeping with the Bank's usual practice, the Bank was able to maintain essential customer service at most of the offices of those days. Notable developments in the area of industrial relations are : (i) nomination of a senior officer of the Bank to act as Liaison Officer for the ex-servicemen employees of the Bank at the suggestion of the Government, (ii) further progress of negotiations on the Charter of Demands on service conditions of the workmen employees, and (iii) one meeting of the Joint Consultation Council of the associations of officers.

17.26 As welfare measure, the Bank introduced a Group Savings-Linked Insurance Scheme administered

by the Life Insurance Corporation of India for the benefit of the Bank's full-time employees with effect from November 14, 1988. The scheme received overwhelming support from the employees inasmuch as 91 per cent of the existing employees have subscribed to it.

Representation of Scheduled Castes|Scheduled Tribes

17.27 The respective total strength of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in the Bank as on January 1, 1989 was 2,050 and 552 in Class IV, 2,283 and 1,025 in Class III and 421 and 86 Class I. Particulars of direct recruitment in various classes of service in the Bank during 1988 and the representation of Scheduled Castes|Scheduled Tribes in the total recruitment are given below. Inspection of rosters was carried out during 1988 at the Bank's offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Calcutta, Chandigarh, Jaipur, Jammu, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna.

Category	Total No. of Candidates Recruited	Of which		Percentage to Total	
		SCs	STs	SCs	STs
1	2	3	4	5	6
Class I	53	2	1	3.8	1.9
Class III	356	52	12	14.6	3.4
Class IV	395	131	42	33.2	10.6

Employment of Ex-Servicemen

17.28 During the calendar year 1988, out of 356 vacancies to be filled in Class III and 395 in Class IV, 52 and 97 vacancies, respectively, were required to be reserved for ex-servicemen at the prescribed rate of reservation of 14.5 per cent and 24.5 per cent, respectively. As against this, 38 vacancies in Class III and 48 vacancies in Class IV were filled in by appointment of ex-servicemen and the total strength of ex-servicemen was 695 in Class III and 977 in Class IV as on December 31, 1988. The Bank has recently decided to extend relaxation in educational qualification prescribed for the post of typist in favour of ex-servicemen. Accordingly, ex-servicemen who have passed Matriculation or its equivalent examination from the armed forces and rendered at least 15 years of defence service are treated as academically qualified for the post of typist.

Promotion of Hindi

17.29 The Bank not only continued to maintain but also further intensified various measures to accelerate the progressive use of Hindi in the institution. Notable among these were the efforts to vigorously implement the Annual Programme of the Government of India for 1988-89 to promote the use of Hindi in various offices and departments of the Bank. The Bank's reports and publications, including the Annual Report, Report on Trend and Progress of Banking in India, Reserve Bank of India Bulletin, RBI Newsletter, and Credit Information Review, were published bilingually. Translations of as many as 33 manuals, out of 43 manuals, were completed during the year.

17.30 During the year, four Hindi Workshops were conducted for senior officers under the aegis of the Gujarat Vidyapeeth, besides intensive training programmes and workshops for other officers and members of staff to improve their proficiency in the use of Hindi in noting, drafting and correspondence. This apart, training of the staff to prepare them for examinations under the Government of India's Hindi Teaching Scheme, as also for typewriting and stenography in Hindi, was arranged. The Official Languages Implemetation Committees functioning in the Central Office as well as at various other offices of the Bank continued to be active and met regularly to monitor the progressive use of Hindi through overseeing implementation of various decisions and achievements of specific targets, etc.

17.31 A major development related to the recommendations made by the Central Official Language Implementation Committee, in pursuance of which the Government of India had issued certain guidelines|instructions regarding use of Hindi, inter alia, in the training institutions run by the public sector banks as also by the Reserve Bank. The instructions included arrangements for preparation of teaching material both in Hindi and English, and imparting training in Hindi language to the instructors who do not have a working knowledge of Hindi. The responsibility for monitoring the various arrangements in his behalf in respect of the training institutions of the public sector banks, besides the Reserve Bank's own training establishmets, was entrusted to the Reserve Bank. A Co-ordination Committee consisting of representatives of the banks as also of the Reserve Bank was formed to work out modalities, action plans, etc., to implement the Government's decisions. The committee is monitoring the task of translating into Hindi the training material including hand-outs, brought out by the training institutions of the banks, including the Reserve Bank's own training establishments. The thrust is now on bringing out the new training material bilingually. It is also proposed to prepare a 'Banking Paribhasha Kosh', covering terminology on subjects like agriculture and social banking, foreign exchange and credit, etc. This will be done by the Bankers Training College and the College of Agricultural Banking, in coordination with the national Institute of Bank Management. With a view to exposing the teaching faculty of training institutions to the knowledge of Hindi, so as to enable them to impart instruction in some of their courses in Hindi, they are being deputed to the

Hindi Workshops being organised under the aegis of the Gujarat Vidyapeeth, as also to training programmes for faculty conducted by the Central Hindi Training Institute, New Delhi.

17.32 As mentioned earlier, another development was the launching of a quarterly journal titled '*Banking Chintan-Anuchintan*'. This journal has been launched by the Bank through its Bankers Training College, in association with the Indian Banks' Association, with a view to encouraging original writings and disseminating know-how and terminology, etc., on banking and allied subjects in Hindi. The journal is meant for circulation throughout the banking industry and four issues have so far been brought out.

17.33 Competitions for the Reserve Bank shield and prizes among the public sector banks for outstanding performances in the progressive use of Hindi in regions A, B and C were organised. Shields and prizes were also awarded for inter-office and inter-departmental competitions within the Bank.

17.34 The Bank also continued to publish its house magazine, 'Without Reserve', with appropriate coverage in Hindi.

Office Premises and Residential Quarters

17.35 During 1988-89, a sum of Rs. 19.63 crores was spent on construtcion|acquisition of office buildings and residential quarters, additions|alterations to the existing premises and purchase of land. The construction of an additional office building in Nagpur with an area of 1.17 lakh sq. ft. and the extension to the office building in Bangalore adding 0.42 lakh sq. ft. office space were completed. In addition, construction of 174 flats for Officers, 240 for Class III staff and 80 for Class IV staff was also completed in Bangalore, Bombay, Chandigarh, Jammu and Kanpur. Work on the office building project in Cochin and residential flats for Officers and staff in Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Kanpur and Trivandrum is at an advanced stage and these are expected to be ready in 1989-90. Work on the office building project at Bhopal is half-way through, while that at Jammu is in progress.

Holiday Homes

17.36 The construction of additional rooms in the holiday home at Udhagamandalam (Ooty) has been taken up. Acquisition of property for establishing a holiday home at Darjeeling has been initiated.

Housing Loans

17.37 During 1988-89 (July—June) housing loans sanctioned by the Bank to employees (societies|individuals) amounted to Rs. 12.23 crores as detailed below:—

Category	No. of Societies	No. of Employees	Amount Sanctioned (Rs.lakhs)
1	2	3	4
A. Co-operative Housing Societies			
(i) Fresh loans	4	180	200.57
(ii) Additional loans	55	281	97.41
Total of 'A'	59	461	297.98
B. Individual Loans Sanctioned by Central Office			
(i) Fresh loans		186	197.24
(ii) Additional loans		153	40.37
Individual Loans Sanctioned by Regional Offices			
(i) Fresh loans		1,077	646.40
(ii) Additional loans		173	40.60
Total of 'B'		1,589	924.61
Total number of employees who availed Housing Loans		2,050	
Grand total (A+B)			1,222.59

17.38 Employees were eligible for housing loan upto 70 times their pay subject to a minimum of Rs. 72,000 for Class III employees and Rs. 60,000 for Class IV employees From September 1, 1988, these minimum limits have been raised to Rs. 1,00,000 and Rs. 75,000 respectively. The rates of interest on housing loans charged to officers ranged from 7 per cent to 11 per cent on amounts sanctioned from Rs. 50,000 to Rs. 2,50,000. Effective from April 1, 1988, the rate of interest applicable to officers on loans sanctioned to them as well as on outstanding balance of loans sanctioned after February 1, 1982 has been revised as under:

(i) For amount of loan| outstanding as on April 1, 1988 upto Rs. 1,00,000.
5 per cent per annum

(ii) For amount of loan| outstanding in excess of Rs. 1,00,000.
11 per cent per annum

Central Board|Local Boards

17.39 Shri S. Venkitaramanan ceased to be Government nominee on the Central Board from April 6, 1989 on his relinquishing the post as Finance Secretary and Shri G. K. Arora who took over as Finance Secretary, was nominated in his place from that date. The Board placed on record its appreciation of the services rendered by Shri S. Venkitaramanan.

17.40 There was no change in the constitution of Local Boards during the year.

17.41 Shri S. S. Tarapore was appointed as Executive Director, effective July 20, 1988.

Accounts

17.42 During the accounting year ended June 30, 1989, the Bank's total income amounted to Rs. 4,030.25 crores as against Rs. 3,491.23 crores for the previous year. Total expenditure of the Bank for the year amounted to Rs. 3,005.12 crores as against Rs. 2,491.12 crores for the previous year. Out of the net profit for the year of Rs. 1,025.13 crores (as against Rs. 1,000.11 crores for the previous year), contributions made to the National Rural Credit (Long-Term Operations) Fund, National Rural Credit (Stabilisation) Fund and National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund for the year amounted to Rs. 330 crores, Rs. 10 crores and Rs. 450 crores, respectively, as in the previous year. In addition, an amount of Rs. 25 crores has been contributed to the newly established National Housing Credit (Long-Term Operations) Fund. The surplus profit set aside for payment to the Central Government out of the current year's profit is Rs. 210.13 crores as against Rs. 210.11 crores in the previous year.

17.43 The rise of Rs. 539.02 crores in the income of the Bank from the previous year's level of Rs. 3,491.23 crores to Rs. 4,030.25 crores in 1988-89 was mainly due to increase in the interest earnings of the Bank which was largely offset by steep increase in the interest payments to scheduled commercial banks on their specified additional cash balances under Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934, increase in the Agency charges and Establishment expenses.

Auditors

17.44 The accounts of the Bank have been audited by M|s. Khanna & Annadhanam, New Delhi, M|s. Amit Ray & Co., Allahabad, M|s. Mookherjee, Biswas & Pathak, Calcutta, M|s. Sorab S. Engineer & Co., Bombay, M|s. S. Viswanathan, Madras and M|s. S. K. Kapoor & Co., Kanpur. While the first three auditors were reappointed by the Government of India, the remaining three were appointed in place of M|s C. C. Chokshi & Co., Bombay, M|s. Brahmayya & Co., Madras and M|s. Hingorani M. & Co., New Delhi who have retired. This year also, all the offices of the Bank were audited by the Statutory Auditors. For the purpose of audit, all the offices of the Bank were divided into six zones and the audit fees paid per zone|per auditor were Rs. 90,000. An additional fee of Rs. 5,000 was paid to the Central Office Auditors for consolidation of branch accounts.

RESERVE BANK OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1989

(Rs. Thousands)

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.	ASSETS	1988-89 Rs.	1987-88 Rs.
Notes held in the Banking			Gold Coin and Bullion :		
Department	19,05,64	16,05,89	(a) Held in India	274,27,76	274,27,76
Notes in circulation	41639,52,50	36719,76,37	(b) Held outside India	—	—
Total Notes Issued	41658,58,14	35735,82,26	Foreign Securities	1564,05,75	1564,05,75
			Total	1838,33,51	1838,33,51
			Rupee Coin	60,18,20	28,06,55
			Government of India Rupee Securities	39760,06,43	33869,42,20
			Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper	—	—
Total Liabilities	41658,58,14	35735,82,26	Total Assets	41658,58,14	35735,82,26

BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.
Capital paid up	5,00,00	5,00,00
Reserve Fund	150,00,00	150,00,00
National Industrial Credit (LTO) Fund,	4625,00,00	4175,00,00
National Housing Credit (LTO) Fund 1	75,00,00	—
Deposits		
(a) Government		
(i) Central Government	81,68,58	67,95,83
(ii) State Governments	15,51,22	34,40,92
(b) Banks		
(i) Scheduled Commercial Banks	22057,44,62	19258,70,44
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	482,32,26	188,04,06
(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	73,49,89	—
(iv) Non Scheduled State Co-operative Banks	10,60,28	6,91,39
(v) Other Banks	29,99,01	42,91,96
(c) Others	2192,92,22	3794,64,63
Bills Payable	112,39,05	112,34,69
Others Liabilities2	13186,63,73	10960,31,45
Total Liabilities	43098,00,86	38796,25,37

ASSETS	Rs.	Rs.
Notes	19,05,64	16,05,89
Rupee Coin	9,25	8,72
Small Coin	4,71	4,69
Bills Purchased and Discounted :		
(a) Internal	—	—
(b) External	—	—
(c) Government Treasury Bills	3606,80,21	4609,20,90
Balances Held Abroad	2918,80,18	2212,97,56
Investments3	25652,79,96	24016,39,86
Loans and Advances to :		
(i) Central Government	—	—
(ii) State Governments	54,17,00	118 42,00
Loans an Advances to :		
(i) Scheduled Commercial Banks4	2174,24,01	503,52,91
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	24,34,65	24,19,98
(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	—	—
(iv) Non Scheduled State Co-operative Banks	—	—
(v) NABARD	2277,68,00	1416,80,19
(vi) Others	42,43,00	24,49,00
Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (LTO) Fund :		
(a) Loans and Advances to :		
(i) Industrial Development Bank of India	3528,32,86	3198,58,01
(ii) Export Import Bank of India	530,00,00	435,00,00
(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	70,00,00	45,00,00
(iv) Others	—	—
(b) Investments in bonds/debentures issued by :		
(i) Industrial Development Bank of India	—	—
(ii) Export Import Bank of India	—	—
(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	—	—
(iv) Others	—	—
Loans, Advances and Investments from National Housing Credit (Long Term Operations) Fund :		
(a) Loans and Advances to National Housing Bank	50,00,00	—
(b) Investments in bonds/debentures issued by National Housing Bank	—	—
Other Assets	2149,21,39	2175,45,66
Total Assets	43098,00,86	38796,25,37

1. Includes Rs. 50.00 crores which was appropriated from previous years income.
2. Includes contingency accounts.
3. Includes Rs. 1592.31 crores (previous year Rs. 2042.48 crores) held abroad in foreign currencies.
4. Includes amounts advanced to or deposited with scheduled commercial banks under special arrangements.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE 1989

INCOME		1988,89 Rs.	1987-88 Rs.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.		4030,25,49	3491,22,58
	Total	4030,25,49	3491,22,58
EXPENDITURE			
Interest		2312,49,89	1906,25,42
Establishment		199,76,47	163,50,42
Directors' and Local Board Members' Fees & Expenses		4,65	4,71
Remittance of Treasure		4,45,25	5,35,52
Agency Charges		259,45,83	173,87,54
Security Printing (Cheque, Note forms, etc.)		187,01,74	206,80,82
Printing and Stationery		2,15,99	1,85,28
Postage and Telecommunication charges		3,68,97	2,71,81
Rent, Taxes, Insurance, Lighting, etc.		10,40,75	9,56,78
Auditor's Fees and Expenses		8,75	8,06
Law Charges		7,14	28,99
Depreciation and Repairs to Bank Property		15,31,44	13,20,44
Miscellaneous Expenses		10,15,13	7,55,63
	Total	3005,12,00	2491,11,42
Available Balance		1025,13,49	1000,11,16
LESS : Contributions to :			
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	450,00,00		450,00,00
National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	330,00,00		330,00,00
National Rural Credit (Stabilisation) Fund	10,00,00		10,00,00
National Housing Credit (Long Term Operations) Fund	25,00,00		—
		815,00,00	790,00,00
Surplus Payable to Central Government		210,13,49	210,11,16

1. After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934.
2. These funds are maintained by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

S.S. RANADE	R.N.MALHOTRA	Governer
Chief Accountant	A. GHOSH	Deputy Governor
	C. RANGARAJAN	Deputy Governor
	P.D. OJHA	Deputy Governor
Dated 17th August' 1989.	P.R. NAYAK	Deputy Governor

REPORT OF THE AUDITORS

TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet and Accounts of the Bank as at 30th June, 1989.

We have examined the above Balance sheet with the Accounts, Certificates and Vouchers relating thereto of all Offices of the Bank and report that where we have called for explanations and information from the Central Board, such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion, the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the particulars prescried by and in which the a ssets have been valued in accordance with Reserve Bank of India Act' 1934 and Regulations framed thereuner and is properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank-s affairs according to the best of our information and the explanations given to us and as shown by the Books of the Bank.

M/s. KHANNA & ANNADHANAM
M/s. AMIT RAY & CO.
Dated 17th August, 1989 — M/s. MOOKHERJEE BISWAS & PATHAK — Auditors
M/s. S. VISWANATHAN
M/s. SORAB S. ENGINEER & CO.
M/S. S.K. KAPOOR & CO.

[No. F. 19/23/89/B.O.I]

नई दिल्ली, 15 मई, 1990

का.आ. 1583.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[एफ. सं. 7/4/90-बी. ओ.-I]

New Delhi, the 15th May, 1990

S.O. 1583.—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 6 read with section 7 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 the Central Government, in consultation with Reserve Bank of India, hereby appoints Chairman, State Bank of India, to be the Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development with immediate effect for a period of three years.

[F. No. 7/4/90-BO. I]

का.आ. 1584.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री आर. जानकीरमन, वर्तमान कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 7/9/90-बी ओ.-I]

एम.एस. सीतारामन, अवर सचिव

S.O. 1584.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 the Central Government hereby appoints Shri R. Janakiraman, presently Executive Director, Reserve Bank of India, as Deputy Governor of the Reserve Bank of India for a period of three years from the date of his taking charge.

[No. F. 7/9/90-BO. I]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 मई, 1990

का.आ. 1585.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 2 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (16) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित कार्य को "औद्योगिक कंपनी" होना विनिर्दिष्ट करती है अर्थात "उद्यम पूंजी", जोखिम पूंजी, लेनदारी लेखाक्रम और पुनर्भुनाई के द्वारा वित्तीय सहायता देना"।

[एफ.सं. 2(31)/आई. एफ. 1/89]

एच.एस. कुमार, उप सचिव

New Delhi, the 18th May, 1990

S.O. 1585.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xvi) of clause (c) of section 2 of the Industrial Finance Corporation Act 1948, (15 of 1948), the Central Government specifies the following activity to be an 'industrial concern' for the purposes of the said Act, namely :—"rendering financial assistance by way of venture capital, risk capital, factoring and discounting".

[F. No. 2(31)/IF. I/90]

H. S. KUMAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 21 मई, 1990

का.आ. 1586.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में फार्म "क" के साथ संलग्न टिप्पणी (च) के उपबंध निम्नलिखित बैंकों पर, जहां तक उनका संबंध है 31 मार्च, 1990 को उनके तुलनपत्रों से है, लागू नहीं होंगे :

1. बैंक ऑफ बड़ौदा
2. इंडियन बैंक
3. इंडियन ओवरसीज बैंक
4. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
5. दि नेडुंगडी बैंक लिमिटेड

[संख्या 15/4/90-बी ओ-III]

प्राण नाथ, अवर सचिव

New Delhi, the 21st May, 1990

S.O. 1586.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the following banks, namely :—

1. Bank of Baroda.
2. Indian Bank.
3. Indian Overseas Bank.
4. New Bank of India.
5. The Nedungadi Bank Ltd.,

in respect of their balance sheet as at the 31st day of March, 1990.

[No. 15/4/90-B.O. III]

PRAN NATH, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जून, 1990

का. आ. 1587.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स पेस्ट मोरटम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पारस शोपिंग सेन्टर, दुकान सं. 2, पंचवटी,

जामनगर-361002 को (i) तेल रहित चावल की भूसी और (iii) हड्डियों का चूरा, सींग तथा खुरों के निर्यात से पूर्व धूम्रीकरण के लिए 13 मई, 1990 से एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के नियम 4 के उप नियम (4) तथा हड्डियों का चूरा, सींग तथा खुरों के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 के नियम 5 के अन्तर्गत धूम्रीकरण का प्रमाण-पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा ।

[फाइल सं. 5(3)/86-ई आई एण्ड ई पी]

ए. के. चौधुरी, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 9th June, 1990

S.O. 1587.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of one year with effect from 13th May, 1990 M/s. Pest Mortem (India) Pvt. Ltd., Paras Shopping Centre, Shop No. 2, Panchvati Jamnagar-361002 as an agency for the fumigation of (i) De-oiled Rice Bran and (ii) Crushed Bones, Horns and Hooves prior to their export subject to the condition that the said agency shall give adequate facilities to any officer nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of fumigation followed by the said agency in granting the certificate of fumigation under sub-rule (4) of rule 4 of the Export of De-oiled Rice Bran (Inspection) Rules, 1966 and rule 5 of the Export of Crushed Bones, Horns and Hooves (Inspection) Rules, 1977.

[File No. 5/3/86-EI&EP]

A. K. CHAUDHURI, Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 14 मई, 1990

का. आ. 1588.—मैसर्स एच सी एल लि. (कम्प्यूटर डिवीजन) नोयडा कम्पलैक्स, जिला गाजियाबाद, यू. पी. को संघटक आयात करने के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत एक आयात लाइसेंस सं. आई/डी/1504643 दिनांक 10-8-88 रुपए 39,45,000 (उन्तालिस लाख पैंतालिस हजार रुपए मात्र) के लिए दिया गया था ।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई या गुम हो गई है । आगे यह भी कहा गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को दिल्ली सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाया गया था और सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का आंशिक उपयोग भी किया गया है ।

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक दिल्ली के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है । तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि फर्म द्वारा आयात लाइसेंस संख्या आई/डी/1504643 दिनांक 10-8-88 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति फर्म द्वारा खो गई या गुम हो गई है । यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप धारा 9(गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एच. सी. एल. लि. (कम्प्यूटर डिविजन), गाजियाबाद यू. पी. को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं. आई/डी/1504643 दिनांक 10-8-88 की उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

4. उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है ।

[सं. सप्ल/एन एस-4/281/डी जी टी डी/ए एम 89/एस एल एस/109]

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 14th May, 1990

S.O. 1588.—M/s. H.C.L. Ltd., (Computer Division), Noida Complex, Distt. Ghaziabad, U.P. were granted an important licence No. I/D/1504643 dated 10-8-88 for Rs. 39,45,000 (Rupees Thirty nine lakhs and forty five thousand only) for import of Components under G.C.A.

2. The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs Purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs Purposes copy of the licence was registered with Delhi Customs Authority and as such the value of Customs Purpose copy has been utilised partly.

3. In support of their contention the licensee has filed and affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of import licence No. I/D/1504643 dated 10-8-88 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Purposes copy No. I/D/1504643 dated 10-8-88 issued to M/s. H.C.L. Ltd. (Computer Division), Ghaziabad U.P. is hereby cancelled.

4. A duplicate Customs Purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. Suppl/NS-4/281/DGTD|AM. 89|SLS|109]

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 1990

का. आ. 1589.—मै. फोरमिका इण्डिया डिवीजन, दि बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. अकुरडी, पुणे-411035 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अंतर्गत 1250 एम. एम. चौड़ाई की पलेन/एडहेसिव कोटिड, 66 टन कापर फायल का आयात करने के लिए रु. 1,04,00,000 (एक करोड़ और चार लाख रु. मात्र) हेतु दिनांक 7-9-89 का एक आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2278411 स्वीकृत किया गया था।

2. फर्म ने ऊपर उल्लिखित लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की दूसरी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है या गुम हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि मूल लाइसेंस को बम्बई सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराया गया था और इस कारण से सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य का आंशिक उपयोग किया गया है।

3. अपने इस दावे के अनुसमर्थन में लाइसेंसधारक ने नोटेरी पब्लिक दिल्ली के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा प्रस्तुत किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि 7-9-89 के मूल आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2278411 की सीमाशुल्क प्रति फर्म से खो गई है या गुम हो गई है। 7-12-1955 के यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उप-धारा 9(गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं. फोरमिका इण्डिया डिवीजन, पुणे को जारी किए गए 7-9-89 के उक्त मूल लाइसेंस सं. पी/डी/2278411 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

4. पार्टी को अनुपूरक आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रति की दूसरी प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं. सप्ली/एन. एस.-8/1006/डी. जी. टी. डी./ए. एम-90-एस. एल. एस./139]

स. कुजूर, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 21st May, 1990

S.O. 1589.—M/s. Formica India Division, The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd., Akurdi, Pune-411035 were granted an import licence No. P/D/2278411 dated 7-9-89 for Rs. 1,04,00,000 (Rupees One crore and four lakhs only) for import of 66 tonnes of copper foil of width 1250 mm plain/adhesive coated under G.C.A.

2. The firm has applied for issue of Duplicate Import Licence Customs Purposes Copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs Purpose Copy of licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the original licence was registered with Bombay Customs Authority and as such the value of Customs Purposes Copy has been utilised partly.

3. In support of their contention, the licensee has filed and affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the Customs Copy of original import licence No. P/D/2278411 dated 7-9-89 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs Copy of licence No. P/D/2278411 dated 7-9-89 issued to M/s. Formica India Division, Pune is hereby cancelled.

4. A duplication supplementary import licence (Customs Copy) is being issued to the party separately.

[No. Suppl/NS. 8/1006/DGTD|AM. 90|SLS|139]

S. KUJUR, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 1990

का.आ. 1590:- मै. डोडसल लि., मफतलाल हाउस, बैकबे रिक्लेशमेशन, बम्बई, 400020 को पुनः निर्यात आधार पर पुराने विनिर्माण उपस्कर का आयात करने के लिए 47, 14,371 रुपये लागत बीमा भाड़ा मूल्य का सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3075602/आई/एम एन/01 एच/एम एल एस दिनांक 18-9-86 मंजूर किया गया था। प्रार्थी ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट गुम हो गया/खो गया है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सीमा-शुल्क (बम्बई सीमाशुल्क हाउस) के पास पंजीकृत था। सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति सीमा-शुल्क निकासी परमिट की शर्तों के अनुसार माल का पुनः निर्यात करने के लिए अपेक्षित है।

2. अपने दावे के समर्थन में लाइसेंस धारी ने उपयुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र भी दाखिल किया है। तदनुसार मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि प्रार्थी से मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3075602 दिनांक 18-9-86 गुम हो गया है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7 दिसम्बर, 1955 की उपधारा 9(1)(घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं. डोडसल लि., बम्बई को जारी किए गए उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3075603 दिनांक 18-9-86 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. उक्त पार्टी को सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[फाइल सं. 7/13/86-87/एम एल एस/61]

ORDER

New Delhi, the 21st May, 1990

S.O. 1590—M/s. Dodsal Ltd. Mafatlal House, Backbay Reclamation, Bombay-400020 was granted a CCP No. P/P/3075602/1/MN/01|H|86(MLS dated 18-9-86 for a cif value of Rs. 47,14,371 for the import of second hand Construction Equipment on re-export basis. The applicant have applied for issue of a Duplicate copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It is further stated that the original CCP was registered with the customs (Bombay Customs House). The duplicate CCP is required to re-export the goods as per the condition of the CCP.

2. In support of their contention, the licensee have filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3075602 dated 18-9-86 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(1)(d) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3075602 dated 18-9-86 issued to M/s. Dodsal Ltd., Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[F. No. 7/13/86-87/MLS|61]

आदेश

नई दिल्ली, 22 मई, 1990

का.आ. 1591:—श्री श्याम सुन्दर वधवा ,33 ए, पाकेट ए-11, सूर्य अपार्टमेंट, कालका कुंज, नई दिल्ली-19 को वातानुकूलन और कैसट स्टीरियो सहित एक टोयोटा कोरोना 1600 सी सी 4 डोर सेडान मॉडल ए टी/17/आर ए ई एम एन यू आयात करने के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3079771 दिनांक 20-2-90 मूल्य 1,85,000 रु. (एक लाख पचासी हजार रुपये मात्र) के लिए दिया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया या गुम हो गया है। आगे यह भी बताया गया कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और सीमाशुल्क निकासी परमिट के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने विहित न्यायिक प्राधिकारी के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार में स्पष्ट हूं कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/3039771 दिनांक 20-9-90 आवेदक से खो गया है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की उपधारा 9 (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्याम सुन्दर वधवा को जारी किए गए मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी जे/3079771 दिनांक 20-2-90 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[फा. सं. ए/डब्ल्यू-5/89-90/बी एल एस/433]

श्रीमती माया देवी कैम, उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

ORDER

New Delhi, the 22nd May, 1990

S.O. 1591.—Mr. Shyam Sunder Wadhwa, 33 A, Pocket A-11, Surya Apartments, Kalka Kunj, New Delhi-19, was granted a Customs Clearance Permit No. P/J/3079771 dated 20-2-90 for Rs. 1,85,000 (Rupees One lakh and eighty five thousand only) for import of One Toyota Corona 1600 cc 4 door Sedan Model AT171RAEMNU fitted with air conditioner and cassette stereo. The applicant has applied for issue of Duplicate Copy of the above mentioned Customs Clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced/lost. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and as such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of his contention the licencee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/3079771 dated 20-2-90 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/3079771 dated 20-2-90 issued to Mr. Shyam Sunder Wadhwa is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[F. No. A/W-5/89-90/BLS/433]

MRS. MAYA D. KEM, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

For Chief Controller of Imports and Exports

खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नागरिक पूर्ति विभाग

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 14 मई, 1990

का. आ. 1592 :—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्वीकृत कर दिए गए हैं:—

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	वैद्यता की अवधि से	वैद्यता की अवधि तक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सीएम/एल—1557256 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	पाइमैन केबल्स (इंडिया) प्लाट सं. 9, ग्राम व डाकघर रिठाला, दिल्ली—110034	पी वी सी रोधित ऐल्युमिनियम संचालकों वाले (भारी कार्य) कवचित और अकवचित विद्युत केबल IS: 1554 (भाग 1)—1976

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सीएम/एल—1557357 1986-04-28	86-05-01	87-04-30	पंजाब कन्टेनर्स प्राइवेट लिमिटेड, बाबा रोड, (जी. टी. रोड ईस्ट) लुधियाना—141003 (कार्यालय : 890-ए, टैगोर नगर, सिविल लाइन, लुधियाना—141001)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 कि.ग्रा. के चौकोर टिन IS : 10325—1982
3. सीएम/एल—1557458 1986-04-26	86-05-15	87-05-15	श्री महावीर इस्पात लिमिटेड, प्लाट एफ-5, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, तारापुर, ग्राम बोइसर, जिला थाने	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977-1975
4. सीएम/एल—1557559 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	सुपर कोट्स इंडस्ट्रीज, 23 एफ, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट वीरा देसाई रोड, वरसोवा अंधेरी (पश्चिम) बम्बई—400058	हाथ से लिखने वाले के लिए कार्बन कागज IS : 3450-1976
5. सीएम/एल—1557660 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	एस. के. इंडस्ट्रीज, अशोक ट्रांसपोर्ट एजेन्सी, पटेल बाबू रोड, भागलपुर—812002 (कार्यालय : एम. पी. द्विवेदी रोड मुजागंज, भागलपुर—812002)	पैराफिन माम IS : 4654—1974
6. सीएम/एल—1557761 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	भारतीय मिनरल्स 13/7, मथुरा रोड, फरीदाबाद (हरियाणा) (कार्यालय : 4741/23, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली—110002)	डस्टिंग पाउडर 50% ईसी IS : 9356—1980
7. सीएम/एल—1557862 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	सुपरकोट्स इंडस्ट्रीज, 23 एफ, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल इस्टेट, वीरा देसाई रोड, वरसोवा, अंधेरी (पश्चिम) बम्बई—400058	टाइपराईटरों के लिए कार्बन कागज IS : 1551—1976
8. सीएम/एल—1557963 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	तमिलनाडु इस्पात ट्यूब्स लि०, प्लाट सं. बी-10 एवं सी-13, मराई मलाई नगर, इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स, काटटनकुलाथुर पोस्ट, चेंगलपुर जिला, (कार्यालय : पो. बा. सं. 191, 7/ए, मुथुस्वामी स्ट्रीट, मद्रास—600001)	यांत्रिक और सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए इस्पात नलियां IS : 3601—1984
9. सीएम/एल—1558056 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	आशिर्वाद फाउंड्रीज (प्रा.) लि., पी-34, बनारस रोड, हावड़ा (कार्यालय : 1 कुकड़ लेन, भूतल कलकत्ता—700069)	बालु ढले लोहे की जल-मल पाइप IS : 1729—1979
10. सीएम/एल—1558157 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	कुसुम इस्पात एवं वायर प्रोडक्ट्स, प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट सं. ई-27, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, चिकलथाना, औरंगाबाद—431210 (कार्यालय : अशोक कुमार हाउस, दूसरी मंजिल, 28 के, दुभास मार्ग, फोर्ट, बम्बई—400023)	केबल कवचन के लिए मृदु इस्पात तार IS : 3975—1979
11. सीएम/एल—1558258 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	अरिहंत स्टील एंड एलाइज लि., (कास्टिंग विभाग) मेरठ रोड, मुजफ्फर नगर (उ. प्र.)	अल्प मिश्र धातु के ढले लोहा मोचिया IS : 6079—1980
12. सीएम/एल—1558369 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	दोषी इलेक्ट्रीकल्स, ए-120/1, ग्रुप इंडस्ट्रियल एरिया, वजीरपुर, दिल्ली—110052	खनिज भरे ढके एलीमेंट IS : 4159—1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	सीएम/एल–1558460 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	सर्फा फोट्स प्रा. लि., ए-55, सेकेंड स्टेज, पीनया इंडस्ट्रियल इस्टेट, बंगलोर–560058 (कार्यालय : 368, तीसरा ब्लाक, राजाजी नगर, बंगलोर—560010)	समाकल सीमेंट जलरोधी यौगिक (चूर्ण रूप) IS : 2645—1975
14.	सीएम/एल–1558561 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	सवर्न इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, 126/5, घर्नतला रोड, सालकिया, हावड़ा (कार्यालय : 10, बी. आर. बी. बासू रोड कलकत्ता—700001)	सामान्य उपयोगों के लिए केवल ग्रेड IS : 274(भाग 1)—1981
15.	सीएम/एल–1558662 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	गुमटेश इंडस्ट्रीज प्रा. लि., ग्राम वहोवर (दमनोद), जिला धार (म. प्र.)	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पाइप IS : 458—1971
16.	सीएम/एल–1558763 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	नागपुर इंजीनियरी कम्पनी प्रा. लि., एफ-8, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, हिंगना रोड, नागपुर—440016	एस्बैस्टॉस सीमेंट दाब पाइपों के उपयोग के लिए ढलवां लोहा पृथक्करणीय जोड़ IS : 8794—1978
17.	सीएम/एल–1558864 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	एग्रो प्राडक्ट्स (इंडिया) प्रभात नगर, स्ट्रीट सं. 4, लुधियाना—141003	बोरवलोजर (जल नियंत्रित) IS : 3564—1975
18.	सीएम/एल–1558965 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	ए. के. एम. एन. सिलिंडर्स प्रा. लि., मेलाचन्दन पलायम, मुलीपाडी रोड, डा. घ. मुसिरी—621211 जिला तिरुचिरापल्ली (कार्यालय : 15, दूसरी मेन रोड, परियाम नगर, इरोद—638009)	एलपीजी सिलिंडर— IS: 3196—1982
19.	सीएम/एल–1559058 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	यूनाइटेड केबल्स, 162 जीआईडीसी इस्टेट, अम्बरगांव जिला बलसाड गुजरात (कार्यालय : सागर भवन, 147 प्रिंसेज स्ट्रीट बम्बई—400002)	कोयला खानों में प्रयुक्त मध्य ट्रेलिंग केबल एफटीडी 3 IS : 691—1966
20.	सीएम/एल–1559159 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	रोनेक्स इंजीनियरी कम्पनी बुक्सारा रोड, बुक्सारा पब्लिक लाइब्रेरी के सामने, डाकघर बुक्सारा, हावड़ा—711306	जल कल कार्यों के उपयोग के लिए स्लूस वाल्व IS : 780—1984
21.	सीएम/एल–1559260 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	विजय कुमार एंड ब्रदर्स, प्लाट सं. सी 6, 15 वागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, थाणे—400604 (कार्यालय : 28 क्रान्ति सिंह नाना पाटिल रोड (बड़ोदा स्ट्रीट), आयरन मार्किट, बम्बई—400009)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS . 226—1975
22.	सीएम/एल–1559361 1986-03-26	86-05-16	87-05-15	वेस्ट इंडिया स्टील कम्पनी लि., विस्को माइनर, फेरोक, कालीकट	संरचना इस्पात (साधारण किस्म) IS : 1977–1975
23.	सीएम/एल–1559362 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	यूनि टेक्नो सिलिंडर्स प्रा. लि., ग्राम कल्हाडी वाला, बरोटीवाला के नजदीक, जिला सोलन (हि. प्र.) (कार्यालय : 3217, सेक्टर 35 डी, चंडीगढ़—160036)	एलपीजी सिलिंडर IS: 3196—1982
24.	सीएम/एल–1559563 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	ईगल स्टील्स, सी-24 तलोजा इंडस्ट्रियल इस्टेट, तलोजा जिला, रायगढ़ (कार्यालय : 10, एन. डी. ट्रस्ट बिल्डिंग, 42, कैरडी ब्रिज, बम्बई—400004)	संरचना इस्पात (सामान्य किस्म) IS : 1977—1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	सीएम/एल-1559664 1986-04-30	86-05-16	87-05-15	कोलेनचेरी इंजीनियरी इंटरप्राइजेज प्रा. लि., 237/ए/6, थमानीमातम, डा. घ. रामामंगलम—686663, जिला एर्नाकुलम कार्यालय : थमानीमातम कोलेनचेरी -682311 (एर्नाकुलम जिला)	मरचना इस्पात के धातु आर्क वेल्डिंगों के लिए आच्छादित इलैक्ट्रोड (चद्दरों की अपेक्षा वेल्डिंग उत्पाद के लिए) IS : 814 (भाग 1)—1974
26.	सीएम/एल-1559765 1986-04-30	86-05-01	87-04-30	मैटल फैब्रिकेशन्स, 7, इंडस्ट्रियल एरिया, एक्सटेंशन कठुवा—18402 (जे एंड के)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 कि.ग्रा. के चौकोर टीन IS : 10325—1982
27.	सीएम/एल-1559866 1986-06-02	86-05-01	87-04-30	एम. ओ. मैटल इंडस्ट्रीज लि., 131-132, इंडस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर—303012	—यथोपरि—
28.	सीएम/एल-1559967 1986-05-02	86-05-01	87-04-30	ओमसन्स इंजीनियरी एंड मैटल वर्क्स, दिल्ली रोड, अलवर—301001	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982
29.	सीएम/एल-1560043 1986-05-02	86-05-01	87-04-30	जीवन उद्योग, अतरी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दन वेन रोड, डा. टेकस, जिला जयपुर—492019 (कार्यालय : आकाश गंगा, कामर्शियल काम्प्लेक्स, सरकस मैदान, सुपेला, भिलाई—492023)	—यथोपरि—
30.	सीएम/एल-1560144 1986-05-02	86-05-01	87-04-30	एडोनी टिन इंडस्ट्रीज, माधवरम रोड, एडोनी—513301	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982
31.	सीएम/एल-1560245 1986-05-04	86-05-01	87-04-30	बतरा एसोसिएट्स प्रा. लि., प्लाट सं. 77, सेक्टर 27ए, 15/1 मथुरा रोड, फरीदाबाद—121002	ऑक्सीजन और एन ओ 2 गैस के लिए छोटे चिकित्सा गैस सिलिंडरों की योक किस्म वाल्व संयोजन IS : 3745—1978
32.	सीएम/एल-1560346 1986-05-04	86-05-01	87-04-30	बंसल इंडस्ट्रीज, 4/201, गली ईश्वरलोक सोनीपत मंडी (हरियाणा)—131001	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 19325—1982
33.	सीएम/एल-1560447 1986-05-04	86-05-01	87-04-30	मैटल कैंस (इंडिया) प्रा. लि. डा. घ. बाक्स 73, गंभीर पुरा, अलीगढ़	—यथोपरि—
34.	सीएम/एल-1560548 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	के. के. रबड़ कम्पनी (इंडिया) प्रा. लि. समयपुर बादली दिल्ली—110042	रबड़ के वाहक अथवा उत्थापक (स्वास्थ्य संबंधी पट्टे) IS : 1891 (भाग 4)—1978
35.	सीएम/एल-1560649 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	—यथोपरि—	रबड़ के वाहक और उत्थापक बेल्ट ऊष्मारोधी पट्टे IS : 1891 (भाग 2)—1978
36.	सीएम/एल-1560750 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	—यथोपरि—	सामान्य उद्देश्यों के लिए रबड़ के वाहक और उत्थापक बेल्ट IS : 1891 (भाग 1)—1978
37.	सीएम/एल-1560851 1986-05-04	86-05-01	87-04-30	दिल्ली आयरन एंड स्टील कं. लि., जी. टी. रोड, गाजियाबाद—201001 (उ. प्र.)	कंक्रीट प्रबलन के लिए अतप्त अभिकृत इस्पात की उच्च सामर्थ्य विकृत छड़ें IS : 1786—1979

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38.	सीएम/एल—1560953 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	लक्ष्मी मशीनटूल्स, 39, इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर—302012 (राजस्थान)	एस्बेस्टास सीमेंट के दाब पाइपों के लिए ढलवां लोहे के पृथक्करणीय जोड़ IS : 8794—1978
39.	सीएम/एल—1561045 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	अपार प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम कुकरवाड़ा, जिला भरूच—392001 गुजरात	संरचना इस्पात की धातु आर्क वेल्डिंगों के लिए ढके इलेक्ट्रोड (केवल वेल्डिंगों पट्टरों के लिए) IS : 814 (भाग 2)—1974
40.	सीएम/एल—1561146 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	आसाम कार्बन प्राडक्ट्स लि., नारंगी चंद्रपुर रोड, बिरकुची गोहाटी, आसाम—781026	विद्युत मशीनों के लिए कार्बन ब्रुशों के विद्युत ग्रेफाइड रेजिनबद्ध और धातु ग्रेफाइट ग्रेड के ब्रुश सामग्री (कार्बन-ब्लाक) IS : 3003 (भाग 2)—1977
41.	सीएम/एल—1561247 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	—यथोपरि—	विद्युत मशीनों के लिए विद्युत ग्रेफाइड और धातु ग्रेफाइट ग्रेड के कार्बन ब्रुश IS : 3003 (भाग 3)—1978
42.	सीएम/एल—1561348 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	प्रीमियर इंडस्ट्रीज, शेड सं. 258, सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट, अम्बात्तुर, मद्रास—600058 (कार्यालय : 33, सेमबडोस स्ट्रीट, मद्रास—600001)	एक सिलिंडर वाले जलशीतित चार स्ट्रोक के डीजल इंजन IS : 10001—1981
43.	सीएम/एल—1561449 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	कंचन पाइप प्रा. लि., गेट सं. 41, कुसगांव, डा. खेड-शिवपुर, नलसोर, जिला पुणे (कार्यालय : चैम्पियन हाउस, 1240 भवानी पेठ पालसी चौक के नजदीक, पुणे—411042)	पेयजल पूर्ति के लिए असुघट्यकृत पीवीसी पाइप IS : 4985—1981
44.	सीएम/एल—1561550 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	जसवन्त लाल कान्तिलाल (अंकलेश्वर प्रा. लि., प्लाट सं. 623-1, जीआईडीसी अंकलेश्वर जिला भरुच (कार्यालय : 80 विट्ठल वाडी कालवा देवी बम्बई—400002)	संग्रहण किस्म के वैद्युत वाटर हीटर टंकी में भरे जाने वाले IS : 2082—1978
45.	सीएम/एल—1861651 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	अपार प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम कुकरवाड़ा, जिला भरुच—392001	संरचना इस्पात की धातु आर्क वेल्डिंग के लिए ढके इलेक्ट्रोड्स वेल्डिंग उत्पादों के लिए IS : 814 (भाग 1)—1974
46.	सीएम/एल—1561752 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	लुधियाना इस्पात प्रा. लि., सी-44-47, फोकल प्वाइंट धान्द्री कलां लुधियाना—141010 कार्यालय : जी. टी. रोड, मिलर गंज, लुधियाना—141003)	संरचना इस्पात के लिए ढलवां बिलेट इंगट (मानक किस्म) IS : 6914—1978
47.	सीएम/एल—1561853 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	सत्या इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन राम बाग, आगरा—282006 उ. प्र.)	बालू ढले लोहे के जलमल पाइप IS : 1729—1979
48.	सीएम/एल—1561954 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	मेडिकल इंडिया, 124/4 कोरामंगला, बंगलोर—560034 (कर्नाटक) (कार्यालय : 29 ग्रांट रोड, बंगलोर—560022)	अधः त्वचा सुइयां IS : 3317—1983

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49.	सीएम/एल–1562047 1986-05-84	86-05-16	87-05-15	सरकारी मिल्क स्कीम उदगीर, जिला ओसमानाबाद (महाराष्ट्र)	मखनिया दूध पाउडर (फुहार शुष्क) IS: 1165-1975
50.	सीएम/एल–1562148 1986-05-13	86-05-01	87-04-30	जलराम टिन फैक्टरी, अलियाबाद स्टेशन, जिला तालुका–देहगाम अहमदाबाद	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS 10325–1982
51.	सीएम/एल–1562249 1986-05-13	86-05-01	87-04-30	ईगल टिन इंडस्ट्रीज, डा. घ. रियोम मिल्क मिल्स, जी. टी. रोड, अमृतसर (पंजाब)	–यथोपरि–
52.	सीएम/एल–1562350 1986-05-13	86-05-16	87-05-15	अशोक मैटल बाक्स इंडस्ट्रीज, एफ–778, रोड सं. 13, वी. के. आई. एरिया, जयपुर–302013	–यथोपरि–
53.	सीएम/एल–1562451 1986-05-13	86-05-16	87-05-15	जी. के. कंज्यूमर प्रोडक्टस प्रा. लि. एफ – 90/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I, नई दिल्ली – 110020	वनस्पति के लिए क्यो संकिकत एचडी-पी ई धारक IS : 10840–1986
54.	सीएम/एल–1562552 1986-05-13	86-05-16	87-05-15	बी. जे. इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, गुदमारी, गुप्ता फाउंड्रीज के सामने रामपुर (म.प्र.)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS: 10325–1982
55	सीएम/एल- 1562653 1986-05-13	86-06-01	87-05-31	हिन्द इनैमल कम्पनी, फैखली डा. घ. गो. गोपालपुर, 24 परगना (प. बंगाल) (कार्यालय : 12 मधुराय वाई लेन कलकत्ता–700006)	घी और खाद्य तेलों के टीन लीवर ढक्कन वाले 5 किग्रा के टीन IS: 10339–1982
56	सीएम/एल–1562754 1986-05-13	86-05-16	87-05-15	प्रीतम मैटल वर्क्स, 448, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना – 141008	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा. के चौकोर टीन IS· 10325–1082
57.	सीएम/एल–1562855 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	श्री साई पैकर्स, 25/26 भान्द्रा को ओपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, उद्योग नगर, भन्दारा (कार्यालय : मार्फत शिवलाल माधवजी एंड सन्स, भसकासर, नागपुर)	–यथोपरि–
58.	सीएम/एल–1562956 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	रिजिड कन्टेनर्स, 83, एल. बी. एस. मार्ग, जे. जे. मैटल कम्पाउंड, भानडूप, बम्बई–400078	–यथोपरि–
59.	सीएम/एल–1563049 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	महावीर इंडस्ट्रीज, कववापातीवला वाडी, ह्वापारी रोड, भावनगर–364001	–यथोपरि–
60	सीएम/एल–1563150 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	श्री राधाकृष्ण वेजिटेबल आयल प्रोडक्टस कं., तारीमाला रोड, कल्लूरु आर एस – 515774 जिला अनन्तपुर	–यथोपरि–
61.	सीएम/एल–1563251 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	श्री श्यामकृपा इंटरप्राइजेज, गंगाराम सेखराम जिन फैक्ट्री कम्पाउंड स्टेशन रोड, अमालनेर (कार्यालय : पोस्ट बाक्स सं. 64, अमालनेर–425401)	–यथोपरि–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62.	सीएम/एल-1563352 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	जनरल ग्रार्डर सप्लायर्स एंड ट्रेडर्स, 1/1, नवनमुर लेन, कलकत्ता-700005	सीमेंट पैक करने के लिए जूट के बोरे IS 2580-1982
63.	सीएम/एल-1563453 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	शिवम टीन फैक्ट्री, रखियाल बाजार, रखियाल ग्रार. एस. तालुका, देहगम जिला-ग्रहमदाबाद-382315	वनस्पति ग्रौर खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS 10325-1982
64	सीएम/एल-1563554 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	जम्मू स्टील इंडस्ट्रीज, 128-129, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन एरिया, गंगयाल, जम्मू (ज. एवं क.)	-यथोपरि-
65.	सीएम/एल-1563655 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	डोलक्स टीन फैक्ट्री, रेलवे साईडिंग रोड, उपलेटा (गुजरात)	-यथोपरि-
66.	सीएम/एल-1563765 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	भारत टीन फैक्ट्री, ग्रजी इंडस्ट्रियल इस्टेट, सी-1/25, राजकोट-360003	-यथोपरि-
67.	सीएम/एल-1563857 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	गजानन्द मेटल्स, प्लाट सं. 9(2), इंडस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर-302012	-यथोपरि-
68	सीएम/एल-1563958 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	सुपर मेटल इंडस्ट्रीज, भावनगर रोड, राजकोट	-यथोपरि-
69.	सीएम/एल-1564051 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	जूनागढ़ टीन फैक्ट्री, पटेल इंडस्ट्रियल कम्पाउंड, माजेवाड़ी गेट के बाहर की तरफ पो. बाक्स सं. 79, जूनागढ़	-यथोपरि-
70.	सीएम/एल-1564152 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	गुजरात टीन फैक्ट्री, "टिन्स कं. हाउस" रघुवीर केमिकल्स के पीछे, भावनगर रोड, राजकोट-360003	-यथोपरि-
71.	सीएम/एल-1564253 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	स्थानिक टीन फैक्ट्री माजेवाड़ी गेट के बाहर की तरफ जूनागढ़ - 362001	-यथोपरि-
72.	सीएम/एल-1564354 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	नूतन टीन वर्क्स, मकरन्द निवास 3-4, भद्रा नगर, एस. वी. रोड, मलाड (पश्चिम) बम्बई-400004	-यथोपरि-
73.	सीएम/एल-1564455 1986-05-16	86-05-16	87-05-15	श्री कृष्णा टीन फैक्ट्री माजेवाड़ गेट के बार की तरफ जूनागढ़-1	-यथोपरि-
74.	सीएम/एल-1564556 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	एम जे. टीन फैक्ट्री, 6/7, लाटी प्लाट, राजकोट-360003	-यथोपरि-
75.	सीएम/एल-1564657 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	महाराष्ट्र वेजिटेबल प्राडक्टस लि., एम. ग्राई. डी. सी. इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग नगर धुले (महाराष्ट्र इस्टेट) (कार्यालय : पो बाक्स सं. 64, धूलिया-424001)	-यथोपरि-
76	सीएम/एल-1564758 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	क्लिजवे कान्टेनर्स, 1/2, भेसेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट, कंजूर मार्ग (ईस्ट) बम्बई-400078)	-यथोपरि-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
77.	सीएम/एल-1564859 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	भावनगर टीन फैक्ट्री, जमनाकुंड भावनगर-364001	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 लिटर के चौकोर टीन IS : 10325-1982
78.	सीएम/एल-1564960 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	भारत कान्टेनर्स नव नन्दन लेन इंडस्ट्रियल इस्टेट, यूनिट सं. 3, रेसी बोल्फ के सामने, मुलन्द बम्बई-400080 (कार्यालय : 104/बी, मिसला हाउस, एल. बी. स्पेन्स मार्ग (नैपियन मस्ट रोड), मुलन्द, बम्बई-400036)	-यथोपरि-
79.	सीएम/एल-1565053 1986-05-17	86-05-16	87-05-15	श्रीकान्त इंडस्ट्रीज, जी-7 एवं बी, कट्टेडन इंडस्ट्रियल इस्टेट, शिवारामपल्ली हैदराबाद-5000252	-यथोपरि-
80.	सीएम/एल-1565154 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	डायमंड कैमिकल्स, खसरा सं. 725 गांव मुड़का, दिल्ली-110041 (कार्यालय : 31/20, शक्तिनगर, दिल्ली-110007)	पैराफिन मोम IS: 4654-1974
81.	सीएम/एल-1565255 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	श्री मनी रबड़ इंडस्ट्रीज, 202 बी. रोड सं. 9, वी. के. आई. एरिया, जयपुर-302013 (कार्यालय : 29 वनस्थली मार्ग, जयपुर-302001)	लैटेक्स फोम रबड़ उत्पाद IS: 1741-1960
82.	सीएम/एल-1565356 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	जलंधर स्पन पाइप्स कं., गा. एवं डा. घ. जडूं सिंघा, जिला जलंधर	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पाइप IS: 458-1971
83.	सीएम/एल-1565457 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	श्री लक्ष्मी मैटल इंडस्ट्रीज, 27 सी, कुमारपारा रोड, लिलुआह, हावड़ा (कार्यालय : 4, गणेश चन्द्र एवेन्यू, (5वीं मंजिल), कलकत्ता-700013)	ढलवां लोहे के स्पिगोट एवं सॉकेट जल-मल पाइप- IS : 1729-1979
84.	सीएम/एल-1565558 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	के. आर. इस्पात यूनियन प्रा. लि., टिन प्लेट कम्पाउंड, काल्वे-400605 जिला थाने (कार्यालय : मित्तल कोर्ट, 4थी मंजिल, बी विंग, नरीमन प्वाइंट बम्बई-400021)	शीत अपचयित विद्युत अपघट्टी टीन प्लेट अगावर लेपित IS: 1993-1974
85.	सीएम/एल-1565659 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	गुजरात गैस इक्विपमेंट प्रा. लि., 201 से 204 जी. आई. डी. सी. इंडस्ट्रियल इस्टेट, पालेज, जिला भारूच (गुजरात) (कार्यालय : गुरु छाया, रेलवे स्टेशन के सामने, दहिसर (ईस्ट) बम्बई-400068)	एलपीजी सिलिंडर IS: 3196-1982
86	सीएम/एल-1565760 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	डी. आर. इंडस्ट्रीज, मंडी रोड, जलंधर-144001	सिलिंडर प्रस्पर IS: 6750-1972
87.	सीएम/एल-1565861 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	वेस्टर्न इंडिया, प्लाईवुड लि., बलियोपत्तम, कन्नेनर-670010	लकड़ी के सपाट द्वार शटर (ठोस कोड किस्म) ब्लैक बोर्ड कोड सहित प्लाईवुड फेस पैनलें IS: 2202 (भाग 1) - 1983

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88.	सीएम/एल–1565962 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	द इंडियन सीमेंट पाइप क., 226, थापर नगर, मेरठ	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पाइप– IS. 458–1971
89.	सीएम/एल–1566055 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	आर. के. पेट्रोकैम, 59, इंडस्ट्रियल इस्टेट, मुरथल सोनीपत (हरियाणा–131027)	पैराफिन मोम IS: 4654-1971
90.	सीएम/एल–1566156 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	श्री वेलुमुरुगन कैमिकल्स पोद्दारन काडू, वल्लुवर नगर, अन्नधानापति सलेम : 10 (कार्यालय : 21 सी, सारदा कालिज रोड सलेम –7)	पैराफिन मोम– IS: 4654-1974
	सीएम/एल–1566257 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	भारत फाउंड्री, 27 अम्मानकुलम रोड, पप्पानैकन पलायम, कोयम्बत्तूर–641037	कृषि प्रयोजनों के लिए स्वच्छ ठंडे, ताजे पानी के लिए क्षैतिज अपकेन्द्री पम्प IS: 6595–1980
92.	सीएम/एल–1566358 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	गुजरात सिलिंडर्स प्रा. लि. प्लाट सं. 204/1, पनोली 1, जी. आई. डी. सी. पनोली–394115 जिला भरूच (कार्यालय : बी–37, विज नगर, अंकलेश्वर)	एलपीजी सिलिंडर IS: 3196–1982
93.	सीएम/एल–1566459 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	जेनिथ फायर सर्विसेज, 28 परेल टैंक रोड, काटन ग्रीन अम्बावाडी, बम्बई–400033 (कार्यालय : भवानी इंडस्ट्रियल इस्टेट यूनिट सं. 15, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर, बम्बई–400086)	फोम किस्म अग्निशामक के लिए रिफिलें IS: 5490 (भाग 2)–1973
94.	सीएम/एल–1566560 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	हुवैल इंडस्ट्रीज, 142, नव इंडिया रोड, पीलमेडु, कोयम्बत्तूर–641004	कृषि प्रयोजनों के लिए स्वच्छ ठंडे ताजे पानी के लिए क्षैतिज अपकेन्द्री पम्प IS: 6595–1980
95.	सीएम/एल–1566661 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	मार्डन मल्लियेबल कास्टिंग वर्क्स, 2/1, राम मरम पोद्दार लेन, कलकत्ता 700053 (कार्यालय : 53 बी, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता–700016)	शिरोपरि पावर प्रेषण लाइनों के लिए एसओ/एसी एस आर धात्विक फिटिंगों के ढके रॉड IS. 2121–1962
96.	सीएम/एल–1566762 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	मोदी स्टील्स, (प्रो. मोदी इंडस्ट्रीज लि. मोदीनगर, जिला गाजियाबाद–201204	संरचना इस्पात में बेल्लन के लिए ढलवां बिल्लेट इंगट और समन ढलवां बिल्लेट (मानक किस्म) IS. 6914–1978
97.	सीएम/एल–1566863 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	इलैक्ट्रो केबल इंडस्ट्रीज, 35, फैक्स कालोनी, इंडस्ट्रियल एरिया, स्ट्रीट सं. 6, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110032	तांबे और एल्युमिनियम चालकों सहित जड़ित तारों के लिए पीवीसी रोधित ढके और बिना ढके केबल IS: 694-1977
98.	सीएम/एल–1566964 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	बत्रा इन्वेस्टमेंट (प्रा) लि., 14/1, मथुरा रोड, डा. घ. अमर नगर, फरीदाबाद–211003 (हरियाणा)	ढलवां लोहे के बर्नरों सहित एलपीजी सी.आर सी ए चद्दर के प्लेटेड ढांचे वाले दो बर्नर वाले एलपीजी चूल्हे, प्रचलित ढलवां लोहे के बर्नरों वाले घरेलू गैस चूल्हे IS: 4246-1984

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99.	सीएम/एल-1567057 1986-05-17	86-06-51	87-05-31	दुर्गेश कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, प्लाट सं. 81 गांव बकरवाला, डा. घ. मुंडका, दिल्ली-110041	पैराफिन मोम IS 4654-1974
100.	सीएम/एल-1567158 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	एसोसियेटेड पेट्रोकैम प्रा. लि. 49.6 किमी. दिल्ली रोहतक रोड, सांपला-124501 (हरियाणा) (कार्यालय : 143/4, चावरी मार्किट, नया बांस, दिल्ली-110006)	—यथोपरि—
101.	सीएम/एल-1567259 986-05-17	86-05-16	87-05-15	राज इलैक्ट्रिक कं., 1037-बी, शास्त्री नगर जैन मंदिर के नजदीक, दिल्ली-110052	तीन संपर्क वाले सॉकेट निकास IS 1293-1967
102.	सीएम/एल-1567360 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	भारत पुलवराइजिंग मिल्स प्रा. लि., डिवीजन केमिकल मिनरल्स एंड कैमिकल्स कं थाना बेलापुर रोड, यूनाइटेड कार्बन आफ इंडिया लि., थाना (कार्यालय : श्रीनिकेतन, 14 क्वीन्स रोड, बम्बई-400020)	एंडोसल्फान तकनीकी IS 4344-1978
103.	सीएम/एल-1567461 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	यूनाइटेड फासफोरस प्रा. लि., 11, जी. आई. डी. सी. इस्टेट, वापी-396195	क्विनालफास 25/ ईसी IS. 8028-1976
104	सीएम/एल-1567562 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	आल्विकन कैमिकल्स, प्लाट सं. 9 एम. आई. डी. सी. इंडस्ट्रियल एरिया, अहमद नगर-414111 (महाराष्ट्र)	कैरामेल (सादा) IS: 4467 (भाग 1)-1980
105.	सीएम/एल-1567663 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	हासिमारा इंडस्ट्रीज लि., (जूट) डा. घ. आथपुर जिला 24-परगना (प. बंगाल)	बी-टविल से बुने जूट बोरे- IS. 2566-1984
106.	सीएम/एल-1567764 1986-06-17	86-06-01	87-05-31	भारत कैमिकल्स, हाजीपुर रोड, बागाखिर के नजदीक, मुजफ्फरपुर- 842001 (कार्यालय : जैनिथ आटो सर्विस, हाजीपुर रोड, गन्नीपुर, डा. घ. रामना, मुजफ्फरपुर-842001)	पैराफिन मोम IS 4054-1974
107	सीएम/एल-1567865 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	हासिमारा इंडस्ट्रीज लि., (जूट) डा. घ. आथपुर, जिला 24 परगना)	सीमेंट पैक करने के लिए जूट के बोरे— IS : 2580—1982
108.	सीएम/एल-1567966 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	जसवंतलाल कांतिलाल (अंकलेश्वर) प्रा. लि., 623/1, जी. आई. डी. सी इस्टेट अंकलेश्वर, जिला भरूच (कार्यालय: 80 विट्ठल वाडी, कालबा देवी, बम्बई-400002)	विद्युत इस्टेट जल तापक— IS : 8978—1978
109.	सीएम/एल-1568059 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	तिमान स्प्रिंग लि., प्लाट सं. 6, हिरेहल्ली इंडस्ट्रियल एरिया, तुमकुर-572168 (कार्यालय: 1026/ए, गीतांजली हाल, तीसरी स्टेज, बंगलौर-560075	यंत्रचालित वाहन में निलंबन के लिए केवल लीफ के लीफ स्प्रिंग समुच्चय IS : 1135—1973

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
110.	सीएम/एल–1568160 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	सफेक्स फायर सर्विसेज, 202ए, धनराज इंडस्ट्रियल इस्टेट, सनमिल रोड, लोअर परेल, बम्बई-400013	अग्नि शमन (फोम अनुस्पविस्म के अतिरिक्त) के लिए शुष्क पाउडर IS : 4308—1982
111.	सीएम/एल–1568261 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	रावमी इंटरनेशनल प्रा. लि., एसपी-313 बी इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान) (कार्यालय: 902, 903 पदमा टावर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008)	ऐल्युमिनियम चालकों के पॉलीमर रोधित बिना ढके केबल IS : 694—1977
112	सीएम/एल–1568362 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	कल्पना प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, स्टेशन रोड, डा. घ. इस्लामपुर पश्चिम दीनजपुर-733202	प्लाईवुड कान्सेटों के लिए प्लाईवुड पैनलें IS : 10 (भाग 3)—1976
113.	सीएम/एल–1568463 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	कोलेंचरी इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज प्रा. लि., 237/ए/6, थमानी मत्तम, रामामंगलम डा. घ.-686663 जिला इर्नाकुलम (कार्यालय: थमानीमत्तम कोलेंचेरी-682311, जिलाइर्नाकुलम)	मंरचना इस्पात में धातु आर्क वेल्डिंगों के लिए ढके इलैक्ट्रोड (वेल्डिंग बढ़रों के लिए) IS : 814 (भाग 2)—1974
114.	सीएम/एल–1568564 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	केम वेक्स इंडस्ट्रीज, खसरा सं. 146 गांव बुराड़ी, दिल्ली-110009	पैराफिन मोम IS : 4654—1974
115.	सीएम/एल–1568665 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	महावीर प्रसाद भगवती प्रसाद, प्लाट सं. 79, दाल मिल वाली गली, कार्पोरेशन स्कूल, गांव रनोला, दिल्ली-110041	—यथोपरि—
116.	सीएम/एल-1568766 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	इंडो-पेट्रोकेमिकल्स, हाजीपुर रोड, बाग पोखर, मुज्जफ्फर पुर-842001, (कार्यालय: जैनिय ऑटो सर्विस, गर्नीपुर, डा. घ. रामना, मुज्जफरपुर-842001)	—यथोपरि—
117.	सीएम/एल–1568867 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	कामरहट्टी कं. लि., 908, बहुम रोड, कामरहट्टी कलकत्ता-700058 (कार्यालय: 16-ए ब्रबोर्न रोड, कलकत्ता-700001)	भारतीय हेसियन IS : 2818 (भाग 3)—1971
118.	सीएम/एल–1568968 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	पलामू कैमिकल्स, बियांकी, एरोड्रोम के सामने डाल्टन गंज, बिहार	पैराफिन मोम IS : 4654—1974
119.	सीएम/एल–1569061 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	हिमल पेन्ट्स कैमिकल्स, बाग खोला, रंगपूसिंगतम् रोड डा. घ. मझीतार–737132 पूर्व सिक्किम (कार्यालय: लदाखी मेंसन बलुआखानी, गंगतोक-737101).	खिड़की के फ्रेमों के उपयोग के लिए पुट्टी IS : 419—1967
120.	सीएम/एल–1569162 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	एल बी टी कन्टेनर्स, बी-464, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोकुल रोड, हुबली-580030	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
121.	सीएम/एल–1569263 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	इंदिरा इंजीनियरी कार्पोरेशन, सी-25, प्राइवेट इंडस्ट्रियल इस्टेट, कुरिचि, कोयम्बतूर-641021 (कार्यालय: 5/18, वीराकेरलम, कोयम्बतूर-641007)	गहराई से पानी निकालने के हथबरमे IS : 9301—1984
122.	सीएम/एल–1569364 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	मुरुगा फाउंड्री, 4/388, अवनासी रोड, पप्पानैकनपलायम, कोयम्बतूर-6410037	कृषि प्रयोजनों के लिए स्वच्छ ठंडे तज पानी के मोनोसेट पंप IS : 9079—1979
123	सीएम/एल–1569468 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	कल्याणी रबर वर्क्स, टी-15, इंडस्ट्रियल इस्टेट, कल्याणी-741236 कल्याणी नाडियम (प. बं.)	शुद्ध पानी और मल जल के लिए रबड़ के सील किए हुए रिंग IS : 5382—1969
124	सीएम/एल–1569566 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	अरुणा निटिंग कम्पनी, 17-ए, अवनासी रोड, पदमावतीपुरम, तिरुपुर-638603	मावी बुनी हुई बनियानें IS : 4964—1980
125.	सीएम/एल–1569667 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	गणेश टीन कन्टेनर्स, बाड़ी ब्राह्मण, जम्मूतवी-181133	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982
126.	सीएम/एल–1569768 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	सूरज कन्टेनर्स इंडस्ट्रीज, गांव अमरहेड़ी, जिला जीन्द (हरियाणा)	—यथोपरि—
127.	सीएम/एल–1569869 986-05-22	86-05-16	27-05-15	सोयाबीन एवं वनस्पति इंडस्ट्रीज, कामाल्लेक्स हल्दूचौड़ (हल्द्वानी) नैनीताल (उ.प्र.)	—यथोपरि—
128.	सीएम/एल–1569970 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	यूनाइटेड केमिकल एंड मैटल वर्क्स प्रा. लि., 50, इंडस्ट्रियल एरिया, कानपुर	—यथोपरि—
129.	सीएम/एल–1570046 1986-05-22	86-06-01	87-05-31	अनिल रिरोलिंग मिल्स प्रा. लि., सं. 5 ए एंड बी, पीनया इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, बंगलोर-560058	धातु आर्क वेल्डिंग के इलैक्ट्रोड कोड तारों के लिए मृदु इस्पात IS : 2879—1975
130.	सीएम/एल–1570147 1986-05-22	86-06-01	87-05-31	आगरा इस्पात कार्पोरेशन (रिरोलिंग मिल्स) पीरारवर शाहदरा, आगरा। (कार्यालय: 23/121, लोहामंडी, आगरा -282002)	कंक्रीट प्रबलन के लिए प्रतप्त अभिकृत इस्पात के उच्च सामर्थ्य विकृत सरिये IS : 1786—1979
131.	सीएम/एल–1570248 1986-05-22	86-06-01	87-05-31	राल्सन साइकिल लि., जी. टी. रोड, लुधियाना-141003	साइकिल के हब केवल क्रोमामिश्र धातु इस्पात बॉल वाले आगे और पीछे के समुच्चय IS : 629—1963
132.	सीएम/एल–1570349 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	नेशनल कन्टेनर्स वर्क्स, रोड सं. 9 एवं 10, इंडस्ट्रियल इस्टेट, राजपुरा-140401 (पंजाब)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133.	सीएम/एल-1570450 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	सोना इंडस्ट्रीज, 407-416, मन मिल कम्पाउंड, सीताराम जाधव मार्ग, लोअर परेल, बम्बई-400013 (कार्यालय: यूनिट सं. 6, अध्यारू इंडस्ट्रियल इस्टेट, मन मिल कम्पाउंड, लोअर परेल, बम्बई-400013)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982
134.	सीएम/एल-1570551 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	न्यू एम्पायर टीन फैक्टरी, हाथी बाग, लव लेन, मजगांव, बम्बई-400010	—यथोपरि—
135.	सीएम/एल-1570652 1986-05-23	86-05-16	87-05-15	कृष्णगोपाल टीन कन्टेनर्स, कैथल रोड, राजौंद, जिला जींद (हरियाणा)	—यथोपरि—

[सं. सी एम.डी./ 13 : 11]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 14th May, 1990

S. O. 1592.—In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of Licences particulars of which are given in the following schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L)	Period of Validity From	To	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licences and the Relevant IS : Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CM/L-1557256 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Pymen Cables (India) Plot No. 9, Village & P.O. Rithala, Delhi-110034	PVC insulated (heavy duty) electric cables armoured and unarmoured with aluminium conductors IS : 1554 (Part I)—1976
2.	CM/L-1557357 1986-04-28	86-05-01	87-04-30	Punjab Containers Private Limited Daba Road, (G.T. Road East), Ludhiana-141003 (Office : 890-A, Tagore Nagar, Civil Lines, Ludhiana-141001)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325-1982
3.	CM/L-1557458 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Shree Mahavir Ispat Limited Plot F-5, MIDC Industrial Area, Tarapur, Village Boisar, Distt. Thane	Structural steel (ordinary quality) — IS : 1977-1975

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	CM/L-1557559 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Supercoats Industries 23 F, Laxmi Industrial Estate, off Veera Desai Road, Versova, Andheri (West), Bombay-400058	Carbon papers, hand writin IS : 3450-1976
5.	CM/L-1557660 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	N.K. Industries Opp. Ashok Transport Agency, Patel Babu Road, Bhagalpur-812002 (Office : M.P. Dwiwedi Road, Sujaganj, Bhagalpur-812002)	Paraffin wax— IS : 4654-1974
6.	CM/L-1557761 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Aartee Minerals, 15/7, Mathura Road, Faridabad (Haryana) (Office : 4741/23, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi.	Butachlor 50% EC IS : 9356-1980
7.	CM/L-1557862 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Supercoats Industries 23F, Laxmi Industrial Estate, Offi Veera Desai Road, Versova, Andheri (West), Bombay-400058	Carbon papers for typewriter, IS : 1551-1976
8.	CM/L-1557963 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Tamilnadu Steel Tubes Ltd., Plot No. B-10 & C-13, Maraimalai Nagar, Industrial Complex, Kattankulathur Post, Chenglepur Distt. (Office : Post Box No. 191, 7/A, Sunkurama Street, Madras-600001)	Steel tubes for mechanical and general engineering—purposes— IS : 3601-1984
9.	CM/L-1558056 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Ashirwad Foundries (P) Ltd., P-34, Benaras Road, Howrah (Office : 1 Crooked Lane, Ground Floor, Calcutta-700069)	Sand cast iron soil pipes— IS : 1729-1979
10.	CM/L-1558157 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Kusum Ispat and Wire Products Pvt. Limited, Plot No. E-37, MIDC Industrial Area, Chikalthana, Aurangabad-431210 (Office : Ashok Kumar House, 2nd Floor, 28K, Dubhash Marg, Fort, Bombay-400023)	Mild steel wires for armouring of cables— IS : 3975-1979
11.	CM/L-1558258 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Arihant Steel & Alloys Ltd., (Casting Division) Meerut Road, Muzaffar Nagar (UP)	Low alloy cast steel grinding media— IS : 6079-1980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	CM/L-1558359 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Dovy Electricals, A-120/1, Group Industrial Area, Wazirpur, Delhi-110052	Mineral filled sheathed elements— IS : 4159-1976
13.	CM/L-1558460 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Surfa Coats Pvt. Ltd., A-55, II Stage, Peenya Industrial Estate, Bangalore-560058 (Office : 358, III Block, Rajajinagar, Bangalore-560010)	Integral cement water proofing compounds (powder form)— IS : 2645-1975
14.	CM/L-1558561 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Southern Industrial Corporation, 126/5, Dharamatolla Road, Salkia, Howrah (Office : 10, B.R.B. Babu Road, Calcutta-700001)	Blade only of general purposes— IS : 274 (Part I)—1981
15.	CM/L-1558662 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Gamtesh Industries Pvt. Ltd., Village : Dahivar (Dhamod;, Distt. Dhar (M.P.)	Reinforced cement concrete pipes— IS : 458-1971
16.	CM/L-1558763 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Nagpur Engineering Company Private Ltd., F-8, MIDC Industrial Area, Hingna Road, Nagpur-440016	Cast iron detachable joints for use with asbestos cement pressure pipes— IS : 8794-1978
17.	CM/L-1558864 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Agro Products (India) Parbhat Nagar, Street No. 4, Ludhiana-141003	Door closers (hydraulically regulated)— IS : 3564-1975
18.	CM/L-1558965 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	A.K.M.N. Cylinders P. Ltd., Melachandanpalayam, Mullipadi Road, Musiri P.O.—621211 Trichirapalli Distt. (Office : H-15, Second Main Road, Periyar Nagar, Erode-638009)	LPG cylinders — IS : 3196-1982
19.	CM/L-1559058 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	United Cables, 162 GIDC Estate, Umbergaen, Distt. Valsad Gujarat (Office : Sagar Bharan, 147 Princess Street, Bombay-400002)	Rubber insulated Flexible trailing cables FTD 3 for use in coal mines— IS : 691-1966
20.	CM/L-1559159 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Ronex Engineering Company, Buxarah Road, Opp. Buxarah Public Library, P.O. Buxarah, Howrah-711306	Sluice valves for water works purposes— IS : 780-1984

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	CM/L-1559260 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Vijaykumar & Brothers, Plot No. C-6, 15, Wagle Industrial Estate, Thane-400604 (Office : 28 Krantisinh Nanae Patil Road, (Baroda Street), Iron Market, Bombay-400009)	Structural steel (standard quality)— IS : 226-1975
22.	CM/L-1559361 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	West India Steel Company Ltd., WISCO Minor, Feroke, Calicut.	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977-1975
23.	CM/L-1559462 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Uni Techno Cylinders Pvt. Ltd., Village Kulhariwala, Near Barotiwala, Distt. Solan (H.P.) (Office : 3217, Sector 35-D, Chandigarh-160036)	LPG cylinders— IS : 3196-1982
24.	CM/L-1559563 1986-04-26	86-05-16	87-05-15	Eagle Steels, C-24, Taloja Industrial Estate, Taloja, Distt. Rajgarh (Office : 10 H.D. Trust Building 42 Kennedy Bridge, Bombay-400004)	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977-1975
25.	CM/L-1559664 1986-04-30	86-05-16	87-05-15	Kolencherry Engineering Enterprises (P) Ltd., 237 A/VI, Thammani-Mattom, Ramamangdam. P.O. 686663, Ernakulam Distt. (Office : Thammanimattom, Kolencherry-682311 (Ernakulam Distt.)	Covered electrodes for metal arc welding of structural steel (for welding products other than sheets)— IS : 814 (Part I)—1974
26.	CM/L-1559765 1986-04-30	86-05-01	87-04-30	Metal Fabrications, 7 Industrial Area, Extension, Kathua-184102 (J & K)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325-1982
27.	CM/L-1559866 1986-05-02	86-05-01	87-04-30	M.O. Metal Industries Ltd., 131-132, Industrial Area, Jhotwara, Jaipur-302012	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325-1982
28.	CM/L-1559967 1986-05-02	86-05-01	87-04-30	Omsons Engineering & Metal Works, Delhi Road, Alwar-301001	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325-1982
29.	CM/L-1560043 1986-05-02	86-05-01	87-04-30	Jeewan Udyog, Atari Industrial Area, Nandan Van Road, Post Tendua, Distt. Raipur-492019 (Office : Akash Ganga, Commercial Complex, Circus Maidan, Supela, Bhilai-492023)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325-1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	CM/L-1560144 1986-05-02	86-05-01	87-04-30	Adoni Tin Industries, Madhavaram Road, Adoni-518301	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325-1982
31.	CM/L-1560245 1986-05-04	86-05-01	87-04-30	Batra Associates (P) Ltd, Plot No. 77, Sector-27 A, 15/1 Mathuara Road, Faridabad-121002	Yoke type valve connections for small medical gas cylinders for oxygen and N°_2 gas only. — IS : 3745-1978
32.	CM/L-1560346 1986-05-04	86-05-01	87-04-30	Bansal Industries, 4/201, Gali Inderlok, Sonipat Mandi (Haryana)—131001	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS 10325—1982
33.	CM/L-1560447 1986-05-04	86-05-01	87-04-30	Metal Cans (India) Pvt. Ltd, P.O. Box 73, Gambhirpua, Aligarh.	15-Kg square tins for vanaspati and edibel oils— IS 10325—1982
34.	CM/L-1560548 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	K.K. Rubber Company (India) Pvt. Ltd, Samaypur Badli, Delhi-110042	Rubber convey or and elevator belting (hygenic balting IS : 1891 (Part IV)—197
35.	CM/L-1560649 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	-do-	Rubber conveyor and elevator beling heat resistant belting IS : 1891 (Part II)—1978
36.	CM/L-1560750 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	K.K. Rubber Company (India) Pvt. Ltd., Sameypur Baldi, Delhi-110047	Rubber coveyer and elevator belting general purposes— IS : 1891 (Part I)—1978
37.	CM/L-1560851 1986-05-04	86-05-01	87-04-30	Delhi Iron & Steel Co Ltd., G.T. Road, Ghaziabad-201001 (U.P.)	Gold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS : 1786-1979
38.	CM/L-1560952 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Laxmi Machine Tools, 39 Industrial Area, Jaipur-302012 (Rajasthan)	Cast iron detachable joints for use with asbestos cement pressure pipes— IS : 8794-1978
39.	CM/L-1561045 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Apar Private Limited, Village Kukarvada, Distt. Bharuch-392001 (Gujarat)	Covered electrodes for metal arc welding of structural steel (for welding sheets only) IS : 814 (Part II)—1974
40.	CM/L-1561146 1986-05-04	86-05-16	80-05-15	Assam Carbon Products Ltd, Narengi, Chandrapur Road, Birkuchi, Gauhati Assam-781026	BRUSH material (corbon blacks of electric graphite resin bonded and metal graphite grades for carbon brushes for electrical machines— IS : 3003 (Part II)—1977
41.	CM/L-1561247 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	-do-	Carbon brushes of electro-graphite and metalo-graphite grades for elctrical machines— IX : 3003 (Part III)—1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42.	CM/L-1561348 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Fermier Industries, Shed No. 258, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Madras-600058 (Office : 33 Sombudoss Street, Madras-600001).	Single cylinder, water cooled four stroke, diesel engine — IS : 10001—1981
43.	CM/L-1561449 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Kanchan Pipe Pvt Ltd., Gat No. 41, Kusgaon, Post-Khed-Shivapur, Tal Bhor, Distt. Pune (Office : Champion House, 1240 Bhavani Peth Near Palkhi Chowk, Pune-411042)	Unplasticized Pvc pipes for potable water supplies— IS : 4985—1981
44.	CM/L-1561550 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Jashwantlal Kantilal (Ankleshwar), Pvt Ltd., Plot No. 623-1, GIDC Ankleshwar, Distt. Bharuch (Office : 80 Vithalwadi Kalbadevi Bombay-400002)	Stationary storage type electric water heater cisternfed— IS : 2082—1978
45.	CM/L-1561651 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Apar Private Limited, Village Kukarvada, Distt. Bharuch-392001	Covered electrodes for metal arc welding of structural steel for welding products other than sheets IS : 814 (Part I)—1974
46.	CM/L-1561752 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Ludhiana Steels (P) Ltd., C-44-47, Focal Point, Dhandri Kalan, Ludhiana-141010 (Office : G.T. Road, Miller Ganj, Ludhiana-141003)	Cast billet ingots for structural steel (standard quality)— IS : 6914—1978
47.	CM/L-1561853 1886-05-04	86-05-16	87-05-15	Satya Industrial Corporation, Ram Bagh, Agra-282006 (U.P.)	Sand cast iron soil pipes— IS : 1729—1979
48.	CM/L-1561954 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Medical India, 124/4 Koramangala, Bangalore-560034 (Karnataka) (Office : 29 Grant Road, Bangalore-560022).	Hypodermic needles,— IS : 3317—1983
49.	CM/L-1562047 1986-05-04	86-05-16	87-05-15	Government Milk Scheme Udgir, Distt. Osmanabad (Maharashtra)	Skim milk powder (spray dried)— IS : 1165—1975
50.	CM/L-1562148 1986-05-13	86-05-01	87-04-30	Jalaram Tin Factory, Jaliamath Station, Taluka-Dehgam Distt. Ahmedabad.	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51.	CM/L-1562249 1986-05-13	86-05-01	87-04-30	Eagle Tin Industries, P.O. Rayon Silk Mills, G.T. Road, Amritsar (Punjab)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
52.	CM/L-1562350 1986-05-13	86-05-16	87-05-15	Ashok Metal Box Industries, F-778, Road No. 13, VKI Area, Jaipur-302013	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—S : 10325—1982
53.	CM/L-1562451 1986-05-13	86-05-16	87-05-15	Gee Key Consumer Products (P) Ltd, F-90/1, Okhla Industrial Area, Phase I New Delhi-110020	Blow moulded HDPE containers for vanaspati.—IS : 10840—0986
54.	CM/L-1562552 1986-05-13	86-05-16	87-05-15	B.J. Industrial Corporation, Gudyari, Near Gupta Foundries Raipur (M.P.)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
55.	CM/L-1562653 1986-05-13	86-06-01	87-05-31	Hind Enamel Company, Kaikhali, P.O.R. Gopalpur, 24 Parganas (West Bengal) (Office : 12 Madhu Roy Bye Lane, Calcutta-700006)	Ghee & edible oils tins, small lever lid taggered 5-Kg tins only IS : 10339—1982
56.	CM/L-1562754 1986-05-13	86-05-16	87-05-15	Pritam Metal Works, 448, Chandigarh Road, Ludhiana-141008	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
57.	CM/L-1562855 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Sri Sai Packers, 25/26, Bhandra Co-Operative Industrial Estate, Udhyog Nagar Bhandara (Office : C/o Shivlal Madhavji & Sons, Maskasath, Nagpur)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
58.	CM/L-1562956 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Rigid Containers, 83, L.B.S. Marg, J.J. Metal Compound, Bhandup, Bombay-400078	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
59.	CM/L-1563049 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Mahavir Industsies, Kadva Patidav Wadi, Ruvapari Road, Bhavnagar-364001	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
60.	CM/L-1563150 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Sri Radha Krishna Vegetable Oil Products Co, Tarimala Road, Kalluru R.S.-515774 Anantapur Distt.	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
61.	CM/L-1563251 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Shree Shyamkripa Enterprises, Gangaram Sekharam Gin, Factory Compound, Station Road, Amalner (Office : Post Box No. 64, Amalner-425401)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
62.	CM/L-1563352 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	General Order Suppliers & Traders, 1/1, Nayan Sur Lane, Calcutta-700005	Jute sacking bags for packing cement— IS : 2580—1982
63.	CM/L-1563453 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Shivam Tin Factory, Rakhial Bazar, Rakhial R.S. Taluka, Dehgam, Distt Ahmedabad-382315	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1082
64.	CM/L-1563554 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Jammu Steel Industries, 128-129 Industrial Extension Area, Gangyal , Jammu (J & K)	15-Kg square tins for vanaspati and edible o IS : 10325—1982
65.	CM/L-1563655 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Deluxe Tin Factory, Railway Siding Road, Upleta (Gujarat)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
66.	CM/L-1563756 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Bharat Tin Factory, Aji Industrial Estate, C-1/25, Rajkot-360003	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
67.	CM/L-1563857 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Gajanand Metals, Plot No. 9(2), Industrial Area, Jhotwara, Jaipur-302012	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
68.	CM/L-1563958 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Super Metal Industries, Bhavanagar Road, Rajkot	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
69.	CM/L-1564051 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Junagadh Tin Factory, Patel Industrial Compound, Outdside Majevadi Gate, P. B. No. 79, Junagadh	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
70.	CM/L-1564152 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Gujarat Tin Factory, 'TINM Co House', Behind Raghuvir Chemicals, Bhavanagar Road, Rajkot-360003	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
71.	CM/L-1564253 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Swastik Tin Factory, Outside Majevdi Gate, Junagadh-362001	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
72.	CM/L-1564354 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Nutan Tin Works, Sakanya Niwas, 3-4, Bhadran Nagar, S.V. Road, Malad, (West), Bombay-400004	15-Kg square tins for vanspati and edible oils— IS : 10325—1982
73.	CM/L-1564455 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Shree Krishna Tin Factory, Outside Majevdi Gate, Junagadh-1	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
74.	CM/L-1564556 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	M.J. Tin Factory, 6/7, Lati Plot, Rajkot-360003	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75.	CM/L-1564657 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Maharashtra Vegetable Products Limited, MIDC Industrial Area, Udyognagar Dhule (Maharashtra State) (Office : P.B. No. 64, Dhulia-424001)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
76.	CM/L-1564758 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Kingsway Containers, 1/2, Crescent Industrial Estate , Kanjur Marg (East), Bombay-400078	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
77.	CM/L-1564859 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Bhavnagar Tin Factory, Jamnakund, Bhavnagar-364001	15-Kg square tins for vanapsati and edible oils—IS : 10325—1982
78.	CM/L-1564960 1986-05-15	86-05-16	87-05-15	Bharat Containers Nav Nandanvan Industrial Estate, Unit No. 3, Opp. Rail Wolf, Muland, Bombay-400080 (Office : 104/D, Simla House, L.D. Ruparel Marg (Nepean Sea Road) Muland, Bombay-400036)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
79.	CM/L-1565053 1786-05-17	86-05-15	86-05-16	Srihant Industries, G-7 A & B, Kattedam Industrial Estate, Shivaram-Pally, Hyderabad-5000252	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
80.	CM/L-1565154 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Diamond Chemicals, Khasra No. 725, Village Mundka, Delhi-110041 (Office : 31/20, Shakti Nagar, Delhi-110007)	Paraffin wax—IS : 4654—1974
81.	CM/L-1565255 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Shri Sati Rubber Industries, 202 B, Road No. 9, VKI Area, Jaipur-302013 (Office : 29 Basasthali Marg, Jaipur-302001)	Latex foam rubber products—IS : 1741—1960
82.	CM/L-1565356 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Jalandhar Spun Pipes Co., V & P.O. Jandu Singha, Distt. Jalandhar	Reinforced cement concrete pipes—IS : 458—1971
83.	CM/L-1565457 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Shree Laxmi Metal Industries, 27 C, Kumar Para Road, Liluah, Howrah (Office : 4, Ganesh Chandra Avenue, (5h Floor), Calcutta-700013)	Cast iron spigot & socket soil pipes—IS : 1729—1979
84.	CM/L-1565558 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	K. R. Steel Union Pvt. Ltd., Tinplate Compound, Kalwe-400605 Distt. Thane (Office : Mittal Court, 4th Floor, B-Wing, Nariman Point, Bombay-400021)	Cold reduced electrolytic tinplate equally coated—IS : 1993—1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85.	CM/L-1565659 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Gujarat Gas Equipment Pvt. Ltd., 201 to 204 GIDC Industrial Estate, Palej, Distt. Bharuch (Gujarat) (Office : Guruchhaya, Opp. Railway Station , Dahisar (East) (Bombay-400068)	LPG cylinders— IS : 3196—1982
86,	CM/L-1565760 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	D.R. Industries, Mandi Road, Jalandhar-144001	Cylinder liners— IS : 6750—1972
87.	CM/L-1565861 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Western India, Plywoods Ltd. Baliopatam, Cannanore-670010	Wooden flush door shutters (solid core type) plywood face panels with block board core IS : 2202 (Part I)—1983
88.	CM/L-1565962 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	The Indian Cement Pipe Co, 226, Thapar Nagar, Meerut	Reinforced cement concreto pipe— IS : 458—1971
89.	CM/L-1566055 1986-05-16	86-06-01	87-05-31	R.K. Petrochem, 59 Industrial Estate, Murthal, Sonepat (Haryana)-131027	Paraffin wax— IS : 4654—1974
90.	CM/L-1566156 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Sri Velumurugam Chemcilas, Rodarankadu, Valluvar Nagar, Annadhamapatti, Salem-10 (Office : 21 C, Sarada College Road, Salem-7)	Paraffin wax— IS : 4654—1974
91.	CM/L-1566257 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Bharat Foundry, 27 Ammankulam Road, Pappanaicken Palayam, Coimbatore-641037	Horizontal centrifugal pumps pumps for clear cold, fresh water for agricultura prurposes— IS : 6595—1980
92.	CM/L-1566358 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Gujarat Cylinders Pvt. Ltd., Plot No. 204/1, Panoli 1, GIDC, Panoli-394115 Distt Bharuch (Office : B-37, Brijnagar, Ankleshwar)	LPG cyclinders— IS : 3196—1992
93.	CM/L-1566459 1986-01-17	86-06-01	87-05-31	Zenith Fire Services, 28 Parel Tank Road, Cottom Green Ambawadi, Bombay-400033 (Office : Vadhani Industrial Estate, Unit No. 15, L.B.S. Marg, Ghatkopar, Bombay-400086)	Refills for foam type fire extinguisher — IS : 5490 (Part II)—1973
94.	CM/L-1566560 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Dual Industries, 142 Nava India Road, Peelamedu, Coimbatore-601004	Horizontal centrifugal pumps for clear, cold fresh water for agricultural purposes— IS: 6595—1980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95.	CM/L-1566661 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Modern Malleable Casting Works, 2/1 Ram Saram Poddar Lane, Calcutta-700053, (Office: 53 B, Mirza Ghalib Street, Calcutta-700016)	Aromour rods for AAC/ ACSR conductor fitting for overhead power lines- IS: 2121—1962
96.	CM/L-1566762 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Modi Steels, (Prop. Modi Industries Ltd). Modi Nagar, Distt. Ghaziabad-201204	Cast billet ingots and con tinuously cast billet for rolling into structural steel (standard quality)— IS: 6914—1978
97.	CM/L-1566863 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Electro Cable Industries, 35, Friends Colony, Industrial Area, Street No. 6, G.T. Road, Shahdara, Delhi-110032	PVC insulated sheathed and unsheathed cables for fixed wiring with copper or aluminium conductors— IS: 694—1977
98.	CM/L-1566964 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Batra Investments (P) Ltd., 14/1, Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana)	Domestic gas stoves for use with LPG CRCA sheet painted body double burn LPG stove with conventional cast iron burners— IS: 4246—1984
99.	CM/L-1567057 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Harish Chemical Industries, Plot No. 81, Village Bakkar Wala, P.O. Mundka, Delhi-110041	Paraffin wax— IS: 4654—1974
100.	CM/L-1567158 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Associated Petro Chem Pvt. Ltd. 49.6. Km Delhi Rohtak Road, Sampla-124501 (Haryana) (Office: 143/4, Chawla Market, Naya Bans, Delhi-110006)	Paraffin wax— IS: 4654—1974
101.	CM/L-1567259 1986-05-17	86-05-16	87-05-15	Raju Electric Co., 1037-B, Shastri Nagar, Near Jain Mandir, Delhi-110052	Three contacts socket outlet IS: 1293—1967
102.	CM/L-1567360 1986-05-17	86-05-16	87-05-15	Bharat Pulverising Mills Pvt Ltd. Division Basic Minerals and Chemical Co. Thana Belapur Road, Near United Carbon of India Ltd,, Thana (Office: Shriniketan, 14 Queens Road, Bombay-400020)	Endosulfan technical— IS: 4344—1978
103.	CM/L-1567461 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	United Phosphorous Pvt Ltd., 11, GIDC Estate, Vapi-396195	Quinalphos-25% EC IS: 8028—1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
104.	CM/L-1567562 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Alvin Chemicals Plot No. 9 MIDC Industrial Area, Ahmednagar-414111 (Maharashtra)	Caramel (Plain)— IS: 4467 (Part I)—1980
105.	CM/L-1567663 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Hasimara Industries Ltd., (Jute) P.O. Authpur, Distt. 24-Parganas (WB)	B-twill jute bags— IS: 2566—1984
106.	CM/L-1567764 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Bharat Chemicals, Hazipur Road, Near Bagh Pokhar, Muzaffarpur-842001 (Office: Zenith Auto Service, Hazipur Road, Ganipur, P.O. Ramna, Muzaffar-pur-842001)	Paraffin wax— IS: 4654—1974
107.	CM/L-1567865 1986-05-17	86-06-01	80-05-31	Hasimara Industries Ltd., (Jute) P.O. Authpur, Distt. 24 Paraganas	Jute sacking bags for packing cement— IS: 2580—1982
108.	CM/L-1567966 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Jashwantlal Kantilal (Ankleshwar) Pvt. Ltd, 623/1, GIDC Estate Ankleshwar, Distt. Bharuch (Office: 80 Withalwadi, Kalbadevi, Bombay-400002)	Electric instantaneous waterg heater— IS: 8979—1978
109.	CM/L-1568059 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Titan Springs Ltd, Plot No. 6, Hirehally Industrial Area, Tumkur-572168 (Office: 1026/A, 'Geethan-jalee', HAL, 3rd Stage, Bangalore-560075)	'Leaf' only for leaf sprin assemblies for automobile suspension— IS: 1135—1973
110.	CM/L-1568160 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Safex Fire Services, 202 'A' Dhanraj Industrial Estate, Sun Mill Road, Lower Parel Bombay-400013	Dry powder for fire fighting exlcuding from compatible type) IS: 4308—1982
111.	CM/L-1568261 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Roxy International Pvt. Ltd, Sp-313 B, Industrial Area, Bhiwadi, Distt. Alway (Rajasthan) (Office: 902, 903, Padma Tower, Rajendra Place New Delhi-110008)	PVC insulated unsheathed cables with aluminium conductors— IS: : 694—1977
112.	CM/L-1568362 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Kalpana Plywood Industries, Station Road, P.O. Islampur, West Dinajpur-733202	Plywood tea-chests plywood panels— IS: 10 (Part II)—1976

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
113.	CM/L-1568463 1986-05-17	86-06-01	87-05-01	Kolenchery Engineering Enterprises (P) Ltd., 237 A/VI, Thammani-Mattom, Ramamangalam P.O.-686663 Ernakulam Distt. (Office: Thammanimattom, Kolenchery-6822311 Ernakulam Distt.)	Covered electrodes for metal arc welding of structural steel (for welding sheets) IS: 814 (Part II)—1974
114.	CM/L-1568564 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Chem Wax Industries, Khasra No. 146, Village Burari, Delhi-110009	Paraffin wax— IS: 4654—1974
115.	CM/L-1568665 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Mahabir Parshad Bhagwati Parshad, Plot No. 79, Dal Mill Wali Gali Behind Corporation School, Village Ranhola Delhi-110041	Paraffin wax— IS: 4654—1974
116.	CM/L-1568766 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Indo-Petro Chemicals, Hazipur Road, Near Bagh Pokhar, Muzaffarpur-842001 (Office: Zenith Auto Service, Ganipur, P.O. Ramna Muzaffarpur-842001)	Pafaffin wax— IS: 4654—1974
117.	CM/L-1568867 1986-05-15	86-06-01	87-05-31	Kamarhatty Co Ltd., 907 Graham Road, Kamarhatty, Calcutta-700058 (Office: 16-A Brabourne Road, Calcutta-700001)	Indian hessian— IS: 2818 (Part II)—1971
118.	CM/L-1568968 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Palamu Chemicals, Chianki, Opp. Aerodrome, Daltonganj, Bihar	Paraffin wax— IS: 4654—1974
119.	CM/L-1569061 1986-05-17	86-06-01	87-05-31	Himal Paints & Chemicals, Baghe Khola, Rangpoo-Singtam Road, P.O. Majhitar-737132 East Sikkim. (Office: Ladakhi Mansion, Baluwa Khani, Gangtok-737101)	Putty, for use on window frames— IS: 419—1967
120.	CM/L-1569162 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	LVI Containers, B-464, Industrial Estate, Gokul Road, Hubli-580030	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS: 10325—1982
121.	CM/L-1569263 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	Indira Engineering Corporation C-25 Private Industrial Estate, Kurichi, Coimbatore-641021 (Office: 5/18 Veerakeralam Coimbatore-641007)	Deep well Hand pumps — IS: 9301—1984

1	2	3	4	5	6
122.	CM/L-1569364 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	Subbiah Foundry, 4/388, Avanashi Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore-641037	Monoset pumps for clear—cold fresh water for agricultural purposes— IS: 9079—1979
123.	CM/L-1569465 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	Kalyani Rubber Works, T-15, Industrial Estate, Kalyani-741236 Kalyani Nadia (W.B.)	Rubber sealing rings for gas mains, water mains and sewers— IS: 5382—1969
124.	CM/L-1569566 1986-05-20	86-06-01	87-05-31	Aruna Knitting Company. 17-A, Avanashi Road, Padmavathi-Puram, Tirupur-638603	Plain knitted cotton vests— IS: 4964—1980
125.	CM/L-1569667 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	Ganesh Tin Containers, Bari Brahmana Jammu Tawi-181133	15-Kg square tins for vansspati and edible oils— IS: 10325—1982
126.	CM/L-1569768 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	Suraj Containers Industries, Village Amarhari, Distt Jind (Haryana)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS: 10325—1982
127.	CM/L-1569869 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	Soyabean & Vanaspati Industries, Complex Halduchaur (Haldwani) Nainital (UP)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS: 10325—1982
28.	CM/L-1569970 1985-05-22	86-05-16	87-05-15	United Chemical & Metal Works Pvt Ltd., 50 Industrial Area, Kanpur	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS: 13025—1982
129.	CM/L-1570046 1986-05-22	86-06-01	87-05-31	Anil Rerolling Mills, Pvt. Ltd. No. 5 A & B, Peenya Industrial Area, Ist Phase, Bangalore-560058	Mild steel for metal arc welding electrode core wire— IS: 2879—1975
130.	CM/L-1570147 1986-05-22	86-06-01	87-05-31	Agra Steel Corporation (Re-rolling Mills), Pirakhar, Shahdara, Agra (Office: 23/121, Loha Mandi, Agra-282002)	Cold worked steel high strength deformed bars for concrete reinforcement— IS: 1786—1979
131.	CM/L-1570248 1986-05-22	86-06-01	87-05-31	Ralson Cycles Ltd. G.T. Road, Ludhiana-141003	Bicycle hubs, front and rear assemblies with chrome alloy steel balls only— IS: 629—1963
132.	CM/L-1570349 1986-05-22	86-05-16	80-05-15	National Containers Works, Shed No. 9 & 10, Industrial Estate, Rajpura-140401 (Punjab)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS: 10325—1982
133.	CM/L-1570450 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	Sona Industries, 407-416, Sun Mill Compound, Sitaram Jadhave Marg, Lower Parel, Bombay-400013	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS: 10325—1982

1	2	3	4	5	6
				(Office: Unit No. 6, Adhyaru Industrial Estate, Sun Mill Compound, Lower Parel, Bombay-400013)	
134.	CM/L-1570551 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	New Empire Tin Factory, Hathi Baug, Love Lane, Mazagaon, Bombay-400010	15-Kg square tins for vanas. pati and edible oils— IS: 10325—1982
135.	CM/L-1570652 1986-05-22	86-05-16	87-05-15	Krishan Gopal Tin Containers, Kaithal Road, Rajaund, Distt. Jind (Haryana)	15-Kg square tins for vanas pati and edible oils— IS: 10325—1982

[No. CMD/13 : 11]

का. आ. 1593.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं:

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	वैधता की अवधि से	तक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया और सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सी एम/एल-1570753 1986-05-26	86-06-16	87-06-15	टेलिकेफ कार्पोरेशन (इंडिया), खनिज प्लाट सं. 8 72, लेन संख्या 8, आनन्द पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, नया रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005	खनिज भरे ढके तापन एलीमेंट IS : 4159—1976
2.	सी एम/एल-1570854 1986-05-26	86-06-16	87-06-15	आसाम वैली प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड, माकम रोड, तिनसुकिया, आसाम	लकड़ी के सपाट दरवाजे (ठोस कोर किस्म) प्लाईवुड पार्श्व पेनलों वाले एक दरवाजे वाले शटर ब्लाक बोर्ड कोर— IS : 2202 (भाग 1)—1983
3.	सी एम/एल-1570955 1986-05-26	86-06-16	87-06-15	अनिल मैटल इंडस्ट्रीज, (रोलिंग मिल डिवीजन) चौथा माइलस्टोन, शिवपुरी रोड, आगरा (कार्यालय : 23 47 लोहा मंडी, आगरा-282007)	कंक्रीट प्रबलन के लिए अतप्त अभिरूपित इस्पात के उच्च सामर्थ्य विकृत सरिये— IS 1786—1979
4.	सी एम/एल-1570048 1986-05-26	86-05-16	87-05-15	स्टारटीन कान्टेनर्स, ताम्बोली जिन कम्पाउंड गोदाम सं. 3, अमालनेर-42540 जिला जलगांव	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा वर्गाकार टिन— IS : 10325—1982
5.	सी एम/एल-1571149 1986-05-26	86-05-16	87-05-15	हिन्दुस्तान मैटल बाक्स, तिवारी वर्क्स, इंडस्ट्रियल इस्टेट, मरोल मेतसी रोड, बोरोसिल ग्लास वर्क्स के सामने, मरोल बम्बई-400059	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा वर्गाकार टीन— IS : 10325—1982
6.	सी एम/एल-1571250 1986-05-17	86-06-16	87-06-15	हिमाचल पैट्रो कैमिकल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट लिमिटेड, 136-140/32, इंडस्ट्रियल इस्टेट 1, चंडीगढ़	पैराफिन मोम— IS : 4654—1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	सी एम/एल-1571351 1986-05-27	86-06-16	87-06-15	आनन्द इंडस्ट्रीज, सी-1 एण्ड सी-2 उ. प्र. सरकार इंडस्ट्रियल इस्टेट, सहारनपुर रोड, देहरादून	फ्लैश लाइट के लिए सैल IS : 2261--1975
8.	सी एम/एल-1571452 1986-05-27	86-06-16	87-06-15	हिन्दुस्तान टिन वर्क्स (प्राइवेट), लिमिटेड, जी टी रोड, पो. बाक्स नं. 1, गाजियाबाद	घी एवं खाद्य तेल के लिए टीन-- IS : 10339--1982
9.	सी एम/एल-15711553 1986-05-28	86-06-16	87-06-15	स्टैंडर्ड टूल्स कार्पोरेशन, ई 64. इंडस्ट्रियल एरिया, जलंधर-144004	आघातवर्ध्य ढलवां लोहे के पाइप फिटिंग-- IS : 1879 भाग 1 से 10) -1975
10.	सी एम/एल-1571654 1986-05-28	86-05-16	87-05-15	लिओ प्लास्टिक्स प्रा. लि., 103/27, फोरेसोर रोड, अपर विचाली घाट, शिवपुर, हावड़ा (कार्यालय : 4 एवं 4/1, रेड क्रास प्लेस, कलकत्ता-700001	केवल 2 किस्म के एच डी पी ई IS : 10840--1986
11.	सी एम/एल-1571755 1986-05-29	86-05-16	87-05-15	ट्रिवेन्ट ट्यूब्स लिमिटेड, नं 22/25 हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर जिला वैशाली बिहार) (कार्यालय : लवली भवन, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001)	पेयजल पूर्ति के लिए असम्पीडन पी वी सी पाइप-- IS : 10339--1983
12.	सी एम/एल-1571856 1986-05-28	86-05-16	87-05-15	भारत मेटल बाक्स कम्पनी, श्री वेंकटेश्वरा कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, प्लाट संख्या 109 ए एवं बी बोलाराम ग्राम मेडक जिला (आ. प्र.)	घी एवं खाद्य तेल टीन IS : 10339--1984
13.	सी एम/एल-1571957 1986-05-28	86-05-16	87-05-15	विजयलक्ष्मी मेटल बाक्स कं., सी-1 एवं 2, राजकीय इंडस्ट्रियल स्टेट, चंदूलाल बारादरी, हैदराबाद-500264	घी एवं खाद्य तेल टीन-- IS : 10339--1983
14.	सी एम/एल-1572050 1986-05-28	86-06-16	87-06-15	पूनम विस्कुट्स प्रा. लि., ई-23 एम आई डी सी इंडस्ट्रियल एरिया चिकल थाना, औरंगाबाद-431210 (महाराष्ट्र)	किस्म : ग्लूकोज, आरेंज क्रीम, अन्नानास-क्रीम रोशनी, टिवंकल-- IS : 1011--1981
15.	सी एम/एल-1572151 1986-05-30	86-06-01	87-05-31	आश्विन वनस्पति इंडस्ट्रीज प्रा. लि. आश्विन नगर, सामलया-391520 जिला बड़ोदा (गुजरात) (कार्यालय : प्रीमियर चैम्बर्स, 3री मंजिल आरसी दत्त रोड, बड़ोदा-390005	
16.	सी एम/एल-1572252 86-05-30	86-06-16	87-06-15	पदमा इन्डस्ट्रीज, 28 शापिंग सेंटर, जनता कालोनी, जयपुर-302001 (राजस्थान)	स्याही, स्टैम्प पैड IS : 393—1975
17.	सी एम/एल-1572353 1986-05-30	86-05-16	87-05-15	हिन्दुस्तान पुलवर्सिंग मिल्स, जी.टी करनाल रोड, बकोली दिल्ली-110036 (कार्यालय : 278 कटरा पैराम तिलक बाजार पो. बा. 2006, दिल्ली-110006)	क्यूस्टालोर 50 % पायसनीय सान्द्र-- IS : 9356—1980
18.	सी एम/एल-1572454 1986-05-30	86-06-16	87-06-15	बोरा कम्पोनेंट एण्ड कान्टेनर्स प्रा. लि., 7 बी, राजकीय इंडस्ट्रियल इस्टेट, कांदी विली (वे). बम्बई-400067 महाराष्ट्र	एल पी जी के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हे स्टैनलैस इस्पात के ढांचे के लोहे के प्रचलित दो बर्नर (पीतल टोपी या ढलवां लोहे की टोपी सहित) के- IS 4226—1954

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. सी एम/एल-1572555 1986-05-30	86-06-16	87-06-15	बंगलोर पेस्टिाइड्स लि., 16वें किमी तुमकुर रोड, बंगलोर-56007 (कार्यालय : 170, 10वी मेन रोड, दूसरी क्रास राजमहल, विलास एक्सटेंशन,बंगलोर-560080	डाइक्लोरोवास पायसनीय सान्द्र 76 % IS : 5277--1978
20. सी एम/एल-1572656 1986-06-06	86-06-16	87-06-15	परवीन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, 28 जे एन मुखर्जी रोड, बंधा घाट, हावड़ा-711106 (कार्यालय : 15 चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-700072)	वनस्पति के लिए ब्लो संवकित एच डी पी ई धारक-- IS : 10840--1986
21. सी एम/एल-1572757 1986-06-06	86-06-16	87-06-15	परवीन (इंडिया) लि., 14 डा एच के चटर्जी लेन घुसूरी, हावड़ा (कार्यालय : 32 ए, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-700012)	वनस्पति के लिए ब्लो संवकित एच डी पी ई धारक IS : 10840--1986
22. सी एम/एल-1572858 1986-06-11	86-07-01	87-06-30	पोखरमल महावीर प्रसाद, स्टेशन फीडर रोड, सिलीगुड़ी-734405 जिला दार्जिलिंग	प्लाईवुड की चाय की पेटी के लिए बत्त-- IS : 10 (भाग 3)--1974
23. सी एम/एल-1572959 1986-06-11	86-06-16	87-06-15	प्रीति स्पन पाइप रोशनपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 (कार्यालय : आनन्द फार्म, पुराना रोशनपुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली-110043)	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पाइप-- IS : 458--1971
24. सी एम/एल-1573052 1986-06-11	86-07-01	87-06-30	बी बी इंटरप्राइजेज, 302/2/एच/8/ आचार्य प्रफुल्ल चन्द्रा रोड, कलकत्ता-700009, (पश्चिमी बंगाल)	[illegible] के लिए चमड़े के दस्ताने-- IS : 2575--1975
25. सी एम/एल-1573153 1986-06-11	86-06-16	87-06-15	एस कुमार डिटर्जेंट्स प्रा. लि., आर जेड 549, मुंडका गांव, 22वां मील पत्थर, रोहतक रोड, नई दिल्ली-110041	घरेलू धुलाई के लिए डिटर्जेंट पाउडर- IS : 4955--1982
26. सी एम/एल-1573254 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	केबल कार्पोरेशन आफ इंडिया, दत्तापाड़ा रोड, बोरीवली (ईस्ट), बम्बई-400066	तापरोधी इलैस्टोमर विद्युत रोधी तांबा चालकों वाले एलैस्टोमर नम्य केबल IS : 9968(भाग 1)--1981
27. सी एम/एल-1573355 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	जूपीटर केन वर्क्स, ए/9ए इंडस्ट्रियल इस्टेट, पोलोग्राउंड, इंदौर (म. प्र.)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा चौकोर टीन IS : 10325--1982
28. सी एम/एल-1573456 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	पी. एस. आर. इंजीनियरी कम्पनी, 16 ए, इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एरिया, बालानगर, हैदराबाद-500037 (कार्यालय : 4-3-141, हिल स्ट्रीट, सिकन्दराबाद-500003)	गहराई से पानी निकालने के हैंडपम्प- IS : 9301--1984
29. सी एम/एल-1573557 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	उमा इंजीनियरी वर्क्स, बी-11, टेक्नोक्रेट, इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज 2, बालानगर, हैदराबाद-5000037	--यथोपरि--
30. सी एम/एल-1573658 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	एम. ए. टूल रूम प्लाट सं. 4 (सर्वे सं. 82), नई भोयगुडा, भोलकपुर सिकन्दराबाद, (कार्यालय 4-3-54/80, चारबाग स्ट्रीट, सिकन्दराबाद-500003)	गहराई से पानी निकालने के हैंडपंप-- IS : 9301--1984

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31. सी एम/एल–1573759 1986-06-14		86-07-01	87-06-30	उद्योगी इंडस्ट्रीज, 1 चितपुर घाटलेन, कलकत्ता-700002 (पश्चिमी बंगाल)	औद्योगिक सुरक्षा बेल्ट–– IS: 3521––1983
32. सी एम/एल–1573860 1986-06-14				पी. एस. एम. निटर्स, 6 कोंगुनगर, तीसरी स्ट्रीट एक्सटेंशन, तिरपुर-638607 (त. ना.)	मादी बुनी सूती बनियानें IS : 4964––1980
33. सी एम/एल–1573961 1986-06-17		86-06-16	87-06-15	जयलक्ष्मी सप्लाई कार्पोरेशन, 8 पागला डांगा रोड, कलकत्ता-700039 (पं. बंगाल)	खनिकों के लिए रबड़ क सुरक्षा कैनवस जूते–– IS : 3976—1982
34. सी एम/एल–1574054 1986-06-18		86-06-16	87-06-15	कमल कैमिकल इंडस्ट्रीज, 498 दिल्ली रोहतक रोड, साम्पला-12450 (हरियाणा)	पराफिन मोम–– IS: 4654—1974
35. सी एम/एल–1574155 1986-06-18		86-07-01	87-06-30	अश्विन वनस्पति इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., अश्विन नगर, सामलया-391520 जिला बड़ौदा (गुजरात)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा. चौकोर टीन–– IS : 10325––1982
36. सी एम/एल–1574256 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	फाल्कन इलैक्ट्रानिक कंडक्टर्स (प्रा.) लि., खसरा सं. 358, ग्राम अली मथुरा रोड, डाकघर बदरपुर, नई दिल्ली-110044	एक बार और कई बार दागने के लिए पी वी सी रोधित दोहरे केबल (समानान्तर दोहरे)–– IS : 5950—1971
37. सी एम/एल–1574357 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	रामचन्द्र हीरालाल 107 लक्ष्मीनारायण तल्ला रोड, शालीमार हावड़ा (कार्यालय: 138 बिप्लवी एस बिहारी बसुरोड, कलकत्ता-700001)	संरचना इस्पात (मानक किस्म) IS : 226––1975
38. सी एम/एल–1574458 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	कापन उद्योग लि., 243, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता-700006	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा. के चौकोर टीन–– IS : 10325—1982
39. सी एम/एल–1574559 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	डी. के. स्पन पाइप, 7/2 सोहना रोड, ग्राम पाली फरीदाबाद (हरियाणा) (कार्यालय : म. नं. 34, सेक्टर-23 फरीदाबाद)	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट पाइप–– IS : 458—1971
40 सी एम/एल–1574660 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	अग्रवाल इस्पात इंडस्ट्रीज, मरोल मरोशी रोड, मरोल बम्बई-400059 (कार्यालय : तीसरी लेन दारूखाना, बम्बई-400010)	संरचना इस्पात (साधारण किस्म)–– IS : 1977––1975
41. सी एम/एल–1574761 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	श्री महावीर इंडस्ट्रीज नई तकली भाद्रा-441904 (महाराष्ट्र) (कार्यालय : भालगे-मेंसन मेन रोड, भान्द्रा-441904)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा. के चौकोर टीन–– IS : 10325––1982
42. सी एम/एल-1574862 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	भावनगर वेजिटेबल प्रायक्टस यूनिट, बुन्देर रोड, भावनगर-364001 (गुजरात)	––यथोपरि––
43. सी एम/एल–1574963 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	रंभा वेक्स इंडस्ट्री, मिरचाई बाड़ी, (कोलासी रोड), कटिहार-854105	पैराफिन मोम–– IS: 4654;; 1974
44. सी एम/एल-1575056 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	इंडोप्लास्ट (प्रा.) लि., 46, 47 और 4, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 5, परवानू (हि. प्र.)	जिंक सल्फेट् कृषि;; IS: 4244;; 1976
45. सीएम/एल–1575157 1986-06-19		86-07-01	87-06-30	रसबिहारी टोबाको प्रोसेसर्स लि., 11/3/99 भरत नगर, सिद्धिपेठ मडक––502103 (आन्ध्र प्रदेश) (कार्यालय : कांग्रेस हाउस, एम जी रोड, नाशिक––422001)	बीड़ी IS : 1925––1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.	सीएम/एल–1575258, 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	विनायक कैमिकल्स, 201/बी, इन्नुरहाप रोड, मद्रास—600019 (कार्यालय : 161 गोविन्दप्पा (नैकेन स्ट्रीट, मद्रास—600001)	पैराफिन मोम IS : 1925—1974
47.	सीएम/एल–1575359 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	अरविंद कैमिकल्स शोरा कम्पाउंड, जी. टी. रोड, दमतल नूरपुर के नजदीक जिला कांगड़ा (हि. प्र.)	—यथोपरि—
48.	सीएम/एल–1575460 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	पोलीरब एक्सट्रूजस (इंडिया), प्लाट सं. डब्ल्यू-102, एमग्राईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, पावने जिला थाने—400013 कार्यालय : 90 मिस्त्री इंडस्ट्रियल कमप्लेक्स, एमग्राईडीसी क्रांस रोड, अंधेरी (पू) बम्बई—400093)	द्रव पैट्रोलियम गैस के लिए नम्य रबड़ की नलियां IS : 10908—1984
49	सीएम/एल–1575561 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	सीकेएल एन एण्ड संस, 37-42 जीग्राईडीसी इस्टेट, गोधर—389001 जिला पंचमहल	—यथोपरि—
50	सीएम/एल–1575662 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	दाऊआ पुनरराइजिंग वर्क्स (प्रोडक्शन) 59/62, जीग्राईडीसी धरमपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट, पोरबंदर—360575 (गुजरात) (कार्यालय : भावसिंगजी पार्क पोरबंदर—360575)	रो के लिए मक्का IS : 63—1978
51.	सीएम/एल–1575763 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	श्री नरसिंह प्रा. लि., पुराना नाम बी मैटल प्राडक्ट्स प्रा. लि., प्लाट संख्या 9 और 2 एमग्राईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कल्याण भिवंडी रोड, डाकघर सारावली वाया कल्याण कल्याण—421311 कार्यालय : न्यू इण्डिया सेन्टर 12 वीं मंजिल, 17 कूपरागा रोड बम्बई—400039	जिंक सल्फेट, कृषि IS : 8249—1976
52.	सीएम/एल–1575864 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	कंसालिडेटड प्लास्टिक्स, 39 इंडस्ट्रियल सहहाउसिंग इस्टेट, मथुरा रोड, सेक्टर-6, फरीदाबाद (हरियाणा)	वनस्पति के लिए ब्लो मैंचकिस एचडी-पीई धारक IS : 10840—1984
53.	सीएम/एल–1575965 1986-06-23	86-06-16	86-06-15	टेम्कन स 42, सेक्टर-8, नौएडा (उ. प्र.) (कार्यालय : सी 62, साउथ एक्सटेंशन 2, नई दिल्ली—110049)	—यथोपरि—
54.	सीएम/एल–1576058 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	द टिन कम्पनी, डायमंड कूटन मिल्स, जी टी रोड, छेहराता, अमृतसर (पंजाब)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982
55.	सीएम/एल–1576159 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	करन इंडस्ट्रीज, जी टी रोड, डाकघर फांरफील्ड, अमृतसर—143001	—यथोपरि—
56.	सीएम/एल–1576260 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	गोयंका मिनरल्स प्रा. लि., प्लाट सं. 1 खंड 2, इंडस्ट्रियल एरिया, सिवानी (म. प्र.) (कार्यालय : 1062 पश्चिमी हाईकोर्ट रोड, नागपुर—440010)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982
57.	सीएम/एल–1576361 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	भारत टिन इंडस्ट्रीज, जी. टी. रोड, दोराहा 141421 (पंजाब)	—यथोपरि—
58.	सीएम/एल–1576462 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	भूपिन्द्रो टिन फैक्ट्री, डाकघर मरेम टीपरी जी. टी. रोड, लुधियाना—141005	—यथोपरि—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
59.	सीएम/एल-1576563 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	अर्राह टिन फैक्ट्री, डा. घ. कैलासपुर, जिला सहारनपुर (उ. प्र.)	--यथोपरि--
60.	सीएम/एल-1576664 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	धमन पोली फिल्स यूनिट नं. एस बी-5, इंडस्ट्रियल इस्टेट, के पुदूर, मदुराई--625007	वनस्पति के लिए बलो संचालित एच डी पी ई धारक IS : 10840--1986
61.	सीएम/एल-1576765 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	*श्रीगणेश केमिकल इंडस्ट्रीज, 69 डाथीनगर, डिंडुगल रोड, तिरुचिरापल्ली--620010 (कार्यालय : 4 बी, अलीमल स्ट्रीट, तिरुचिरापल्ली--670008)	वनस्पति के लिए ब्लो मोल्डित एच डी पी ई धारक IS : 10840--1986
62.	सीएम/एल-1576868 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	बाबू टिन फैक्ट्री, माजवडी गेट, जूनागढ़--362001 गुजरात	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टिन IS : 10325--1982
63.	सीएम/एल-1576967 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	गणेश प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, कल्याणनरमन स्ट्रीट, जगन्नाथपुरम, श्रायमिगलम, तिरुचिरापल्ली--620010	वनस्पति के लिए ब्लो श्रमन मोल्डित एच डी पी ई धारक IS : 10840--1986
64.	सीएम/एल-1577060 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	वर्धमान क्लोरैकर (प्रा. लि.), 619 सी, विसरख रोड, डाकघर छरोला, जिला गाजियाबाद	--यथोपरि--
65.	सीएम/एल-1577161 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	एम्पोरियल सर्जिकल कं. प्रा. लि., एमकाण्ड हाउस, एलबी शास्त्री मार्ग, मुलुन्द, बम्बई--400080 (कार्यालय : 4, मल्होत्रा हाउस, डब्ल्यु. एच. मार्ग, बम्बई--400001)	साधारण उपयोग के लिए श्राधयक सिरिंज IS : 3236--1980
66.	सीएम/एल-1577262 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	भगानी प्लास्टिक कं., 24 महामहम टैंक, साउथ स्ट्रीट, कुम्भकोनम--612001	वनस्पति के लिए ब्लो मोल्डित एच-डी पी ई धारक IS : 10840--1986
67.	सीएम/एल-1577363 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	सिमको इंजीनियरी लि., 13 बेला बेरी मेन रोड, मद्रास (कार्यालय : 16-17 कालिज रोड, मद्रास--600006)	--यथोपरि-- --यथोपरि--
68.	सीएम/एल-1577464 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	हंसा वायर प्राडक्ट्स प्रा. लि., जी-30 सेक्टर 6, नोएडा जिला गाजियाबाद (उ. प्र.)	शिरोपरि प्रेषण प्रयोजनों के लिए ऐल्युमिनियम के जस्तीकृत इस्पात प्रबलित चालक IS : 398 (भाग 2)--1976
69.	सीएम/एल-1577565 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	एग्रो बायो प्राडक्ट्स श्रर्जुनपुर, पोखापड़ाव, नैनीताल--263139	एजोटोबैक्टर क्रोकम टीके IS : 9138--1979
70.	सीएम/एल-1577666 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	मोतीलाल पेस्टिसाइड्स (इंडिया) प्रा. लि., मसानी दिल्ली रोड, मथुरा--281003	फोनथोएट 2 प्रतिशत धूमन चूर्ण IS : 10950--1984
71.	सीएम/एल-1577767 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन, कियाहू नगर, श्रॉफ पूना नगर रोड, बघोली--412207 (महाराष्ट्र)	राइजोबियम टीके किस्म कृमकर्ता IS : 8268--1976
72.	सीएम/एल-1577868 1986-06-24	86-06-16	87-06-15	जयदुर्गा इंडस्ट्रीज, ड-35 बुलन्दशहर रोड, इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद (उ. प्र.) (कार्यालय : 227 साहिब नगर, सिहानी गाजियाबाद)	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा चौकोर टीन के ख्यूमन ढक्कन IS : 10325--1982

1	2		4	5	6
73.	सीएम/एल-1577969 1986-06-24	86-06-16	87-06-15	लिप्टन इंडिया लि., जी. टी. रोड, गाजियाबाद—201001 (कार्यालय : 19वी मंजिल, मेकर टावर, एफ कफे परेड, कोलाबा, बम्बई—40005)	वनस्पति और खाद्य तेलों को पैक करने के लिए नम्य पैक IS : 1352—1985
74	सीएम/एल-1578062 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	प्रेस्टिज इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन, जसवन्तसिंह बिल्डिंग, गोकुलपुर, शाहदरा, दिल्ली—110094	एलपीजी के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस चूल्हे प्रचलित इस्पात लोहे के बर्नर सहित एलपीजी सीआरईए निकेल/क्रोम प्लेटेड दोहरे बर्नर के
75.	सीएम/एल-1578163 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	मेटल्को, 58बीटी रोड, कलकत्ता—700002 कार्यालय : 22 ताराचन्द दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता—700073	वनस्पति और खाद्य तेलों के लिए 15 किग्रा के चौकोर टीन IS : 10325—1982
76.	सीएम/एल-1578264 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	हरियाणा स्टील एंड एलायज लि., 48वां किमी, जी. टी. रोड, मुरथल, सोनीपत (हरियाणा)	संरचना इस्पात में बेल्लन के लिए ढलवा विलेट इंगट (सामान्य किस्म) IS : 6915—1978
77.	सीएम/एल-1578365 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	एस पी एम इंजीनियरी इंडस्ट्रीज, 5, बिदल इंडस्ट्रीज इस्टेट, साकीन का बम्बई—400072	तीन फेजी प्रेरण मोटरों के लिए ज्वालासह खोल IS : 2148—1981
78.	सीएम/एल-1578466 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	फिसिडिस इंडिया लि., एस-290, अया पंथागल, पूनामाली रोड, मद्रास—600056 (कार्यालय 23 अप्पू सेकंडस्ट्रीट, माइलेपोर, मद्रास—600004)	फासफोमीडन 80 प्र. श. डब्लू एस सी IS : 6177—1981
79.	सीएम/एल-1578567 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	—यथोपरि—	मोनोक्रोटोफास 36% डब्लू एस सी IS : 8074—1983
80.	सीएम/एल-1578663 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	बंगलोर पेस्टिसाइड्स लि., 16वां किमी, तुमकुर रोड, बंगलोर—560073 (कार्यालय : 170, 10वां मेनरोड, दूसरा क्रास राजमहल विलास एक्सटेंशन बंगलोर—560080)	फासफोमीडान 85 प्र. श. डब्लू एस सी IS : 6177—1981
81.	सीएम/एल:1578769 1986-06-24	87-07-01	87-06-30	मोतीलाल पेस्टिसाइड्स (इंडिया) प्रा. लि. माताजी दिल्ली रोड, मथुरा—381003	मोनोक्रोटोफास 36 प्र. श. डब्लू. एस. सी. IS : 8074—1983
82.	सीएम/एल-1578870 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	जयकिशन एग्रो इंडस्ट्रीज (यूनिट-2), बी-29/33बी सांवर रोड, इंडस्ट्रियल इस्टेट, इंदौर—452003	कुक्कुट खाद्य के अनुपूरन के लिए खनिज मिश्रण IS : 5672—1970
83.	सीएम/एल-1578971 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	एसोसिएटेड कैमिकल्स, 43 जी आई डी सी इंडस्ट्रियल इस्टेट काचिलपाडा—396424 (गुजरात) (कार्यालय : आर बी कर्थे, जैन सोसाइटी नवसारी—396445)	कैल्सियम प्रोपियो नेट IS : 6031—1971

[सं. सी० एम० डी० / 13 : 11]

S.O...1593 :—In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. L(CM/L-)	Period of Validity From	To	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the licences and the Relevant IS : Number
1	2	3	4	5	6
1.	CM/L-1570753 1986-05-26	86-06-16	87-06-15	Telec Corporation (India), Plot No. 8/72, Lane No. 8, Anand Parbat Industrial Area, New Rohtak Road, New Delhi-110005	Mineral filled sheathed heating elements— IS : 4159—1976
2.	CM/L-1570854 1986-05-26	86-06-16	87-06-15	Assam Valley Plywood Pvt. Ltd, Makum Road, Tinsukia, Assam.	Wooden flush door (solid core type.) plywood face panels, single door shutters block board core— IS : 2202 (Pt 1)—1983
3.	CM/L-1570955 1986-05-26	86-06-16	87-06-16	Anil Metal Industries, (Rolling Mill Division), 4th Milestone, Bichpuri Riad, Agra (Office : 23/47, Loha Mondi, Agra-282007)	Cold worked steel high strength deformed bors for concrete reinforcement— IS : 1786—1979
4.	CM/L-1571048 1986-05-26	86-05-16	87-05-15	Star Tin Containers, Tamboli Gin Compound, Godown No. 3, Amalner-425401 Distt. Jalgaon.	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
5.	CM/L-1571149 1986-05-26	86-05-16	87-05-15	Hindustan Metal Box, Tinwala Bros. Industrial Estate, Marol Maroshi Road, Opp. Borsoil Glass Works, Marol, Bombay-400059	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
6.	CM/L-1571250 1986-05-27	86-06-16	87-06-15	Himachal Petro Chemical Industries(P) Ltd., 136-140/32, Industrial Estate I, Chandigarh.	Paraffin wax— IS : 4654—1974
7.	CM/L-1571351 1986-05-27	86-06-16	87-06-15	Annad Industries, C-1 & C-2 U.P. Govt. Industrial Estate, Saharanpur Road, Dehradun-248001	Lamps for flashlight for— IS : 2261—1975

1	2	3	4	5	6
8.	CM/L-1571452 1986-05-27	86-06-16	87-06-15	Hindustan Tin Works (P) Ltd., G.T. Road, Post Box No. 1, Ghaziabad	Ghee & edible oils tins— IS : 10339—1982
9.	CM/L-1571553 1986-05-28	86-06-16	87-06-15	Standard Tools Corporation E-64, Industrial Area, Jalandhar-144004	Malleable cast iron pipe fittings— IS : 1879(Pt I to X)—1975
10.	CM/L-1571654 1986-05-28	86-05-16	87-05-15	Leo Plastics Pvt. Ltd., 103/27, Foreshore Road, Upper Bichalighat, Shibpur, Howrah (Office : 4 & 4/1, Red Corss Place, Calcutta-700001)	2 Kg HDPE containers only— IS : 10840—1986
11.	CM/L-1571755 1986-05-28	86-05-16	87-05-15	Trident Tubes Limited, C-22/25 Hazipur Industrial Area, Hazipur, Distt. Vaushali (Bihar). (Office : Lawly's Buildings, Exhibition Road, .Patna-800001)	Unplasticized PVC pipes for potable water supplies— IS : 4985—1981
12.	CM/L-1571856 1986-05-28	86-05-16	87-05-15	Bharat Metal Box Company, Sri Venkateswara Co-Op Industrial Estate, Plot No. 109 A &B Bollaram Village, Medak Distt (A.P.).	Ghee and edible oils tins— IS : 10339—1983
13.	CM/L-1571957 1986-05-28	86-05-16	87-05-15	Binjusarai Metal Box Co, C-1 & 2, Govt. Industrial Estate, Chandulal Baradari, Hyderabad-500264	Ghee and edible oils tins— IS : 10339—1983
14.	CM/L-1572050 1986-05-28	86-06-16	87-06-15	Poonam Biscuits Pvt. Ltd., E-23, MIDC Industrial Area, Chikalthana, Aurangabad-431210 (M.S.)	Varieties : Gulcose; Orange Cream; Pineapple cream; Roshani; Twinkle — IS : 1011 —1981
15.	CM/L-1572151 1986-05-30	86-06-01	87-05-31	Ashwin Vanaspati Industries Pvt. Ltd., Ashwin nagar, Samlaya-391520 Distt. Baroda (Gujarat) (Office : Premier Chambers, 3rd Floor, R.C. Dutt Road, Baroda-390005).	Vanaspati— IS : 10633—1983

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	CM/L-1572252 1986-05-30	86-06-16	87-06-15	Padma Industries, 28 Shopping Centre, Janta Colony, Jaipur-302004 (Rajasthan)	Ink, stampad— IS : 393—1975
17.	CM/L-1572353 1986-05-30	86-05-16	87-05-15	Hindustan Pulverising Mills, G.T. Karnal Road, Bakoli, Delhi-110036 (Office : 278 Katra Peran, Tilak Bazar , P.B. 2006, Delhi-110006)	Butachlor 50% EC— IS : 9356—1980
18.	CM/L-1572454 1986-05-30	86-06-16	87-06-15	Vora Components and Containers Pvt. Ltd., 9B, Government Industrial Estate, Kandivili (W), Bombay-400067 (Maharashtra)	Domestic gas stoves for use with LPG stainless steel body, cast iron conventional double burners (with brass caps or cast iron caps)— IS : 4246—1984
19.	CM/L-1572555 1986--05-30	86-06-16	87-06-15	Bangalore Pesticides Ltd., 16th Km., Tumkur Road, Bangalore-560073 (Office : 170, 10th Main Rd., 2nd Cross Rajmahal, Vilas Extension, Bangalore-560080)	Dichloroves EC 76% IS : 5277—1978
20.	CM/L-1572656 1986-06-06	86-06-16	87-06-15	Praveen Plastic Industries, 28 J.N. Mukherjee Road, Bandhaghat, Howrah-711106 (Office : 15 Chittaranjan Avenue, Calcutta-700072)	Blow moulded HDPE containers for vanaspati— IS : 10840—1986
21.	CM/L-1572757 1986-06-06	86-06-16	87-06-15	Praveen (India) Ltd., 14, Dr. H.K. Chatterjee Lane, Ghusury, Howrah (Office: 32A, Chittaranjan Avenue, Calcutta-700012)	Blow moulded HDPE containers for vanaspati— IS : 10840—1986
22.	CM/L-1572858 1986-06-11	86-07-01	87-06-30	Pokarmal Mahabir Prasad Station Feeder Road, Siliguri-734405 Distt., Darjeeling.	Plywood Tea-chests-Battens— IS : 10(Pt III)—1974
23.	CM/L-1572959 1986-06-11	86-06-16	87-06-15	Preeti Spun Pipe, Roshan Pura, Najafgarh, New Delhi-110043 (Office : Anand, Farm, Old Roshan Pura, Najafgarh, New Delhi-110043)	Reinforced cement concrete pipes— IS : 458—1971

1	2	3	5	5	6
24.	CM/L-1573052 1986-06-11	86-07-01	87-06-30	B.B. Enterprises, 302/2/H/8, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-700009 (West Bengal).	Leather gauntlets for welders— IS : 2573—1975
25.	CM/L-1573153 1986-06-11	86-06-16	87-06-15	S. Kumar Detergents Pvt Ltd., RZ549, Mundka Village, 22nd Milestone, Rohtak Road, New Delhi-110041	Household laundry detergents powders— IS : 4955—1982
26.	CM/L-1573254 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	Cable Corporation of India Ltd., Dattapada Road, Borivli (East), Bombay-400066	Elastomer flexible cables with copper conductors with heat resisting elastomeric insulating— IS : 9968 (Pt I)—1981
27.	CM/L-1573355 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	Jupiter Can Works, A/9 A, Industrial Estate, Pologround, Indore (M.P.)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
28.	CM/L-1573456 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	P.S.R. Engineering Company 16-A, Industrial Development, Area, Balanagar, Hyderabad-500037 (Office: 4-3 141, Hill Street, Secundrabad-500003)	Deepwell hand pumps— IS : 9301—1984
29.	CM/L-1573557 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	Uma Engineering Works, B-11, Technocrat Industrial Estate, Phase-II, Balanagar, Hyderabad-500037	Deepwell hand pumps— IS : 9301—1984
30.	CM/L-1573658 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	M.A. Tool Room, Plot No. 4, (Suvery No. 82), New Bhoiguda, Bholakpur, Secunderabad (Office : 4-3-54/80, Chand Khan Street, Secunderabad-500003)	Deepwell hand pumps— IS : 9301—1984
31.	CM/L-1573759 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	Udyogi Industries, 1, Chitpur Ghat Lane, Calcutta-700002 (West Bengal)	Industrial safety belts— IS : 3521—1983
32.	CM/L-1573860 1986-06-14	86-07-01	87-06-30	P.S.M. Knitters, 6, Kongunagar 3rd Street Extension, Triupur-638607 (TN)	Plain Knitted cotton vests— IS : 4964—1980
33.	CM/L-1573961 1986-06-17	86-06-16	87-06-15	Joylaskmi Supply Corpn., 8, Pagladanga Road, Calcutta-700039 (West Bengal)	Safety rubber-canvas boots for miners— IS : 3976—1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	CM/L-1574054 1986-06-18	86-06-16	87-06-15	Kamal Chemical Industries, 49.8 Delhi Rohtak Road, Sampla-124501 (Haryana)	Paraffin wax— IS : 4654—1974
35.	CM/L-1574155 1986-06-18	86-07-01	87-06-30	Ashwin Vanaspati Industries (P) Ltd., Ashwinnagar, Samlaya-391520, Distt. Baroda (Gujarat).	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
36.	CM/L-1574256 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Falcon Electronic Conductors (P) Ltd., Khasra No. 358, Village Ali, Mathura Road, P.O. Badarpur, New Delhi-110044	PVC insulated twin cable (parallel twin) for single shot and multi shot firing— IS : 5950—1971
37.	CM/L-1574357 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Ramchander Heeralall, 107, Lakhinarain Talla Road, Shalimar Howrah (Office : 138 Biplabi Rash Behari Basu Road, Calcutta-700001)	Structural Steel (standard quality)— IS : 226—1975
38.	CM/L-1574458 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Kayan Udyog Ltd., 243, Acharya Profulla Chandra Road, Calcutta-700006	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
39.	CM/L-1574559 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	D.K. Spun Pipe, 7/2, Sohna Road, Village Pali, Faridabad (Haryana) (Office -: H. No. 34, Sector-23, Faridabad)	Reinforced cement concrete pipes— IS : 458—1971
40.	CM/L-1574660 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Agarwal Steel Industries, Marol Maroshi Road, Marol, Bombay-400059 (Office : 3rd Lane, Darukhana, Bombay-400010)	Structural steel (ordinary quality)— IS : 1977—1975
41.	CM/L-1574761 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Shri Mahavir Industries, New Takli, Bandra-441904 (Maharashtra) (Office : Bhalgat Mansion, Main Road, Bhandra-441904)	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
42.	CM/L-1574862 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Bhavnagar Vegetable Products Unit, Bunder Road, Bhavnagar-364001 (Gujarat)	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	CM/L-1574963 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Rambha Wax Industry, Mirchai Bari (Kolasi Road), Katihar-854105	Paraffin wax— IS : 4654—1974
44.	CM/L-1575056 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Indoplast (P) Ltd., 46, 47 and 48, Industrial Area, Sector V, Parwanoo (H.P.).	Zinc sulphate, agricultural— IS : 8249—1976
45.	CM/L-1575157 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Rasbihari Tobacco Processors Ltd., 11/3/99 Bharat Nagar, Siddipeth, Madras-502103 (Andhra Pradesh) (Office : Congress House, M.G. Road, Nashik-422001).	Bids— IS : 1925—1974
46.	CM/L-1575258 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Vinayak Chemicals, 201/5B, Ennur High Road, Madras-600019 (Office: 161, Govindappa Naicken Street, Madras-600001)	Paraffin wax— IS : 4654—1974
47.	CM/L-1575359 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Arivnd Chemicals, Sheera Compound, G.T. Road, Damtal Near Nurpur, Distt. Kangra (H.P.).	Paraffin wax— IS : 4654—1974
48.	CM/L-1575460 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Polyrub Extensions (India), Plot -No. W-102. MIDC, TTC Industrial Area, Pawne, Distt. Thane-400013 (Office : 90 Mistry Industrial Complex, MIDC Cross Road, Andheri (E), Bombay-400093).	Flexible rubber tubing for liquefied petroleum gas— IS : 10908—1984
49.	CM/L-1575561 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	C.K.L.N. & Sons, 37-42, GIDC Estate, Godhra-389001 Distt. Panchmahals.	Flexible rubber tubing for liquefied petroleum gas— IS : 10908—1984
50.	CM/L-1575662 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Dawoodi Pulverising Works (Production), 59/62, G.I.D.C. Dharampur Industiral Estate, Porbandar-360575 (Gujarat) (Office : Near Bhavsingji Park, Porbandar-360575)	Whiting for putty, IS : 63—1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51.	CM/L-1575763 1986-06-19	86-07-01	87-06-30	Shree Nutvients Pvt. Ltd. (Old Name Ruby Metal Products Pvt. Ltd.) Plot No. 9-B/2, MIDC Industrial Area, Kalyan Bhirandi Road, P.O. Saravli Viakalyan, Kalyan-421311, (Office: New India Centre, 12th Floor, 17 Cooperaga Road, Bombay-400039).	Zinc sulphate, agricultural—IS : 8249—1976
52.	CM/L-1575864 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	Consolidated Plastics, 39, Industrial -Cum-Housing-Estate, Mathura Road, Sector-6, Faridabad (Haryana)	Blow moulded HDPE containers for vanaspati—IS : 10840—1984
53.	CM/L-1575965 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	Tescon, C-42, Sector-8, Noida (UP) (Office : C-62, South Extension II, New Delhi-110049).	Blow moulded HDPE containers for vanaspati—IS : 10840—1984
54.	CM/L-1576058 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	The Tin Company, Inside Diamond Woollen Mills, G.T. Road, Chhehrate, Amritsar (Punjab).	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
55.	CM/L-1576159 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Karan Industries, G.T. Road, P.O. Four Field, Amritsar-143001	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils—IS : 103325—1982
56.	CM/L-1576260 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Goenka Minerals Pvt. Ltd., Plot No. 1 & 2, Industria Area, Seoni (M.P.) (Office : 1062, West High Court Road, Nagpur-1440010)	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
57.	CM/L,1576361 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Bharat Tin Industries, G.T. Road, Doraha-141421 (Punjab)	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982
58.	CM/L-1576462 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Bupindra Tin Factory, P.O. Salem Tabri, G.T. Road, Ludhiana-141005	15-Kg. square tins for vanaspati and edible oils—IS : 10325—1982

1	2	3	4	5	6
59.	CM/L-1576563 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Jai Hind Tin Factory, P.O. Kailashpur, Distt. Sharanpur (U.P.)	15Kg. square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
60.	CM/L-1576664 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	Arun Polyfils, Unit Super B-5, Industrial Estate, K. Pudur, Madurai-625007	Blow moulded HDPE containers for vanaspati— IS : 10840—1986
61.	CM/L-1576765 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	Shri Ganesh Chemical Industries, 69, Gandhi Nagar, Dindugal Road, Tiruchirapalli—620010 (Office : 4-B, Allimal Street, Tiruchirapalli-670008)	Blow moulded HDPE containers for vanaspati— IS : 10840—1986
62.	CM/L-1576866 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Babu Tin Factory, Outside Majevdi Gate, Junagadh-362001 (Gujarat)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
63.	CM/L-1576967 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	Ganesh Plastic Industries, Kalyanaraman Street, Jaganthapuram, Ariyamangalam, Tiruchirapalli-620010	Blow moulded HDPE containers for vanaspati— IS : 10840—1986
64.	CM/L-1577060 1986-06-23	86-06-16	80-06-15	Vardhaman Blowpack (P) Ltd., 619-C, Bisrakh Rod, P.O. Chhapraula, Distt. Ghaziabad-201001	Blow moulded HDPE containers for vanaspati— IS : 110840-1986
65.	CM/L-1577161 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Imperial Surgical Co. Pvt. Ltd., Iscomed House, L.B. Shastri Marg, Muland, Bombay-400080 (Office : 4 Malhotra House, W.H. Marg, Bombay-400001)	Hypodermic syringes for general purposes— IS : 3236—1980
66.	CM/L-1577262 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	Barani Plastic Co. 24, Mahamaham Tank, South Street, Kumbakonam-612001	Blow moulded HDPE containers for vanaspati— IS : 10840—1986
67.	CM/L-1577363 1986-06-23	86-06-16	87-06-15	Simco Engineering Ltd, 13 Vela Cheri Main Road, Madras-600042 (Office : 16-17 College Road, Madras-600006)	Blow moulded HDPE containers for vanaspati— IS : 10840 –1986
68.	CM/L-1577464 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Hansa Wire Products Pvt. Ltd., G-30, Sector VI, Noida, Distt. Ghaziabad (U.P.)	Aluminium Conductors galvanized steel reinforced for overhead transmission purposes— IS : 398 (PII)—1976

1	2	3	4	5	6
69.	CM/L-1577565 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Agro Bioproducts, Arjunpur, Goraparau, Nainital-263139	Azotobacter chroococcum inoculants— IS : 9138-1979
70.	CM/L-1577666 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Motilal Pesticides (India) Pvt. Ltd, Masani Delhi Road, Mathura-281003	Phonthoate 2% CP— IS : 10950—1984
71.	CM/L-1577767 1986-06-23	86-07-01	87-06-30	Bharatiya Agro Industries Foundation, Briah nagar, off Poona-Nagar Road, Wagholi-412207 (Maharashtra)	Rhizobium Inoculant variety groundnut— IS : 8268—1976
72.	CM/L-1577868 1986-06-24	86-06-16	87-06-15	Jai Durga Industries, E-35, Buland Shahar Road, Industrial Area, Ghaziabad (UP) (Office : 227 Saddique Nagar Sihani, (Ghaziabad)	Newmen capsules for 15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
73.	CM/L-1577969 1986-06-24	86-06-16	87-06-15	Lipton India Ltd, G.T. Road, Ghaziabad-201001 (Office : 19th Floor, Maker Tower, 'F' Cuffee Parade, Colaba, Bombay-400005)	Flexile packs for the packing of edible oils and vanaspati— IS : 11352—1987
74.	CM/L-1578062 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	Friends Industrial Corporation, Jaswant Singh Building, Gokulpur, Shahdara, Delhi-110094	Domestic gas stoves for use with LPG CREA sheet nickel/ chromium plated, double burner LPG stove with conventional cast iron burners— IS : 4246—1984
75.	CM/L-1578163 1986-06-24	86-06-16	87-06-15	Metalco, 58, B.T. Road, Calcutta-700002 (Office : 22, Tarachand Dutt Street, Calcutta-700073)	15-Kg square tins for vanaspati and edible oils— IS : 10325—1982
76.	CM/L-1578264 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	Haryana Steel & Alloys Ltd., 48th KM, G.T. Road, Murthal, Sonepat (Haryana)	Cast billet ingots for rolling into structural steel (ordinary quality)— IS : 6915—1978
77.	CM/L-1578365 1986-06-24	87-07-01	87-06-30	SPM Engineering Industries, 5, Bindal Industrial Estate, Sakinaka Bombay-400072	Flameproof enclosures for three-phase induction motors- IS : 2148—1981

1	2	3	4	5	6
78.	CM/L-1578466 1986-06-24	16-07-01	87-06-30	Ficides India Ltd., S-290, Ayyoppanthangal, Mount Poonamallee Road, Madras-600056 (Office : 23 Appu Second Street, Mylapore, Madras-600004)	Phosphamidon 80% WSC IS : 6177—1981
79.	CM/L-1578567 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	Ficides India Ltd., S-290, Ayyappanthangal, Mount Poonamalle Road, Madras-600056 (Office : 23 Appu Second Mylapore, Madras-600004)	Monocrotophos 36% WSC IS : 8074—1983
80.	CM/L-1578668 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	Bangalore Pesticides Ltd., 16th Km, Tumkur Road, Bangalore-650073 (Office : 170, 10th Main Road, 2nd Cross Rajmahal Vilas Extn, Bangalore-560080)	Phosphamidon 85% WSC IS : 6177—1981
81.	CM/L-1578769 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	Motilal Pesticides (India) Pvt Ltd., Masani, Delhi Road, Mathura-281003	Monocrotophos 36% WSC IS : 8074—1983
82.	CM/L-1578870 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	Jai Kisan Agro Industries (Unit-II), B-29/33 B Sanwer Road, Industrial Estate, Indore-452003	Mineral Mixture for supplementing poultry feeds—IS : 5672—1970
83.	CM/L-1578971 1986-06-24	86-07-01	87-06-30	Associated Chemicals, 43 GIDC Industrial Estate, Kabilpara-396424 (Gujarat) (Office : R.V. Karve, Jain Society, Navsari-396445)	Calcium Propionate—IS : 6031—1971

[No. CMD/13 : 11]

का.आ. 1594.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड "ख" के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्-द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/किये गये हैं।

अनुसूची

क्र. सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और पदनाम	गजट अधिसूचना की संख्या और तिथि जिसमें भारतीय मानक का निर्धारण अधिसूचित हुआ था	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 594—1991 मछली संसाधन के लिए सामान्य नमक (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 1020 दिनांक 1985-03-09	संख्या 1 अप्रैल 1985	तालिका 3 में संशोधन किया गया है।	1985-04-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	IS : 687–1979 धुलाई के लिए वस्त्रादि सामग्री के रंग पक्कापन ज्ञात करने की पद्धति : परीक्षण-1 (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 1341 दि. 1982-04-03	संख्या 1 मई 1985	1 (पृष्ठ 3, खंड 0.2) तीसरा वाक्य और "×" चिह्न की पाद टिप्पणी हटा दें। 2. खंड 5.1 की जगह नया रखा गया है। 3. (पृष्ठ 5, "†" की पादटिप्पणी हटा दें। 4 खंड 7.2 और 7.3 का संशोधन किया गया है। 5. वर्तमान +*चिह्न की पाद-टिप्पणी और (पृष्ठ 6) तबदील किया गया है।	1985-05-31
3.	IS : 696–1972 सामान्य इंजीनियरी ड्राइंग के लिए रीति संहिता (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 2939 दिनांक 1975-09-06	संख्या 4 जुलाई 1985	खंड 2.4 में संशोधन किया गया है।	1985-07-31
4.	IS : 800–1984 इस्पात में सामान्य निर्माण की रीति संहिता	का.आ. 457 दिनांक 1987-02-24	संख्या 1 जुलाई 1985	1. खण्ड 1.4. 1 7. 1.2, 3.5. 2.1, 3.5. 2.2, 3.6. 2 2, 3.13, 1.3 (ग), 3.14.2, 4.2. 1.2.5. 8.1.2, 6.2. 2.1, 6.7. 4.3 (क), 6.9.2, 7.1.2, 8.10.1 (क), 9.2, 9.3 और डी-2.1 (के) का संशोधन किया गया है। 2. तालिका 6.5 (पृष्ठ 70) और डी-1 (पृष्ठ 121) में संशोधन किया गया है।	1985-07-31
5.	IS : 970–1980 डीगमिंग के प्रति वस्त्र सामग्री का रंग पक्कापन ज्ञात करने की पद्धति	का.आ. 3278 दिनांक 1984-10-20	संख्या 1 मई 1985	1. (पृष्ठ 3, खंड 0.2) दूसरा वाक्य और "×" के चिह्न की पाद-टिप्पणी हटा दें। 2. खंड 5.2 की जगह नया रखा गया है। 3. (पृष्ठ 4, पाद-टिप्पणी "+" चिन्ह) को हटा दें। 4. खंड 7.4 में संशोधन किया गया है। 5. पाद-टिप्पणी "×" और "+" चिन्ह (पृष्ठ 6) को नई से बदल दिया गया है।	1985-05-31
6	IS : 1146–1981 सीसा अम्ल संचायक बैटरियों के लिए रबड़ और प्लास्टिक के धारक की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 1081 दि. 1985-03-09	संख्या 1 अप्रैल 1985	1. खंड डी-3.1 की जगह नया रखा गया है। 2. (पृष्ठ 18, खंड ई-3.1, पंक्ति 4 और 5)—"प्रतप्त" शब्द को हटा दें। 3. खंड ई-3.1 में संशोधन किया गया है।	1985-04-30
7.	IS : 1200 (भाग 8)–1974 बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरी कार्यों के मापन की पद्धति, भाग 8 इस्पात और लौह कार्य (तीसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 1982 दि. 1977-06-11	संख्या 2 जून 1986	(पृष्ठ 6, खंड 3.3, पंक्ति 3 को संशोधन संख्या 1 के साथ पढ़ें) "आयताकार" की जगह "वर्गाकार" रखें।	1985-06-30
8.	IS : 1200 (भाग 23)–1977 बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरी कार्यों के मापन की पद्धति, भाग 23 पाइलिंग (तीसरा पुनरीक्षण)	का.आ. 417 दि. 1980-02-23	संख्या 2 जून 1985	1. खंड 5.4 में संशोधन किया गया है। 2. "+" चिह्न की नयी पाद-टिप्पणी (पृष्ठ 7) जोड़ी गई है।	1985-06-30
9	IS : 1528 (भाग 5)–1974 उच्च ताप सह सामग्री के लिए भौतिक परीक्षण और नमूने लेने की पद्धति भाग 5 पदार्थ मापक ज्ञात करना (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 988 दि. 1976-03-06	संख्या 1 अप्रैल 1985	1 (पृष्ठ 4, खंड 3 3.1, पंक्ति 2)—"[illegible]" के स्थान पर "[illegible]" जोड़ें।	1985-04-30
10.	IS : 1794–1971 सादे करघों के लिए शटल (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 1853 दि. 1974-07-27	संख्या 2 मई 1985	टिप्पणी के साथ खंड 3 को नये से बदल दिया गया है।	1985-05-31
11.	IS : 1846–1961 एयरक्राफ्ट के लिए सीसा अम्ल संचायक बैटरियों की विशिष्टि (हवाई करतब और गैर-हवाई करतब वाली)	का.आ. 2706 दि. 1961-11-13	संख्या 3 अप्रैल 1985	1. खंड 6.3 5 के बाद नई टिप्पणी जोड़ी गई है। 2. खंड 6 10.1 में संशोधन किया गया।	1985-04-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	IS : 2405 (भाग 2)-1980 औद्योगिक चलनी की विशिष्ट, भाग 2 छेददार प्लेट वाली (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 3274 दि. 1983-08-20	संख्या 1 जून 1985	खंड 5.2 के बाद खंड 5.2.1 जोड़ा गया है।	1985-06-30
13.	IS : 2857-1976 भोजन खाने के लिए चीनी मिट्टी के बर्तनों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 417 दि. 1980-02-23	संख्या 1 मई 1985	1. खंड 0.3.6.1 और एफ-2.3 का संशोधन किया गया है। 2 खंड 4.9 के बाद 4.10 नया खंड जोड़ा गया है। 3. खंड एफ-2.3 के बाद नया परिशिष्ट एफ जोड़ा गया है और परिशिष्ट एफ को दुबारा संख्या परिशिष्ट जी दे दी गई है।	1985-05-31
14.	IS : 3361-1979 धुलाई के लिए वस्त्रादि सामग्री का रंग पक्कापन ज्ञात करने की पद्धति परीक्षण-2 (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 2325 दि. 1982-07-03	संख्या 1 अप्रैल 1985	1. खंड 0.2 और 7.2 का संशोधन किया गया है। 2 खंड 5.1 की जगह नया खंड दिया गया है। 3. (पृष्ठ 5, "+" चिन्ह की पादटिप्पणी हटा दें। 4. वर्तमान × और + चिन्ह (पृष्ठ 6) की पादटिप्पणी की जगह नयी पाद-टिप्पणी दी गई है।	1985-04-30
15.	IS : 3417-1979 धुलाई के लिए वस्त्रादि सामग्री का रंग पक्कापन ज्ञात करने की पद्धति परीक्षण-5 (पहला पुनरीक्षण)	-यथोपरि-	संख्या 1 मई 1985	1. खंड 0.2 और 7.2 का संशोधन किया गया है। 2. वर्तमान खंड 5.1 की जगह नया खंड दिया गया है। 3 (पृष्ठ 5, "+" चिन्ह को पाद टिप्पणी हटा दें। 4 वर्तमान पाद-टिप्पणी "×" और "+" चिन्ह (पृष्ठ 6) की जगह नया दी गई है।	1985-05-31
16.	IS : 4536 (भाग 2)-1969 खाना बनाने के मिजित तले के स्टेनलेस इस्पात के बर्तनों की विशिष्ट भाग-2 3 प्लाई निर्मित	का.आ. 3029 दि. 1969-09-27	संख्या 1. मार्च 1985	1. वर्तमान खंड 2.1 की जगह नया खंड दिया गया है। 2. वर्तमान पादटिप्पणी "+" और "‡" चिन्ह (पृष्ठ 4) के शीर्ष की जगह नयी दी गई है।	1985-03-31
17.	IS : 4800 (भाग 10)-1977 इनैमल-कृत गोल वाइंडिंग तारों की विशिष्टि, भाग 10 स्वतःबद्ध तार	का.आ. 2116 दि. 1980-08-09	संख्या 3 अगस्त 1985	वर्तमान तालिका 4 की जगह नयी दी गई है।	1985-08-31
18.	IS : 5088-1982 गोला बारूद के लिए सूती वस्त्रादि की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 2585 दि. 1986-07-19	संख्या 1 मई 1985	1 खंड 0.2 का संशोधन किया गया है। 2. तालिका 1 का संशोधन किया गया है। 3 (पृष्ठ 9, क.सं. 11 "ए"—ड्रा" शब्द के बाद 'ड्रिल" शब्द जोड़े।	1985-05-31
19.	IS : 5831-1984 पीवीसी रोधित और खोलदार बिजली के केबलों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 295 दि. 1987-01-31	संख्या 1 अप्रैल 1985	1 तालिका 1 (पृष्ठ 5.6 और 7) और 2 (पृष्ठ 8) का संशोधन किया गया है। 2. (पृष्ठ 11, खंड ए-1), पंक्ति 1-"बाहर" के स्थान पर "काटना" रखा गया है। 3. (पृष्ठ 11, खंड बी-1.1, पंक्ति 1)"वर्ग" के स्थान पर "शीशा" रखा गया है।	1985-04-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	IS : 5969–1970 धातु की पॉलिश, पेस्ट की विशिष्ट	का.आ. 1635 दि. 1972-07-08	संख्या 1 मई 1985	1 खंड 3.1.1 की जगह नया खंड रखा गया है। 2 (पृष्ठ 4, तालिका 1, क्र.सं. (IV), स्तम्भ 3)–"35" की जगह "30" रखा गया है। 3. खंड 3.5, 4.1.2, ए-1.1 और ए-1.2 का संशोधन किया गया है।	1985-05-31
21.	IS : 6104–1971 क्वथन पद्धति द्वारा जल के प्रति तेल के अन्तर्राष्ट्रीय परीक्षण की पद्धति।	का.आ. 751 दि. 1974-03-16	संख्या 1 अप्रैल 1985	खंड 4.2 के मद "सी" के बाद "डी" मद जोड़ा गया है। खंड 8.2 के वर्तमान समीकरण की जगह नया दिया गया है।	1985-04-30
22.	IS : 6193–1971 एक अक्षीय अनुकूलित उच्च घनत्व की पोलीइथाइलीन टेप के परीक्षण की पद्धति	का.आ. 1853 दि. 1974-07-27	संख्या 1 जुलाई 1985	1. पृष्ठ 1 के वर्तमान शीर्षक की जगह नया दिया गया है। 2. खंड 1 और 2.1 में संशोधन किया गया है।	1985-07-3
23.	IS : 6271–1971 धातु पॉलिश (विशेष) की विशिष्ट	का.आ. 2975 दि. 1973-10-13	संख्या 2 अप्रैल 1985	1. खंड 3.6 और 4.1 का संशोधन किया गया है। 2. खंड 4.2 के मद (ई) के बाद मद (एफ) जोड़ा गया है।	1985-04-30
24.	IS : 6304–1980 पेस्ट की हुई पॉजीटिव प्लेट सीसा अम्ल वाली अचल बैटरियों की विशिष्ट (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 1059 दि. 1984-03-31	संख्या 1 अप्रैल 1985	1 खंड 7.4.1.2 के बाद नया खंड 7.4.13 जोड़ा गया है। 2. खंड 7.6.1 के बाद नई टिप्पणी जोड़ी गई है। 3. (पृष्ठ 11, खंड 7.9.3, पंक्ति 2)–"1000 घंटे" के स्थान पर "1500 घंटे" जोड़ा गया है।	1985-04-30
25.	IS : 6932 (भाग 1 से 10)–1973 इमारती चूने की परीक्षण पद्धति, भाग 7 संपीडन और अनुप्रस्थ सामर्थ्य	का.आ. 2939 दि 1975-09-05	संख्या 3 जून 1985	1. खंड 3.1.3.1 में संशोधन किया गया है। 2 वर्तमान पाद-टिप्पणी "+" चिन्ह (पृष्ठ 2) की जगह नयी दी गई है।	1985-06-30
26.	IS : 6965–1979 रेल के सवारी डिब्बों के लिए स्विचों की विशिष्ट। (पहला पुनरीक्षण)	का.आ. 2508 दि. 1982-07-17	संख्या 1 अप्रैल 1985	1. आकृति 1 का संशोधन किया गया है और इसकी टिप्पणी 1 और 5 की जगह नयी दी गई है। 2. वर्तमान खंड 10.2 के विषय सामग्री की जगह नई दी गई है। 3. (पृष्ठ 13, खंड 11.9, पंक्ति 3)–"25000" को "12500" करें।	1985-04-30
27.	IS : 7517 (भाग 3)–1986 खानों में लपेटने (वाइंडिंग) के लिए केज निलंबन गियर की विशिष्ट, भाग 3 शैकल और पिन	का.आ. 322 दि. 1985-01-26	संख्या 1 जून 1985	1. (पृष्ठ 1, खंड 5.2)–हटा दें।	1985-06-30
28.	IS : 7660–1975 विद्युत (लोकोमोटिव) इंजन और विद्युत (बहुप्रयोगी) इकाइयों के लिए सीसा-अम्ल बैटरियों की विशिष्ट	का.आ. 3530 दि. 1977-11-09	संख्या 2 अप्रैल 1985	1. (पृष्ठ 6, आकृति 2, टिप्पणी पहली पंक्ति) –"0.025 मिमी" के लिए "0.01 मिमी" करें। 2. (पृष्ठ 7, खंड 3.6.1, दूसरी पंक्ति) "201 मिमी" के लिए "40 मिमी" करें। 3. खंड 6.1.1.1 और 6.3.3 के बाद क्रमानुसार नई टिप्पणी जोड़ी गई है। 4. खंड ए-1 के बाद नया अनुच्छेद जोड़ें।	1985-04-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29.	IS : 7983–1976 साफ करने के घोल पोर्सलेन की विशिष्टि	का. आ. 1597 दि. 1979-05-19	सं. 1 अप्रैल 1985	(1) खंड 2.2, 2.7 और 3.1.1 को संशोधन किया गया है। (2) खंड 3.2 के बाद मद "डी" के बाद मद "ई" जोड़ा गया है।	1985-04-30
30.	IS : 8154–1076 650° से. तापमान के लिए पूर्वगठित कैलशियम सिलिकेट रोधन की विशिष्टि	का. आ. 3821 दि. 1979-11-24	सं. 2 मार्च 1985	खंड 3.8.2.3 और 3.8.2.4 का संशोधन किया गया है।	1985-03-31
31.	IS : 8510 (भाग 1 से 3)—1977 आर्मेचरों और घूर्णकों में बांधने के लिए रागा चढ़े इस्पात के तारों की विशिष्टि	का. आ. 783 दि. 1980-03-29	सं. 1 अगस्त 1985	(1) खंड 8.1 के वर्तमान विषय को बदल दिया गया है। (2) पृष्ठ 4 के अन्त में नई पादटिप्पणी "8" चिन्ह के साथ जोड़ें। (3) (पृष्ठ 5 और 6, परिशिष्ट ए)—हटाएं	1985-08-31
	(2) भाग-2 चुम्बकीय बंधन तारों की अपेक्षाओं की विशिष्टि	—	—	खंड 3.1 का संशोधन किया गया है।	
	(3) भाग 3 गैर चुम्बकीय बंधन तारों की अपेक्षाओं की विशिष्टि	—	—	खंड 3.1 का संशोधन किया गया है।	
32.	IS : 8635–1977 सल्फ्यूरिक अम्ल और फास्फेटिक उर्वरक उद्योग के गैसीय उत्सर्ग की सीमाएं	का. आ. 2793 दि. 1980-10-18	सं. 1 अप्रैल, 1984	(1) खंड 0.5 की वर्तमान विषय-वस्तु को बदल दिया गया है। (2) खंड 3.1.3 का संशोधन किया गया है। (3) (पृष्ठ 5, पाद-टिप्पणी)—हटायें। (4) पृष्ठ 3 पर नई पादटिप्पणी चिह्न के साथ जोड़ें।	1984-04-30
33.	IS : 8801–1978 तेल-जलीय युग्मनों के लिए सेल-स्टड-युग्मन ढांचे की विशिष्टि	का. आ. 2001 दि. 1981-07-25	सं. 2 जुलाई 1985	तालिका 1 (पृष्ठ 2) का संशोधन किया गया है।	1985-07-31
34.	IS : 8805 (भाग 1)—1978 तेल-जलीय प्रणालियों में प्रयुक्त फेल्ल किस्म के युग्मनों की अपेक्षाओं की विशिष्टि भाग 1 सामान्य	का. आ. 1728 दि. 1981-06-13	सं. 2 अप्रैल, 1985	तालिका 4का संशोधन किया गया है।	1985-04-30
35.	IS : 8956–1978 नाइट्रोफेन तकनीकी की विशिष्टि	का. आ. 2584 दि. 1981-10-03	सं. 1 अप्रैल 1985	(1) (पृष्ठ 4, तालिका स्तम्भ 5)—*IS : 6490-1973* को IS : 6940-1982* करें। (2) वर्तमान पाद-टिप्पणी × चिह्न (पृष्ठ 4, तालिका 1) की जगह नयी पादटिप्पणी दी गई है। (3) वर्तमान खंड 3.1 और 4.1 इसकी टिप्पणी सहित नया प्रतिस्थापित करें। (4) खंड ए-2.4 के वर्तमान सूत्र की जगह नया सूत्र दिया गया है।	1985-04-30
36.	IS : 9148–1979 220 तापमान सूचकांक का वेष्टित टेप के आयताकार और वर्गाकार तांबे के तार की विशिष्टि	का. आ. 2863 दि. 1981-10-17	सं. 1 मार्च 1985	(1) वर्तमान खंड 1.1 की जगह नया खंड दिया गया है। (2) खंड 1.2 म संशोधन किया गया है।	1985-03-31
37.	IS : 9749–1981 शीशे और मिट्टी के बर्तन के लिए पोटाश फेल्ड स्पार (खनिज) की विशिष्टि	का. आ. 322 दि. 1985-01-26	सं. 1 जून 1985	(1) खंड 6.2 के बाद नया खंड 6.3 जोड़ा गया है	1985-06-30
38.	IS : 9897–1981 उपकरण कर्तन औजारों के लिए परिवर्तन (थ्रोअवे) इसर्ट के पदनाम की संहिता	का. आ. 1400 दि. 1985-04-26	सं. 1 अप्रैल, 1985	खंड 3.1 के अधीन अनिर्दिष्ट तालिका (पृष्ठ 3) और खंड 3.4 (पृष्ठ 6) का संशोधन किया गया है।	1985-04-31
39.	IS : 9975 (भाग 1)—1981 "0" रिंगों की विशिष्टि: भाग 1 आयाम	का. आ. 1294 दि. 1985-03-30	सं. 2 मार्च 1985	(पृष्ठ 4, परिशिष्ट ए, वर्ग ए-9)—वर्तमान खंड की जगह निम्नलिखित करें। ए-2 आंतरिक व्यास (व) "गो" "नो गो" मुद्राकार प्लग गेज अथवा किसी अन्य पद्धति से मापा जाए।	1985-03-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.	IS : 9990-1981 टैरोटेक्नोलॉजी के रख-रखाव की पारिभाषिक शब्दावली	का.आ. 1010 दि. 1985-03-09	सं. 1 जुलाई 1985	(1) खंड 2.6, 2.18 और 5.1 के अंत में नई टिप्पणी जोड़ी गई है। (2) खंड 2.19, 3.15 और 4.8 के बाद क्रमानुसार 2.20, 3.16 और 4.9 नया खंड जोड़ा गया है।	1985-07-31
41.	IS : 10000 (भाग 3)—1980 अन्तर्दाही इंजन के परीक्षण की पद्धतियां भाग 3 परीक्षण इकाइयों और परिशुद्धता की सीमाओं के माप	का.आ. 1018 दि. 1985-03-09	सं. 1 मार्च 1985	खंड 3.4.2 और 3.16 का संशोधन किया गया है।	1985-03-31
42.	IS : 10000 (भाग 5)—1980 अन्तर्दाही इंजन के परीक्षण की पद्धतियां भाग 5 घर्षण के प्रतिमापन और परीक्षणों की तैयारी	,, ,,	सं. 1 मार्च 1985	खंड 3 मद (डो) की जगह नया खंड दिया गया है।	1985-03-31
43.	IS : 10000 (भाग 7)—1980 अन्तर्दाही इंजन के परीक्षण की पद्धतियां भाग 7 विद्युत् जनित्र वाले के साथ प्रयुक्त सततगति इंजन और इंजनों के चुनाव के लिए लागू परीक्षण	का.आ. 1294 दि. 1985-03-30	सं. 1 मार्च 1985	खंड 3.3.4 की वर्तमान टिप्पणी के स्थान पर नई दी गई है।	1985-03-31
44.	IS : 10026 (भाग 3/अनुभाग 1)—1983 घोलक वाली रोधन वार्निश की विशिष्टि भाग 3 अलग-अलग सामग्री की विशिष्टियां अनुभाग 1 105 सूचकांक तापमान वाली हवा में सूखने वाली वार्निश	का.आ. 3451 दि. 1986-10-04	सं. 1 अप्रैल 1985	तालिका 1 का संशोधन किया गया है।	1985-04-30
45.	IS: 10086-1982 सीमेंट और कंक्रीट के परीक्षण में प्रयुक्त सांचों की विशिष्टि	का०आ० 3992 दि० 1985 08 24	सं० 2 जून 1985	खंड 4.1 में टिप्पणी 2 जोड़ी गई है और वर्तमान टिप्पणी को टिप्पणी 1 की पुनः संख्या दी गई है।	1985-06-30
46.	IS: 10150-1981 चिकित्सा उत्पादों के निर्जीवीकरण की मार्गदर्शिका	का०आ० 3992 दि० 1985 08 24	सं० 2 अगस्त 1985	खंड 4.2.1 के बाद नया खंड 4.3 जोड़ा गया है और बाद के खंड को क्रमानुसार पुनःसंख्या दी गई है।	1985-08-31
47.	IS: 10270-1982 पूर्वप्रतिबलित चट्टानों के लंगर डिजाइन और निर्माण की मार्गदर्शिका	का०आ० 3328 दि० 1986-09-27	सं० 1 मार्च 1985	(1) खंड 5.2.2 और 7.1 (ख) का संशोधन किया गया है। (2) तालिका 1 में संशोधन किया गया है। (3) खंड 6.7 की टिप्पणी के अन्त में नई सामग्री जोड़ी गई है	1985-03-31
48.	IS : 10400-1983 सामग्री सूची नियंत्रण के लिए पारिभाषिक शब्दावली	का.आ. 2786 दि. 1986-08-09	सं. 1 अप्रैल 1985	(1) (पृष्ठ 4, खंड 3.10, अंतिम पंक्ति)—"गुणता" के लिए "मात्रा" करें। (2) खंड 3.43 के बाद नई शब्दावली जोड़ी गई है।	1985-04-30
49.	IS: 10517-1983 कांटा उत्थापी ट्रकों के मापदंड की स्वीकृति	का.आ. 3451 दि. 1986-10-04	सं. 1 जुलाई 1985	(1) खंड 2.4 का संशोधन किया गया है। (2) पृष्ठ 5 के अंत में पादटिप्पणी " " चिह्न के साथ जोड़ी गई है। (3) (पृष्ठ 10, खंड ए-1.4, पंक्ति 3)—300 प्रतिशत के स्थान पर "200 प्रतिशत" करें। (4) खंड ए-2.? की जगह नया खंड दिया गया है।	1985-07-31
50.	IS : 10629-1983 फसल, मिट्टी और पानी में एल्डीकार्ब अवशिष्ट ज्ञात करने की पद्धति	का.आ. 3795 दि. 1986-11-08	सं. 1 मार्च 1985	खंड 3.4 का संशोधन किया गया है।	1985-03-31
51.	IS : 10710—1963 फूरड्रिनियर कपड़े के लिए फासफोर कांसे के तार की विशिष्टि	का.आ. 3796 दि. 1986-11-08	सं. 1 मई 1985	(पृष्ठ 3, खंड 0.2 पंक्ति) "बाने" को जगह "ताना" प्रतिस्थापित करें।	1985-05-31

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर, मार्ग, नई दिल्ली-110002 क्षेत्रीय कार्यालयों: बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और मद्रास तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेंद्रम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

[सं. सी. एम. डी./13 : 5]

S.O.1594 :—In pursuance of clause(b) of Sub-Rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed has/have been issued.

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the amendment	Brief Particulars of the Amendment	Date from which the Amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 594–1981 Specification for common salt for fish curing (second revision)	S.O. 1020 dated 1985-03-09	No. 1 April 1985	Table 3 has been amended	1985-04-30
2.	IS : 687–1979 Method for determination of colour fastness of textile materials to washing: Test 1 (second revision)	S.O. 1341 dated 1982-04-03	No. 1 May 1985	(i) (Page 3, clause 0.2)–Delete the third sentence and foot-note with '*' mark. (ii) Clause 5-1 has been substituted by a new one. (iii) (Page 5, foot-note with '†' mark)-Delete. (iv) Clauses 7.2 and 7.3 have been amended. (v) Existing foot-notes with '*' and '†' Marks (Page 6) have been substituted by new ones.	1985-05-31
3.	IS : 696–1972 Code of practice for general engineering drawings (second revision)	S.O. 2939 dated 1975-09-06	No. 4. Jul. 1985	Clause 2.4 has been amended	1985-07-31
4.	IS : 800–1984 Code of practice for general construction in steel	S.O. 457 dated 1987-02-14	No. 1 Jul. 1985	(i) Clauses 1.4, 1.7.1.2, 3.5.2.1, 3.5.2.2, 3.6.2.2, 3.13.1.3(c), 3.14.2, 4.2.1.2, 5.4.3, 5.8.1.2, 6.8.1.2, 6.2.2.1, 6.7.4.3(a), 6.9.2, 7.1.2, 8.10.1(a), 9.2.9.3 and G-2.1(k) have been amended. (ii) Tables 6.5 (Page 70) and D-1 (Page 121) have been amended.	1985-07-31
5.	IS : 970–1980 Method for determination of colour fastness of textile materials to degumming (first revision)	S.O. 3278 dated 1984-10-20	No. 1 May 1985	(i) (Page 3, clause 0.2)–Delete the second sentence and the foot-note with '*' mark. (ii) Clause 5.2 has been substituted by a new one. (iii) (Page 4, foot-note with '†' mark)–Delete. (iv) Clause 7.4 has been amended (v) Foot-notes with '*' and '†' marks (Page 6) have been substituted by new ones.	1985-05-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	IS : 1146-1981 Specification for rubber and plastics containers for lead-acid storage batteries (second revision)	S.O. 1018 dated 1985-03-09	No. 1 April 1985	(i) Clause D-3.1 has been substitued by a new. (ii) (Page 18, clause E-2.1, lines 4 and 5)–Delete the word 'cold'. (iii) Clause E-3.1 has been amended	1985-04-30
7.	IS : 1200 (Part 8)-1974 Method of measurement of building and civil engineering works; Part 8 steelwork and iron work (third revision)	S.O. 1892 dated 1977-06-11	No. 2 June 1985	(Page 6, clause 3.3, line 3 read with amendment No. 1)–Substitute 'rectangular' for 'square'.	1985-06-30
8.	IS : 1200 (Part 23)-1977 Method of measurement of building and civil engineering works Part 23 Piling (third revision)	S.O. 417 dated 1980-02-23	No. 2 June 1985	(i) Clause 5.4 has been amended (ii) New foot-note with '†' Mark (Page 7) has been added.	1985-05-30
9.	IS : 1528 (Part 5)-1974 Method of sampling and physical tests for refractory materials; Part 5 Determination of modulus of rupture (first revision)	S.O. 988 dated 1976-03-06	No. 1 April 1985	(i) (Page 4, clause 3.3.1, line 2)– Substitute 'parallel to' for 'across'.	1985-04-30
10.	IS : 1794-1971 Specification for shuttles for plain calico looms (first revision)	S.O. 1853 dated 1974-07-27	No. 2 May 1985	Clause 3 with its Note has been substituted by a new one.	1985-05-31
11.	IS : 1846-1961 Specification for lead-acid storage batteries for aircraft (Aerobatic and non-aerobatic)	S.O. 2706 dated 1961-11-18	No. 3 April 1985	(i) New Note has been added after clause 6.3.5. (ii) Clause 6.10.1 has been amended	1985-04-30
12.	IS : 2405-(Part 2)-1980 Specification for industrial sieves; Part 2 Perforated plates (first revision)	S.O. 3274 dated 1983-08-20	No. 1 June 1985	Clause 5.2.1 has been added after clause 5.2.	1985-06-30

(1)	(2)	(4)	(5)	(5)	(6)
13.	IS : 2857-1976 Specification for earthenware dinner-ware (first revision)	S.O. 417 dated 1980-02-23	No. 1 May 1985	(i) Clauses 0.3, 6.1 and F-2.3 have been amended. (ii) New clause 4.10 has been added after clause 4.9. (iii) New Appendix F has been added after clause F-2.3 and Appendix F has been renumbered as Appendix G.	1985-05-31
14.	IS : 3361-1979 Method for determination of colour fastness of textile materials to washing: Test 2 (first revision)	S.O2. 22325 dated 1982-07-03	No. 1 April 1985	(i) Clauses 0.02 and 7.2 have been amended. (ii) Existing clause 5.1 has been substituted by a new one. (iii) (Page 5, foot-note with '†' mark)-Delete. (iv) Existing foot-notes with '*' and '†' marks (Page 6) have been substituted by new ones.	1985-04-30
15.	IS : 3417-1979 Method for determination of colour fastness of textile materials to washing : Test 5 (first revision)	-do-	No. 1 May 1985	(i) Clause 0.2 and 7.2 have been amended. (ii) Existing clause 5.1 has been substituted by a new one. (iii) (Page 5, foot-note with '†' mark)-Delete. (iv) Existing foot-notes with '*' and '†' marks (Page 6) have been substituted by new ones.	1985-05-31
16.	IS : 4536 (Part 2)-1969 Specification for composite bottom stainless cooking utensils: Part 2 3-Ply construction	S.O. 3929 dated 1969-09-27	No. 1 March 1985	(i) Existing clause 2.1 has been substitued by a new one. (ii) Existing titles of foot-notes with '*' and '‡' marks (Page 4) have been substitued.	1985-03-31
17.	IS : 4800 (Part 10)-1977 Specication for enamelled round winding wires; Part 10 self bonding wires	S.O. 2116 dated 1980-08-09	No. 3 Aug. 1985	Existing Table 4 has been substituted by a new one.	1985-08-31
18.	IS : 5088-1982 Specification for cotton textiles for ammunition (first revision)	S.O. 2585 dated 1986-07-19	No. 1 May 1985	(i) Clause 0.2 has been amended (ii) Table 1 has been amended (iii) (Page 9, Sl No. 11(a)-Add the word 'drill' after 'green'.	1985-05-31
19.	IS : 5831-1984 Specification for PVC insulation and sheath of electric cables (first revision)	S.O. 295 dated 1987-01-31	No. 1 April 1985	(i) Table 1 (Pages 5, 6 and 7) and 2 (Page 8) have been amended. (ii) (Page 11, clause A-1, line 1)-Substituted 'cut' for 'out'. (iii) (Page 11, clause B-1.1, line 1)-Substitute 'Glass' for 'Class'.	1985-04-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)
20.	IS : 5969–1970 Specification for metal polish, paste	S.O. 1635 dated 1972-07-08	No. 1 May 1985	(i) Clause 3.1.1 has been substituted by a new one. (ii) (Page 4, Table 1, Sl. No. (iv), Col 3)–Substitute '30' for '35'. (iii) Clauses 3.5, 4.1.2, A-1.1 and A-1.2, have been amended. (iv) Item 'd' has been added after item 'C' of clause 4.2.	1985-05-31
21.	IS : 6104–1971 Method of test for interfacial tension of oil against work by the ring method	S.O. 751 dated 1974-03-16	No. 1 April 1985	Existing equation of clause 8.2 has been substituted by a new one.	1985-04-30
22.	IS : 6193–1971 Methods of tests for monoaxially oriented high density polyethylene Taps	S.O. 1853 dated 1974-07-27	No. 1 July 1985	(i) Existing title at page 1 has been substituted by a new one. (ii) Clauses 1 and 2.1 have been amended.	1985-07-31
23.	IS : 6271–1971 Specification for metal polishes (special)	S.O. 2975 dated 1973-10-13	No. 2 April 1985	(i) Clause 3.6 and 4.1 have been amended. (ii) Item (F) has been added after item (e) of clause 4.2.	1985-04-30
24.	IS : 6304–1980 Specification for stationery batteries lead-acid type with pasted positive plates (first revision)	S.O. 1059 dated 1984-03-31	No. 1 April 1985	(i) New clause 7.4.1.3 has been added after clause 7.4.12. (ii) New Note has been added after clause 7.6.1. (iii) (Page 11, clause 7.9.3, line 2)–Substitute 6 '1500' hours for '1 000 hours'.	1985-04-30
25.	IS : 6932 (Part 1 to 10)–1973 Methods of tests for building limes; Part 7 determination of compressive and transverse strengths	S.O. 2939 dated 1975-09-05	No. 3 June 1985	(i) Clause 3.1.3.1 has been amended (ii) Existing foot-note with '†' mark (Page 2) has been substituted by a new one.	1985-06-30
26.	IS : 6965–1979 Specification for switches for use in railway coaching stock (first revision)	S.O. 2508 dated 1982-07-17	No. 1 April 1985	(i) Fig. 1 has been amended and its Notes 1 and 5 have been substituted by new one. (ii) Existing matter of clause 10.2 has been substituted. (iii) (Page 13, clause 11.9, line 3)–Substitute '12 500' for '25 000'	1985-04-30
27.	IS : 7587 (Part 3)–1980 Specification for cage suspension gear for winding in mines Part 3 shackles and pins	S.O. 322 dated 1985-01-26	No.1 June 1985	(i) (Page 1, clause 5.2)–Delete.	1985-06-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	IS : 7660-1975 Specification for lead-acid batteries for electric locomotives and electrical multiple units	S.O. 3530 dated 1977-11-19	No. 2 April 1985	(i) (page 6, Fig. 2, Note, first line)–Substitute '0.01 mm' for '0.025mm'. (ii) (Page 7, clause 3.6.1, second line)–Substitute '40 mm' for '20 mm'. (iii) New Notes have been added after clauses 6.1.1. 1and 6.3.3 respectively. (iv) New para has been added in clause A-1.	1985-04-30
29.	IS : 7983-1976 Specification for cleaning solution, porcelain	S.O. 1597 dated 1979-05-19	No. 1 April 1985	(i) Clauses 2.2, 2.7 and 3.1.1 have been amended (ii) Item 'e' has been added after item 'd' in cluase 3.2	1285-03-30
30.	IS : 8154-1976 Specification for preformed calcium silicate insulation for temperature up to 650°C	S.O. 3821 dated 1979-11-24	No. 2 March 1985	Clauses 3.8.2.3 and 3.8.2.4 have been amended	1985-03-31
31.	IS : 8510 (Part 1 to 3) 1977 Part I Specification for tinned steel wire for banding of armatures and roters (ii) Part 2 Specific requirements for magnetic banding wires (iii) Part 3 Specific requirements for non-magnetic banding wires	S.O. 783 dated 1980-03-29	No. 1 Aug. 1985	(i) Existing matter of cluase 8.1 has been substituted (ii) New foot-note with '*' mark has been added at the end of page 4 (iii) (Page 5 and 6, APPENDIX A)–Delete. Clause 3.1 has been amended. Clause 3.1 has been amended.	1985-08-3
32.	IS : 8635-1977 Limits for gaseous emissions from sulphuric acid and phosphatic fertilizer industries	S.O. 2793 dated 1980-10-18	No. 1 April 1984	(i) Existing text of clause 0.5 has been substituted (ii) Clause 3.1.3 has been amended. (iii) (Page 5, foot-note)–Delete. (iv) New foot-note with '*' mark has been added at page 3.	1984-04-30
33.	IS : 8801-1978 Specification for male stud coupling body for oil-hydraulic couplings	S.O. 2001fdated 1981-07-25	No. 2 Jul. 1985	Table I (Page 2) has been amended	1985-07-31
34.	IS : 8805 (Part 1)-1978 General requirements for ferrule type couplings used in oil-hydraulic systems Part 1 General	S.O. 1728 dated 1981-06-13	No. 2 April 1985	Table 4 has been amended	1985-04-30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
35.	IS : 8956–1978 Specification for nitrofen, technical	S.O. 2584 dated 1981-10-03	No. 1 April 1985	(i) (Page 4, Table 1, col 5)– Substitute 'IS : 6940–1982*' for 'IS : 6940–1973*' (ii) Existing foot-note with mark (Page 4, Table 1) has been substituted by a new one (iii) Existing clause 3.1 and 4.1 with its Note have been substituted by new one (iv) Existing formula of clause A-2.4 has been substituted by a new one.	1985-04-30
36.	IS : 9148–1979 Specification for tape wrapped rectangular and square coppar wires with a temperature index 220	S.O. 2863 dated 1981-10-17	No. 1 March 1885	(i) Existing clause 1.1 has been substituted by a new one. (ii) Clause 1.2 has been amended	1985-03-31
37.	IS : 9749–1981 Specification for potash feldspar for glass and pottery	S.O. 322 dated 1985-01-26	No. 1 June 1985	New clause 6.3 has been added after clausse 6.2	1985-06-30
38.	IS : 9897–1981 Code for designation of indexable (Throwaway) inserts for cutting tools	S.O. 1400 dated 1985-04-06	No. 1 April 1985	Informal tables under clauses 3.1 (Page 3) and clause 3.4 (Page 6) have been amended.	1985-04-31
39.	IS : 9975 (Part 1)–1981 Specification for 'O' rings Part 1 dimensions	S.O. 1294 dated 1985-03-30	No. 2 March 1985	(Page 4, Appendix A, clause A-2)– Substituted the following for the existing clause: 'A-2 the inside diameter (d) shall be measured using a 'GO' and 'NO GO' tapered plug gauge or any similar method.	1985-03-31
40.	IS : 9990–1981 Glossary of maintenance terms in terotechnology	S.O. 1020 dated 1985-03-09	No. 1 Jul. 1985	(i) New Notes have been added at the end of clauses 2.6, 2.18 and 5.1 (ii) New clauses 2.20, 3.16 and 4.9 have been added after clauses 2.19, 3.15 and 4.8 respectively.	1985-07-31
41.	IS : 10000 (Part 3)–1980 Methods of tests for internal combustion engines Part 3 Measurements for testing units and limits of accuracy	S.O. 1018 dated 1985-03-09	No. 1 March 1985	Clauses 2.4.2 and 3.16 have been amended	1985-03-31
42.	IS : 10000 (Part 5)–1980 Methods of tests for internal combustion engines Part 5 Preparation for tets and measurements for wear	—do—	No. 1 March 1985	Clause 3 item (d) has been substituted by a new one	1985-03-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43.	IS : 10000 (Part 7)—1980 Methods of tests for internal combustion engines; Part 7 Governing tests for constant speed engines and selection of engines for use with electrical generators	S.O. 1294 dated 1985-03-30	No. 1 March 1985	Existing Note under clause 2.3.4 has been substituted by a new one.	1985-03-31
44.	IS : 10026 (Part 3/Sec 1) 1983 Specification for insulating varnishes containing solvents Part 3 Specifications for individual materials: Section 1 Air drying Varnishes with Temperature Index 105	S.O. 3451 dated 1986-10-04	No. 1 April 1985	Table 1 has been amended	1985-04-30
45.	IS : 10086—1982 Specification for moulds for use in tests of cements and concrete.	S.O. 3992 dated 1985-08-24	No. 2 June 1985	Note 2 has been added under clause 4.1 and the existing note has been renumbered as Note 1	1985-06-30
46.	IS : 10150—1981 Guide for sterilization of medical products	S.O. 3992 dated 1985-08-24	No. 2 Aug. 1985	New clause 4.3 has been added after clause 4.2.1 and the subsequent clauses renumbered accordingly.	1985-08-31
47.	IS : 10270—1982 Guidelines for design and construction of prestressed rock anchors	S.O. 3328 dated 1986-09-27	No. 1 March 1985	(i) Clauses 5.2.2 and 7.1 (b) have been amended. (ii) Table 1 has been amended. (iii) New matter has been added at the end of the Note of Clause 6.7	1985-03-31
48.	IS : 10400—1983 Glossary of terms in inventory control	S.O. 2786 dated 1986-08-09	No. 1 April 1985	(i) (Page 4, clause 3.10, last line) Substitute 'quantity' for 'quality'. (ii) New terms have been added after clause 3.43	1985-04-30
49.	IS : 10517—1983 Acceptance criteria for fork-lift trucks	S.O. 3451 dated 1986-10-04	No. 1 Jul. 1985	(i) Clause 2.4 has been amended (ii) Foote-note with '+' mark has been added at the end of page 5. (iii) (Page 10, clause A—1.4, line 3) + Substitute '200 percent' for '300 percent'. (iv) Clause A—2.2 has been substituted by a new one.	1985-07-31
50.	IS : 10629—1983 Methods for determination of aldicarb residues in crops, soil and water	S.O. 3795 dated 1986-11-08	No. 1 March 1985	Clause 3.4 has been amended	1985-03-31
51.	IS : 10710—1983 Specification for phosphor bronze wires for fourdrinier cloth	S.O. 3796 dated 1986-11-08	No. 1 May 1985	(Page 3, clause 0.2, line 1)— Substitute 'warp' for 'weft'	1985-05-31

Copies of these amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Regional Offices Bombay, Calcutta, Chandigarh and Madras and Branch Offices Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 5]

नई दिल्ली, 18 मई, 1990

का. आ. 1595.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) की खंड (ख) के अनुसारण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिस/जिन भारतीय मानक/मानकों, का/के विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है/दिए गए हैं, वह/वे दिनांक 1988-10-31 को स्थापित हो गया है/हो गए हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हों, की सं० और वर्ष	टिप्पणी यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 101 (भाग 5 खंड 4)—1988 रोगन, वार्निश और संबद्ध उत्पाद हेतु नमूने लेने और परीक्षण की विधियां भाग 5 यांत्रिक परीक्षण खंड 4 छाप रहित परीक्षण। (तीसरा पुनरीक्षण)	IS 101—1964	—
2.	IS : 444—1987 सामान्य प्रयोजन पानी के लिए रबड़ के हौज की विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण)	IS : 444—1980	1988-04-30 को स्थापित
3.	IS : 863—1988 हथकरघे की गैर-निर्जर्मित पट्टी कपड़े की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 863—1969	भा मा ब्यूरो प्रमाणन योजना हेतु IS : 863—1988 दिनांक 1989-07-01 से लागू होगा।
4.	IS : 1096—1987 हथकरघे के अन-अभिमार्जित हालैंड कपड़े की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1096—1957	1988-08-31 को स्थापित
5.	IS : 1448 (भाग 127)—1988 पेट्रोलियम और उसके उत्पादों हेतु परीक्षण विधियां भाग 127 पेट्रोलियम कोक में लौह का निर्धारण	—	—
6.	IS : 1991 (भाग 2)—1987 पीसने वाले अपघर्षक पार्टों का प्रयोग, देखभाल और रक्षण की सुरक्षा अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1991—1973	—
7.	IS : 2252—1988 डाईएसीटोन एल्कोहल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 2252—1972	—
8.	IS : 2991—1988 मामिया कागज हेतु आधार कागज की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2991—1965	—
9.	IS : 3201—1988 पूर्वढलित कंक्रीट कैंची और कैंचीधरन (पर्लिन) की डिजाइन और निर्माण के मापदंड (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3201—1965	—

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	IS : 3235–1988 चिकित्सा प्रयोग हेतु सिरिंज की सामान्य अपेक्षाएं (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 3235–1980	—
11.	IS : 3660 (भाग 4)—1988 प्राकृतिक रबड़ की परीक्षण विधियां भाग 4 कुल तांबे का निर्धारण (एन आर 4) (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 3660 (भाग 4)–1979	—
12.	IS : 3660 (भाग 6)–1988 प्राकृतिक रबड़ की परीक्षण विधियां भाग 6 रबड़ हाइड्रोकार्बन की परीक्षण विधियां (दूसरा पुनरीक्षण)	—	—
13.	IS : 4410 (भाग 21)–1987 नदी घाटी परियोजना से संबद्ध पारिभाषिक शब्दावली भाग 21 बाढ़ नियंत्रण (दूसरा पुनरीक्षण)	—	—
14.	IS : 4636–1988 शुष्क ऊष्मा उपचार के प्रति वस्त्रादि के रंग पक्कापन के निर्धारण की विधि (स्त्री करने को छोड़कर) (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4636–1968	—
15.	IS : 5083–1988 नाइफिंग स्टॉपर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5083–1973	—
16.	IS : 5651–1987 वायु प्रचालित औजारों हेतु इस्पात की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5651–1970	—
17.	IS : 5705–1988 प्रतिवेधक और शंकु भवन के साथ प्रयुक्त अलग हो सकने वाले पाइलट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 5705–1970	—
18.	IS : 5746 (भाग 3)–1987 वायु आकाशीय प्रयोजनों हेतु प्लास्टिक लैमिनेटों के लिए बुने कांच रेशा कपड़े की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 5746–1983	—
19.	IS : 5921 (भाग 10)–1988 इलैक्ट्रानिक और दूरसंचार उपस्कर हेतु मुद्रित परिपथ के लिए धातु चढ़ी आधार सामग्री की विशिष्टि भाग 10 परिभाषित ज्वलनशीलता के एपोक्साइड बिना बुने/बुने कांच प्रबलित तांबा चढ़े परतवार चद्दर (ऊर्ध्वाधर दहन परीक्षण)	—	—
20.	IS : 6801 (भाग 1)–1987 अस्थि रोगों में रोपण यंत्र हेतु ड्राइव कनेक्शन की विशिष्टि भाग 1 षट्कोणीय सर्किट शीर्ष के साथ पेंच सहित प्रयोग हेतु कुंजी (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6801–1973	—

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	IS : 6893 (भाग 4)–1988 मशीन औजार हेतु खरीद विशिष्टि के लिए प्रोफार्मा (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6893 (भाग 4)–1975	—
22.	IS : 7135–1987 तकनीकी ग्रेड, डाइमिथाइल सल्फेट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 7135–1973	—
23.	IS : 7503 (भाग 1)–1988 रबड़ उद्योग में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली भाग 1 आधारभूत पदों की परिभाषाएं (पहला पुनरीक्षण)	IS : 7503 (भाग 1)–1974	—
24.	IS : 7503 (भाग 2)–1988 रबड़ उद्योग में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली भाग 2 संयोजियों की परिभाषाएं (पहला पुनरीक्षण)	IS : 7503 (भाग 2)–1976	—
25.	IS : 7565 (भाग 2)–1988 ट्रैक्टर प्रचालित कल्टीवेटर हेतु टिन की विशिष्टि भाग 2 एस टाइप टिन	—	—
26.	IS : 8198 (भाग 10)–1988 संपीडित गैसों हेतु इस्पात सिलिंडरों की रीति संहिता भाग 10 मिथाइल ब्रोमाइड गैस (पहला पुनरीक्षण)	IS : 8198 (भाग 10)–1980	—
27.	IS : 8600–1988 तम्बाकू के नमूने लेने की विधियां—सामान्य सिद्धांत (पहला पुनरीक्षण)	IS : 8600–1977	—
28.	IS : 9000 (भाग 7/खंड 6)–1988 इलैक्ट्रानिक और बिजली की वस्तुओं हेतु आधारभूत पर्यावरणीय परीक्षण की विधियां भाग 7 संघट्ट परीक्षण खंड 6 परीक्षण ई सी : प्रस्कंद	—	—
29.	IS : 9001 (भाग 17/खंड 5)–1988 इलैक्ट्रानिक और बिजली की वस्तुओं हेतु आधारभूत पर्यावरणीय परीक्षण की विधियां भाग 17 संघट्ट परीक्षण खंड 5 प्रस्कंद	—	—
30.	IS : 9452 (भाग 3)–1988 नहरों से रिसाव क्षति के मापन की रीति संहिता भाग 3 रिसाव मापी विधि	—	—
31.	IS : 10914 (भाग 2)–1988 मोटर वाहनों हेतु हवा भरे टायरों की विशिष्टि भाग 2 ट्रक, बस और हल्का ट्रक-विकर्ण प्लाई (पहला पुनरीक्षण)	—	—
32.	IS : 11745–1986 धनात्मक विस्थापन पम्प की तकनीकी आपूर्ति अवस्थाएं-व्युत्क्रमणीय	—	—
33.	IS : 12160–1987 तकनीकी ड्राइंग छूट देने के आधारभूत सिद्धांत	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	IS : 12240 (भाग 7)–1988 पॉलीविनायल क्लोराइड के बूटों की परीक्षण विधियां भाग 7 तल्ले की सामग्री के लिए फटन वृद्धि प्रतिरोध	—	—
35.	IS : 12249–1987 डेसी केन्ट शुष्कों की विशिष्टि		—
36.	IS : 12288–1987 तन्य लोहे के पाइप के प्रयोग और उन्हें बिछाने की संहिता	—	—
37.	IS : 12316 (भाग 1)–1988 विद्युत् प्रयोजन हेतु गैर सैल्युलोजीय कागज की विशिष्टि भाग 1 परिभाषाएं और सामान्य अपेक्षाएं	—	—
38.	IS : 12322–1988 पाइप की टेपर चूड़ियों हेतु गोल घुमाने वाली डाई की विशिष्टि भार-श्रेणी	—	—
39.	IS : 12331–1988 नहर निकास हेतु सामान्य अपेक्षाएं	—	—
40.	IS : 12333–1988 दूध क्रीम और वाष्पित दूध में कुल ठोस अंशों के निर्धारण की विधि (संदर्भ विधि)	—	—
41.	IS : 12335–1988 खाद्य सामग्री में प्रोपेक्सोर अवशिष्ट का निर्धारण	—	—
42.	IS : 12342 (भाग 2)–1988 कच्चे समुद्री खरपतवार की विशिष्टि भाग 2 शैवलोद्भिद् (एलीनोफाइट)	—	—
43.	IS : 12344—1988 अपचायक चिमटी की विशिष्टि	—	—
44.	IS : 12346–1988 एसी विद्युत् ऊर्जामीटर हेतु परीक्षण उपस्कर की विशिष्टि		
45.	IS : 12352–1988 ईंधन अन्तःक्षेपण पम्प माउंटिंग कालरे की विशिष्टि	—	—
46.	IS : 12354–1988 आंशिक बेलाकार स्थिरीकरण छेद के साथ सूचीकरण कार्बाइड निविष्ट की विशिष्टि	—	—
47.	IS : 12356–1988 शुद्ध वायु उपस्कर (लेमिनर प्रवाह) हेतु क्रेता आंकड़ा पत्र	—	—
48.	IS : 12360–1988 वरीयत: वोल्टता और आवृत्ति सहित विद्युत् संस्थापनों हेतु वोल्टता बैंड	IS : 1585–1962	—
49.	IS : 12363–1988 कृषि ट्रैक्टर हेतु पथ चौड़ाई की अनुशंसा	—	—
50.	IS : 12367–1988 वेल्डित नलियों के उत्पादन हेतु अतप्त वेल्लित कार्बन इस्पात पत्ती/कुंडली की विशिष्टि	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	IS : 12372–1987 एकल छिद्र निर्णय सारणियों का प्रस्तुतीकरण	—	—
52.	IS : 12375 (भाग 1)–1987 कूल्हे जोड़ के आंशिक और पूर्ण प्रोसथेसेस की विशिष्टि भाग 1 वर्गीकरण, आयामों के पदनाम और अपेक्षाएं	—	—
53.	IS : 12376 (भाग 1)–1987 घुटने के जोड़ के आंशिक और पूर्ण प्रोसथेसेस की विशिष्टि भाग 1 वर्गीकरण, परिभाषाएं और आयामों के पदनाम	—	—
54.	IS : 12388–1988 हथकरघे की सूती वायल की विशिष्टि	—	—
55.	IS : 12398–1988 बहुद्देश्य पारे के बैरोमीटर की विशिष्टि (शिक्षा कार्य के लिए)	—	—
56.	IS : 12411–1988 धान का छिलका उतारने वाला यंत्र, अपकेन्द्री टाइप की विशिष्टि	—	—
57.	IS : 12412–1988 दो आदमियों द्वारा आमने-सामने पकड़कर चलाई जाने वाली आरी हेतु सैटिंग लोहे की विशिष्टि	—	—

इन मानकों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों: बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं ।

[सं. सी. एम. डी./13: 2]

New Delhi, the 18th May, 1990

S.O. 1595.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard(s) particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1988-10-31.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year and Title of the Indian Standard(s) Established	No. and year of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks if any
1	2	3	4
1.	IS : 101 (Part 5/Sec 4)—1989 Methods of sampling and test for paints, varnishes and related products Part 5 Mechanical tests, Section 4 Print free test (Third Revision)	IS : 101—1964	
2.	IS : 444—1987 Specification for General Purpose Rubber Water Hose (Fourth Revision)	IS : 444 –1980	Established on 1988-04-30

1	2	3	4
3.	IS : 863—1988 Specification for Handloom Cotton Bandage Cloth, Non-Sterilized (Second Revision)	IS : 863—1969	For purposes of BIS Certification Scheme; IS : 863—1988 shall come into force with effect from 1989-07-01
4.	IS : 1096—1987 Specification for Handloom Cotton Holland Cloth, Unscoured (First Revision)	IS : 1096—1957	Established on 1988-08-31
5.	IS : 1448 (P : 127)—1988 Methods of Test for Petroleum and its Products P : 127 Determination of Iron in Petroleum Coke	—	—
6.	IS : 1991 (Part 2)—1987 Safety Requirements for the use, Care and Protection of Abrasive Grinding Wheels Part 2 Handloom and Storage (Second Revision)	IS : 1991—1973	—
7.	IS : 2252—1988 Specification for Diacetone Alcohol (Second Revision)	IS : 2252—1972	—
8.	IS : 2991—1988 Specification for Base Paper for Waxed Paper (First Revision)	IS : 2991—1965	—
9.	IS : 3201—1988 Criteria for Design and Construction of Precast Concrete Trusses and Purlins (First Revision)	IS : 3201—1965	
10.	IS : 3235—1988 General Requirements for Syringes for Medical Use (Second Revision)	IS : 3235—1980	—
11.	IS : 3660 (Part 4)—1988 Methods of Test for Natural Rubber Part 4 Determination of Total Copper (NR : 4) (Second Revision)	IS : 3660 (Part IV)—1979	—
12.	IS : 3660 (Part 6)—1988 Methods of Test for Natural Rubber Part 6 Determination of Rubber Hydrocarbon (NR : 7) (Second Revision)	—	—
13.	IS : 4410 (Part 21)—1987 Glossary of Terms Relating to River Valley Projects Part 21 Flood Control	—	—
14.	IS : 4636—1988 Method for Determination of Colour Fastness of Textile Materials to Dry-Heat Treatments (Excluding Pressing) (First Revision)	IS : 4636—1968	—
15.	IS : 5083—1988 Specification for Knifing Stopper (Second Revision)	IS : 5083—1973	—
16.	IS : 5651—1987 Specification for Steels for Pneumatic Tools (First Revision)	IS : 5651—1970	—
17.	IS : 5705—1988 Specification for Detachable Pilots for use with Counterbores and Countersink 90° (First Revision)	IS : 5705—1970	—

1	2	3	4
18.	IS : 5746 (Part 3)—1987 Specification for Woven Glass Fibres Fabric for Plastic Laminates for Aerospace Purposes, Part 3 Finished Fabrics for use with Polyester Resin Systems (Second Revision)	IS : 5746—1983	—
19.	IS : 5921 (Part 10)—1988 Specification for Metal-Clad Base Materials for Printed Circuits for use in Electronic and Telecommunication Equipment Part 10 Epoxide Non-Woven/Woven Glass Reinforced Copper-Clad Laminated sheet of Defined Flammability (Vertical Burning Test)	—	—
20.	IS : 6801 (Part 1)—1987 Specification for Drive Connections for Orthopaedic Instruments Part 1 Keys for use with Screws with Hexagonal Socket Heads (First Revision)	IS : 6801—1973	—
21.	IS : 6893 (Part 4)—1987 Proforma for Purchase Specification for Machine Tools Part 4 Vertical Turning and Boring Lathes (First Revision)	IS : 6893 (Part IV)—1975	—
22.	IS : 7135—1987 Specification for Dimethyl Sulphate, Technical (First Revision)	IS : 7135—1973	—
23.	IS : 7503 (Part 1)—1988 Glossary of Terms used in Rubber Industry Part 1 Definitions of Basic Terms (First Revision)	IS : 7503 (Part 1)—1974	—
24.	IS : 7503 (Part 2)—1988 Glossary of Terms used in Rubber Industry Part 2 Definitions of Additives (First Revision)	IS : 7503 (Part 2)—1976	—
25.	IS : 7565 (Part 2)—1988 Specification for Tines for Tractor Operated Cultivators Part 2 S-Type Tines	—	—
26.	IS : (Part 10)—1988 Code of Practice for Steel Cylinders for Compressed Gases Part 10 Methyl Bromide Gas (First Revision)	IS : 8198 (Part 10)—1930	—
27.	IS : 8600—1988 Methods for Sampling of Tobacco—General Principles (First Revision)	IS : 8600—1977	—
28.	IS : 9000 (Part 7/Sec 6)—1988 Basic Environmental Testing Procedures for Electronic and Electrical items Part 7 Impact Test Section 6 Test Ee: Bounce	—	—

1	2	3	4
29.	IS : 9001 (Part 17/Sec 5)—1988 Guidance for Environmental Testing Part 17 Impact Test Section 5 Bounce	—	—
30.	IS : 9452 (Part 3)—1988 Code of Practice for Measurement of Seepage Losses from Canals Part 3 Seepage Meter Method	—	—
31.	IS : 10914 (Part 2)—1988 Specification for Pneumatic Tyres for Automotive Vehicles Part 2 Truck, Bus and Light Truck Tyres—Diagonal Ply (First Revision)	—	—
32.	11745—1986 Technical Supply Conditions for positive Displacement Pumps Reciprocating	—	—
33.	IS : 12160—1987 Technical Drawings Fundamental Tolerancing Priciple	—	—
34.	IS : 12240 (Part 7)—1988 Methods of Test for Polyvinyl Chloride Boots Part 7 Flexing Test—Resistance to Cut Growth for Soling Material	—	—
35.	IS : 12249—1987 Specification for Desiccant Driers	—	—
36.	IS : 12288—1987 Code of Practice for Use and Laying of Ductile Iron Pipes	—	—
37.	IS : 12316(Part 1)—1988 Specification for Non-Cellulosic Papers for Electrical Purposes Part 1 Definitions and General Requirements	—	—
38.	IS : 12322—1988 Specification for Circular Screwing Dies for Taper Pipe Threads, R-SERIES	—	—
39.	IS : 12331—1988 General Requirements for Canal Outlets	—	—
40.	IS : 12333—1988 Method for Determination of Total Solid Content in Milk, Cream and Evaporated Milk (Reference Method)	—	—
41.	IS : 12335—1988 Method for Determination of Propoxur Residues in Food Commodities	—	—
42.	IS : 12342 (Part 2)—1988 Specification for Raw Seaweeds Part 2 Alginophytes	—	—
43.	IS : 12344—1988 Specification for Reduction Forceps	—	—
44.	IS : 12346—1988 Specification for Testing Equipment for AC Electrical Energy Meters	—	—
45.	IS : 12352—1988 Specification for Fuel Injection Pump Mounting Bolts	—	—

1	2	3	4
46.	IS : 12354—1988 Specification for Indexable Carbide Inserts with Partly Cylindrical Fixation Hole	—	—
47.	IS : 12356—1988 Purchaser's Data Sheet for Clean Air Equipment (Laminar Flow)	—	—
48.	IS : 12360—1988 Voltage Bands for Electrical Installations Including Preferred Voltages and Frequency	IS : 585—1962	—
49.	IS : 12363—1988 Recommendation on Track Width of Agricultural Tractors	—	—
50.	IS : 12367—1988 Specification for Cold-Rolled Carbon Steel Strips/Coils for Manufacture of Welded Tubes	—	—
51.	IS : 12372—1987 Presentation of Single—Hit Decision Tables	—	—
52.	IS : 12375 (Part 1)—1987 Specification for Partial and Total Hip Joint Prostheses Part 1 Classification, Designation of Dimensions and Requirements	—	—
53.	IS : 12376 (Part 1)—1987 Specification for Partial and Total Knee Joint Prostheses Part 1 Classification, Definitions and Designation of Dimensions	—	—
54.	IS : 12388—1988 Specification for Handloom Cotton Voile	—	—
55.	IS : 12398—1988 Specification for Multipurpose Mercury Barometer (For Educational Use)	—	—
56.	IS : 12411—1988 Specification for Paddy Dehusker, Centrifugal Type	—	—
57.	IS : 12412—1988 Specification for Setting Iron for Two-Men Cross Cut Saws	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : Bombay, Calcutta, Chandigarh and Madras and also from its Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 2]

का. आ. 1596 :—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिस/जिन भारतीय मानक/मानकों का/के विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है/दिए गए हैं, वह/वे रद्द कर दिया गया है/दिए गए हैं और वापस लिया गया है/लिये गए हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	रद्द किए गए मानक की संख्या और वर्ष	जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक की स्थापना की गई थी, उस की का. आ. संख्या और तिथि	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 6970–1973	का आ 4690 दिनांक 1975-09-19 भारत के राजपत्र भाग II खंड-3 उपखंड (ii) में दिनांक 1975-11-01 को प्रकाशित	इस मानक की अपेक्षाएं IS : 10437–1986 में निर्दिष्ट की गई है।

[सं. सी. एम. डी./13 : 7]

एस. सुब्रह्मण्यन, अपर महानिदेशक

S.O.1596 :—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, it is, hereby notified that the Indian Standard(s), particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 6970—1973	S.O. 4690 dated 1975-09-19 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1975-11-01	The requirements of this standard have been covered in IS : 10437—1986

[No. CMD/13 : 7]

S. SUBRAHMANYAN, Addl. Dir. General

कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, 14 मई, 1990

का.आ. 1597 :—कृषि उत्पाद सेस अधिनियम, 1940 की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बनाये गये स्थाई वित्त समिति के विनियम 1940 में किए गए निम्नलिखित संशोधन आम सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते है, जो इस प्रकार है।

विनियम 7 की जगह निम्नलिखित को रखा जाये :–

"7 परिषद् के महानिदेशक स्थाई वित्त समिति के अध्यक्ष होंगे।"

[सख्या एफ० 2(1)/89-समन्वय]

एम जी. मेनन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agricultural Research and Education)

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi, the 14th May, 1990

S.O. .—The following amendment to the Standing Finance Committee Regulations, 1940, made by the Indian Council of Agricultural Research, with the previous approval of the Central Government in pursuance of sub-section (2) of Section 7 of the Agricultural Produce Cess Act, 1940 are published for general information namely :—

The Regulation 7 may be substituted as under :—

"7. The Director General of the Council shall be the President of the Standing Finance Committee".

[No. F. 2(1)/89-CDN]

M. G. MENON, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1990

का. आ. 1598 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस परिक्षेत्र में कोयले का सर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक सं. सी-1 (ई.)/III/जे आर./426—1288, तारीख 29-12-1988 का निरीक्षण वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 के कार्यालय में या कलक्टर, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कार्उंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 को भेजेंगे।

अनुसूची

गजनडोह ब्लाक

पेंच क्षेत्र

जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	बंदोबस्त सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1.	थोरी दामोदर	51	261	परासिया	छिंदवाड़ा	462.049	पूर्ण
2.	गजनडोह	50	124	परासिया	छिंदवाड़ा	366.410	भाग
		कुल क्षेत्र : 828.459 हैक्टर (लगभग)					
	या	2047.122 एकड़ (लगभग)					

सीमा वर्णन :

क-ख-ग- रेखा ग्राम मोरी और थोरी-दामोदर की सामान्य सीमा पर बिन्दु "क" से आरंभ होती है, ग्राम थोरी दामोदर की बाहरी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और ग्राम थोरीशो दामोदर और गजनडोह की सामान्य सीमा पर बिंदु "ग" पर मिलती है।

ग-घ-ङ रेखा ग्राम गजनडोह की बाहरी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और ग्राम गजनडोह तथा समरा-जैथ की सामान्य सीमा पर बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ-च रेखा ग्राम गजनडोह से होकर गुजरती है और ग्राम गजनडोह तथा थोरी-दामोदर की सामान्य सीमा पर बिन्दु "च" पर मिलती है।

च-छ-क रेखा ग्राम थोरी-दामोदर की बाहरी सीमा के साथ-साथ गुजरती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/5/89-एल. एस. डब्ल्यू.]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 14th May, 1990

S.O.1598 :—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands in the locality mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development)Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan bearing No. C-1(E)/III/(GR/428-1288 dated 29-12-1988 of the area covered by this notification can be inspected at the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section) Coal Estate, Civil Lines Nagpur-440001 or at the office of the Collector Chhindwara (Madhya Pradesh) or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta;

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section(7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coal fields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE
GAJANDOH BLOCK
PENCH AREA
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH)

Sl. No.	Name of Village	Patwari circle number	Settlement number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Thaori-Damodar	51	261	Parasia	Chhindwara	462.49	Full
2.	Gajandoh	50	124	Parasia	Chhindwara	366.410	Part
					Total area :	828.459 hectares (approximately) Or 2047.122 acres (approximately)	

Boundary description :

A—B—C : Line starts from point 'A' at the common boundary of villages Maori and Thaori-Damodar passes along the outer boundary of village Thaori-Damodar and meets at the common boundary of villages Thaori-Damodar and Gajandoh at point 'C'.

C—D—E : Line passes along the outer boundary of village Gajandoh and meets at the common boundary of village Gajandoh and Khamra-Jethu at point 'E'.

E—F : Line passes through village Gajandoh and meets at the common boundary of village Gajandoh and Thaori-Damodar at point 'F'.

F—G—A : Line passes along the outer boundary of village Thaori-Damodar and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/5/89-LSW]

नई दिल्ली, 17 मई, 1990

का.आ. 1599.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है,

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक सं. आर. ई. वी./23/87, तारीख 17-6-1987 का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., राजस्व अनुभाग, दरभंगा हाउस, रांची-834001 (बिहार) के कार्यालय में या उपायुक्त हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या उपायुक्त, पलामू (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कांउसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., दरभंगा हाउस, रांची-834001 (बिहार) को भेजेंगे।

अनुसूची
आम्रपाली ब्लाक
उत्तर करणपुरा कोलफील्ड
जिला हजारीबाग (बिहार)
और जिला पालामऊ (बिहार)

पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि

क्र.सं.	ग्राम	थाना	था. सं.	जिला	क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणियां
1.	सोपारम	टंडवा	24/181	हजारी बाग	485.00	भाग
2.	बरकुट	,,	25/182	,,	254.00	पूर्ण
3.	सराधु	,,	29/186	,,	535.00	भाग
4.	हुमावतिया	,,	30/187	,,	305.00	भाग
5.	कोएड	,,	31/188	,,	780.00	भाग
6.	नाडिहा	,,	32/189	,,	235.00	भाग
7.	पोकला या कासीडीह	,,	34/191	,,	425.00	भाग
8.	चाघरा	,,	35/192	,,	140.00	भाग
9.	बन्दा	,,	36/193	,,	295.00	भाग
10.	सिसर	,,	42/199	,,	245.00	भाग
11.	किशनपुर	,,	44/201	,,	817.52	भाग
12.	मदधापुर	,,	45/202	,,	24.40	पूर्ण
13.	सेरंदाग	,,	46/203	,,	351.48	पूर्ण
14.	बिगलात	,,	44/206	,,	728.34	पूर्ण
15.	हेनड़	,,	50/207	,,	1650.00	भाग
16.	कुमरंग खुर्द	,,	51/208	,,	1843.78	पूर्ण
17.	कुमरंग कलां	,,	52/209	,,	1157.99	पूर्ण
18.	उर्सू	,,	54/211	,,	510.00	भाग
19.	गरलौंग	,,	59/216	,,	80.00	भाग
20.	कामता	,,	60/217	,,	12.00	भाग
21.	बनालत	बालूमथ	49	पालामऊ	485.00	भाग
22.	मनातू	,,	50	पालामऊ	300.00	भाग
23.	बंवर	,,	51	पालामऊ	15.00	भाग

कुल क्षेत्र : 11614.91 एकड़ (लगभग)
या
4700.32 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख	रेखा ग्राम बनालत और कुरलोंगा, बरकुता और कुरलोंग की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलकर ग्राम सराध हडेचाबतिया और फिर ग्राम सराधू में से होकर जाती है तथा बिन्दु "ख" पर मिलती है। [जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचित मगध ब्लाक के साथ-साथ सम्मिलित सीमा बनाती है]।
ख-ग	रेखा ग्राम सराधू, कमता और ग्राम सरलोंग में से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।
ग-घ	रेखा ग्राम उर्सू और बुक् की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ चलती हुए ग्राम उर्सू में से होकर ग्राम उर्सू और गिझुआ, कुमरोंग कलां और सूझुआ, बिगलात और सिझुआ, बिगलात और पचनरा, सेरदांग और पचनारा सेरदांग और नवाखाप, किशनपुर और नकखाप, किशनपुर और सिसर किशनपुर और किनाबी, मियारोज सं. 43/200 की मध्यरेखा और सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ-साथ ग्राम सिसर और वृन्दा में होकर और ग्राम वृन्दा और कबरा की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ भी जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।
घ-क	रेखा ग्राम वृन्दा, घाघरा, पोकला या कासिडिह, होनहे, नौडिहा, कोएड, सोपाराम, बनालत, मनासू और बंयर से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/15/87—सी. ए./एल. एस. डब्ल्यू.]

New Delhi, the 17th May, 1990

S.O. 1599 :—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land mentioned in the schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan No. Rev/23/87 dated 17-6-1987 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Central Coalfields Limited, Revenue Section, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar) or in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Deputy Commissioner, Palamau, or in the Office of the Coal Controller, 1. Council House Street, Calcutta-700001.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coal fields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar) within ninety days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

AMRAPALI BLOCK NORTH KARANPURA COALFIELD

DISTRICT HAZARIGAGH (BIHAR)

AND DISTRICT PALAMAU (BIHAR)

Showing land notified for prospecting

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area in acre	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Soparam	Tandwa	24/181	Hazaribagh	485.00	Part
2.	Barkute	,,	25/182	,,	254.40	Full
3.	Saradhu	,,	29/186	,,	535.00	Part
4.	Hechabatia	,,	30/187	,,	305.00	,,
5.	Koed	,,	31/188	,,	780.00	,,
6.	Naudiha	,,	32/189	,,	235.00	,,
7.	Pokla or Kasidih	,,	34/191	,,	425.00	,,
8.	Chaghra	,,	35/192	,	140.00	,,
9.	Brinda	,,	36/193	,,	295.00	,,
10.	Sisar	,,	42/199	,,	245.00	,,
11.	Kishunpur	,,	44/201	,,	817.52	Full
12.	Madwapur	,,	45/202	,,	24.40	,,
13.	Serandag	,,	46/203	,,	351.48	,,
14.	Binglat	,,	49/206	,,	728.34	,,
15.	Honhe	,,	50/207	,,	1650.00	Part
16.	Kumrang Khurd	,,	51/208	,,	1843.78	Full
17.	Kumrang Kalan	,,	52/209	,,	1157.99	,,
18.	Ursu	,,	54/211	,,	510.00	Part
19.	Garlaung	,,	59/216	,,	80.00	,,
20.	Kamta	,,	60/217	,,	12.00	,,
21.	Banalat	Balumath	t 49	Palamau	485.00	,,

1	2	3	4	5	6	7
22.	Manatu	Balumath	50	Palamau	300.00	Part
23.	Banwar	,,	51	,,	15.00	,,

Total area :—11,614.91 acres ((approx.)
or 4,700.32 hectares (approx.)

BOUNDARY DESCRIPTION :—

A—B : line passes along the common boundary of villages Banalat and Kurlonga, Barkuta and Kurlonga through villages Saradhu, Hechabatia and again village Saradhu and meets at point 'B' (which forms part common boundary with Magadh Block notified U/s 4(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957.

B—C : line passes through villages Saradhu, Kamta and village Garllaung and meets at point 'C'.

C—D : line passes along the common boundary of villages Ursu and Bakru through village Ursu, then along the Central line and common village boundary of villages Ursu and Sijhua, Kumrang Kalan and Sijhua, Binglat and Sijhua, Binglat and Pachanra, Serandag and Pachanra, Serandag and Nawakhap, Kishunpur and Nawakhap, Kishunpur and Sisar, Kishunpur and Kitabi Miaraul No. 43/200, through village Sisar and Brinda and also along common boundary of villages Brinda and Katra and meets at point 'D'.

D—A :line passes through villages Brinda, Ghaghra, Pokla or Kasidih, Honhe, Naudiha, Koed, Soparam Banalat, Manatu and Banwar and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/15/87-CA/LSW]

नई दिल्ली, 30 मई, 1990

का.आ. 1600 :—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 13 जून, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 1477, तारीख 12 मई, 1987 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 894.814 हैक्टर (लगभग) या 2211.13 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 433(अ), तारीख 9 जून, 1989 द्वारा तारीख 13 जून, 1989 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सके।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 870.07 हैक्टर (लगभग) या 2149.94 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में खनिज निष्कासन के लिए खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पणी—1 इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. एस. ई. सी. एल. : बी.एस.पी. : जी.एम. (पी/एम) : भूमि : 64, तारीख 28 फरवरी, 1990 का निरीक्षण कलक्टर शहडोल मध्य प्रदेश के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495001 (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पणी—2 पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :

8. अर्जन के प्रति आक्षेप :

8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है हितबद्ध है अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिएं।

(2) ये उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पणी—3. केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

कुदरी ब्लाक

सोहागपुर कोलफील्ड

जिला शहडोल (मध्य प्रदेश)

खनन अधिकार

राजस्व

क्र.सं. ग्राम	साधारण सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1. वहिर्दन	475	बंधोगढ़	शहडोल	52.013	भाग
2. खोडरगावाने	156	बंधोगढ़	शहडोल	58.515	भाग
3. पिपरारी	414	बंधोगढ़	शहडोल	181.060	भाग
4. पिनौरा	413	बंधोगढ़	शहडोल	73.706	भाग
5. कुदरी	104	बंधोगढ़	शहडोल	413.396	भाग
			योग :	778.490	हैक्टर

वन भूमि

क्र.सं. कम्पार्टमेंट सं.	रेंज	प्रभाग	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1. पी.-173-III	कारकेली	उमरिया	91.580	भाग
		योग :	91.580	हैक्टर

कुल योग 870.07 हैक्टर (लगभग)

या 2149.94 एकड़ (लगभग)

वहिर्दन ग्राम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

156 (भाग), 157 (भाग), 157/297, 158 (भाग), 171 (भाग), 172 से 176, 176/296, 176/294, 177 से 183, 184 (भाग), 185 (भाग), 186, 187, 188 (भाग), 191 (भाग), 219 (भाग), 220, 221 (भाग), 222 (भाग), 225 (भाग), 226, 227 से 234, 235 (भाग), 236 (भाग), 237 (भाग), 238 (भाग), 240 (भाग), 241 (भाग), 242 से 251, 251/306, 252 से 260, 260/307, 261 से 268, 269 (भाग), 282 (भाग), 283, 283/308, 283/309, 284 से 291, 289/310

खोडरगवान ग्राम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

10 (भाग), 11 (भाग), 104, 106, 107 से 114, 119

पिपरारी ग्राम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1 (भाग), 2 (भाग), 3 से 39, 40 (भाग), 41 से 56, 57 (भाग), 58 (भाग), 59, 60, 61 (भाग), 66 (भाग), 67 (भाग), 68 (भाग), 69, 70, 71 (भाग), 96 (भाग), 97 (भाग), 98, 99 (भाग), 100 से 131, 132 (भाग) ।

पिनौरा ग्राम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

448 (भाग), 451 (भाग), 452 से 457, 566 से 576, 609 (भाग), 612 से 617, 618 (भाग), 619 (भाग) ।

कुदरी ग्राम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1 से 71, 72 (भाग), 73 से 144, 155 से 158, 172 (भाग), 170 (भाग), 171, 173 (भाग), 174 से 203, 204 (भाग), 205 (भाग), 206, 207, 208 (भाग), 209, 210 (भाग), 211 से 227, 228 (भाग), 230 (भाग), 231 (भाग) 232, 233 (भाग), 234 (भाग), 235 (भाग), 319 (भाग), 320 (भाग), 321, 322 (भाग), 323, 324, 325 (भाग), 326 (भाग), 327 से 334, 335 (भाग), 336 (भाग), 337 (भाग), 399, 400 (भाग), 422 (भाग), 423 से 444, 445 (भाग), 446, 447 (भाग), 449 (भाग), 450, 451, 452 (भाग), 455 (भाग), 456, 457 (भाग), 459 (भाग), 462 (भाग), 463 (भाग), 464 से 484, 485 (भाग), 486 (भाग), 487 (भाग), 489 (भाग), 490 (भाग), 491 (भाग), 492 (भाग), 556 (भाग), 557 (भाग), 565 (भाग) 573 (भाग), 574 (भाग), 575 (भाग), 576 से 581, 582 (भाग), 585 (भाग), 586 (भाग), 587 से 640, 641 (भाग), 642 (भाग), 643 से 645, 646 (भाग), 647 से 649, 650 (भाग), 651 (भाग), 652 (भाग), 656 (भाग), 567 (भाग), 685 से 696, 700

सीमा वर्णन :

क—ख रेखा कुदरी ग्राम में "क" बिन्दु से आरंभ होती है और प्लाट सं. 159, 170, 239, 173, 233, 235, 234, 231, 230, 228, 319, 322, 320, 325, 326, 335, 336 से होकर गुजरती है और प्लाट सं. 214 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है, उसके पश्चात् प्लाट सं. 210, 209, 208, 205, 399, 400, 422, 445, 447, 449, 452, 455, 457, 459, 463, 462, 492, 491 से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख—ग रेखा कुदरी ग्राम में प्लाट सं. 491, 490, 489, 485, 487, 556, 486, 585, 586, 582, 573, 574, 565, 667, 641, 642, 650, 652, 651, 646 से होकर गुजरती है उसके पश्चात प्लाट सं. 619 से चलती हुई पनौरा ग्राम में प्रवेश करती है और वन कम्पार्टमेंट सं. पी-173, III से होकर गुजरती है, उसके पश्चात् प्लाट सं. 612 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलती है । उसके बाद वन कम्पार्टमेंट सं. पी-173, III से होकर गुजरती है और प्लाट सं. 609 से होकर गुजरती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग—घ रेखा पनौरा ग्राम में प्लाट सं. 609 से गुजरती है, प्लाट सं. 576, की पश्चमी सीमा से चलती है उसके पश्चात् प्लाट सं० 97, 96, 99, 132, 99, 40, 71, 67, 57, 58, 57, 61 से गुजरती हुई पिपरिया ग्राम में प्रवेश करती है । उसके पश्चात् प्लाट सं. 448, 451 से गुजरती हुई पनौरा ग्राम में प्रवेश करती है और प्लाट सं. 282, 269, 171, 158 से गुजरती हुई बहिर्दन ग्राम में प्रवेश करती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ—ङ. रेखा बहिर्दन ग्राम में प्लाट सं. 158, 157, 156, 188, 185, 184, 191, 241, 240, 238, 237, 236, 235, 219, 221, 222, 219, 225 से होकर गुजरती है, उसके पश्चात् प्लाट सं. 1, 2, 1, 2 से गुजरती हुई पिपरारी ग्राम में प्रवेश करती है और ग्राम खोडरगवान में 10, 11 में प्रवेश करती है और बिन्दु "ङ." पर मिलती है ।

ङ. 1—ङ. 2- रेखा खनन पट्टा के अधीन पहले से ही अर्जित क्षेत्र के साथ-साथ चलती है, उसके पश्चात् ग्राम कुदरी में प्लाट

ङ. 3—ङ. 4क सं. 72 से गुजरती हुई प्रवेश करती है । इसके पश्चात् नाला की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है, उसके पश्चात् प्लाट सं. 155, 156, 157 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलती है और प्लाट सं. 172, 159 से गुजरती हुई और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[फा.सं. 43015/22/86—सी.ए./एल.एस.डब्ल्यू.]

New Delhi, the 30th May, 1990

S.O. 1600.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1477 dated the 12th May, 1987 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in the Gazette of India in Part-II Section 3, Sub-section (ii) dated the 13th June, 1987 the Central Government gave notice of its intension to prospect for coal in 894.814 hectares (approximately) or 2211.13 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification ;

And whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 433(E) dated the 9th June 1989 issued under sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government specified a further period of one year commencing from the 13th June, 1989 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands ;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the rights to mine, quarry, bore, dig and search for win work and carry away minerals in the lands measuring 870.07 hectares (approximately) or 2149.94 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto.

Note 1 The plan bearing No. SECL : BSP : GM(P/M) : LAND : 64 dated 28th February' 90 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Shahdol (Madhya Pradesh) or in the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta or in the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Redpath Road, Bilaspur-495001 (Madhya Pradesh).

Note 2 Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provide as follows :

Objections to acquisition :

8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation :—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the procedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act".

Note 3 : The Coal Controller, 1 Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

KUDRI BLOCK

SOHAGPUR COALFIELD

DISTRICT -SHAHDOL (MADHYA PRADESH)

MINING RIGHTS

REVENUE LAND

Sl No.	Village	General Number	Tehsil	District	Area in Hectares	Remark
1.	Bahirden	475	Bandhogarh	Shahdol	52.013	Part
2.	Khodargawan	156	Bandhogarh	Shahdol	58.515	Part
3.	Piprari	414	Bandhogarh	Shahdol	181.060	Part
4.	Pinoura	413	Bandhogarh	Shahdol	73.706	part
5.	Kudri	104	Bandhogarh	Shahdol	413.196	part
				Total :—	778.490 hectares	

FOREST LAND

Sl. No.	Compartment Number	Range	Division	Area in Hectaers	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	P. 173 III	Karkeli	Umaria	91.580	Part.
				Total —91.580 hectares	
		Grand Total :—		870.07 Hectares (approximately) OR 2149.94 Acres (approximately)	

Plot numbers to be acquired in village Bahirdon (part),

156(P), 157(P), 157/297(P), 158(P), 171(P), 172 to 176, 176/296, 176/294, 177 to 183, 184(P), 185(P), 186 187 188(P), 191(P), 219(P), 220, 221(P), 222(P), 225(P), 226, 227 to 234, 235(P), 236(P), 237(P) 238(P), 240(P) 241(P), 242 to 251, 251/306, 252 to 260, 260/307 261 to 268, 269(P), 282 (P) 283, 283/308, 283/309, 284 to 291, 289/310.

Plot numbers to be acquired in village Khodargawan (part),

10(P), 11(P), 104, 106, 107 to 114, 119.

Plot numbers to be acquired invillage Piprari (Part),

1(P), 2(P), 3 to 39, 40(P), 41 to 56, 57(P), 58(P), 59, 60, 61(P), 66(P), 67(P), 70,71(P), 96(P), 97(P), 98, 99(P) 100 to 131, 132(P).

Plot numbers to be acquired in village Pinoura (part).

448(P), 451(P) 452 t o 457 566 to 576, 609(P), 612 to 617, 618(P), 619(P).

Plot numbers to be acquired in village Kudri (part).

1 to 71, 72(P), 73 to 144, 155 to 158, 172(P), 170(P) 171, 173(P). 174 to 203, 204(P), 205(P), 206, 207, 208(P), 209, 210(P) 211 to 227, 228(P), 230(P), 231(P), 232, 233(P), 234(P), 235(P), 319(P) 320 (P), 321, 322(P), 323, 324, 325(P), 326(P), 327 to 334, 335(P), 336(P), 337(P), 399, 400(P), 422(P), 423 to 444 445(P), 446, 447(P), 449(P), 450, 451, 452(P), 455(P), 456, 457(P) 459(P) 462(P), 463(P), 464 to 484, 485(P), 486(P), 487(P), 488(P), 490(P), 491(P), 492(P), 556(P), 557(P), 565 (P), 573(P), 574(P), 575(P), 576 to 581, 582(P), 585(P), 586(P), 587 to 640, 641(P), 642(P), 643 to 645, 646(P), 647(P) to 649, 650(P), 651(P), 652(P), 656(P), 667(P), 685 to 696, 700

Boundary Descriptions —

A—B Line starts from point 'A' in village Kudri and passes through plot numbers 159, 170, 238, 173, 233, 235, 234, 231, 230 , 228, 319, 322, 320, 325, 326, 335, 336 and along the eastesn boundary of plot number 214 ten through plot numbers 210, 209, 208 , 205, 399, 400 ,422, 445, 447, 449, 452, 455, 457, 459, 463, 462, 492, 491 and meet at point 'B'.

B—C Line passes in village Kudri through plot numbers 491, 490 , 489, 485, 487, 556, 486, 585, 586, 582, 573, 574, 565, 667, 641, 642, 650, 652, 651, 636 656ten entire in village pinoura through plot number and through forest compartment number R 173 III then along the southern boundary of plot number 612 then through forest compartment number P 173 III and through plot number 609 and meet at point 'C'.

C—D Line passes in village Pinoura through plot number 609, western boundary of plot number 576 then entre in village Piprari through plot numbers 97, 96, 99, 132, 99, 40, 71, 67, 66, 57, 58, 57, 61 then entre in village Pinoura throug plot numbers 448, 451 and entre in village Bahirden through plot number 282, 269, 171, 158 and meets point 'D'.

D—E Line passes in village Bahirden through plot numbers 158, 157, 156, 188, 185, 184, 191, 241, 240 238, 237, 236, 235, 219, 221, 222, 219, 225 then entre in village Pipharari through plot number, 1,2, 1,2 and entre in village Khodargawan 10, 11, and meets at point 'E'.

E1-E2-E-3-–E4-A Line passes along the area already acquired under mining lease than entre in Village Kuri through plot number 72 then eastern boundary of nullah then along the northern boundary of plot numbers 155, 156, 157 and through plot numbers 172, 159 and meets at the starting point at 'A'.

[No. 43015/22/86-CA/LS W]

ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली जून 4, 1990

का.आ. 1601:—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) के पृष्ठ 2116-2117 तारीख 13 जून, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 1479 तारीख 26 मई, 1987 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि मे जिसका माप 7724.01 हैक्टर (लगभग) या 19086.80 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का.आ. सं. 432(अ) जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में 9 जून, 1989 को प्रकाशित हुई थी द्वारा तारीख 13 जून, 1989 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर से किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सके।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

(क) इससे सलग्न अनुसूची "क और क-1 में वर्णित 51.69 हैक्टर (लगभग) या 127.73 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में सभी अधिकार;

(ख) इससे संलग्न अनुसूची "ख" में वर्णित 2142.84 हैक्टर (लगभग) या 5295.17 एकड़ (लगभग) माप की भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार,

अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण : 1. इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक स. सी-1 (ई)-IIr जेजेआर/462-0490 तारीख 2 अप्रैल, 1990 का निरीक्षण कलक्टर, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियन्त्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाइन, नागपुर-1 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण : 2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्न उपबंध है :

"8. (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करनी चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।

टिप्पण : 3. केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची "क"
बंदर ब्लॉक
वापी क्षेत्र
जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	मुरपार तुकुम	4	चिमूर	चन्द्रपुर	14.17	भाग

आरक्षित वन भूमि

क्रम सं.	डिवीजन का नाम	रेंज का नाम	उसमें पड़ने वाली श्रृंखला का नाम	तहसील	जिला	कम्पार्टमेंट सं.	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणी
1.	ब्रह्मपुरी	चिमूर	वारोरा सी.एफ.एस. पी.बी.एफ.	चिमूर	चन्द्रपुर	26-ख	0.90	भाग

अनुसूची "क" का कुल क्षेत्र—15.07 हैक्टर (लगभग) या 37.24 एकड़ (लगभग)

ग्राम मुरपार तुकुम में अर्जित किये जाने वाले प्लाट संख्यांक :

57 भाग, 69, 81 से 88, 91 भाग, 95 से 103, 104 भाग 105, नाला कम्पार्टमेंट संख्या में अर्जित किये जाने वाले प्लाट संख्यांक : 26-ख भाग

सीमा वर्णन :—

ङ-ङ-1 : रेखा "ङ" बिन्दु से प्रारंभ होती है और कम्पार्टमेंट संख्या 26-ख से गुजरती है फिर मुरपार तुकुम ग्राम के प्लाट संख्या 104 से गुजरती है और "ङ"-1" बिन्दु पर मिलती है ।

ङ-1 ङ-2 : रेखा मुरपार तुकुम ग्राम में प्लाट सं. 103, 102, 99, 69, 98 नाला, 81, 82 की बाह्य सीमा के साथ-साथ और प्लाट सं. 57 से गुजरती है और "ङ"2" बिन्दु पर मिलती है ।

ङ-2 ङ-3 ङ-4 : रेखा ग्राम मुरपार तुकुम में प्लाट सं. 57 (भाग), 87, 88 की बाह्य सीमा के साथ साथ और प्लाट सं. 91 के भीतर से गुजरती है फिर प्लाट सं. 95, 96, 105, 101, 102, 103 की बाह्य सीमा से गुजरती है और "ङ-4" बिन्दु पर मिलती है ।

ङ-4 ङ-5 ङ : रेखा ग्राम मुरपार तुकुम के प्लाट सं. 104 से गुजरती है फिर कम्पार्टमेंट सं. 26-ख से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

अनुसूची क-1
बंदर ब्लॉक
वापी क्षेत्र
जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार :

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	बंदर	2	चिमूर	चन्द्रपुर	36.62	भाग

सभी अधिकार अनुसूची = 15.07 + 36.62 = 51.69 हैक्टर (लगभग)

क और क-1 का कुल क्षेत्र या 37.24 + 90.49 = 127.73 एकड़ (लगभग)

ग्राम बंदर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

14, 15/1, 15/2क-15/2ख, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 19 से 25

सीमा वर्णन :

च–च 1 रेखा "च" बिन्दु से प्रारम्भ होती है और ग्राम बंदर में प्लाट सं. 15/5, 15/4, 16, 15/1, 19, 22 की बाह्य सीमा के साथ साथ गुजरती है और "च-1" बिन्दु पर मिलती है।

च 1–च 2 रेखा ग्राम बंदर में प्लाट सं. 22, 23, 24, 25 की बाह्य सीमा के साथ-साथ गुजरती है और "च-2" बिन्दु पर मिलती है।

च 2–च 3 रेखा ग्राम बंदर में प्लाट सं. 25, 21, 20, 15/2क–15/2ख, 14 की बाह्य सीमा के साथ-साथ गुजरती है और "च-3" बिन्दु पर मिलती है।

च 3–च रेखा ग्राम बंदर में प्लाट सं. 14, 15/3, 15/5 की बाह्य सीमा के साथ-साथ गुजरती है और "च" बिन्दु पर मिलती है।

अनुसूची "ख"
बंदर ब्लॉक
वाणी क्षेत्र
जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

खनन अधिकार

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी हलका सं.	तहसील	जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	मानजरी	4	चिमूर	चन्द्रपुर	5.53	भाग
2.	आजग वांरीठ	4	चिमूर	चन्द्रपुर	57.88	भाग
3.	केट बोथली	4	चिमूर	चन्द्रपुर	49.32	पूर्ण
4.	मुरपार रथ	4	चिमूर	चन्द्रपुर	162.34	पूर्ण
5.	मुरपार तुकुम	4	चिमूर	चन्द्रपुर	290.60	भाग
6.	सलोरी रिथ	4	चिमूर	चन्द्रपुर	107.38	पूर्ण
7.	पेठ भांसूली	3	चिमूर	चन्द्रपुर	17.92	भाग
8.	अमरपुरी	3	चिमूर	चन्द्रपुर	277.60	भाग
9.	पीटीचुवा	5	चिमूर	चन्द्रपुर	159.36	भाग

1127.93 हेक्टेयर (लगभग)
या 2787.23 एकड़ (लगभग)

खनन अधिकार (आरक्षित वन भूमि)

क्र. सं.	डिवीजन का नाम	रेंज का नाम	उसमें पड़ने वाली श्रृंखला का नाम	तहसील	जिला	कंपार्टमेंट सं.	क्षेत्र हैक्टर मे	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ब्रह्मपुरी	चिमूर	भांसली आई.डब्ल्यू.सी.	चिमूर	चन्द्रपुर	23-क	47.36	भाग
2.	ब्रह्मपुरी	चिमूर	बारोरा सी.एफ.एस. पी.बी.आई.	चिमूर	चन्द्रपुर	23-ख	102.98	पूर्ण
3.	ब्रह्मपुरी	चिमूर	मानजारी आई.डब्ल्यू.सी.	चिमूर	चन्द्रपुर	24	21.12	भाग

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	ब्रह्मपुरी	चिमूर	मानजागी आई. डब्लू. सी.	चिमूर	चन्द्रपुर	26-क	44.80	भाग
5.	ब्रह्मपुरी	चिमूर	वारोरा सी. एफ. एम. पी. बी. एफ.	चिमूर	चन्द्रपुर	26-ख	305.45	भाग
6.	ब्रह्मपुरी	चिमूर	भांसूली आई. डब्ल्यू. सी.	चिमूर	चन्द्रपुर	27	362.00	भाग
7.	ब्रह्मपुरी	चिमूर	भांसूली एस. डब्ल्यू. सी.	चिमूर	चन्द्रपुर	33	131.20	भाग

1014.91 हैक्टेयर (लगभग)
या 2507.94 एकड़ (लगभग)

कुल खनन अधिकार क्षेत्र—अनुसूची "ख"

खनन अधिकार (राजस्व भूमि+आरक्षित वन भूमि)=कुल क्षेत्र

1127.93 हेक्टेयर+1014.91 हेक्टेयर=2142.84 हेक्टेयर (लगभग)

या 2787.23 एकड़+2507.94 एकड़=5295.17 एकड़ (लगभग)

ग्राम मानजागी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

80 भाग, 81 भाग, नाला भाग :

ग्राम आजगांव रीठ में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

35 से 55 तक, नाला भाग।

ग्राम केट बोथली मे अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1 से 19 तक, नाला.

ग्राम भुरपार रीठ में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1 से 9 तक, 10/1—10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11 से 80 तक, सड़क, नाला।

ग्राम मुरपार तुकुम में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1 से 51, 52—132, 53 से 56, 57 भाग, 58 से 68, 70 से 80, 89, 90, 91 भाग, 92 से 94, 104 भाग, 106 से 131, 133 से 138, 139/1—139/2, 140 से 161, आबादी, सड़क, नाला.

ग्राम सलोरी रिठ में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1 से 61, सड़क, नाला.

ग्राम पेठ भांसूली में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

123 से 126 तक, 127 भाग :

ग्राम अमरपुरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

1 से 6 तक, 27, 28-क—28ख—28ग, 29 से 34 तक, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 36 से 39 तक, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17, 40/18, 40/19, 40/20, 40/21, 40/22, 40/23, 40/24, 40/25, 40/26, 40/27, 40/28, 40/29, 40/30, 40/31, 40/32, 41 से 54 तक, 55 भाग, 61, 62 भाग, 64 भाग, 68/1, 68/2, 58/3क, 68/3ख, 68/4, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8क, 70/9क, 70/10ख, 70/12ख, 70/13, 70/14, 70/15ग, 70/16च, 71 से 77 तक, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9—78/9क, 78/10क, 78/10ख, 79 से 85 तक, 86/क—86ख—86ग, 87 से 103 तक, 104क, 104ख, 104ग, 105 से 126 तक, आबादी, नाला भाग, सड़क भाग।

ग्राम पीटीचुवा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक :

92 भाग, 93 भाग।

अर्जित किए जाने वाले कम्पार्टमेंट सं.—23क, भाग 23ख, 24 भाग, 26क, भाग, 26ख भाग, 27 भाग, 33 भाग।

सीमा वर्णन :

क–ख रेखा "क" बिन्दु से आरंभ होती है और ग्राम पीटीचुवा में प्लाट सं. 92/93 से गुजरती है और कम्पार्टमेंट संख्या 26ख की बाह्य सीमा के साथ साथ आगे बढ़ती है और फिर कम्पार्टमेंट संख्या 26क, 24 से गुजरती है और "ख" बिन्दु पर मिलती है।

ख–ग रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 24, 23क से गुजरती है फिर ग्राम मीनजारी की ओर नाले की बाह्य सीमा के साथ साथ आगे बढ़ती है, फिर प्लाट सं. 81, 80, नाले से गुजरती है, फिर ग्राम आष्टागांव पेठ की ओर प्लाट संख्या 53, 50, 49, 48, 35, 36 की बाह्य सीमा के साथ साथ आगे बढ़ती है फिर कम्पार्टमेंट संख्या 33 से गुजरती है और "ग" बिन्दु से मिलती है।

ग–घ रेखा कम्पार्टमेंट संख्या 33 से फिर ग्राम सालोरी रिथ और कम्पार्टमेंट संख्या 33 की सम्मिलित सीमा से गुजरती है, फिर ग्राम पेठ भांमूली में प्लाट संख्या 123 की बाह्य सीमा के साथ साथ आगे बढ़ती है और प्लाट संख्या 127 से ग्राम पेठ भांमूली और ग्राम अमरपुरी की सम्मिलित सीमा के साथ साथ आगे बढ़ती है और ग्राम अमरपुरी से प्लाट संख्या 6, 27 की बाह्य सीमा के साथ-साथ गुजरती है और "घ" बिन्दु पर मिलती है।

घ–क रेखा ग्राम अमरपुरी और माजरी बेगड़े की सम्मिलित सीमा के साथ साथ गुजरती है, फिर ग्राम अमरपुरी में प्लाट संख्या 54 की बाह्य सीमा के साथ साथ प्लाट संख्या 55, नाला, फिर प्लाट संख्या 61 की बाह्य सीमा के साथ साथ और प्लाट संख्या 62, 64, में और फिर प्लाट संख्या 72, 69/2, 68/1, 68/2, 68/3ख, 68/3क की बाह्य सीमा के साथ साथ और कम्पार्टमेंट संख्या 27 से कम्पार्टमेंट संख्या 26-ख की बाह्य सीमा के साथ साथ गुजरती है, फिर ग्राम पीटीचुवा और गोदगांव की सम्मिलित सीमा के साथ साथ आगे बढ़ती है और "क" बिन्दु पर मिलती है।

[सं. 43015/2/87–सी.ए./एल.एस.डब्ल्यू.]
बी.बी. राव, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 1990

S.O. 1601.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Coal No. S.O. 1479 dated the 26th May, 1987 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India dated the 13th June, 1987, at page 2116-2117 the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 7724.01 hectares (approximately) or 19086.80 acres (approximately of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 432(E) dated the 9th June, 1989 issued under sub-section (1) of section 7 of the said Act, and published in the Extraordinary Gazette of India in Part-II, Section 3, sub-section (ii) dated the 9th June, 1989, the Central Government specified a further period of one year commencing from the 13th June, 1989 as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;

And whereas the Central Governent is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire;

(a) the lands measuring 51.69 hectares (approximately) or 127.73 acres (approximately) in All Rights described in Schedule 'A & A1' appended hereto;

(b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 2142.84 hectares (approximately) or 5295.17 acres (approximately) in Mining Rights described in schedule 'B' appended hereto.

NOTE.—1. The plan bearing No. C-1(E)III/JR/462-0490 dated 2nd April, 1990 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Eastern, Civil Lines, Nagpur-1 (Maharashtra).

NOTE.—2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows :—

OBJECTIONS TO ACQUISITION :

"8(1).—Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunitory of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, cithed make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections together with the record of the proceedings held by him for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

NOTE-3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note :3 :— The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE 'A'

BANDAR BLOCK

WANI AREA

DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

All Rights

Sl. No.	Name of village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Murpar Tukum	4	Chimur	Chandrapur	14.17	Part

(Reserved forest land)

Sl No.	Name of Division	Name of Range	Name of Felling series	Tehsil	District	Compartment number	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bramhapuri	Chimur	Warora C.F.S.P. B.F.	Chimur	Chandapur	26-B	0.90	Part

Total area of schedule 'A'—15.07 hectares (approximately)
OR 37.24 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Murpar Tukum :
57 Part, 69, 81, to 88, 91 Part, 95 to 103, 104 Part, 105, nallah.
Plot number to be acquired in compartment number 26-B Part.
Boundary description :

E—E1 Line starts from point 'E' and passes through compartment number 26-B then passes through village Murpar Tukum in plot number 104 and meets at point 'E1'.

E1—E2 :— —Line passes through village Murpar Tukum along the outer boundary of plot numbers 103, 102, 99, 69, 98, nallah, 81, 82 and in plot number 57 and meets at point 'E2'.

E-2E3-E4 :— Line passes through village Murpar Tukum along the outer boundary of plot numbers 57 (Partly), 87, 88 and in plot number 91, then along the outer boundary of plot numbers 95, 96, 105, 101, 102, 103 and meets at point 'E4'.

E4-E5-E :— Line passes through village Murpar Tukum in plot number 104, then passes through compartment number 26-B and meets at starting point 'E'.

SCHEDULE 'A1'
BANDAR BLOCK
WANI AREA
DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

All Rights

Sl. No.	Name of village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hecatres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bandar	2	Chimur	Chandarpur	36.62	Part

Total All Rights area—
Schedule A+A1 =15.07+36.62 51.69 hectares (Approximately)
OR 37.24+90.49 =127.73 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Bander :
14, 15/1, 15/2A-15/2B, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 19 to 25.

Boundary description :

F—F1 : Line starts from point 'F' and passes through village Bandar along the outer boundary of plot numbers 15/5, 15/4, 16, 15/1, 19, 22 and meets at point 'F1'.

F1—F2 : Line passes through village Bandar along the outer boundary of plot numbers 22, 23, 24, 25 and meet at point 'F2'.

F2—F3 : Line passes through village Bandar along the outer boundary of plot numbers 25,21 20, 15/2A-15/2B, 14 and meets at point 'F3'.

F3—F : Line passes through village Bandar along the outer boundary of plot numbers 14. 15/3, 15/5 and meets at starting point 'F'.

SCHEDULE 'B'
BANDAR BLOCK
WANI AREA
DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

Mining Rights

Sl. No.	Name of village	Patwari circle number	Tehsil	District	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Minzari	4	Chimur	Chandrapur	5.53	Part
2.	Ajgaon Rith	4	Chimur	Chandrapur	57.88	Part
3.	Kate Bothli	4	Chimur	Chandrapur	49.32	Full
4.	Murpar Rith	4	Chimur	Chandrapur	162.34	Full
5.	Murpar Tukum	4	Chimur	Chandrapur	290.60	Part
6.	Salori Rith	4	Chimur	Chandrapur	107.38	Full
7.	Peth Bhansuli	3	Chimur	Chandrapur	17.92	Part
8.	Amarpuri	3	Chimur	Chandrapur	277.60	Part
9.	Pitichuwa	5	Chimur	Chandrapur	159.36	Part

1127.93 hectares (approximately)
Or 2787.23 acres (approximately)

SCHEDULE

Mining Rights (Reserved forest land).

Sl. No.	Name of Division	Name of Range	Name of felling series	Tehsil	District	Compartment number	Area in hectares	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bramhapuri	Chimur	Bhansuli I.W.C.	Chimur	Chandrapur	23A	47.36	Part
2.	Bramhapuri	Chimur	Warora CF.S.P.B.I.	Chimur	Chandrapur	23B	102.98	Full
3.	Bramhapuri	Chimur	Minzari I.W.C.	Chimur	Chandrapur	24	21.12	Part
4.	Bramhapuri	Chimur	Minzari I.W.C.	Chimur	Chandrapur	26A	44 80	Part
5.	Bramhapuri	Cimur	Warora C.F.S.B.F.	Chimur	Chandrapur	26B	305.45	Part
6.	Bramhapuri	Chimur	Bhansuli I.W.C.	Chimur	Chandrapur	27	362.00	Part
7.	Bramhapuri	Chimur	Bhansuli S.W.C.	Chimur	Chandrapur	33	131.20	Part
							1014.91 hectares (approximately)	
						Or	2507.94 acres (approximately)	

Total Mining Rights area—schedule 'B' :

Mining Rights (Revenue land Reserved forest land) = 1127.93 hectares + 1014.91 hectares	Total area 2142.84 hectares (approximately)
Or 2787.23 acres + 2507.94 acres	5295.17 acres (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Minzari :
80 Part, 81 Part, Nallah Part.
Plot numbers to be acquired in village Ajgaon Rith :
35 to 55, nallah part.
Plot numbers to be acquired in village Kate Bothli :
1 to 19, nallah.
Plot numbers to be acquired in village Murpar Rith :
1 to 9, 10/1—10/2—10/3—10/4—10/5, 11 to 80, Road, Nallah.
Plot numbers to be acquired in village Murpar Tukum :
1 to 51, 52—132,53 to 56, 57 Part, 58 to 68, 70 to 80, 89, 90, 91 Part, 92 to 94, 104 Part. 106 to 131, 133 to 138, 139/1—139/2, 140 to 161, abadi, road, nallah.
Plot numbers to be acquired in village Salori Rith:
1 to 61, road, nallah :
Plot numbers to be acquired in village Peth Bhansuli :

123 to 126, 127 Part.

Plot numbers to be acquired in village Amarpuri :

1 to 6, 27,28A-28B-28C, 29 to 34, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 36 to 39, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14,/40/15, 40/16, 40,/17, 40/18, 40/19, 40/20, 40/21, 40/22, 40/23, 40/24,/, 40/25, 40/26, 40/27, 40/28, 40/29, 40/30 40/31, 40/32, 41 to 54, 55 Part, 61, 62 Part, 64 Part 68/1, 68/2, 68/3A, 68/3B, 68/4, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8A, 70/9A, 70/10B, 70/11, 70/12B, 70/13, 701/14, 70/15 C, 70/16D, 71 to 77, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9 78/9-A, 78/10A, 78/10B, 79 to 85, 86/A-86-B 86C, 87 to 103, 104A, 104B, 104C, 105 to 126, abadi, nallah part, road part.

Plot numbers to be acquired in village Pitichuwa :

92 Part, 93 Part.

Compartment numbers to be acquired—23A Part , 23B, 24 Part, 26A Part, 26B, Part, 27 Part, 33 Part.

Boundary description :

A—B : Line starts from point 'A' and passes through village Pitichuwa in plot numbers 92, 93 and proceeds along the outer boundary of Compartment number 26B, then passes through compartment numbers 26A, 24 and meets at point 'B'.

B—C : Line passes through compartment numbers 24, 23A, then proceeds through village Minzari along the outer boundary of nallah, then in plot numbers 81, 80, crosses nallah, then proceeds through village Ajgaon Rith along the outer boundary of plot numbers 53, 50, 49, 48, 35, 36, then proceeds through copartment number 33 and meets at point 'C'.

C—D : Line passes through compartment number 33 then along the common boundary of village Salori Rith and compartment number 33, then proceeds through village Peth Bhansuli along the outer boundary of plot number 123 and in plot number 127 along the common boundry of villages Peth Bhansuli and Amarpuri and passes through village Amarpuri along the outer boundary of plot numbers 6, 27 and meets at point 'D'.

D—A : Line passes along the common boundary of villages Amarpuri and Majra Begde and then proceeds through village Amarpuri along the outer boundary of plot number 54 in plot number 55 nallah then along the outer boundary of plot number 61 and in plot numbers 62, 64 and then along the outer boundary of plot numbers 72, 69/2, 68/1, 68/2, 68/3B, 68/3A, and passes through compartment number 27 along the outer boundary of compartment number 26B, then proceeds along the common boundary of villages Pitichuwa and Shedegaon and meets at starting point'A'.

[No. 43015/2/87-CA/LSW]
Sd/-
B.B. RAO, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 मई, 1990

का. आ. 1602:—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान, परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के भाग 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अनुसूची के भाग 2 में प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात :—

"एम. डी. (दवाओं मेडिकल स्कूल फाउन्डेशन) दवाओं सिटी, फिलीपीन्स

(एटेन्यो डे दवाओं यूनिवर्सिटी, दवाओं सिटी, फिलीपीन्स)

[संख्या वी. 11015/18/88 एम. ई. (पी.)]

एच. एन. यादव, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th May, 1990

S.O. 1602.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). The Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in Part II of the Third Schedule to the said Act, namely :—

In Part II of the said Schedule after thet entries, the following entry shall be added, namely .—

"M.D. (Davao Medical School Foundation) Davao City, Phillippines

(Atteneo de Davao University, Dawao City Phillippines)"

(No. V. 11015|18|38-ME(P)
H. N. YADAV, Desk Officer

इलैक्ट्रानिकी विभाग

(कम्प्यूटर विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1990

का. आ. 1603 :—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 की 19) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अप्रैल 1985 में स्थापित हुए निम्नलिखित सार्वजनिक प्रतिष्ठान को उक्त अधिनियम की अनुसूची में शामिल करती है :

"राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र, बम्बई"

[सं. 11 (63)/कॉम्प/88.04.05/01)]

जसपाल सिंह भाटिया, अवर सचिव

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

(Computer Development Division)

New Delhi, the 22nd March, 1990

S.O. 1603.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act the name of the following public institution which was set up in April, 1985, namely :—

"National Centre for Software Technology, Bombay."

[F. No. 11(63)|Comp|88-04-05|01]

J. S. BHATIA, Under Secy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1990

का. आ. 1604:—चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) और चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 7 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर पहले की अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल को पुनर्गठित करती है और निम्नलिखित व्यक्तियों को इस पैनल में 7-5-1990 से अगले आदेश होने तक सदस्य के रूप में नियुक्त करती हैं :—

1. श्रीमती शैला पारिख
2. सुश्री सुधा वरेड
3. सुश्री लक्ष्मी सुन्दरम
4. सुश्री नन्दिता गांधी
5. सुश्री सुधा करखानिस
6. डा. नीलम गोरे
7. श्री सहदेव शाह
8. सुश्री उषा त्रिपाठी
9. श्री ब्रिजेन्द्र प्रसाद
10. श्री महेन्द्र ओ. राने
11. श्री महेश जेठमालानी
12. श्री गुलशन कुमार
13. डा. यसुफ ए. मर्चेन्ट
14. सुश्री एलीजाबेथ वर्गीस
15. श्री ज्योति वेंकटश उर्फ के. ए. वेंकटश
16. सुश्री संतोष सूद
17. श्री मोहन दीप
18. श्रीमती हर्षिता त्यागी
19. श्री पवन जी. मोरारका
20. श्रीमती सुशीला रानी पटेल
21. श्री गिरीश के. चितालिया
22. श्रीमती सरिता जोशी
23. श्रीमती वन्दना वितांकर

2. उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के उक्त बम्बई सलाहकार पैनल के पुनर्गठन के साथ ही पैनल के मौजूदा सदस्य (जिनके नाम उक्त सूची में शामिल हैं उन्हें छोड़कर) 7-5-90 से पैनल के सदस्य नहीं रहेंगे।

[फाइल सं. 814/6/90 एफ (सी)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 24th April, 1990

S.O. 1604.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952) and rules 7 and 8 of the Cinematograph (Cenrtification) Rules 1983 and in supersession of the earlier Notifications on the subject, the Central Government is pleased to reconstitute the Bombay advisory panel of the Central Board of Film Certification and to appoint the following persons as members of the said panel with effect from 7-5-1990 and until further orders :—

1. Smt. Shaila Parikh
2. Ms. Sudha Verde
3. Ms. Laxmi Sundaram
4. Ms. Nandita Gandhi
5. Ms. Sudha Karkhanis
6. Dr Neelam Gorhe
7. Shri Sahadev Shah
8. Ms. Usha Tripathi
9. Shri Brijendra Prasad
10. Shri Mahendra O. Rane
11. Shri Mahesh Jethmalani
12. Shri Gulshan Kumar
13. Dr. Yusuf A. Merchant
14. Ms. Elizabeth Verghese
15. Shri Jyothi Venkatesh Alias K.A. Venkatesh
16. Ms. Santosh Sud
17. Shri Mohan Deep
18. Smt. Harshita Tyagi
19. Shri Pavan G. Morarka
20. Smt. Sushila Rani Patel
21. Shri Girish K. Chitalia
22. Smt. Sarita Joshi
23. Smt. Vandana Vitankar

2. In exercise of the aforesaid powers, the Central Government also directs that with the reconstitution of the Bombay advisory panel of the Central Board of Film Certification as mentioned above, the existing members of the panel (except those whose names appear in the above list) shall cease to be mebers of the panel with effect from 7-5-90.

[File No. 814|6|90 F(C)]

का. आ. 1605:—चलचित्र अधिनियम 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) तथा चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 7 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस. एस. आर. अंजनेयुलु को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैदराबाद सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि श्री एच. राजेन्द्र प्रसाद, तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैदराबाद सलाहकार पैनल के सदस्य नहीं रहेगें।

[फाईल सं० 814/4/90एफ (सी)]
एस. लक्ष्मीनारायण संयुक्त सचिव

S.O. 1605.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952) and rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983 the Central Government is pleased to appoint Shri S.S.R. Anjaneyulu as a member of the Hyderabad advisory panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect and until further orders.

2. In exercise of the aforesaid powers, the Central Government also directs that Shri H. Rajendra Prasad shall cease to be a member of the Hyderabad advisory panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect.

[File No. 814/4/90.F(C)]
S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy.

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मई, 1990

सं. आ 1606 :—राष्ट्रपति पवन हंस लिमिटेड के ज्ञापन और संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और इस मंत्रालय की तारीख 20 अप्रैल, 1990 की अधिसूचना के क्रम में, विंग कमांडर के. के. सैनी की पवन हंस लि. में 4000–4500 रु० के अनुसूची "ख" वेतनमान में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति की अवधि 1 मई, 1990 से 31 मई, 1990 तक बढ़ाते हैं।

[सं. ए. वी. 13015/42/89एसी (वीएल)]

नसीब सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 17th May, 1990

S.O. 1606.—In exercise of the powers conferred by Article 40 of the Memorandum and Articles of Association of Pawan Hans Limited and in continuation of this Ministry's notification dated the 20th April, 1990, the President is pleased to extend the appointment of Wing Commander K. K. Saini as Managing Director, Pawan Hans Limited in schedule 'B' scale of pay of Rs. 4,000-4,500, for a further period from 1st May, 1990 to 31st May, 1990.

(No. Av. 13015|42|89-AC-VL)
NASIB SINGH, Under Secy.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1990

का.आ. 1607:—यतः भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय, (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 834 (ई) तारीख 2 सितम्बर, 1988 द्वारा गोदी कर्मकारों के नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त श्री के. रामचन्द्र राव का 26 मार्च, 1990 को निधन हो गया है,

अतः अब, केन्द्र सरकार गोदी कर्मकार (नियोजन विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 4 के अनुसरण में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. एलबी 13014/3/90-यू.एस. (एल)]
सुदेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 11th April, 1990

S.O. 1607.—Whereas Shri K. Ramachandra Rao apppointed as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board representing the employers of Dock Workers by the Notification of the Government of India, Ministry of Surface Transport (Transport Wing), No. S.O. 834(E) dated the 2nd September, 1988 has expired on 26th March, 1990.

Now, therefore, in pursuance of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifices the said vacancy.

[F. No. LB-13014|4|90-US(L)]
SUDESH KUMAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मई, 1990

का. आ. 1608:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सिन्डिकेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजक और उनके कर्मकार के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th May, 1990

S.O. 1608.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Syndicate Bank and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL TAMIL NADU, MADRAS

Thursday, the 15th day of March, 1990
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 132 of 1987

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and management of Syndicate Bank, Madras)

BETWEEN

Thirumathi A. B. Nirmala,
527/I, I.C.F. South Colony,
Madras-600038.

AND

The Manager,
Syndicate Bank, Mount Road,
Madras.

REFERENCE :

Order No. L-12012/593/1/86-D.II(A), dated 3rd December, 1987 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal upon perusing the reference, claim and counter statements and all other connected papers on record and the parties being absent, this Tribunal passed the following:

AWARD

This dispute between the workman and the Management of Syndicate Bank, Madras arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its order No. L12012/593/1/86-L. II(A), dated 3rd December, 1987 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue:

"Whether the action of the management of Syndicate Bank, Madras in dismissing from service Smt. A. S. Nirmala, with effect from 15-12-83 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

Parties were served with summons.

Petitioner Smt. A. S. Nirmala filed claim statement on 1st March, 1988 putting forth her case. In repudiation thereof, the management filed their counter statement on 8th August 1988.

After several adjournments, when the dispute was taken up for enquiry finally, petitioner and her counsel were absent. No representation was made on her behalf.

Hence industrial dispute is dismissed for default.
Dated, this 15th day of March, 1990.

N. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal
[No. L-12012/593/1/86-D.II(A)]

का. आ. 1609:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एल. आई. सी. आफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1609.—In exercise of the powers conferred by Article Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the LIC and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(132)/1989

PARTIES:

Employers in relation to the management of Life Insurance Corporation, Indore and their workman, Shri H. Khan, Assistant Career Agent, Branch Indore, represented through the Indore Division Insurance Employees Association, 50", Bima Nagar, Indore (M.P.).

APPEARANCES:

For Workman/Union—None.

For Management—None.

INDUSTRY : Insurance. DISTRICT : Indore (M.P.).

AWARD

Dated, March 1, 1990

This is a reference made by the Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-17012/20/87-I.R. Bank-I, dated 21st July, 1989, for adjudication of the following dispute:—

"Whether the action of the management of Indoro Division of L.I.C. of India Indore in imposing the penalty of reduction in basic pay of their workman Shri H. Khan, Assistant Career Agents Branch Indore by 3 steps in the time scale applicable to him w.e.f. 5th February, 1984 is legal and justified? If not to what relief the concerned workman is entitled?"

2. Both the parties have filed their respective statement of claims. Management has also filed certain documents. The case was at the stage of filing of documents by the workman, rejoinder by parties and framing of issues. But inspite of notice none appeared on behalf of both the parties on 20th October, 1989 and 27th November, 1989.

3. From the pleadings of the parties it appears that the workman, Shri H.Khan, Assistant, Career Agents' Branch, Indore was issued a charge-sheet dated 31st January, 1983 (charges reproduced in the statement of claim) on certain allegation of misconduct. Therefore a domestic enquiry was held, the Divisonal Manager of the management concurred with the enquiry report; show cause notice was issued to the workman as to why penalty of reduction of his basic salary to the minimum of the time-scale should not be imposed upon him; the workman submitted a reply that the charges were not proved and findings of the Board of Enquiry were perverse. The Divisional Manager vide order dated 5th January, 1984 imposed upon Shri Khan the proposed punishment in terms of the Regulations 31(1)(d) of the LIC of India (Staff) Regulations, 1960. The workman thereafter preferred an appeal to the Zonal Manager, Central Zone of the Corporation which was rejected vide order dated 18th January, 1985. Thereafter the workman submitted a memorial to the Chairman of the Corporation who vide his order dated 6th July, 1985 modified the order of penalty into one of reduction in basic pay by 3 steps in the time scale of his pay.

4. The case of the workman in brief is that the penalty imposed on him finally by the Chairman is improper and unjustified as according to him during the departmental enquiry charges were not proved and findings of the Board of Enquiry are perverse. Therefore he has prayed that the L.I.C. be directed to pay him the whole amount of salary including D.A. etc.

5. On the other hand, management has contended that they have taken a lenient view in the matter of awarding punishment and thereby modified the penalty of reduction in basic pay by three stages with effect from 5th January, 1984. Management denied all the allegations made by the workman regarding conducting of enquiry, findings of the Enquiry Officer and the final order passed by the Chairman of the Corporation. Management has passed just and proper order and as such the workman is not entitled to any relief.

3. As already stated above that the parties inspite of notice did not appear after filing their respective statement of claim. Management has also not taken care to appear and prove the documents already filed before this Court. Therefore in the absence of the parties I have no alternative but to pass a no dispute award as the parties failed to appear to prosecute the case.

In the circumstances I make no order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

1-3-1990.

[No. L-17012/20/87-IR-B.I.]

का.आ. 1610:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनाटिड इंडिया इन्श्योरेन्स कं. लि., के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the United India Insurance Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government.

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर।

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, आर.एच.जे.एस.

केस नं. सी. आई. टी. 93/87

मध्य

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी 319, दरगाह की पीछे चार दरवाजा के बाहर, गोपालजी का मंदिर जयपुर।

बनाम

क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं. लि., एम. आई. रोड, जयपुर।

रैफरेंस अंतर्गत धारा 10 (1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

उपस्थिति

प्रार्थी श्रमिक की ओर से : श्री जी. के. अग्रवाल

अप्रार्थी सियोजक की ओर से: कोई उपस्थित नहीं

दिनांक अवार्ड : 12-2-90

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डैस्क अधिकारी ने उनके आदेश सं. एल. 17012/24/87–डी–4 (ए) दिनांक 25-11-97 के द्वारा निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 (1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण को भेजा है :

"क्या यूनाईटेड इंडिया इन्श्यौरेंस कम्पनी लि., जयपुर के प्रबंध तंत्र की अधीनस्थ कर्मचारी श्री राजिन्द्र कुमार शर्मा की 1-5-1985 से सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो, कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

2. उपरोक्त निर्देशन के प्राप्त होने के पश्चात इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया और उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी श्रमिक की ओर से दिनांक 3-5-88 को स्टेटमेंट आफ क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया। यह कि प्रार्थी श्रमिक राजेन्द्र कुमार शर्मा, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी श्रमिक लिखा जायेगा कि नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में विपक्षी संस्थान में दिनांक 15-6-84 को की गई थी। उसके पश्चात प्रार्थी की सेवा सराहनीय होने से उसे 275 रु. मासिक वेतन दिये जाने लगा। उसे अचानक दिनांक 1-5-85 को सेवा से मुक्त कर दिया और सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक विपक्षी संस्थान में काम कर लिया था। सेवा समाप्ति से पूर्व विपक्षी संस्थान द्वारा एक माह का नोटिस देना या नोटिस अवधि के बदले एक माह का वेतन देना एवं छंटनी का मुआवजा दिया जाना आवश्यक था मगर ऐसा न कर धारा 25 (एफ) अधिनियम का उल्लंघन किया गया। आगे यह भी व्यक्त किया कि विपक्षी संस्थान में 100 से अधिक व्यक्ति कार्यरत थे, ऐसी सूरत में विपक्षी संस्थान के लिए यह आवश्यक था कि उसे सेवा समाप्ति से पूर्व तीन माह का नोटिस दिया जाना चाहिए था और ऐसा न कर उसकी सेवा समाप्ति धारा 25 (एन) के उल्लंघ में की गई है।

3. प्रार्थी की ओर से उसके स्टेटमेंट आफ क्लेम में यह भी अभिवचन रखा गया कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति से पूर्व विपक्षी संस्थान द्वारा कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई एवं प्रार्थी की सेवा समाप्त के समय प्रार्थी श्रमिक से जूनियर कई व्यक्ति कार्यरत रहे, जिनमें श्री राजेन्द्र शर्मा, जगदीश बैरवा व बाबूलाल के नाम व्यक्त किये। श्री जगदीश बैरवा को जो प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के बाद विपक्षी संस्थान में स्थाई भी कर दिया गया इस कारण से उसकी सेवा समाप्ति धारा 25 (जी) के उल्लंघन में की गई है। आगे यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के बाद अप्रार्थी संस्थान में कई अन्य व्यक्तियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नई नियुक्ति दी परन्तु उनको नई नियुक्ति देने से पूर्व प्रार्थी को पुनः सेवा में लेने की बाबत निर्देश या सूचना नहीं भेजी गई जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एच) का उल्लंघन था, जिनको नियुक्ति दी गई उनमें श्री मोहन लाल सैन, मूलचंद मीणा, राजेन्द्र कुमार आदि होना बताया है। आगे यह बताया कि प्रार्थी ने जिस पद पर कार्य किया वह स्थाई पद था अतः प्रार्थना की कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध घोषित की जावे व प्रार्थी श्रमिक को पिछले समस्त वेतन व सेवा लाभ दिलायें जाकर विपक्षी संस्थान में सेवा मुक्ति से बहाल किया जावें।

4. विपक्षी संस्थान के योग्य अधिवक्ता को स्टेटमेंट आफ क्लेम का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तीन अवसर आगामी तारीख पेशी पर दिये गये। चौथी तारीख पेशी पर भी उत्तर क्लेम न होने पर 25 रु. हर्जे पर एक अवसर और दिया गया। दिनांक 28-9-88 को विपक्षी कम्पनी को जवाब देही का अवसर बंद किया गया तत्पश्चात 1-11-88 को विपक्षी कम्पनी के योग्य अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त करने आदेश दिनांक 28-9-88 पेश किया, जिस प्रार्थना पत्र को 30 रु. हर्जे पर स्वीकार किया गया और विपक्षी के योग्य अधिवक्ता ने उत्तर क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया। यह गलत होना कहा कि विपक्षी कम्पनी ने प्रार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिनांक 15-6-84 को 275 रु. माहवार वेतन पर नियुक्ति दी हो, सत्य तथ्य यह बताया कि प्रार्थी को 9 रु. प्रतिदिन दैनिक वेतन मजदूरी पर रखा गया था और उसके द्वारा 61 दिन कार्य करना व्यक्त किया और यह भी व्यक्त किया कि दैनिक श्रमिक के संबंध में कोई रिकार्ड रखना आवश्यक नहीं

है। आगे विपक्षी ने यह व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक ने उनके यहां केवल दिनांक 15-9-84 तक ही कार्य किया चूंकि प्रार्थी श्रमिक ने अप्रार्थी कम्पनी में केवल 61 दिन ही कार्य किया इसलिए धारा 25 (एफ) अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और श्रमिक की सेवा समाप्ति के लिए कोई नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। आगे यह भी व्यक्त किया कि जब प्रार्थी श्रमिक ने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य नहीं किया तो अधिनियम की धारा 25एफ, 25 (एन) एवं 25 (जी) का उल्लंघन नहीं किया गया है। आगे यह भी व्यक्त किया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कोई वरियता सूची बनाया जाना आवश्यक नहीं है और न ही ऐसा किया जाना न्यायसंगत है। आगे यह व्यक्त किया कि जिस कार्य पर प्रार्थी लगाया गया था वह केवल मात्र गर्मियों के समय में पानी की आवश्यकता अधिक होने के कारण एवं स्थाई कर्मचारियों के अवकाश पर चले जाने के कारण आवश्यकता उत्पन्न हुई, इस कारण से लगाया था। अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थी का स्टेटमेंट आफ क्लेम मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

5. दोनों पक्षकारान के स्टेटमेंट आफ क्लेम एवं उत्तर क्लेम प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जे.के. अग्रवाल ने विपक्षी संस्थान से प्रलेख मांगने की प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश की कि प्रार्थी श्रमिक ने विपक्षी के यहां 319 दिवस कार्य किया है और उसको विपक्षी संस्थान ने नकारा है इसलिए दिनांक 15-6-84 से दिनांक 30-4-85 तक का ए.सी.एस. रजिस्टर नं. 9, 10 एवं 11 व डिवीजनल ओफिस की पियोन बुक दिनांक 15-6-84 से 30-4-85 तक का तथा बोनस भुगतान रजिस्टर 1986-87 पेश किए जाने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के लिए एवं तलबिदा दस्तावेज पेश करने के लिए विपक्षी संस्थान के वकील ने कई अवसर लिए। दिनांक 2-5-89 को विपक्षी कम्पनी के वकील अनुपस्थित हो गए। इस कारण से प्रार्थी श्रमिक की एक पक्षीय शाहदत लिए जाने का आदेश दिया गया तत्पश्चात विपक्षी कम्पनी के वकील श्री अतुल कुमार लुहाडिया उपस्थित आए और उन्होंने एक पक्षीय आदेश निरस्त कराने की प्रार्थना की, तत्पश्चात दिनांक 5-7-89, 2-5-89 का एक पक्षीय आदेश 40रु. हर्जे पर निरस्त किया गया। फिर भी श्री लुहाडिया ने न तो प्रार्थी श्रमिक के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया और न दस्तावेज ही पेश किये। न ही अधिवक्ता विपक्षी कम्पनी उपस्थित आये। इस कारण से प्रार्थी की एक पक्षीय साक्ष्य तलब की गई। प्रार्थी श्रमिक ने दिनांक 19-9-89 को अपना एक पक्षीय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया। मैंने एक पक्षीय बहस सुनी है और पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है।

6. इस न्यायाधिकरण के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि शाखा यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. के प्रबंधतंत्र का श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा सब स्टाफ को दिनांक 1-5-85 से सेवा मुक्त करना उचित था और यदि नहीं तो प्रार्थी श्रमिक क्या अनुतोष पाने का अधिकारी है?

7. उपरोक्त प्रश्न को निर्णित करने के लिए केवल राजेन्द्र कुमार शर्मा का ही शपथ पत्र काबिल गौर है। श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने उसके शपथपत्र में यह व्यक्त किया कि उसकी विपक्षी संस्थान में प्रथम नियुक्ति 15-6-84 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई थी परन्तु उसकी सेवाये सराहनीय होने के कारण उसकी नियुक्ति 275 रु. मासिक पर कर दी गई थी। आगे व्यक्त किया कि अचानक उसे दिनांक 1-5-85 को उसकी सेवा अप्रार्थी सं. 2 ब्रांच मैनेजर यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि., जांगिड भवन, एम. आई. रोड, जयपुर द्वारा समाप्त कर दी गई। उसने दिनांक 15-6-84 से लेकर दिनांक 1-5-85 तक लगातार कार्य किया इस अवधि में उसने 240 दिन से अधिक कार्य किया। आगे व्यक्त किया कि सेवा समाप्ति से पूर्व उसे न तो नोटिस दिया न ही नोटिस का वेतन अथवा उसे छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया। इस प्रकार उसकी सेवा धारा 25एफ अधिनियम के उल्लंघन में समाप्त की गई। आगे यह भी व्यक्त किया कि विपक्षी संस्थान में 100 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं और विपक्षी संस्थान के लिए आवश्यक था कि सेवा समाप्ति से पूर्व उसे तीन माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। आगे यह भी व्यक्त किया कि उसकी सेवा समाप्त करने से पूर्व विपक्षी सस्थान द्वारा कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई और उस कनिष्ठ व्यक्तियों को विपक्षी संस्थान में कार्यरत रखा गया, जिनमें प्रार्थी श्रमिक राजेन्द्र शर्मा, जगदीश बैरवा व बाबूलाल के नाम बताए। आगे यह भी व्यक्त किया कि उसकी सेवा समाप्ति के बाद अप्रार्थी संस्थान ने कई अन्य व्यक्तियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जबकि उसे पुनः सेवा में लेने की बाबत न कोई सूचना दी न निर्देश दिए इस प्रकार धारा 25 (एफ) का उल्लंघन किया। प्रार्थी श्रमिक के शपथ पूर्वक बयान से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक ने 15-6-84 से लगातार 1-5-85 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य किया। उसे दिनांक 1-5-85 से कार्य पर नहीं लिया और कार्य पर न लेने के दिन से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में उसने 240 दिन से अधिक कार्य कर लिया था यह तथ्य भी उसके एक पक्षीय बयान से प्रमाणित होता है कि सेवा समाप्ति से पूर्व न तो उसको एक माह का नोटिस दिया न ही नोटिस के बदले एक माह का वेतन दिया और न ही उसे छंटनी का मुआवजा ही दिया गया। जब कोई श्रमिक एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था तो उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व एक माह का नोटिस न देना व नोटिस के बदले एक माह का वेतन न देना व छंटनी का मुआवजा न देने से प्रार्थी श्रमिक की छंटनी करना अवैध प्रमाणित होती है और उपरोक्त कारण से यह छंटनी धारा 25(एफ) के उल्लंघन में किया जाया पाई जाती है। प्रार्थी के बयान से यह भी तथ्य प्रमाणित होता है कि विपक्षी संस्थान में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत थे ऐसी

सूरत में यह ग्रावश्यक था कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति करने से पूर्व उसे तीन माह का नोटिस दिया जाना ग्रनिवार्य था, जो नहीं दिया गया। ऐसी सूरत में उसकी सेवा समाप्ति धारा 25 (एन) के उल्लंघन में पाई जाती है। प्रार्थी के शपथ पूर्वक बयान से यह भी प्रमाणित होता है कि उसकी सेवा समाप्ति के समय उससे कनिष्ठ व्यक्ति राजेन्द्र शर्मा, जगदीश बैरवा व बाबूलाल को सेवा में रख लिया गया, जब कनिष्ठ व्यक्तियों को सेवा मे रखा गया और वरिष्ठ को सेवा से हटा दिया जाता है तो उस सूरत में धारा 25 (जी) अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है। प्रार्थी के बयान से यह भी प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक हटाये जाने के पश्चात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदो पर नई नियुक्तियां की गई परन्तु उसे बुलाने के लिए न तो कोई सूचना भेजी गई न निर्देश दिये गये और इन पद पर भर्ती करने के बारे में मोहन लाल, मूलचंद व राजेन्द्र कुमार ग्रादि को लिया जाना प्रमाणित कराया। एसी सूरत में ग्रप्रार्थी संस्थान द्वारा धारा 25 (एच) का उल्लंघन किया जाना भी प्रमाणित होता है, इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह बखूबी प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की सेवा समाप्ति धारा 25 (एफ) 25(जी), 25 (एच) एवं 25 (एन) ग्रधिनियम के उल्लंघन में की गई ग्रतः सेवा समाप्ति का ग्रादेश निरस्तनीय है और प्रार्थी श्रमिक की ग्रवैध छंटनी की जाने के कारण वह पुनः सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का ग्रधिकारी है, ग्रतः प्रार्थी के पक्ष में इक तरफा ग्रवार्ड निम्न प्रकार पारित किया जाता है।

ग्रवार्ड

यह कि यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लि., जयपुर के प्रबंधतंत्र द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा की दिनांक 1-5-85 से सेवा समाप्त करना न्यायोचित नहीं था। उसकी सेवा धारा 25 (एफ), 25 (जी), 25 (एच), एवं 25 (एन) ग्रधिनियम के उल्लंघन में समाप्त की गई हैं ग्रत सेवा समाप्ति ग्रादेश निरस्तनीय है ग्रतः प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 1-5-85 स सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल किया जावे और वह दिनांक 1-5-85 से बहाल करने की तिथि तक उपरोक्त दर व वेतन एरियर के रुप में प्राप्त करेगा और उसकी सेवा में निरन्तरता मानी जाएगी और इस ग्रवधि के दौरान यदि कोई ग्रन्य देय लाभ उत्पन्न हुए हैं तो वह भी प्राप्त करने का ग्रधिकारी होगा।

8 उक्त ग्राशय का पंचाट पारित किया जाता है, जिस वास्ते प्रकाशनार्थ अंतर्गत धारा 17 (1) ग्रधिनियम केन्द्रीय सरकार को भेजा जावे।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं एल-17012/24/87-डी-4 ए(ए)]

का.ग्रा. 1611.—ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के ग्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार न्यू इंडिया ग्रस्युरन्स के. लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, ग्रनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में लेबर कोर्ट भटिंडा, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुग्रा था।

S.O. 1611.—In pursuance of section 17 of the Industrial disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Labour Court, Bhatinda as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the New India Assurance Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE SH. R. L. ANAND PRESIDING OFFICER LABOUR COURT BATHINDA

Reference No. : 165/87

Date of Institution : 10-11-87

Date of Decision : 22-2-90

Workman K. L. Garg Inspector H. No. : 3588, Street, No. 4, Naya Abadi Abohar.

Versus

New India Assurance Company Ltd. : Chandigarh.

APPEARANCES :

K. L. Garg workman in person.

Sh. Ved Parkash & H. S. Bhalla for the respondent.

AWARD

The dispute under reference by the Govt. of India in exercise of its powers under clause (a) of sub-section (i) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial disputes Act, 1947 (to be referred hereinafter as the Act) between the workman K. L. Garg and New India Assurance Co. Ltd. whether the action of the management of New India Assurance Co. Ltd. in dismissing the workman w.e.f. 16-8-84 is legal and justified. If not, what relief, the workman concerned is entitled to and from what date.

2. The workman, Development Officer/Inspector Grade-I of the respondent company has challenged the action of the management in dismissing him w.e.f. 16-8-84 on the ground that the impugned order was wrong, illegal, without jurisdiction and was passed in contravention of the Industrial disputes Act, General Insurance C.D.A. Rules, 1975 and the principles of natural justice as no proper enquiry was held before passing the impugned order. Regional Manager being subordinate to the appointing authority was not competent to pass the order of dismissal. After passing of the order of his dismissal from service he has not been gainfully employed, as such, he is entitled to be reinstated with continuity of service and full back wages.

3. The respondent company has resisted the claim of the workman and has inter-alia pleaded that the workman had sought his remedy before the High Court for the states of Punjab & Haryana by filing a Civil Writ which has been dismissed and as such, the proceedings before the Labour Court are barred by the principles of res-iudicata. Reference has not been made by the competent authority. On merits, it has been pleaded that the workman was dismissed from service after holding a fair and proper domestic enquiry by the regional manager who was competent to dismiss him from service.

4. The pleadings of the parties envisaged the following issues.

1. Whether the reference is in competent in view of the preliminary objection raised in the written statement ?

2. Whether the service of the workman was terminated in a result of a fair and proper domestic enquiry ?

3. Whether the order of termination of the service was passed by a competent authorities ?

4. Whether the termination of service of the workman was justified & in order on the ground of misconduct ?

5. Whether the workman has been gainfully employed after the termination of service ?

ISSUE NO. 1

5. The respondent company has alleged and averred that the reference has not been signed by a competent authority and as such, the same is incompetent. I have considered this contention. The Desk Officer who has been authorised to sign the references vide gazette of India notification dt. 14-5-76 has signed the present reference. That being so, the reference has been made by a competent authority. Accordingly, this issue is decided against the respondent comp-

ISSUE No. 2

6. Notice of accusation was served on the workman who submitted his reply which was found unsatisfactory. Sh. R. K. Grover was appointed the enquiry officer who conducted the enquiry and submitted his report, on the basis of which showcause notice was served to the workman who submitted his reply. Thereafter the impugned order was made.

7. The workman has challenged the enquiry on the ground that he was not afforded an opportunity to inspect the documents and to get the assistance of his co-worker in the enquiry proceedings. The enquiry officer had not allowed him to cross-examine the witnesses of the respondent company and his request to raise the subsistance allowance from 50 per cent to 75 per cent as the enquiry proceedings has not been concluded within three months from the date of his suspension viz. 10-6-83 was declined by the Enquiry Officer.

8. The first ground of attack of the workman for not allowing him to inspect the record is not born out from the facts of the record. A perusal of the enquiry file reveals that the workman was allowed to inspect the documents by the enquiry officer on 17-1-1984 and the workman signed the enquiry proceedings after having received photostat copies of the documents. The workman made an application Ex-W|1 to the enquiry officer, who gave the reply vide Ex-W|5 intimating the workman that full opportunity would be given to him for examining the relevant record. In such a situation, it cannot be said that the workman was not given adequate opportunity to inspect the documents.

9 The second ground of challenge of the workman to the enquiry proceedings that he was not allowed to take the assistance of co-worker as required under rule 25(6) of the Conduct Discipline Rules has no basis. The workman was informed vide Ex-W|5 that he could take the assistance of a co-worker. Sh. S. L. Gupta Inspector, United India Insurance Co. Ltd appeared on behalf of the workman to defend him as is evident from enquiry proceedings dt. 17-1-84 signed by the workman and his co-worker Sh. S. L. Gupta.

10. The other ground on which the workman has challenged the enquiry proceedings is that he was not given an opportunity to cross-examine the witnesses examined by the respondent company with a view to substantiate the allegations set out against him in the chargesheet. A perusal of enquiry proceedings reveals that the workman took active part in the enquiry proceedings and had cross-examined all the witnesses of the respondent company at length. There is thus no force in the contention of the workman in challenging the enquiry proceedings, on the ground that he was not allowed an opportunity to cross-examine the witnesses examined by the respondent company before the enquiry officer.

11. The last contention of the workman in challenge to the enquiry proceedings is that he had moved an application before the enquiry officer to raise his subsistance allowance from 50 per cent to 75 per cent which was not allowed and as such, he could not defend himself properly due to lack of means of his livelihood. The workman has not been able to show that the Enquiry officer was competent to increase the subsistance allowance from 50 per cent to 75 per cent. He could make an application for the enhancement of subsistance allowance to the competent authority which has not been done by him. Infact, the enquiry officer has provided adequate opportunity to the workman to defend himself.

12. In view of the above dicussions, I hold that a fair and proper enquiry was held in the matter. This issue is decided accordingly against the workman.

ISSUE NO. 3

13. The workman was employed by Sh. M. R. Rayakar, Manager (The South India Insurance Co. Ltd. Bombay) vide Ex-M|2. The said company merged in the New India Assurance Co. Ltd. Head Office Bombay in 1972. The workman was categorised as Inspector Grade-II by the categorisation committee vide Ex-W|2. The impugned order was made by Sh. S. S. Tulsi, Regional Manager, The New India Assurance Co. Ltd. Chandigarh. The question which arises for determination in this case is as to whether Sh. S. S. Tulsi is junior in rank to the appointing authority of the workman. Appointing authority of Inspector is the Regional Manager as is evident from the circular dt. 21-12-1981. The workman has not been able to refer to any rule to show that the Regional Manager of the respondent company is in any way junior to the officer of East while South India Assurance Co. Ltd. Government Gazette, copy whereof is Ex-W|3 does not contains the provisions of appointing authority of the Inspectors, it only pertains to categorisation of the Development Staff. Since the Regional Manager of the respondent company is competent to appoint the Inspectors, he has to be treated to be the punishing authority of the Inspectors. In this view of the matter, there is no force in the contention of the workman in challenging the order of his dismissal from service on the ground that the impugned order was not made by the competent authority. This issue is decided accordingly against the workman.

ISSUE NO. 4

14. The gravamen of the charge against the workman are :—

(i) that he got his client un-numbered marine declaration forms and he used to sign the said forms though he had not been authorised by the company to do so.

(ii) the workman used personal cheques for depositing Insurance premium with the company on behalf of the clients contrary to the rules and regulations of the company.

(iii) he got loan for purchase of two wheeler and had kept two wheeler for which he was receiving Rs. 250 per mensem as conveyance allowance. He sold the said vehicle but continued receiving the conveyance allowance at the rate of Rs. 250 where he was entitled to Rs. 200 per mensem after sale of the vehicle.

(iv) he collected damaged parts of the Eicher Tractor under claim No. 5414|04|80|0349 on 10-3-1981. He had neither deposited the salvage parts with Abohar Branch nor remitted the sale proceeds to Ludhiana Divisional Office.

(v) Guilty of commission of act subversive of discipline & good behaviour.

(vi) Indulged in wilful insubordination and dis-obedience.

(vii) absented himself on various occasions from his place of work without obtaining prior permission from his supervisory officer.

(viii) and tampering with the old record regarding the area of premises belonging to his father-in-law which was on rent with the company at Abohar.

15. After holding regular enquiry, the enquiry officer submitted his report that charge No. 1 was partially proved whereas, charges No. 5, 6 & 8 were not proved but charges No. 2, 3, 4 & 7 were proved. The workman had infact admitted the allegations mentioned at Sr. No. 2 regarding the using of his personal cheques for depositing insurance premium with respondent company on behalf of the clients in contravention of rules and regulations of the company. On the basis of the enquiry report, show cause notice was issued to the workman who submitted the reply and thereafter, the impugned order was made.

16. Taking into the consideration the gravity of the charges proved against the workman, he was dismissed from service and the said punishment cannot be said to be harsh and oppressive in view of the attending facts and circumstances.

17. Sh. Ved Parkash Kochher, authorised representative of the respondent management, has contended that the workman had filed a civil writ in the High Court challenging the impugned order on similar grounds which has since been dismissed by the High Court vide order copy whereof is Ex-M|5 and as such, the proceedings before this court are bared by principles of res-judicata. I have considered this contention and find force in it. The workman had already availed of his remedy by filing Civil Writ No. 1196 of 1985 which was dismissed by Divisional Bench of Punjab & Haryana High Court on March 8, 1985 and as such, the proceedings before this court are bared by the principles of res-judicata and are therefore not maintainable. This view finds support from the division of Madhya Pradesh High Court in case Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Federation Ltd., Bhopal v/s. Labour Commissioner, Madhya Pradesh Indore & others, LLN 1987 (i) 279 wherein an employee of coop. society challenged the order of his termination by filing a civil writ which was dismissed summarily without notice to the other party thereafter the employee resorted to remedy under Madhya Pradesh Coop. Society Act and also under Industrial Disputes Act seeking reference of dispute which was referred under the Industrial disputes Act, it was held that proceedings before Labour Court were bared by principles of constructive res-judicata and were therefore not maintainable.

18. In view of the above discussions, I hold that the proceedings before this court are bared by the principles of res-judicata and the order whereby the workman was dismissed from service is valid and legal. This issue is accordingly decided against the workman.

ISSUE NO. 5

19. The workman has deposed on oath that he remained unempployed ever since the date of his dismissal from service which has not been controverted by the respondent company but in view of the observations hereinbefore made to the effect that the impugned order is justified and in order, the workman cannot claim any relief on the ground that he remained unemployed after his dismissal from service. This issue is decided accordingly against the workman.

20. In view of the observations hereinbefore made, I answer the reference in the affirmative holding that the order of dismissal from service of the workman is justified and in order and the workman is not entitled to any relief. No order as to costs.

R. L. ANAND, Presiding Officer.
[No. L-17012|26|87-D.IV(A)]

का.आ. 1612.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एल आई सी आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. I, बंबई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1612.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. I, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the LIC and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. I AT BOMBAY

(Presiding Officer : Justice S. N. Khatri)

Reference No. CGIT-43 of 1988

PARTIES :

Employers in relation to the Management of L.I.C. of India, Bombay.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management.—Shri A. W. Dharwadker, Advocate.
For the Workmen:—Shri A. S. Deo, Secretary of the Insurance Employees' Association.

INDUSTRY : Insurance STATE : Maharashtra

Bombay, the 10th day of April, 1990

AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the action of the management of the Zonal Manager, LIC of India, Western Zonal Office, Bombay in filling the ratio between vacancies and the eligible employees in the Record Clerks Cadre at 1 : 2 and thus declaring 12 vacancies of Assistants is in conformity with the promotions regulatitons 1976? If not, what relief the remaining eligible employees are entitled to?"

2. The facts which gave rise to the above industrial dispute between the Zonal Manager, Western Zone of the Life Insurance Corporation of India (for short 'the Corporation') and their Workmen represented by the General Secretary, Insurance Employees' Association, Bombay, are not in dispute. In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (bb) of Section 49(2) of the Life Insurance Corporation Act, (for short 'the Act'), the Corporation has with the previous approval of the Central Government issued Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960 (for short 'the Staff Regulations') and Life Insurance Corporation of India (Promotion) Regulations, 1976 (for short 'the Promotion Regulations'). In the present case, we are concerned with the Promotion Regulations which are available at Ex. W-3. Regulation 4 of the Staff Regulations and Regulation 12 of the Promotion Regulations empower the Chairman of the Corporation to issue instructions and clarifications from time to time in order to give effect to and implement the provisions of the Regulations. In exercise of this power, the Chairman has issued instructions on August 23, 1976, for effective implementation of the Promotion Regulations. A copy of these instructions (hereafter for short the Chairman's instructions) is at Ex. M-4.

3. As will be seen from regulation 5 of the Staff Regulations, the Staff of the Corporation is divided into four classes, irect recruitment and promotion are the channels recognised by Regulation 7 for appointment to the different posts. Here we are concerned with the question of the promotion of the Record Clerks as Assistants; both these posts belong to Class III. The conditions of eligibility for this category of promotions are laid down in item No. 16 of the schedule annexed to the Promotion Regulations. According to the Workmen, in 1985-86 the number of Record Clerks from the Bombay Division, fulfilling the conditions for eligibility for promotion as Assistants was 24. According to the Corporation, it was 23. This difference of one is not of any consequence. As it is, the Zonal Manager who is admittedly the Competent Authority to fix the number of vacancies for promotion has fixed it at 50% of the eligible candidates. Naturally whether the correct number of eligible candidates is 23 or 24, half of it will come to 12.

4. According to the Workmen, the Zonal Manager's action in fixing the number of vacancies to be filled in by promotion at 50% of the eligible candidates is not in conformity with the provisions of the Promotion Regulations. According to them, the actual number of vacancies available for such promotions far exceeded the number of eligible candidates,

and as such all the 24 candidates should have been automatically granted promotion.

5. The Management has raised a preliminary objection to the jurisdiction of this Tribunal to entertain the industrial dispute. For this they rely on Section 48(2-C) of the Act. On merits, they justify their action on the ground that it squarely falls within the letter and spirit of the relevant provisions, of the Promotion Regulations and the Chairman's Instructions (Ex. W-3 and Ex. W-4). In this connection, they point out that Assistants cadre has a crucial position in the Management hierarchy. The appointments to this cadre are by direct recruitment as well as by promotion from the cadre of Record Clerks. Assistants are entitled to rise by promotion right upto the top Class 1 posts. The Management submits that as such bulk of the appointments to the posts of Assistants are made by direct recruitment and the standards of recruitment for them are very stiff. The competition for direct recruitment is very tough. The number of aspirants is so big that the Corporation has to undertake an initial screening by which candidates numbering only 10 times the vacancies are selected for the written test. Then half of this number at the top (that is 5 for 1 vacancy) are called for interview. The stuff that is finally selected as Assistants by direct recruitment is really good. As against this, the Management point out, the appointment to the posts of Record Clerks are almost made by promotion from Class IV subordinate staff. Some reasonable degree of quality has to be ensured even for Assistant promoted from Record Clerks. Viewed against the Stiff standards prescribed for the direct remits, the Management submit, the practice whereunder as many as half of the eligible candidates get their promotion, must be held to be more than fair and liberal to them.

6. Both sides have closed their case without leading any oral evidence, obviously because the material facts are not in dispute. The preliminary question of jurisdiction need not detain us for long. Section 48 of the Act empowers the Central Government to make rules in order to carry out the purposes of the Act. Section 49 empowers the Corporation, with previous approval of the Central Government to make regulations not inconsistent with the Act and with the Rules made thereunder, to provide for all matters for which provision is expedient for the purpose of giving effect to the provisions of the Act. Section 49(2) lists the items on which Regulations may be made by the Corporation. Clause (b) relates to the method of recruitment of employees and agents of the Corporation. The old Clause (bb) of Section 49(2) which related to the Terms and Conditions of service of the employees and the agents of the Corporation was deleted by amending Act No. 1/81 w.e.f. 31-1-1981, from Section 49 and added as Clause (cc) to Section 48(2). Thus with the advent of the amending Act, the power to prescribe the Terms and Conditions of service of employees and agents was taken over by the Central Government from the Corporation. Simultaneously, by this amending Act, were added to Section 48, Sub-section 2-A, 2-B and 2-C. Sub-section 2-A provided that regulations made by the Corporation under the old Section 49(2-B) shall be deemed to be rules made by the Central Government under Section 48(2)(cc). Sub-section 2-B further amplifies that the power to make rules conferred by Clause (cc) of Section 48(2) would include the power to give retrospective effect to the rules and also the power to amend, vary or repeal the regulations with retrospective effect, from a date not earlier than 20-6-1979. Now comes Sub-section 2-C of Section 48 on which the Management rely to oust the jurisdiction of this Tribunal. It runs as follows :

> "The provisions of clause (cc) of sub-section (2) and sub-section (2-B) and any rules made under the said clause (cc) shall have effect, and any such rule made with retrospective effect from any date shall also be deemed to have had effect from this date, notwithstanding any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority and notwithstanding anything contained in the Industrial disputes Act, 1947 (14 of 1947) or any other law or any agreement, settlement, award or other instrument for the time being in force."

7. The Workmen do not concede that the above extracted provisions of Sub-section 2-C apply to the Promotion Regulation of 1976 with which we are concerned. There is prima facie substance in this contention. If the operation of Sub-section 2-C were intended to embrace the old Regulations made by the Corporation also, the terminology would have been different. Some words to the effect "rules deemed to have been made under clause (cc)" would have been found in addition to the words "rules made under clause (cc)". Be that as it may, even assuming without granting that Sub-section 2-C does apply, I am unable to see how it comes in the way of this Tribunal to decide the present industrial dispute referred to it. The Workmen are not challenging the validity or the fairness of the Promotion Regulation or the Chairman's instructions. Their grievance in from and substance is that the action of the Management is not in conformity with these two sets of provisions. Here the question whether the provisions of Section 48(2) (cc), or any rules made thereunder or Section 48(2-B) should not be given effect to does not even remotely arise for consideration. The validity of the Promotion Regulations or the Chairman's instructions is not at all under challenge. Without dilating further, I hold that there is no bar to the jurisdiction of the Tribunal to decide the Industrial Dispute on its merits, strictly within the limited scope in which it is framed by the Central Government.

8. This takes me to the merits of the dispute. We have to be clear that the grievance of the Workmen is not that all eligible Record Clerks have not been considered for promotion; they do not challenge the correctness or the validity of the list of 23 eligible candidates prepared by the Management. The pith of their challenge is that the Management went wrong in announcing the vacancies for promotion as a particular percentage of the number of eligible candidates (namely 50 per cent), this action being not in conformity with the relevant provisions of the Promotion Regulations and Chairman's instructions (Ex. W-3 and Ex. W-4). They insist that all the eligible candidates should stand promoted as Assistants inasmuch as the number of vacancies actually available is much more.

9. Naturally we will have to consider the operational scope and effect of the relevant provisions of the Regulations and the Chairman's instructions. Regulations 5(1) makes the usual declaration that promotions shall be effected only against vacancies in sanctioned posts. Regulation to states that the conditions of eligibility for promotion will be as laid down in the schedule annexed to the Regulations. Item 16 of the schedule deals with the promotion of Record Clerks as Assistants, with which we are concerned in the present case. Regulation 7 provides that the promoting authority shall select for promotion from amongst eligible employees on the basis of four criteria: that is to say (a) Seniority (b) Qualifications (c) Confidential Reports (Work record) and (d) Interview and that the maximum weightage for these criteria will be 15 marks each for seniority and qualifications, 40 for confidential report and 30 for interview. Regulation 8 deals with the modalities of actual selection. It will be of advantage to extract the entire text of this regulation :

"Selection of candidates for promotion :

(1) There shall be prepared a panel of all eligible employees in the order of total marks gained on account of (a) seniority, (b) qualifications and (c) confidential report (work record). Out of this panel, candidates in the order of merit equal to not more than five times the number of vacancies may be called for interview by the promotion committee.

(2) The promotion committee shall after interviewing the candidates, prepare a ranking list on the basis of their merit suitability and seniority, which shall be determined on the basis of the total marks gained by candidates for seniority, qualifications, confidential report and interview.

Provided that if any eligible candidate is not found suitable on the basis of his performance at the interview for being promoted to the cadre of Assistant Administrative Officer, such candidate shall

not be entitled to be ranked on the basis of the total marks gained by him.

(3) If the promoting authority is unable to accept the recommendation of the promotion committee in any particular case, it shall record in writing the reasons for disagreeing with the recommendation of the committee and pass such orders as it may deem fit. The ranking list as finally approved shall remain in force for a period of one year from the date it was so approved. Chairman may, however, in exceptional circumstances, for reasons to be recorded in writing, extend the period of validity of the ranking list by a further period not exceeding one year.

(4) Actual selection and appointment against sanctioned vacancies shall be made by the promoting authority from the ranking list in the order of merit :

Provided that an employee shall not be promoted if at any time during the preceding one year a penalty has been imposed on him under regulation 39 of the (Staff) Regulations.

Provided further that Personal Assistant in the cadre of Assistant Administrative Officers may be selected from among those included in the list."

10. Coming to the Chairman's instructions (Ex. W-4), para 2 clarifies that the promotion will relate to the sanctioned vacancies, that sanctioned vacancies can be filled in either by recruitment or promotion and that the vacancies to be filled in by promotion will be announced by promoting authority at the beginning of the selection process. Para 10 contains detailed instructions on allotment of marks for seniority, qualifications, work record and interview. One Significant aspect we may take note of here. Para 10 (iv) stipulates that the promotion committee shall give marks for interview on the basis of merit and suitablity as judged on the basis of performance of the candidate at the interview and that candidates who are considered unsuitable for promotion should not be given any marks for interview (emphasis mine).

11. Having taken a survey of the relevant provisions of the Regulations and instructions, it remains to be determined which of the aforesaid provisions, if any, have been contravened by the promoting authority in fixing the number of promotion vacancies at half of the number of eligible candidates. Para 2 of the Chairman's instructions postulates announcement of the number of promotion vacancies at the beginning of the selection process. The mainstay of the Workmen's submission is that in the case of promotions to other cadres the Management have not evolved any formula for restricting the number of promotion vacancies to a pre-determined percentage of the total number of vacancies available for being filled up by both processes of recruitment and promotion. If that is so, they contend, the promoting authority in the present case had no business to fix any arbitrary formula of 50 per cent. The Workmen had called upon the Management to produce inter alia statement showing the number of vacancies in other cadres and the number of eligible employees considered for promotion in years 1985-86 and 1986-87. This statement is at Ex. M-3. It bears out the Workmen's stand that there was no expedient followed in any other cadre restricting the number of promotion vacancies to a particular percentage of eligible employees. The Manageemnt had also at the request of the Workman filed another statement Ex. M-2 showing the total sanctioned strength of Assistant for the years 1985 and 1986 as 1370 and 1288 respectively. This particular statement I am afraid will not further the cause of the Workmen to any extent, because the aforesaid two figures represent the gross strength of the cadre of the Assistants in the two years, and not the number of vacancies to be filled in by the process of recruitment and promoion,

12. Even the statement Ex. M-3 does not make any perceptible dent against the Management. It cannot be denied that the promoting authority will have to take into consideration relevant and rational factors for determining the number of vacancies to be filled in by promotion. The factors that weighed with the Management in restricting the number of vacancies to half of the number of the eligible candidates, in my humble opinion, are quite justified for the reasons given by the Management in their written statement and summarised by me in paragraph 5 supra. As Regulation 8(1) provides, the promotion committee has the option to call candidates equal to not more than 5 times the number of vacancies. In the present case, however, every alternate eligible candidate is for all practical purposes assured of a chance of getting the promotion. It has been rightly argued on behalf of the Management that post of an Assistant is a rung of crucial importance in the Management heirarchy, inasmuch as he can rise upto Class I top posts. The competition for direct recruitment as Assistant is really fierce. There are far more than 10 aspirants for a single post : for each post, as many as 10 get a chance to appear for the written test, out of them 5 are called for interview and only one is finally selected. A look at Ex. M-4 which gives the qualifications of the 23 eligible Record Clerks, will show that out of them, only 3 are Graduates, one has done Inter-Arts, and one Higher School Certificate Examination. Out of the remaining 18, as many as four have not even passed SSC, and 14 have just managed to pass that Examination. If I may say so, the impugned practice devised by the Management is far more favourable to Record Clerks aspiring in Contast with the direct recruits. Incidentally, I was told by the learned advocate of he Management that this practice, which has a long standing, has not been objected to by the Workmen in any other Divisional Office of the Corporation. I have not given any weight to this submission in reaching my final conclusion, because the central question before me to decide is whether the action of the Management in fixing the ratio as one vacancy for two eligible Record Clerks is in contravention of any of the Regulations or Chairman's instructions. On this aspect I have absolutely no doubt that none of the concerned provisions stand contravened by this action. If at all, it is clearly weighted in four of the Record Clerks.

13. Resultantly, I hold that the action of the Management of the Zonal Manager, LIC of India, Western Zonal Office, Bombay, in filling the ratio between vacancies and the eligible employees in the Record Clerks Cadre at 1, 2 and accordingly declaring 12 vacancies of Assistants is in conformity with the promotion regulations 1976. Consequently, the Workmen are not entitled to any relief. Cost to be borne by the parties as incurred. Award accordingly.

S. N. KHATRI, Presiding Officer.

[No. L-17011/9/87-D. IV (A)]

का.आ. 1613.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1613.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Indian Bank and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 105|87

Employers in relation to the management of Indian Bank.

AND

Their workman-Ram Chander.

For the workman :—Workman in person

For the management :—Shri Harish Gupta

Industry : Banking State-Punjab.

AWARD

Central Govt. vide gazette notification No. L-12012|260|84-D.II(A) dated 3rd December 1987 issued U|S 10(1)(d) of the I. D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for decision on a dispute raised by Ram Chander.

"Whether the action of the management of Indian Bank in relation to its Zonal Office (near Naz Cinema) Jhande Wala Estate, New Delhi in terminating the services of Shri Ram Chander, Sub Staff w.e.f. 4-4-1984 and not considering him for further employment while recruiting fresh hands U|S 25-H of the I. D. Act is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled "

2. During the pendancy of the proceedings the parties have amicably settled the dispute and today the applicant has informed the Tribunal accordingly. To this effect Ram Chander workman had made the statement that he does not want to persue the matter further and a no dispute award may be sent to the Minisry.

3. The statement has been approved by Shri H. C. Gupta representing the Indian Bank. As a result of this since parties have amicably settled the dispute thus a No dispute Award is returned.

Chandigarh.

28-3-1990

ARVIND KUMAR, Presiding Officer
[No. L-12012|260|84-D.II(A)]

का.आ. 1614.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार युनेटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं. लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 1614.—In pursuance of the Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the United India Insurance Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government.

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, आर. एच. जे. एस. केस नं. सी.आई.टी. 25/89

मध्य

राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा, जोन मिश्रन, मुकाम व डाकघर जोन तहसील दौसा, जयपुर ।

एवं

विभागीय प्रबंधक, युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं. लि., डिवीजनल ओफिस, दिगम्बर जैन धर्मशाला, दूसरी मंजिल, एम. आई. रोड, जयपुर ।

2. ब्रांच मैनेजर, ब्रान्च-1, यूनाइटेड इन्श्योरेंस कं. लि. जॉकिगड भवन, एम.आई. रोड, जयपुर ।

रैफरेंस अंतर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 ।

उपस्थिति

श्रमिक प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी नियोजक की ओर से : कोई उपस्थिति नहीं ।

दिनांक इकतरफा अवार्ड : 12-2-90

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनके आदेश क्रमांक एल-17012/21/88-डी-4(ए)/डी-1 (बी) दिनांक 31-1-89 के जरिये निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा, वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण को भेजा है :

"Whether the action of the management of United India Insurance Co, Ltd., Jaipur, is justified in terminating the services of the workman (Shri Rajendra Kumar Sharma, S|o R. K. Sharma) when he has completed 240 days of service in a calendar year and management also appointed junior workmen in place of Shri R. K. Sharma after termination of service of workman ? If not, to what relief is the workman entitled and from what date ?"

2 बाद प्राप्ति निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया । नोटिस उभय पक्षकारान को जारी किये गये । प्रार्थी राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा, जिसे तत्पश्चात् श्रमिक लिखा जायेगा, ने अपने स्टेटमैंट आफ क्लेम में कहा है कि प्रार्थी श्रमिक यूनाईटेड इन्श्योरेंस कम्पनी लि., जिसे तत्पश्चात् विपक्षी कम्पनी कहा जायेगा, में नियोजित हुआ था और उससे विपक्षी कम्पनी में 27-11-83 से दिनांक 3-8-84 तक 244 दिवस कार्य किया, तत्पश्चात दिनांक 3-8-84 को उसे काम से हटा दिया परन्तु उससे कनिष्ठ व्यक्ति जगदीश बैरवा को काम पर रखा गया । आगे यह भी व्यक्त किया कि विपक्षी कम्पनी के मुख्यालय का यह आदेश भी आया था कि जिन व्यक्तियों ने 240 दिन से अधिक कार्य किया है इन्हें वापिस सेवा में लेकर नियमित कर दिया जाये और इस आदेश की पालना में अन्य ऐसे व्यक्तियों को वापिस सेवा में लिया गया और नियमित भी कर दिया गया परन्तु प्रार्थी को नियमित नहीं किया गया । आगे यह भी अभिवचन रखा कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति धारा 25 एफ, 25(जी) एवं 25(एच) अधिनियम के उल्लंघन में की गई । प्रार्थी जो कार्य कर रहा था वह स्थाई प्रकृति का था और उसे महज एवजी कार्य के लिए नहीं रखा गया था जिससे उसे निरन्तर सेवा में बने रहने का अधिकार था।

3. जैसा विपक्षी कम्पनी की ओर से दिनांक 31-5-89 को श्री अतुल कुमार लुहाडिया उपस्थित आये जिनको स्टेटमेंट आफ क्लेम की प्रति दी गई और उन्हें जबाब पेश करने का अवसर दिया गया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 15-7-89 को श्री अतुल कुमार लुहाडिया प्रारम्भ में हाजिर नहीं हुए परन्तु बाद में उपस्थित आने के पश्चात् उन्हें जबाब देने का अवसर दिया गया। मगर उसके पश्चात् आगामी तारीख पर उन्हें जबाब देने के लिए अवसर दिया गया। तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 8-9-89 को अप्रार्थी कम्पनी की ओर से कोई उपस्थिति न आने के कारण विपक्षी कम्पनी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात् आगामी तीन तारीख पेशियों पर कोई हाजिर नहीं आया और प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिनांक 19-9-89 को एक पक्षीय शहादत में प्रार्थी श्रमिक का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया। उसके पश्चात् विपक्षी के वकील ने एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु 6-11-89 को उपस्थित न आने के कारण प्रार्थनापत्र दिनांक 29-9-89 खारिज की गई। मैंने एक पक्षीय बहस सुनी और पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है।

4. इस न्यायाधिकरण के समक्ष विचारनीय प्रश्न यह है कि क्या प्रबंधतन्त्र यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लि. के द्वारा जो प्रार्थी श्रमिक आर. के. शर्मा की सेवा समाप्त की गई ? क्या वह उचित एवं वैध थी ? इस संबंध में उपरोक्त प्रश्न को निर्णित करने के लिए पत्रावली पर केवल प्रार्थी श्रमिक की एक पक्षीय साक्ष्य है। प्रार्थी श्रमिक ने उसके शपथ पूर्वक बयान में यह व्यक्त किया कि वह विपक्षी के यहां नियोजित श्रमिक था और उसने दिनांक 27-11-83 से 3-8-84 तक कुल 244 दिन कार्य किया और दिनांक 3-8-84 के बाद उसे कार्य से हटा दिया और में उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को काम पर रखा गया, जिसके बारे उसने जगदीश बैरवा का नाम लिया। आगे यह भी कहा कि कि जिन व्यक्तियों ने 240 दिन से अधिक कार्य किया उन्हें वापिस सेवा में लेकर नियमित कर दिया गया है परन्तु उसे नहीं किया गया और अपने शपथपत्र में यह भी व्यक्त किया कि उसको हटा कर विपक्षी ने धारा 25 (एफ), 25 (जी) व 25(एच) अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की। प्रार्थी श्रमिक के बयान से यह बखूबी प्रमाणित होता है कि उसने विपक्षी संस्थान में 27-11-83 से 3-8-84 तक कुल 244 दिन कार्य किया और उसे दिनांक 3-8-84 के बाद हटा दिया गया और उससे कनिष्ठ व्यक्ति जगदीश बैरवा को कार्य पर रखा गया इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति धारा 25 (जी) का अधिनियम के उल्लंघन में किया जाना बखूबी प्रमाणित होता है। प्रार्थी ने शपथ पर यह भी कहा है कि उसकी सेवा धारा 25एफ 25जी एव 25एच अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में समाप्त की है। यद्यपि उसके बयान से यह स्पष्टतः प्रमाणित नहीं है कि किस कारण से धारा 25(एफ) व 25(एच) अधिनियम का उल्लंघन होता है मगर उसके एक तरफा बयान से निश्चित तौर पर यह प्रमाणित होता है कि उसकी सेवा समाप्ति धारा 25 (एफ) व 25(जी) एवं 25(एच) अधिनियम के उल्लंघन में की गई है जो अवैध छंटनी की परिभाषा में आती है और उसको सेवा से हटाये जाने का आदेश अवैध छंटनी की परिभाषा में आता है। अतः प्रार्थी श्रमिक पुनः सेवा में सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है। अतः प्रार्थी श्रमिक के पक्ष में एकतरफा अवार्ड निम्न प्रकार से पारित किया जाता है—

यह कि अप्रार्थी प्रबंधतन्त्र यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस क. लि. जयपुर के द्वारा प्रार्थी श्रमिक आर. के. शर्मा पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा की सेवा समाप्त करना अनुचित एवं अवैध थी। प्रार्थी श्रमिक उसकी सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी है। वह सेवा समाप्ति दिनांक 3-8-84 के बाद सेवा में बहाल किये जाने की तिथि तक वेतन उपरोक्त दर से एरियर के रूप में पायेगा और इस अवधि को जोड़कर उसकी सेवा में निरन्तरता मानी जायेगी। इस बीच की अवधि में यदि कोई अन्य देय लाभ अर्जित हुए होंगे तो वह भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त आशय का पंचाट पारित किया जाता है, जिसे वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार को अंतर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजा जावे।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-17012/21/88-डी-4 (ए)]

का.आ. 1615.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार देना बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1615.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 ((14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government.

परिशिष्ट

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

सी. आई.टी. 13/89

मध्य

महामंत्री, राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन, परवाना भवन, माधोबाग, जोधपुर।

एवम्

क्षेत्रीय प्रबन्धक, देना बैंक, क्लट्रोन चेम्बर दूसरी मंजिल, 18/7-8, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005,

रेफरेन्स:—अन्तर्गत धारा 10(1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947,

उपस्थित :—1. जे. एल. शाह प्रार्थी यूनियन की ओर से उपस्थित।

2. श्री ओम प्रकाश अप्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।

3. दिनांक अवार्ड :—14-12-89.

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनके आदेश संख्या एल-13012/432/88-डी 2(ए) दिनांक 1 जनवरी, 1989 से निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ भेजा :—

"Whether the action of the mangaement of Dena Bank in refusing 1/3rd of scale wages with proportionate annual increments to Shri Bharat Ram with effect from the date of his appointment and also terminating his services w.e.f. 12-4-88 is justified ? If not what relief is the workman entitled ?

बाद प्राप्ति निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी यूनियन की ओर से श्री जे. एल. शाह उपस्थित आये। और महासचिव, राजस्थान एम्पलाईज यूनियन माधोबाग जोधपुर ने स्टेटमेन्ट आफ क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया।

यह कि प्रार्थी श्रमिक भरत राम अंशकालीन सफाई कर्मचारी के रूप में देना बैंक में 1-9-80 से कार्य कर रहा था। उक्त कर्मचारी प्रतिदिन 4 घन्टे से ज्यादा कार्य करता था जिसको 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता था। कर्मचारी बैंक में सफाई कार्य के अतिरिक्त फर्नीचर की सफाई भी करता था एवम् बाहर से कर्मचारियों के लिए चाय भी लाता था। प्रार्थी यूनियन ने समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत किया कि 1-9-86 से वनथर्ड वेतन प्रार्थी श्रमिक भरतराम को दी जावें। तत्पश्चात् अप्रार्थी बैंक प्रार्थी श्रमिक 12-4-88 से नौकरी से हटा दिया। इस प्रकार बैंक ने धारा 33 औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन किया।

स्टेटमेन्ट आफ क्लेम में यह भी प्रार्थना की कि प्रार्थी श्रमिक भरत राम को नौकरी में तुरन्त बहाल किया जावे पिछला वेतन 1/3 के हिसाब से भुगतान किया जावे। आगे यह भी व्यक्त किया कि कर्मचारी भरतराम को दिनांक 12-4-88 को नौकरी से जब हटाया उस समय तक कर्मचारी अप्रार्थी बैंक में 240 दिन से ज्यादा समय तक कार्य कर चुका था इस प्रकार बैंक ने प्रार्थी को सेवा से हटाने में धारा 25 (एफ) अधिनियम का उल्लंघन किया है। क्योंकि नौकरी से निकालने से पहले कर्मचारी को छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया था।

अप्रार्थी बैंक की ओर से दिनांक 8-8-89, को एक प्रार्थना-पत्र भी समझौते की प्रति के प्रस्तुत किया गया। जिस प्रार्थनापत्र में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी भरत उर्फ भरत राम ने जरिये बैंक के आदेश संख्या 4734/89 दिनांक 7-6-89 को प्रार्थी श्रमिक ने 9-6-89 को प्राप्त कर लिया है। वह अप्रार्थी बैंक की जोधपुर शाखा में कार्यरत है और बैंक के उस आदेश की प्रति भी संलग्न की। इस आदेश संख्या कार्मिक 4734/दिनांक 7-6-89 के बारे में यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जेवन्ती लाल शाह से पूछा गया तो श्री शाह ने स्वीकार किया कि उक्त आदेश क्रमांक 4734 दिनांक 7-6-89, के मुताबिक ही श्रमिक ने समझौता किया है – और यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने जाहिर किया कि यह समझौता जो श्रमिक को 9-6-89 को मिला है वह यूनियन को स्वीकार है। इस समझौते के आधार पर यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने अवार्ड पारित करने की प्रार्थना की।

चूंकि यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थी श्रमिक का स्वेच्छा से समझौता कर लेना स्वीकार किया गया है और यह भी स्वीकार कर लिया है। प्रार्थी श्रमिक अप्रार्थी बैंक के नियोजन में पुनः आ चुका है। इसलिए इस रेफरेन्स के सम्बन्ध में समझौते के आधार पर अवार्ड पारित किया जाता है। समझौता अवार्ड का अंग रहेगा।

अवार्ड को प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम वास्ते प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

प्रतापसिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-12012/432/88-डी-2(ए)]

नई दिल्ली, 22 मई, 1990

का.आ. 1616.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूको बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. 1, बंबई के पंचार को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd May, 1990

S.O. 1616.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the UCO Bank and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1, AT BOMBAY

(Presiding Officer : Justice S. N. Khatri)

Reference No. CGIT-34 of 1988

Employers in relation to the Management United Commercial Bank

AND

Their Workmen.

APPEARANCES:

For the Employers—Shri Sudhir Moharir, Advocate.
For the Workmen—Shri R. M. Bandre, Advocate.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra

Bombay, the 25th day of April, 1990

AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under section 10 of Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the management of United Commercial Bank, Nagpur is justified in terminating the services of Shri Nathu Upasrao Wasnik w.e.f. 4th April, 1987 ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. The workmen's case is that he was in the employment of the Ambhajhari Estate Branch, Nagpur, of the United Commercial Bank as Peon. Initially he was taken up in July 1984 and was being paid wages at the rate of Rs. 60 per week. His grievance is that his services were terminated by the Management with effect from 4th April, 1987 without any justification. According to him, he had worked for more than 240 days in the calender year immediately preceeding the date of termination and as the Management have not admittedly complied with the provisions of Section 25-F of the Act, his retrenchment is void ab initio. He claims reinstatement with full back wages.

3. The Management resist the claim by their written statement filed on 23rd June, 1988. They deny that the workman was employed as Peon or that he was being paid Rs. 60 as his weekly wages. According to them, the Workman was being engaged as a casual worker for a few days in a week on a day to day basis. They have tried to bring the case within the exception (bb) to Section 2(oo) of the Act, on the ground that he was being employed on a day-to-day basis and there was no renewal of contract of service after 3rd April, 1987. The defence in substance is that Section 25-F will not come into play at all, because the termination of employment does not amount to retrenchment as defined in Section 2(oo).

4. The first question is whether the Workman was employed as Peon. On this aspect we have the evidence of the Workman himself and of Shri Makhajani for the Management, who was working in the Branch concerned as Assistant Manager from 1986 to March 1989. The contract of employment is admittedly oral. The workman affirms that the working hours of the Bank were from 12.30 p.m. to 7.30 p.m. and that he used to join his work daily at 12 noon and leave at 8 p.m. According to him, he used to do all the regular work of a Peon, such as carrying ledgers from one counter to the other, bringing tapal from the post office, bringing keys to the Bank premises from the house of the Branch Manager in the morning and opening the Bank premises, and at the close of the day lock them and hand-over the keys to the Branch Manager at his residence. As against this Shri Makhijani states that the workman did not do anything except serving tea and water to the staff. He however states that in the summer season the workman used to fetch water and supply it to the coolers and Khas-tatis. Shri Makhijani joined the Office in 1986, while the workman had been working there right since 1984. Obviously the Officer cannot be expected to have personal knowledge of the things prior to his joining the office. The workman was cross-examined ably at length by the Management. May I say, he stood it well. He has been consistent in his case right from the beginning of the conciliation proceedings that he was employed as a Peon. I do not see any reason to disbelieve him. Accordingly I hold that the workman was doing a Peon's normal work. The facts that his employment was not in writing or in accordance with Rules or that it was not on a regular continuous basis, do not detract from the conclusion that he was doing all the normal work of a Peon.

5. The Management have filed a statement showing the dates on which the Workman has worked from 1st March, 1986 to 14th March, 1987. According to this chart he has worked for 287 days during the aforesaid period. The material period for us would be 4th April, 1986 to 3rd April, 1987. It will be seen that the number of total days on which the Workman has actually worked during the period 4th April, 1986 to 14th March, 1987, works out to 264 days. Admittedly, he continued to work from 15th March, 1987 to 3rd April, 1987. The Management have not furnished information about this period. Even if this deficiency is ignored, the chart satisfactorily establishes that the workman had worked for more than 240 days in the calendar year immediately preceeding 4th April, 1987. Indeed this position is not disputed by the Management also.

6. Now I proceed to examine the merits of the defence whether the facts of the case attract the exception (bb) to Section 2(oo) of the Act. The first handicap is that the contract of employment is not reduced to writing. Shri Moharir who appeared for the Management had filed a copy of judgement in Writ Petition No. 1580/1987 Dilip Hanumantrao Shirke V/s. Zilla Parishad, Yavatmal of the Nagpur Bench of the High Court. I reproduce paragraph 7 of the judgement Verbatim.

"As stated above, the terminations which are included in sub-clause (bb) are those which are brought about either because of non-renewal of the contract or because of expiry of time stipulated in the contract of employment. It needs no further explanation but the probability of the employer exploiting the labour by giving fixed tenure appointments can never be overruled and, therefore, it would be improper and unwise simply to decide the nature of employment on the basis of letter of appointment issued by the employer. The nature of employment will have to be determined with reference to the nature of duties performed by the workmen and type of job the workman was entrusted with. If the workman is engaged to do a particular job which may require him to do actual work for more than 240 days in twelve calendar months, such employment would be covered by the amended sub-clause because the employment comes to an end with the completion of the work. A stipulation in the contract that the employment would be for a specific period or till completion of the work may also fall within the scope and ambit of this sub-clause. But if the employer resorts to contractual employment as a device to simply take it out of the principal clause (oo) irrespective of the fact that the work continues or the nature of duties which the workman was performing are still in existence, such contractual engagements will have to be tested on the anvil of fairness, propriety and bona fides. May be that such fixed tenure employments are made to frustrate the claim of the workman to become regular or get himself confirmed as a permanent employee either under the Rules applicable to such employment or even under the Standing Orders. It is always open to the Court adjudicating the dispute to examine each and every case in its proper perspective and to protect the workman against the abuse of the amended provision. If this protection is not afforded, the benefit flowing from retrenchment, to which every termination succumbs, would be rendered nugatory. The amended sub-clause (bb) would apply only to such cases where the work ceases with the employment or the post itself ceases to exist or such other analogous cases where the contract of employment is found to be fair, proper and bona fide. To a certain extent, I am also supported in my view by the decision reported in the case of Shailendra Nath Shukla Vs. Vice-Chancellor, Allahabad University and others (1987 Lab. I.C. 1607).

7. If the oral evidence of the workman and Shri Makhijani is examined in the light of the aforesaid observations, it is obvious that the workman was not employed on a day-to-day renewal of the contract, as sought to be made out by the Management. Ex. W-4 is the letter dated 24th July, 1987, addressed by the Management to the Assistant Labour Commissioner, Nagpur, during the conciliation proceedings. Paragraph 6 thereof shows that in 1984, 1985 & 1986 the workman had worked for 31, 198 & 292 days respectively. The

number of the working days in 1985 and 1986 clearly make out that the employment was not on a day-to-day basis, but was more or less on a continuous basis. Wages were paid every week. The nature of the work done by the Workman, details of which are adverted in paragraph 4 Supra, clearly shows that the employment was not intended by either party to come to an end on every evening. The so called breaks of a day or two which the Management claim to have given every week, were obviously a device to give the transaction the complexion of casual employment. The management can derive little solace from the fact that the appointment was not in accordance with the rules. Had it been so, it would not have been necessary for them to give breaks. I have absolutely no doubt that exception (bb) is not attracted by the facts of the present case. The termination of the workman's services clearly amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo). As he has worked for more than 240 days during the calendar year immediately proceeding the date of retrenchment, Section 25-F will apply with full force. As it has not been complied with, the retrenchment becomes void abinitio. The workman is entitled to reinstatement. He affirms that he has remained without any employment after 4th April, 1987. This claim of his is not challenged by the Management. He will thus be entitled to full back wages also. Shri Moharir for the Management has stated before the Tribunal that the Management will take steps for regularisation of the workman's employment as Peon, if he makes an application for that purpose. The management will be well advised to do so.

8. In the result, I hold that the Management were not justified in terminating the services of the workman with effect from 4th April, 1987 and that his retrenchment is void abinitio. The workman is directed to be reinstated as Peon with full back wages with effect from 4th April, 1987. The Management shall bear the costs of both sides. Workman's costs are quantified at Rs. 500. This amount is over and above the amount of costs saddled at Nagpur on 21st February, 1990, while granting adjournment to the Management for examining their witness at Bombay. That amount has already been paid to the workman's Advocate on 12th April, 1990. Management to comply with this award within 2 months of its publication. Award accordingly.

S. N. KHATRI, Presiding Officer

[No. L-12012|571|87-D. II(A)]

का.आ. 1617:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1 बंबई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1617.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1 AT BOMBAY

(Reference No. CGIT-6 of 1988)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank of Maharashtra, Ratnagiri.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Management—Mr. Nizampurkar, Advocate.
For the Applicant|Workman—Mr. Jog, Union representative.

INDUSTRY : Banking STATE : MAHARASHTRA

Bombay, the 25th day of April 1990

AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra in allowing Miss Umadevi Morathe to work as Cashier during the absence of the regular cashier at different periods of time since 1981 and then suddenly on 4-12-1985 depriving her of the cashier's post is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. The General Secretary of the Bank of Maharashtra Karamchari Sangh, Kolhapur has espoused the cause of Miss Umadevi Marathe (hereafter for short 'the Workman'). The Workman was appointed as Clerk in the Vasco-da-Gama Branch of the Bank of Maharashtra with effect from 12-12-81. On the same date joined one Ambre as Clerk at the same Branch. The Cashier's post in the Bank is one of the posts for which Special Allowance is provided under the Bipartite Settlements, if a Workman does that work in absence of the regular incumbent. During the material time one Kharat and Miss Raikar were holding the regular posts of Cashier in the Bank. The Workman's case is that whenever either of them went on leave or was absent for any cause, she was being asked to do the job of the Cashier and was paid Special Allowance accordingly. She claims her right to this Special Allowance under a circular of the Management dated 5-8-1974 (Ex. W-1). The circular interalia provides that the temporary assignment will be given to the Clerk who is the senior most at the Branch Office concerned, seniority being computed according to the length of his service at that Branch. There is a further provision in it that if two employees have the same length of stay at the Branch, seniority will be decided between them according to alphabetical order of their surnames. There is one more circular dated 27-3-1981 (Ex. W-2) which says that if any employee is dissatisfied with the Management's order giving such temporary assignments, he should raise objection within a reasonable time, not exceeding a month, and that if no objection is raised within a reasonable time, the same will not be considered. The Workman states that although Shri Ambre was technically senior to her (his surname starting with 'A'), he had lost his right by failing to raise any objection within a reasonable time. In the circumstances, she contends, the Management was unjustified in appointing Shri Ambre to do the Cashier's work from 4-12-85 onwards. She prays that she may be appointed as permanent Cashier in Bank's Service with arrears of Special Allowance.

3. The Management initially filed a written statement on 7-4-1988, raising only two preliminary issues. In the first place they challenge the Union's right to represent the Workman on the ground that the Union is not duly registered, as a Trade Unions. Their second ground of attack was that the circular (Ex. W-1) relied upon by the Workman has been declared inoperative at the instance of the present Union itself, by the Central Government Industrial Tribunal at Delhi and Tribunal No. 2, at Bombay. They filed a second written statement on 31-10-1988, whereby the Workman's claim is denied on merits also. The Management deny that Ambre ever refused to do the Cashier's job or that he had forfeited his right by omitting to raise objection within a reasonable time. According to them, the Management under an honest wrong impression that the Workman was senior to Ambre went on assigning the Cashier's work to her during the regular cashier's temporary absence. The mistake came to light when Ambre lodged a formal objection with the Bank in October 1985. Thereafter it was decided to rectify the wrong and offer the assignment to Ambre. They further point out that the Workman was allowed to work as Cashier for short spells only from 1984 and not 1981 and that there were only 14 such occassions upto 3-12-1985, when she was given that

work. They have filed a statement at Ex. M-25 in support of this submission. They also submit that the Workman was transferred from Vasco-da-Gama at her own request in April 1986, whereas Miss Raikar who was one of the two regular Cashiers continued there till September 1986. Thus the impression created by the Union in their Statement of Claim as if the Workman was deprived of continuous posting as Cashier from 4-12-1985 is, according to the Management, misleading.

4. The parties have not led any oral evidence. Documents filed by both sides have been exhibited with their content. Their representatives have also been heard at length.

5. There is no substance is the Managements preliminary objection that the Union cannot represent the Workman in the present case for want of registeration. At least in three previous cases the Union had espoused Workmen's causes against the Management. The Union has stated in its written statement that it is duly registered under the Trade Unions Act Without dilating further, I reject this objection.

6. Although much stress was laid by both sides on the question whether or not the circular Ex. W-1 dated 5-8-1974, has become imperative in view of the decisions of the Industrial Tribunals at Delhi and Bombay, in my view this aspect does not have much importance in the present case. Whether the circular applies or not, I feel, the Workman is not entitled to succeed. I shall state my reasons in brief for this conclusion.

7. On the assumption that the circular of 5-8-1974, continues to be valid, it will be seen that Ambre by virtue of the alphabetical precedence in his surname, will have to be treated as senior to the Workman. In that case she had no right to claim the assignment under the circular, and the Management were obviously wrong in allowing her to work as Cashier. However, because she had actually worked on the aforesaid post, she would be entitled to get the additional allowance for the short spells of regular Cashiers' absence. There is no dispute that she has received payments for those temporary assignments. Having discovered the mistake, it was only fair on the part of the Bank to rectify it. Ambre preferred his first objection in writing on 15-10-1985 (Ex. M-12) and he sent another reminder (Ex. M-13) on 4-11-1985 and two more on 20th and 21st November 1985 (Ex. M-17 and Ex. M-18). Finally by their letter dated 2-12-1985, the Central Office of the Bank at Pune directed the Branch Manager to make over the assigament to Ambre.

8. Here I pause to consider the effect of the directions contained in Ex. W-2, requiring aggrieved employees to raise objection within a reasonable period. In the first place, it has to be appreciated that the Special Allowance assignments were for very short terms. A glance at Ex. M-25 will bear out that on most of the occasions, these spells were just for a day or two. Simply because Ambre did not raise his voice before October 1985, it does not authomatically follow that he had refused to accept the assignment. There is absolutely no evidence on record to hold that either he had refused to accept those assignments or that the Bank had considered him unsuitable for that work and, therefore, had consciously denied that work to him. Indeed as the Management's case is, they gave assignments to the Workman under an honest wrong belief that she was senior to Ambre. In the circumstances, the instructions Ex. W-2 do not help her any way.

9. Thus on the assumption that the circular Ex. W-1 and Ex. W-2 are operative, the result is that Ambre was entitled to the assignments and as such the Workman can have no legitimate grievance against him or the Management for rectifying their mistake.

10. If the circular of 1974 (Ex. W-1) is indeed inoperative as is held by the Industrial Tribunal at Delhi and the Tribunal No. 2 at Bombay (Ex. M-1 and Ex. M-2), the Workman cannot obviously found relief on it. She has not in her statement of claim pleaded any alternative facts to show how she was entitled to get any relief de hors the aforesaid circular, As the documents show (in particular Ex. M-7 and Ex. M-24), the Workman was transferred from Vasco Branch as early as 9-4-1986, while Miss. Raikar who was admittedly senior to her, continued there as regular cashier upto September 1986. In other words at the best the Workman was deprived of temporary assignments during the period 4-12-85 to 8-4-1986. Her claim to the regular post of Cashier is on the fact of it absolutely unjustified. She has not led any evidence to show for how many days, if any, temporary assignments were given to Ambre during the period 4-12-1985 to 9-4-1986. In absence of any such material, no order can be passed in her favour even on the assumption that the temporary assignments during the period should have been given to her.

11. Thus viewed from any angle, the Workman's claim is not justified. The Management's action in relieving her of the temporary charge of cashier on 4-12-1985 is not shown to be unjustified. Consequently, she is not entitled to any relief. In the circumstances of the there will be no order as to costs. Award accordingly.

S. N. KHATRI, Presiding Officer

[No. 12012/236/87-D.II(A)]

नई दिल्ली, 25 मई, 1990

का.आ. 1618:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. 2, बंबई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 25th May, 1990

S.O. 1618.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Maharashtra and their workmen, which was received by the Central Government on the 15-5-90.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

REFERENCE NO. CGIT-2/14 of 1988

PARTIES

Employer in relation to the management of Bank of Maharashtra.

AND

Their workmen

APPEARANCES

For the employer.—Shri R. M. Nijampurkar, Officer.

For the workmen.—Shri V. D. Karmarkar, Representative.

Industry : Banking State : Maharashtra

Bombay, dated the 23rd April, 1990

AWARD

The Central Government by their order No. L-12011/64/87 D.II(A) dated 20-4-1988 have referred the following Industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act. The case of the Bank of Maharashtra Karamchari Sangh, as disclosed, from the statement of claim (Ex. 2/W) filed by its General Secretary, in short, is thus :—

> The Bank of Maharashtra is a nationalised bank and the service conditions of the employees are governed under the Banking Awards and different Bipartite Settlements. Bipartite settlement provides for pay

of Special Allowance for clerical cadre for certain posts in the bank like Head Cashier Cashier-in-charge. Teller etc The management issued a circular dated 5-8-1974 giving instructions and guidelines to all the branches and offices of the bank regarding the Bank policy in the matter. As per this circular, for the allotment of various special allowance carrying posts branch or office seniority is considered as the main base, and the vacancies are filled in accordingly as and when they occur. As per this circular the seniority of an employee is fixed from the date of joining the branch or office.

(ii) The Bank had opened a Currency Chest in the year 1976. To fill in allowance carrying posts in the Currency Chest, the management had called for the application from the employees of the Bank, and accordingly the senior-most applicants were offered and allotted the allowance carrying posts in the Currency Chest. Afterwards the management had merged the said Currency Chest into Bajirao Road Branch and declared the said Currency Chest to be a part and parcel of Bajirao Road branch by circular dated 13-11-1979. Therefore, the employees working in the Currency Chest who joined there various branches were merged in the seniority list of Bajirao Road branch taking into account their date of joining in the Currency Chest. While merging the Currency Chest into Bajirao Road branch, *their joining in the Bank, instead of treating them* have been taken while fixing their senority at Bajirao Road branch. However, this was not done by the management. The decision of merging the Currency Chest in the Bajirao Road branch was an administrative decision. However, the employees working in the Currency Chest should not have been deprived of their seniority while fixing them in the Seniority list of Bajirao Road branch, and also for the purpose of allotment of various allowance carrying posts then falling vacant in Bajirao Road branch. However, as this was not done by the Bank management the employees working in the Currency Chest lost their seniority in the Bajirai Road branch and were not allotted the various allowance carrying posts which fall vacant in Bajirao Road Branch, and thereby those employees suffered monetary loss also. Only because of the said circular, the employees had opted to accept to work in the Currency Chest and had not applied for transfer to the Currency Chest on their own. Therefore, the transfer of such employees to the Currency Chest from various branches should not be treated as their request transfers but should be treated as Administrative transfers. Therefore, the action of the Bank management in denyng the seniority to the workman attached to Chest Department at Bajirao Road branch from the date of their joining in the Bank, instead of treating them to be on request transfers from the date they joined the Chest Department is illegal and unjustified. The said Union, therefore, prayed that this Tribunal should hold that the action of Bank management accordingly.

The Union further alleged that the employees working in the Currency Chest are entitled to arrears of monetary lost caused to them because of not counting their seniority from the date of their appointment while merging them in Bajirao Road Branch.

3. The Chief Manager of the Bank by his written statement (Ex. 3/m) resisted the claim of the Union and contended thus:—

The issue referred for adjudication before this Tribunal is beyond the demands made by the Union by its letter 6-4-1984 before the Assistant Labour Commissioner (C), Pune. The demand of the Union by the said letter was that the vacant post of Cashiers was not filled in according to the seniority of the Branch, but the employees who were working under Chest Department were asked to work in cash department on vacant posts of cashiers in the branch. The effort of the Union to imply that the Currency Chest and Bajirao Road branch are distinct entitles is not true and correct. The Bank further contended that the relevance of this dispute has because obsolute with the passage of time and in the light of the settlement dated 13-4-87 before the Regional Labour Commissioner (C), Bombay between the Bank management and the Unions, including the Union in question regarding allotment of allowance carrying posts as per the City Seniority, and as such the concept of Branch Seniority for the purpose of allotment of allowance carrying posts on permanent basis has become outdated.

The Chief Manager of the Bank further contended thus:—

The Bank had faithfully and correctly followed the provisions of circular dated 5-8-1974. In December 1976 and July 1977 the Bank had issued circulars calling for the applications in the branches/offices in Pune City who were interested to work as Cash-clerkss in the Currency Chest which was to be strengthened in view of increasing work-load in the Chest. Accordingly, those of the employees who were interested, had applied, and necessary transfer orders were issued in their favour. It was specifically mentioned in the Transfer orders that their transfers to the Currency Chest were at their request. As per the circular dated 5--1974 the persons transferred on request/compenssionate grounds are to rank for seniority last vis-a-vis persons of the same class already working there. It is not true that the Currency Chest was merged with the Bajirao Road branch. In fact when the Currency Chest had originally started functioning at Tilak Road, it was very much under the control of Bajirao, Road branch and the staff for rumnning of the Chest was drafted from Bajirao Road branch. The allegation of the Union that the original date of joining the Bank should have been taken into accout in respect of employees joining the Currency Chest, while drawing the seniority list of Bajirao Road Branch, is not correct. It is not true that the employees working in the Currency Chest had to suffer monetary loss because they lost seniority in Bajirao Road branch. The transferee of these employees were effected sometime between 1977 and 1979 and none of them had so far made any grudge against their ranking in the seniority list of Bajirao Road branch. The Bank therefore, prayed that their action be held as as just and proper and the claim of the Union be rejected.

4. The Issues framed at Ex. 4 are :—

(1) Whether the action of the management of Bank of Maharashtra in denying the seniority to the workmen attached to chest department Bajirao Road branch from date of their joining in the Bank and instead of treating them to be on request transfer from the date they joined the chest department, is illegal and unjustified?

(2) Whether the employees working in currency chests are entitled to be paid the arrears of the monetary loss occured to them because of not counting their seniority from the date of their appointment while merging them in Bajirao Road branch?

(3) Whether the Currency-chest and the Bajirao Road branch are different entities?

(4) Whether the present reference is not tenable in view of the previous contrary demands of the Union?

(5) To what present relief the workmen are entitled?

(6) What Award?

5. My findings on the above said Issues are :—

1. No
2. Does not survive
3. No
4. Tenable
5. Nil
6. As per final order order below:

REASONS

ISSUES NOS. 1 AND 2

6. Both the parties did not lead any oral evidence on their behalf. They relied on different documents produced in this case. Ex. 6/M is a copy of the circular dated 1st October, 1973 issued by the Asstt. Divisional Manager of the Bank to all branches regarding the procedure for Request Transfer for Award Staff. This circular clearly stated that as per the discussions held during the monthly machinery meeting, it was agreed that the employees transferred at his request would rank in seniority for the purpose of assignment of duties attracting special allowances only from the date he is so transferred at that branch/department. Therefore, it is quite clear from this circular that in the case of request transfer his seniority would be counted from the date he is transferred at a particular branch, and not from the date he joined the service in the Bank, as alleged by the Union. Ex. 21/M is another circular issued by the Divisional Manager, Staff Division of the Bank dated 5th August, 1974 sent to all branches of the Bank, regarding allotment of Special Allowance Posts. This circular has laid down the general guidelines for the allotment of allowance carrying posts. Para 4 of this circular also clearly states that the persons transferred on request/compassionate grounds shall rank for seniority last vis-a-vis persons of the same class already working there. Therefore, in the case of request transfer, the transferred employee stands in the seniority list below the person of the same rank already working at that branch, and as such his seniority for the purpose of special allowance posts is not to be counted from the date he joined the service in the Bank. Ex. 22/M is a letter dated 20th December, 976 issued by the Divisional Manager, Staff Division of the Bank to all branches/offices in Pune City. Material portion of this letter runs thus :—

"You are already aware that we have started the Currency Chest at Tilak Road Branch premises, under the control of our Bajirao Road Branch. It has been decided to strengthen the staff at the chest in viw of the work-load. We invite, therefore applications from clerical hands for consideration as cash-clerks for this Currency Chest. You are requested to circulate this amongst your staff members. Those who are interested should apply on or before 28th December, 1976, in the form given below."

By this letter, applications were invited from the interested persons for the post of Cash-Clerk in the Currency Chest, which was under the control of the Bajirao Road Branch.

7. As per this letter some of the employees had applied for the said post. Applications of some of those employees who made the applications in December, 1976 and July, 1977 for transfer to the Currency Chest are at Exhibits 7 to 17/M. One of the employees Shri D. S. Kalkarni in his application (Ex. 7/M) clearly stated that he was applying for request transfer to Currency Chest. As per those applications of the employees, the Bank management issued the necessary transfer orders in respect of certain employees in March 1977 and February, 1978, which are at Ex. 18/M. In those transfer orders, it was clearly mentioned by the Bank management that they were transferred to the Currency Chest at Bajirao Road branch as per their request transfer applications. It is, therefore, quite clear that the employees were transferred to the Currency Chest at their request, and as such their transfers were not administrative transfers as alleged by the Union. In case the Bank management was to issue administrative transfer orders, the Bank would not have called for the applications, as above, from the employees, and the Bank would have straightaway issued transfer orders irrespective of the consent or request of the employees concerned. However, this was not done in the present case, and the transfers of the employees in question are clearly request transfers with the consent/request of the employees concerned.

8. Therefore, as the employees concerned were transferred on their request or with their consent, as per the circular already issued as above, their seniority for the purpose of assignment of special allowance posts was to rank only from the date of their transfer to a particular branch and not from the date of their joining the service in the Bank. As such the action of the Bank management in denying the seniority to the workmen attached to Chest department Bajirao Road branch from the date of their joining in the Bank and instead of treating them to be on request transfer from the date they joined the chest department, is quite just and legal, and it was not illegal and unjust as contended by the Union. Issue No. 1 is therefore found in the negative. As such Issue No. 2 does not survive, and is found accordingly.

9. As stated by the Bank management in their written statement a Memorandum of settlements dated 13th April, 1987 has already been reached between the Bank management and the Unions in the Bank including the Union in question. As per this settlement, the allowance carrying posts in the Cities and Towns are to be allotted to the members of the Award Staff on the basis of City Seniority. Therefore, there is now no difficulty regarding the posting of employees on allowance carrying posts made after 13th April, 1987. In the present reference we are concerned with such posts which were filled in prior to 13th April 1987. As noted above, the action of the Bank mangement in the matter is quite just and proper.

ISSUE NO. 3

10. In the letter dated 20th December, 1976 (Ex. 22/M), The Bank clearly stated that the Currency Chest at Tilak Road Branch premises was under the control of Bajirao Road branch. Further the circular dated 13th November, 1979 (Ex. 27/W) also issued by the Bank management states that as informed by the Central Office, Currency Chest at Bajirao Road is a part of Bajirao Road branch, Pune-2. Therefore, the Currency Chest and the Bajirao Road branch are not different entities and the Currency Chest is part and parcel of Bajirao Road branch:. Issue No. 3 is found in the negative.

ISSUE NO. 4

11. It is contended by the Bank management that the Union in question had made certain demands before the Assistant Labour Commissioner (C), Pune and the present demands as mentioned in the reference are contrary to the previous demands, and as such the present reference is not tenable in law. As per Section 10(1) of the Industrial Disputes Act, where the appropriate Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, it may at any time refer the dispute to an Industrial Tribunal. Therefore, even if the present demand might be contrary to the previous demands, as the Central Government was of the opinion that an industrial dispute existed or was apprehended between the parties, it could refer the industrial dispute to the Tribunal. Therefore, I find that the present reference is tenable in law. Issue No. 4 is found accordingly.

ISSUES NOS. 5 AND 6

12. In the result the workmen are not entitled to any relief. Issue No. 5 is found accordingly.

13. The following Award is therefore passed.

AWARD

The action of the management of Bank of Maharashtra in denying the seniority to the workmen attached to Chest department, Bajirao Road Branch from the date of their joining in the Bank, and instead of treating them to be on request transfers from the date they joined the Chest department is just and legal.

The parties to bear their own costs of this Reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer

[No. L-12011/64/87-D.II(A)]

का.आ. 1619.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 15-5-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1619.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th May, 1990.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 289/89

In the matter of dispute between :

Asstt. General Secretary,
Punjab National Bank Staff Association,
C-2052, Indira Nagar,
Lucknow-226002.

AND

Regional Manager,
Punjab National Bank,
Mal Building,
Ashok Marg,
Lucknow-226001.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/124/89-D.II(A) dated 26th October, 1989, has referred the following dispute adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Punjab National Bank in withdrawing the special allowance of Shri A. B. Lal, working as Cashier Incharge at Hardoi Branch vide order No. 29/87 dated 19th October, 1987 is justified ? If not, to what relief the workman entitled ?

2. In the present case dated 11th January, 1990, 25th January, 1990, 2nd February, 1990, 28th February, 1990 were fixed for appearance and filing of the statement of claim but on the above dates none appeared from the side of the Union, nor there is any application for time. On the other hand, management appeared on some of the above dates. Today also none is present to press the reference on behalf of the Union.

3. The Union, having been afforded sufficient time, neither appeared nor filed statement of claim, which clearly shows that it is not interested in the case.

4. Therefore a no claim award is given in the case against the Union.

ARJAN DEV, Presiding Officer

[No. L-12012/124/89-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1990

का.आ. 1620.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री नारायण रजक को अगले आदेशों तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं. ए-12025/1/88-खान 1/औ.सु. व स्वा.-I]

राम तिलक पाण्डेय, उप सचिव

New Delhi, the 7th May, 1990

S.O. 1620.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoints Shri Narayan Rajak as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines, until further orders.

[No. A-12025/1/88-MI/ISH. I]

R. T. PANDEY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 मई, 1990

का.आ. 1621.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मै. कुच्छवार लाईम एण्ड स्टोन कं., बंजारी रोहतास के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं. 1, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th May, 1990

S.O. 1621.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Kuchwar Lime & Stone Co., Banjari, Rohtas and their workmen, which was received by the Central Government on 14th May, 1990.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 17 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Kuchwar Lime and Stone Company, Banjari, Rohtas.

AND

Their workmen.

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri S. K. Sinha, Asstt. Manager (Operations). (Final hearing-none).

For the Workmen—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Lime & Stone.

Dated, the 24th April, 1990

AWARD

By Order No. L-29012/36/88-D.III(B), dated, the 6th February, 1989, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of M/s. Kuchwar Lime & Stone Co. Ltd., Banjari in suspending their workman Shri Shankar Prasad Singh, Explosive Carrier at their Limestone Mine with effect from 19th November, 1986 and continuing suspension even after completion of enquiry is justified If not, what relief the workman is entitled to ?"

2. The case of the management of Kuchuwar Lime & Stone Co. Ltd., Banjari as spelt out in the written statement submitted, details apart, is as follows :

The reference is bad in law and not maintainable because it does not constitute an industrial dispute within the meaning of Sec. 2(k) of the Industrial Disputes Act and that the appropriate Government has failed to take note of the legal position as to when a domestic enquiry initiated by the employer against their workmen should be deemed to have been completed. Anyway, in order to substantiate the case the management has stated that Kuchuwar Lime & Stone Co. is not a limited company, but is a company only and it has got a Lime Stone Mine at Banjari in the district of Rohtas (Bihar). The said mine has a certified Standing Order which provides suspension of employees pending enquiry without wages upto 10 days in the case of weekly paid workers and 15 days in the case of monthly paid workers and if any worker is suspended pending enquiry for periods exceeding the specified period as aforesaid, then the employer has to pay the workman concerned subsistence allowance of half the wages as subsistence allowance. The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 was amended in regard to the period of suspension pending enquiry and payment of subsistence allowance and the said amendment is embodied in Section 10-A of the Industrial Disputes Act. The amendment provides for payment of subsistence allowance to workmen suspended pending investigation or enquiry into the complainants or charges of misconduct framed against them at the rate of 50 per cent of wages for the first 90 days of suspension and at the rate of 75 per cent of wages for the remaining period of suspension if the delay of completion of disciplinary proceeding against the workman is not directly attributable to the conduct of such workman. The concerned workman was reported to have committed certain acts of misconduct whereafter a preliminary enquiry was held. The said enquiry revevaled certain acts of misconduct on his part and he was issued with a chargesheet dated 19th November, 1986 spelling out the allegations/charges framed against him attracting clauses (viii) and (xii) of Clause 18 of the certified Standing Orders of the management. He submitted explanation dated 22nd November, 1986 to the chargesheet which was duly considered by the management, but since it was found to be not satisfactory, the management ordered for departmental enquiry by constituting an Enquiry Committee consisting of S/Shri S. K. Sinha, Asstt. Manager (M.O.) and Harihar Singh, Establishment-in-Charge-I. The Enquiry Committee, by due notice to him held the enquiry. In the enquiry he took the assistance of a co-worker to defend himself. The witnesses for the management were examined in presence of the workman and his co-worker and they were given full opportunity to cross-examine the management's witnesses. They availed of that opportunity. He was given an opportunity to make statements which he did. He did not, however, produce any witness in support of his defence. The Enquiry Committee submitted its report holding him guilty of the charges framed against him. The Manager of the mines agreed with the findings of the Enquiry Committee and recommended to the Agent of the Mines for his dismissal considering the gravity of missconduct. The Agent of the Mines also agreed with the findings of the Enquiry Committee and came to the conclusion that this was a fit case for dismissal. At this the General Secretary of the sponsoring union, Shri Jugal Kishore Prasad, approached the Manager along with other representatives of the union and stated that even if the concerned workman was guilty of acts of misconduct, the management should take a lenient view and should not dismiss him and that the union would apologise in writing on behalf of the concerned workman. But the union did not apologise in writing and took the stand that its verbal assurance was enough and the concerned workman should be released from suspension. The management could not have agreed to this demand and remained firm. Ultimately, the union furnished the letter dated 27th August, 1988 to the management stating that the concerned workman should be excused for the misconduct committed by him and that he should be taken back on duty and assurance was also given in the said letter that in future the concerned workman would work according to the Standing Orders of the company. After receipt of the above letter the Manager of the Mines issued Office Order dated 27th August, 1988 stating that instead of dismissing the concerned workman, the management took a lenient view and allowed him to resume normal duty with effect from 29th August, 1988. The disciplinary proceeding started against the concerned workman with the issue of the chargesheet and it should be deemed to have been completed after the final disposal disciplinary proceeding case i.e. after the management has passed the final order and in the case the final order came into effect from 29th August, 1988. In the circumstances, the management has prayed that its action be held to be justified.

3. The case of the concerned workman, as appearing from the written statement submitted on his behalf by the sponsoring union, Kaimur Range Mazdoor Union, Banjari (Rohtas), briefly stated, is that Kuchuwar Lime & Stone Co. Ltd. is a private concern having its office at Kutchwar (Banjari). Kaimur Range Mazdoor Union is a registered and recognised union of the management. On 19th November, 1986 the management suspended the concerned workman, an Explosive Carrier and Asstt. Secretary of the union on flimsy ground. The concerned workman submitted reply to the letter of the management on 22nd November, 1986 denying the allegation against him. The union also protested to the management by letter dated 27th November, 1986 denying the charges. The union also discussed the matter with the management on several occasions and requested it to withdraw the order of suspension. Even after the enquiry the management did not pass any order dismissing the concerned workman. The union raised the present industrial dispute before the A.L.C.(C), Patna, against the illegal suspension of the concerned workman by letter dated 24th June, 1987 and requested immediate intervention. The management has lifted the order of suspension from 24th September, 1988. In the circumstances it is the demand of the sponsoring union that the concerned workman is entitled for wages from the date of suspension as order was issued by the management by way of victimising one of the union officials.

4. In rejoinder to the written statement of the sponsoring union, the management has reiterated the fact that the chargesheet dated 19th November, 1986 was issued to the concerned workman, an Explosive Carrier and simultaneously he was placed under suspension pending enquiry. The management has denied that the concerned workman was illegally suspended from service.

5. Admittedly, M/s. Muchuwar Lime & Stone Co. Ltd. is a private concern having its office at Kuchwar at Banjari, District Rohtas and that the company has Lime & Stone Mine at Banjari. There is no dispute that Kaimur Range Mazdoor Union is a registered union recognised by the management and that the concerned workman was employed as an Explosive Carrier in the mine.

6 There is no dispute that the Lime & Stone Mine a certified Standing Order. It is the emphatic case of the management that there is provision in the certified Standing Order for holding departmental enquiry into misconduct committed by any workman and that as per provisions of the certified Standing Orders a worker against whom a departmental enquiry is contemplated for misconduct may be suspended pending enquiry without wages upto 10 days in the case of weekly paid workers and 15 days wages in the case of monthly paid workers and if any worker is suspended pending enquiry for period exceeding the specified period, then the employer has to pay the worker subsistence allowance of half the wages. This statement of fact has not been denied by the sponsoring union

7. Anyway, it appears that the concerned workman was chargesheeted for misconduct by letter dated 19th November, 1986 and pending domestic enquiry he was placed under suspension with immediate effect. If appears that the concerned workman participated in the departmental proceeding and that the Enquiry Committee held the concerned workman guilty of the misconduct alleged against him. It appears from the written statement of the management and also from the materials on record that although the misconduct of the concerned workman was of grave in nature, the management, considering the apology and assurance given by the sponsoring union by letter dated 27th August, 1988 on behalf of the concerned workman, decided to take a lenient view and allowed the concerned workman to resume his normal duty with effect from 29th August, 1988. The Office Order of the management indicates that the concerned workman would not be entitled to any claim other than the subsistence allowance for the period of suspension pending enquiry. A departmental proceeding or domestic enquiry starts with the issuance of chargesheet and ends

when the final order is passed. In the present case the domestic enquiry/departmental proceeding was started on 19th November, 1986 when the chargesheet was issued and it ended when the final order allowing the concerned workman to resume duty w.e.f. 29th August, 1988 was passed by Office Order dated 27th August, 1988. The chargesheet discloses that the concerned workman was placed under suspension with immediate effect pending enquiry. The final Office Order also indicates that the concerned workman would not be entitled to any claim other than the subsistence allowance for the period of suspension pending enquiry. The management is competent to suspend any of its workmen for alleged misconduct pending domestic enquiry and such suspension order may continue till the conclusion of the domestic enquiry. In the present case the order of suspension became effective from 19th November, 1986 when the concerned workman was visited with chargesheet and the order of suspension remained in force till the final order was passed on 27th August, 1988. The management offered him subsistence allowance during the period of his suspension. There is nothing illegality or irregularity in it. Hence, I am constrained to hold that the action of the management in suspending the concerned workman from service with effect from 19th November, 1986 and continuing such suspension till the final order was passed is justified.

8. Accordingly, the following award is rendered the action of the management of M/s. Kuchwar Lime & Stone Co. Ltd., Banjari in suspending their workman Shri Shankar Prasad Singh, Explosive Carrier at their Limestone Mine with effect from 19th November, 1986 and continuing such suspension till the final order was passed is justified.

In the circumstances of the case, I award no cost.

[No. L-29012/36/88-D.III(B)]

S. K. MITRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 17 मई, 1990

का.आ. 1622—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, ओ.एन. जी.सी. वैस्टर्न रीजन, बड़ौदा, के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-5-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 17th May, 1990

S.O. 1622.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of ONGC, Western Region, Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 16-5-90.

ANNEXURE

BEFORE SHRI H. D. PANDYA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT AHMEDABAD

Reference (ITC) No. 30 of 1987

ADJUDICATION

BETWEEN

ONGC, Western Region,
Makarpura Road, Baroda   ..First Party.

AND

Their Workmen   Second Party.

In the matter of employees' demand in not engaging Shri Kirit Ravjibhai Patel, handicapped and crippled employee in the employment after 1981-85.

APPEARANCES :

Shri S. E. Rangwala, Advocate for—the first party; &

Shri A. B. Panchal, Advocate for—the second party.

AWARD

The industrial dispute between the ONGC, Western Region, Makarpura Road, Baroda, hereinafter referred to as the ONGC and the workmen employed under it has been referred for adjudication to the Industrial Tribunal, Ahmedabad, vide Government of India, Ministry of Labour, Order No. L-30012/1/86-D.III(B) dt. 8-5-87, in respect of employees' demand in not engaging Shri Kirti Ravjibhai Patel, handicapped and crippled employee in employment after 1984-85. The said dispute was initially referred to the Industrial Tribunal consisting of Shri S. J. Sheth which has subsequently stood transferred to me by appropriate orders issued in this behalf.

2. The second party Shri Kiritbhai Ravjibhai Patel has filed his statement of claim at ex. 4. He has alleged in his statement of claim that he is serving in the ONGC, Survey Party, G. P. 18 since 1981. He was serving as Store Keeper at Borsad. He continued in service at Borsad till the work of survey party was continued. Thereafter he was posted at Kheda. He further alleged that he was appointed as badli kamdar and he was paid wages of Rs. 450 p.m. and subsequently the wages were increased to Rs. 500 p.m. He was given work for about 20—25 days in a month. He further alleged that in the year 1983 he was given work in survey party G. P. 25 at Borsad and thereafter he was posted at Baroda. He worked for 120 days in 1981, 90 days in the year 1982 and 240 days each in the years 1983 and 1984. He further alleged that thereafter the first party terminated his services on 20-6-84. He was not given any notice before termination of service nor he was given any written order. He was not paid any compensation under the provisions of S. 25-F of the I.D. Act. He further alleged that he is a handicapped person and in the year 1981 U.N.O. declared International Handicapped year and so he was taken up in service in 1981. He further alleged that the work which he was doing is still continued and that the first party is taking other persons in service and he is not given the work which is not legal and valid. He further alleged that he has served 240 days in a year and that he is not paid any compensation and so the first party has committed breach of the provisions of S. 25-F of the I.D. Act (in short 'the Act'), and therefore the order of termination is illegal and invalid. The first party has also committed breach of the provisions of S. 25-G and S. 25-H of the Act and therefore also the impugned order is illegal and invalid. The workman, therefore, filed a complaint before the Labour Officer. However, the conciliation proceedings failed and so the Government of India has referred the above industrial dispute to the Industrial Tribunal, Ahmedabad and subsequently the above reference was transferred to me for disposal according to law.

3. The first party ONGC has filed its written statement at ex. 6 in which it has denied the allegations made by the workman in his statement of claim. It is contended that under the provisions of section 32 of the Oil & Natural Gas Commission Act the service conditions of regular employees are covered in R & P Regulations 1980 which inter-alia regulate the recruitment of persons against vacancies for regular posts in ONGC. The ONGC has certified standing orders which govern service conditions of contingent workmen. It has further contended that the ONGC engages casual workmen and that these workmen are engaged by different authorities at different places for specific job or for specific period to meet the casual or temporary requirements of man-power as and when necessary on purely casual basis against the said jobs. Geophysical, geophysical seismic survey is being carried out by the ONGC to explore the possibilities of oil/gas Hydrocarbons, etc. in almost entire country. The duration of each field party is about 9 months and that they have to complete the job in a particular field season. It is further contended that for the purpose of carrying out job, labourers are required to be engaged, and that it is their policy to engage labourers from the areas where the survey work is undertaken so that any

damage in the fields etc. could be compensated. Such labourers are required to be disengaged as soon as the period of filed party is over. After about 4|5 months the camp of the said field party usually moves to another place. It is contended that the workman Shri Kiritbhai was employed in ONGC in GP-18 at Borsad where he worked for about 49 days as a casual labourer. Shri Kirit has never worked in the year 1982 in GP-25 at Borsad. He however worked for 14 days from 2-6-83 to 22-6-83 and for 132 days from 12-10-83 to 29-2-84. It is further contended that the workman Shri Kirit was engaged because the camp of the GP No. 18 was at Borsad and there would have been requirement of a labourer for a particular period for a specific job. Shri Kirit has not put in 240 days service during 12 consecutive months as alleged by him, and therefore the provisions of S. 25 of the Act are not attracted at all. It is futher contended that Shri Kirit is not entitled to any relief and therefore it is urged that the refernce deserves to be dismissed.

4. The workman Shri Kirit R. Patel is examined at ex.17. He has not examined any other witness. The first party has examined Shri Padamsinh T. Ravat and Shri Satyapal Mohadchand respectively at ex. 29 and 30. The first party has not examined any other witness.

5. I have heard Shri B. K. Oza for Shri A. B. Panchal appearing on behalf of the workman Shri Kirit Patel and Shri S. E. Rangwala appearing on behalf of the ONGC.

6. It is an admitted that that the concerned workman Shri Patel was taken up in service by ONGC and he served in survey party GP-18 at Borsad in the year 1981. It is also admitted that on or about 20-6-84 Shri Patel was relieved from his service. It is also admitted that the ONGC has not given any show cause notice nor it has given any compensation under the provisions of S. 25F of the Act when Shri Patel was relieved from the service. It is also admitted that no inquiry was made when Shri Patel was relieved from service. So Shri Patel has challenged the above order of the ONGC. It is the case of Shri Patel that in the year 1983-84 he had completed 240 days of service and that he was not given any show cause notice at the time of termination of service and that he was not paid compensation under the provisions of S. 25F of the Act and that he was not given any opportunity to defend himself at the time of termination of service and therefore according to him the order of termination is illegal and invalid. He has also further alleged that the ONGC has not complied with the provisions of S. 25H and S. 25G of the Act and therefore also the order of termination is illegal and invalid. It is therefore urged that he should be reinstated in service with full back wages. The ONGC has denied the above allegations of Shri Patel. According to it Shri Patel was a casual labourer and that in the year 1981 Shri Patel had worked for 49 days. In the year 1982 he has not worked for any day and that from 2-6-83 to 22-6-83 he worked for 14 days from 12-10-83 to 29-2-84 he worked for 132 days. According to it the workman Shri Patel has not worked for 240 days continuously and that therefore provisions of S. 5F of the Act are not attracted at all and therefore Shri Patel is not entitled to any relief. It has therefore urged to dismiss the reference of Shri Patel.

7. In view of the contetnions of the parties the following points arises for determination :

1. Whether the workman Shri Patel proves that the order dt. 20-6-84 by which he was relieved from service of the ONGC is illegal and invalid?
2. Whether Shri Patel proves that he is entitled to reinstatement in service with full back wages?
3. What order?

8. My findinsg on the above points for the reasons stated hereunder are as under :

1. No.
2. No.
3. As per order passed below.

REASONS

9. It is an admitted fact that Shri Patel was employed by ONGC in the GP-18 at Borsad. Shri Patel is a handicapped person. Shri Patel has alleged in his statement of claim that he was appointed as badli kamdar by the ONGC. The ONGC has denied the above allegation of Shri Patel. According to it Shri Patel was employed as a casual workman. Now the ONGC has its own certified standing orders. The classification of workmen is given clause 2 of the standing orders. Classification of workmen which is given in cl. 2 which is material for us is as under :

"2(i) Classification of workmen.

The contengent employees of the Commission shall hereafter be classified as:—

(a) Temporary and

(b) Casual

(ii) A workman who has been on the rolls of the commission and has put in not less than 180 days of attendance in any period of 12 consecutive months shall be a temporary workman, provided that a temporary workman who has put in not less than 240 days of attendance in any period of 12 consecutive months and who posses the minimum qualifications prescribed by the Commission, may be considered for conversion of regular employees.

(iii) A workman who is neither temporary nor regular shall be considered as "Casual workman."

10. Thus it is evident from the classification of the workman which is herein above stated that the employees are classfied as temporary and casual and workman who is neither temporary nor regular shall be considered as casual workman. There is nothing like badli kamdar in the standing orders. Therefore there is no force in the allegation of Shri Patel that he was appointed as badli kamdar. Now as statd earlier according to the ONGC Shri Patel was casual labourer and therefore let us see whether the ONGC establishes its above contention.

11. Now as stated earlier Shri Patel was employed in GP-18 at Borsad in the year 1981. Now it is the case of Shri Patel that in the year 1981 worked for 120 days in the year 1982 for 90 days and in the year 1983-84 he worked for more than 240 days. The ONGC has denied the above allegation of Shri Patel. According to it Shri Patel worked for 49 days in the year 1981, in the year 1982 he has not worked at all and that from 2-6-83 to 22-3-83 for 14 days and against from 12-10-83 to 29-2-84 he worked for 132 days. In view of the above let us see whether respective party prove their contention.

12. Now Shri Patl in his deposition, ex. 17 stated that in the year 1981 he worked for about 100 days and the work of GP-18 was over and so he was relieved from service. Thereafter, after about 8 months he was taken up for work in in GP-25 at Borsad and that he worked for about 9 months in GP-25. He worked in GP-25 during the year 1982-83. After work of GP was over he was posted as a patawala in Baroda where he worked for 3 months. He was relieved from service on 25-6-84 from GP-25 from Borsad. In his cross examination he hass stated that in the year 1982 he worked for about 9 months. He has no documentary evidence to show that he has worked for 9 months, in this cross examination he admitted that in the year 1981 he worked for 49 days and that in 1982 he had not worked at all and that in the year 1983 he initially worked for 14 days and thereafter after Diwali he was taken up in service and he worked for 132 days.

13. Shri Padamsinh who is serving in the ONGC has stated in his deposition at ex. 29 that Kirit Patel has worked in their Borsad camp and that he was serving as a casual labourer and that n the year 1981 he worked for about 51 days.

14. Shri Satyapal Moharchand who is a witness of the ONGC in his deposition at ex. 30 has stated that Kirit

Patel had worked as a labourer and that in the year 1983-84 he was working in their Borsad camp.

15. The ONGC has produced application of Kirit Patel at ex. 23. Kirit Patel has admitted in his cross examination that ex. 23 bears his signanture. Now Kirit Patel has stated in his application ex. 23 that in 1981 he had worked in GP-18 as a labourer and thereafter he was relieved from service and that thereafter in the year 1983-84 in GP-25 he worked as a labourer and after 5|6 months he was relieved from service. The ONGC has also produced statement prepared by Balbirsingh who is ALC(C), Ahmedabad at ex. 24. This statement bears signature of officers of the ONGC and of workman Shri Kirit Patel and his representative Shri Raojibhai M. Patel. Shri Patel in his cross examination admits that ex. 24 bears his signature. Now it is evident from notes prepared by ALC(C) Shri Balbirsingh that in the year 1981 Shri Patel worked for 49 days and from 2-6-83 to 22-6-83 he worked for 12 days and that from 2-6-80 to 22-6-83 he worked for 14 days and that after working for 14 days he was idle for about 2|3 monnths and after that from 12-10-83 to 29-2-84 Shri Patel worked for 132 days. Thus it is evident from the above documentary evidence on record that in the year 1981 Shri Patel worked for 49 days, in the year 1982 he was not in employment and that in the year 1983 initially he worked for 14 days, thereafter he remained idle for 2|3 months and thereafter from 12-10-83 to 29-2-84 he worked for 132 days. Therefore the allegation of Shri Patel that in the year 1981 he worked for 120 days, in 1982 he worked for 90 days and in 1983 he worked for 240 days is not established from the facts which are on record. On the contrary the ONGC has proved the contention that in the year 1981 Shri Patel worked for 49 days and that in the year 1982 he was not employed and that in the year 1983 he worked from 2-6-83 to 22-6-83 i.e. 14 days and again from 12-10-83 to 29-2-84 he worked for 132 days. The above facts were proved from the above documentary evidence on record Thus Shri Patel has not put in 180 days attendance in any period of 12 consecutive months. Therefore he is not a temporary workman. He has also not put in not less than 240 days of attendance in any period of 12 consecutive months and therefore he is not a regular employee. Shri Patel is neither a temporary employee nor a regular employee and therefore he is a casual worker as per provisions of standing orders.

16. Now Shri Patel was a casual workman. The ONGC relieved Shri Patel from service on or about 20-6-84. Now it is the case of Shri Patel that in the year 1983-84 he had continuously worked for more than 40 days and that when his services were terminated he was not given show cause notice nor paid any retrenchment compensation under the provisions of S. 25-F of the Act and that he was not given any opportunity to defend himself and so according to him the order of termination is illegal and invalid. The ONGC has denied the above allegation of Shri Patel that he has put in 240 days of service, and provisions of S. 25-F are not attracted. In view of the above contentions of the party let us see whether Shri Patel has proved the above allegation.

17. Now before we decide the merits of the above contention of the parties it is better first to refer to certain provisions of the I.D. Act. S. 25-F of the Act deals with conditions precedent to retrenchment of workmen see. 25-F which is material for our purpose reads as under :—

"25-F. Conditions precedent to retrenchment of workmen.—No wowrkman employed in any industry who has been in contniuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until :—

(a) the workman has been given one month's notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice;

(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months; and

(c) notice in the prescribed manner is served on the appropriate Government or such authority as may be specified by the appropriate Government by notification in the Official Gazette"?

Section 25-B defines continuous service. S. 25-B which is material for our purpose reads as under :—

"25-B. Definition of continuous service.—For the purposes of this Chapter,—

(1) a workman shall be said to be in continuous service for a period if he is, for that period, in uninterrupted service, including service which may be interrupted service on account of sickness or authorised leave or an accident or a strike which is not illegal, or a lockout or a cessation of work which is not due to any fault on the part of the workman;

(2) where a workman is not in continuous service within the meaning of clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer—

(a) for a period of one year, if the workman, during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—

(i) one hundred and ninetry days in the case of a workman employed below ground in a mine; and

(ii) two hundred and forty days, in any other case;

(b) for a period of six months, if the workmann, during a period of six calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, has actually worked under the employer for not less than—

(i) one hundred and ninty days in the case of employed below ground in a mine; and

(ii) one hundred and twenty days, in any other case.

Explanation :—for the purposes of clause (2), the number of days on which a workmen has actually worked under an employer shall include the days on which—

(i) he has been laid-off under an agreement or as permitted by standing orders made under the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), or under this Act or under any other any other law applicable to the industrial establishment :

(ii) he has been on leave with wages, earned in the previous year ;

(iii) he has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment ; and

(iv) in the case of a female, she has been on maternity leave ; so however, that the total period of such maternity leave does not exceed twelve weeks."

18. Thus it is evident from the above provisions of the I. D. Act, that a workman who has put in continuous service for not less than one year and if the employer wents to retrench the workman he has to follow the provisions of S. 25-F before retrenching him from service. Now in this case as stated earlier Shri Patel has put in 49 days in 1981 and in the year 1982 he was not employed and in the year 1983 he has put in service for 14 days from 2-61983 to 22-6-1983 and thereafter from 12-10-1983 to 29-2-1984 i.e. 132 days. He has not put in continuous 240 days of service in the year 1983-84. Therefore provisions of S. 25F of the Act are not attracted in the case of Shri Patel.

Therefore ONGC has not to give any show cause notice nor it has to pay any compensation nor have to follow any procedure as provided in S. 25-F of the Act. Therefore the allegation of Shri Patel that as ONGC has not given any show cause notice and as it has not paid any retrenchment compensation under the provisions of S. 25-F of the Act the order of termination is illegal and invalid is without any merit and this allegation has no force. Hence they cannot be accepted. Thus, as Shri Patel has not completed 240 days continuous service, provisions of S. 25-F are not attracted and therefore the order by which Shri Patel is relieved from service is legal and valid.

19. Shri Patel has also contended that as ONGC has not complied with S. 25-G of the Act and therefore also the order of termination is illegal and invalid. Now S. 25-G of the Act provides that :—

> "25-G. Procedure for retrenchment.—Where any workmen in any industrial establishment, who is a citizen of India, is to be retrenched and he belongs to a particular category of workmen in that establishment, in the absence of any agreement between the employer and the workman in this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category, unless for reasons to be recorded the employer retrenches any other workman."

Now, it is not the case of Shri Patel that his juniors were kept in service and that he was retrenched first. It is not even his say that his juniors were kept in service and he was retrenched first. As stated earlier Shri Patel was employed in GP-18 and thereafter in GP-25. He was a casual employee. It is an admitted fact that after the work of camp was over all the casual employees were relieved from service. Therefore the question does not arise as to at the time of termination of service of Shri Patel his juniors were kept in service. In view of this there is no merit in the above allegation of Shri Patel and so the same is rejected.

20. Shri Patel has also alleged that ONGC has not complied with S. 25-H of the Act and therefore also the impugned order is illegal and invalid. The ONGC has denied this allegation of Shri Patel. Now S. 25-H of the Act provides as under :—

> "25-H. Re-employment of retrenched workmen.—Where any workmen are retrenched, and the employer proposes to take into his employ any persons, he shall, in such manner as may be prescribed, give an opportunity to the retrenched workmen who are citizens of India to offer themselves for re-employment, and such retrenched workmen who offer themselves for re-employment shall have preference over other persons."

21. Now, it is the contention of ONGC that the most important work of the ONGC is geophysical, geophysical seismic survey which is being carried out by it to explore the possibilities of oil/gas hydrocarbons, etc. in almost entire country and for that purpose they engage casual labourer and it is the policy of ONGC to engage labourers from the area where the survey work is undertaken so that any damage in the fields etc. could be compensated. Such labourers are required to be disengaged as soon as the period of field party is over. Now even Shri Patel, ex 17, has admitted in his cross examination that ONGC employees the workman from the area where survey camp is established and situated. Thus ONGC employees the casual labourers from the area where the survey work is undertaken. Now it is admitted fact that Shri Patel is from Borsad area. Shri Patel was employed in camp GP-18 which was at Borsad and camp GP-25 which also was at Borsad. Thus Shri Patel was engaged as a casual labourer from the area where the survey work was undertaken. After the particular survey work was over he was relieved from service.

22. Now it is in cross examination of Shri Satyapal Mohar Chand, ex. 30 that after the work in the camp of Borsad was over there was another survey camp. He has also stated that at present also there is survey camp at Borsad. Now after Shri Patel was relieved from the post of casual labourer on 20-6-1984 there was another survey camp at Borsad and at present also there is survey camp working at Borsad. There is nothing on record to show that in this survey camp Shri Patel was given an opportunity for his re-employment. Thus even after Shri Patel was relieved from service there was another survey camp at Borsad and in this survey camp Shri Patel was not given an opportunity for re-employment. This position is also an admitted fact. Facing the above situation the learned advocate Shri Rangwala appearing on behalf of the ONGC tried to impress upon me that the provisions of S. 25-H are not applicable to the casual employees. Now it can be seen from the provisions of S. 25-H that the same applies to any workman who is retrenched. There is nothing in the provision of S. 25-H to show that it do not apply to the casual workmen. Thus the provisions of S. 25-H apply to any workman who is retrenched and therefore there is no merit in the contention of Shri Rangwala that provisions of S. 25-H do not apply to casual workmen. So I do not accept his above contention.

23. As stated earlier after Shri Patel was relieved from service on 20-6-1984 there was a survey camp at Borsad and therefore the ONGC should have given opportunity to Shri Patel for re-employment. However, the ONGC has not given such opportunity to Shri Patel. However, merely because the ONGC has not given such opportunity to Shri Patel from that itself it cannot be said that the order dated 20-6-1984 by which Shri Patel was relieved from service is illegal and invalid. It may be mentioned here that if there is any second camp at Borsad in future, then, the ONGC should give opportunity to Shri Patel for re-employment first, as provided in S. 25-H of the Act. It may also be mentioned here that the subject matter of the reference is whether the management of ONGC Western Region at Baroda is justified in not engaging Shri Kirti Ravjibhai Patel, handicapped and crippled employee in the employment after 1984-85 ? If not, what relief he is entitled to ? Now there is nothing on record to show that the year 1981 Shri Patel was employed on the ground that he as handicapped and crippled. There is nothing on record to show that he was employed in the reserved post of handicapped person. Therefore, there is no question that the management is justified in not engaging Shri Kirit Patel who is handicapped and crippled after 1984-85. As stated earlier he was only a casual employee and he was not in employment for a continuous period of 240 days or more in service therefore was relieved from service from 20-6-1984. In view of the above discussion as above it is not established that the order dated 20-6-1984 by which Shri Kirit Patel was relieved from service is illegal and invalid. In view of the above Shri Kirit Patel has not proved that the order dated 20-6-1984 by which he was relieved in illegal and invalid.

24. As the order dated 20-6-1984 by which Shri Kirit Patel was relieved from service is not illegal and invalid and therefore Shri Kirit Patel is not entitled to the relief of reinstatement in service with full back wages. Therefore Shri Patel has not proved that he is entitled to re-instatement in service with full back wages. I, therefore, answer points nos. 1 and 2 in negative.

25. In view of the matter discussed above I find that Shri Kirit Patel is not entitled to reinstatement in service with full back wages and therefore the reference has to be dismissed. I, therefore, pass the following order :—

ORDER

The reference of Shri Kirit Patel is hereby dismissed. Each party to bear his own costs.

Ahmedabad :

Dated : 20-4-1990.

H. D. PANDYA, Presiding Officer

[No. L-30012/1/86-D III (B)]

नई दिल्ली, 23 मई, 1990

का. आ. 1623: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd May, 1990

S.O. 1623.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workmen, which was received by the Central Government.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर (कैम्प बीकानेर)

उपस्थित—प्रताप सिंह यादव, आर. एच.जे.एस.

केस संख्या सी.आई.टी. 64/88

मध्य

रेलवे केज्युवल लेबर यूनियन, बीकानेर जरिये महामंत्री, डागा स्कूल के पास, बीकानेर

एवं

1. महाप्रबंधक, नोवर्न रेलवे मुख्यालय, बड़ौदा हाउस नई दिल्ली

2. मंडल कार्मिक अधिकारी, नोवर्न रेलवे, बीकानेर

3. मंडल अधीक्षण (अभियंता) नोवर्न रेलवे, बीकानेर

4. सहायक अभियंता द्वितीय नोवर्न रेलवे, हनुमानगढ़

5. रेल पथ निरीक्षक, नोवर्न रेलवे, श्रीगंगानगर एलनाबाद व जेतसर

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 10(1) (घ) औ. विवाद अधिनियम 1947 द्वारा आदेश श्रम मंत्रालय भारत सरकार संख्या एल 41011 (38)-86-डी 11(बी) दिनांक 28-9-88

उपस्थित :—

1. श्री भरत सिंह सेंगर एवं श्री अरविन्द सिंह प्रार्थी यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि।

2. श्री ... सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से

मवाई

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के ... अधिकारी ने उनकी आज्ञा संख्या एल 41011(38) 86-डी 11(बी) दिनांक 28-9-88 निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10(1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जायेगा वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण को भेजा

"Whether the action of the management of Northern Railway, Bikaner in terminating the services of 184 workers, as mentioned in the Annexure is legal and justified. If not, to what relief the workers concerned are entitled to and fro what date 1"

बाद प्राप्ति निर्देशन, इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया व उभय पक्षकारान को नोटिसेज जरिये पंजीकृत डाक भेजे गये। इस निर्देशन के द्वारा भेजा गया विवाद 184 कर्मकारों से संबंधित था। जिनकी की रेलवे (नोवर्न) बीकानेर के प्रबंधक तंत्र द्वारा सेवा समाप्त की गई थी उन 184 श्रमिकों की लिस्ट भी निर्देशन के साथ इस न्यायाधिकरण को भेजी गई। चूंकि इस विवाद में 184 कर्मकारों की सेवा निवृत्ति का प्रश्न इस न्यायाधिकरण को रेफर किया गया इसलिय कार्यवाही में सहूलियत के लिय उभय पक्षकारान की प्रार्थना व सहमति पर प्रत्येक सं. श्रमिक के संबंध में अलग-अलग पत्रावली आगामी कार्यवाही के लिये खोली गई। इस प्रकार इस रेफरेंस के के संबंध में 64/1/88 से 64/164/88 केसेज की फायलें अलग-अलग में बनाई गई और प्रत्येक फाइल में प्रार्थी यूनियन की ओर से प्रत्येक श्रमिक के बारे में अलग से स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार विपक्षीगण की ओर से प्रत्येक श्रमिक के द्वारा पेश किये गये स्टेटमेंट आफ क्लेम का अलग-अलग उत्तर क्लेम पेश किया गया। इस रेफरेंस से संबंधित श्रमिकों जिनकी की सेवा उत्तर रेलवे प्रबंधक तंत्र बीकानेर द्वारा समाप्त की गई उनके नाम, पिता का नाम, नियोजित करने की तिथि व सेवा समाप्त करने की तिथि एवं स्थाई रेलवे पथ निरीक्षक जिसके द्वारा श्रमिकों की सेवा समाप्त की गई उनका ब्यौरा सुगमता के लिये टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार दिया जाता है :—

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	भर्ती की तारीख	सी.पी.सी. स्केल की ता.	टर्मिनेशन तारीख	रेल पथ निरीक्षक
1	2	3	4	5	6	
1.	हजारी लाल	मेवा राम	10-7-84	3-5-85	1-8-86	श्रीगंगानगर
2.	बालीकरन	लोरिक	1-8-84	3-5-85	,,	,,
3.	उमरपाल	नत्थू राम	2-9-84	6-12-85	,,	,,
4.	रामेश्वर	पूरन	22-2-84	2-8-85	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
5.	भंवर लाल	मल्लू राम	16-5-84	17-11-85	1-8-85	श्रीगंगानगर
6.	राम बहादुर	बृजभान	9-1-84	6-5-85	,,	,,
7.	ताराचन्द	बजरंग लाल	1-9-84	2-9-85	,,	,,
8.	राजेन्द्र सिंह	सुरजीत सिंह	15-1-84	3-12-85	,,	,,
9.	नवल किशोर	छोटन सिंह	1-9-84	5-8-85	,,	,,
10.	भंवर खां	जानमोहम्मद	3-10-84	4-8-85	,,	,,
11.	बलबीर सिंह	चरन सिंह	18-5-84	5-10-85	,,	,,
12.	नाहर सिंह	भगवान राम	1-11-84	4-8-85	,,	,,
13.	गोपाल दास	वल्लभदास	16-8-84	3-9-85	,,	,,
14.	पृथ्वी सिंह	रामपाल सिंह	15-9-84	2-8-85	,,	,,
15.	रामेश्वर	ऊदा राम	3-7-84	2-8-85	,,	,,
16.	महावीर प्रसाद	मंगला राम	28-5-84	1-9-85	,,	,,
17.	राजेन्द्र सिंह	रामदयाल	7-1-84	1-7-85	,,	,,
18.	अल्ला राम	भूरा राम	9-1-84	3-5-85	,,	,,
19.	हीरा लाल	कन्हैया लाल	9-1-84	4-5-85	,,	,,
20.	दीपनारायण	फूलचन्द	23-5-84	5-8-85	,,	,,
21.	दिलीप चन्द	हरी राम	16-4-84	2-7-85	,,	,,
22.	राम लाल	नन्दरे	2-5-84	7-9-85	,,	,,
23.	राजकुमार	साधु राम	8-1-84	6-8-85	,,	,,
24.	धमरू	चुन्नी राम	6-12-84	12-6-85	,,	,
25.	द्वारका प्रसाद	गजराज सिंह	15-9-84	1-8-85	,,	,,
26.	प्रयागविन	यश नारायण	1-8-84	2-7-85	,,	,,
27.	शंकर	भीमसैन	23-6-84	1-7-85	1-8-86 (एफ.एन.)	,,
28.	शम्भूशरण	रामनरेश	1-8-84	6-10-84	,,	,,
29.	प्रहलाद राम	लक्ष्मण राम	1-11-84	1-9-85	,,	,,
30.	निर्मल राम	केशारा राम	16-5-84	3-8-85	,,	,,
31.	रामजस	कन्हैया लाल	16-5-84	3-7-85	,,	,,
32.	रमेश कुमार	राम कुमार	5-1-84	1-9-85	,,	,,
33.	रामस्वरूप	सही राम	16-5-84	1-7-85	,	,,
34.	भोला राम	मांगू राम	7-1-84	5-8-85	,,	,,
35.	मंगत राम	मोहन लाल	28-6-83	4-11-85	,,	,
36.	बजरंग	नारायण	5-5-83	7-5-85	,,	,,
37.	पूरन राम	गारू राम	9-2-84	3-5-85	,,	,,
38.	जुगल सिंह	आसू सिंह	29-5-84	9-6-85	,,	,,
39.	हजारी लाल	कुरड़ा राम	9-1-84	8-5-85	,,	,,
40.	पाला राम	मंगला	16-5-84	1-12-85	,,	,,
41.	राम राम	सांवता राम	16-8-85	16-12-85	,,	,,
42.	केशव प्रसाद	नथुसी प्रसाद	6-6-84	5-7-85	,,	,,
43.	मोड़ राम	डालू राम	16-5-84	1-2-86	,,	,,
44.	मंगला राम	श्यामा राम	2-2-84	3-5-85	,,	,,
45.	केसू राम	छोटू राम	1-2-84	4-5-85	,,	,,
46.	सुगना राम	नन्दा राम	21-12-83	3-5-85	,,	,,
47.	नानक चन्द	उम्मेद सिंह	15-9-84	2-8-85	,,	,,
48.	बिजेन्द्र प्रसाद	खेदन राम	19-5-84	2-8-85	,,	,,
49.	राम कुमार	गोपाल राम	1-9-84	3-5-85	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
50.	बृजलाल	दुनी राम	23-5-84	1-7-85	1-8-86	श्री गंगानगर
51.	जाकिर अली	यासीन अली	11-1-84	1-10-85	(एफ. एन.)	,,
52.	भागीरथ	लाधू राम	3-5-84	3-5-85	,,	,,
53.	जितेन्द्रपाल सिंह	दिलीप सिंह	1-10-84	1-9-85	,,	,,
54.	भंवरलाल	भन्ना राम	9-1-84	1-7-85	,,	,,
55.	सुखदेव	खुबाराम	5-3-84	3-5-85	,,	,,
56.	रूपलाल	मेघाराम	8-1-84	7-8-85	,,	,,
57.	राम शकल यादव	दौलत यादव	1-8-84	8-8-85	,,	,,
58.	कालू राम	मूआ राम	12-4-83	1-9-85	,,	,,
59.	गंगा राम	राम दुलारे	1-12-83	1-9-84	,,	,,
60.	नरसा राम	भाना राम	28-12-83	12-9-85	,,	,,
61.	दर्शन सिंह	करतार सिंह	1 -1-84	2-8-85	,,	,,
62.	राम बाबू	परमसुख	2-5-84	2-8-85	,,	,,
63.	सुरेश सिंह	छत्तर सिंह	12-7-83	1-2-86	,,	,,
64.	पूर्णमल	रामेश्वर	9-1-84	6-5-85	,,	,,
65.	लाल चन्द	कुंभार	16-5-84	1-8-85	,,	,,
66.	बिहारी लाल	मदन	28-12-83	3-5-85	,,	,,
67.	राजेन्द्र कुमार	मामचन्द	16-5-84	4-5-85	,,	,,
68.	प्रेम कुमार	रामचन्द	26-12-83	15-9-85	,,	,,
69.	नेमीचन्द	मांगीलाल	15-10-84	5-8-85	5-7-86 (ए. एन.)	जैतसर
70.	शीश पाल	पूरा राम	24-10-84	5-8-85	,,	,,
71.	दुर्जन सिंह	भंवर सिंह	26-6-84	1-8-85	,,	,,
72.	मक्खन लाल	खेता राम	29-5-84	5-8-85	,,	,,
73.	जगदीश प्रसाद	जसूराम सिंह	2-5-84	1-8-85	,,	,,
74.	मालू राम	बाबू राम	31-7-84	5-8-85	,,	,,
75.	गोकुल प्रसाद	महादेव प्रसाद	25-11-84	4-8-85	,,	,,
76.	रामेश्वर पाल	मोहन लाल	16-9-84	5-8-85	,,	,,
77.	दीपा राम	मालू राम	14-9-84	4-8-85	,,	,,
78.	नारायण राम	जगमाल राम	23-10-84	4-8-85	,,	,,
79.	बृजनाथ	बिन्दा प्रसाद	22-7-84	5-8-85	,,	,,
80.	नत्थू राम	रामेश्वर दयाल	22-10-84	1-8-85	,,	,,
81.	बिरेन्द्र	राम भरोसे	3-12-84	6-8-85	,,	,,
82.	मुंशी राम	भानी राम	22-7-83	11-8-85	,,	,,
83.	छोट कुमणी त्रिपाठी	चिरनजीव मणी त्रिपाठी	24-10-84	1-8-85	,,	,,
84.	सुरजा राम	मल्लू राम	23-5-84	5-8-85	,,	,,
85.	देवी लाल	शंकर लाल	26-12-83	8-8-85	,,	,,
86.	त्रिलोक चन्द	रामजी लाल	26-10-84	7-8-85	,	,,
87.	डूंगर राम	हीरा राम	31-7-84	5-8-85	,,	,,
88.	महेन्द्र सिंह	राजीराम	8-1-84	15-3-85	1-8-86	पी. डब्ल्यू. आई. एलनाबाद
89.	लीलाधर	अर्जन	21-8-84	16-5-85	,,	,,
90.	आलेश्वर	शम्भू राम	10-9-84	6-7-85	,,	,,
91.	जोधा राम	गणपत	5-6-83	16-5-88	1-8-86 (एफ.एन)	पी.डब्ल्यू.आई. एलनाबाद

1	2	3	4	5	6
92. रोशन लाल	प्रभाती	5-6-83	15-3-85	1-8-86 एफ.एन.	पी.डब्ल्यू.आई. एलनाबाद
93. सिपाही राम	सीया राम	4-5-84	16-5-85	,,	,,
94. श्याम सुन्दर शर्मा	वेद प्रकाश	4-5-84	15-10-85	,,	,,
95. सीता राम	अनुरुद्ध राम	24-4-84	15-3-85	,,	,,
96. इंद्रशरणं राम	सुदर्शन	24-4-84	15-6-85	,,	,,
97. त्रिलौका राम	करना राम	28-6-84	11-7-85	,,	,,
98. कैलाश	दलगनजन	8-1-84	15-10-85	,,	,,
99. काले खां	गफूर खां	26-10-84	15-6-85	,,	,,
100. जगदीश	रामकुमार	6-3-83	15-3-85	,,	,,
101. सांवर मल	मूलाराम	8-1-84	15-6-85	,,	,,
102. शिम्भू	कुरड़ाराम	9-10-84	18-6-85	,,	,,
103. कैलाश	रामनाथ	18-6-83	14-4-85	,,	,,
104. रामप्रसाद मीणा	कन्हैया लाल	8-1-84	15-6-85	,,	,,
105. सोहन लाल	प्रभू राम	5-6-83	15-3-85	,,	,,
106. गया राम	साहेब शरण	24-4-84	15-3-85	,,	,,
107. राममरेश	परसराम	30-4-83	15-9-83	,,	,,
108. शरमन लाल	राधाकिशन	24-8-84	15-6-85	,,	,,
109. दया राम	कमले प्रसाद	22-7-84	18-6-85	,,	,,
110. मोहर सिंह	कौशल पाल	27-10-84	18-6-85	,,	,,
111. महावीर	धीसाराम	18-12-83	15-6-85	,,	,,
112. सुमेर सिंह	रिछपाल	3-6-83	19-5-85	,,	,,
113. कानाराम	लक्ष्मण	1-12-83	18-6-85	,,	,,
114. उदाराम	रामचन्द्र	5-6-83	19-5-85	,,	,,
115. मनोहर सिंह	बखतावर सिंह	8-9-83	14-5-85	,,	,,
116. मूलचन्द्र	सूबेदार	23-3-83	15-9-83	,,	,,
117. मनोहर सिंह	सुर्जन सिंह	3-6-83	15-3-85	,,	,,
118. भंवर सिंह	हुक्माराम	9-1-84	15-7-85	,,	,,
119. राम विलास	नारायण सिंह	28-12-83	15-5-85	,,	,,
120. भंवर लाल	हनमान	12-5-83	15-3-85	,,	,,
121. मेघनाथ	रामस्वरूप	30-6-83	15-3-85	,,	,,
122. देवसिंह	सीयाराम	9-1-84	1-8-85	,,	,,
123. राजेंद्र प्रसाद	श्री वीरम सिंह	8-1-84	15-5-85	,,	,,
124. मुनीम	ककम सिंह	9-1-84	21-12-85	,,	,,
125. भंवर लाल	धरा	9-1-84	21-2-86	,,	,,
126. प्रकाशचन्द्र	मालू राम	1-3-84	15-5-85	,,	,,
127. महावीर	सीया राम	9-1-84	15-3-85	,,	,,
128. भगवान सिंह	तुलाराम	8-1-84	15-5-85	,,	,,
129. गोविंद राम	उगमा राम	15-1-84	15-5-85	,,	,,
130. महेन्द्र सिंह	लालराम	8-1-84	6-7-85	,,	,,
131. राम सिंह	जग्गा	10-1-84	15-3-85	,,	,,
132. रामसजीवन	दुखी	5-6-83	15-3-85	,,	,,
133. शीशपाल	कुम्भा राम	8-1-84	16-6-85	,,	,,
134. अमर सिंह	चरण सिंह	11-9-84	15-10-85	,,	,,
135. बीरबल	अमरनाथ	17-3-85	6-11-85	,,	,,
136. भोमबीर शाह	राजन	30-4-84	15-10-85	,,	,,

1	2	3	4	5	6
137. विश्वकर्मा शर्मा	समरथी शर्मा	24-4-84	16-5-85	1-8-86 एफ.एन.	पी. डब्ल्यू. आई.
138. बाल किशन	ताराचन्द	31-12-83	15-3-85	,,	एलनाबाद
139. राम लाल	रामपाल	5-6-83	15-5-85	,,	,,
140. हजारी लाल	गणपत	8-1-84	16-3-85	,,	,,
141. बिलाल खान	लखवीर	26-1-84	15-5-85	,,	,,
142. उमाशंकर	रामसिंह	24-4-84	15-5-85	,,	,,
143. महेन्द्र सिंह	बनवारी	24-4-84	15-12-85	,,	,,
144. भोजराज सिंह	जीवाराम	24-1-85	16-3-85	,,	,,
145. जसवन्त सिंह	कालीचरन	26-7-83	15-5-85	,,	,,
146. राजू राम	भजनाराम	3-6-83	15-9-83	,,	,,
147. फूल सिंह	मौजी लाल	7-5-83	15-9-83	,,	,,
148. रामकुमारी गिरी	जुगलालगिरी	9-1-84	15-5-85	,,	,,
149. दानाराम	ईसर	8-1-84	15-6-85	,,	,,
150. राप्रताप	सूबेदार	1-1-83	16-6-85	,,	,,
151. ओमप्रकाश	रामनाथ	30-4-84	15-6-85	,,	,,
152. बाबू लाल	डालाराम	5-6-83	16-5-85	,,	,,
153. चन्द्र हास	पन्ना लाल	4-1-84	16-5-84	,,	,,
154. रामआसरे	बृजनाथ	30-4-84	15-6-85	,,	,,
155. रामचन्द्र	भंवर सिंह	29-5-84	15-3-85	,,	,,
156. श्री किशन	महीपाल	16-8-84	15-10-85	,,	,,
157. शीशपाल	भंवरा	3-6-83	15-6-85	,,	,,
158. सुखबीर	मालजी	3-6-83	15-6-85	,,	,,
159. जय कृष्ण	चन्द्रभान	6-1-84	18-6-85	,,	,,
160. भजन लाल	रामनाथ	5-4-83	15-6-85	,,	,,
161. राजेंद्र प्रसाद	रामनेही	8-11-83	16-5-85	,,	,,
162. पृथ्वीराज	गोपाल	8-1-84	18-6-85	,,	,,
163. सुरेशचन्द्र	रामस्वरूप	3-3-84	15-3-85	,,	,,
164. शंकर	रूरा	5-6-83	15-3-85	,,	,,
165. रामाशंकर	रोशन प्रसाद सिंह	22-4-84	18-6-85	,,	,,
166. प्रेम कुमार	खेमचन्द	8-1-84	16-10-85	,,	,,
167. श्यामलाल सिंह	विश्वनाथ सिंह	24-4-84	16-3-85	,,	,,
168. जमीर अहमद	गुलाम नबी	1-11-84	5-11-85	,,	पी. डब्ल्यू. आई. श्री गंगानगर
169. दया राम	मुंशी राम	12-7-83	2-8-85	,,	,,
170. चौथमल	बकशा राम	12-4-84	6-5-85	,,	,,
171. रमेश लाल	बग्ता राम	8-1-84	6-12-85	,,	,,
172. लालचन्द	मुखराम	24-4-84	3-5-85	,,	,,
173. द्वारका शाह	रामशाह	16-5-84	1-12-85	,,	,,
174. लाल सिंह	जेठा सिंह	9-1-84	2-8-85	,,	,,
175. श्रीकृष्ण	भादर	8-12-83	15-6-85	,,	पी. डब्ल्यू. आई. एलनाबाद
176. प्रेम सिंह	रेखा सिंह	1-9-84	10-8-85	5-7-86	पी. डब्ल्यू. आई. जैतसर
177. हेतराम	गणेशा राम	31-7-84	17-9-85	,,	,,
178. गिरधारी लाल	भैरा राम	31-7-84	1-10-85	,,	,,

1	2	3	4	5	6
179. शिव लाल	छेदी लाल	23-12-83	2-8-85	5-7-86	पी डब्ल्यू आई जैतसर
180. पालीराम	पूर्ण राम बालमीक	14-9-84	5-8-85	,,	,,
181. प्रह्लाद	बलदेवा राम	30-12-83	1-8-85	,,	,,
182. भंवर सिंह	बख्तावर सिंह	26-10-84	5-8-85	,,	,,
183. सोहन लाल	धन्ना राम	31-1-84	5-8-85	,,	,,
184. कैलाश मिश्रा	महावीर मिश्रा	24-12-83	5-8-85	,,	,,

184 श्रमिकों के संबंध में जो उपरोक्त तथ्य अंकित किये गये हैं उनके अतिरिक्त प्रत्येक के स्टेटमेंट आफ क्लेम में सामान्यतः निम्न तथ्य यूनियन की ओर से लिखे गये हैं। यह कि प्रत्येक श्रमिक को जहां कि उसे नियोजित किया गया वहां के सहायक अभियंता नोर्दर्न रेलवे एवं वहां के पथ निरीक्षक की देखरेख में गैंगमैन के पद एवं कार्य पर बतौर कैज्युअल लेबर कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें वेतनमान 200-250 में रखा गया था। आगे यह भी अभिवचन रखा कि प्रत्येक कर्मचारी ने एक कैलेण्डर वर्ष में सेवा समाप्ति से पूर्व 240 दिन कार्य कर लिया था और वह इस प्रकार 240 दिन से अधिक निरंतर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया था। यह कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवा उसके रेल पथ निरीक्षक ने मौखिक रूप से बिना लिखित आदेश किये समाप्त कर दी। आगे यह व्यक्त किया कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवा समाप्ति रेन्ट्रेंचमेंट (छंटनी) के तौर पर की गई है। आगे यह भी व्यक्त किया गया कि प्रत्येक कर्मचारी को सक्षम नियोजक द्वारा कोई सेवा समाप्ति का आदेश नहीं दिया गया। इस कारण से प्रत्येक की सेवा अनाधिकृत रूप से समाप्त की गई है। इस संबंध में यह भी एतराज लिये गये कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवा समाप्ति से पूर्व श्रमिकों के नियोजक द्वारा एक माह का सेवा समाप्ति का नोटिस नहीं दिया गया ना ही छंटनी का मोआवजा दिया गया, पहले आये पीछे जाए के सिद्धांत का पालन भी नहीं किया गया। इन कर्मचारियों से कनिष्ठ कर्मचारियों को रेलवे सेवा में कायम रखते हुये अनुचित तौर से उनकी सेवा समाप्त की गई। आगे यह भी एतराज लिया कि श्रमिकों जैसे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची घोषित नहीं की गई ना ही भारत सरकार को उन की सेवा समाप्ति की सूचना निर्धारित परिपत्र में दी गई। आगे यह भी एतराज उठाया कि इन श्रमिकों की सेवा सामप्ति के पश्चात् भारत सरकार को सरासर गलत सूचना दी गई। चूंकि प्रार्थी श्रमिकों की सेवा समाप्त करने का कोई आधार, कारण एवं औचित्य नहीं था ऐसा होते हुये भी जो श्रमिकों की सेवा समाप्त की गई वह अवैध एवं अनाधिकृत रूप से सेवा समाप्त की गई है। जो छंटनी की परिभाषा में आती है। आगे यह भी व्यक्त किया गया है कि विपक्षीगण ने प्रार्थी श्रमिकों की सेवा समाप्ति को अनुचित तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जायेगा की धारा 2(00) (बी.बी.) की परिधि में लाने के खातिर प्रत्येक कर्मचारी को नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर करने की कार्यवाही की गई ताकि उस नोटिस की अवधि समाप्ति पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जावे। और अधिनियम की धारा 25बी., 25एफ. और 25 जी में निर्धारित सुरक्षा कर्मचारी प्राप्त नहीं कर सके। इस पत्र पर कानूनी एतराज करने पर कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई। इस प्रकार कर्मचारियों के साथ अनफेयर लेबर प्रेक्टिस की प्रक्रिया अपनाई गई। और श्रमिकगण की सेवा समाप्ति अनुचित, अवैध, अनाधिकृत रूप से एवं अन फेयर लेबर प्रेक्टिस अपनाते हुए निरस्त की गई। आगे यह वयक्त किया कि उपरोक्त कर्मचारियों ने रेलवे कैजुवल लेबर यूनियन बीकानेर जिसके कि वे सदस्य हैं, के माध्यम से अपना औद्योगिक विवाद उठाया जिसके फलस्वरूप असफल वार्ता प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई और केन्द्रीय सरकार ने उक्त औद्योगिक विवाद इस न्यायाधीकरण को अधिनिर्णार्थ भेजा। अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थीगणकी सेवा अनुचित, अनाधिकृत एवं अवैध रूप से समाप्त की गई है और प्रार्थीगण सेवा समाप्ति से पूर्व गैंगमैन के पद पर नियुक्त थे इसलिये उन्हें सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद पर बहाल किया जाये और सेवा समाप्ति से लगायत सेवा में बहाल किये जाने कि तिथि के मध्य की अवधि का पूरा वेतनभत्ता दिलाया जावे।

प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक के स्टेटमेंट आफ क्लेम के प्रतिवाद में अप्रार्थीगण की ओर से सहायक अभियंता उत्तर रेलवे ने अलग-अलग स्टेटमेंट आफ क्लेम के उत्तर पेश किये हैं जिनमें सामान्यतः स्टेटमेंट आफ क्लेम का प्रतिवाद निम्न प्रकार से किया गया है :—

विपक्षीगण की ओर से इस तथ्य को नकारा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी की सेवा समाप्ति छंटनी के तौर पर की गई है। इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरंतर कार्य करने के आधार पर वह लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था। यद्यपि यह स्वीकार किया कि प्रत्येक कर्मचारी को गैंगमेन के पद पर बतौर कैजुअल लेबर के नियोजित किया गया था और उन्हें वेतनमान 200-250 में वेतन भत्ता दिया गया था। इस तथ्य को भी नकारा कि प्रार्थी कर्मचारी की सेवा रेल पथ निरीक्षक ने मौखिक रूप से बिना लिखित आदेश लिये टर्मिनेट कर दी हो या समाप्त कर दी हो। आगे यह एतराज किया कि पक्षकारों के मध्य कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। आगे यह भी स्वीकार

नहीं किया कि कर्मचारी की सेवा रेट्रेंचमेंट की तौर पर अनाधिकृत, एवं अनुचित रूप से धारा 2 (00) लगाने की बदनियती से टर्मिनेट की गई। और टर्मिनेट करने के बाद कर्मचारी को मजबूर करने की कार्यवाही की गई हो। उज्रात मजीद में यह एतराज लिया कि कर्मचारीगण को अप्रार्थी नियोजक द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही सेवा में रखा गया था। अवधि समाप्ति के बाद स्वतः ही सेवा कानूनन धारा 2(00) अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त हो गई। निर्धारित अवधि सेवा काल के लिये पक्षकारान के मध्य करार होने के आधार पर यह मामला रेन्ट्रेचमेंट की परिभाषा में नहीं आता है। अतः प्रार्थी कर्मचारी 25एफ, 25 जी अधिनियम या अन्य किसी धारा व नियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। आगे यह भी एतराज लिया कि प्रार्थी कर्मचारीगण यूनियन के सदस्य नहीं हैं। और यूनियन के माध्यम से यह मामला चलाने तथा रेफरेंस कराने का उन्हें कत्तई अधिकार नहीं है। आगे यह भी एतराज लिया कि प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसका स्टेटमेंट आफ क्लेम नियमानुसार सत्यपति नहीं किया गया है जिसके कारण क्लेम खारिज होने योग्य है। आगे यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थीगण के स्टेटमेंट आफ क्लेम में यह अस्पष्ट रहा है कि उसके पश्चात् किन-किन व्यक्तियों को नौकरी में रखा गया और कौन-कौन से व्यक्ति उससे कनिष्ठ हैं यह अस्पष्ट रहा है और इसी कारण से क्लेम खारिज होने योग्य है। अंत में यह एतराज लिया कि प्रत्येक कर्मचारी को अप्रार्थी द्वारा एक निर्धारित कार्य के लिये निर्धारित समय के लिये करार के आधार पर रखा गया था। करार समाप्त होने के बाद प्रार्थीगण की सेवा स्वतः ही समाप्त हो गई। उन्हें कार्य पर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। है क्योंकि जिस काम के लिये तथा जिस आवश्यकता के लिए उन्हें रखा वही समाप्त हो गया। अब रेलवे को उनके काम की आवश्यकता ही नहीं रही ना ही कोई जगह खाली है अतः जवाब पेश कर प्रार्थना की कि प्रार्थीगण के क्लेमों को खारिज किया जावे। प्रार्थीगण कोई प्रतुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं।

केस संख्या सी. आई. टी. 64/164/88 में कर्मकार शंकर पुत्र रूरा का स्टेटमेन्ट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही कोई उसकी ओर से शपथ-पत्र पेश किया गया। केस संख्या 64/129/88 में प्रार्थी श्रमिक गोविन्द राम का देहावसान हो गया। और इस संबंध में उसकी सेवा श्रीमती प्रभाती ने अपना शपथ-पत्र पेश किया जो दिनांक 20-11-89 को रेकार्ड पर ले लिया गया। केस संख्या 64/172/88 के प्रार्थी श्रमिक श्री लालचन्द पुत्र मुकना राम को पुनः सेवा में रेलवे ने 2-12-86 को ले लिया। उपरोक्त तीन कर्मचारियों के केसेज को छोड़ कर बाकी 181 केसेज में उस केस के प्रार्थी श्रमिक का बयान यूनियन की ओर से कराया गया है। जिस पर विपक्षी रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक से जिरह की।

विपक्षगण की ओर से प्रकरण संख्या 64/1/लगायत 64/88/88 और 64/168 लगायत 64/174/88 में श्री बलबीर सिंह रेल पथ निरीक्षक को तरदीदी साक्ष्य में परिक्षित किया गया। जिसने प्रत्येक केस में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया और यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने पी. डब्ल्यू. आई से प्रतिपरिक्षण किया और इन केसेज में साक्ष्य समाप्त हुई। प्रकरण संख्या 64/69/88 लगायत 64/87/88 एवं 64/176 टू 64/184/88 में विपक्षी रेलवे की ओर से श्री गुरुदयाल सिंह रेल पथ निरीक्षक को तरदीदी साक्ष्य में पेश किया गया जिन्होंने उक्त प्रत्येक प्रकरण में अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया। और यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने प्रत्येक शपथ-पत्र पर गवाह गुरूदयाल सिंह से जिरह की। प्रकरण संख्या 64/78 लगायत 64/67/88 एवं 64/175/88 में विपक्षी रेलवे की ओर से तरदीदी साक्ष्य में श्री अर्जुन लाल रेल पथ निरीक्षक को परिक्षित किया गया और इन प्रत्येक प्रकरणों में श्री अर्जुन लाल ने अपना शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिसे भी न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया और यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा श्री अर्जुन लाल पी. डब्ल्यू. आई. से प्रत्येक शपथ-पत्र पर प्रतिपरिक्षण किया। इस प्रकार उभय पक्षकारान ने अपनी साक्ष्य समाप्त की।

मैंने बहस योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी यूनियन एवं योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी है। पत्रावलीयों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है। उभय पक्षकारान ने जुबानी बहस के अतिरिक्त लिखित बहस भी पेश की है।

उभय पक्षकाराने के अभिवचनों, साक्ष्य एवं पेश किये गये प्रलेखों के आधार पर निम्न विचार बिन्दु कायम किये जाते हैं :—

1. क्या प्रत्येक कर्मचारी द्वारा पेश किये गये स्टेटमेन्ट आफ क्लेम का नियमानुसार सत्यापन नहीं किये जाने से उसका क्लेम खारिज होने योग्य है ?

2. आया उपरोक्त सभी केसेज में प्रत्येक केस के श्रमिक ने सेवा समाप्ति से पूर्व 240 दिन निरन्तर कार्य कर लिया था और क्या इस प्रकार वह निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था।

3. आया दिनांक 1-8-86 को श्री गंगानगर के रेल पथ निरीक्षक ने उपरोक्त संबंधित श्रमिकों की सेवा समाप्त व पथ निरीक्षक जैतसर ने दिनांक 5-7-86 को उसके तहत प्रत्येक श्रमिक की सेवा समाप्त की व एलनाबाद के पथ निरीक्षक ने उसके तहत जिन संबंधित श्रमिकों की सेवा समाप्त की यह सेवा समाप्त करने की छंटनी की परिभाषा में आती है ?

4. उपरोक्त विवादित बिन्दु संख्या 3 का उत्तर यदि हां में दिया जाता है तो क्या छंटनी सद्भाव से एवं विधिवत् की गई या छंटनी प्रार्थी श्रमिकों की अवैध, अनुचित तौर से की गई ?

5. प्रार्थी श्रमिकगण किस अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

उपरोक्त विवादित बिन्दुओं को पत्रावली पर आई हुई साक्ष्य, बहस और पेश की गई कानूनी नजीरों के आधार पर निर्णीत किया जायेगा।

विवादित बिन्दु संख्या : —

यह बिन्दु अप्रार्थीगण के उत्तर क्लेम में उठाये गये एतराज के आधार पर कायम किया गया है जिसमें यह एतराज किया गया था कि प्रार्थी कर्मचारी द्वारा स्टेटमेन्ट आफ क्लेम का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है। इस कारण से क्लेम खारिज होने योग्य है। इस संबंध में प्रत्येक स्टेटमेन्ट आफ क्लेम को देखा गया। यह तो सही पाया गया कि प्रत्येक स्टेटमेन्ट आफ क्लेम के अन्त में सत्यापन नहीं किया गया है। प्रथम तो यह एतराज उत्तर क्लेम में तो लिया गया मगर उसके पश्चात् इस एतराज को अन्तिम बहस तक प्रेस नहीं किया गया। इससे एतराज वेव (waive) कर दिया जाना ही माना जायेगा। दूसरे प्रत्येक कर्मकार के शपथ पर बयान हो चुके हैं। प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक ने यह सभी महत्वपूर्ण तथ्य शपथ पर अपने हलफनामे में व्यक्त किये हैं। इस प्रकार तथ्य शपथ पूर्वक ब्यान से प्रमाणित हो जाते हैं और महज स्टेटमेन्ट आफ क्लेम में सत्यापन नहीं होने से स्टेटमेन्ट आफ क्लेम निरस्त नहीं किया जा सकता। औद्योगिक न्यायाधिकरण (सेन्ट्रल प्रोसीजर नियम 1954 में इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि स्टेटमेन्ट आफ क्लेम का सत्यापन किया जावे। औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय 1957) के नियम 3 में नियम 10-बी में न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में जो उपनियम (1) में यह प्रावधान दिया गया है कि जबकि कोई विवाद श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजा जाता है तो जिस पार्टी द्वारा विवाद उठाया गया है वह अपना पूर्ण स्टेटमेन्ट आफ क्लेम संगत प्रलेखों और उन गवाहों की सूची जिन पर कि वे अपने केस का आधार मानता है श्रम न्यायालय अधिकरण व राष्ट्रीय अधिकरण निर्देशन प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा और जिसकी एक प्रतिलिपि जो उस विवाद से संबधित विपक्षी है को भेजेगा। उप नियम (2) के अनुसार लेबर कोर्ट न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यह निश्चित करने के पश्चात् कि स्टेटमेंन्ट आफ क्लेम की प्रतिलिपि विपक्षी को दे दी गई है। उस केस की सुनवाई के लिए आगे नियत करेगा। जिसमें की तारीख एक महीने से ज्यादा की नहीं दी जायेगी। तत्पश्चात् विपक्षी स्टेटमेन्ट आफ क्लेम का उत्तर अपने प्रलेखों सहित और गवाहों की सूची सहित जिन पर वे भरोसा करता है अगले 15 दिन में पेश करेगा। इस प्रकार से नियम 10 बी में जो प्रोसीजर दिया गया है। उसमें स्टेटमेन्ट आफ क्लेम को सत्यापित किये जाने के बारे में औद्योगिक विवाद नियम 1957 में भी ऐसा प्रावधान नहीं बताया गया है कि स्टेटमेंन्ट आफ क्लेम सत्यापित किया जावे। वैसे भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार भी यदि किसी दावे की क्लेम पर सत्यापन नहीं हो तो महज उसे इसी कारण से निरस्त नहीं किया जा सकता। व्यवहार न्यायालय भी इस प्रकार के पेलेन्ट (दावा) को सत्यापित कराने के लिये समय देगा। इस व्यवहार प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रोसीजर को देखते हुए भी स्टेटमेन्ट आफ क्लेम को सत्यापन के अभाव में निरस्त नहीं किया जा सकता और इस मौजूदा विवाद में जबकि प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक ने अपना शपथ पर बयान दिया है तो यह कमी पूर्ति पूरी हो जाती है जबकि रेफरेन्स में कार्यवाही पूरी होकर बहस की अवस्था पर ऐसी टेकनीकल कमी बताई जाती है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम मे टेक्नीकलटीज में खामी के आधार पर ऐसी कमी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है यहां वास्तविक विवाद का निपटारा न्यायसंगत तरीके से शीघ्र किया जाना परम आवश्यक है। इसलिये परोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम विचारण बिन्दु में कोई सार नहीं पाया जाता है और यह विवादित बिन्दु विपक्षी के विरुद्ध एवं प्रार्थी श्रमिक के हक में तय किया जाता है।

2. दूसरा विवादित बिन्दु प्रत्येक श्रमिक द्वारा सेवा समाप्ति से पूर्व एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य कर 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार होने के संबंध में है। इस संबंध में रेलवे की ओर से प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक के स्टेटमेंन्ट आफ क्लेम के जवाब में उत्तर क्लेम पेश किया है उसका पैरा संख्या 2 काबिले गौर है। पैरा संख्या 2 इस प्रकार है-"यह कि कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य करने के आधार पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया—यह तथ्य अस्वीकार है।" इस प्रकार उत्तर क्लेम में सेवा समाप्ति से पूर्व प्रत्येक कर्मकार का 240 दिन एक कैलेण्डर वर्ष में पूरे करने से इंकारी की है। मगर प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक ने उसके स्टेटमेंन्ट आफ क्लेम में स्पष्टतः लिखा है कि उसने वर्ष में 240 दिन से अधिक काम करने के आधार पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया। उसके पश्चात् प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक ने जब उसका शपथ-पत्र न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया उस प्रत्येक शपथ-पत्र में पैरा सं 2 में यह स्पष्टतः हलफ पर यह लिखाया कि "शपथकर्ता एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक काम करने के आधार पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया। "प्रार्थी श्रमिकों के इस शपथ पर कहे गये बयान की तरदीद विपक्षी के साक्ष्यों में नहीं कराई है। बल्कि श्री बलबीर सिंह पी.डब्ल्यू.आई. गंगानगर ने उसके बयान की प्रति-परिक्षण में यह स्वीकार कर लिया है कि "240 दिन कार्य दिवस एक कलेण्डर वर्ष में जैसा कि रेकार्ड बोल रहा है पूरे हो गये होंगे।"

गुरदयाल सिंह रेल पथ निरीक्षक, जैतसर ने प्रकरण संख्या 64/69 लगायत 64/87 एवं 64/176 लगायत 64/184, के संबंध में ब्यान देते हुए अपने प्रति-परिक्षण में यह स्पष्टतः माना है "यह सही है कि जब कर्मचारी को दिनांक 5-7-86 को हटाया उससे पूर्व कर्मचारी ने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य कर लिया था"। श्री अर्जुन लाल पथ निरीक्षक एलनाबाद ने प्रकरण संख्या 64/78 लगायत 64/167 व 64/175 के संबंध में ब्यान देते हुए यह कहीं नहीं कहा कि इन केसेज से संबंधित प्रार्थी श्रमिकों ने 240 दिन एक कलेण्डर वर्ष

में पूरे नहीं किये थे जबकि इसके मुद्दे मुकाबिल इन केसेज में प्रत्येक श्रमिक ने शपथ पर यह कहा है कि उसने एक कलैण्डर वर्ष में सेवा समाप्ति से पूर्व 240 दिन निरन्तर कार्य किया। इसके अतिरिक्त श्रमिक की ओर से जो कार्य दिवस का (ब्यौरा) चार्ट ई.एम. डब्ल्यू. 1 पेश किया गया है और विपक्षी की ओर से प्रत्येक केस में ई. एक्स. एम. 1 पेश किया गया है उनसे भी बखूबी प्रमाणित हो जाता है कि उपरोक्त केसेज के सभी प्रार्थी श्रमिकों ने सेवा समाप्ति से पूर्व प्रत्येक कर्मकार ने 240 दिन से अधिक एक कलैण्डर वर्ष में कार्य कर लिया था। यह निर्विवाद है कि रेलवे एक उद्योग है। इस प्रकार एक उद्योग में यदि एक श्रमिक सेवा समाप्ति से पूर्व 240 दिन निरन्तर कार्य कर लेता है तो वह एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार बन जाता है। मौजूदा विवाद में प्रत्येक श्रमिक इस शर्त को पूरी करता है जैसा कि उपरोक्त विवेचन से प्रमाणित हो चुका है। इसलिये विवादित बिन्दु संख्या 2 भी प्रार्थीगण श्रमिकों के पक्ष में एवं विपक्षी रेलवे के खिलाफ इसी प्रकार निर्मित किया जाता है।

तीसरा विवादित बिन्दु—प्रार्थी श्रमिकों की सेवा समाप्त करने और उनकी सेवा समाप्ति एक छंटनी होने के संबंध में है। इस बारे में प्रत्येक प्रार्थी ने उसके स्टेटमेंट आफ क्लेम में एक नियत तिथि का उल्लेख करते हुए यह लिखाया है कि उसकी सेवा उस अमुक तारीख से समाप्त की गई। इसके जवाब में उत्तर क्लेम में रेलवे की ओर से पैरा संख्या 3 में इस तथ्य को इंकार किया है कि उसकी सेवा स्टेटमेंट आफ क्लेम के पैरा संख्या 3 में अंकित की गई तिथि से समाप्त हो गई हो। इसके साथ-साथ उत्तर क्लेम का उजरात मजीद का पैरा संख्या 12 और 17 भी काबिल गौर हैं उत्तर क्लेम के पैरा संख्या 12 में यह तहरीर किया गया है कि प्रार्थी कर्मचारी को अप्रार्थी नियोजक द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही सेवा में रखा गया था, अवधि समाप्ति के बाद स्वतः ही सेवा कानूनन धारा 2(00) अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त हो गई। उत्तर क्लेम के पैरा संख्या 17 में यह लिखा गया है—"यह कि प्रार्थी कर्मचारी को अप्रार्थी द्वारा एक निर्धारित कार्य के लिये निर्धारित समय के लिये करार के आधार पर रखा गया था। करार समाप्त होने के बाद प्रार्थी की सेवा स्वतः ही समाप्त हो गई। इसलिये उसे पुनः कार्य पर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।" उभय पक्षकारान के अभिवचनों से प्रार्थी श्रमिकों का यह केस जाहिर किया गया कि उनकी सेवा निश्चित तिथि पर समाप्त की गई जबकि विपक्षी रेलवे की ओर से यह डिफेंस लिया गया है कि प्रार्थी श्रमिकों को निर्धारित कार्य के लिये निर्धारित समय के लिये करार के आधार पर रखा जाता था। करार की तिथि समाप्त होने पर प्रार्थी श्रमिक की सेवा स्वतः ही समाप्त हो जाती थी इसलिये अप्रार्थी के द्वारा सेवा समाप्त करना नहीं माना जा सकता।

इस संबंध में अब हमें उभय पक्षकारान की साक्ष्य व प्रलेखों पर गौर करना है। इस संबंध में प्रार्थीगण के अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस की कि प्रार्थी श्रमिकों की सेवा वास्तव में समाप्त की गई है। और यह सेवा समाप्ति छंटनी की परिभाषा में आती है। क्योंकि उनका केस धारा 2(00) (बीबी) के अपवाद में नहीं आता है। इस संबंध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थीगण ने श्रमिकों की ओर से पेश किये गये कार्य दिवसों के चार्ट प्रदर्श डब्ल्यू 1 व समझौता फेलियर रिपोर्ट डब्ल्यू-2 एवं पत्र प्रदर्श डब्ल्यू 3 दिनांक 7-9-87 को निर्देशित किया और आगे यह भी बहस की कि रेलवे की ओर से जो प्रलेख प्रदर्श एम 1 एम. 2 एम. 3 पेश किये गये है और जिनको बलबीर सिंह, गुरदयाल सिंह, अर्जुन लाल रेलवे पथ निरीक्षकों द्वारा प्रमाणित कराया गया है उन्होंने अपने प्रतिपरिक्षण में यह स्वीकार किया है कि टी. एल.ए. की समाप्ति पर श्रमिकों की सेवा समाप्त समझी जाती थी। इनकी जिरह से यह भी प्रमाणित है कि श्रमिक गण और उनके एम्प्लायर मंडल अभियंता द्वारा ऐसा कोई प्रारम्भ में मोहायदा नहीं लिखा गया था कि टी.एल.एल. की समाप्ति पर प्रार्थी श्रमिकों की सेवा समाप्त हो जायेगी। क्योंकि अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिकों ने यह भी बहस की कि प्रार्थी श्रमिकों की सेवा समाप्ति अधिकृत नियोजित द्वारा नहीं की गई जिन रेल पथ निरीक्षकों ने प्रार्थी श्रमिकों की सेवा समाप्ति व ऐसा करने का अधिकार नहीं रखते थे ऐसी सूरत में श्रमिकों की सेवा समाप्ति अवैध थी। योग्य अधिकृत प्रतिनिधि ने समझौता अधिकारी के द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई असफल वार्ता प्रतिवेदन को निर्देशित करते हुये यह भी बहस की कि समझौता वार्ता में प्रबंध तंत्र के प्रतिनिधि ने यह माना था कि प्रार्थी श्रमिकगण को दिये गये नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिये उनको धारा 25-बी, 25-एफ व 25-जी के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित करना नहीं था। इस प्रकार इस पैरा संख्या 3 असफल वार्ता प्रतिवेदन को निर्देशित करते हुये अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थीगण ने बहस की कि विपक्षी रेलवे प्रबंधक तंत्र ने अपनी प्रतिरक्षा धारा 2(00) (बीबी) के आधार पर नहीं रखी थी। और अब न्यायाधिकरण के समक्ष उन्होंने यह नई ली बिना (Reconciliation रिकंसीलेशन) में आधार बनाये ले ली है कि प्रार्थी श्रमिकगण की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित कार्य के लिये की गई थी। और उस अवधि की समाप्ति पर प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा स्वतः ही समाप्त हो गई। ऐसी प्ली उनके समझौता वार्ता में लिये गये स्टैण्ड के विपरीत है। जो अब काबिल पेशरफ्त नहीं है। रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने 1980 लेब. आई. सी. 508 को निर्देशित करते हुये यह बहस की कि आकस्मिक श्रमिकों को एक विशेष आवश्यक कार्य के लिये लगाया और उस कार्य के खत्म हो जाने के बाद श्रमिकों की सेवा स्वतः समाप्त हो गई। और वह छंटनी की परिभाषा में नहीं आई है। इसके मुद्दे मुकाबिल योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिकगण ने 1976, लैब. आई. सी. 769 पर अवलम्ब

करते हुए बहस की कि इस केस स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया बनाम सुन्दर मनी में रेस्पाण्डेन्ट कर्मकार को 9 दिन के लिये रखा गया था और उसमें यह भी लिखा गया था कि उसके पश्चात् आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। जबकि इन 9 दिनों की अवधि में ही रेस्पान्डेंट श्रमिक के 240 दिन पूरे हो गये थे। ऐसी तुरन्त सूरत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया कि कर्मकारी की सेवा उस समय समाप्त हो जाती है जब कि उसकी सेवा अवधि समाप्त हो जाती है जो चाहे मालिक के द्वारा खत्म की जाती है या नियत समय की समाप्ति पर खत्म होती है। इस संबंध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि ने इस ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया कि सेवा समाप्ति केवल सेवा समाप्त करने वाले के सेवा समाप्ति कृत्य से ही समाप्त नहीं होती है बल्कि सेवा समाप्ति का तथ्य किसी प्रकार भी बन जाता है उसे ही सेवा समाप्ति समझी जायेगी और उसको छंटनी की परिभाषा में माना जायेगा। योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिकगण ने ए. आई. आर. 1984 सुप्रीम कोर्ट पृ. 500 को निर्देशित करते हुए यह बहस की कि सेवा समाप्ति काम समाप्त होने या कम्पनी का कार्य घट जाने के कारण की जाती है तो वह छंटनी की परिभाषा में आती है। जहां छंटनी के आवश्यक तत्व पूरे न करते हुए छंटनी कर दी जाती है तो ऐसी सेवा समाप्ति बिलकुल अवैध होती है। उपरोक्त उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस और नजीरों को देखते हुए एवं पेश किये गये रेलवे बोर्ड के सर्कुलर 1774 जो पर्सनल ब्रांच से नोदर्न रेलवे ने 12-10-62 को जारी किया जिसका नं. 220ई/190/2ई. V/दिनांक 12-10-62 में यह निर्देश जारी किया है कि आकस्मिक श्रमिकों की छंटनी के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त आर. एल. आर. 1988 (2) पृष्ठ 272 में यह विनिश्चय किया गया है कि धारा 25 एफ. के प्रावधान उन श्रमिकों के अन्दर कोई भेद या फर्क नहीं रखता है जो दैनिक वेतन पर या मंथली वेतन भत्ते पर लगाये गये हों। गोया कि आकस्मिक श्रमिकों पर धारा 25एफ. के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता। यह स्वीकारणीय नहीं है। मौजूदा विवाद में यह स्वीकृत तथ्य कि प्रार्थी श्रमिकगण को टी. एल. ए. की स्वीकृति पर रेलपथ निरीक्षकों द्वारा नियोजित किया जाता था और वह टी. एल. ए. मंडल अभियंता बीकानेर स्वीकृत करते थे। इस प्रकार के नियोजन में यह प्रमाणित हो चुका है कि मंडल अभियंता और श्रमिकों के बीच सेवा अवधि का कोई मुहायदा या संविदा या एग्रीमेंट नहीं होता था। नियोजक के गवाहों ने केवल यह लिखा है कि वह श्रमिकगण को लगाते समय मस्टर रोल पर अंगूठा श्रमिक का कराते थे उससे उन्हें यह विदित होता था कि जितने दिन के लिये टी. एल. ए. स्वीकृत होता था उतने दिन के लिये ही उनकी सेवा अवधि होती थी। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं क्योंकि इस तथ्य को प्रत्येक श्रमिक के संबंध में प्रमाणित नहीं कराया गया है कि अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति श्रमिक को यह समझा भी देता हो कि अमुक तिथि के लिये वह टी. एल. ए. स्वीकृत है और उस टी. एल. ए. के अवधि के समाप्ति पर उसकी सेवा समाप्त हो जायेगी। यदि इस प्रकार का कथन पी. डब्ल्यू. आई. द्वारा भी देता हो तो सेवा संविदा प्रार्थी श्रमिक और मंडल अभियंता के बीच होना नहीं कही जा सकती। इस प्रकार महज मस्टर रोल पर अंगूठा लगाने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि उस अंगूठा के लगाने से एक अमुक अवधि लिये सेवा मुहायदा तय हुआ था। प्रत्येक के केस में एक निश्चित अवधि के लिये सेवा मुहायदा प्रमाणित कराना आवश्यक होता है। मौजूदा केसेज में न तो प्रार्थी श्रमिकों को लिखित में कोई नियोजित करने का आदेश दिया गया था नहीं उन्हें सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया। विपक्षी रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने यह भी बहस की है कि अप्रार्थी श्रमिकगण को अन्तिम टी. एल. ए. के तहत उन्हें अपनी स्वीकृति देने को पेशकश की गई थी मगर उन्होंने इस अन्तिम टी. एल. ए.-18-86 से 28-8-86 के मध्य में कार्य करना स्वीकार नहीं किया। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा रेलवे के अधिकारियों ने समाप्त की है बल्कि सेवा उसके स्वयं के द्वारा स्वेच्छा से छोड़ी गई है। मैं योग्य अधिवक्ता रेलवे के इस बहस से सहमत नहीं हूं क्योंकि प्रथम तो उस नोटिस देने वाले सहायक अभियंता को प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके द्वारा ऐसे नोटिस दिये जाना गवाहों ने बताये हैं। इस संबंध में गुरदयाल सिंह रेल पथ निरीक्षक की जिरह काबिल गौर है उसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह माना है कि प्रदर्श एम.-2 का नोटिस देने में हम कम्पीटेन्ट यानि सक्षम नहीं है। ऐसा करने के लिये केवल सहायक अभियंता ही सक्षम है। ई. एक्स. एम.-2 पर ए. टू बी. जो रिमार्क लगाया गया है वह मैंने लगाया है। इस पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। ई. एक्स. एम. 2 के रिमार्क पर तिथि अंकित नहीं है। वैसे हम उसी समय रिमार्क लगाते हैं जब कर्मचारी को लगाया जाता है। गुरदयाल सिंह की इस प्रतिपरीक्षण में विदित है कि नोटिस ई. एक्स. एम. II पर जो रिमार्क "हम जानते हैं कि हमें टी. एल. ए. नं. 4781 डब्ल्यू. 7/86-87/1 दिनांक 28-4-86 के अन्तर्गत 90 दिन के लिये रखा है आगे मंजूरी न आने पर हमारी सेवा स्वयं ही समाप्त समझी जायेगी हम इससे सहमत हैं।" जबकि यह नोटिस सहायक अभियंता द्वारा देना बताया गया है और इस पर नोट सहायक अभियंता द्वारा न लगाया जाकर रेल पथ निरीक्षक द्वारा लगाया जाना बताया जाता है और इस नोट के नीचे भी कोई तारीख नहीं लिखी जाती है अव्वल तो कोई मुहायदा सक्षम अधिकारी मंडल अभियंता और श्रमिक के बीच होना नहीं पाया जाना है और इस प्रकार गुरदयाल सिंह के पथनिरीक्षक के प्रतिपरीक्षण से यह

सम्भावना नजर आउट नहीं होती है कि यह नोट ई. एक्स. एम. 11 पर बाद में लगा दिया गया है। अगर ऐसा नोट यदि रेल निरीक्षक द्वारा लगाया गया था तो उसके हस्ताक्षर के नीचे तारीख लगाया जाना आवश्यक था। उक्त रेल पथ निरीक्षक की साक्ष्य से एक्जीबिट एम-11 के कन्टेन्ट विशेष तौर से इस पर लगाये गये रिमार्क की सत्यता में सन्देह पाया जाता है। वैसे भी जब कि प्रत्येक श्रमिकगण ने इस अंतिम टी.एल.ए. से पहले 240 दिन एक कलेण्डर वर्ष में निरन्तर कार्य कर लिया था तो वे क्यों ऐसी शर्त से पाबन्द होते जिसके कारण उनका केस अन्यथा धारा 2 (००) (बी बी) अधिनियम की परिधि (जद) में आता। इस प्रकार यह भी माना जाये कि श्रमिकगण को नोटिस प्रदर्श एम.-11 दिया गया तो उनके द्वारा इस प्रकार का नोटिस स्वीकार न करना स्वाभाविक था और उनके हित में था जो नोटिस किसी श्रमिक का उत्पन्न हुए लाभ को समाप्त कर देता हो ऐसा नोटिस उसके हित के निश्चित ही खिलाफ था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि विपक्षी रेलवे प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक के संबंध में यह प्रमाणित कराने में असफल रही है कि सेवा समाप्ति से पूर्व के टी.एल.ए. में प्रार्थी श्रमिकगण और नियोजक सक्षम अधिकारी के मध्य कोई निश्चित समय के लिये सेवा संविदा तय हुई हो बल्कि यही प्रमाणित होता है कि टी.एल.ए. की समाप्ति और नया टी.एल.ए. पुराने टी.एल.ए. की समाप्ति से पूर्व प्रारम्भ कर देने से और उनको एक निश्चित अवधि के लिये कार्य करने को बाध्य करने की पेशकश से पाबन्द कर सेवा में आने का एक आमंत्रण जो दिया गया वह सदभाव से नहीं दिया गया ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का जो सेवा समाप्ति की गई वह उचित सेवा समाप्ति नहीं थी। सेवा एक निश्चित समय की सेवा संविदा के अन्त पर धारा 25 एफ. अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति किये बिना किसी प्रकार भी श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी जाती है या की जाती है वह एक अवैध छंटनी की परिभाषा में आती है और उसमें धारा 25 एफ. के प्रावधान लागू होते हैं। मैं अप्रार्थी रेलवे के अधिवक्ता की इस बहस को निस्सार पाता हूं कि विपक्षी रेलवे के रेलपथ निरीक्षकों ने प्रार्थीगण की सेवा समाप्त नहीं की बल्कि वह खुद छोड़कर चले गये। प्रार्थीगण ने उनके शपथ पूर्वक बयान में यह व्यक्त किया है कि श्रमिकों की सेवा समाप्ति से पूर्व एक माह का नोटिस नहीं दिया गया न नोटिस अवधि का उन्हें वेतन दिया गया था न ही छंटनी का मोआवजा दिया गया ना ही प्रार्थीगण जैसे श्रमिकों की वरिष्ठता सूची सेवा समाप्ति से पूर्व घोषित की गई ना ही केन्द्रीय सरकार को उनकी सेवा समाप्ति की सूचियां की गई। ऐसी सूरत में धारा 25 एफ. का परोक्ष रूप में उल्लंघन पाया जाता है इस संबंध में 1985 लेब.आई.सी. 1773 एच.डी. सिंह बनाम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया पर भरोसा किया जाता है जिसमें यह विनिश्चय किया गया है कि जहां कर्मकार का नाम हाजरी रोल से काट दिया जाता है वह छंटनी की परिभाषा में आता है और धारा 25 एफ. के प्रावधानों की पूर्ति किये बिना सेवा समाप्त कर दी जाती है तो वह अवैध छंटनी होती है।

1985 लैब आई.सी. 1794 भवंर लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज. पथ परिवहन निगम की नजीर में पैरा 118 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय किया है कि चैप्टर ए. के मेंडाटरी प्रावधान धारा 25 एफ. 25जी. 25 जे. व 25 एन. में 5 रखे गये हैं जहां इन प्रावधानों में अधिनियम की उक्त किसी भी एक धारा का उल्लंघन कर सेवा समाप्त की जाती है वह अवैध होती है।

1981 लैब आई. सी. 1196-98 में नियम यानि औद्योगिक विवाद (केन्द्र) नियम 77, 2 (जी. (11) (सी) में संबंध में यह विनिश्चत किया गया है कि रेलवे में जहां आकस्मिक श्रमिको की छंटनी की जाती है और जहां सिनियर्टी लिस्ट तैयार करने का भी प्रश्न है और लिस्ट पुल निरीक्षक द्वारा तैयार की गई हो जो आकस्मिक श्रमिकों का नियोजक नहीं था ऐसी वरिष्ठता सूची वैध नहीं थी। और ऐसी सूची के आधार पर की गई सेवा समाप्त अवैध थी। नियम 77 की पूर्ति के लिये आवश्यक यह है कि एक श्रेणी के कर्मकारों की वरिष्ठता सूचि तैयार की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे स्टैब्लिशमेंट मैनुअल रूल के 2511 रूल (ए) IV में यह प्रावधान रखा गया है कि छंटनी के लाभ दिये गये जाने के संबंध में एक आकस्मिक श्रमिक ने जो भिन्न-भिन्न अधिकारियों के तहत एक ही डिस्ट्रिक्ट में कार्य किया हो या मंडल कार्मिक अधिकारी के तहत जितने समय कार्य किया उन सभी कार्य दिवसों को जोड़ कर वे लाभ दिया जावेगा। इस प्रकार रेलवे मैनुअल के हिसाब से श्रमिकों की सिनियर्टी लिस्ट मंडल स्तर पर तैयार की जानी चाहिये थी। मगर विपक्षी की साक्ष्य यह प्रमाणित हो चुका है कि मंडल स्तर पर प्रार्थी श्रमिकों के श्रेणी के कर्मकारों की कोई ऐसी वरिष्ठता सूची घोषित नहीं की गई। औद्योगिक विवाद अधिनियम 77 एक आज्ञापक प्रावधान है और इसके पालन न करने से भी छंटनी अवैध पाई जाती है। मौजूदा विवाद के सिलसिले में असफल समझौता वार्ता रिपोर्ट प्रदर्श डब्ल्यू. 2 पैरा संख्या 3 से विदित है कि अप्रार्थीगण ने 12 श्रमिकों को जो प्रार्थी श्रमिकगण के ही साथ काम करने वाले व्यक्ति थे उनको नौकरी पर इसलिये रख लिया क्योंकि उन्होंने विपक्षी के द्वारा दिए गये नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिये थे इस प्रकार प्रार्थी श्रमिकगण जैसे 12 श्रमिकों को रख लिया गया और अन्य 184 कर्मचारियों को सेवा समाप्त कर दी गयी। जिसके लिये कोई समुचित कारण नहीं था इस प्रकार इस मौजदा विवाद के संबंध में प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति धारा 25 एफ. 2 जी. एवं नियम 77 का उल्लंघन में किया जाना पाई जाती है। योग्य अधिवक्ता रेलवे द्वारा प्रस्तुत की गई नजीर 1980 लैब आई. सी. 508 में भिन्न तथ्य होने के कारण मौजूदा विवाद में विपक्षी को फायदा नहीं पहुंचाती है

जहां उस वक्त नजीर के तथ्य में कुछ आकस्मिक श्रमिकों को केवल ढकलने के अर्जेन्ट कार्य के लिये ही रखा गया था जिसकी समाप्ति पर यानि सेवा अवधि और कार्य की समाप्ति पर निकाले गये व्यक्तियों को रिक्रूटमेंट नहीं माना था। मौजूदा सूस में प्रार्थी श्रमिकगण को तौर गैंगमैन के रेलवे में योजित किया गया था उन्होंने रेलवे में वही कार्य किया जो नियमित गैंगमैन करते हैं। रेलवे में गैंगमैन के पद आज भी और ऊपर कार्य हो रहा है। गैंगमैन का पद रेलवे में स्थाई प्रकृति का है। रेलवे एक बहुत बड़ी उद्योग है। जिसका विस्तृत फैलाव है। यदि श्रमुक स्थान पर गैंगमैनों की आवश्यकता नहीं भी रही थी तो उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता था। भारत एक वेलफेयर राज्य हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम एक बनिफिसियल लेजिसलेसन है इसके तहत कमजोर वर्ग के कर्मकारों की सेवा सुरक्षा को ध्यान में रखना भी उच्च अधिकारियों के लिये एक आवश्यक कर्म था और इस कर्तव्य परायणता की परिपालन करना भी आवश्यक ए. आई. आर. 197 सुप्रीम कोर्ट 170 पृष्ठ 172 पर यह विनिश्चित किया गया है कि उक्त नियोजक किसी विशेष काम को बंद कर सकता है जो किसी एक अंडरटेकिंग का भाग थी। परन्तु ऐसे भाग को एक स्वतंत्र अंडरटेकिंग नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में और ऐसे कन्टक्स में किसी अंडरटेकिंग का बन्द किया जाना नहीं कहा जा सकता। ऐसी सूरत में जो कार्य बन्द होता है और श्रमिकों को हटाया जाता है वह छंटनी की परिभाषा में आता है और यदि छंटनी की शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती है तो वह अवैध छंटनी होती है और ऐसे श्रमिकों को पूरे वेतन सहित बहाल किया जाना चाहिये। आर. एल. डब्ल्यू. 1986 पृ. 478 में यह विनिश्चत किया गया है कि जहां की प्रार्थी श्रमिक ने यह नहीं कहा कि वह और कहीं उस अवधि में नियोजित रहा हो और रेस्पांडेन्ट की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई जो उसका उस अवधि में नियोजित होना प्रमाणित करती हो। ऐसी सूरत में प्रार्थी श्रमिक को पीछे का वेतन दिलाया जाना चाहिये। यानि वेतन सहित बहाल किया जाना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि विपक्षी उत्तर रेलवे के रेलपथ निरीक्षक गंगानगर एलानाबाद व चैतसर ने उनसे संबंधित उपरोक्त प्रार्थी श्रमिकों की सेवा समाप्त की और उनकी सेवा समाप्ति धारा 25 एफ. जी. अधिनियम व औद्योगिक विवाद नियम (केन्द्र 1957 के) नियम 77 के उल्लंघन में की गई है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी श्रमिकगण को बार-बार नियोजित किया गया व हटाया गया यह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श डब्ल्यू. 3 संख्या एल. 41011/38×86-डी. 11 (बी) दिनांक 7 सितम्बर, 1987 से यह विदित है कि उत्तर रेलवे प्रशासन ने भारत सरकार के श्रम विभाग को यह सूचित किया कि उत्तर रेलवे के प्रशासन तंत्र ने 184 संबंधित श्रमिकों को सेवा समाप्ति के नोटिस दिये और उसके पश्चात उन्होंने उन कर्मकारों को बीकानेर मंडल में नियोजित कर लिया है। इसको देखते हुए यह खेद है कि उत्तर रेलवे के प्रबंध तन्त्र के जिम्मेदार अधिकारियों ने भारत सरकार को प्रार्थी श्रमिकगण के संबंध में गलत सूचना दी कि बजाय नोटिस देने की और उन्हें पुनः नियोजित करने की दी। जिन अधिकारियों ने इस प्रकार की जानबूझकर गलत सूचना भेजी उनसे प्रार्थी श्रमिकगण के प्रति दुर्भावना (मैलाफाइड) रखना प्रतीत होता है और ऐसे अधिकारियों का यह कृत्य निन्दनीय था। इस आब्जरवेशन सहित विचारण बिंदु संख्या 3 व 4 को प्रार्थी श्रमिकगण के पक्ष में इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति छंटनी की जो धारा 25 एफ. 25 जी. की अधिनियम व नियम 77 के उल्लंघन में पाई जाने से अवैध छंटनी पाई जाती है वह जो सेवा समाप्ति की अवैध अनुचित पाई जाने के कारण निरस्तनीय है।

विचार बिंदु संख्या 5:—प्रार्थी श्रमिकगण इस अनुतोष के पाने के अधिकारी हैं। इस संबंध में यह निर्विवाद है कि प्रकरण संख्या 64/164 के प्रार्थी श्रमिक शंकर पुत्र रूगा का स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही उसके कथ के संबंध में साक्ष्य पेश की गई है। अतः श्रमिक शंकर पुत्र रूगा कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। उसकी हद तक नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किये जाने योग्य है। श्रमिक लालचन्द पुत्र मुकरा राम जिसके संबंध में पत्रावली संख्या 64/172/88 कायम की गई थी उसका 2-12-88 को पुनः सर्विस में विपक्षी रेलवे द्वारा ले लिया जाना मान लिया गया है। और उसके संबंध में कोई राहत भी नहीं मांगी गई है। ना ही वह साक्ष्य में आया है। ऐसी सूरत में राम की मृत्यु कार्यवाही के दौरान हो गई और श्रमिक के गोविंद राम के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर उसकी विधवा श्री मती प्रभाती और उसकी पुत्रियों (अवयस्क) को 20-11-89 को रिकार्ड पर ले लिया गया है। श्री गोविंद राम के निरन्तर उसकी सेवा व अवयस्क पुत्रियां जरिये माता खुद उसकी सेवा समाप्ति से उसकी मृत्यु दिनांक 27-7-1989 की अवधि का उसको उत्पन्न होने वाली राशि यानि उसके वेतन भत्ते को प्राप्त करने की अधिकारिणी होंगी। आर. एल. डब्ल्यू. 1975 पृष्ठ 131 माननीय राज उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय किया कि जहां धारा 25 एफ. के उल्लंघन में छंटनी के साथ मोआवजा नहीं दिया गया है तो कर्मकार की सेवा समाप्त होना नहीं कहा जा सकता और वह सेवा में पुनः बहाल होने का अधिकारी है। मौजूदा में विवाद में शंकर पुत्र रूगा लालचन्द पुत्र मुकना राम व गोविंद राम के विधिक प्रतिनिधिगण को छोड़कर शेष उपरोक्त 181 श्रमिकगण सेवा में सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने के अधिकारी ही पाये जाते हैं और सेवा समाप्ति की तिथि से प्रत्येक सेवा में पुनः बहाल किये जाने तक का नियमानुसार वेतन भत्ता बतौर एरियर प्राप्त करेंगे। अतः निम्न प्रकार से अवार्ड पारित किया जाता है।

अवार्ड

मौजूदा विवाद में प्रकरण संख्या 64/164/88 के प्रार्थी शंकर पुत्र रूगा एवं प्रकरण संख्या 64/72/88 के प्रार्थी श्रमिक लालचन्द पुत्र मुकना राम की स्थित मौजूदा फरेंस में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है।

श्रमिक मृतक श्री गोविन्द राम पुत्र हुक्मा राम प्रकरण संख्या (./88/129 इसकी मृत्यु 27-7 1989 को होना प्रमाणित हुई है। उसकी बेवा श्रीमती प्रभाती जिसे उसके स्थान पर रिकार्ड पर लिया जा चुका है वह श्री गोविन्द राम की सेवा समाप्ति के दिन से 27-7-89 के मध्य उसको मिलने वाले वेतन भत्ते की राशि को प्राप्त करेगी श्री गोविन्द राम को सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद का वेतन देय होकर उसकी मृत्यु की समय तक नियमानुसार देय होगा और इस दौरान में यदि मृतक गोविन्द राम को कोई अन्य देय लाभ और अर्जित होते हों उन लाभों की राशि भी उसकी बेवा प्रभाती को देय होगी और वे इस राशि को बतौर गोविन्द राम की विधिक वारिस होने के रूप में प्राप्त करेगी।

रेफरेंस सी. आई. टी. 04/88 के साथ संलग्न 184 प्रार्थी श्रमिकों में से उपरोक्त 3 व्यक्ति लालचन्द पुत्र मुकना राम, शंकर पुत्र रूगा मृतक गोविन्द पुत्र हुक्मा राम को छोड़ कर शेष 181 प्रार्थी श्रमिकगण की अवैध छटनी किये जाने के कारण वे पुनः सेवा में सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने के अधिकारी हैं। वे उनकी सेवा समाप्ति की तिथि से उन्हें सेवा में बहाल किये जाने की तिथि के मध्य अवधि का नियमानुसार वेतन व भत्ता एरियर के रूप में प्राप्त करेंगे। उनकी सेवा निरन्तर मानी जावेगी और सेवा समाप्ति एवं सेवा में पुनः बहाली की तिथि के बीच यदि अन्य कोई और लाभ अर्जित होते हों तो वे भी वे प्रत्येक पाने के अधिकारी होंगे।

पंचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

आज्ञा आज दिनांक 9-3-1990 को मुकाम बीकानेर लिखाई जाकर सुनाई गई।

प्रताप सिंह यादव, जज औद्योगिक न्यायाधिकरण

[सं. एल – 41011/38/86–डी. 2 (बी)]

का. आ. 1624 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सब डिवीजनल आफिसर, फोन्स, पानाजी, गोआ के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण और श्रम न्यायालय नं. 1 बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1624.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the CGIT-cum-Labour Court No. 1 Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Sub-Divisional Officer, Phones, Panaji, Goa and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1 AT BOMBAY

(Presiding Officer : Justice S. N. Khatri)

Reference No. CGIT-44 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Sub-Divisional Officer, Phones, Panaji, Goa

AND

Their Workmen

APPEARANCES:

For the Management : Shri Masurkar, Advocate.

For the Workman : Shri D. K. Deshpande, Advocate.

INDUSTRY : Telephones STAETE : Goa

Bombay, the 19th April, 1990

AWARD

The Central Government has referred the following industrial dispute between the Sub-Divisional Officer, Phones, Panaji and Workman C.A. Shethgaonkar to this Tribunal for adjudication under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947:

"Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer, Phones, Parnaji, Goa in terminating the services of Shri C.A. Shethgaonkar, casual mazdoor w.e.f. 1-7-1988 is justified? If not, to what relief the said Workman is entitled to ?"

2. Most of the material facts are not in dispute. The Workman was employed as a Casual Worker by the Management on dily rate basis for the following periods :

1-8-1982 To 31-10-1983;

1-10-1984 To 31-5-1985;

1-4-1988 To 30-6-1988.

Now during the pendency of this reference he has again been appointed as a casual labourer on the same basis from 6-4-1990 to 31-5-1990. The ground on which the Management terminated his services on the three occasions, is that the work of the project on which the Workman was appointed, was over. It is also not in dispute that while terminating the employment, the provisions of Section 25-F of the Act were not observed by the Management.

3. The workman's grievance is that the termination of his employment amounts to retrenchment, and as such the Management had no valid power to retrench him without complying with the conditions of Section 25-F. According to him, the termination is abinitio void right from 1-11-1983, and as such he is entitled to get set aside the three terminations, all of which are illegal. He also claims full back wages with effect from 1-11-1983.

4. The Management submit that the Workman's services used to be terminated whenever work on a particular project came to an end. They further point out that he has not worked for the requisite minimum number of 240 days in a year, so far as the last two spells of his employment are concerned. They also contend that the Workman is not entitled to any back wages, for the reason that he did not approach the Tribunal immediately after the first termination and has accepted the subsequent offers of employment without ny protest.

5. In his rejoinder to the written statement, the Workman points out that he had made representations to the department in September 1986, and thereafter his Union had also taken up the matter with the Conciliation Authorities. According to him, the Assistant Labour Commissioner, Goa had been in correspondence with the Chief General Manager, Telecom, Maharashtra Circle, right up to the end of December 1988, and that the failure report came to be made only on 24-2-1989. On these facts he refutes the Management's charge of laches.

6. The parties have filed documents in the case, which have been exhibited. They did not lead any oral evidence. There could be no doubt whatever that the first termination of the Workman's employment will clearly amount to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Act. The Management have not in so many words admitted this position. However, they have not denied or pleaded any valid facts, to bring their case under any of the exceptions enacted in clause (a), (b), (bb), or (c) of Section 2(oo). The Management's representative made a faint attempt to bring his case within exception (bb) ibid. The appointment order which is produced by the Management at Ex. M-1 states, "Your appointment|reinstatement in this Department is purely on temporary basis and is likely to be terminated on the completion of cable digging work which is taken in hand throughout the entire Sub-Division" (emphasis supplied). The position in law cannot be disputed that to attract the exception contained in clause (bb), he contract must expressly provide for certain circumstances or situation in which the termination can be effected. The terminology used in the appointment order, "likely to be terminated" lack the requisite certainty. Without dilating further, I hold that the termination of the Workman's services with effect from 1-11-1983 amounts to retrenchment, and further that this retrenchment is void abinitio inasmuch as admittedly the mandatory provisions of Section 25-F have not been complied with. The Management's contention that the Workman has not worked for 240 days during the second spell of employment, is also factually wrong. Correctly calculated, this period comes to 243 days. All the same, this aspect or the aspect that during the 3rd spell the period of Workman's service was admittedly less than 240 days, will have no bearing on the final result, inasmuch as the first termination of service with effect from 1-11-193, is void ab initio.

7. Coming to the Workman's claim for back wages, I am not at all impressed by the Management's submission that he is guilty of laches. The record shows that the Workman first took the matter with the department and then approached the Conciliation Machinery which reported failure only on 24-2-1989. Even otherwise, the Management cannot legitimately argue that the Workman should be penalised for his so called laches, or acquiescence, particularly when they themselves are responsible for the gross breach of Section 25-F. It is not their case that the Workman had taken gainful employment anywhere else during the breaks. Their averments in the written statement that in December 1988 he was again offered employment, is denied by the Workman in his rejoinder. There is substance in his contention that if such an offer had been actually made by the Management, they would have brought it to the notice of the Assistant Labour Commissioner, which admittedly they did not do. In absence of any good cause, the Workman will be entitled to get full back wages from 1-11-1983. Of course, the wages that he has already received for the periods of employment referred to in paragraph 2 Supra will be given credit for.

8. All the three terminations of the Workman's service by the Management, with effect from 1-11-1983, 1-6-1986, and 1-7-1988 are illegal and set aside. He is directed to be reinstated in service with effect from 1-11-1983. The Management will pay to him his full back wages, including revised ones, if any. While doing so the Management will be entitled to get credit for the wages which they have already paid to him for the periods he has worked with them. The Workman will also be entitled to get his seniority on the basis of continuous service from 1-8-1982. The Management shall pay the dues within two months of the publication of the award. The Management shall bear their own costs and pay those of the Workman, which I quantify at Rs 300. Award accordingly.

S. N. KHATRI, Presiding Officer

[No. L-40012|37|89-IR(DU)]

का. आ. 1625 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे सूरतगढ़ के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1625.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Suratgarh and their workmen, which was received by the Central Government.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, आर एच जे एस
केस नं. सी. आई. टी. 42/85

मध्य

जनरल सैक्रेट्री रेलवे केजुअल लेबर यूनियन, डागा स्कूल के पास, बीकानेर कमचारी गण सर्वश्री उमेशचन्द, पालाराम, बीरम सिंह, उम्मेद सिंह, अमृतलाल, द्वारका प्रसाद, भरतराम, गणेशप्रसाद, एवं रामप्रसाद

बनाम

सीनियर सिविल इंजीनियर (कन्स्ट्रक्शन), 1/नोर्दन रेलवे, सूरतगढ़।

रैफरेंस अंतर्गत धारा–10 (1) (डी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

उपस्थित

यूनियन की ओर से :	श्री भरत सिंह सेंगर एवं श्री अरविन्द सिंह
नियोजक की ओर से :	श्री जे. पी. एम. जैन
दिनांक अवार्ड :	20-2-90

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने उनकी आज्ञा सं. एल–41011 (36)/84–डी–II (बी) दिनांक 29-8-85 निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 (1) (डी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा जायेगा वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण को भेजा है जिसके साथ श्रमिक गण, जिनकी कि सेवा समाप्त की गई है, के बारे में भी ब्यौरा निर्देशन के साथ निम्न प्रकार से भेजा है :—

"Whether the action of the Senior Civil Engineer (Const) IVN. Rly. Suratgarh in terminating the services of following nine casual workers from the dates mentioned against their names is legal and justified? If not what relief they are entitled to?"

ANNEXURE

S. No. Name of worker Father's name Date of termination

1. Shri Umesh Chand—Shri Lakhan Singh—15-11-83
2. Shri Pala Ram—Shri Gurda Ram—15-11-83
3. Shri Biram Singh—Shri Jawala Prasad—16-12-83
4. Shri Ummed Singh—Shri Chandra Singh—18-11-83
5. Shri Amrit Lal—Shri Satya Narayan—15-11-83
6. Shri Dwarika Prasad Tiwari—Shri Chandram Prasad Tiwari— -20-10-83
7. Shri Bharatram—Shri Lakhan Singh—15-11-83
8. Shri Ganesh Prasad—Shri Bhawani Dutt—15-11-83
9. Shri Ram Prasad—Shri Manohar—15-12-83

2. बाद प्राप्ति निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया गया। उभय पक्षकारान को दिनांक 31-10-85 को उपस्थित आने के लिए नोटिस जारी किये गये। यूनियन की ओर से श्री अरविन्द सिंह उपाध्याय, रेलवे केजुअल लेबर यूनियन, डागा स्कूल के पास, बीकानेर ने दिनांक 8-9-86 को स्टेटमेंट आफ क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया। यह कि प्रार्थी श्रमिकगण उमेश चन्द पुत्र श्री लाखन सिंह को दिनांक 9-3-83 को, पाला राम पुत्र श्री गुरुदारा 26-4-83 को, बीरम सिंह पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद दिनांक 26-3-83 को, उम्मेद सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह दिनांक 16-4-83 को, अमृत लाल पुत्र श्री सत्यनारायण दिनांक 15-11-83 को, द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री चन्द्र प्रसाद दिनांक 7-3-83 को, भरथ राम पुत्र श्री लखन लाल दिनांक 19-4-83 को, गणेश प्रसाद पुत्र श्री भवानी 23-4-83 को, एवं रामप्रसाद पुत्र श्री मनोहर दिनांक 21-5-83 को सीनियर सिविल इंजीनियर सूरतगढ़ जिला गंगानगर ने दैनिक वेतन पर रेलवे सेवा में नियोजित किया। इस प्रकार इनका नियोजक सीनियर सिविल इंजीनियर (निर्माण) सूरतगढ़ हुआ।

3. यह कि उपरोक्त कर्मचारी गण कार्य निरीक्षक (निर्माण) एवं रेल पथ निरीक्षक (निर्माण) सूरतगढ़ की देखरेख में नियोजित हुए हैं, जिनको बाद में अस्थाई रेल कर्मचारियों का पद एवं वेतन दिया गया। इस कारण से उपरोक्त 9 श्रमिकगण की सेवा समाप्त करने का अधिकार कार्य निरीक्षक (निर्माण) एवं रेल पथ निरीक्षक (निर्माण) सूरतगढ़ का नहीं रहा। आगे व्यक्त किया कि तत्पश्चात प्रार्थी श्रमिक उमेश चन्द व पालाराम की सेवा दिनांक 15-11-83 से, बीरम सिंह की 16-12-83 से उम्मेद सिंह की 18-11-83 से, अमृत लाल की 15-11-83 से, द्वारका प्रसाद तिवारी की दिनांक 20-10-83 से, भरथ राम की 15-11-83 से, गणेश प्रसाद की 15-11-83 से व रामप्रसाद की सेवायें 15-12-83 से मौखिक रूप से समाप्त कर दी गई। आगे एतराज किया कि उक्त नौकश कर्मचारियों की सेवा उनके सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त नहीं की गई बल्कि कार्य निरीक्षक (निर्माण) एवं रेल पथ निरीक्षक (निर्माण) सूरतगढ़ ने अनुचित, अनधिकृत एवं अवैध रूप से उनका नाम टी. एल. ए. से हटा दिया और इस प्रकार अवैध रूप से उनकी सेवा समाप्त कर दी। आगे यह भी एतराज किया कि इन कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने से पूर्व उनके सक्षम नियोजक द्वारा कोई सेवा समाप्ति का नोटिस नहीं दिया गया न ही सेवा समाप्त करने से पूर्व इन जैसे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची घोषित की एवं पहले आये पीछे जाये के सिद्धान्त का भी पालन नहीं किया गया और उनको सेवायें उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा में कायम रखते हुए समाप्त की गई। भारत सरकार को भी इस छंटनी बाबत निर्धारित फार्म में कोई सूचना नहीं दी गई और न ही श्रमिकगण को कोई छटनी का मुआवजा दिया गया। इस प्रकार इनको सेवा समाप्त करने का कोई औचित्य एवं कारण नहीं था।

4. आगे यह भी आरोप लगाया कि उनकी सेवायें अनफेयर लेबर प्रेक्टिस के रूप में समाप्त की गई इस कारण से भी उनकी सेवा समाप्ति अनुचित एवं अवैध थी। कर्म-

चारीगण ने अपना औद्योगिक विवाद उठाया और असफलता रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को समझौता वार्ता विफल होने पर प्रस्तुत की गई, तत्पश्चात केन्द्रीय सरकार से यह विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय भेजा गया है।

5. सीनियर सिविल इंजीनियर (निर्माण) सूरतगढ़ ने स्टेटमैंट आफ क्लेम का उत्तर दिनांक 30-5-88 को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया। यह कि श्री उमेश चन्द्र और श्री पारसराम को दिनांक 26-3-83 को, बीरम सिंह को दिनांक 15-4-83 को, उम्मेद सिंह को 7-4-83 को, अमृतलाल को 7-3-83 को द्वारका प्रसाद को 7-3-83 को, भरथराम को 19-4-83 को, गणेश प्रसाद को 12-5-83 को, एवं राम प्रसाद को 21-5-83 को कार्य निरीक्षक (निर्माण) सूरतगढ़ एवं रेल पथ निरीक्षक (निर्माण) अनूपगढ़ द्वारा दैनिक वेतन पर लगाया था। कार्य निरीक्षक (निर्माण) सूरतगढ़ एवं रेल पथ निरीक्षक (निर्माण) अनूपगढ़ सीनियर सिविल इंजीनियर (कंस्ट्रक्शन) के अधीन कार्यरत हैं। प्रार्थी श्रमिकगण को बतौर केजुअल लेबर का दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में लगाया था। आगे जाहिर किया कि इनके नियोजक रेल पथ निरीक्षक (निर्माण) अनूपगढ़ तथा कार्य निरीक्षक (निर्माण) सूरतगढ़ हैं, जिन्होंने उनको दैनिक वेतन पर लगाया था। आगे इस तथ्य को नकारा कि प्रार्थी श्रमिकगण को अस्थाई रेल कर्मचारियों का पद एव वेतन दिया गया इनको दैनिक वेतन पर ही रखा गया था तथा दैनिक वेतन ही दिया गया था। प्रार्थी श्रमिकगण का यह कथन गलत है कि श्रमिकगण की सेवायें समाप्त करने का अधिकार कार्य निरीक्षक (निर्माण) सूरतगढ़ तथा रेल पथ निरीक्षक (निर्माण) अनूपगढ़ को नहीं रहा प्रार्थी श्रमिकगण को जब तक इन्होंने कार्य किया उस दिन तक इनको पूरा-पूरा वेतन दिया गया और सही तौर पर इनकी सेवा समाप्त की गई थी। आगे यह भी जाहिर किया कि श्रमिकगण को उस दिन तक ही रखा गया था जिस दिन तक उन्होंने कार्य किया। प्रार्थी श्रमिकगण को सेवा समाप्ति का कोई नोटिस देने की आवश्यकता नही थी और न सेवा समाप्ति का नोटिस देने की ही जरूरत थी। इसे गलत बताया कि प्रार्थी श्रमिकगण को अनधिकृत एवं अवैध रूप से हटाया गया हो। इस संबंध में जाहिर किया कि अधिकृत अधिकारी ने ही उन्हें हटाया था। यह भी अस्वीकार किया कि प्रार्थीगण की सेवायें प्रार्थीगण से कनिष्ठ केजुअल लेबर रखते हुए समाप्त की गई हों। प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। आगे यह एतराज लिया कि इस विवाद में अन-फेयर लेबर प्रैक्टिस प्रयोग किया जाना गलत है। विशेष कथन में आगे व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिकगण ने सेवा समाप्ति के एक साल पूर्व के समय में कभी भी 240 दिन कार्य नहीं किया था। यह कि प्रार्थीगण को लगाते समय यह बता दिया गया था कि उनकी सेवायें सेवा समाप्ति के दिन तक ही ली जा रही हैं इस प्रकार उस दिनांक की बाबत नोटिस भी दिया गया था। आगे यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थीगण से कोई भी कनिष्ठ केजुअल लेबर उनकी सेवा समाप्ति के दिन कार्यरत नहीं था। प्रार्थीगण ने प्रोजेक्ट में कार्य किया है वह इस प्रकार के लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं। क्लेम पिटीशन मियाद बाहर पेश करने का एतराज लिया आगे यह भी एतराज कि प्रार्थी श्रमिकगण को टेम्प्रेरी लेबर एप्लीकेशन पर कार्य पर रखा गया था जो कार्य नियत अवधि के लिए ही था और जो कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था। अतः प्रार्थना की कि क्लेम पिटीशन खारिज किया जावे।

6. प्रार्थी यूनियन की ओर से स्टेटमेंट आफ क्लेम की सम्पुष्टि में तीन साक्षीगण साक्ष्य में आये प्रथम श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री चन्द्रमा प्रसाद, दूसरा भरथराम मिश्रा पुत्र श्री लखनलाल मिश्रा, तीसरा अमृत लाल पुत्र श्री सत्यनारायण जिन्होंने अपना शपथपत्र इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये। इन तीनों साक्षीगणों के शपथपत्रों को न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया। इन तीनों ही गवाहन से रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने प्रतिपरीक्षण किया और साक्ष्य समाप्त की गई। रेलवे की ओर से तरदीदी साक्ष्य में श्री के. के. शर्मा पुत्र श्री देवदत्त शर्मा का शपथपत्र पेश किये जिसे भी न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया प्रार्थी यूनियन की ओर से इस गवाह से जिरह की। रेलवे का ओर से सीनियर सिविल इंजीनियर (कन्स्ट्रक्शन) उत्तर रेलवे सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 1-8-85 की प्रति प्रदर्श एम—1 साक्ष्य में पेश की गई। बहस के दौरान प्रार्थी श्रमिकगण की ओर से सी. आई. टी. 36/85 इसी विवाद से बिल्कुल मिलता हुआ विवाद में पारित किये गये अवार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। मैंने बहस योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिकगण एवं योग्य अधिवक्ता रेलवे सुनी है और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. इस न्यायाधिकरण के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न काबिल गौर यह है कि आया उपरोक्त नौकरा प्रार्थी श्रमिकगण की गई सेवा समाप्ति एक अवैध छंटनी की परिभाषा में आती है। यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक पाया जाता है तो प्रार्थी श्रमिकगण किस अनुतोष के अधिकारी हैं।

8. उपरोक्त विवादित प्रश्नों को निर्णित करने के लिए हमें पत्रावली पर आई साक्ष्य को गौर करना है। इस संबंध में श्री द्वारिका प्रसाद, भरथराम मिश्रा एवं श्री अमृत लाल ने उनके शपथपत्रों में उनको नियोजित किये जाने की तिथियां एवं उनको सेवा समाप्त किये जाने की तिथियां प्रमाणित कराई हैं मगर रेलवे की ओर से श्री के. के. शर्मा पुत्र श्री देवदत्त शर्मा के शपथपत्र की जिरह से एवं प्रदर्श एम—1 से सारे प्रार्थी श्रमिकगण को रेलवे में नियोजित किये जाने और उनको हटाये जाने की तिथियां प्रमाणित हो जाती हैं। इस प्रकार जो कमी प्रार्थी यूनियन की ओर रह गई थी उसे रेलवे के गवाह के प्रतिपरीक्षण में आये हुए तथ्यों ने पूरा कर दिया है। श्री द्वारका प्रसाद, भरत राम एवं अमृत लाल की साक्ष्य से निम्न तथ्य प्रमाणित हो जाते हैं कि प्रार्थी श्रमिकगण को विपक्षी उत्तर रेलवे में बतौर दैनिक वेतन भोगी

आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियोजित किया गया और उनमें से उमेशचन्द्र, पालाराम, अमृतलाल, भरथराम, गणेशप्रसाद व रामप्रसाद की सेवा दिनांक 15-11-83 को समाप्त की गई। श्री बीरम सिंह को 16-12-83 को, उम्मेद सिंह की 18-12-83 को व द्वारका प्रसाद की 20-10-83 को सेवा समाप्त की गई हैं। जहां तक सेवा समाप्ति का प्रश्न है यह निर्विवाद है। इन तथ्यों के अतिरिक्त श्री द्वारका प्रसाद, भरथराम एवं अमृतलाल की साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित हुआ है कि प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा समाप्ति का कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही सेवा समाप्ति का आदेश दिया गया। न ही नोटिस अवधि का कोई वेतन उन्हें दिया गया और छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया। सेवा समाप्ति से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची भी घोषित नहीं की गई और उनकी सेवा बतौर अनुचित श्रम नीति के रूप में समाप्त की गई हैं। विपक्षी रेलवे की ओर से श्री के. के. शर्मा ने उसके शपथपत्र में यह व्यक्त किया कि श्री उमेश चन्द्र, पालाराम, उम्मेद सिंह, श्री अमृतलाल भरथ राम, गणेश प्रसाद, रामप्रसाद को अनूपगढ़, सूरतगढ़ बड़ी लाईन परियोजना बदलीकरण में दैनिक मजदूर कर्मचारी के रूप में 1983 में लगाया गया था और श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री चन्द्रमा प्रसाद को अनूपगढ़ में श्री रामशरण शर्मा रेल पथ निरीक्षक (निर्माण) ने लगाया था। आगे यह भी लिखाया कि प्रार्थीगण को कार्य की अति आवश्यकता के कारण कार्यरत किया था और इन व्यक्तियों को बाद में उनके पास से काम पर से हटा दिया गया। बाद में उन्होंने कोई नई भर्ती नहीं की और यह भी लिखाया कि प्रार्थीपत्र से कनिष्ठ किसी भी नैमित्तक श्रमिक को कभी परियोजना कार्य में नहीं लगाया। जिरह में इस गवाह ने प्रदर्श एम—1 में अंकित 10 व्यक्तियों के नामों के सामने नियोजित किये जाने व हटाने की तिथियों को सही होना स्वीकार कर लिया। आगे जिरह में यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श एम—1 में अंकित 10 व्यक्तियों की सेवा समाप्ति से सात दिन पूर्व कोई वरिष्ठता सूची उन्होंने घोषित नहीं की। यह भी माना कि इन 10 कर्मचारियों को हटाने तक इनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया न ही उन्हें सेवा समाप्ति का कोई नोटिस दिया और न ही इन 10 कर्मचारियों को हटाने की सूचना भारत सरकार को दी। उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से विशेष तौर से प्रार्थी नौकश श्रमिकगण की नियोजित किये जाने की तिथि उनको हटाये जाने की तिथियों को देखते हुए यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी उमेशचन्द्र व बीरमसिंह की क्रमशः सेवा समाप्ति 15-11-83 व 16-12-83 से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में दोनों ने 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य कर लिया था और रेलवे एक "उद्योग" होने के कारण वे सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गये थे। परन्तु प्रार्थी श्रमिकगण पालाराम, उम्मेद सिंह, अमृतलाल, द्वारका प्रसाद, भरथराम, गणेश प्रसाद व राम प्रसाद जैसा कि प्रार्थी श्रमिकगण के अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं ने माना है कि इन श्रमिकगणों में से प्रत्येक ने उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 240 कार्य दिवस पूरे नहीं किये थे, इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक उमेश चन्द व बीरम सिंह सेवा समाप्ति से पूर्व जबकि उन्होंने एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य कर लिया था। उन दोनों की सेवा समाप्ति से पूर्व कोई सेवा समाप्ति का नोटिस नहीं दिया गया न ही नोटिस अवधि का कोई वेतन दिया गया और न ही उनको छंटनी का मुआवजा ही दिया गया। न ही इन जैसे कर्मचारियों की औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम—77 के तहत सेवा समाप्ति से पूर्व 7 दिवस पूर्व वरिष्ठता सूची जारी की गई, ऐसी सूरत में उनकी सेवा मुक्ति अवैध पाई जाती है। यहां यह तथ्य अवश्य काबिले गौर है कि योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी रेलवे ने सभी श्रमिकगणों के संबंध में यह बहस की कि इन सभी श्रमिकगण की नियुक्ति अवैध थी क्योंकि आई. ओ. डब्ल्यू. (कन्स्ट्रक्शन) सूरतगढ़ और आई ओ डब्ल्यू (कन्स्ट्रक्शन) अनूपगढ़ ने बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उन्हें नियोजित कर लिया था और नियोजित किये जाने के कृत्य के संबंध में इन आई. ओ. डब्ल्यू. ने कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बताये थे, इस संबंध में योग्य अधिवक्ता रेलवे ने प्रदर्श एम—1 पत्र पर निर्भर किया। अव्वल तो प्रदर्श एम—1 जो कि सीनियर सिविल इंजीनियर (निर्माण) उत्तर रेलवे सूरतगढ़ जिसके कि द्वारा जारी किया जाना लिखा गया है वह साक्ष्य में पेश नहीं हुआ है जो इस संबंध में रोशनी डाल सकता था कि किस प्रकार बिना स्वीकृति के इन आई. ओ. डब्ल्यू. ने प्रार्थी श्रमिकगण को लगा लिया था और उनका इस प्रकार श्रमिकगण को लगाना अनुचित एवं अवैध था। दूसरे साक्ष्य में ऐसा कोई अन्य गवाह भी पेश नहीं हुआ जिसने रेलवे के पक्ष में यह कहा होता कि प्रार्थी श्रमिकगण की नियुक्ति ही प्रारम्भ में अवैध थी। इस प्रकार अवैध नियुक्ति किये गये श्रमिकों को यदि हटा दिया गया तो कोई अनुचित नहीं था। साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रार्थी श्रमिकगण की प्रारम्भिक नियुक्ति अवैध अनुचित हो। बल्कि रेलवे की ओर से पेश किये गये गवाह श्री के. के. शर्मा ने उनकी साक्ष्य में प्रार्थी श्रमिकगण का नियोजित किया जाना कार्य की अति आवश्यकता का कारण लिखाया है। जब रेलवे को इन श्रमिकों की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता की पूर्ति में इन श्रमिकों को नियोजित किया गया तो नियोजित किये जाने का पर्याप्त कारण यहां रेलवे के ही गवाह से प्रमाणित हो जाता है और यदि इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी तो ऐसा रेलवे की ओर से प्रमाणित किया जाना आवश्यक था जो नहीं किया गया है। दूसरे रेलवे की ओर से यह अभिवचन उत्तर कलेम में रखा है कि प्रार्थी श्रमिकगण को एक नियत समय के लिए लगाया गया है और नियत अवधि समाप्त होने पर सही तौर पर उनकी सेवायें समाप्त हो गई। यह अभिवचन योग्य अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क को स्वतः ही गलत करार देता है। एक ओर तो योग्य अधिवक्ता रेलवे ने यह बहस की कि प्रारम्भ से ही प्रार्थी श्रमिकगण की नियुक्ति अवैध थी फिर यह भी अभिवचन रखा और बहस की कि प्रार्थी श्रमिकगण की नियुक्ति एक नियत समय के लिए थी और नियत अवधि की समाप्ति

पर उनकी सेवा स्वतः ही समाप्त कर दी वे दोनों तर्क एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां पहले श्रमिकगण का नियोजन प्रारम्भ से अवैध होना कहा गया वहां दूसरे तर्क के तहत उनको एम्पलोयमेन्ट नियत समय के लिए नहीं लगाया जाना जाहिर कर दिया है। इस प्रकार यह तर्क एक दूसरे की कोन्ट्राडिक्शन व निगेशन हैं। जैसा कि ऊपर विनिश्चित किया जा चुका है कि प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा प्रारम्भ से अवैध होना प्रमाणित नहीं कराई गई है और यदि किसी प्रकार प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा प्रारम्भ से अवैध भी मान ली जायें तो भी प्रार्थी श्रमिकगण की हटाये जाने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत किसी भी ऐसे श्रमिक को हटाने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक था। इस कारण से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना होने से प्रार्थी श्रमिकगण को हटाया जाना अवैध एवं अनुचित था। जहां तक प्रार्थी श्रमिकगण का एक नियत अवधि के लिए नियोजित करना और उस नियत अवधि की समाप्ति पर स्वतः सेवा समाप्त हो जाने का प्रश्न है इस बारे में विपक्षी रेलवे की ओर से ऐसा कोई नियोजन प्रमाणित नहीं कराया गया है। यहां साक्ष्य से इतना प्रमाणित हुआ है कि आई ओ डब्ल्यूज ने इन श्रमिकगण को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में लगाया जबकि हटाया जाना सीनियर सिविल इंजीनियर (कन्स्ट्रक्शन) उत्तर रेलवे सूरतगढ़ के आदेश के फलस्वरूप जाहिर हुआ है जिससे यह विदित है कि जिन आई ओ डब्ल्यूज ने इन श्रमिकगण को लगाया था उनके द्वारा हटाया न जाकर सीनियर सिविल इंजीनियर (कन्स्ट्रक्शन) नोर्दन रेलवे के द्वारा हटाया गया। ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं आई कि जिन आई. ओ. डब्ल्यूज. ने प्रार्थी श्रमिकगण को लगाया था उनके द्वारा ऐसी कोई संविदा शर्त रखी गई हो कि उनको एक नियत अवधि के लिए ही लगाया जा रहा है और उस नियत अवधि की समाप्ति पर प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी इस प्रकार की कोई संविदा भी प्रमाणित रेलवे की ओर से नहीं कराई गई है, ऐसी सूरत में रेलवे का यह डिफेन्स निस्सार है और श्री उमेशचन्द एवं वीरम सिंह की सेवा समाप्ति धारा 25 (एफ) व औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम–77 के उल्लंघन में की गई है और वह सेवा समाप्ति छंटनी की परिभाषा में आती है और छंटनी भी अवैध पाई जाती है।

9– श्रमिकगण पालाराम, उम्मेद सिंह, अमृतलाल, द्वारका प्रसाद, भरतराम, गणेश प्रसाद व रामप्रसाद जिनके कि संबंध में प्रार्थी यूनियन के अधिकृत प्रतिनिधि ने दबे शब्दों में यह स्वीकार किया कि उनकी सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में इनके द्वारा 240 दिन कार्य करना प्रमाणित नहीं होता है। इस संबंध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि श्रमिकगण ने यह प्रजोर बहस की है कि जहां ये श्रमिकगण 240 दिन पूरे करने जा रहे थे और उनके 240 दिन के पूरे करने पर मिलने वाले लाभ से वंचित करने के लिए कुछ दिन पहले ही उनकी सेवा समाप्त की गई वह एक अनफेयर लेबर प्रेक्टिस या अनुचित श्रम नीति थी। दूसरे इसके अतिरिक्त यह बहस की कि इनकी सेवा समाप्ति धारा 25 जी एवं औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम–77 के उल्लंघन में की गई है। नियम 77 एक ऐसा नियम है जिसकी अनुपालना न किये जाने पर यह नहीं पता लगता कि क्या सीनियर आदमियों को रखा गया है या जूनियर आदमियों को रखकर सीनियर आदमियों को हटा दिया गया है। योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिकगण ने यह बहस की है कि रेलवे के गवाह स्वयं ने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति के सात दिन पूर्व कोई वरिष्ठता सूची घोषित नहीं की और जब उपरोक्त प्रार्थी श्रमिकगण को हटाया तो उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया न ही कोई सेवा समाप्ति का नोटिस दिया न ही इन श्रमिकों को हटाने की सूचना भारत सरकार को दी गई। रेलवे के गवाह के इस प्रतिपरीक्षण से उपरोक्त सात प्रार्थी श्रमिकगण का हटाया जाना औद्योगिक विवाद नियम–77 के उल्लंघन में किया जाना बखूबी पाया जाता है। यद्यपि विपक्षी रेलवे के वकील ने यह बहस की है कि जब तक सेवा समाप्ति से पूर्व श्रमिक 240 दिन कार्य नहीं कर लेता है तो वह धारा 25जी अधिनियम का लाभ नहीं उठा सकता और औद्योगिक विवाद नियम–77 के लागू करने से भी पूर्व प्रार्थी श्रमिकगण को सेवा समाप्ति से भी पूर्व 240 दिवस पूरे करना भी आवश्यक है। मैं योग्य अधिवक्ता प्रार्थी रेलवे के इस तर्क से सहमत नहीं हूं। धारा 25(जी) एवं 25 (एफ) स्वतन्त्र धारायें हैं। धारा 25 (बी) के तहत एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन कार्यदिवस करने का प्रावधान है जब 25 (बी) के तहत कोई श्रमिक एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य कर लेता है तो उसके पश्चात धारा 25 (एफ) में वे शर्तें अंकित की गई हैं जिनकी परिपालना न किये जाने के संबंध में सेवा समाप्ति अवैध बन जाती है। मगर धारा 25 (जी) में इस प्रकार का कोई प्रावधान यानि ऐसी शरायत नहीं है जिससे कि यह विदित होता हो कि 25जी का उल्लंघन किये जाने से पहले यह आवश्यक हो कि संबंधित श्रमिक ने 240 कार्य दिवस सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में पूरे कर लिये हों। इस संबंध में डब्ल्यू. एल. एन. (यू. सी) 1978 पृष्ठ 224 पर अवलम्ब किया जाता है जिसमें यह विदित है कि जहां प्रार्थी श्रमिक ने सेवा समाप्ति से एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन पूरे नहीं किये थे वहां उसे धारा 25 (एफ) अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया। मगर इसी नजीर के अनुसार 25 (जी) के प्रावधान पूरे नहीं किये जाने के कारण छंटनी को अवैध माना गया। मौजूदा प्रकरण में श्रमिक भरथ राम ने उसकी जिरह में यह व्यक्त किया है कि उसे जब हटाया तो उससे जूनियर आदमी भी काम कर रहे थे और उससे कनिष्ठ व्यक्तियों में जसबीर सिंह का नाम उसने अपनी साक्ष्य में लिया और औरों के नाम याद न होना कहा। इस साक्ष्य का कोई खंडन रेलवे की ओर से नहीं कराया गया है इससे यह भी प्रमाणित होता है कि प्रार्थी श्रमिक भरथराम को हटाया उससे कनिष्ठ व्यक्ति जसवीर सिंह को रखा गया। इससे पहले आये पीछे जाये के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त

केन्द्रीय औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 77 का उल्लंघन निश्चित तौर पर प्रार्थी श्रमिकगण पालाराम, उम्मेद-सिंह, अमृतलाल, द्वारका प्रसाद, भरथराम, गणेशप्रसाद, राम-प्रसाद की सेवा समाप्त किया जाना प्रमाणित होता है। नियम 77 एक आज्ञापक प्रावधान है और इस आज्ञापक प्रावधान के उल्लंघन में किसी व्यक्ति की छंटनी की जाती है वह अवैध होती है। इस संबंध में 1984 लेब. आई. सी. 645 पर अवलम्ब किया जाता है। इस नजीर के प्रकरण में तो श्रमिकों की सेवा समाप्ति की जाने के छः दिन पहले वरिष्ठता सूची लगा दी गई थी मगर मौजूदा प्रकरण में उपरोक्त सात प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समाप्त करने से पहले कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गई जिस कारण से यह पता भी नहीं लग पाया कि कौन व्यक्ति सीनियर है और कौन जूनियर है। यहां नियम–77 का लिखा जाना संगत है –

Maintenance of seniority list of workmen—The employer shall prepare a list of all workmen in the particular category from which retrenchment is contemplated arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a Notice Board in a conspicious place in the premises of the Industrial Establishment at least seven days before the actual date of retrenchment."

10– उपरोक्त औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम 1957 के नियम 77 में ऐसा कहीं नहीं है कि जिन व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची घोषित की जानी है उनके द्वारा सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 240 कार्य दिवस पूरा करना अनिवार्य है। 1984 लेब आई. सी. पृष्ठ 645 के पैरा सं. 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि नियम–77 के प्रावधान इन नियमों में इसलिए रखे गये हैं ताकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (जी) का उद्देश्य वास्तविक रूप से पूरा हो सके। यह भी लिखा गया है कि छंटनी के संबंध में औद्योगिक नियम "पीछे आये पहले जाये" को काफी लम्बे समय से मान्यता दी जा रही है और यह नियम एक स्वस्थ सेफगार्ड डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध है और छंटनी के इस नियम को एक स्टेच्यूट्री मान्यता 1953 में संशोधित किये जाने वाले अधिनियम के द्वारा दी गई और इसी नजीर में यह विनिश्चित किया गया है कि–

"Viewed from this angle, it should be held that the requirement mentioned in R. 77 is mandatory and its violation renders an order of retrenchment illegal."

इस प्रकार मौजूदा केस में औद्योगिक विवाद केन्द्रीय नियम 1957 के नियम 77 का उल्लंघन किया जाना, स्पष्टतया पाया जाता है और इस प्रकार नियम 77 के उल्लंघन के कारण पालाराम, उम्मेदसिंह, अमृतलाल, द्वारका प्रसाद, भरथलाल, गणेश प्रसाद व रामप्रसाद की सेवा समाप्ति अवैध छंटनी पाई जाती है।

11– उपरोक्त विवेचन के आधार पर सभी नौकरा प्रार्थी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति अवैध छंटनी पाई जाती है और अवैध छंटनी के कारण वे पुनः सेवा में वेतन सहित बहाल होने के अधिकारी पाये जाते हैं। इस प्रकार विवादित बिन्दु सं. 1 व 2 प्रार्थी श्रमिकगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। और श्रमिकगण के पक्ष में उक्त रैफरेंस का निम्न प्रकार निर्णय किया जाता है कि–

अवार्ड

सीनियर सिविल इंजीनियर (निर्माण) 4, उत्तर रेलवे सूरतगढ़ के द्वारा श्री उमेश चन्द पुत्र श्री लाखन सिंह, पालाराम पुत्र श्री गुर्दाराम, बीरम सिंह पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद, उम्मेद सिंह पुत्र श्री चन्दर सिंह, अमृत लाल पुत्र श्री सत्यनारायण, द्वारका प्रसाद पुत्र श्री चन्दराम तिवारी, भरत राम पुत्र श्री लखन सिंह, गणेश प्रसाद पुत्र श्री भवानी दत्त, राम प्रसाद पुत्र श्री मनोहर की उनके नामों के सामने अंकित तिथियों को की गई सेवा मुक्ति अवैध एवं अनुचित पाई जाती है। प्रत्येक प्रार्थी श्रमिक पुनः सेवा में सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है। प्रत्येक श्रमिक उसकी अंकित सेवा समाप्ति की तारीख से उसे सेवा में बहाल किये जाने तक की तिथि तक नियमानुसार वेतन भत्ते सहित प्राप्त करेगा और इस अवधि के दौरान यदि उन्हें कोई और लाभ अर्जित हुए हों तो वह भी वे पाने के अधिकारी होंगे। सेवा समाप्ति की तिथि से सेवा में पुनः बहाल किये जाने की तिथि के मध्य का अवधि प्रत्येक की सेवा में निरन्तरता कायम रखेगी। उक्त आशय का पंचाट पारित किया जाता है जिसे वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार को अंतर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जावे।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल – 41011/36/84–डी. 2 (ब)]

का.आ. 1626.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1626.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Canteen Store Deptt., Jaipur and their workmen which was received by the Central Government.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव, आर.एच.जे.एस.

केस नं. सी. आई.टी. 61/88

मध्य

सर्वश्री सुभाष चन्द गुप्ता एवं अन्य मार्फत कैन्टीन स्टोर विभाग सैबू लाइन्स, मिलीट्री अस्पताल के पीछे जयपुर एवं

एरिया प्रबन्धक, केन्द्रीय स्टोर विभाग, गैव नाउन्स मिलिट्री अस्पताल के पीछे, जयपुर।

रैफरेंस:
अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

उपस्थिति:

प्रार्थी श्रमिकगण की ओर से: कोई उपस्थित नहीं।

अप्रार्थी नियोजक की ओर से: कोई उपस्थित नहीं।

दिनांक अवार्ड 4-4-90

अवार्ड

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डैस्क अधिकारी ने उनकी आज्ञा सं. एल-14011/8/87-ii (बी) दिनांक 29 अगस्त 1988 के द्वारा निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10(1) (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जायेगा, वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायाधिकरण को भेजा है:

"क्या प्रबन्धतन्त्र की श्री एस.सी. गुप्ता और 14 अन्य कर्मकारों को (सूची नीचे दी गई है) मजदूरी की अदायगी न करने, जैसी कि नियमित कर्मकारों को दी जाती है, और उन्हें दैनिक दर पर काम करने वाले कर्मकारों के रूप में समझने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो ये 15 कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से।"

सूची:

1. सुभाष चन्द गुप्ता
2. महेश चन्द पाठक
3. त्रिलोक चन्द वशिष्ठ
4. रूप सिंह गौड
5. मुरली प्रकाश पारीक
6. राधामणि
7. श्री रणवीर सिंह
8. राजेन्द्र सिंह
9. संदीप भारद्वाज
10. हीर सिंह
11. देवेन्द्र कुमार
12. सुमेर सिंह
13. मंजू गुप्ता
14. भंवर सिंह
15. मंगू सिंह

2. उक्त निर्देशन कर्मकारों की लिस्ट सहित इस न्यायाधिकरण में दिनांक 8-9-88 को प्राप्त हुआ। जिसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया जाकर उभय पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी श्रमिकगण की ओर से श्री एस.एफ. दिनांक 29-11-88 को उपस्थित आये और उन्हें स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश करने के लिए अवसर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 6-1-89, 3-4-89, 29-4-89, 28-7-89, 5-10-89 को श्री एस.एफ. बेग कर्मकारों की ओर से उपस्थित आते रहे और उन्हें स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गये। पिछली तारीख पेशी 14-8-90 को भी उन्हें स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश करने का अवसर दिया गया। आज भी स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया। न ही श्रमिकगण की ओर से कोई उपस्थित आया इससे विदित है कितनी बार अवसर दिये जाने के पश्चात् भी स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया इससे यह अनुमान निकलता है कि श्रमिकगण की ओर से इस विवाद को चलाने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। 10 अवसर दिये जाने पर भी स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में यह उचित होगा कि इस विवाद में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जावे। अतः आज्ञा है कि इस विवाद के संबंध में "नो डिस्पूट" अवार्ड पारित किया जाता है। अवार्ड की प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश

[सं. एल-14011/8/87-डी.2(ब)]

बी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, 18 मई, 1990

का.आ. 1627—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बरेली कारपोरेशन बैंक लि. के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16 मई, 1990 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th May, 1990

S.O. 1627.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby published the following award of the Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bareilley Corporation Bank Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 16-5-90.

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 233 of 1989

In the matter of dispute between:

Shri Anand Tandon,
C/o Shri V. N. Sekhari,
26/104 Birhana Road,
Kanpur.

AND

The General Manager,
Bareilley Corporation Bank Ltd.,
H. O. Bareilley,
Bareilley.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12011|51|89-IR(B)-I dated 29-9-89, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal;

> Whether the action taken by the management of Bareilley Corporation Bank Ltd. in terminating the services of Shri Anand Tandon is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?

2. In the instant case several notices were issued to the workman for filing of the statement of claim after furnishing of the address of the workman by Shri V. N. Sekhari, on 13-10-89 but neither the workman appeared nor he moved any application for time. The dates were 13-12-89, 30-1-90 and 8-3-90 but on all the above dates the workman remained absent which shows that the workman is not interested to press his case.

3. Thus from the above facts it appears that he is least interested in prosecuting the case. Accordingly a no claim award is given in the case.

ARJAN DEV, Presiding Officer

[No. L-12011|51|89-IR(B-I)]

का.आ. 1628.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16 मई, 1990 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1628.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby published the following award of the Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 16-5-90.

अनुबन्ध

समक्ष

श्री अर्जन देव, पीठासीन अधिकारी
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं
श्रम न्यायालय, कानपुर।

औद्योगिक विवाद संख्या: 62/86

विवादित पक्षों के नाम:

प्रेसीडेन्ट,
यू.पी. बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन
26/104 बिरहाना रोड, कानपुर।

एवम्

चीफ जनरल मैनेजर,
भारतीय स्टेट बैंक, हलजामिया प्लेस,
24 एम.जी. मार्ग, लखनऊ।

पंचाट:

1. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या एल.-12012/308/83-डी-ii (ए) दिनांक 19 मार्च सन् 1986 के द्वारा इस न्यायाधिकरण को निम्न वाद बिन्दु निर्णय हेतु प्रेषित किया है।

> "क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया लखनऊ के प्रबन्ध तन्त्र की सब्जी मण्डी किदवई नगर शाखा के सन्देशवाहक श्री सुभाष की सेवाओं को 14-1-83 से समाप्त करने की कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो सम्बन्ध कर्मकार, किस अनुतोष का हकदार है?"

2. उपरोक्त विवाद में पक्षकारों ने दिनांक 4-12-89 को सुलह पत्र इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त विवाद सुलह पत्र के आधार पर निर्णित कर दिया जाये।

3. पक्षकारों द्वारा इस विवाद में दाखिल किया गया सुलह पत्र निम्न प्रकार से है:

(1) यह कि सेवायोजक बैंक श्रमिक श्री सुभाषचन्द्र को मैसेन्जर के पद पर नई नियमित नियुक्ति (रेगुलर अपाइन्टमेन्ट) करके पक्षों की सहमति से बैंक के किसी ब्रांच में दिनांक 15-2-90 तक नियुक्ति कर देगा।

(2) यह कि श्रमिक पक्ष नियुक्ति पत्र के प्राप्त की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा।

(3) यह कि श्रमिक सुभाष चन्द्र द्वारा बैंक में कार्य सम्भालने की तिथि से प्रस्तुत वाद समाप्त समझा जायगा।

(4) यह कि श्रमिक सुभाष चन्द्र बैंक में कार्यभार सम्भालने की तिथि से पूर्व का कोई भी हितलाभ इस वाद से सम्बन्धित या अन्य बैंक में पाने का अधिकारी न होगा।

(5) यह कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार नियुक्ति तथा ज्वाइनिंग रिपोर्ट की फोटो कापी/प्रमाणित प्रति न्यायालय में दाखिल करके प्रस्तुत विवाद समाप्त करा देगा।

(6) यह कि पक्षकार अपना व्यय स्वयं वहन करेगा।

1. उपरोक्त विवाद में प्रबन्ध तन्त्र की ओर से श्री एस. एन. शर्मा अधिकृत प्रतिनिधि ने दिनांक 30-4-90 को

श्री सुभाष चन्द्र के नाम प्रबन्धतन्त्र द्वारा निर्गत किया गया नियुक्ति पत्र भी प्रस्तुत किया।

5. अतः इस वाद को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया सुलह-पत्र के आधार पर निर्णित करते हुए यह पंचाट दिया जा रहा है।

6. यह भी आदेश दिया जा रहा है कि इस पंचाट की छः प्रतिलिपियां भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को गजट हेतु प्रेषित की जावें।

दिनांक 30-4-90

अर्जन देव, पीठासीन अधिकारी

[सं. एल-12012/308/83-डी.-II (ए)]

सुभाष चन्द्र शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, 18 मई, 1990

का.आ. 1629.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की श्रीपुर कोलियरी जमुरिया ए व बी पिट्स यूनिट के प्रबन्धतन्त्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th May, 1990

S.O. 1629.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamuria A & B Pits Unit of Sripur Colliery of M|s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 15-5-90.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL · ASANSOL

Reference No. 7|1988

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Jamuria A & B Pit Unit of Sripur Colliery of M|s. E.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri P. K. Das, Advocate.
For the Workmen.—Shri C. D. Dwevedi, Advocate.

INDUSTRY : Coal STATE : West Bengal

Dated, the 30th April, 1990

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-24012(163)|87-D. IV(B) dated the 9th February, 1988.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Jamuria A&B Pit Unit of Sripur Colliery of M|s. E.C. Ltd., P.O. Kalipahari, District Burdwan in not regularising S|Sri Kabilas Gosai as Pump Khalasi and Kamala Kurmi as Surface Trammer from the date they were deployed together with pay protection, was justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

2. Today was fixed for filing settlement by the parties. The learned Advocates of both the sides have submitted before this Court that the dispute has been settled out of Court and a no-dispute award may be passed. Accordingly this Court has no other alternative but to pass a no-dispute award and a no-dispute award is passed.

This is my award.

N. K. SAHA, Presiding Officer

[No. L-24012(163)|87-D. IV(B)|IR(C. II)]

का.आ. 1630:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि., सास्ती सब एरिया के प्रबन्धतन्त्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1630.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Anenxure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Coalfields Ltd. (Sasti Sub Area) and their workmen, which was received by the Central Government on 14-5-90.

ANNEXURE

BEFORE SHRI V. N. SHUKLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

CASE NO. CGIT|LC(R)(185)|1989.

PARTIES :

Employers in relation to the management of M|s. Western Coalfields Ltd. (Sasti Sub-Area) Post Office Sasti, District Chandrapur (MS) and their workman Shri Aktarkhan Sikanderkhan Pathan, Post Sasti Colliery, District Chandrapur (M.S.).

APPEARANCES :

For Workman—Workman concerned himself.
For Management—Shri P.S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal Mining. DISTRICT : Chandrapur (M.S.)

AWARD

Dated : May 4, 1990

By Notification No. L-22012(106)|89-IR(Coal-II) dated 26th September, 1989 the Central Government, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal, for adjudication :—

"Whether the action in terminating the services of Sri Aktarkhan Sikhanderkhan Pathan by the Management of Sub-Area Manager, Sasti Sub-Area of W.C. Ltd., Distt. Chandrapur (MS) w.e.f. Nov., 1985 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. On receipt of the reference order parties were noticed to file their respective state of claim along with the documents, list of reliance and witnesses on 28-11-1989. But no one on behalf of the parties put their appearance on 28-11-1989 or subsequent date i.e. 23-1-1980. On 28-3-1990 again the workman absented, but Cuunsel for the management, Shri Rajendra Menon, filed a Memorandum of Settlement dated 22-2-1990. Since the workman was absent on 28-3-1990, 23-4-1990 was fixed for verification of settlement on which date workman concerned again absented. Therefore next date i.e. 24-4-1990 was fixed for verification of settlement. On this date parties appeared and verified the settlement dated 22-2-1990 before the Court. The terms of settlement, duly signed by Shri B. K. Shrivastava, Personnel Manager, Ballarpur Area and Akhtar Khan Pathan (workman concerned) and verified by Shri P. S. Nair, Advocate on behalf of the management and workman concerned, Shri Akhtar Khan Pathan on 24-4-1990, are as under :—

1. It is agreed that Shri Akhtar Khan Pathan has worked under M.W. Act at Dhoptala OCM.

2. Shri Akhtar Khan Pathan agreed that he will not claim any back wages|monetary benefit whatsoever for the post period to the date of joining of his duty.

3. Shri Akhtar Khan Pathan will be posted as Badli Maz. Cat. at Sasti Colliery provided declared medically fit by the company medical board.

4. This settlement fully and finally resolves| settles the dispute.

3. The above terms, to my mind, appear to be just, fair and in the interest of the workman concerned. Therefore, I record my award in terms of the settlement dated 22-2-90 arrived at between the parties and make no order as to costs.

V. N. SHUKLA, Presiding Officer

[No. L-22012(106)|89-IR(C II)]

का.आ. 1631.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व मैसर्ज ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि. की बजडीह कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-90 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1631.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bejdih Colliery of M|s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 15-5-90

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 57 of 1986

PARTIES:

Employers in relation to the management of Bejdih Colliery of M|s. Eastern Coalfields Limited.

AND

Their workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Sukumar Chakravarty—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Management.—Mr. B. N. Lala, Advocate.

On behalf of workmen.—Mr. I.D. Singh, an office bearer of Nation Front of Indian Trade Unions.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19012|74|85-D.IV(B) dated 20th July, 1986, the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Bejdih Colliery of M|s. Eastern Coalfields Limited in not paying the difference of

wages and other benefits to S|Shri Kariman Mia and Satdhari Teli, Underground Loaders for working as Mining Sirdar with effect from 12-12-82 is justified? If not, to what relief they are entitled ?"

2. When the case is called out today, both parties appear and file a Joint Petition of Compromise, duly signed by both parties. They pray for an Award in terms of the Joint Petition of Compromise. Considered the said Joint Petition of Compromise as well as the submission of both parties. The terms of the Joint Petition of Compromise appear to be fair, reasonable and in the interest of the parties. I therefore, accept the same and pass an 'Award' in terms of the said Joint Petition of Compromise which do form part of this Award as Annexure—'A'.

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 7th of May, 1990.

[No. L-19012(74)|85-D.IV(B)|IR(C.II)]

SUKUMAR CHKRAVARTY, Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 57 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to management of Patmohna Colliery Officers

AND

Their workmen.

JOINT PETITION OF COMPROMISE

The humble petition of both the parties above named most respectfully sheweth

(1) That the above mater is pending before the Hon'ble Tribunal and the matter has not yet been heard.

(ii) That, in the meantime, both the parties herein concerned mutually discussed the instant matter and have come to an amicable settlement on the following terms.

Terms of Settlement

(a) That the difference of wages for the period from 12-12-1982 till the date of their promotion on 13-2-1985 have been calculated and the respective amounts come to Rs. 3095.30 in respect of Sri Satdhari Teli and Rs. 3991.53 in respect of Sri Kariman Mia, the employees herein concerned.

(b) That the employers will pay aforesaid amounts to the concerned employees within 1(one) month from the date this settlement is accepted by the Hon'ble Tribunal.

(c) That the aforesaid amounts stated in paragraph 'A' above will be paid as a consolidated sum in full and final settlement of all claim arising out of instant order of reference and there shall be no claim whatsoever by the workmen for any amount over and above the aforesaid consolidated sum.

(d) That by this settlement the instant matter and any matter arising out instant order of reference is fully and finally settled.

(iii) Both parties pray that the Honourable Tribunal may be pleased to accept this settlement as fair and proper and may be further pleased to pass an Award in terms of the Settlement.

And for this act of kindness both the parties, as in duty bound, shall ever pray.

Dated this the 18th September, 1989.

For and on behalf of the Employers.

(1) Signature of Satdhari Teli

(2) Signature of Kariman Mia

(3) C. D. Puri,

For and on behalf of the workmen.

का.आ. 1632.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की सिदूली कोलियरी के प्रबन्धतन्त्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-90 को प्राप्त हुआ था

S.O. 1632.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal Asansol as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Siduli Colliery of M|s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 15-5-1990.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL

Reference No. 43|1988

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Siduli Colliery of M|s. Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. K. Das, Advocate.

For the Workman—Shri C. D. Dwevedi, Advocate.

Industry : Coal. State : West Bengal.

Dated, the 30th April, 1990.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-24012|(22)|88-D.IV(B) dated the 28th June, 1988.

Schedule

"Whether the action of the Management of Siduli Colliery of M|s. E.C. Ltd., P.O. Siduli, Distt. Burdwan in terminating services of Sri Chhotelal Hazam (Thakur) w.e.f. 16-2-1984, is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. During the pendency of the case, to-day (30-4-90) Sri C. D. Dwevedi, learned Advocate for the union filed a petition, signed by the General Secretary of the concerned union, submitting therein that the concerned union is no longer interested to pursue the instant matter. In the petition the union has also prayed for a no-dispute award in this case. The management has also endorsed no objection in this petition.

3. Upon consideration of the petition and the submission of the parties, this Tribunal has no other alternative but to pass 'no dispute' award and accordingly a 'no dispute' award is passed.

This is my award.

[No. L-24012(22)|88-D.IV(B)|IR(C.II)]

N K. SAHA, Presiding Officer.

का.आ. 1633.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व मै० ईस्टर्न कोलफील्ड्ज लि. की रतीबाती (आर) कोलियरी सतग्राम एरिया के प्रबन्धतन्त्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-90 प्राप्त हुआ था।

S.O. 1633.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal Asansol as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Ratibati (R) Colliery under Satgram Area of M|s. Eastern Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 15-5-1990.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL

Reference No. 25|1989

PRESENTS :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Ratibati (R) Colliery under Satgram Area of M|s. E. C. Ltd., P. O. Kalipahari, Distt. Burdwan.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. K. Das, Advocate.

For the Workman—Shri C. D. Dwevedi, Advocate.

Industry : Coal. State : West Bengal.

Dated, the 25th April, 1990.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012(238)|88-D.IV.B dated the 9th June, 1989.

Schedule

"Whether the action of the Management of Ratibati (R) Colliery under Satgram Area of M|s. E.C. Ltd., P.O. Kalipahari, Distt. Burdwan in not regularising Sri Sridhar Samanta, Jr. Lamp Room Incharge in the post of Lamp Room Incharge w.e.f. 1-5-86, is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

2. This case was fixed on 17-4-90 for filing settlement by the parties. On that date the learned Advocates of both the sides submitted before this Court that the matter is going to be settled out of Court and the parties do not want to proceed with the case any further.

3. In view of the circumstance, this Court has no other alternative but to pass a no-dispute award. Accordingly a no-dispute award is passed.

This is my award.

[No. L-22012(238)|88-D.IV(B)|IR(C.II)]

N K. SAHA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 23 मई, 1990

का.आ. 1534.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

व मैसर्ज ईस्टर्न कोल फील्ड्ज लि. कुनुस्तोरिया एरिया के प्रबन्धतन्त्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद मे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-90 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd May, 1990

S.O. 1634.—In pursuance of section 17 of the Indu trial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Govt. Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kunustoria Colliery of M|s. Eastern Coalfield Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 15-5-1990.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL ASANSOL

Reference No. 50|1988

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kunustoria Area of M|s. Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. K. Das, Advocate
For the Workman—Shri C. D. Dwevedi, Advocate.

Industriy : Coal. State : West Bengal

Dated, the 26th April, 1990.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-24012(24)|88-D.IV(B) dated the 26th July, 1988.

SCHEDULE

"Whether the General Manager, Kunustoria Area of M|s. Eastern Coalfields Ltd., O.P. Toposi was ju tified in dismissing S|Sri Nakul Rewani, Explosive Carrier of Belbaid Colliery w.e.f. 10-3-84. If not, to what relief the concerned workmen are entitled?"

2 During the pendency of the case, today (26-4-90) Sri C. D. Dwevedi, learned Advocate for the union filed a petition, signed by the General Secretary of the Union, submitting therein that the concerned union is no longer interested to pursue the instant matter. In the petition the union has also prayed for a no-dispute award in this case. Sri P. K. Das, Ld. Advocate representing the management is also present.

3. Upon consideration of the petition and the submission of the parties, this Tribunal has no other alternative but to pass a 'no dispute' Award and accordingly a 'no dispute' award is passed.

This is my award.

N. K. SAHA, Presiding Officer.

[No. L-24012(24)|88-D.IV(B)|IR(C.II)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली, 18 मई, 1990

का.आ. 1635.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्ज सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोडला ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 18th May, 1990

S.O. 1635.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kedla Open Cast Project of M|s. Central Coal Fields Ltd. and their workmen.

ANNEXURE

Before the *Central Government Industrial Tribunal* (No. 2) at Dhanbad

Reference No. 267 of 1986

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kedla Open Cast Project of C.C. Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—Shri Lalit Burman, Vice-President, United Coal Workers Union.

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE—Bihar INDUSTRY—Coal

Dated, Dhanbad, the 30th April, 1990

AWARD

The Govt. of India, in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(97)/85-D.IV(B) dated the 25th July, 1986.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Kedla Open Cast Project of M/s. C.C. Ltd., P.O. Kedla, Distt. Hazaribagh in denying promotion to Shri K. K. Singh as Shovel Operator after completion of 6 months training previously when other employees after completion of 6 months training have been promoted, is legal and justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

In this case both the parties filed their respective W.S. documents etc. Thereafter the case proceeded along its course. Subsequently both the parties appeared before me and filed a Joint Compromise and I do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the Joint Compromise petition which forms part of the Award as Annexure.

I. N. SINHA, Presiding Offiver

[No. L-24012/97/85-D.IV(B)/IR(C-I)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In the matter of Ref. No. 267 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Kedla Open Cast Project of Central Coalfields Ltd.

AND

Their workmen

JOINT COMPROMISE PETITION OF EMPLOYERS AND WORKMEN

The above mentioned Employers and the workmen most respectfully beg to submit as follows :—

(1) That the Employers and the workmen Sponsoring Union have negotiated the matter covered by the above reference with a view to arriving at an amicable and mutually acceptable settlement.

(2) That as a result of such negotiations, the Employers and the workmen/Sponsoring Union have agreed to settle the matter covered by the above reference on the following terms and conditions :—

(a) It is agreed that the Management shall regularise the workman concerned, Sri K.K. Singh, as Asstt. Storekeeper in N.C.W.A. IV pay scale of Rs. 1158-48-1542-58-2006 w.e.f. 25-10-89

(b) It is agreed that the pay of Sri K.K. Singh the workman concerned shall be fixed at the stage of Rs. 1494.00 in the aforesaid pay scale and he shall thereafter draw annual increments in that pay scale as per the rules of the Management.

(c) It is agreed that this is an overall settled in full and final settlement of all the claims of the workman concerned/Sponsoring Union arising out of the above reference.

(d) It is agreed that the above agreement shall be implemented within one month of the acceptance of this joint compromise petition by this Hon'ble Tribunal.

(3) That the Employers and the workman/Sponsoring Union hereby jointly confirm and declare that they consider that the above agreement is just, fair and reasonable to both the parties.

In view of the above, the Employer and the workmen Sponsoring Union jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this joint compromise petition and give an award in terms thereof and dispose of the reference.

(LALIT BURMAN)
VICE PRESIDENT
UNITED COAL WORKERS UNION
FOR & ON BEHALF OF WORKMEN.

(N. P. SINGH)

PROJECT OFFICER/AGENT
KEDLA OPENCAST PROJECT
CENTRAL COALFIELDS LTD.
FOR & ON BEHALF OF EMPLOYERS.

(K. K. SINGH)
WORKMAN CONCERNED
DATED 19-3-90

(RAL. S. MURTHY)
ADVOCATE FOR EMPLOYERS

का.आ. 1636.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स सेन्ट्रल कोल फील्ड्स का केडला ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1636.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of

the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kedla Open Cast Project of M/s. Central Coal Fields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 82 of 1987

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employer in relation to the management of Kedla Open Cast Project of Central Coal fields Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—Shri J. P. Singh, Advocate.

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 30th April, 1990

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(120)/86-D.IV(B), dated the 11th February, 1987.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Kedla Open Cast Project of C.C. Ltd P.O. Kedla, Distt. Hazaribagh in denying :

(i) promotion to Shri Girdhari Ram as Grade-I Fitter after holding valid D.P.C. ;

(ii) payment of wages to Shri Girdhari Ram as Grade-I Fitter for the period from 10-4-1985 to 28/29-11-85 ,

is legal and justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

In this case both the parties appeared and filed their respective W.S. documents etc. Thereafter the case proceeded along with its course. Subsequently when the case was fixed for oral evidence of the parties, both the parties appeared before me and filed a Joint Compromise petition. I heard them on the said petition of compromise and I do find that the terms contained therein are fair proper and beneficial to both the parties. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms of the Joint Compromise petition which forms part of the Award as Annexure

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012/120/86-D.IV(B)/IR(C-I)]

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

In the matter of Ref. No. 82 of 1987

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Kedla Open Cast Project of Central Coalfields Ltd.

AND

Their workmen.

JOINT COMPROMISE PETITION OF EMPLOYERS AND WORKMEN

The above mentioned Employers and the workmen/Sponsoring Union most respectfully beg to submit joint as follows :—

(1) That the Employers and the workmen/Sponsoring Union have jointly negotiated the matter covered by the above reference with a view to arriving at a mutually acceptable and amicable settlement

(2) That as a result of such negotiations, the Employers and the workmen/sponsoring Union have agreed to settle the matter on the following terms and conditions : --

(a) It is agreed that the workmen concerned shall be given notionally seniority in the post of E.P. Fitter Grade I w.e.f. 6-4-85 as against the seniority given to him earlier from 28-11-1985.

(b) It is agreed that he will not be entitled to any monetary benefits whatsoever except the pay and allowances in the post of E.P. Fitter Grade I w.e.f. 28-11-1985.

(c) It is agreed that this is an overall settlement in full and final settlement of all the claims of the workman concerned and the sponsoring union arising out of the above reference.

(3) That the Employers and the workmen/sponsoring Union hereby confirm and declare that they consider the above terms and conditions of settlement as just, fair and reasonable to both the parties.

In view of the above, the Employers and the workmen/Sponsoring Union jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept this joint compromise petition and dispose of the above reference by giving an award in terms thereof.

(GIRDHARI RAM)
Workman Concerned
(J. P. SINGH)
Advocate
For Workmen
Dated : 19-3-1990.

(N. P. SINGH)
Project Officer/Agent
Kedla Opencast Project
Central Coalfields Ltd.

For & on behalf of Employers
(RAI S. MURTHY)
Advocate
For Employers

नई दिल्ली, 21 मई, 1990

का.आ. 1637.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि. के कोयला भवन के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 1), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-1990 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 21st May, 1990

S.O. 1637.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1) Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Koyala Bhavan and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th May, 1990

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 9 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bharat Coking Coal Ltd., Koyla Bhawan.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen.—Shri Lalit Burman, Vice-President, United Coal Workers Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, the 30th April, 1990

AWARD

By Order No. L-20012/165/88-D.III(A) D-VI(A) dated, the 13th January, 1989, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of the United Coal Workers' Union, Dhanbad, that Shri Gangadhar Ram, Ashim Ranjan Sarkar, Ratanmani Chatterjee, Braj Kishore Prasad and J. B. Lal Supervisor (Telecom), BCCL be given Technical and Supervisory Grade A from the date of their appointment to the post, is justified ? If yes, to what relief these workmen entitled ?"

2. The case of the concerned workmen as spelt out in the written statement submitted on their behalf by the United Coal Workers' Union, details apart, is as follows :

The concerned workmen were appointed in the posts of Supervisor (Telecommunication) in the years 1980 and 1981 by the Head Quarters of M/s. B.C.C. Ltd. The date of appointment of S/Shri Gangadhar Ram and Ashim Ranjan Sarkar was 9-3-1980 while that of Ratanmani Chatterjee, Braj Kishore Prasad and J. B. Lal Karan was 16-9-1981. Supervisor (Tele-communication) is entitled to be placed in Technical and Supervisory Grade-A in the scale of pay of Rs. 722 to 1278 as per N.C.W.A. II effective from 1-1-1979 and the revised scale of pay is Rs. 892 to 1701 as per N.C.W.A. III effective from 1-1-1983. The management, however, placed the concerned workmen in Technical and Supervisor Grade-B and paid them the scale of Rs. 640 to 1160 and revised their respective basic pay in the scale of Grade-B Technical and Supervisory after implementation of the N.C.W.A. III. They demanded for being placed in Technical and Supervisory Grade-A for basic pay in the scale prescribed for Grade-A. But the management refused to concede to the lawful and genuine demand and in the circumstances, the union raised an industrial dispute which ultimately resulted in the present reference. While the matter was under consideration of the appropriate Government, the management issued Office Order dated 2-12-1988 placing the concerned workmen as Foreman Incharge (E&T) with effect from 2-12-1988. But as they were appointed Supervisor (Tele-communication) they are entitled to get wages prescribed for Technical and Supervisory Grade-A with effect from the date of their respective appointments. The union has prayed that they should be placed in Technical and Supervisory Grade-A and should be paid difference of wages of Grade-A and Grade-B from their respective dates of appointment.

3. The case of the management of M/s. B.C.C. Ltd., Koyla Bhawan, as appearing from the written statement submitted, briefly stated is as follows :—

M/s. B.C.C. Ltd. introduced a new department by the name of Tele-communication Department with a view to improve the communication system in the company. Such set up department was not existing in the Coal Industry either at the time of L.A.T. Award or Wage Board Recommendations which came into operation in 1956 and 1967 respectively. This being so, no categorisation, scale of pay and job description are available for such personnel either in the Labour Appellate Tribunal Award or Wage Board Recommendation. When M/s. B.C.C. Ltd. organised such a department a need arose to man this department from amongst the departmental candidates to the extent available and by resorting to outside recruitment against the posts where suitable departmental candidates were not available. The concerned workmen were appointed for the posts in the notified pay scale of Rs. 640 to 1160. They were fully aware of the pay scale and other terms and conditions of the service. They were

interviewed along with other candidates and were found suitable. Accordingly, letters of appointment were issued to them individually. In the letter of appointment the scale of pay was mentioned as Rs. 640 to 1160. Once the pay scale was specifically mentioned it impliedly meant that they were placed in Grade-B. They accepted the offer of appointment and joined the service, and so they should estopped from raising a dispute over the issue. There is no basis for demand of the union for placing the workmen in Technical and Supervisory Grade-A. A promotion policy and cadre scheme was evolved by the J.B.C.C.I. in 1985 for the employees working in Tele-communication Department which was circulated under implementation instructions No. 43|85 and 50|85. The cadre scheme lays down the norms and criteria of promotion and also the norms about the adjustment of existing employees in the different scales of pay and designations. According to this scheme, the concerned workmen cannot be upgraded to Technical and Supervisory Grade-A. Their cases are covered by para 5 of the Cadre Scheme No. XII| This cadre scheme is binding on both the parties and it does not stipulate automatic upgradation. The concerned workmen are holding supervisory post and drawing wages exceeding Rs. 1,600|- per month and so they are not workmen within the meaning of Industrial Disputes Act. In the circumstances, the management has stated that there is no merit in the demand of the union and it should be rejected.

4. In the rejoinder to the written statement of the sponsoring union, the management has denied that the concerned workmen are entitled to get Technical and Supervisory Grade-A from their initial dates of appointment.

5 The union has introduced in evidence a mass of documents which have been marked Exts. W-1 to W-5.

The management has laid in evidence a number of documents which have been marked Exts. M-1 to M-3

6. Shri Lalit Burman, authorised representative of the sponsoring union has made submissions in the course of argument in support of the case of the concerned workmen. Shri B. Joshi, Advocate, for the management, left the Tribunal without arguing the case.

7. It is the undeniable position that the concerned workmen were appointed to the posts of Supervisor (Tele-communication) by the management of M|s. B.C.C. Ltd. The pleading of the sponsoring union and the evidence on record establishes the position that two of the concerned workmen, namely, Gangadhar Ram and Ashim Ranjan Sarkar were appointed to the post of Supervisor (Tele-communication) in the scale of Rs. 640 to 1160 per month with effect from 9-3-1980 (Exts. W-1 and W-2). The other concerned workmen, namely, S|Shri Ratan mani Chatterjee, Braj Kishore Prasad and J. B. Lal Karan were appointed to the same post in the same scale of pay per month with effect from 16-9-1981/28-10-1981 (Exts. W-3, W-4 and W-5).

8. There is no dispute that Tele-communication Department was introduced by M|s. B.C.C. Ltd. after nationalisation and that such set up|department was not existing in the Coal Industry either at the time of L.A.T. Award or Wage Board Recommendation which came into operation in 1956 and 1967 respectively. Obviously, because of the fact that no such set up|department was existing in the Coal Industry earlier there was no categorisation or scale of pay and job description in the Tribunal Award or Wage Board Recommendation. But regard being had to the fact that all the concerned workmen were designated as Supervisor (Tele-communication), Shri Lalit Burman, authorised representative of the union, has urged before me that some comparable designation was available in the Wage Board Recommendation, such as, Electrical Supervisor who were placed in Technical and Supervisory Grade-A in the Wage Board Recommendation. Although, the contention of Shri Burman has some merit of its own nevertheless that cannot be decisive factor in the present case. The concerned workmen were appointed Supervisor (Tele-communication) at a time when there was no such designation in the N.C.W.A.II which was in force till 31-12-1982. But the concerned workmen were placed in the sacle of pay of Rs. 640 to 1160 per mensem. There is no dispute that when N.C.W.A.III came into force with effect from 1-1-1983, the concerned workmen were placed in the revised scale of pay of Rs. 810 to 1586.

9. It is the contention of the management that the concerned workmen were placed on the revised scale of pay of Rs. 810 to 1586 on the basis of their earlier pay scale of Rs. 640 to 1160 in the pre-revised scale. This pay revision was made upon the premises that the concerned workmen were placed in Technical and Supervisory Grade-B. It remains to be seen whether this action of the management is justified or not and if the demand of the union for placing the concerned workmen on Technical and Supervisory Grade-A is sustainable or not.

10. In the implementation instruction relating to N.C.W.A.III the job description of Supervisor (Tele-communication) (Tech. A) has been given as hereinunder :

> "He will be in-charge of a shift, to operate any communication system and maintain the various operating documents. Perform instructional duties at Trainnig Institute. He has to be proficient in traffic control duties in any communication centre or telephone exchange, maintain different types of communication centre|telephone exchange documents and statistics. Be responsible for the functional efficiency of all transmission systems and operate various communication systems whenever necessary. Liaison with P&T when working in telephone exchange. He will assist his superior in planning of communication centre and its standing orders, laying down norms for various operator category trademan and training matters."

In that implementation instruction the job description of Asst. Supervisor (Tele communication) has also been given. In the implementation instruction relating to N.C.W.A.II Supervisor (Tele-communication)

has been placed in Technical and Supervisory Grade-A on a scale of pay of Rs. 892 to 1701 with effect from 19-3-1985. With regard to present serving personnel, as the concerned workmen were, the guideline of the Implementation Instruction No. 56 entitled Cadre Scheme No. XIII : Cadre Scheme for Tele-communication personnel—para 5, is as follows :

"The present serving personnel as on the date of coming the Scheme in force will be brought under this scheme and regularised in the following manner :

(a) Wheer the pay scale is the same, the designation will be brought in conformity with the ones given in this scheme.

(b) Where the designation and pay scale are in conformity with this scheme, the job description already finalised will be applied.

(c) Mechanics/Electricians who may be in Category-V will be placed in Tech. 'D' and those in Category-VI will be upgraded to Tech. 'C' after successfully completing suitable conversion training."

The management has relied upon this implementation instruction. But this implementation instruction envisages that where the pay scale is the same, the designation will be brought in conformity with the ones given in the scheme. In the scheme there is provision for the designation of Asstt. Supervisor (Tele-communication) in Technical Grade-B on the scale of pay of Rs. 810-1586 and Supervisor (Tele-communication) in Technical Grade-A on scale of pay of Rs. 892 to 1701. In that view of the matter the designation of the concerned workmen as per contention of the management should have been Asstt. Supervisor (Tele-communication) in Technical Grade-B on the scale of pay of Rs. 810 to 1586. But the management has not chaned the designation of the concerned workmen despite the implementation instruction under N.C.W.A.III ; their designation has remained Supervisor (Tele-communication) as before. There is no evidence on record to indicate that their job description was that of Asstt. Supervisor (Tele-communication) on Technical Grade-B and not Supervisor (Tele-communication) on Technical Grade-A. The pleading of the management is not indicative of the fact that the concerned workmen have been discharging their duties of Asstt. Supervisor (Tele-communication) in Technical Grade-B. This being the position, the management has not, in my view, placed the concerned workmen on proper scale of pay as their designation has remained Supervisor (Tele-communication) with the job description of that post. The management should have placed them in Technical Grade-A on the scale of pay of Rs. 892 to 1701 with effect from the date of implementation instruction i.e. 19-3-1985.

The management has promoted them in Technical and Supervisory Grade-A with effect from 2-12-1988 (Ext. M-3). But this the management should have been done with effect from 19-3-1985 when the Implementation Instruction No. 43 was circulated. In the circumstances, the concerned workmen are entitled to be placed in revised scale of pay of Rs. 892 to 1701 in Technical Grade-A and difference of wages with effect from 19-3-1985.

10. It is the contention of the management that the concerned workmen have accepted the benefit under an agreement and so they are entitled to claim Technical and Supervisory Grade-A. But this question is no longer res-integra. In the case reported in AIR 1975 SC 171 the Hon'ble Supreme Court has held that even if 99 per cent of the workers have accepted benefit under an agreement that will not put an end to the dispute before the Tribunal or Labour Court. It has been held in the case reported in AIR 1978 SC 828 that the theory of implied agreement by acquiescence on the basis of acceptance of benefit flowing from the agreement is of no avail and cannot operate as estoppel. Hence, the contention of the management that the claim of the concerned workmen is barred by estoppel is not sustainable.

11. Then again the management has contended that the concerned workmen are not workmen within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act as they are employed in a supervisory capacity and drawing wages exceeding Rs. 1600/- per mensem.

I have already outlined the job description of the concerned workmen. The word "supervision" means to oversee, inspect, look after. The words "Supervisor" and "supervision" have to be construed in the context of the definition. What determines the question whether a person is doing supervisory work or not is the nature of duties and function assigned to him. Supervision may be in relation to work or in relation to person. The essence of supervisory work is the supervision by one person over the work of others and it contemplates direction and control. But the job description of Supervisor (Tele-communication) does not indicate that Supervisor has to exercise supervisory work over the work of other persons. Their supervisory work is confined to machines and the system. That being so, I cannot but hold that the concerned workmen are not employed in supervisory capacity as contemplated under the definition of "workman" as envisaged in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act. Hence, I hold that they are workmen within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act.

12. Accordingly, the following award is rendered— the demand of United Coal Workers' Union for placing the concerned workmen in Technical and Supervisory Grade-A with effect from the date of their joining is not justified. But the demand for such placing in Technical and Supervisor Grade-A is justified with effect from 19-3-1985. The management is directed to place them in Technical and Supervisory Grade-A with effect from 19-3-1985 and to pay them difference of wages and other benefits w.e.f. that date.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer.

[No. L-20012(165)/88-D.II(A)/IR(Coal-I)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer.

नई दिल्ली, 11 मई, 1990

का. आ. 1638 .—भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., ने, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, धारा 5 के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उपदान फायदों के बाबत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. कर्मचारी उपदान निधि नियमों के अधीन जैसे कि उक्त स्थापन के कर्मचारियों को लागू है, संदाय उपदान फायदे उक्त कर्मचारियों के लिए उन फायदों से कम अनुकूल नहीं है जो उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त किए गए हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधिसूचना संख्या का. आ. 4008 तारीख 20-11-1986 के अनुसरण में उक्त स्थापन को तारीख 29-11-1989 से और पांच वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है, अर्थात् :—

(1) यदि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., कर्मचारी उपदान निधि नियमों के कार्यान्वयन की बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त अधिनियम के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को मध्यस्थता करने और उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसका अवधारण करने की शक्ति होगी, और

(2) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., उपदान अधिनियमों में केन्द्रीय सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

[संख्या एस-42014/1/89-एस. एस.-2]

New Delhi, the 19th May, 1990

S.O. 1638.—Whereas the Bharat Heavy Electricals Limited (hereinafter referred to the said establishment) has applied for exemption under section 5 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas in the opinion of the Central Government the gratuity benefits payable under the Bharat Heavy Electricals Employees' Gratuity Fund Rules as applicable to the employees of the said establishment with respect to gratuity benefits are not less favourable to the said employees than those conferred under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Act, and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 4008, dated 20-11-1986, the Central Goevrnment hereby exempts the said establishment from the operation of the provisions of the said Act for a further period of five years with effect from 29-11-1989, subject to the following conditions, namely :—

(1) If any dispute arises with regard to the implementation of the Bharat Heavy Electricals Employees' Gratuity Fund Rules, the Controlling Authority and Appellate Authority under the said Act shall have the power to intervene and determine it in accordance with the provisions of the said Act; and

(2) No change in the Bharat Heavy Electricals Limited Employees' Gratuity Fund shall be made without prior permission in writing of the Central Government.

[No. S-42014/1/89-SS. II]

नई दिल्ली, 23 मई, 1990

का. आ. 1639 :—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-क की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस. बी. जैन के स्थान पर श्री सुसान्ता सैन गुप्त को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1 खण्ड 3 (उपखण्ड) (ii) दिनांक 18 सितम्बर, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 677 (ई) दिनांक 18 सितम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 27-बी के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री सुसान्ता सैन गुप्त
महाप्रबन्धक (तकनीकी)
स्टैंडिंग कान्फ्रेन्स आफ पब्लिक
इंटरप्राइजेज,
स्कोप कम्पलेक्स, 7 लोदी रोड,
नई दिल्ली—110003

[संख्या वी-20012/2/89-एस.एस.-II]

New Delhi, the 23rd May, 1990

S.O. 1639.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 5-A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Susanta Sengupta as a member of the Central Board of Trustees in place of Shri S. B. Jain and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 677(E) dated the 18th September, 1985 published in Part-II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India extraordinary dated the 18th September, 1985.

In the said notification, against serial No. 27-B and entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

"Shri Susanta Sengupta,
General Manager (Technical),
Standing Conference of Public Enterprises,
SCOPE Complex, 7, Lodi Road,
New Delhi-110003."

[No. V. 20012(2)/89-SS. II]

का. आ 1640 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-6-90 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा

(1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	मौजा व तालुक	जिला
1.	धारापुर	रमसारानी	कामरूप
2.	अजरा	रमसारानी	कामरूप
3.	पटगांव	दक्षिण रानी	कामरूप

[संख्या एस.-38013/11/90 एस. एस.-I]

S.O. 1640.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st June, 1990 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of sections 76 and 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Assam namely:

S. No.	Name of the Revenue Village	Mauza Taluk	Distt
1.	Dharapur	Ramsarani	Kamrup
2.	Azara	Ramsarani	Kamrup
3.	Patgaon	Dakhin Rani	Kamrup

[No. S-38013/11/90-SS. I]

का. आ. 1641 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-6-90 को उस तारीख के रूप में नियत करती है। जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध असम राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"गौहाटी नगर निगम सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों के सिवाय जो उक्त व्यवस्था पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है"

[संख्या एस.-38013/12/90-एस.एस. I]

S.O. 1641.—In exercise of the ppowers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st June, 1990 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of sections 76, 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Assam namely:—

"The areas comprising of the Guwahati Municipal Corporation except the areas in which the said provisions of the Act have already been brought into force".

[No. S-38013/12/90-SS. I]

का. आ. 1642 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-6-90 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"जिला और तहसील बालासोर में राजस्व ग्राम बालगोपालपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[संख्या एस-38013/14/90-एस. एस. I]

S.O. 1642.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st June, 1990 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of sections 76, 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa namely:—

"The areas comprising of the revenue village of Balgopalpur in Tehsil and District Balasore".

[No. S-38013/14/90-SS. I]

का. आ. 1643 :—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1-6-90 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं) के उपबन्ध केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे अर्थात् :—

"मालापुरम जिले के एरनाद तालुक में राजस्व ग्राम पैनाकाड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

[संख्या एस.-38013/13/90-एस. एस. I]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 1643.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1949 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st June, 1990 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of sections 76, 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Kerala namely:—

"The areas within the revenue village of Panakkad in Ernad Taluk of Malappuram District".

[No. S-38013/13/90-SS. I]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मई, 1990

का. आ. 1644 —केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 3211 [illegible] 5 दिसम्बर, 1989 द्वारा किसी भी तेल क्षेत्र में [illegible] उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 दिसम्बर, 1989 [illegible] कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 7 जून, 1990 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एस-11017/5/85-डी I (ए)]

New Delhi, 24th May, 1990

S.O. 1644.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 3211 dated the 5th December, 1989 the service in the Oil field to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 7th December, 1989:

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 7th June, 1990.

[No. S-11017/5/85-D. I(A)]

का. आ. 1645 :—केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा चलाए जा रहे बैंकिंग उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की मद 2 के अन्तर्गत आता है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छः मास की कालावधि के लिए तत्काल प्रभाव से लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/2/85-डी-I (ए)]

नन्द लाल, अवर सचिव

S.O. 1645.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Banking Industry as carried on by a regional rural bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976, which is covered by item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares, with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/2/85-D.I(A)]

NAND LAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990